



SUPREME AUDIT INSTITUTION OF INDIA
लोकहितार्थ सत्यनिष्ठा
Dedicated to Truth in Public Interest

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन



हिमाचल प्रदेश सरकार
2025 का प्रतिवेदन संख्या 2
(संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-1)

**मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए
भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
का प्रतिवेदन**

**हिमाचल प्रदेश सरकार
2025 का प्रतिवेदन संख्या 2
(संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन-I)**

अनुक्रमणिका

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
प्रस्तावना	iii	
विहंगावलोकन	v	
अध्याय I: सामान्य		
परिचय	1	1
राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति	1.1	2
राजस्व के बकाया का विश्लेषण	1.2	7
निर्धारण में बकाया	1.3	8
कर का अपवंचन	1.4	9
प्रतिदाय मामले	1.5	10
लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया	1.6	11
आंतरिक लेखापरीक्षा	1.7	13
लेखापरीक्षा योजना	1.8	14
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	1.9	14
आभार	1.10	14
अध्याय II: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा		
वित्त विभाग		
परिचय	2.1	15
परियोजना प्रबंधन	2.2	25
परियोजना कार्यान्वयन	2.3	51
सूचना सुरक्षा	2.4	137
निष्कर्ष	2.5	146
अनुशंसाएं	2.6	148
अध्याय III: वस्तु एवं सेवा कर भुगतान तथा रिटर्न फाइल करने पर विभागीय निगरानी		
राज्य कर एवं आबकारी विभाग		
परिचय	3.1	151
लेखापरीक्षा उद्देश्य	3.2	151
लेखापरीक्षा कार्यपद्धति एवं कार्य-क्षेत्र	3.3	152

विवरण	संदर्भ	
	परिच्छेद	पृष्ठ संख्या
लेखापरीक्षा नमूना	3.4	153
लेखापरीक्षा मानदंड	3.5	154
लेखापरीक्षा निष्कर्ष	3.6	155
निष्कर्ष	3.7	199
अनुशंसाएं	3.8	201
अध्याय IV: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां		
राज्य कर एवं आबकारी विभाग		
कर देयता के अधिक आस्थगन के कारण ₹ 6.29 करोड़ के राजस्व की हानि	4.1	203
इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिक अनुमत करने के कारण ब्याज के रूप में ₹ 1.76 करोड़ के राजस्व की हानि	4.2	205
सकल टर्नओवर से कार्य अनुबंध कर की अस्वीकार्य कटौती के कारण ₹ 10.88 लाख के राजस्व की अल्प वसूली	4.3	206
शराब की संदिग्ध चोरी	4.4	208
शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटा का आवंटन न होने के कारण राजस्व की हानि	4.5	209
टूट-फूट की अधिक अनुमति के कारण ₹ 75.97 लाख के राजस्व की हानि	4.6	211
शराब के बोलतीकरण पर लाइसेंस शुल्क की अल्प वसूली	4.7	212
राजस्व विभाग		
संपत्तियों के बाजार मूल्य का अल्प निर्धारण	4.8	213
पट्टा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की अल्प वसूली	4.9	215
योजना विभाग		
हिमाचल प्रदेश में आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम	4.10	217
अस्वीकार्य कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अनियमित अपयोजन एवं दुरुपयोग	4.11	236
परिशिष्ट		241

प्रस्तावना

मार्च 2022 को समाप्त अवधि के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त, योजना, राज्य कर एवं आबकारी तथा राजस्व विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा तथा सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह प्रतिवेदन भारत के संविधान के अनुच्छेद 151 के अंतर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य के राज्यपाल को प्रस्तुत करने हेतु तैयार किया गया है।

प्रतिवेदन में हिमाचल प्रदेश सरकार के उपर्युक्त विभागों की प्राप्तियों एवं व्यय की नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक (कर्तव्य, शक्तियां एवं सेवा की शर्तें) अधिनियम, 1971 के नियमानुसार की गई सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा एवं अनुपालन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्ष समाविष्ट हैं।

इस प्रतिवेदन में वे दृष्टांत वर्णित हैं जो वर्ष 2021-22 के लिए की गई नमूना लेखापरीक्षा के दौरान सामने आए, साथ ही वे भी जो पूर्ववर्ती वर्षों के दौरान सामने आए किन्तु विगत लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में प्रतिवेदित नहीं किए जा सके थे। वर्ष 2021-22 के पश्चात की अवधि से संबंधित दृष्टांतों को भी, जहां भी आवश्यक हुआ, सम्मिलित किया गया है।

लेखापरीक्षा को भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक द्वारा जारी किए गए लेखापरीक्षा मानकों के अनुरूप संचालित किया गया है।

विहंगावलोकन

विहंगावलोकन

इस प्रतिवेदन में सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा एवं राज्य सरकार के वित्त, योजना, राज्य कर एवं आबकारी व राजस्व विभागों की अनुपालन लेखापरीक्षा से उत्पन्न होने वाले मामलों को शामिल किया गया है और इसमें एक सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा, एक विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा और 11 स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां शामिल हैं। प्रतिवेदन को चार अध्यायों में निम्नानुसार व्यवस्थित किया गया है:

अध्याय I: सामान्य

यह एक परिचयात्मक अध्याय है, जिसमें राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति, राजस्व के बकाया का विश्लेषण, निर्धारण में बकाया, कर का अपवंचन, प्रतिदाय मामले, लेखापरीक्षा पर सरकार की प्रतिक्रिया, लेखापरीक्षा की योजना एवं संचालन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई शामिल है।

अध्याय II: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

वित्त विभाग

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (आईएफएमएस) को वित्तीय प्रबंधन में सुधार, वित्तीय लेनदेन के मैन्युअल प्रसंस्करण में कमजोरियों को दूर करने और राज्य सरकार के वित्तीय संचालन में जवाबदेही बढ़ाने के लिए लागू किया गया है।

लेखापरीक्षा ने प्रणाली कार्यक्षमताओं और नियंत्रणों के फ्रंट-एंड एक्सेस और परीक्षण के माध्यम से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वेब-आधारित मुख्य एप्लिकेशन अर्थात् ई-बजट, ई-वितरण, ई-बिल, ई-सैलरी, एचपी ओएलटीआईएस, ई-चालान के प्रमुख मॉड्यूल की जांच की। इसके बाद राज्य के चार जिला स्तरीय कोषागारों अर्थात् जिला कोषागार कार्यालय शिमला, शिमला कैपिटल, कुल्लू और बिलासपुर एवं उप-कोषागारों, में 2017-22 की अवधि के रिकॉर्ड की नमूना जांच की गई जिसमें निम्नलिखित कमियों का पता चला है:

परियोजना प्रशासन के दृष्टिकोण से, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) के साथ सेवा स्तर समझौते (एसएलए) के अभाव ने संस्थागत नियंत्रण को कमजोर कर दिया। उपयोगकर्ता की स्वीकृति परीक्षण के बिना उत्पादन वातावरण में सीधे परिवर्तन किए गए थे।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को प्रक्रिया नियंत्रण को मजबूत किए बिना पेंशन, ट्रेजरी प्रोसेसिंग, वेतन और बजट वितरण से संबंधित पूर्व-मौजूदा मॉड्यूल को एकीकृत करके लागू

किया गया था। उदाहरण के लिए, संदर्भ डेटा के बिना इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति आदेशों की अनुपस्थिति ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में दर्ज वाउचर जानकारी की पूर्णता को प्रभावित किया। आवश्यक कार्यक्षमता के अभाव में सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिल ट्रेकिंग जैसी वित्तीय प्रक्रियाओं को मैनुअली निष्पादित किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ऐसे उदाहरण (152 मामले) सामने आए जहाँ विस्तृत आकस्मिक बिल राशि सार आकस्मिक बिल राशि से अधिक थी।

कई अनुप्रयोग नियंत्रण कमजोरियां देखी गईं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अनुमोदन के बिना बिल तैयार किए जा सकते थे, और कई मामलों में, आहरण एवं संवितरण अधिकारी वैधता की समाप्ति के बाद वित्तीय नियमों का उल्लंघन करते हुए संसाधित किए गए थे। उदाहरण के लिए, आहरण एवं संवितरण अधिकारी वैधता तिथि की समाप्ति के बाद अप्रैल 2017 और मार्च 2022 के बीच 90 आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ₹ 2,467 करोड़ की राशि के 10,938 बिल पारित किए गए थे। किसी लेनदेन को पूरा करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता वाले मूल निर्माता-जांचकर्ता सिद्धांत का उल्लंघन ई-बिल, ई-वितरण और साइबर ट्रेजरी सहित सभी मॉड्यूलों में किया गया, जहाँ आवंटन से सत्यापन तक सभी चरणों को करने के लिए विभाग अध्यक्ष क्रेडेंशियल्स के तहत काम करने वाले एकल उपयोगकर्ता थे। 106 कोषागारों और उप-कोषागारों में लेखापरीक्षा के दौरान पाया गया कि प्रत्येक कोषागार में एक ही कर्मचारी द्वारा 9,58,957 बिलों में टोकन संख्या आवंटन, संकलन, जांच और बिलों को पारित करना पूरा किया।

मास्टर डेटा गवर्नेंस प्रविष्टियों के दोहराव और अधूरे रिकॉर्ड के साथ खराब था। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में दर्ज 1,88,282 कर्मचारियों में से, 36,212 कर्मचारियों के लिए पीएएन उपलब्ध नहीं था, जिससे यह स्थापित करना मुश्किल हो गया कि क्या कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस काटा गया था। डेटा विश्लेषण से पता चला कि हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए 439 आहरण एवं संवितरण अधिकारी को दो से 105 कोषागारों/उप-कोषागारों से जोड़ा गया है। इसके अलावा, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (जून 2023) के पेंशन मॉड्यूल में 1,81,632 पेंशनभोगी मौजूद थे, हालांकि ई-पेंशन पोर्टल में 1,85,512 आधार नंबर अपडेट किए गए थे, जो अविश्वसनीय डेटा का सुझाव देते थे। ई-चालान जैसे सार्वजनिक इंटरफ़ेस वाले मॉड्यूल उचित खाता शीर्षों तक पहुँच को प्रतिबंधित नहीं करते, जिससे गलत चालान जमा होने का जोखिम रहता है।

इस प्रणाली ने एक ही लाभार्थी के लिए कोषागारों और आहरण एवं संवितरण अधिकारी में कई और अनधिकृत भुगतान (छुट्टी नकदीकरण, डीसीआरजी और कम्प्यूटेशन सहित) की अनुमति, अक्सर ऐसे भुगतान का कारण दर्ज किए बिना दी। अभिलेखों की परीक्षण जांच से पता चला कि एक ही राशि के अवकाश नकदीकरण भुगतान 14 मामलों में दो बार संसाधित और एकीकृत

वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस से पारित किए गए, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 67.33 लाख का अनधिकृत भुगतान हुआ। मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के लिए ₹ 10.00 लाख की निर्धारित सीमा से अधिक के कई बिल निकालकर 32 दावेदारों के बैंक खातों में संचयी रूप से ₹ 180.05 लाख का अतिरिक्त भुगतान जमा किया गया था। जिला कोषागार कांगड़ा में मार्च 2017 और जुलाई 2017 के बीच एक कंप्यूटर ऑपरेटर द्वारा मूल अथॉरिटीज के बिना 19 बिल उत्पन्न करके ₹ 68.11 लाख का दुरुपयोग किया गया था। कुल राशि में से, ₹ 29.62 लाख अभी भी वसूल किए जाने बाकी हैं। इसके अलावा, पांच कोषागारों के 15 मामलों के संबंध में, मार्च 2017 और फरवरी 2021 के बीच एक ही पीपीओ के विरुद्ध समान कम्प्यूटेशन राशि दो बार जारी की गई थी, जिसके परिणामस्वरूप पेंशनभोगियों को ₹ 77.81 लाख का अनधिकृत भुगतान हुआ।

अपूर्ण कर्मचारी मास्टर डेटा, जिसमें परिवार विवरण न होना और असंगत तिथि सत्यापन शामिल हैं, विभिन्न महत्वपूर्ण प्रक्रियाओं और पेंशन संवितरण में निरंतर मैनुअल हैंडलिंग को आवश्यक बनाता है। 23,391 पारिवारिक पेंशनभोगियों में से, 10,599 पारिवारिक पेंशनभोगियों (पीपीओ) के मामले में, एक ही नाम और पीपीओ नंबर के विरुद्ध जन्म की अलग-अलग तिथि का उल्लेख किया गया था, जो दर्शाता है कि प्रणाली एक ही परिवार पेंशनभोगी के विरुद्ध अलग-अलग जन्म की तिथि के साथ दोहरी प्रविष्टियों को प्रतिबंधित नहीं कर सकती है। ई-पेंशन मॉड्यूल के डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला है कि 1,204 मामलों में, पारिवारिक पेंशन शुरू करने की तिथि मृत कर्मचारी/ पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से पहले थी।

प्रणाली सुरक्षा और निरंतरता योजना की कमी थी। डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्रों और मल्टी-फैक्टर प्रमाणीकरण का उपयोग अनिवार्य नहीं किया गया था, और रोल बेस्ड पहुंच को पर्याप्त रूप से लागू नहीं किया गया था। मैनुअल ओवरराइड ने डेटा अखंडता में कमजोरियां उत्पन्न कर दीं। उदाहरण के लिए, वेतन के संबंध में, बिल तिथि टोकन तिथि से पहले होनी चाहिए जो पारित होने की तिथि से पहले होनी चाहिए। हालांकि, 356 मामलों में परीक्षण जांच से पता चला कि टोकन तिथि से पहले पारित होने की तिथि दर्ज की गई थी, जिससे प्रणाली की विश्वसनीयता प्रभावित हुई थी। अभिगम नियंत्रणों ने उपयोगकर्ताओं को अपनी भूमिकाओं के बाहर मॉड्यूल या डेटा तक पहुंचने से नहीं रोका। कोषागार, लेखा और लॉटरी विभाग ने न तो महत्वपूर्ण अनुप्रयोगों का परिवर्तन के बाद सुरक्षा लेखापरीक्षा की थी और न ही बहाली का परीक्षण करके बैंकअप की विश्वसनीयता को सत्यापित किया था। सूचना सुरक्षा संचालन समिति (आईएसएससी) और सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम (एसआईआरटी) जैसे संस्थागत तंत्र का गठन नहीं किया गया था, और लेनदेन लॉग की अनुपस्थिति का मतलब था कि अनधिकृत पहुंच का पता नहीं लगाया जा सकता या जांच नहीं की जा सकती थी।

कोई व्यवसाय निरंतरता योजना या आपदा वसूली योजना नहीं थी, न ही डेटा वर्गीकरण, प्रतिधारण अवधि और जोखिम-आधारित अभिलेखीय मार्गदर्शन करने के लिए एक औपचारिक डेटा प्रतिधारण नीति थी, जिससे महत्वपूर्ण वित्तीय लेनदेन व्यवधान और डेटा हानि के प्रति संवेदनशील हो जाते थे।

डेटा की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए इन कमियों को सर्वोच्च प्राथमिकता पर दूर करने की आवश्यकता है, ऐसा न करने पर गबन और धन के अनधिकृत भुगतान/ निकासी की घटनाओं से इंकार नहीं किया जा सकता है।

निष्कर्षतः, हिमाचल प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डिज़ाइन संबंधी खामियों, आंतरिक नियंत्रणों के कमजोर प्रवर्तन, खंडित प्रणाली एकीकरण और सूचना सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता और राजकोषीय शासन में कमियों से ग्रस्त है। ये कमियां सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन के लिए एक विश्वसनीय और जवाबदेह मंच के रूप में प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं।

विभाग कर सकता है:

- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाएं/ एसडीए (एनआईसी) की मदद से पूर्ण दस्तावेज़ीकरण बनाए रखा जा सकता है।
- न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में बजट तैयारी से बिल प्रक्रिया तक एंड टू एंड प्रोसेसिंग की सुविधा और सभी प्रकार के बिलों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संसाधित किया जाना सुनिश्चित करें।
- प्रत्येक मॉड्यूल में अधिकृत कर्मियों के कर्तव्यों और भूमिकाओं का पृथक्करण सुनिश्चित करें।
- आपदा वसूली योजना/व्यवसाय निरंतरता योजना के रूप में एक मजबूत डेटा वसूली और डेटा बैंक-अप योजना स्थापित करें।

अध्याय III: वस्तु एवं सेवा कर भुगतान तथा रिटर्न फाइल करने पर विभागीय निगरानी

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

रिटर्न फाइल करने की बदलती प्रवृत्ति एवं लगातार डेटा असंगतियों के संदर्भ में जीएसटी भुगतान एवं रिटर्न फाइल करने पर विभागीय निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई, जिसका उद्देश्य रिटर्न फाइल करने व कर भुगतान की निगरानी, अनुपालन की सीमा तथा अन्य विभागीय निगरानी कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें जुलाई 2017 एवं मार्च 2018 के मध्य की अवधि के लिए फाइल किए गए वस्तु व सेवा कर

रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, चेतावनी संकेतों एवं कुछ मामलों में नियम आधारित विचलनों एवं तर्क संबंधी असंगतियों को रेखांकित किया गया। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में राज्य के क्षेत्राधिकार गठन की निगरानी कार्यों का आकलन दो स्तरों पर किया गया - वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर एवं सर्कलों व जीएसटी रिटर्न की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक स्तर पर। लेखापरीक्षा नमूने में वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न की सीमित लेखापरीक्षा हेतु 336 करदाताओं एवं विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु 55 करदाताओं का चयन किया गया।

विभाग ने रिटर्न की संवीक्षा के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया जारी नहीं की। विभाग केवल आर्थिक जांच इकाई (ईआईयू) द्वारा चिह्नित जीएसटी रिटर्न संबंधी विसंगतियों पर ही कार्रवाई कर रहा था। जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि हेतु 10 सर्कलों की समीक्षा से पता चला कि रिटर्न फाइल की निगरानी, करदाता अनुपालन जैसे सर्कलों के अनिवार्य निरीक्षण कार्यों का दस्तावेजीकरण खराब था और आकलन करने के योग्य नहीं था। इस प्रकार सर्कलों के कार्यों को न तो पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया गया था और न ही किसी सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होते थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों के 336 मामलों में से 315 पर प्रतिक्रिया दी। इनमें से, 202 मामले जो 64.12 प्रतिशत हैं, अनुपालन संबंधी कमियों के थे, जिनमें (टर्नओवर सहित) ₹ 484.14 करोड़ की राशि असंगत थी। ब्याज का अल्प भुगतान/भुगतान न करना, असंगत इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), अधिक रिवर्स चार्ज मकेनिज्म (आरसीएम) आईटीसी प्राप्त करना तथा गलत टर्नओवर घोषणाओं में अपेक्षाकृत अधिक कमियां देखी गईं। 12 प्रतिशत मामलों में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगतियां उत्पन्न हुईं, जबकि पांच प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई कर दी थी। विभाग ने ₹ 211.14 करोड़ का जोखिम चिह्नित की गई विसंगतियों के 21 मामलों पर प्रतिक्रिया नहीं दी।

जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा से भी उल्लेखनीय गैर-अनुपालन का पता चला। आरम्भ में, 55 करदाताओं के नमूने में से 23 मामलों में वित्तीय विवरणी व चालान जैसे आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए तथा अन्य 32 मामलों में आंशिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए, जिससे बड़ी कार्य-क्षेत्र बाधा उत्पन्न हुई। अभिलेख प्रस्तुत न करने/आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लेखापरीक्षित किए गए 55 मामलों में से लेखापरीक्षा में 15 अनुपालन कमियां पाई गईं, जिनसे ₹ 106.56 करोड़ का राजस्व अंतर्निहित था। इसके मुख्य कारण अपात्र व अनियमित आईटीसी का लाभ उठाना, आपूर्ति को कराधान से बाहर रखना तथा आरसीएम के तहत कर का गलत निर्वहन करना थे।

विभाग कर सकता है:

- विभाग रिटर्न विलम्ब से फाइल करने वालों/फाइल न करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करें।
- निर्धारित मानदंडों के अनुसार रिटर्न की जांच प्रारंभ कर उसे शीघ्रता से पूर्ण करें।
- लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियों/विचलनों का त्वरितता से पालन करें तथा सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ करें।

अध्याय IV: स्वतंत्र अनुपालन लेखापरीक्षा टिप्पणियां

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

कर देयता के अधिक आस्थगन के कारण ₹ 6.29 करोड़ के राजस्व की हानि

निर्धारण प्राधिकारियों ने राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों के तीन नमूना जांच कार्यालयों में इनपुट टैक्स क्रेडिट के समायोजन से पहले 35 प्रतिशत कर देयता के आस्थगन की अनुमति दी, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ की कर देयता का अतिरिक्त आस्थगन हुआ।

(परिच्छेद 4.1)

इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिक अनुमत करने के कारण ब्याज के रूप में ₹ 1.76 करोड़ के राजस्व की हानि

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के अंत में अंतिम स्टॉक में बिना बिके स्थानीय खरीद को निर्धारण में उचित रूप से नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप 114 विक्रेताओं को ₹ 10.05 करोड़ का अधिक आईटीसी अनुमत हुआ, जो एक वर्ष के लिए ₹ 10.05 करोड़ के सरकारी राजस्व के आस्थगन तथा ₹ 1.76 करोड़ के ब्याज की हानि में परिणत हुआ।

(परिच्छेद 4.2)

शराब की संदिग्ध चोरी

थोक विक्रेता द्वारा बेची गई मात्रा एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाई गई मात्रा के मध्य अंतर होने के परिणामस्वरूप 1.26 लाख प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब, 1.38 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब एवं 1.16 लाख बल्क लीटर बीयर की संदिग्ध चोरी हुई, जिसमें कुल ₹ 9.71 करोड़ का लाइसेंस शुल्क अंतर्निहित था।

(परिच्छेद 4.4)

शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटा (एमजीक्यू) का आवंटन न होने से राजस्व की हानि

आबकारी प्राधिकरण द्वारा आबकारी घोषणा 2020-21 के अनुसार शराब के एमजीक्यू के गैर-आवंटन के कारण शराब के लिए कोटा (देशी शराब के लिए 0.99 लाख प्रूफ लीटर और भारत में निर्मित विदेशी शराब के लिए 0.56 लाख प्रूफ लीटर) का कम निर्धारण हुआ, जिसके परिणामस्वरूप राजस्व में ₹ 5.22 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की हानि हुई।

(परिच्छेद 4.5)

राजस्व विभाग

संपत्तियों के बाजार मूल्य का अल्प निर्धारण

गलत सर्कल दरों के आधार पर संपत्तियों का अनुचित मूल्यांकन एवं सड़क से भूमि की दूरी के संबंध में संदिग्ध शपथ-पत्रों के परिणामस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क की अल्प वसूली हुई।

(परिच्छेद 4.8)

योजना विभाग

हिमाचल प्रदेश में आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम

जिला योजना, विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की नियमित बैठकों का आयोजन न होने एवं निधियों के अवरोधन का मुद्दा मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) में रेखांकित किया गया था। लोक लेखा समिति में चर्चा (मार्च 2015) के दौरान विभाग ने आश्वासन दिया कि अनुशांसाओं के अनुसार बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी। हालांकि वर्तमान लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यह अनियमितता बनी रही क्योंकि वर्ष 2018-19 व 2021-22 के मध्य जिला योजना, विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने अपेक्षित 48 बैठकों की तुलना में केवल दो बैठकें आयोजित कीं।

वित्तीय प्रबंधन कमजोर था क्योंकि निधियों के अनियमित पुनर्विनियोजन एवं वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय के तीव्र प्रवाह जैसे दृष्टांत देखे गए। बुक किए गए व्यय में केवल वह राशि दर्शाई गई जो वर्ष 2018-22 के दौरान निष्पादन एजेंसियों को जारी की गई थी, क्योंकि लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि वर्ष 2021-22 की समाप्ति में छह नमूना-जांचित खण्ड विकास अधिकारियों के पास ₹12.22 करोड़ की अप्रयुक्त निधियां शेष थी। योजना निगरानी सूचना प्रणाली को अद्यतन नहीं किया गया तथा इससे योजनाओं/कार्यों के निष्पादन की समय-सीमा का पता नहीं चल सका। अप्रैल 2018 से पूर्व स्वीकृत कार्य चार साल से अधिक समय बीत जाने के बावजूद सितंबर 2022 तक अपूर्ण रहे। निर्मित अधोसंरचना के उपयोग न होने के उदाहरण पाए गए। सिरमौर में वर्ष 2018-22 के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध

में ₹2.88 करोड़ के उपयोगिता-प्रमाणपत्र अक्टूबर 2022 तक लंबित थे। सलाहकार (योजना) द्वारा जारी निर्देशों (अक्टूबर 1999 व अक्टूबर 2018) के अनुसार ऋण योजना अधिकारी जिला एवं खण्ड स्तर पर लेखाओं का अनुरक्षण करेंगे तथा योजना शीर्ष योजनाओं के तहत आवंटित निधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करेंगे। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित जिलों में ऋण योजना अधिकारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

(परिच्छेद 4.10)

अस्वीकार्य कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अनियमित डायवर्जन एवं दुरुपयोग

राज्य कार्यकारी समिति ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा मरम्मत और पुनर्स्थापन के अस्वीकार्य कार्यों, जो आवश्यक नहीं थे या किसी आपदा/प्राकृतिक विपत्ति के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, पर ₹ 22.61 करोड़ का अनियमित डायवर्जन और दुरुपयोग किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन के अनियमित उपयोग और दुरुपयोग का उल्लेख नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों में भी किया गया था तथा लोक लेखा समिति ने उनकी अनुशंसाओं (दिसंबर 2019) में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार सख्ती से निधियां जारी करने का निर्देश दिया था। हालांकि, जिला प्राधिकारियों ने दिशानिर्देशों/लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।

(परिच्छेद 4.11)

**अध्याय ।
सामान्य**

अध्याय I: सामान्य

1 परिचय

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का यह लेखापरीक्षा प्रतिवेदन चार विभागों, राजस्व, राज्य कर एवं आबकारी, योजना एवं वित्त की लेखापरीक्षा के उजागर मामलों से संबंधित है। विभागों का संक्षिप्त परिचय निम्नलिखित परिच्छेदों में विवर्णित है:

राजस्व विभाग

राज्य में राजस्व प्रशासन का नेतृत्व वित्त आयुक्त-सह-प्रधान सचिव (राजस्व) के रूप में नामित एक वरिष्ठ सचिव द्वारा किया जाता है। दैनिक कार्यों के निर्वहन हेतु सचिव, संयुक्त, उप/अवर सचिवों के साथ-साथ आवश्यक सहायक स्टाफ की व्यवस्था की गई है। राज्य को तीन संभागों अर्थात् कांगड़ा, मण्डी एवं शिमला में विभाजित किया गया है तथा इसके परिणामस्वरूप प्रत्येक संभाग, संभाग के कई जिलों के प्रशासन के लिए उत्तरदायी है। 0030 (स्टाम्प शुल्क) एवं 0029 (भू राजस्व) राजस्व सृजित करने वाले प्रमुख शीर्ष हैं।

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

राज्य कर एवं आबकारी विभाग राज्य में मुख्य राजस्व संग्रहण एजेंसी है। इस विभाग द्वारा लागू विभिन्न कर व आबकारी अधिनियमों के तहत राजस्व विभिन्न उद्ग्रहणों जैसे कर, आबकारी शुल्क एवं फीस आदि के रूप में एकत्र किया जाता है। 0006 (राज्य वस्तु एवं सेवा कर) व 0039 (राज्य आबकारी शुल्क) राजस्व सृजित करने वाले प्रमुख शीर्ष हैं।

योजना विभाग

राज्य योजना विभाग को वार्षिक योजनाएं तैयार करने, राज्य योजना प्राथमिकताएं निर्धारित करने, योजना का आकार तय करने, विभिन्न योजनाओं हेतु निधियां निर्धारित करने आदि का कार्य सौंपा गया है। अन्य गतिविधियों में बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं का परियोजना मूल्यांकन, योजनाओं की निगरानी, योजना प्रक्रिया का विकेन्द्रीकरण, योजनाओं का मूल्यांकन, जनशक्ति नियोजन, आकांक्षी खंड विकास कार्यक्रम का कार्यान्वयन व 20 सूत्री कार्यक्रम की समीक्षा सम्मिलित हैं।

वित्त विभाग

वित्त विभाग राज्य में वित्त से संबंधित सभी मामलों को देखता है जिसमें राज्य बजट, संस्थागत वित्त, वेतन संशोधन, विनियम, व्यय व पेंशन सम्मिलित हैं। वित्त विभाग वित्तीय मामलों में विभिन्न विभागों हेतु एक मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है व विभागों को वित्तीय आवंटन एवं उनकी निगरानी व समीक्षा हेतु उत्तरदायी है।

1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1 वर्ष 2021-22 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा अर्जित कर व कर-भिन्न राजस्व, राज्य को सौंपे गए विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय में राज्य का हिस्सा व वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा विगत चार वर्षों के संगत आंकड़े तालिका 1.1 में दर्शाए गए हैं।

तालिका 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

		(₹ करोड़ में)				
क्र. सं.	विवरण	2017 - 18	2018 - 19	2019 - 20	2020-21	2021-22
1	राज्य सरकार द्वारा अर्जित राजस्व					
	स्व-कर राजस्व	7,107.67	7,575.61	7,626.78	8,083.32	9,714.58 ¹
	कर-भिन्न राजस्व	2,363.85	2,830.04	2,501.50	2,188.45	2,612.36
	योग	9,471.52	10,405.65	10,128.28	10,271.77	12,326.94
2	भारत सरकार से प्राप्तियां					
	विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय का हिस्सा	4,801.31	5,426.97	4,677.56	4,753.92	7,349.04 ²
	सहायता अनुदान	13,094.23	15,117.66	15,939.52	18,412.58	17,633.32
	योग	17,895.54	20,544.63	20,617.08	23,166.50	24,982.36
3	राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 व 2)	27,367.06	30,950.28	30,745.36	33,438.27	37,309.30
4	3 में से 1 का प्रतिशत	35	34	33	31	33


स्रोत: वित्तीय लेखें

वर्ष 2021-22 के दौरान राज्य सरकार द्वारा अर्जित किया गया राजस्व (₹12,326.94 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 33 प्रतिशत था। शेष 67 प्रतिशत प्राप्तियां भारत सरकार से विभाज्य संघीय करों व सहायता अनुदान की निवल आय के हिस्से के रूप में प्राप्त हुईं। वर्ष 2017-22 के दौरान राज्य सरकार का अपने संसाधनों से प्राप्त राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत कुल राजस्व प्राप्तियों में 35 से घटकर 33 प्रतिशत रह गया। वर्ष 2017-18 से 2021-22 तक राजस्व प्राप्तियों की समग्र प्रवृत्तियां चार्ट 1.1 में दर्शाई गई हैं:

¹ इसमें प्राप्ति मुख्य शीर्ष 0006- राज्य वस्तु एवं सेवा कर के अंतर्गत प्राप्त ₹ 4,482.15 करोड़ की राशि सम्मिलित है।

² विवरण परिशिष्ट 1.1 में दर्शाया गया है।

चार्ट 1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति



स्रोत: वित्तीय लेखें

कर राजस्व

1.1.2 वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान अर्जित कर राजस्व का विवरण तालिका 1.2 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.2: कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण


क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर राजस्व प्राप्तियाँ (कुल कर राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)					2020-21 की वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 2021-22 में वृद्धि (+) या कमी (-) का प्रतिशत
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	बिक्री, व्यापार आदि पर कर	2,525.87 (35.53)	1,185.43 (15.64)	1,169.53 (15.33)	1,630.11 (18.97)	1,592.24 (16.38)	(-) 2.32
2	राज्य वस्तु एवं सेवा कर	1,833.16 (25.79)	3,342.68 (44.12)	3,550.34 (46.55)	3,466.58 (40.35)	4,482.15 (46.10)	29.30
3	राज्य आबकारी	1,311.25 (18.45)	1,481.63 (19.55)	1,660.02 (21.77)	1,599.74 (18.62)	1,980.63 (20.37)	23.81
4	वाहन कर	367.16 (5.17)	408.01 (5.39)	465.52 (6.10)	380.20 (4.43)	510.03 (5.25)	34.15
5	स्टाम्प एवं पंजीकरण शुल्क	229.18 (3.22)	250.55 (3.31)	259.58 (3.40)	253.36 (2.95)	318.60 (3.28)	25.75
6	विद्युत पर कर व शुल्क	360.79 (5.08)	487.08 (6.43)	100.86 (1.32)	401.76 (4.68)	393.51 (4.05)	(-) 2.05
7	अन्य	480.26 (6.76)	420.23 (5.55)	420.93 (5.52)	351.57 (4.34)	437.42 ³ (4.50)	24.42
योग		7,107.67	7,575.61	7,626.78	8,083.32	9,714.58	
विगत वर्ष की तुलना में प्रतिशत वृद्धि		0.97	6.58	0.68	12.65	20.18	8.21

स्रोत: वित्तीय लेखें

³ अन्य प्राप्तियाँ-भूमि राजस्व: ₹ 4.81 करोड़, माल एवं यात्रियों पर कर: ₹ 99.18 करोड़ तथा वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क: ₹ 333.43 करोड़ (विभाज्य संघीय करों एवं शुल्कों की निवल आय के हिस्से के अतिरिक्त)।

विभिन्न कर राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति चार्ट 1.2 में दर्शाई गई है।

चार्ट 1.2: कर राजस्व प्राप्तियों का विवरण



स्रोत: वित्तीय लेखें

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान 8.21 प्रतिशत की औसत वृद्धि दर के साथ कर राजस्व में ₹ 2,606.91 करोड़ (36.68 प्रतिशत) की वृद्धि हुई। राज्य वस्तु एवं सेवा कर (29.30 प्रतिशत), राज्य आबकारी शुल्क (23.81 प्रतिशत), मोटर वाहन कर (34.15 प्रतिशत) व स्टाम्प शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क (25.75 प्रतिशत) में वृद्धि के कारण 2020-21 की तुलना में 2021-22 की वृद्धि दर 20.18 प्रतिशत थी।

संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान भिन्नताओं के निम्नलिखित कारण बताए:

- **राज्य वस्तु एवं सेवा कर:** 2021-22 के राज्य वस्तु एवं सेवा कर राजस्व संग्रह में वृद्धि कोविड के पश्चात दी गई छूट के कारण हुई जिसके परिणामस्वरूप आर्थिक गतिविधियों एवं राजस्व प्राप्तियों में वृद्धि हुई।
- **बिक्री, व्यापार आदि पर कर:** 2021-22 के दौरान प्राप्तियों में गिरावट पेट्रोल, डीजल एवं निर्धारित एयरलाइनों हेतु विमानन टर्बाइन ईंधन पर कर दरों में कमी के कारण हुई।
- **राज्य आबकारी:** 2021-22 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि राज्य आबकारी शुल्क/लाइसेंस शुल्क की मासिक आधार पर बेहतर निगरानी/डिस्टिलरीज़ द्वारा जमा किए जा रहे शुल्क की निगरानी और आबकारी नीतियों के बेहतर प्रवर्तन के कारण हुई।

- **मोटर वाहन कर:** 2021-22 के दौरान प्राप्तियों में वृद्धि का श्रेय कोविड के पश्चात विभाग की सेवाओं की बहाली, बेहतर प्रवर्तन सेवाओं व 8 दिसंबर 2020 से टोकन टैक्स की दर में वृद्धि को दिया गया।
- **विद्युत पर कर एवं शुल्क:** 2021-22 के दौरान प्राप्तियों में कमी 2019-20 का बकाया जमा करने के परिणामस्वरूप 2020-21 में बढ़ी हुई प्राप्तियों के कारण थी।
- **स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस:** 2021-22 के दौरान वृद्धि विलेखों के अधिक संख्या में पंजीकरण तथा प्रत्येक वर्ष सर्कल दरों में संशोधन के कारण हुई।

कर-भिन्न राजस्व

1.1.3 वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान अर्जित कर-भिन्न राजस्व का विवरण तालिका 1.3 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.3: अर्जित कर-भिन्न राजस्व

(₹ करोड़ में)


क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियां (कुल कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का प्रतिशत)					2020-21 की वास्तविक आंकड़ों की तुलना में 2021-22 में वृद्धि (+) या कमी (-) प्रतिशत
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
1	विद्युत	687.61 (29.09)	1,134.34 (40.08)	1,021.68 (40.84)	749.12 (34.23)	1,183.51 (45.30)	57.99
2	ब्याज प्राप्तियां	340.54 (14.41)	385.88 (13.64)	245.36 (9.81)	306.43 (14.00)	173.95 (6.66)	-43.23
3	अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग	441.46 (18.68)	221.05 (7.81)	246.30 (9.85)	252.16 (11.52)	230.81 (8.84)	-8.47
4	वानिकी एवं वन्य जीवन	46.87 (1.98)	76.32 (2.70)	83.61 (3.34)	49.56 (2.25)	106.28 (4.07)	115.40
5	लोक निर्माण कार्य	55.87 (2.36)	69.92 (2.47)	53.51 (2.14)	58.28 (2.66)	69.00 (2.64)	18.39
6	अन्य प्रशासनिक सेवाएँ	40.45 (1.71)	51.34 (1.81)	49.65 (1.98)	37.05 (1.69)	104.90 (4.02)	183.13
7	पुलिस	63.33 (2.68)	72.89 (2.58)	55.28 (2.21)	59.77 (2.73)	61.16 (2.34)	2.33
8	अन्य कर-भिन्न राजस्व ⁴	687.72 (29.09)	818.30 (28.91)	746.11 (29.83)	676.08 (30.90)	682.75 (26.13)	0.99
	योग	2,363.85	2,830.04	2,501.50	2,188.45	2,612.36	

स्रोत: वित्तीय लेखें

⁴ अन्य कर-भिन्न राजस्व का विवरण परिशिष्ट 1.2 में है।

वर्ष 2017-18 से 2021-22 के दौरान कर-भिन्न राजस्व की वर्षवार प्रवृत्ति चार्ट 1.3 में दर्शायी गयी है।

चार्ट 1.3: कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विवरण



स्रोत: वित्तीय लेखें

समग्र कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियाँ 2020-21 में ₹ 2,188.45 करोड़ से बढ़कर 2021-22 में ₹ 2,612.36 करोड़ (19.37 प्रतिशत) हो गईं। विद्युत (45.30 प्रतिशत), अलौह, खनन एवं धातुकर्म उद्योग (8.84 प्रतिशत) तथा ब्याज प्राप्तियाँ (6.66 प्रतिशत) कर-भिन्न राजस्व में मुख्य योगदानकर्ता थे तथा इनका योगदान कुल कर-भिन्न राजस्व में 60.80 प्रतिशत रहा। ब्याज प्राप्तियों में कमी (₹ 132.48 करोड़) सार्वजनिक क्षेत्र व अन्य उपक्रमों से कम ब्याज प्राप्ति के कारण हुई।

संबंधित विभागों ने वर्ष के दौरान भिन्नताओं के निम्नलिखित कारण बताए।

- **विद्युत:** राजस्व में वृद्धि बिजली की प्रति यूनिट दर में वृद्धि, विद्युत उत्पादन में दो से तीन प्रतिशत की वृद्धि, कोविड के पश्चात छूट के कारण विद्युत की आवश्यकता में तुलनात्मक वृद्धि के कारण हुई।
- **वानिकी एवं वन्य जीवन:** यह वृद्धि उपभोक्ताओं/खरीदारों द्वारा ली गई लकड़ी व अन्य उपज के बदले राज्य वन निगम को अधिक रॉयल्टी/धन की प्राप्ति, निर्यात अनुमति शुल्क

से अधिक आय, जब्त की गई लकड़ी से अधिक आय आदि के कारण हुई।

- **सहकारी समितियाँ:** राजस्व में यह कमी हिमाचल प्रदेश सहकारी समिति अधिनियम, 2021 में संशोधन के फलस्वरूप लेखापरीक्षा शुल्क के भुगतान तथा राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम से वर्ष 2020-21 में 5.5 करोड़ रुपये की प्रतिपूर्ति की तुलना में वर्ष 2021-22 में कोई प्रतिपूर्ति प्राप्त न होने के कारण हुई।
- **शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति:** प्राप्तियों में वृद्धि मुख्य रूप से राज्य परियोजना निदेशक, सर्व शिक्षा अभियान योजना से व्यय की प्रतिपूर्ति की प्राप्तियों व उच्च शिक्षा के संबंध में विविध प्राप्तियों के कारण हुई। हालांकि, विभाग द्वारा अधिक भुगतान व विविध प्राप्तियों का विवरण उपलब्ध नहीं करवाया गया।
- **चिकित्सा एवं सार्वजनिक स्वास्थ्य:** प्राप्तियों में यह वृद्धि अधिक भुगतान, शुल्क एवं शास्त्रि की वसूली तथा फार्मास्युटिकल विनिर्माण से अधिक प्राप्तियों के संग्रह के कारण हुई।
- **लोक निर्माण विभाग:** लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृहों व सर्किट हाउसों में अधिक अधिभोग के कारण प्राप्तियों में वृद्धि हुई।

अन्य विभागों ने विगत वर्ष की तुलना में वास्तविक प्राप्तियों में भिन्नता के कारण नहीं बताए।

1.2 राजस्व के बकाया का विश्लेषण

31 मार्च 2022 तक निम्नलिखित मुख्य प्राप्ति शीर्षों के तहत वसूली योग्य बकाया राजस्व ₹ 4,444.24 करोड़ था जिसमें से ₹ 2,751.11 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय के लिए बकाया था जैसा तालिका 1.4 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	31 मार्च 2022 तक बकाया राशि	31 मार्च 2022 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	विभागों के उत्तर
1	विक्रय एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	3,971.54	2,608.60	₹ 2,324.73 करोड़ की बकाया राशि के मामले विभिन्न न्यायालयों में विचाराधीन हैं। ₹ 1,425.18 करोड़ के मामले भू-राजस्व के बकाया घोषित किए गए हैं। बकाया शेष राशि की वसूली के प्रयास किए जा रहे हैं।
2	राज्य आबकारी शुल्क	272.34	78.65	
3	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	82.13	49.20	
4	माल एवं यात्री कर	7.49	6.56	

क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	31 मार्च 2022 तक बकाया राशि	31 मार्च 2022 तक पांच वर्ष से अधिक समय से बकाया राशि	विभागों के उत्तर
5	वस्तु एवं सेवा कर	78.83	0	
6	विद्युत पर कर एवं शुल्क	5.61	0	हिमाचल प्रदेश सरकार से प्राप्तियों के साथ देय विद्युत शुल्क का समायोजन समय-समय पर किया जा रहा है। अगस्त 2022 में रोलबैक सब्सिडी के साथ ₹ 5.61 करोड़ की राशि समायोजित/भुगतान की गई है।
7	पुलिस	22.46	7.27	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अवकाश वेतन व पेंशन अंशदान का भुगतान न करना, भाखड़ा ब्यास प्रबंधन बोर्ड से राशि की वसूली न करना, पुलिस द्वारा अन्य विभागों नंगल को आपूर्ति की गई आकस्मिक धनराशि का भुगतान न करना तथा रेलवे प्राधिकारियों द्वारा बकाया राशि का भुगतान न करना।
8	मुद्रण व लेखन सामग्री	3.50	0.68	संबंधित विभाग/कार्यालयों को बकाया राशि जमा करने हेतु पत्र जारी किये जा रहे हैं।
9	लोक निर्माण कार्य	0.34	0.15	बकाया राशि की वसूली के प्रयास किये जा रहे हैं।
योग		4,444.24	2,751.11	

स्रोत: विभागीय आंकड़े

1.3 निर्धारण में बकाया

कर प्राप्त के विभिन्न विभागों जैसे राजस्व, परिवहन व राज्य कर एवं आबकारी में से केवल राज्य कर एवं आबकारी विभाग में ही रिटर्न दाखिल करने व प्राधिकारियों द्वारा उसके पश्चात के मूल्यांकन का प्रावधान है इसलिए राज्य कर एवं आबकारी विभाग के विभिन्न शीर्षों के तहत निर्धारण के बकाये का विश्लेषण किया गया। बिक्री कर, मोटर स्पिरिट कर, विलासिता कर व कार्य संविदाओं पर करों के संबंध में आबकारी विभाग द्वारा वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु देय मामलों, वर्ष के दौरान निपटाए गए मामलों एवं वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या का विवरण तालिका 1.5 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.5: निर्धारण में बकाया

राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	अथ शेष	2021-22 के दौरान निर्धारण हेतु बकाया नए मामले	कुल बकाया निर्धारण	2021-22 के दौरान निपटाए गए मामले	वर्ष के अंत में शेष	निपटान प्रतिशतता (कॉलम 5/4)
1	2	3	4	5	6	7 = (5/4)
बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर	1,08,440	10,268	1,18,708	69,729	48,979	59
केंद्रीय बिक्री कर	88,979	9,618	98,597	56,717	41,880	58
विलासिता कर	2,511	106	2,617	540	2,077	21
मोटर स्पिरिट कर	45	76	121	27	94	22
वाहन पर कर	7,359	885	8,244	5,145	3,099	62
योग	2,07,334	20,953	2,28,287	1,32,158	96,129	57.89

स्रोत: विभागीय आंकड़े

तालिका 1.5 से स्पष्ट है कि विभाग ने वस्तु एवं सेवा कर में समाहित करों से संबंधित निर्धारण के निपटान पर जोर दिया है।

मार्च 2022 के अंत तक मूल्य वर्धित कर के 48,979 मामले तथा केंद्रीय बिक्री कर के 41,880 मामले निर्धारण हेतु लंबित थे।

1.4 कर का अपवंचन

राज्य कर एवं आबकारी विभाग द्वारा उजागर किए गए कर अपवंचन के मामले, निर्णीत मामले तथा विभाग द्वारा अतिरिक्त कर के लिए उठाई गई मांगों का विवरण तालिका 1.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.6: कर का अपवंचन

क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक अथ शेष	2021-22 के दौरान उजागर मामले	योग	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण पूर्ण हो गया तथा अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2022 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
1	बिक्री एवं व्यापार पर कर/ मूल्य वर्धित कर	107	1,393	1,500	1,416	26.96	84
2	वस्तु एवं सेवा कर	304	13,652	13,956	13,678	105.51	278
3	राज्य आबकारी	61	382	443	345	1.87	98

क्र. सं.	राजस्व प्राप्तियों के मुख्य शीर्ष	1 अप्रैल 2021 तक अथ शेष	2021-22 के दौरान उजागर मामले	योग	मामलों की संख्या जिनमें निर्धारण पूर्ण हो गया तथा अतिरिक्त मांग की गई		31 मार्च 2022 तक अंतिमकरण हेतु लंबित मामलों की संख्या
					मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	
4	माल एवं यात्री कर	15	7,906	7,921	7,908	8.34	13
5	वस्तुओं एवं सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	39	1,354	1,393	1,355	1.38	38
योग		526	24,687	25,213	24,702	144.12	511

स्रोत: विभागीय आंकड़े

राज्य कर एवं आबकारी विभाग में अंतिमकरण हेतु लंबित कुल मामलों की संख्या वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में 526 से घटकर वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में 511 हो गई।

1.5 प्रतिदाय मामले

वर्ष 2021-22 के प्रारंभ में लंबित प्रतिदाय मामलों, वर्ष के दौरान प्राप्त दावों, वर्ष के दौरान स्वीकृत प्रतिदाय व वर्ष 2021-22 के अंत में लंबित मामलों का विवरण तालिका 1.7 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.7: लंबित प्रतिदाय मामले

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर		वस्तु एवं सेवा कर		राज्य आबकारी	
		मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)	मामलों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	वर्ष के आरंभ में बकाया दावे	67	23.05	648	5.11	20	0.2
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	112	5.97	1,549	156.57	43	0.84
3	वर्ष के दौरान किए गए प्रतिदाय	113	9.69	1,717	94.55	47	0.81
4	वर्ष के दौरान अस्वीकृत प्रतिदाय	03	0.09	268	51.45	0	0
5	वर्ष के अंत में बकाया शेष	63	19.20	212	15.69	16	0.23

स्रोत: विभागीय आंकड़े

वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंत में बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर/वस्तु एवं सेवा कर व राज्य आबकारी के लंबित मामलों की संख्या वित्तीय वर्ष के आरंभ में लंबित मामलों की तुलना में कम हो गई थी।

1.6 लेखापरीक्षा पर सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश, नियमों व प्रक्रियाओं में निर्धारित लेनदेन की नमूना जांच तथा महत्वपूर्ण लेखों एवं अन्य अभिलेखों के रखरखाव को सत्यापित करने हेतु सरकारी विभागों का आवधिक निरीक्षण करते हैं। इन निरीक्षणों के पश्चात निरीक्षण प्रतिवेदन तैयार किया जाता है जिसमें निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं, जिनका मौके पर निपटारा नहीं किया गया, को सम्मिलित किया जाता है जिसे निरीक्षण किए गए कार्यालय अध्यक्षों को जारी एवं इनकी प्रतियों को अगले उच्च अधिकारियों को त्वरित सुधारात्मक कार्रवाई हेतु प्रेषित किया जाता है।

कार्यालयाध्यक्षों को निरीक्षण प्रतिवेदन प्राप्त होने की तिथि से चार सप्ताह के भीतर निरीक्षण प्रतिवेदन में निहित अभ्युक्तियों का अनुपालन करना आवश्यक है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं की सूचना विभागाध्यक्षों व सरकार को दी जाती है। भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित मसौदा लेखापरीक्षा परिच्छेदों को प्रधान महालेखाकार द्वारा संबंधित विभागों के प्रधान सचिवों/सचिवों को प्रेषित किया जाता है जिसमें उनका ध्यान लेखापरीक्षा निष्कर्षों की ओर आकर्षित किया जाता है तथा उनसे छह सप्ताह के भीतर अपना उत्तर अग्रेषित करने का अनुरोध किया जाता है।

विभाग/सरकार से प्रति-उत्तर न मिलने का मुद्दा लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित ऐसे परिच्छेद के अंत में अलग से दर्शाया जाता है। मार्च 2022 तक जारी 1,663 निरीक्षण प्रतिवेदनों से संबंधित ₹ 1,620.95 करोड़ की 5,016 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां जून 2022 के अंत तक राज्य कर एवं आबकारी तथा राजस्व विभाग में बकाया रहीं। इस प्रकार तीन विभागों⁵ में 299 निरीक्षण प्रतिवेदनों में निहित 2,410 लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां 31 मार्च 2022 तक लंबित थीं।

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह जांच करना है कि निर्धारित नियमों, कानूनों एवं प्रक्रियाओं का पालन किया जा रहा है या नहीं तथा अनुपालन न होने, प्रणालीगत कमजोरियों एवं विफलताओं के मामलों को उजागर करना है। लंबित निरीक्षण प्रतिवेदन और निपटान के लिए लम्बित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की अधिक संख्या लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर अपर्याप्त प्रतिक्रिया का संकेत है। इन लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों पर कार्रवाई की कमी से जवाबदेही कमजोर होती है व राजस्व हानि का खतरा बढ़ जाता है। लेखापरीक्षा परिच्छेदों की बढ़ती हुई लंबितता के कारण सरकार को इस ओर शीघ्र ध्यान देने की आवश्यकता है ताकि लेखापरीक्षा द्वारा निरन्तर उठाए गए मुद्दों का निवारण किया जा सके।

⁵ योजना, वित्त व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग।

1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार ने निरीक्षण प्रतिवेदनों में सम्मिलित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों के निपटान में शीघ्रता लाने तथा उनकी निगरानी हेतु संबंधित विभाग सचिव की अध्यक्षता में लेखापरीक्षा समितियों का गठन किया था। वर्ष 2021-22 में आयोजित लेखापरीक्षा समिति की बैठकों व निपटाई गई अभ्युक्तियों का विवरण तालिका 1.8 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.8: विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकों का विवरण

क्र. सं.	विभाग	आयोजित बैठकों की संख्या	लंबित अभ्युक्तियों की संख्या	समायोजित अभ्युक्तियों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	राज्य कर व आबकारी	1	2,569	66	2.87
2	राजस्व	2	2,208	215	0.54
3	आर्थिक एवं सांख्यिकी	1	140	20	-
4	योजना	1	281	47	-
	योग	5	5,198	348	3.41

स्रोत: राजस्व एवं आर्थिक (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) क्षेत्र, शिमला

वर्ष 2021-22 में उपर्युक्त विभागों हेतु आयोजित पांच लेखापरीक्षा समिति बैठकों में 5,198 लंबित लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों में से 3.41 करोड़ रुपये की राशि से संबंधित 348 अभ्युक्तियों (6.70 प्रतिशत) का निपटान किया गया।

सरकार को सभी विभागों हेतु नियमित अंतराल पर लेखापरीक्षा समिति की बैठकें आयोजित करना सुनिश्चित करना चाहिए।

1.6.2 लेखापरीक्षा प्रतिवेदन पर अनुवर्ती कार्रवाई - सारांशित स्थिति

लोक लेखा समिति ने (दिसम्बर 2002) अधिसूचित किया था कि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन विधानसभा में प्रस्तुत किए जाने के पश्चात विभागों को लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर कार्रवाई आरंभ करनी होगी तथा उन पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां सरकार द्वारा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने के तीन माह के भीतर समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। हालांकि, इन प्रावधानों के बावजूद प्रतिवेदन के लेखापरीक्षा परिच्छेदों पर की गई कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां अत्यधिक विलंबित थीं। 31 मार्च 2016, 2017, 2018, 2019 व 2020 को समाप्त वर्षों हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व क्षेत्र पर भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में सम्मिलित कुल 119 परिच्छेद (निष्पादन लेखापरीक्षा सहित) 31 मार्च 2017 व 15 दिसंबर 2021 के मध्य राज्य विधानसभा के समक्ष रखे गए थे। हालांकि, इन परिच्छेदों पर की गयी कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां विभागों से अत्यधिक विलंब से प्राप्त हुई थी, जैसा कि तालिका 1.9 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.9: कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की प्राप्ति में विलंब

क्र. सं.	समाप्त वर्ष हेतु राजस्व क्षेत्र पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन	विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि	इस अवधि के दौरान प्राप्त कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां	कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की प्राप्ति में विलंब (माह में)
1	2016	31 मार्च 2017	2017 से 2018	5 से 15
2	2017	05 अप्रैल 2018	2018 से 2019	0 से 14
3	2018	14 दिसंबर 2019	2020 से 2021	6 से 13
4	2019	13 अगस्त 2021	2022 से 2023	6 से 18
5	2020	15 दिसंबर 2021	अभी तक प्राप्त नहीं हुए	12 (मार्च 2023 तक)

लोक लेखा समिति ने वर्ष 2021-22 के दौरान राजस्व क्षेत्र के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन से संबंधित 11 परिच्छेदों पर चर्चा की थी।

योजना, वित्त व आर्थिक एवं सांख्यिकी विभाग की कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की प्राप्ति में विलंब को तालिका 1.10 में दर्शाया गया है।

तालिका 1.10: कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां प्राप्ति में विलंब

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष का लेखापरीक्षा प्रतिवेदन	विधानसभा में लेखापरीक्षा प्रतिवेदन प्रस्तुत किए जाने की तिथि	इस अवधि के दौरान प्राप्त कार्रवाई संबंधी टिप्पणियां	कार्रवाई संबंधी टिप्पणियों की प्राप्ति में विलंब (माह में)
1	2016	31 मार्च 2017	2018 से 2019	13
2	2018	14 दिसंबर 2019	2020 से 2021	06
3	2019	13 अगस्त 2021	2023 से 2024	21

1.7 आंतरिक लेखापरीक्षा

सहायक नियंत्रक (वित्त एवं लेखा) के प्रभार में विभागों में आंतरिक लेखापरीक्षा प्रकोष्ठों को अनुमोदित कार्य योजना के अनुसार तथा संचालन समिति द्वारा तय मानदंडों के अनुसार मूल्यांकन के मामलों की नमूना जांच करनी थी ताकि अधिनियमों एवं नियमों के प्रावधानों के साथ-साथ समय-समय पर जारी विभागीय अनुदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

हालांकि, आंतरिक लेखापरीक्षा के पूर्ण होने के लक्ष्यों में कमी थी, जैसा कि तालिका 1.11 में विस्तृत रूप से दर्शाया गया है।

तालिका 1.11: लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या में कमी

विभाग का नाम	कुल लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ	लेखापरीक्षा हेतु नियोजित इकाइयों की संख्या	लेखापरीक्षित इकाइयों की संख्या	कमी
राज्य कर एवं आबकारी	13	8	4	4
राजस्व	-	-	-	-

स्रोत: विभागीय आंकड़े

राज्य कर एवं आबकारी विभाग ने आंतरिक लेखापरीक्षा में कमी का कारण कर्मचारियों का न होना बताया। राजस्व विभाग द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के संबंध में जानकारी उपलब्ध नहीं कराई गई।

1.8 लेखापरीक्षा योजना

हिमाचल प्रदेश राज्य में राजस्व क्षेत्र में कुल 468 लेखापरीक्षा योग्य इकाइयाँ हैं जिनमें से 189 इकाइयों⁶ की लेखापरीक्षा 2021-22 के दौरान की गई थी। इकाई का चयन जोखिम मूल्यांकन के आधार पर किया गया था।

1.9 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

वर्ष 2021-22 के दौरान अभिलेखों की नमूना-जांच के माध्यम से बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर, राज्य आबकारी शुल्क, यात्री व वस्तु कर, अन्य कर व शुल्क तथा स्टॉप शुल्क एवं पंजीकरण शुल्क की 189 इकाइयों की लेखापरीक्षा की गई थी। वर्ष 2021-22 के दौरान लेखापरीक्षा द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदनों के माध्यम से उजागर की गई कमियों के कारण 828 मामलों में कुल राजस्व हानि ₹ 383.57 करोड़⁷ थी जिनमें से ₹ 1.77 लाख की राशि वाले तीन मामलों को राजस्व विभाग द्वारा स्वीकार तथा वसूल कर लिया गया है।

वर्ष 2021-22 के दौरान संबंधित विभागों ने विगत वर्षों के लेखापरीक्षा निष्कर्षों से संबंधित 87 मामलों⁸ में ₹ 1.61 करोड़ की राशि स्वीकार तथा वसूल की।

1.10 आभार

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा), हिमाचल प्रदेश का कार्यालय सभी राज्य सरकार के विभागों व अन्य लेखापरीक्षा योग्य संस्थाओं द्वारा दिए गए सहयोग हेतु आभार व्यक्त करता है। हम लेखापरीक्षा के दौरान सहयोग हेतु योजना, राज्य कर एवं आबकारी, वित्त एवं राजस्व विभागों के विशेष रूप से आभारी हैं। हम उम्मीद करते हैं कि हमारे लेखापरीक्षा निष्कर्ष सुधार के क्षेत्रों को उजागर करने व इस लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में सम्मिलित लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्रवाई का सुझाव देने में सहायक होंगे।

⁶ इन इकाइयों में दो विभागों - आबकारी एवं राजस्व विभाग के अधीनस्थ कार्यालय शामिल हैं।

⁷ बिक्री व व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर: 129 मामलों में ₹ 139.21 करोड़; राज्य आबकारी: 95 मामलों में ₹ 77.91 करोड़; स्टाम्प शुल्क: 399 मामलों में ₹ 120.93 करोड़; भू-राजस्व: 136 मामलों में ₹ 8.52 करोड़; मनोरंजन कर: एक मामले में शून्य; विलासिता कर: आठ मामलों में ₹ 0.01 करोड़; बहुउद्देश्यीय अवरोध: 17 मामलों में ₹ 0.01 करोड़; माल एवं यात्री कर: 37 मामलों में ₹ 5.87 करोड़ व टोल टैक्स: छह मामलों में ₹ 31.11 करोड़।

⁸ 60 मामलों में ₹ 1.12 करोड़ का स्टाम्प शुल्क व पंजीकरण फीस; 11 मामलों में ₹ 33.98 लाख का राज्य आबकारी शुल्क; 16 मामलों में ₹ 15.09 लाख का मूल्य वर्धित कर।

अध्याय ॥
एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर
सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

अध्याय II: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा

2.1 परिचय

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस कार्यक्रम के मिशन मोड प्रोजेक्ट के तहत विकसित विभिन्न स्वतंत्र एप्लीकेशनों का एक समूह है जिसका उद्देश्य वित्तीय प्रबंधन में सुधार करना व सरकार की निर्णय प्रक्रिया में दक्षता व प्रभावशीलता लाना है।


हिमाचल प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग द्वारा किया जाता है, जो वित्त विभाग का एक अभिन्न अंग है। हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रधान सचिव (वित्त) प्रशासनिक सचिव हैं एवं सचिव (वित्त) विभाग के पदेन प्रमुख हैं। यह विभाग स्वतंत्र रूप से 1971 में अस्तित्व में आया है; इससे पूर्व यह राजस्व विभाग का हिस्सा था।

2.1.1 मॉड्यूल/डेटाबेस का संक्षिप्त विवरण

- i. **ई-पेंशन:** यह मॉड्यूल 12 जिला कोषागारों में राजनीतिक पेंशनभोगियों सहित पेंशनभोगियों की मासिक आधार पर पेंशन की गणना, संशोधन, पुनरीक्षण, प्रक्रिया व संवितरण हेतु उपयोग किया जाता है। भुगतान पेंशनभोगियों द्वारा निर्दिष्ट बैंक शाखाओं/खातों के माध्यम से इलेक्ट्रॉनिक रूप से किया जाता है। पेंशनभोगी अपनी पेंशन का विवरण ऑनलाइन देख सकते हैं व आयकर प्रयोजनों हेतु वार्षिक विवरण तैयार कर सकते हैं। यह मॉड्यूल अगस्त 2004 से प्रचलन में है।
- ii. **ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली:** यह सॉफ्टवेयर राज्य के कोषागारों/उप-कोषागारों में प्राप्तियों व भुगतानों की जांच करने तथा उन्हें दर्ज करने हेतु समस्त वित्त संबंधी एप्लीकेशनों का मूल है। ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली की कुछ प्रमुख विशेषताएं हैं: कर्मचारियों, ठेकेदारों को इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवाओं के माध्यम से 100 प्रतिशत भुगतान, कार्य-प्रवाह आधारित बिल प्रक्रिया प्रणाली, ई-वितरण के माध्यम से केवल बजट की उपलब्धता के अनुसार ही बिल पास करना, प्राप्ति के क्रम में बिल पास करना। यह मॉड्यूल 2005 से प्रचलन में है।
- iii. **ई-सैलरी:** ई-सैलरी, कोषागारों में स्थित नामित 52 एकीकृत वेतन व लेखा कार्यालयों में पेरोल प्रक्रिया के कार्य को केंद्रीकृत करती है तथा 100 प्रतिशत कर्मचारियों को कवर करती है। वेतन से संबंधित सभी मासिक परिवर्तन संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अद्यतित किए जाते हैं तथा सत्यापन हेतु एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालयों को प्रस्तुत किए जाते हैं। सत्यापन के पश्चात् एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय कोषागार बैंकों हेतु इलेक्ट्रॉनिक समाशोधन सेवा फाइल तैयार करता है ताकि

- वेतन सीधे कर्मचारी के खाते में जमा हो सके। यह मॉड्यूल जुलाई 2007 से प्रचलन में है।
- iv. **ई-बिल:** यह मॉड्यूल कार्य-प्रवाह आधारित बिल प्रक्रिया प्रणाली है जो वेतन, चिकित्सा, यात्रा भत्ता व अन्य समस्त बिलों से संबंधित बिलों को ऑनलाइन प्रस्तुत करती है। यह मॉड्यूल ई-सैलरी का हिस्सा है तथा ई-सैलरी के साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु उपलब्ध है।
- v. **ई-वितरण:** इस मॉड्यूल का उपयोग विभागाध्यक्ष अपने-अपने आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अनुमोदित बजट वितरण करने हेतु करते हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु स्वीकृति पत्र सॉफ्टवेयर के माध्यम से उत्पन्न किए जाते हैं व आहरण एवं संवितरण अधिकारी को उनके स्थानों पर उपलब्ध कराए जाते हैं जिसके पश्चात् ही कोषागारों से बिलों का भुगतान अनुमत होता है। बिल पास किए जाने के समय बजट वास्तविक समय के आधार पर कोषागारों को भी उपलब्ध होता है। यह मॉड्यूल अप्रैल 2010 में आरंभ किया गया था।
- vi. **ई-बजट:** इस मॉड्यूल का उपयोग इलेक्ट्रॉनिक रूप से राज्य का बजट तैयार करने के लिए किया जाता है। यह प्रविष्टि की जांच एवं सत्यापन के पश्चात् मांग को स्थिर कर भूमिका-आधारित कार्य-प्रवाह सुनिश्चित करता है। व्यय पर बेहतर नियंत्रण हेतु यह सॉफ्टवेयर कोषागार प्रणाली के साथ एकीकृत है। यह मॉड्यूल वर्ष 2014-2015 से प्रचलन में है।
- vii. **ई-चालान:** सरकारी धन जमा करने का इच्छुक कोई भी व्यक्ति सिस्टम पर लॉग इन करके और अपने बैंक खातों के माध्यम से ऑनलाइन भुगतान करके ई-चालान सुविधा का उपयोग कर सकता है।
- viii. **ई-कोष:** यह मॉड्यूल वित्त विभाग, विभागाध्यक्षों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, कर्मचारियों, महालेखाकार, पेंशनभोगियों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों हेतु इंटरनेट के माध्यम से केंद्रीय सूचना प्रसार इंटरफेस है। सभी प्रकार की प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टें इस इंटरफेस पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध हैं।

चार्ट 2.1: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के मॉड्यूलों के मध्य डेटा प्रवाह का विवरण




2.1.2 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के उद्देश्य

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को विकसित करने के उद्देश्य हैं (i) राज्य वित्त की सही वित्तीय स्थिति की निगरानी हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टों का उपयोग कर विश्लेषण करना (ii) राज्य बजट प्रक्रिया व आहरण एवं संवितरण अधिकारी-वार बजट निगरानी प्रणाली सॉफ्टवेयर के साथ इंटरफेस करना (iii) कोषागारों हेतु प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टों की नेटवर्किंग व वेब-इंटरफेस प्रदान करना, (iv) शेष गतिविधियों को कवर करना जैसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल तैयार करना, शीर्ष-वार ऋण पत्र प्रस्तुत करना आदि (v) वेब-सक्षम ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली का विकास करना (vi) प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय में लेखाओं का ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण। राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश ने हिमाचल प्रदेश के वित्त विभाग के लिए ई-बजट तथा कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग के लिए विभिन्न रिपोर्ट (प्रबंधन सूचना प्रणाली) तैयार करने के लिए ई-वितरण, ई-सैलरी, हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली, ई-चालान, ई-पेंशन एवं ई-कोष जैसे मॉड्यूल विकसित किए हैं।

2.1.3 संगठनात्मक ढांचा

वित्त विभाग का प्रमुख प्रधान सचिव (वित्त) होता है, जैसाकि चार्ट 2.2 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.2: संगठनात्मक ढांचा



हिमाचल प्रदेश में नियुक्त 16 जिला कोषागार अधिकारियों में से 12 जिला कोषागार अधिकारी 12 जिला कोषागारों में हैं अर्थात् प्रत्येक जिला मुख्यालय में एक जिला कोषागार अधिकारी होता है जो उस कोषागार का प्रमुख होता है। इसके अतिरिक्त राजधानी कोषागार शिमला में जिला कोषागार अधिकारी तैनात है एवं अन्य तीन जिला कोषागार अधिकारी, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में तैनात हैं। इसके अतिरिक्त 12 जिला कोषागारों के अधीन 90 उप-कोषागार कार्यालय तथा दो अतिरिक्त कोषागार अधिकारी भी कार्यरत हैं, जिनमें से एक लाहौल-स्पीति जिले के काजा कोषागार में एवं एक चंबा जिले के पांगी कोषागार में तैनात हैं। उपरोक्त में से राजधानी कोषागार, काजा कोषागार व पांगी कोषागार उनके लेखाओं को संबंधित जिला कोषागारों के माध्यम से भेजने के बजाय प्रधान महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल प्रदेश कार्यालय को सीधे प्रस्तुत करते हैं। इसके साथ ही दिल्ली में रेजिडेंट कमिश्नर से संबंधित लेनदेन को समायोजित करने हेतु दिल्ली में एक कोषागार है। शिमला, हिमाचल प्रदेश में ऑनलाइन, सामान्य रसीद लेनदेन व वस्तु व सेवा कर प्राप्ति लेनदेन को समायोजित करने हेतु क्रमशः जून 2014 व जुलाई 2017 से साइबर कोषागार व वस्तु व सेवा कर कोषागार नामक दो वर्चुअल कोषागार¹ प्रचालित हैं।

¹ वर्चुअल कोषागार से करदाता/रसीद भुगतान करने वाली एजेंसियां उनकी वेबसाइट पर चालान (ई-चालान) भर सकती हैं तथा भाग लेने वाले बैंकों की इंटरनेट बैंकिंग सुविधा का उपयोग करके ऑनलाइन भुगतान कर सकती हैं।

2.1.4 व्यापक तकनीकी विशेषताएं

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एक वेब-आधारित एप्लीकेशन है, जिसमें इंटरनेट व इंट्रानेट पर दो अलग-अलग उपयोगकर्ता पोर्टल हैं।

हिमाचल प्रदेश में इंट्रानेट को हिमाचल प्रदेश स्टेट वाइड एरिया नेटवर्क के रूप में नामित किया गया है, जिसका उपयोग राज्य सरकार के कोषागारों को कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए किया जाता है। इंटरनेट पोर्टल नागरिक-केंद्रित सेवाएं प्रदान करने हेतु एक वेब इंटरफेस के रूप में कार्य करता है। उपयोगकर्ताओं को ई-कोष रिपोर्ट देखने एवं ई-चालान मॉड्यूल के माध्यम से चालान के भुगतान हेतु निःशुल्क सुविधा प्रदान की जाती है।

प्रणाली के मॉड्यूल को .नेट फ्रेमवर्क 4.5 पर C# भाषा का उपयोग करते हुए फ्रंट-एंड पर विकसित किया गया है जबकि बैक-एंड डेटाबेस एमएस एसक्यूएल सर्वर 2012 है। इसके अतिरिक्त रिपोर्ट तैयार करने के लिए एसक्यूएल सर्वर रिपोर्टिंग का उपयोग किया जा रहा है।

2.1.5 कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण का इतिहास

भारत सरकार ने 18 मई, 2006 को 27 मिशन मोड प्रोजेक्ट एवं आठ घटकों को सम्मिलित करते हुए राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना अनुमोदित की। इसके पश्चात् राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत भारत सरकार ने एक मिशन मोड प्रोजेक्ट “राज्य कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण” अनुमोदित किया तथा जुलाई 2010 में सभी राज्यों को दिशानिर्देश जारी किए गए। इन दिशानिर्देशों ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की अवधारणा प्रस्तुत की व सभी राज्यों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन करने के निर्देश दिए।

हिमाचल प्रदेश में ई-पेंशन (पेंशन मॉड्यूल, अगस्त 2004), हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली (कोषागार प्रसंस्करण मॉड्यूल, 2005), ई-सैलरी (वेतन मॉड्यूल, जुलाई 2007) व ई-वितरण (बजट वितरण मॉड्यूल, अप्रैल 2010) दिसंबर 2015 में हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के प्रस्तुत करने से पूर्व ही कार्यात्मक थे, जैसाकि तालिका 2.1 में विवर्णित है।

तालिका 2.1: एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूलों के कार्यान्वयन का विवरण

क्र. सं.	मॉड्यूल	कार्यान्वयन की तिथि
1	ई-पेंशन	अगस्त 2004
2	ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली मॉड्यूल	2005
3	ई-सैलरी	जुलाई 2007
4	ई-वितरण	अप्रैल 2010
5	ई-बजट	2014-15
6	ई-चालान	कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग द्वारा उपलब्ध नहीं कराया गया

"राज्य कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण" पर मिशन मोड प्रोजेक्ट से बजट प्रक्रियाओं को और अधिक कुशल बनाने, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार, लेखाओं के वास्तविक समय मिलान को बढ़ावा देने, प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने, लेखा तैयार करने में सटीकता व समयबद्धता में सुधार, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में पारदर्शिता व दक्षता लाने, राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ शासन की गुणवत्ता में सुधार होने की अपेक्षा की गई थी।

हिमाचल प्रदेश राज्य के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली हेतु सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी अर्थात राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश द्वारा परियोजना प्रस्ताव मई 2012 में बनाया गया, जिसमें पहले से मौजूद उपरोक्त मॉड्यूल के साथ-साथ ई-चालान, साइबर कोषागार इत्यादि जैसे नए मॉड्यूल का एकीकरण शामिल था। 3 दिसंबर 2015 को हिमाचल प्रदेश सरकार ने औपचारिक रूप से "हिमकोष-एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली" का शुभारंभ किया।

2.1.6 लेखापरीक्षा उद्देश्य

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सूचना प्रणाली लेखापरीक्षा यह देखने के उद्देश्य से की गई कि क्या निम्नलिखित सुनिश्चित किया गया है:

- सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) वातावरण में प्रक्रियाओं के समन्वय हेतु व्यवसाय प्रक्रिया पुनः अभियांत्रिकी (बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग),
- परियोजना प्रबंधन व्यावसायिक उद्देश्यों के साथ आईटी प्रणाली के उद्देश्यों का संरेखण,
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की कार्यात्मकता व नियंत्रण,
- अन्य प्रणालियों के साथ एकीकृत प्रभावशीलता व दक्षता,
- सूचना प्रणाली सुरक्षा- भूमिका आधारित एक्सेस, व्यवसाय निरंतरता, साइबर सुरक्षा।

2.1.7 लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र व कार्यपद्धति

कार्यपद्धति में अभिलेखों, नीति दस्तावेजों व संबंधित फाइलों की संवीक्षा; वेब-आधारित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन मॉड्यूल की फ्रंट-एंड जांच; एमएस एसक्यूएल व एमएस एक्सेल का उपयोग करके एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन के डेटा डंप का विश्लेषण तथा चयनित कोषागारों में अभिलेखों की संवीक्षा के माध्यम से डेटा विश्लेषण के परिणामों का सत्यापन/प्रमाणीकरण शामिल था। लेखा एवं हकदारी कार्यालय के पास उपलब्ध वीएलसी डेटा व वाउचरों की, जहां भी आवश्यक/व्यवहार्य था, तुलना की गई।

लेखापरीक्षा ने निम्नलिखित घटकों/पहलुओं की जांच की:

- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वेब-आधारित एप्लीकेशन के मॉड्यूल- ई-बजट, ई-वितरण, ई-बिल, ई-सैलरी, हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली

मॉड्यूल, ई-चालान का फ्रंट-एंड एक्सेस के माध्यम से तथा प्रणाली कार्यात्मकता व नियंत्रण की जांच की गयी।


- वर्ष 2017-22 की अवधि के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के उपरोक्त मॉड्यूल का डेटा डंप।
- कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग व वित्त विभाग के अभिलेख।

डेटा विश्लेषण हेतु निम्नलिखित मॉड्यूल के मास्टर व लेनदेन तालिकाओं का चयन किया गया:

- ई-बजट मॉड्यूल: बजट की तैयारी
- ई-वितरण मॉड्यूल: बजट वितरण
- ई-सैलरी व ई-बिल मॉड्यूल: वेतन व अन्य बिलों की तैयारी
- ई-पेंशन मॉड्यूल: पेंशन मॉड्यूल
- ई-चालान मॉड्यूल: रसीद मॉड्यूल
- ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली मॉड्यूल: कोषागार के लिए बिल प्रक्रिया व पासिंग मॉड्यूल।


वर्ष 2017-22 की अवधि में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटा के विश्लेषण के अतिरिक्त लेखापरीक्षा में राज्य के चार जिला स्तरीय कोषागारों अर्थात जिला कोषागार कार्यालय शिमला, राजधानी शिमला, कुल्लू व बिलासपुर में अभिलेखों की नमूना-जांच की गई, जैसाकि चार्ट 2.3 में विवर्णित है।

चार्ट 2.3: चयनित जिला कोषागारों का विवरण



संपूर्ण राज्य हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के आंकड़ों का विश्लेषण किया गया तथा परिणामों को आईडीईए सॉफ्टवेयर की सहायता से यादृच्छिक नमूने के माध्यम से अभिलेखों का चयन करके चयनित जिला एवं उप-कोषागारों में नमूना-जांच के माध्यम से सत्यापित किया गया।

चार्ट 2.4: चयनित मामलों के विश्लेषण व सत्यापन में संलिप्त विस्तृत प्रक्रिया



वाउचरों का चयन:- चार्ट 2.4 में दर्शाई गई प्रक्रिया के अनुसार डेटा/वाउचर का चयन यादृच्छिक रूप से आईडीईए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के माध्यम से किया गया था। विश्लेषण की आवश्यकता वाली अभियुक्तियों के 20 अभिलेखों के लिए सभी अभिलेखों का चयन किया गया। ऐसे मामले में जहां किसी अभियुक्ति में अभिलेख 20 से अधिक थे, अभिलेखों के चयन के लिए अपनाए गए स्तरीकरण मानदंड का विवरण तालिका 2.2 में दिया गया है।

तालिका 2.2: नमूना चयन के लिए चुनी गई पद्धति

क्र. सं.	प्रत्येक अभियुक्ति से संबंधित अभिलेखों की संख्या	न्यूनतम नमूने
1	21 से 500	25*
2	501 से 2,000	30
3	2,001 से 20,000	50
4	20,001 से 1,00,000	75
5	1,00,000 से ज्यादा	100

* 21 से 25 तक के अभिलेखों को पूर्ण रूप से लिया गया।

उपरोक्त पद्धति के आधार पर चयनित चार जिला कोषागार कार्यालयों से संबंधित 5,98,838 मामलों/वाउचरों में से 4,774 मामलों/वाउचरों का चयन किया गया। 4,774 मामलों/वाउचरों में से 58 मामलों/वाउचरों से संबंधित अभिलेख लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किए गए।

लेखापरीक्षा उद्देश्यों, लेखापरीक्षा मानदंडों, कार्यपद्धति एवं लेखापरीक्षा योजना पर चर्चा करने हेतु 04 अप्रैल 2022 को संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग व उप महानिदेशक एवं राज्य सूचना विज्ञान अधिकारी के साथ आरंभिक बैठक आयोजित की गई।

इसके अतिरिक्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर आईटी लेखापरीक्षा के लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा करने हेतु हिमाचल प्रदेश सरकार के सचिव (वित्त) के साथ 14 दिसम्बर 2023 को अंतिम बैठक आयोजित की गई। हालांकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, हिमाचल प्रदेश से

14 अगस्त 2023 के पत्र के माध्यम से संक्षिप्त उत्तर प्राप्त हुआ परन्तु सरकार से उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2025)।

2.1.8 लेखापरीक्षा मानदंड की व्युत्पत्ति के स्रोत

- ✓ हिमाचल प्रदेश बजट नियम-पुस्तिका
- ✓ हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 एवं कोषागारों पर स्थायी आदेश
- ✓ सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000
- ✓ हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009
- ✓ हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011
- ✓ भारत सरकार/हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा समय-समय पर जारी आदेश, अधिसूचनाएं, आदि
- ✓ कोषागार कार्यालयों हेतु परिचालन नियम-पुस्तिका
- ✓ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध; तथा
- ✓ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कम्प्यूटरीकरण हेतु विकसित एवं कार्यान्वित एप्लिकेशन।

2.1.9 कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण एवं निधियों से संबंधित फाइलें/अभिलेख प्रस्तुत न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 26 (1) में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष या उनके अधीनस्थ प्राधिकारी लेखापरीक्षा अधिकारी को उसके कार्यों के निर्वहन हेतु समस्त उचित सुविधाएं प्रदान करेंगे तथा किसी भी आधिकारिक रिपोर्ट की तैयारी के लिए उनसे मांगी गई पूरी जानकारी उपलब्ध कराएंगे।

निधियों व कोषागारों के कम्प्यूटरीकरण से संबंधित अभिलेख मांगे गए थे (फरवरी 2022), परन्तु केवल कैशबुक, पासबुक, प्रशासनिक रिपोर्ट, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम फाइलें, कोषागारों (वर्ष 2015-16 से 2016-17)/उप-कोषागारों (वर्ष 2014-15 से 2017-18) का कम्प्यूटरीकरण, भारतीय रिज़र्व बैंक/बैंक, साइबर कोषागार आदि के साथ पत्राचार आदि उपलब्ध कराई गई जैसाकि परिशिष्ट 2.1 में विवर्णित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के मॉड्यूल यथा पेंशन (पेंशन मॉड्यूल, अगस्त 2004), हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली (कोषागार प्रसंस्करण मॉड्यूल, 2005), ई-सैलरी (सैलरी मॉड्यूल, जुलाई 2007) व ई-वितरण (बजट वितरण मॉड्यूल, अप्रैल 2010) प्रचालन में थे। हालांकि बार-बार मांग करने (फरवरी 2022 से नवंबर 2022) के बावजूद ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली, ई-पेंशन, ई-सैलरी (इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम के अतिरिक्त), ई-वितरण व ई-बजट से संबंधित पूर्व-विकास गतिविधियों, विकास,

व्यय, परिवर्तन प्रबंधन, अनुरक्षण आदि के संबंध में कोई भी फाइल लेखापरीक्षा के लिए उपलब्ध नहीं कराई गई। साथ ही क्रमशः वर्ष 2015-16 से 2016-17 व वर्ष 2014-15 से 2017-18 की अवधि के अतिरिक्त, वर्ष 2015-16 से ई-कोष, 'कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण' व 'उप-कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण' से सम्बंधित फाइलें भी उपलब्ध नहीं कराई गईं।

परिणामस्वरूप, यह निर्धारित करना चुनौतीपूर्ण था कि पूर्व-विकास गतिविधियों एवं विकास चरण के दौरान किन पहलुओं पर ध्यान दिया गया व किन पहलुओं की अनदेखी की गई। इसके अतिरिक्त उपरोक्त मॉड्यूल से संबंधित व्यय, परिवर्तन प्रबंधन, अनुरक्षण आदि से संबंधित सभी मुद्दों का लेखापरीक्षा के दौरान पता नहीं लगाया जा सका।

उपरोक्त बिंदु मार्च 2022 में विभाग को भेजा गया तथा विभाग ने पुष्टि की (अप्रैल 2023) कि विभाग के पास केवल ये फाइलें (परिशिष्ट 2.1) ही उपलब्ध फाइलें हैं। यह पुष्टि करता है कि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रणाली व ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली, ई-पेंशन, ई-वितरण व ई-बजट आदि मॉड्यूलों से संबंधित फाइलों का अनुरक्षण नहीं किया।

36 अभ्युक्तियों से संबंधित अभिलेखों के भौतिक सत्यापन हेतु 4,774 मामलों से संबंधित अभिलेख मांगे गए, जिनमें से 58 मामलों के अभिलेख लेखापरीक्षा के लिए प्रस्तुत नहीं किए गए।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने विभाग को समय पर अपेक्षित दस्तावेज उपलब्ध कराने का निर्देश दिया।

2.1.10 आभार

भारतीय लेखापरीक्षा एवं लेखा विभाग कोषागार, लेखा एवं लॉटरी निदेशालय तथा राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र, राज्य केन्द्र, हिमाचल प्रदेश को लेखापरीक्षा हेतु डेटा व सूचना प्रदान करने में सहयोग करने के लिए आभार व्यक्त करता है।

2.2 परियोजना प्रबंधन

2.2.1 पूर्व-विकास गतिविधियां

2.2.1.1 विभिन्न हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित न करना

हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011 के परिच्छेद 20.5 (ए) (i) में कहा गया है कि विभाग को आंतरिक बैठकें आयोजित करनी होंगी तथा सभी स्तरों पर विभागों की गतिविधियों का उल्लेख करते हुए कम्प्यूटरीकरण हेतु प्राथमिकता वाले क्षेत्रों को अंतिम रूप देना होगा। इसके अतिरिक्त मिशन मोड प्रोजेक्ट की योजना (जुलाई 2010) के दिशानिर्देशों के अनुलग्नक-1 के परिच्छेद 7 के प्रस्ताव में अंतिम उपयोगकर्ता परामर्श को समाविष्ट करने का प्रावधान है ताकि हितधारकों अर्थात् राज्य/केंद्र शासित प्रदेश वित्त विभाग, महालेखाकार कार्यालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, एजेंसी बैंक और लेखा महानियंत्रक की केंद्रीय योजनागत योजनाएं निगरानी प्रणाली की अपेक्षाओं को समझा जा सके।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि परियोजना प्रस्ताव में हितधारकों की आवश्यकताओं को सम्मिलित करने हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में विभिन्न मॉड्यूलों के विकास/एकीकरण से पूर्व हितधारकों के साथ कोई बैठक आयोजित नहीं की गई। यह भी पाया गया कि राज्य सरकार ने 2010 में मिशन मोड प्रोजेक्ट प्रस्तुत करने से पूर्व ही ई-पेंशन (2004), हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली (ई-बिल्स (2005), ई-सैलरी (2007) व ई-वितरण (2010) जैसे कुछ मॉड्यूल प्रारम्भ कर दिए थे। इसके अतिरिक्त कुछ मॉड्यूल मिशन मोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन के बाद प्रारम्भ किए गए, परंतु न तो मॉड्यूल के विकास एवं मिशन मोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन से पूर्व हितधारकों के साथ बैठकों के अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध थे एवं न ही मिशन मोड प्रोजेक्ट के कार्यान्वयन हेतु सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी² को प्रस्तुत विभागीय आवश्यकताओं से संबंधित अभिलेख, यदि कोई थे, विभाग के पास उपलब्ध थे। हालांकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) ने एक मॉड्यूल से दूसरे मॉड्यूल में डेटा के आदान-प्रदान हेतु सभी प्रमुख मॉड्यूलों को एकीकृत करने हेतु कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को प्रस्ताव प्रस्तुत किया (मई 2012)। तदनुसार, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) की सहायता से मॉड्यूल को एकीकृत किया तथा दिसंबर 2015 में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रस्तुत की।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के मॉड्यूलों/उप-कार्यक्रमों के विकास से पूर्व हितधारकों के साथ बैठकें आयोजित की गईं परन्तु इसका अभिलेख उपलब्ध नहीं था। अभिलेखों के अभाव में मॉड्यूल के विकास के संबंध में उक्त बैठकों में लिए गए

² राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र- हिमाचल प्रदेश।

वास्तविक निर्णयों (यदि कोई हो) का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका। उपलब्ध एकमात्र संदर्भ दस्तावेज साइबर ट्रेजरी, ई-कुबेर³ आदि मॉड्यूलों में परिवर्तन तथा परिचालन के दौरान सामने आने वाली समस्याओं के समाधान के संबंध में था।

हितधारकों की भागीदारी न होने के कारण उत्पन्न होने वाले मुद्दे:

मॉड्यूल को जोड़ने/एकीकरण करने से पूर्व हितधारकों की भागीदारी न होने के कारण एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित मुद्दों का सामना करना पड़ा:

- सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दस्तावेज़ीकरण का अभाव (परिच्छेद 2.2.1.3 (ख)),
- व्यवसाय नियम मानचित्रण एवं कार्यात्मकता (परिच्छेद 2.2.3.4),
- ई-सैलरी /ई-बिल में इनपुट व एप्लीकेशन नियंत्रण (परिच्छेद 2.3.3.1),
- ई-बिल/ ई-सैलरी से संबंधित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटा के मुद्दे (परिच्छेद 2.3.3.3), आदि।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.1.2 बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग

बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग गुणवत्ता, आउटपुट, लागत, सेवा और गति जैसे महत्वपूर्ण पहलुओं में सुधार प्राप्त करने के लिए व्यावसायिक प्रक्रियाओं का मौलिक पुनः डिजाइन करना है तथा इसका उद्देश्य लागत एवं प्रक्रिया अतिरेक को कम करना भी है।

मिशन मोड प्रोजेक्ट (कोषागार कम्प्यूटरीकरण) (जुलाई 2010) के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.1 के अनुसार बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के लिए मौजूदा प्रक्रियाओं की री-इंजीनियरिंग एवं नई प्रक्रियाओं के आरंभ का प्रावधान है, जहां इलेक्ट्रॉनिक प्रणालियों के साथ प्रक्रियाओं का तालमेल सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कार्रवाई की जानी है। इसके अतिरिक्त, परिच्छेद 7.2 में कहा गया है कि राज्य को इन उद्देश्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रक्रियाओं, चलन, कोड, नियम व कानूनों (जैसे डिजिटल हस्ताक्षर, फ़ाइल प्रारूप, इलेक्ट्रॉनिक रूप से निधियों के हस्तांतरण के प्रावधान) में आवश्यक परिवर्तनों को सम्मिलित करते हुए एक कार्य योजना जिसमें स्पष्ट समयसीमा भी शामिल थी, तैयार करनी थी। परिच्छेद 4.11 में निर्दिष्ट है कि नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इंटरफ़ेस मॉड्यूल महालेखाकार कार्यालय को लिंक उपलब्ध कराएगा तथा महालेखाकार को ऑनलाइन आधार पर संशोधन करने/लेनदेन जोड़ने के लिए

³ ई-कुबेर सरकारी भुगतान के पारंपरिक तरीकों को बदलने हेतु भारतीय रिजर्व बैंक का एक 'मुख्य बैंकिंग समाधान' मंच है। बैंक इसका उपयोग देश भर में अपने एकल चालू खातों को जोड़ने हेतु कर सकते हैं।

एक्सेस करने की अनुमति देगा। यह मॉड्यूल लेखापरीक्षा को सत्यापन हेतु डेटा के नमूने उपलब्ध कराकर सरकारी कार्यालयों की लेखापरीक्षा को भी सुगम बनाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने वर्तमान आईटी प्रणाली में निम्नलिखित परिवर्तन समाविष्ट नहीं किए एवं प्रासंगिक नियमों में निम्नानुसार बदलाव नहीं किए:

नियम अपडेट नहीं किए

कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अनुसार हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2017⁴ को संशोधित किया जबकि हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009⁵ व अन्य विभाग विशिष्ट नियमों में तदनुसार परिवर्तन नहीं किए गए जैसे कि कंप्यूटर जनित रिपोर्ट/पंजिका को मान्यता देने हेतु हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 में संशोधन नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त, ई-बिल के माध्यम से तैयार किए गए बिल को कोषागार में प्रस्तुत करने से पूर्व स्याही से हस्ताक्षर करना आवश्यक था तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में डिजिटल हस्ताक्षर के प्रावधान उपलब्ध नहीं थे।

विभाग ने बताया (मार्च 2022) कि बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग की गई व डिजिटल प्रक्रिया को हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2007 व 2017 में सम्मिलित किया गया तथा इस तथ्य की पुष्टि की गई कि पेंशन, सामान्य भविष्य निधि एवं कम्प्यूटेशन आदि के भुगतान हेतु प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के लिए कोई इंटरफेस विकसित नहीं किया गया। विभाग ने आगे बताया कि इन नियमों की समीक्षा हेतु विभागीय अधिकारियों की एक समिति गठित की गई थी। हालांकि तथ्य यह है कि सरकार ने न तो हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 व अन्य विशिष्ट नियमों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अनुसार अपडेट किया एवं न ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में डिजिटल हस्ताक्षर का प्रावधान किया। इसके अतिरिक्त महालेखाकार के साथ इंटरफेस मॉड्यूल भी अब तक उपलब्ध नहीं कराया गया।

⁴ हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली 2017: कोषागार पर नियंत्रण की सामान्य प्रणाली, समेकित निधि व लोक लेखा से धन का आहरण/उससे संबंधित धन की अभिरक्षा, आहरित किए गए धन की जिम्मेदारी, अंतर सरकारी लेनदेन आदि को नियंत्रित करने वाले नियम, आदि।

⁵ हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली 2009: सार्वजनिक खर्च में पारदर्शिता, सार्वजनिक सेवा वितरण में दक्षता सुनिश्चित करने के उद्देश्य से सरकार की वित्तीय चलन, कार्यों, वस्तुओं व सेवाओं की खरीद, अनुबंध, सेवाओं के बाह्य स्रोत आदि को नियंत्रित करने वाले नियम।

2.2.1.3 परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र

2.2.1.3 (क) परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र को न अपनाना

परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र

परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र एक संरचित दृष्टिकोण है जो एक सूचना प्रणाली विकास परियोजना को सभी चरणों में दस्तावेज़ीकरण के साथ कम्प्यूटरीकृत सूचना प्रणालियों और संबंधित प्रौद्योगिकी के विकास, अधिग्रहण, कार्यान्वयन, मूल्यांकन एवं रखरखाव के विभिन्न चरणों में विभाजित करता है।

परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र के चरण: परियोजना विकास



हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011 के परिच्छेद 20.5 में निर्दिष्ट है कि ई-गवर्नेंस परियोजनाओं के सफल कार्यान्वयन हेतु परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र का कड़ाई से पालन करना आवश्यक है। परियोजना प्रस्ताव के बाद परियोजना प्रबंधन योजना बनाई जानी चाहिए, उसके पश्चात् प्रणाली आवश्यकताएं विनिर्देश, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन डॉक्यूमेंट, विकास, पायलट परीक्षण, प्रशिक्षण एवं सभी कार्यालयों में परियोजना का कार्यान्वयन किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि परियोजना प्रस्ताव (मई 2012) की तैयारी के दौरान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के एकीकरण के लिए कोई व्यवस्थित योजना या दृष्टिकोण अपनाए जाने के प्रमाण नहीं मिले। यह भी देखा गया कि ई-पेंशन, ई-बिल, ई-सैलरी, ई-एनपीएस व ई-वितरण को क्रमशः अगस्त 2004, 2005, जुलाई 2007, नवंबर 2010 एवं अप्रैल 2010 में कार्यान्वित कर दिया गया था, जबकि हिमाचल प्रदेश राज्य की एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली हेतु परियोजना प्रस्ताव को मई 2012 में अंतिम रूप दिया गया था जो परिलक्षित करता है कि एक असंरचित दृष्टिकोण अपनाया गया था व केवल पूर्व में मौजूद मॉड्यूलों को ही एकीकृत किया गया। परियोजना विकास में उपयोगकर्ता व हितधारक की भागीदारी के अभाव में कोई उपयोगकर्ता आवश्यकता विनिर्देश तैयार नहीं किया गया जिससे उपयोगकर्ताओं, विभागों एवं अन्य हितधारकों की वर्तमान आवश्यकताओं का मूल्यांकन करना कठिन हो गया।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने सभी मॉड्यूलों/ उप-कार्यक्रमों के विकास एवं कार्यान्वयन की निगरानी हेतु उपयोगकर्ताओं व शीर्ष प्रबंधन को सम्मिलित करते हुए किसी संचालन समिति का गठन नहीं किया एवं न ही एकीकृत वित्तीय

प्रबंधन प्रणाली में विभिन्न मॉड्यूलों का एकीकरण आरंभ करने से पूर्व कोई व्यवहार्यता विश्लेषण किया गया। संरचित दृष्टिकोण न अपना देने के परिणामस्वरूप बजट तैयारी मैनुअल बनी रही, बजट परिवर्तनों की निगरानी नहीं हो पाई, तथा पेंशन, सामान्य भविष्य निधि, कम्प्यूटेशन और मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से संबंधित प्राधिकरणों का महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय और कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग के बीच डिजिटल रूप से आदान-प्रदान नहीं हो सका। व्यय व प्राप्तियों का मैनुअल मिलान, कोषागार में स्थानांतरण प्रविष्टियों से संबंधित डेटा की अनुपलब्धता, ई-बजट मॉड्यूल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी-वार बजट की उपलब्धता न होना, आदि समस्याओं का समाधान प्रणाली में नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (फरवरी 2022) कि सभी मॉड्यूलों को एक छत्र के नीचे समेकित किया गया था तथा पुष्टि की गई कि प्रक्रिया, चलन आदि के परिवर्तनों सहित कोई कार्य योजना दस्तावेजीकृत नहीं की गई थी। अतः, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में विभिन्न मॉड्यूलों के एकीकरण के दौरान कोई संरचित दृष्टिकोण नहीं अपनाया था तथा आवश्यक दस्तावेजीकरण भी अनुरक्षित नहीं किए।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त की एवं बताया कि सुधारात्मक कार्रवाई की जाएगी।

2.2.1.3 (ख) सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट दस्तावेजीकरण का अभाव

हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011 के परिच्छेद 20.5 (बी) (i) में निर्दिष्ट किया गया है कि परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र के प्रारंभिक चरणों में घटनाओं के निम्नलिखित अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए अर्थात् प्रणाली आवश्यकताएं विनिर्देश, सॉफ्टवेयर डिजाइन डॉक्यूमेंट।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग के लिए प्रस्ताव दस्तावेज (मई 2012) तैयार किया। हालांकि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली हेतु प्रणाली आवश्यकताएं विनिर्देश, सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट एवं डेटा फ्लो डायग्राम सुनिश्चित नहीं किया। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में किसी भी आगामी संशोधन एवं एप्लीकेशनों के रखरखाव हेतु कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी पर निर्भर था।

कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने तथ्यों की पुष्टि की (मार्च 2022) करते हुए बताया किया कि प्रणाली आवश्यकताएं विनिर्देश, सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट व डेटा फ्लो डायग्राम विकसित नहीं किए गए थे।


इस प्रकार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) व कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विकास में परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र दृष्टिकोण को नहीं अपनाया गया था।

2.2.1.4 बजट तैयार करने की प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण न होना

मिशन मोड प्रोजेक्ट की एक योजना हेतु दिशानिर्देशों के परिच्छेद 4.3 (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के बजट मॉड्यूल से संबंधित) में निर्दिष्ट है कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को राज्य सरकार को बजट प्रबंधन, तैयारी, संचार एवं संशोधन के लिए सहायता प्रदान करनी है। यह विभागों को क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा प्रस्तुत मांगों को समुचित रूप से नियंत्रित करने एवं वित्त विभाग को प्रस्तुत करने में सक्षम बनाएगा। वित्त विभाग विभिन्न दृष्टिकोणों से मांगों का विश्लेषण करेगा तथा अंततः बजट शीर्ष/विभाग के लिए प्रावधान की अनुशंसा करेगा। मॉड्यूल को विधायिका के समक्ष अनुमोदन हेतु रखे जाने वाले दस्तावेज़ को मुद्रित करने में सक्षम होना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी विभागाध्यक्षों को बजट प्रस्ताव केवल हार्ड कॉपी में ही प्रस्तुत कर रहे थे। आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्राप्त जानकारी संकलित करने के पश्चात् विभागाध्यक्ष उसे अगले वित्तीय वर्ष की अनुदान मांगों में सम्मिलित करने के लिए हार्ड कॉपी में वित्त विभाग को प्रस्तुत करते हैं। वित्त विभाग बजट प्रस्तावों को अंतिम अनुशंसा हेतु सक्षम प्राधिकारी को फाइल पर प्रस्तुत करता है। तदोपरांत बजट के आंकड़े एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-बजट मॉड्यूल में दर्ज किए जाते हैं, जैसाकि चार्ट 2.5 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.5: मैनुअल एवं ई-बजट मॉड्यूल के चरण



लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि यद्यपि बजट के विवरण व्यय के मानक शीर्ष (विस्तृत शीर्ष) तक दर्ज किए गए, परन्तु ई-बजट में आहरण एवं संवितरण अधिकारी-वार व्यय के मानक शीर्ष विवरण दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था। बजट को इस प्रकार मैनुअल रूप से तैयार

करने के कारण ऑनलाइन बजट प्रबंधन, तैयारी व संचार का उद्देश्य प्राप्त नहीं हो सका। इसके अतिरिक्त बजट की संपूर्ण प्रक्रिया का कम्प्यूटरीकरण न होने के कारण, मांगों में वृद्धि/कमी, मांगों में वृद्धि/कमी की स्वीकृति व अस्वीकृति के कारण जैसी जानकारियां प्रणाली में दर्ज नहीं की जा सकीं।

उप-सचिव, वित्त (बजट) ने बताया (जुलाई 2022) कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी और विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से बजट प्रस्तुत नहीं किया गया। ई-बजट मॉड्यूल से ई-वितरण मॉड्यूल तक डेटा का स्थानांतरण एवं प्रबंधन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के राज्य केंद्र की तकनीकी टीम द्वारा बैक-एंड में किया जा रहा था। वित्त विभाग का उत्तर इस तथ्य की पुष्टि करता है कि बजट आहरण एवं संवितरण अधिकारियों एवं विभागाध्यक्षों द्वारा मैन्युअल रूप से तैयार किया गया था तथा हिमाचल प्रदेश सरकार के वित्त विभाग द्वारा बजट योजना की अनुशंसा के पश्चात् बजट का विवरण ई-बजट मॉड्यूल में दर्ज किया गया, इस प्रकार संपूर्ण बजट प्रक्रिया को ऑनलाइन करने का उद्देश्य सफल नहीं हो पाया।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने सहमति व्यक्त करते हुए उचित कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.2.2 विकास पर किया गया व्यय

2.2.2.1 ₹ 18.10 लाख की राशि के अवास्तविक उपयोगिता-प्रमाणपत्रों का प्रस्तुतीकरण

सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में ई-कोष परियोजना, जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा है, के कार्यान्वयन हेतु ई-गवर्नेंस प्रवर्धन सोसायटी को मार्च 2008 और अगस्त 2008 में दो किस्तों में ₹ 208.13 लाख जारी किए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने अगस्त 2012 तक ₹ 190.03 लाख का व्यय किया तथा ₹ 18.10 लाख की राशि अव्ययित रह गई। हालांकि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने कुल ₹ 208.13 लाख राशि के उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग के पास सोसायटी के गठन, सदस्यों, बैठकों या किए गए व्यय से संबंधित अभिलेख उपलब्ध नहीं थे इसलिए लेखापरीक्षा में किए गए व्यय का सत्यापन नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन हेतु प्राप्त कुल निधियों एवं किए गए व्यय के संबंध में कोई अभिलेख लेखापरीक्षा को मांगे जाने के बावजूद (अप्रैल व नवंबर 2022) उपलब्ध नहीं कराए गए।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि हालांकि प्रस्तुत उपयोगिता-प्रमाणपत्र वास्तविक थे परंतु उनके अभिलेख उपलब्ध नहीं थे। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि विभाग ने ₹ 18.10 लाख की अप्रयुक्त राशि होने के बावजूद सम्पूर्ण राशि का उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत कर दिया था।

2.2.3 परियोजना विकास से संबंधित मुद्दे

2.2.3.1 किसी समझौते/सेवा स्तर अनुबंध में प्रवेश किए बिना एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन

सेवा स्तर अनुबंध

सेवा स्तर अनुबंध संगठन एवं उस एजेंसी के मध्य एक प्रलेखित अनुबंध है, जिससे सेवाओं को आउटसोर्स किया गया था। सेवा स्तर अनुबंध उन सेवाओं व तकनीकी मापदंडों को परिभाषित करता है जिन्हें एजेंसी से निष्पादित करने की अपेक्षा की जाती है। सेवा स्तर अनुबंध के कुछ महत्वपूर्ण क्षेत्र हैं - एजेंसी द्वारा निष्पादित सेवाओं का प्रकार, विभाग व एजेंसी के मध्य जिम्मेदारियों का आवंटन, मापी जाने वाली सेवाएं, माप अवधि, रिपोर्टिंग व समयसीमा, नई कार्यात्मकता को लागू करने का समय, पुनः कार्य का स्तर, आवश्यक दस्तावेजीकरण, बैंक-अप की आवृत्ति, डेटा वसूली मापदंड आदि।

हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011 के परिच्छेद 20.5 (बी) (ii) में कहा गया है कि गुणवत्तापूर्ण सेवा सुनिश्चित करने हेतु सभी गतिविधियों के लिए उपयुक्त सेवा स्तर की शर्तें चिह्नित की जानी चाहिए। भुगतान को सेवा स्तर अनुबंध के साथ जोड़ा जाना चाहिए तथा सेवा स्तर अनुबंध के कार्यान्वयन हेतु पर्याप्त निगरानी तंत्र विद्यमान होना चाहिए।

2.2.3.1 (क) विकास हेतु अनुबंध पर हस्ताक्षर न होना

लेखापरीक्षा ने पाया कि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूल/उप-कार्यक्रमों के विकास/लिकिंग के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) के साथ कोई अनुबंध नहीं किया। किसी अनुबंध के अभाव में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग मॉड्यूल-वार विकास समयसीमा, आवश्यक दस्तावेजीकरण, आदि के संबंध में मानक निर्धारित नहीं कर पाया।

2.2.3.1 (ख) संचालन एवं रखरखाव हेतु सेवा स्तर अनुबंध

लेखापरीक्षा में पाया गया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का रखरखाव मॉड्यूल के कार्यान्वयन के समय से ही बिना किसी सेवा स्तर अनुबंध में प्रवेश किए कर रहा था, अतः प्रणाली की डाउनटाइम सहनशीलता (टोलरेंस),

प्रतिक्रिया समय एवं निर्धारित समय के भीतर अंतिम उपयोगकर्ता की समस्याओं का समाधान सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग ने स्वीकार किया (मार्च 2022) कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूलों के विकास व रखरखाव हेतु राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) के साथ सेवा स्तर अनुबंध हस्ताक्षरित नहीं किया गया था, साथ ही बताया कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के पास सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी के साथ राज्य सरकार की सहायता करने का अधिदेश है। हालांकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र के अधिदेश के सम्बन्ध में कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराया गया।

2.2.3.2 परीक्षण के बिना विभिन्न मॉड्यूलों का कार्यान्वयन

सॉफ्टवेयर परीक्षण

परिचालन हेतु रखे गए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में अधिकृत एवं पूर्ण रूप से परीक्षण किए गए मॉड्यूलों को सुनिश्चित करने के लिए दो प्रकार के सॉफ्टवेयर परीक्षण किए जाते हैं।

- * डवलपमेंट टीम द्वारा, तथा
- * उपयोगकर्ता प्रतिनिधि द्वारा (उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण)

परियोजना प्रबंधन जीवन चक्र का चरण: परियोजना कार्यान्वयन चरण (परीक्षण)



हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011 के परिच्छेद 20.5 (सी) में कहा गया है कि परियोजना को अंतिम रूप से कार्यान्वित करने से पूर्व सॉफ्टवेयर परीक्षण 'वास्तविक डेटा व उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के साथ' किया जाना चाहिए।

परीक्षण सम्बन्धी किसी भी दस्तावेज के अभाव में लेखापरीक्षा में परीक्षण की पर्याप्तता का पता नहीं लगाया जा सका। परीक्षण के बिना मॉड्यूल का कार्यान्वयन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के व्यापक कार्यान्वयन के बाद विसंगतियों तथा समस्याओं के रूप में परिणत हुआ, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

विभाग ने स्वीकार किया (मार्च 2022) कि कार्यान्वयन से पूर्व मॉड्यूल के परीक्षण के लिए कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग में कोई समिति नहीं बनाई गई थी, हालांकि विकास के चरण में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) द्वारा प्रारंभिक परीक्षण किया गया

था परन्तु इसका दस्तावेजीकरण उपलब्ध नहीं था। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अपेक्षित दस्तावेज के बिना कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग द्वारा दावा किए गए विकास स्तर पर किए गए किसी भी परीक्षण की पुष्टि/सत्यापन नहीं किया जा सकता था। उत्तर यह भी पुष्टि करता है कि कोई उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण नहीं किया गया था।

2.2.3.3 सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को सोर्स कोड न सौंपना

सोर्स कोड

सोर्स कोड से अभिप्राय उन प्रोग्रामिंग निर्देशों से है, जिन्हें प्रोग्रामर द्वारा प्रोग्रामिंग भाषाओं का उपयोग करके लिखा जाता है। सॉफ्टवेयर सोर्स कोड एप्लीकेशनों के विभिन्न मॉड्यूलों की सुरक्षा के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होता है तथा यह विकास एजेंसी पर उपयोगकर्ता एजेंसी की निर्भरता को कम करता है साथ ही उपयोगकर्ता एजेंसी को बाद में संशोधन करने, बग्स को ठीक करने एवं अपडेट जारी करने की अनुमति भी देता है। स्थापना एवं सॉफ्टवेयर के सफलतापूर्वक संचालन के पश्चात् सोर्स कोड उपयोगकर्ता एजेंसी की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है। सोर्स कोड की सहायता से उपयोगकर्ता एजेंसी अन्य किसी विकास एजेंसी को कार्य सौंपकर सॉफ्टवेयर को संशोधित कर सकती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सोर्स कोड राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) के अधिकार में था तथा इसे कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को हस्तांतरित नहीं किया गया। साथ ही यदि राज्य सॉफ्टवेयर विकास हेतु किसी अन्य एजेंसी को नियुक्त करना चाहे तो उस स्थिति में ट्रांजिशन प्रबंधन हेतु कोई अनुबंध भी नहीं किया गया था। इस प्रकार राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) ने कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को उसकी समीक्षा और उपयोग हेतु एक्सेस प्रदान नहीं किया। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को सोर्स कोड न दिए जाने के कारण, सोर्स कोड की कॉपी का उपयोग करके किसी अन्य सिस्टम पर एप्लीकेशन का निर्माण करने के लिए उसका परीक्षण सुनिश्चित नहीं किया जा सका। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने उस एप्लीकेशन के प्रदर्शन का विवरण प्रस्तुत नहीं किया जिसे सोर्स कोड का उपयोग करके पुनर्निर्मित किया जा सकता था। अतः, लेखापरीक्षा में यह जांच नहीं की जा सकी कि सोर्स कोड का परीक्षण, यदि किया गया, तो वह कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग द्वारा किया गया या किसी बाहरी एजेंसी के माध्यम से किया गया था।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) एवं पुष्टि की कि एप्लीकेशन का सोर्स कोड नहीं लिया गया था।

2.2.3.4 बिज़नेस रूल मैपिंग एवं कार्यात्मकताएं

2.2.3.4 (क) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में स्वीकृति आदेशों की अनुपलब्धता

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के परिच्छेद 17 (ए) में कहा गया है कि किसी विभाग द्वारा जारी सभी वित्तीय स्वीकृतियां, जो विभाग से संबंधित मामलों से संबंधित हैं तथा जिनके आधार पर भुगतान किया जाना है या कोषागार अधिकारी द्वारा अधिकृत किया जाना है, वे कोषागार अधिकारी को संबोधित की जाएगी तथा मूल स्वीकृति बिल के साथ संलग्न की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति केवल सामान्य भविष्य निधि (जीपीएफ) और कम्यूटेशन बिलों के मामले में ही उत्पन्न की गई थी, जबकि शेष बिल जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में तैयार व प्रक्रिया किए गए थे, वे इलेक्ट्रॉनिक रूप से तैयार स्वीकृति आदेशों द्वारा समर्थित नहीं थे। अतः जीपीएफ व कम्यूटेशन बिलों को छोड़कर अन्य बिलों के संबंध में स्वीकृति आदेश हस्तलिखित रूप से जारी किए गए तथा बिल निर्माण प्रपत्र में स्वीकृति का विवरण अपलोड/रिकॉर्ड करने का कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि वित्तीय शक्तियों के सामान्य प्रत्यायोजन की मैपिंग एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का हिस्सा नहीं थी। वर्ष 2017-18 से 2021-22 की अवधि के दौरान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से संबंधित कोषागारों द्वारा ₹ 2,04,523.36 करोड़ मूल्य के कुल 44,30,124 बिल संकलित/पास किए गए। संदर्भ डेटा के बिना इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति आदेशों के अभाव ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में दर्ज वाउचर जानकारी की पूर्णता प्रभावित हुई। तथ्य यह है कि बिल पास करने से पूर्व स्वीकृति आदेश का अनिवार्य प्रावधान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में शामिल नहीं किया गया था एवं प्रणाली यह सुनिश्चित नहीं कर सकी कि व्यय स्वीकृति आदेश के अनुसार प्रमाणिक है।

परिणामस्वरूप एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कई समस्याओं का सामना करना पड़ा, जिनका कारण इलेक्ट्रॉनिक स्वीकृति आदेशों का न बनना हो सकता है, जैसे परिच्छेद 2.3.3.4 (क) अवकाश नकदीकरण के संबंध में एक ही राशि का दोहरा भुगतान, परिच्छेद 2.3.3.4 (ग) एक ही सेवानिवृत्त कर्मचारी को दो अलग-अलग आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/कोषागारों से अवकाश नकदीकरण का भुगतान परिच्छेद 2.3.3.6 (ख) सिविल न्यायालय से प्राप्त प्रतिदाय को कारण दर्ज किए बिना कर्मचारियों के बचत बैंक खातों में जमा करना परिच्छेद 2.3.4.4 मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का कई बार व अनधिकृत भुगतान, परिच्छेद 2.3.4.5 (क) कोषागार में निधि का गबन, आदि जिनकी चर्चा अनुवर्ती परिच्छेदों में की गई है।


अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

2.2.3.4 (ख) आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिलों की जांच एवं अनुमोदन का प्रावधान न होना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम, 2009 के परिच्छेद 10.4 में निर्दिष्ट है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी होगा कि वेतन बिलों की जांच की गई है व एक जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी द्वारा आद्याक्षर किए गए हैं तथा जांच में बिलों में दर्ज कुल राशि का सत्यापन सदैव शामिल होगा।

आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर मैनुअल प्रणाली में एवं एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से बिल पर प्रक्रिया की जाती है, जैसाकि चार्ट 2.6 में दर्शाया गया है।

चार्ट 2.6: कोषागार में बिलों की प्रक्रिया (ऑफलाइन व ऑनलाइन) प्रणाली



ऑनलाइन सिस्टम से पूर्व, बिल क्लर्क/कार्य सहायक द्वारा बिल तैयार किया जाता था तथा अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी द्वारा जांचे जाने के पश्चात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी बिल पर हस्ताक्षर करता था तथा बिल रजिस्टर के माध्यम से उसे संबंधित कोषागार को भेज देता था।

फ्रंट-एंड स्क्रीन व डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में बिल क्लर्क द्वारा बिल तैयार किया गया था तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी को प्रस्तुत करने से पूर्व अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी द्वारा बिल की ऑनलाइन जांच का कोई प्रावधान नहीं था और आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल के ऑनलाइन अनुमोदन/हस्ताक्षर करने का भी कोई प्रावधान नहीं था। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि बिल क्लर्क ने सीधे हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली के माध्यम से कोषागार को बिल प्रस्तुत किया एवं बिल की हार्ड कॉपी प्राप्त होने के पश्चात् कोषागार ने टोकन नंबर जारी किया।

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के पास बिलों के अनुमोदन और संबंधित कोषागारों को ऑनलाइन प्रस्तुत करने हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में अलग से एकसेस आईडी नहीं थी तथा अभी तक ई-बिल मॉड्यूल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी को कोई विशिष्ट भूमिका नहीं सौंपी गई है। वर्तमान में आहरण एवं संवितरण अधिकारी केवल बिलों की मैन्युअल जांच प्रणाली में शामिल हैं। आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत बिलों का विवरण संबंधित कोषागार कार्यालय में मैन्युअली सत्यापित किया जाना था।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि एक आहरण एवं संवितरण अधिकारी हेतु उसके अनुरोध पर ई-बिलों में कई लॉगिन बनाए जा सकते हैं। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए प्रत्येक स्तर पर ई-बिल मॉड्यूल में बिलों की तैयारी, जांच व अनुमोदन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में भूमिका-विशिष्ट लॉगिन आईडी रखने का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अतिरिक्त प्रणाली में बिलों की जांच के लिए कोई विशिष्ट भूमिका उपलब्ध न होने के कारण आहरण एवं संवितरण अधिकारी बिलों की मैन्युअल संवीक्षा कर स्वीकृत करते हैं और फिर उन्हें मैन्युअल रूप से कोषागार को भेजते हैं। इस प्रकार आहरण एवं संवितरण कार्यालय में भूमिका-विशिष्ट लॉगिन प्रदान नहीं किए गए हैं तथा स्थानांतरण हेतु एकल लॉगिन प्रदान किए गए हैं, जिससे अनुमोदन का डिजिटल रूप से पता नहीं लगाया जा सकता।

2.2.3.4 (ग) कोषागार व्यवसाय नियमों की मैपिंग न होना

व्यावसायिक नियमों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से निम्नलिखित बिंदु उजागर हुए:

तालिका 2.3: व्यावसायिक नियमों की मैपिंग न होने को दर्शाने वाले विवरण

क्र. सं.	मानदंड	निष्कर्ष
1	हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 21 में यह प्रावधान है कि किसी जिले में भूगतान की किसी भी श्रेणी के पहले भूगतान पर नई नियुक्ति प्राप्त सरकारी कर्मचारी के अतिरिक्त किसी अन्य सरकारी कर्मचारी को वेतन या भत्ते के संबंध में दावे पर तब तक किसी आहरण की अनुमति नहीं दी जाएगी, जब तक कि दावे को सरकार द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप में अंतिम वेतन प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित नहीं किया जाता है।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने स्थानांतरण के मामले में अंतिम वेतन प्रमाणपत्र के बिना वेतन आहरण की अनुमति दी। स्थानांतरित सरकारी कर्मचारी का वेतन (एसओई-01) और गैर-वेतन बिल विभिन्न बैंक खाता संख्या के साथ "अन्य आदाता" श्रेणी में जोड़कर और उसके कर्मचारी कोड का कोई विशिष्ट संदर्भ न देकर तैयार किया जा सकता है। इसलिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली किसी सरकारी कर्मचारी को किए गए भूगतानों को ट्रैक नहीं कर सकता है तथा यह जोखिम है कि किसी कर्मचारी को वेतन प्रमाणपत्र की आवश्यकता के बिना वेतन व संबंधित भूगतान किया जा सकता है।
2	हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 12 में प्रावधान है कि राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के प्रत्येक कार्यभार स्थानांतरण की सूचना उसी दिन विभागाध्यक्ष या अन्य नियंत्रण प्राधिकारी, संबंधित जिला कोषागार अधिकारी/	लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में राजपत्रित सरकारी कर्मचारी (आहरण व संवितरण अधिकारी) की अनुपस्थिति के मामले में उसी दिन विभागाध्यक्ष, जिला कोषागार अधिकारी/ कोषागार अधिकारी व बैंक प्रबंधक को प्रभार हस्तांतरण की सूचना

क्र. सं.	मानदंड	निष्कर्ष
	कोषागार अधिकारी तथा संबंधित बैंक शाखा के प्रबंधक को दी जाएगी।	देने का कोई प्रावधान नहीं था। इसलिए यदि किसी राजपत्रित सरकारी कर्मचारी के कार्यभार हस्तांतरण की सूचना जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी/ बैंक को नहीं दी जाती है तो बिल पर प्रक्रिया करने में विलंब होने की संभावना है।
3	वित्त विभाग की अधिसूचना दिनांक 21.02.2018 के अनुसार, दिनांक 10.05.2001 से पूर्व अंशकालिक/दैनिक वेतन के आधार पर नियुक्त तथा दिनांक 10.05.2001 को या उसके बाद नियमित किया गया चतुर्थ श्रेणी सरकारी कर्मचारी उस माह के अंतिम दिन अपराहन को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। राज्य सरकार के विभिन्न श्रेणियों के कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु अलग-अलग थी।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने पदों पर लागू नियमों के अंतर्गत पद/पदनाम-वार अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु को वर्गीकृत नहीं किया था। अधिकतम सेवानिवृत्ति आयु के संदर्भ में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति तिथि पर कोई जांच मौजूद नहीं थी। इस नियम की मैपिंग नहीं होने के कारण उत्पन्न होने वाले मूद्दों पर परिच्छेद 2.3.3.3 (छ) में चर्चा की गई है।
4	वित्त विभाग की अधिसूचना संख्या एफआईएन(पीआर)-बी(7)-16/98-III दिनांक 15.12.2011 के अनुसार माननीय उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को माननीय न्यायालय में दावे/याचिका दायर करने की तिथि से तीन वर्ष पूर्व की अवधि के लिए बकाया वेतन/बकाया राशि को प्रतिबंधित करने का निर्देश दिया है।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि न्यायालय के आदेशों के तहत भूगतान किए गए बकाया, दावा/याचिका दाखिल करने की तिथि तथा दावा/याचिका दायर करने की तिथि से पूर्व के तीन वर्षों की अवधि के लिए बकाया वेतन/बकाया को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में कोई प्रावधान उपलब्ध नहीं था। लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि न्यायालय के निर्णय के आधार पर बकाया राशि का भूगतान करते समय इस प्रावधान का पालन किया गया था या नहीं। इस नियम की मैपिंग न होने के कारण दावेदारों को अधिक बकाया भूगतान की संभावना है।
5	हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189 (3) में कहा गया है कि समायोजन बिल, शेष राशि सहित (यदि कोई हो), संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रिम प्राप्त करने के 15 दिन के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा अग्रिम राशि या शेष राशि की वसूली उसके वेतन से की जा सकती है।	लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में निर्धारित 15 दिनों के भीतर अग्रिमों के समायोजन की निगरानी करने का कोई प्रावधान नहीं था। इस नियम की मैपिंग न करने के कारण उत्पन्न होने वाले मूद्दों पर परिच्छेद 2.3.3.8 (ख) में चर्चा की गई है।

उपरोक्त बिंदु मार्च 2022 में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई का आश्वासन दिया।

2.2.3.5 सार आकस्मिक एवं विस्तृत आकस्मिक बिल

2.2.3.5 (क) सार आकस्मिक एवं विस्तृत आकस्मिक बिलों का कोई प्रावधान न होना


हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189 (5) में कहा गया है कि अग्रिमों का आहरण व उनका समायोजन आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कोषागार नियमों में निर्दिष्ट

सार आकस्मिक व विस्तृत आकस्मिक बिलों के माध्यम से कोषागार को प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 187 में कहा गया है कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी का यह उत्तरदायित्व होगा कि वह अग्रिम राशि को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान समायोजित करवाए, जिसमें यह ली गई है।

फ्रंट-एंड स्क्रीन के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सार आकस्मिक व विस्तृत आकस्मिक बिलों के विवरण दर्ज करने के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं था तथा प्रणाली सार आकस्मिक बिलों को अन्य आकस्मिक अग्रिमों से अलग नहीं कर सकी। इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के अग्रिम/समायोजन रजिस्टर में वर्ष 2020-21 में कुल ₹ 107.94 करोड़ के 325 बिल दर्शाए गए थे, जिनमें से:

- वर्ष 2020-21 के दौरान ₹ 1.52 करोड़ की राशि के 11 बिल आहरित किए गए, जो असमायोजित रहे।
- विगत वर्षों से संबंधित ₹ 18.98 करोड़ की राशि के 92 बिलों को वर्ष 2020-21 में समायोजित किया गया।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में 325 में से 83 मामलों में उप-वाउचर संख्या व तिथि का विवरण दर्ज नहीं किया गया, जिन्हें वर्ष 2020-21 के दौरान समायोजित किया गया।

चार्ट 2.7: सार आकस्मिक बिलों के मुद्दे



आयुष विभाग ने सात मामलों में शून्य राशि का अग्रिम लिया तथा बाद में इसे समायोजित भी किया गया, जिससे पता चलता है कि शून्य मूल्य को अस्वीकार करने के लिए प्रणाली में कोई जांच नहीं थी। एक मामले में आयुष विभाग ने मार्च 2017 में ₹ 1.00 करोड़ का अग्रिम

आहरित किया था, जिसे बाद में बिल संख्या सीटीओ001142020000064 व टोकन संख्या 00000016984 दिनांकित शून्य के माध्यम से समायोजित दिखाया गया, जिसकी राशि ₹ 10.00 लाख थी।

इसके अतिरिक्त ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली में रिपोर्ट तैयार करने के मामले में अग्रिम/समायोजन रजिस्टर में केवल शिमला राजधानी कोषागार का विवरण दिखाया गया इसलिए अन्य कोषागारों की रिपोर्ट अग्रिम/समायोजन रजिस्टर में दिखाई नहीं देती है।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सार आकस्मिक व विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण दर्ज करने का प्रावधान था, जबकि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र ने उसके प्रत्युत्तर में बताया (अगस्त 2023) कि परिवर्तन प्रबंधन की प्रक्रिया विभाग द्वारा तैयार की जानी है और तदनुसार सॉफ्टवेयर में शामिल करने के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को परिवर्तन सुझाए जा सकते हैं। विभाग का उत्तर तथ्यात्मक नहीं है, क्योंकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सार आकस्मिक व विस्तृत आकस्मिक बिलों का विवरण फ्रंट एंड से दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था, अर्थात् एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिल बनाने के लिए कोई अलग प्रावधान नहीं था।


विभाग ने अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सूचित किया कि प्रासंगिक प्रावधान अक्टूबर 2022 में प्रस्तुत किए गए हैं।

2.2.3.5 (ख) उसी वित्तीय वर्ष के भीतर सार आकस्मिक बिलों का समायोजन न करना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 192 में कहा गया है कि जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी को अग्रिमों को अग्रिम रजिस्टर में अलग से दर्ज करना होगा तथा निगरानी रखेंगे कि संबंधित कोषागार द्वारा इसका लेखांकन उसी वित्तीय वर्ष के भीतर महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) हिमाचल प्रदेश को विस्तृत आकस्मिक बिल के माध्यम से किया जाए। इसके अतिरिक्त नियम 187 में निर्दिष्ट है कि अग्रिम को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान विधिवत समायोजित करना होगा। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी की यह जिम्मेदारी होगी कि वह उसी वित्तीय वर्ष के दौरान अग्रिम को समायोजित करवाएगा जिसमें इसे आहरित किया गया है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटा के विश्लेषण से पता चलता है कि (अप्रैल 2022 तक) एसी_डीसी_बिलों की तालिका में सार आकस्मिक बिलों की कुल 9,384 प्रविष्टियां मौजूद हैं जिनमें से मार्च 2007 से मार्च 2022 के बीच केवल 9,339 सार आकस्मिक बिल बनाए गए थे। ग्यारह सार आकस्मिक बिलों में तिथियां/वर्ष 1899 व 1900 दर्ज किए गए तथा 34 सार आकस्मिक बिल मार्च 2022 के बाद बनाए गए।

चार्ट 2.8: सार आकस्मिक बिलों का समायोजन न होना तथा बाद में समायोजन



निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली लंबित सार आकस्मिक बिलों से संबंधित विवरण की जांच किए बिना विस्तृत आकस्मिक बिल स्वीकार कर लेती है।
- 152 मामलों में विस्तृत आकस्मिक बिलों की राशि सार आकस्मिक बिलों की राशि से अधिक थी, जो दर्शाता है कि एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर बिलों के समायोजन से पहले सार आकस्मिक बिलों की राशि की जांच नहीं करता था। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को अधिक राशि हेतु अलग से मंजूरी प्राप्त करने के मुद्दे को चिह्नित करना चाहिए।
- लेखापरीक्षा में यह भी पाया गया कि 297 मामलों में एसी_बिलआईडी⁶ को एसी_डीसी_बिलों की तालिका में शून्य दिखाया गया, जो दर्शाता है कि एसी_बिलआईडी प्राथमिक कुंजी नहीं है व उपयोगकर्ता एसी_बिलआईडी कॉलम में कोई भी मान दर्ज कर सकता है।
- 184 मामलों में डीसी_वाउचर तिथि को शून्य के रूप में दर्ज किया गया।
- एक मामले में डीसी_वित्त वर्ष एसी_ वित्त वर्ष से पहले है।
- प्रणाली में उन सार आकस्मिक बिलों को इंगित करने के लिए चेतावनी संकेत का कोई प्रावधान नहीं था जो विलंबित थे, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

⁶ एसी_बिलआईडी प्रत्येक सार आकस्मिक बिल हेतु बनाई गई यूनिक आईडी को इंगित करने वाले मद को संदर्भित करता है।

- नौ हजार तीन सौ उनतालीस सार आकस्मिक बिलों में से 527⁷ को उसी वित्तीय वर्ष में समायोजित नहीं किया गया।
- 343 सार आकस्मिक बिलों की जांच में जहां डीसी_वाउचर तिथि दर्ज की गई थी, वहां यह पाया गया कि 73 सार आकस्मिक बिलों को एक से दो वर्षों के मध्य समायोजित किया गया।
 - 28 सार आकस्मिक बिलों को दो से तीन वर्ष के मध्य समायोजित किया गया।
 - 97 सार आकस्मिक बिलों को तीन वर्षों के बाद समायोजित किया गया।
- फरवरी 2014 व अगस्त 2019 के मध्य आहरित 12⁸ सार आकस्मिक बिलों को मार्च 2022 तक पूर्ण रूप से समायोजित नहीं किया गया।

डिजाइन में कमी के कारण कोषागार न तो विस्तृत आकस्मिक बिलों की लंबितता की प्रभावी निगरानी कर सका एवं न ही आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा सार आकस्मिक बिल के साथ दिए गए प्रमाण पत्र की सत्यता की जांच कर पाया। क्योंकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली सॉफ्टवेयर में सार आकस्मिक बिलों को विस्तृत आकस्मिक बिलों के साथ समायोजित करने के लिए कोई अनिवार्य प्रावधान नहीं था इसलिए सभी सार आकस्मिक बिलों का समायोजन सुनिश्चित नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में विलंब को चिह्नित करने व सार आकस्मिक बिलों का समय पर समायोजन सुनिश्चित करने के लिए कोई चेतावनी संकेतक नहीं था।

लेखापरीक्षा ने चयनित चार⁹ कोषागारों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के मैनुअल सत्यापन हेतु 67 मामलों के नमूने लिए जिनमें से 55 मामलों का सत्यापन किया गया तथा सार आकस्मिक बिलों के संबंध में ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली में उपलब्ध रिपोर्टों के आधार पर बिलों का समायोजन नहीं होने के संबंध में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि की गई। इन सभी 55 मामलों का सत्यापन आहरण एवं संवितरण अधिकारी के पास उपलब्ध भौतिक वाउचरों से भी किया गया तथा जिसमें पाया गया कि अग्रिम के 43 मामलों में बिलों का पहले ही ऑफलाइन पद्धति में समायोजन कर दिया गया था। हालांकि इन्हें डेटाबेस में बकाया के रूप में दर्शाया गया। इसके अतिरिक्त आठ मामलों को इस तिथि तक समायोजित नहीं किया गया और चार मामले सामान्य बिल के थे परंतु तैयारी के दौरान उन्हें अग्रिम बिलों के रूप में वर्गीकृत किया गया। इससे डेटाबेस की विश्वसनीयता पर संदेह पैदा हुआ।

⁷ बिलासपुर-सात, चंबा-11, राजधानी शिमला-327, हमीरपुर-24, कुल्लू-11, कांगड़ा-21, किन्नौर-दो, लाहौल व स्पीति-चार, मंडी-21, शिमला-71, सिरमौर-11, सोलन-आठ, ऊना-नौ।

⁸ चंबा-एक, राजधानी शिमला-पांच, हमीरपुर-एक, कांगड़ा-दो, किन्नौर-एक, शिमला-दो।

⁹ बिलासपुर, कुल्लू, शिमला व शिमला राजधानी।

जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण शेष 12 मामलों का सत्यापन नहीं किया जा सका।

जिला कोषागार अधिकारी शिमला, हमीरपुर, कुल्लू व सिरमौर ने बताया (अक्टूबर-दिसंबर 2022) कि संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल प्रस्तुत न करने के कारण उसी वित्तीय वर्ष के भीतर सार आकस्मिक बिलों का समायोजन नहीं हुआ। जिला कोषागार अधिकारी, चंबा ने आगे बताया (नवंबर 2022) कि ऑफलाइन/मैनुअल पद्धति से बिलों को डेटाबेस में मैनुअली दर्ज किया जाता है और एसी बिल आईडी व डीसी बिल आईडी को डेटाबेस में मैनुअली दर्ज किया जाता है। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, कांगड़ा, लाहौल व स्पीति, मंडी, ऊना एवं शिमला राजधानी से उत्तर प्राप्त नहीं हुए (अप्रैल 2023)।

जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि प्रणाली के माध्यम से उसी वित्तीय वर्ष के भीतर सार आकस्मिक बिल का समायोजन किया जाना है। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि ऑफलाइन समायोजन किया जा रहा था जो डिजिटलीकरण के विरुद्ध है। इसके परिणामस्वरूप सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिलों की निगरानी प्रणाली के माध्यम से नहीं की जा सकी। सार आकस्मिक बिलों के ऑफलाइन समायोजन से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से निगरानी करना कठिन हो जाता है।

2.2.3.6 वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पश्चात् अग्रिम राशि के समायोजन का प्रावधान

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली का नियम 189 जो 'आकस्मिक और विविध प्रयोजनों के लिए अग्रिम राशि' से संबंधित है, में कहा गया है कि (1) कार्यालयाध्यक्ष या कोई अन्य अधिकृत अधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को माल की खरीद या सेवाएं किराए पर लेने या किसी अन्य विशेष प्रयोजन के लिए कार्यालय मामलों के प्रबंधन के लिए निर्धारित तरीके से अग्रिम राशि स्वीकृत कर सकता है। इसके अतिरिक्त नियम (3) में कहा गया है कि संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रिम आहरण के पंद्रह दिनों के भीतर समायोजन बिल, यदि कोई शेष राशि हो तो उसके साथ, प्रस्तुत किया जाएगा, ऐसा न करने पर अग्रिम या शेष राशि की वसूली उसके वेतन से की जा सकती है।

फ्रंट-एंड स्क्रीन के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि ई-बिल्स/ई-सैलरी मॉड्यूल में वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अग्रिम/सार आकस्मिक बिल को समायोजित करने का कोई प्रावधान नहीं था। ऐसे बिलों को समायोजित करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने मैनुअली समायोजन बिल तैयार किए और उन्हें बिल संख्या, तिथि, राशि एवं अग्रिम बिल की स्वीकृति आदि के साथ संबंधित कोषागार में प्रस्तुत किया। ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली ने केवल समायोजित किए जाने वाले अग्रिम बिल के टोकन नंबर की प्रविष्टि हेतु इनपुट स्क्रीन उपलब्ध कराई। ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली की इनपुट स्क्रीन की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि पूर्ववर्ती वित्तीय वर्ष के अग्रिम बिल की टोकन संख्या दर्ज करने पर; प्रणाली उसी टोकन

नंबर का विवरण वर्तमान वित्तीय वर्ष से प्राप्त करती है, क्योंकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रत्येक वर्ष टोकन नंबर क्रम को दोहराती है। इसलिए ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली में पूर्ववर्ती वित्तीय वर्षों के अग्रिमों का समायोजन संभव नहीं था।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) कि वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद अग्रिम बिल के समायोजन का विवरण दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था।

2.2.3.7 रोकड़ बही (कैश बुक) व अन्य सहायक रजिस्ट्रों का उत्पादन न होना

कार्यालय नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 15.4.2 (5) में कहा गया है कि अभिलेख, रजिस्टर, रिटर्न, सभी प्रकार के बिल, कैश बुक, बिल रजिस्टर आदि का अनुरक्षण अपेक्षित है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए ऑनलाइन कैश बुक, रजिस्टर, रिटर्न आदि उत्पादित करने का कोई प्रावधान नहीं था, यद्यपि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली कैश बुक व अन्य सहायक रजिस्ट्रों के रखरखाव हेतु आवश्यक आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोड के साथ-साथ प्राप्तियों व भुगतानों से संबंधित संपूर्ण डेटा एकत्रित करता है। इसलिए कैशबुक व अन्य अभिलेख मैनुअली तैयार किए जा रहे थे तथा विभागों द्वारा वित्तीय लेनदेन को मैनुअल रिकॉर्डिंग को कम करने हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की क्षमताओं का पर्याप्त उपयोग नहीं किया जा रहा था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कार्यालयों द्वारा रखी गई भौतिक कैशबुक की नकल करने का कोई प्रावधान नहीं था और आहरण एवं संवितरण अधिकारी मैनुअली कैशबुक का अनुरक्षण कर रहे हैं।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में विभाग ने बताया कि बाहरी कार्यालयों के लिए ऑनलाइन कैशबुक न तो संभव है और न ही व्यवहार्य। हालांकि ऑनलाइन कैशबुक को सुव्यवस्थित करने के लिए आवश्यक बदलाव किए जाएंगे।

2.2.3.8 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में निर्वाह भत्ते के प्रावधान का अभाव

मौलिक नियमों के मूल नियम 53(1) (ए) में कहा गया है कि निलंबन के अधीन या नियुक्ति प्राधिकारी के आदेश द्वारा निलंबन के अधीन समझा गया सरकारी सेवक, उस छुट्टी वेतन के बराबर राशि के निर्वाह भत्ते का हकदार होगा जो सरकारी सेवक तब लेता यदि वह आधे औसत वेतन या आधे वेतन पर होता और इसके अतिरिक्त, महंगाई भत्ता, यदि ऐसे छुट्टी वेतन के आधार पर स्वीकार्य हो; बशर्ते कि जहां निलंबन की अवधि तीन माह से अधिक हो, वह प्राधिकारी जिसने निलंबन का आदेश दिया है या माना जाता है, पहले तीन माह की अवधि के पश्चात् किसी भी अवधि के लिए निर्वाह भत्ते की राशि में परिवर्तन करने के लिए सक्षम होगा।

फ्रंट-एंड स्क्रीन व डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में निलंबित कर्मचारी को निर्वाह भत्ते के भुगतान का कोई प्रावधान नहीं था। इसके अभाव में निर्वाह भत्ता मैनुअली तैयार किया जा रहा था, जिससे डेटा की सत्यनिष्ठा को खतरा है।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि निलंबित कर्मचारियों की उपस्थिति के आधार पर निर्वाह भत्ता तैयार किया गया है तथा बिल मैनुअली तैयार नहीं किया जाता है। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली निर्वाह भत्ता बिल ऑनलाइन तैयार करने की अनुमति नहीं देती तथा इन्हें मैनुअली तैयार किया जा रहा था।

2.2.3.9 वेतन स्तर (ग्रेड पे) में परिवर्तन के कारण समूह में अनियंत्रित परिवर्तन

कोषागार कार्यालयों हेतु अंतिम परिचालन नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 3.6 के अनुसार एकीकृत वेतन व लेखा कार्यालय (आईपीएओ) कोषागार कर्मचारी विवरण जैसे पदनाम, जन्म तिथि, सेवानिवृत्ति की तिथि, बैंक विवरण, फोटो आदि को अपडेट करने के लिए जिम्मेदार है।

फ्रंट-एंड स्क्रीन व डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि कर्मचारियों के समूहों के साथ पदनाम का कोई मिलान नहीं था, जो नियमों का उल्लंघन था। यह देखा गया कि आयुष विभाग में प्रशिक्षित दाई एक ग्रुप-डी कर्मचारी है, परंतु ग्रेड पे में 1900 (वेतन स्तर 3) (एमएसीपी मिलने के बाद) में परिवर्तन के पश्चात् समूह अपने आप ग्रुप-सी में परिवर्तित हो गया, जो नियमों के विरुद्ध था क्योंकि इस विशेष मामले में केवल ग्रेड पे में परिवर्तन के आधार पर कर्मचारियों के समूह में परिवर्तन नहीं होना चाहिए था। इसके अतिरिक्त राज्य में ग्रुप-डी के कर्मचारी 60 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकते हैं, जबकि ग्रुप-सी के कर्मचारी 58 वर्ष की आयु तक सेवा दे सकते हैं। समूहों के स्वतः परिवर्तन के कारण सेवानिवृत्ति आयु की गणना में अंतर होने की संभावना हो सकती है।

लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां मार्च 2023 में विभाग को भेजी गईं; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

2.2.3.10 सरकार के सहायता-अनुदान के संबंध में स्थान विवरण का अभाव

ई-बिल (एचपीओएलटीआईएस मॉड्यूल) डेटाबेस के फ्रंट-एंड स्क्रीन के विश्लेषण में यह देखा गया कि प्रमुख कार्यों/परियोजनाओं, योजनाओं व सहायता अनुदान संस्थानों के बिलों को संस्थानों के स्थान, यथा स्थान, पंचायत, खंड/तहसील, जिला का नाम आदि के संदर्भ के साथ दर्ज नहीं किया गया। प्रमुख कार्यों/परियोजनाओं, योजनाओं एवं उन संस्थाओं को, जिन्हें सहायता-अनुदान जारी किया गया है, उन्हें एक विशिष्ट कोड प्रदान किया जाना था। परिणामस्वरूप एकीकृत प्रबंधन सूचना प्रणाली में गांवों, पंचायतों, खंडों व जिलों में हुए व्यय

का विश्लेषण उपलब्ध नहीं था। अतः स्थानों के संदर्भ में आवधिक अंतराल पर व्यय पर नज़र रखने वाली प्रबंधन सूचना प्रणाली रिपोर्टों में उपलब्ध नहीं थी।

विभाग ने (अप्रैल 2023) में इस तथ्य को स्वीकार किया कि संस्था को विशिष्ट कोड नहीं दिया गया था।

2.2.3.11 आहरण एवं संवितरण अधिकारी के साथ मुख्य व लघु शीर्षों का मिलान न करना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली के नियम 25 में कहा गया है कि सरकारी कर्मचारी जिसे सक्षम प्राधिकारी द्वारा चेक जारी करने या बिलों पर हस्ताक्षर करने हेतु प्राधिकृत किया गया है, उसे अपने हस्ताक्षर का एक नमूना जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी या बैंक को, जैसा भी मामला हो, भेजना होगा, साथ ही सक्षम प्राधिकारी के आदेशों में उन लेखा शीर्षों का विवरण भी भेजना होगा जिसके लिए सरकारी कर्मचारी को लेनदेन करने के लिए प्राधिकृत किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-कोष लिंक में उपलब्ध आंकड़ों से पता चला कि मांग संख्या 05- 'भूमि राजस्व व जिला प्रशासन' में 2030-01-102-01 - 'स्टाम्प विक्रेताओं के माध्यम से 'स्टाम्प की बिक्री पर व्यय' S00N-20-N-V-अन्य प्रभार लेखा शीर्ष से विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा आहरण किया गया, जबकि यह उप-शीर्ष कोषागार में केवल जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा ही संचालित किया जाना था। तालिका 2.4 से स्पष्ट है कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आहरण एवं संवितरण अधिकारी और लेखा शीर्ष का मिलान सहसंबद्ध नहीं था तथा ई-बिल्स मॉड्यूल में ऐसी इनपुट सत्यापन जांच भी नहीं थी जो आहरण एवं संवितरण अधिकारी को अधिकृत लेखा शीर्षों तक सीमित रख सके।

तालिका 2.4: आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को लेखा शीर्षों के अनधिकृत एक्सेस का विवरण

वित्तीय वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोड	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	लेखा शीर्ष जो संचालन हेतु प्राधिकृत नहीं थे	आहरित राशि (₹ में)
2020-21	केएनआर03-002	एसपीएम मूरंग	05-2030-01-102-01	40
2020-21	केएलयू04-004	एसडीओ (सिविल) मनाली	05-2030-01-102-01	5,130
2020-21	एमडीआई01-223	प्रधान अध्यापक जीएचएस कालाहोद	05-2030-01-102-01	360
2020-21	एसएमएल13-504	एसी टू डीसी शिमला	05-2030-01-102-01	20
2020-21	बीएलपी02-253	प्राचार्य आईटीआई घुमारवीं	05-2030-02-102-01	680
2020-21	सीएचएम00-250	प्राचार्य जीएसएसएस धुलारा	05-2030-02-102-01	200
2020-21	बीएलपी01-501	उपायुक्त बिलासपुर	05-2030-02-102-01	640
2020-21	सीएचएम00-250	प्राचार्य जीएसएसएस धुलारा	05-2030-02-102-01	200
2020-21	केएनजी00-501	उपायुक्त धर्मशाला	05-2030-02-102-01	3,13,520
2020-21	केएजी 05-239	प्राचार्य जीएसएसएस पुन्नेर	05-2030-02-102-01	1,000
2020-21	केएनजी05-501	उपायुक्त धर्मशाला	05-2030-02-102-01	92,040

वित्तीय वर्ष	आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोड	आहरण एवं संवितरण अधिकारी	लेखा शीर्ष जो संचालन हेतु प्राधिकृत नहीं थे	आहरित राशि (₹ में)
2020-21	केएनजी06-201	जीएसएसएस हौरी देवी	05-2030-02-102-01	2,000
2020-21	केजेडए00-012	पोस्ट मास्टर काजा	05-2030-02-102-01	240
2020-21	एलएचएल01-001	एसपीएम उदयपुर	05-2030-02-102-01	400
2020-21	एमडीआई01-222	प्राचार्य एसएसएस फंगवास	05-2030-02-102-01	520
2020-21	एमडीआई09-008	पोस्ट मास्टर ओट	05-2030-02-102-01	1,000
2020-21	एमडीआई09-537	तहसीलदार ओट	05-2030-02-102-01	1,800
2020-21	एमडीआई14-209	जीएसएसएस कश्मलीधार	05-2030-02-102-01	180
2020-21	एमडीआई16-206	प्राचार्य जीएसएसएस गगल	05-2030-02-102-01	7,000
2020-21	एसएमएल07-209	प्राचार्य जीएसएसएस रोहल	05-2030-02-102-01	800
2020-21	एसएमएल08-215	प्राचार्य जीएसएसएस खुन्नी	05-2030-02-102-01	240
2020-21	एमएल13-504	एसी टू डीसी शिमला	05-2030-02-102-01	200
2020-21	एसएमआर07-537	तहसीलदार पच्छाद	05-2030-02-102-01	1,000
2020-21	एसएमआर08-501	उपायुक्त सिरमौर	05-2030-02-102-01	2,000
2020-21	एसओएल04-005	ईआईपीएच उप-मंडल रामेश्वर	05-2030-02-102-01	400
2020-21	केएनजी05-501	उपायुक्त धर्मशाला	05-2030-02-102-02	1,000
2020-21	एसएमआर00-215	एनसीसी अधिकारी नाहन	05-2030-02-102-02	2,000
2020-21	केएनजी00-501	उपायुक्त धर्मशाला	05-2030-02-102-03	15,360
2020-21	एसएमएल01-501	उपायुक्त शिमला	05-2030-02-102-03	400
योग				4,50,370

इस प्रकार आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को लेखा शीर्षों तक अनधिकृत एक्सेस मिलना, जिन्हें संचालित करने के लिए वे अधिकृत नहीं हैं, व्यय की अनुचित बुकिंग का कारण बनाता है। परिणामस्वरूप प्रणाली लेखों की सही एवं निष्पक्ष स्थिति प्रस्तुत करने में असमर्थ रही। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी की प्राधिकृत लेखा शीर्ष/व्यय के मानक शीर्ष (विस्तृत लेखा शीर्ष) के साथ ही मिलान करना चाहिए ताकि प्राप्तियों व व्यय की सही बुकिंग सुनिश्चित की जा सके।

उपरोक्त बिंदु नवंबर 2022 में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

2.2.3.12 उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने के प्रावधान का अभाव

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 157 में कहा गया है कि अनुदान प्राप्त करने वाले संस्थान या संगठन सहायता-अनुदान के उपयोग के पश्चात् सरकार को लेखापरीक्षित उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि प्रणाली में उपयोगिता-प्रमाणपत्र के ऑनलाइन प्रस्तुतीकरण तथा उपयोगिता-प्रमाणपत्र की स्थिति की निगरानी का कोई प्रावधान नहीं था। इसके परिणामस्वरूप केन्द्र/राज्य सरकार द्वारा जारी सहायता-अनुदान के उपयोग की निगरानी उपयोगिता-प्रमाणपत्र

तंत्र के माध्यम से मैनुअली करनी पड़ रही थी। एजेंसियों व संस्थानों ने उपयोगिता-प्रमाणपत्र मैनुअल रूप से विभाग को प्रस्तुत किए जिन्हें विभाग द्वारा निर्धारित समय के भीतर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय को अग्रेषित किया जाना अपेक्षित था।

निर्धारित अवधि से अधिक समय तक लंबित उपयोगिता-प्रमाणपत्र अभीष्ट उद्देश्यों के लिए उपयोग न होने को परिलक्षित करते हैं तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में उपयोगिता-प्रमाणपत्र के विवरण को दर्ज करने तथा बकाया उपयोगिता-प्रमाणपत्र की निगरानी करने का कोई प्रावधान नहीं था। वर्ष-वार जारी सहायता-अनुदान का विवरण तालिका 2.5 में दिया गया है।

तालिका 2.5: ई-कोष (एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली) में उपलब्ध जानकारी के अनुसार वर्ष-वार जारी सहायता-अनुदान का विवरण

वित्तीय वर्ष	व्यय के मानक शीर्ष वार विवरण के अनुसार आवंटन व व्यय (₹ करोड़ में)						कुल आवंटन (₹ करोड़ में)	कुल व्यय (₹ करोड़ में)
	41- वेतन पर सहायता-अनुदान		42- वेतन के अलावा सहायता-अनुदान		44-पूज्योत्सव परिसंपत्तियों हेतु सहायता-अनुदान			
	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2017-18	1,212.01	1,211.01	1,009.24	1,003.60	660.39	672.51	2,881.64	2,887.12
2018-19	1,203.59	1,202.67	1,596.09	1,580.65	834.28	834.04	3,633.96	3,617.36
2019-20	1,330.25	1,329.70	1,486.69	1,456.59	957.47	943.29	3,774.41	3,729.58
2020-21	1,754.79	1,507.40	2,234.58	2,015.69	1,161.32	1,040.00	5,150.69	4,563.09
2021-22	1,762.93	1,681.69	2,470.23	2,325.08	958.51	738.01	5,191.67	4,744.78
सकल योग	7,263.57	6,932.47	8,796.83	8,381.61	4,571.97	4,227.85	20,632.37	19,541.93

लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि प्रणाली में प्रावधान के अभाव के कारण एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के मध्य ₹ 19,541.93 करोड़ के सम्पूर्ण व्यय के संबंध में उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं किए गये।

हालांकि हिमाचल प्रदेश सरकार से सम्बंधित 31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए राज्य वित्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के परिच्छेद 4.3 में मार्च 2022 तक ₹ 4,752.14 करोड़ की राशि के 3,619 उपयोगिता-प्रमाणपत्र लंबित प्रतिवेदित किए गए थे। अतः यदि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्रस्तुत करने का प्रावधान शामिल किया जाए तो विभिन्न अनुदानों के अंतर्गत हुए आवंटन की निगरानी प्रभावी ढंग से की जा सकेगी।

उपरोक्त बिंदु मार्च 2023 में कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

2.2.4 परिवर्तन प्रबंधन

2.2.4.1 परिवर्तन प्रबंधन नीति का पालन न करना

विभाग की आईटी सुरक्षा नीति के परिच्छेद 22.1.1 में कहा गया है कि मौजूदा एप्लिकेशन में किसी भी परिवर्तन के लिए सुरक्षा आवश्यकताओं को परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के अनुसार परिवर्तन अनुरोध फॉर्म में प्रलेखित किया जाता है। इसके साथ ही परिच्छेद 22.2.2 में कहा गया है कि परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया के अनुसार एप्लिकेशन सिस्टम में किए जाने वाले परिवर्तन नियंत्रित ढंग से किए जाते हैं। प्रणाली में परिवर्तनों के अनुमोदन से संबंधित दस्तावेज जिसमें परिवर्तन के पश्चात् निष्पादन भी शामिल है, को अनुरक्षित रखा जाता है। भेद्यता मूल्यांकन के दौरान पाई गई किसी भी भेद्यता के कारण संशोधन की आवश्यकता वाली सभी एप्लीकेशनों को सीधे उत्पादन वातावरण में लेते हुए, 'परिवर्तन प्रबंधन प्रक्रिया' का उपयोग करके सुधार किया जाता है।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) ने मॉड्यूल/उप-कार्यक्रम विकसित किए जिन्हें बाद में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में एकीकृत किया गया। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने परिवर्तन अनुरोध फॉर्म, परिवर्तन प्रभाव विश्लेषण व वर्गीकरण, परिवर्तन मूल्यांकन व अनुमोदन, अस्वीकृत परिवर्तन, परीक्षण, सक्षम प्राधिकारी से अनुमोदन, प्रणाली सुरक्षा परीक्षण एवं प्रणाली स्वीकृति परीक्षण से सम्बंधित दस्तावेजीकरण अनुरक्षित नहीं किए। संपूर्ण परियोजना जीवन चक्र के दौरान परिवर्तनों के अभिलेख रखने एवं समाविष्ट किए गए परिवर्तनों का प्रभाव विश्लेषण भी नहीं पाया गया। सॉफ्टवेयर की स्थापना के बाद किए गए संशोधनों का विवरण प्रलेखित नहीं किया गया। कमज़ोर परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण के कारण सॉफ्टवेयर व डेटा में आकस्मिक या दुर्भावनापूर्ण परिवर्तन का जोखिम है।

प्रचलित नियमों और आईटी प्रणाली में किए जाने वाले/किए गए परिवर्तनों से संबंधित दस्तावेजों के अभाव में लेखापरीक्षा में बिजनेस प्रोसेस री-इंजीनियरिंग के माध्यम से प्रणाली की विकास प्रक्रिया की पर्याप्तता व प्रभावशीलता का आकलन नहीं किया जा सका।

प्रणाली में किए गए परिवर्तनों के क्रम की अनुपलब्धता, संस्करण नियंत्रण प्रणाली एवं परीक्षण (यदि कोई किया गया हो) से संबंधित प्रलेखन के अभाव के कारण प्रणाली में किए गए संशोधनों की शुद्धता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

विभाग ने स्वीकार किया (मार्च 2022) कि परिवर्तन प्रबंधन फॉर्म के बिना कार्यान्वयन के बाद मॉड्यूल में परिवर्तन किए गए थे। परिवर्तन अनुरोध प्रबंधन से सम्बंधित दस्तावेज अनुरक्षित नहीं किए गए। इससे लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि हुई।

2.2.4.2 लाइव सर्वर में किए गए परिवर्तन

हिमाचल प्रदेश कोषागार लेखा एवं लॉटरी निदेशालय की आईटी सुरक्षा नीति के परिच्छेद 22.2.6 में कहा गया है कि नई सूचना प्रणालियों एवं उनके उन्नयन के परीक्षण से पूर्व स्वीकृति मानदंड निर्धारित किए जाते हैं। प्रणाली को लागू करने से पूर्व प्रणाली की आवश्यकताओं व तकनीकी विनिर्देशों, सिस्टम डिजाइन, उपयोगकर्ता नियम-पुस्तिका तथा परीक्षण के परिणामों से सम्बंधित पर्याप्त दस्तावेज अनुरक्षित किए जाने चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि स्टैंडबाय सर्वर/टेस्ट सर्वर का उपयोग न करने के कारण कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने आवश्यक परिवर्तन सीधे लाइव सिस्टम पर किए। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने ऐसा कोई भी संस्करण नियंत्रण तंत्र नहीं अपनाया, जो कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग को परिवर्तित परिस्थितियों में जटिलता की स्थिति में एप्लीकेशन के किसी भी मॉड्यूल परिवर्तन में शामिल किए जाने से पूर्व मौजूद विगत संस्करण पर वापस लौटने में सक्षम बना सके। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने मौजूदा सिस्टम में किए गए परिवर्तनों के परीक्षणों के अभिलेख भी अनुरक्षित नहीं रखे, जिससे कमज़ोर परिवर्तन प्रबंधन नियंत्रण के कारण सॉफ्टवेयर व डेटा में आकस्मिक या दुर्भावनापूर्ण परिवर्तन का खतरा हो सकता है।

कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (मार्च 2022) कि परिवर्तन सीधे लाइव सर्वर में किए गए।

2.2.5 विविध मुद्दे

2.2.5.1 आईटी डिज़ाइन से संबंधित मुद्दे

- मास्टर टेबल्स/रिपोर्ट में अंतर: प्रत्येक मॉड्यूल की अपनी अलग डेटाबेस और मास्टर टेबल्स थीं। अतः एक ही डेटा के विभिन्न मास्टर टेबल्स में भिन्नताओं से संबंधित कई समस्याएं देखी गईं, साथ ही विभिन्न रिपोर्ट्स में बजट/व्यय के आंकड़ों में भी अंतर पाया गया, जिन पर अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।
- डेटा एकीकरण न करना: हितधारकों के डेटाबेस के एकीकृत न होने के कारण एक ही डेटा स्रोत से मॉड्यूलों के बीच जैसे प्रधान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के बजट आंकड़ों की तुलना ई-बजट एवं ई-वितरण से करने पर आंकड़ों में भिन्नता/अंतर पाया गया।
- ई-सैलरी व ओएलटीआईएस मॉड्यूलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या में अंतर।
- महालेखाकार इंटरफ़ेस मॉड्यूल विकसित न करना: नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इंटरफ़ेस मॉड्यूल विकसित न होने के कारण महालेखाकार कार्यालय के साथ संपर्क स्थापित नहीं किया जा सका एवं महालेखाकार को परिवर्तन/लेनदेन करने का एक्सेस नहीं दिया गया। राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना पर मिशन मोड प्रोजेक्ट के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 4.11 के

अनुसार नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक मॉड्यूल विकसित किया जाना था जिसका उद्देश्य लेखापरीक्षा को सत्यापन के लिए डेटा नमूने उपलब्ध करा कर सरकारी कार्यालयों की लेखापरीक्षा को सुगम बनाना था। चूंकि मॉड्यूल विकसित नहीं किया गया इसलिए डेटा नमूनों के माध्यम से लेखापरीक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं की जा सकी।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में बताया गया कि मास्टर टेबल एकल है परंतु सभी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वेतन पर प्रकिया न करने के कारण विभिन्न मॉड्यूल के मास्टर डेटा में अंतर आया।

2.3 परियोजना कार्यान्वयन

परियोजना कार्यान्वयन, किसी परियोजना के प्रबंधन को इस प्रकार परिभाषित करता है कि यह सुनिश्चित किया जाए कि नियोजन चरण में निर्धारित उद्देश्य प्राप्त हों। विभाग को परियोजना को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित करना चाहिए ताकि अपेक्षित परिणाम सभी हितधारकों की संतुष्टि के अनुसार प्राप्त हो सकें। यह परिच्छेद निम्नलिखित मॉड्यूलों की अभ्युक्तियों को सम्मिलित करता है:

(i) ई-बजट (ii) ई-वितरण (iii) ई-सैलरी/ई-बिल (iv) ई-पेंशन (v) ई-चालान (vi) एचपी ओएलटीआईएस मॉड्यूल व (vii) ई-कोष; वर्ष 2017-22 की अवधि के डेटा का विश्लेषण (कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग द्वारा अगस्त 2022 तक उपलब्ध कराए गए) एवं क्षेत्रीय दौरे के दौरान नमूना डेटा के सत्यापन के आधार पर।

ई-बजट एवं ई-वितरण मॉड्यूल

ई-बजट मॉड्यूल का उपयोग राज्य बजट तैयार करने के लिए किया जाता है। सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदन के पश्चात् बजट के आंकड़े वित्त विभाग द्वारा ई-बजट मॉड्यूल में प्रविष्ट किए जाते हैं। इसके पश्चात् जब राज्य विधानसभा द्वारा बजट को मंजूरी दे दी जाती है तो ई-वितरण मॉड्यूल के माध्यम से विभागाध्यक्षों को बजट जारी कर दिया जाता है। ई-वितरण मॉड्यूल का उपयोग विभागाध्यक्ष अनुमोदित बजट को व्यय के मानक शीर्ष-वार उनके नियंत्रणाधीन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को वितरित करने के लिए करते हैं।

2.3.1 ई-बजट व ई-वितरण मॉड्यूल के मुद्दे

2.3.1.1 मुख्य व लघु शीर्षों की सूची की अनुपालना न होना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 3 (4) में निर्धारित है कि उप-नियम (3) के अंतर्गत जिस लेखा शीर्ष में धनराशि जमा की जाएगी तथा उसमें से धनराशि आहरित की जाएगी, वह संबंधित नियमों के प्रावधानों तथा/या ऐसे निर्धारित अन्य सामान्य या विशेष आदेशों द्वारा शासित होगी। इसके अतिरिक्त सरकारी लेखा नियम, 1990 के परिच्छेद 26 (डी)

में कहा गया है कि सरकारी लेखाओं में लेखा शीर्षों का विस्तृत वर्गीकरण तथा वह क्रम जिसमें मुख्य व लघु शीर्ष सभी लेखा अभिलेखों में दिखाई देंगे, वह इस प्रकार होगा जैसाकि भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक की सलाह पर समय-समय पर केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है। इस संबंध में निर्धारित वर्गीकरण संघ व राज्यों के लेखाओं के मुख्य व लघु शीर्षों की सूची में सम्मिलित है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-बजट मॉड्यूल पर मांग-वार बजट रिपोर्ट की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2020-21 के 32 अनुदानों में से दो अनुदान मांग (11 व 28) - लघु लेखा शीर्षों का नामकरण मुख्य व लघु शीर्षों की सूची से अलग था। वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य व लघु शीर्षों की सूची की तुलना में निम्नलिखित अनधिकृत लेखा शीर्षों का नामकरण शामिल किया गया, जैसाकि तालिका 2.6 में दिया गया है:

तालिका 2.6: अनधिकृत नामकरण का विवरण

क्र. सं.	अनुदान मांग	लेखा शीर्ष	ई-बजट में अनुमानों हेतु विवरण के अनुसार नामकरण	मुख्य व लघु शीर्षों की सूची के अनुसार नामकरण
1	11	2810-01-103	बायोमास	शहरी, औद्योगिक व वाणिज्यिक एप्लीकेशनों हेतु नवीकरणीय ऊर्जा।
2	28	2217-80-191	नगर निगम को सहायता	स्थानीय निकायों, निगमों, शहरी विकास प्राधिकरणों, नगर सुधार बोर्डों आदि को सहायता।

इसके अतिरिक्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-बजट मॉड्यूल पर मांग-वार बजट रिपोर्ट की संवीक्षा से उजागर हुआ कि ई-बजट मॉड्यूल में 32 अनुदान मांगों में से दो (अनुदान मांगों '25 सड़क व जल परिवहन' व '32-अनुसूचित जाति उप-योजना') में अनधिकृत उप-मुख्य लेखा शीर्ष संचालित किए गए। अनुदान मांग संख्या '32-अनुसूचित जाति उप-योजना' में मुख्य शीर्ष '5075-अन्य परिवहन सेवाओं पर पूंजीगत परिव्यय' के अंतर्गत अनधिकृत उप-मुख्य शीर्ष '00' संचालित किया गया, जबकि वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान मांग संख्या '25-सड़क एवं जल परिवहन' में मुख्य व लघु शीर्षों की सूची के अनुसार उसी मुख्य शीर्ष का संचालन किया गया। यह परिलक्षित करता है कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में दो अलग-अलग मुख्य डेटा फ़ाइलों का इस्तेमाल किया गया, जो मुख्य व लघु शीर्षों की सूची के संदर्भ में मान्य नहीं था।

अतः एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का मास्टर डेटा मुख्य व लघु शीर्षों की सूची अनुरूप नहीं था। जब लेखापरीक्षा द्वारा यह विभाग के संज्ञान में लाया गया तो इसमें सुधार कर दिया गया।

संयुक्त सचिव, वित्त विभाग (बजट) ने बताया (मई 2022) कि बजट तैयार करना एक लंबी व समय लेने वाली प्रक्रिया है और लेखापरीक्षा द्वारा बताई गई त्रुटियां टाइपिंग या अनजाने में हुई मानवीय त्रुटियां हैं, हालांकि इनमें सुधार कर लिया गया है। तथ्य यह है कि प्रणाली में यह

सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन होना चाहिए कि प्रणाली में लेखों के शीर्षों का विवरण मुख्य व लघु शीर्षों की सूची के अनुसार है।

सचिव ने अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.2 बजट प्रबंधन

2.3.2.1 अनुमोदित बजट से अधिक आवंटन

हिमाचल प्रदेश बजट नियम-पुस्तिका के परिच्छेद 2.5 में कहा गया है कि "विनियोजन विधेयक" से आशय विधायिका द्वारा अनुदान दिए जाने के पश्चात् प्रस्तुत किए गए उस विधेयक से है, जो राज्य की समेकित निधि से विधायिका द्वारा दिए गए अनुदानों तथा राज्य की समेकित निधि पर भारित व्यय को पूरा करने के लिए अपेक्षित समस्त धनराशि के विनियोजन का प्रावधान करता है (संविधान का अनुच्छेद 204)।

लेखापरीक्षा में ई-बजट मॉड्यूल में उपलब्ध बजट आंकड़ों की तुलना ई-वितरण मॉड्यूल से की गई तथा पाया कि विधायिका द्वारा पास बजट व वित्त विभाग द्वारा मुख्य नियंत्रण अधिकारी /विभागाध्यक्ष को आवंटित बजट में भिन्नता थी। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 32 अनुदान मांगों में से:

- तीन अनुदान मांगों में ₹ 41,416.19 लाख के अंतिम अनुमोदित बजट की तुलना में ₹ 1,051.21 लाख का अधिक आवंटन हुआ, जैसाकि तालिका 2.7 में विवर्णित है:

तालिका 2.7: स्वीकृत बजट से ऊपर व अधिक आवंटन का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	अनुदान का विवरण	ई-बजट में अनुमोदित					ई-वितरण के माध्यम से आवंटित कुल बजट	अधिक आवंटन
		मूल	अनुपूरक	पूनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	कुल		
04	सामान्य प्रशासन	266.29	4.63	0.00	-29.02	241.90	246.50	-4.60
24	मुद्रण व स्टेशनरी	30.93	0.00	0.00	-0.73	30.21	34.90	-4.69
30	विविध सामान्य सेवाएं	130.18	11.96	0.00	-0.09	142.05	143.27	-1.22
योग						414.16	424.67	-10.51

- शेष 29 अनुदान मांगों के लिए ई-बजट मॉड्यूल में अनुमोदित बजट ₹ 56,446.21 करोड़ था, जबकि ई-वितरण के माध्यम से आवंटित राशि ₹ 28,143.32 करोड़ थी, जो दर्शाता है कि बजट का आवंटन ₹ 28,302.89 करोड़ कम था। 32 अनुदान मांगों का विवरण परिशिष्ट 2.2 में विवर्णित है।

उपरोक्त उदाहरणों से स्पष्ट है कि ई-बजट/ई-वितरण मॉड्यूल राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के साथ समानता सुनिश्चित नहीं करता। निधियां विधायिका द्वारा पास बजट से अधिक आवंटित की गईं। इस प्रकार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पास वित्त विभाग द्वारा बजट आवंटन पर नियंत्रण सुनिश्चित करने के प्रावधान नहीं थे, जो राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के भीतर आवंटन को सीमित कर सकें। इसके साथ ही आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा विभागाध्यक्षों को बजट अनुमानों का हस्तांतरण डिजिटल रूप में नहीं था तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट अनुमानों का हस्तांतरण अभी भी मैनुअली हो रहा है। उपरोक्त बिंदु अप्रैल 2022 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

2.3.2.2 अतिरिक्त अनुपूरक बजट का आवंटन व अभ्यर्पित राशि

वित्त विभाग (बजट), हिमाचल प्रदेश ने अनुपूरक विनियोजन, पुनर्विनियोजन, आधिक्य व अभ्यर्पण प्रस्तुत करने के निर्देश जारी किए (जनवरी 2021) और कहा कि अनुपूरक विनियोजन का प्रस्ताव प्रस्तुत करने से पूर्व, संबंधित विभागाध्यक्ष को पुनर्विनियोजन के माध्यम से अतिरिक्त व्यय की पूर्ति करने के लिए बचत का पता लगाना चाहिए, जिसके लिए विभाग वित्त विभाग द्वारा निर्धारित प्रारूप (अगस्त 2020) में उचित कारणों के साथ एक प्रस्ताव प्रस्तुत करेगा।

लेखापरीक्षा में ई-कोष की रिपोर्टों की संवीक्षा की गई जिससे उजागर हुआ कि ई-बजट मॉड्यूल में व्यय के स्तर की निगरानी के लिए कोई प्रावधान नहीं था जिसके परिणामस्वरूप ई-बजट से ई-वितरण तक डेटा के एकतरफा हस्तांतरण के कारण ई-बजट अतिरिक्त अनुपूरक अनुदान की अनुमति देता है। चूंकि वित्त विभाग के पास अनुपूरक अनुदान की मांग करने वाले विभाग के व्यय विवरण को देखने का एक्सेस नहीं था, इसलिए वह संबंधित विभाग की वास्तविक आवश्यकता को सुनिश्चित नहीं कर सका, जिसके परिणामस्वरूप आवश्यकता की तुलना में बजट का अधिक आवंटन हुआ जिसके कारण वर्ष के अंत में बजट का अभ्यर्पण करना पड़ा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान 32 अनुदान मांगों में से 28 में व्यय आवंटित बजट से बहुत कम होने के बावजूद अनुपूरक अनुदान प्राप्त किए गए, जैसाकि **परिशिष्ट 2.3** में विवर्णित है। यह भी देखा गया कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के अंत में इन 28 अनुदान मांगों में से 25 अनुदान मांगों में बजट प्रावधान अभ्यर्पित कर दिए गए, जिससे अनुपूरक अनुदान प्राप्त करने की संपूर्ण प्रक्रिया अनावश्यक हो गई।

कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना से बजट प्रक्रियाओं को अधिक कुशल बनाने, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार करने एवं लेखाओं के वास्तविक समय मिलान को बढ़ावा देने की अपेक्षा की गई थी। हालांकि इसे प्राप्त नहीं किया जा सका क्योंकि डेटा प्रवाह केवल ई-बजट से ई-वितरण

और फिर ओएलटीआईएस की ओर होता है परन्तु वास्तविक समय में व्यय की उचित निगरानी सुनिश्चित करने के लिए सूचना का उल्टा प्रवाह उपलब्ध नहीं है।

उपरोक्त बिंदु अप्रैल 2022 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.2.3 जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत गैर-जनजातीय क्षेत्र हेतु अनुचित बजट प्रावधान

वार्षिक जनजातीय उप-योजना 2020-21 के मसौदे के परिच्छेद V (बजटीय व्यवस्था) में कहा गया है कि जनजातीय क्षेत्र उप-योजना हेतु एकल समेकित मांग प्रस्तुत की गई थी ताकि उप-योजना परिव्यय उप-योजना के बाहर अपयोजन न किया जा सके।

ई-कोष मॉड्यूल की 'राज्य स्तरीय व्यय सारांश रिपोर्ट' की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-बजट/ई-वितरण मॉड्यूल में जनजातीय क्षेत्र आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की अनुदान मांग संख्या '31-जनजातीय क्षेत्र विकास कार्यक्रम' के साथ कोई मिलान/प्रतिबंध नहीं था, जिसके कारण जनजातीय क्षेत्र उप-योजना की निधियों का अपयोजन हुआ। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की कार्यक्षमता को पर्याप्त रूप से अभिग्रहित नहीं किया तथा जनजातीय क्षेत्रों से संबंधित नहीं होने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भी जनजातीय क्षेत्र उप-योजना अनुदान मांग संख्या 31 के तहत व्यय के लिए निधियों के प्रवाह की अनुमति दी गई।

परिणामस्वरूप, वित्तीय वर्ष 2020-22 के दौरान निम्नलिखित मामलों में जनजातीय क्षेत्र उप-योजना अनुदान मांग से संपूर्ण निधियां जनजातीय क्षेत्रों से बाहर अपयोजित की गईं:

तालिका 2.8: जनजातीय क्षेत्र से बाहर अपयोजित निधियों का विवरण

(₹ लाख में)

व्यय के मानक शीर्ष	वर्षवार आवंटित एवं अपयोजित निधियां		कुल निधियां
	2020-21	2021-22	
कार्यालय व्यय	0.00	0.5	0.5
मशीनरी व उपकरण	310.04	497	807.04
सामग्री व आपूर्ति	245.62	254.16	499.78
प्रमुख कार्य	693.00	329.00	1022
सहायता-अनुदान (वेतन)	3,098.75	3,368.42	6,467.17
सहायता-अनुदान (अवेतन)	429.54	285.98	715.52
सहायता-अनुदान (पूंजीगत परिसंपत्तियां)	92.00	19.00	111
योग	4,868.95	4,754.06	9,623.01

₹ 9,623.01 लाख की उपरोक्त निधियां उन शैक्षणिक संस्थानों¹⁰ को अपयोजित की गई, जो जनजातीय क्षेत्र से बाहर थे।

उप सचिव, वित्त विभाग (बजट) ने तथ्यों की पुष्टि की (सितम्बर 2022) एवं बताया कि जनजातीय आबादी सम्पूर्ण राज्य में निवास करती है और इन योजनाओं से लाभान्वित भी हुई है; तथा सामान्य योजना एवं जनजातीय क्षेत्र योजना की विकास योजना के लिए निर्धारित प्रतिशत में बजट उपलब्ध कराया गया है। कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने भी इन तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) तथा बताया कि ई-बजट व ई-वितरण के मध्य अंतर आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को शामिल किए बिना विभागाध्यक्ष द्वारा बजट अभ्यर्पित करने के कारण था। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि जनजातीय क्षेत्र के बाहर निधियों का अंतरण नियमों के अनुसार नहीं था और प्रणाली यह सुनिश्चित करने में असफल रही कि व्यय जनजातीय क्षेत्रों के आहरण एवं संवितरण अधिकारियों तक ही सीमित रहे, अतः जनजातीय क्षेत्र उप-योजना के बाहर बजट के अंतरण को ट्रैक नहीं किया जा सका। इसके अतिरिक्त जनजातीय क्षेत्र के लिए एकल अनुदान बनाने का मूल उद्देश्य भी बाधित हुआ।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.2.4 बिना बजट के तैयार किए गए एवं अगले वित्तीय वर्ष में पास किए गए बिल

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 14 में कहा गया है कि नियंत्रण अधिकारी उसके प्रभार में रखी गई निधियों के संबंध में यह सुनिश्चित करने के लिए उत्तरदायी है कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो। इसके अतिरिक्त सरकारी लेखा नियमावली, 1990 के नियम 20 में कहा गया है कि केन्द्र, राज्य व केंद्र शासित प्रदेश सरकारों के वार्षिक लेखाओं में 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलने वाले वित्तीय वर्ष के दौरान होने वाले लेन-देन को दर्ज किया जाएगा।

फ्रंट-एंड स्क्रीन व डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि वेतन/पेंशन एवं उनसे संबंधित लाभों से संबंधित बिल बजट प्रावधानों के बिना तैयार किए जा सकते हैं। तथापि अन्य श्रेणियों के बिल भी बिना बजट प्रावधान के तैयार किए गए तथा अगले वित्तीय वर्ष में पास किए गए, जैसाकि तालिका 2.9 में विवर्णित है:

¹⁰ व्यय के मानक शीर्ष मशीनरी व उपकरण के तहत डॉ. राजेंद्र प्रसाद मेडिकल कॉलेज, टांडा, कांगड़ा (₹ 305.00 लाख), इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज, शिमला (₹ 158.00 लाख), मेडिकल कॉलेज नाहन (₹ 60.00 लाख) आदि। व्यय के मानक शीर्ष सहायता-अनुदान (वेतन) के तहत हिमाचल प्रदेश कृषि विद्यालय अनुसंधान और शिक्षा (₹ 2,079.00 लाख), डॉ. यशवंत सिंह परमार बागवानी विश्वविद्यालय, नौणी, सिरमौर (₹ 1,999.20 लाख), व हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय, शिमला (₹ 2,173.50 लाख), आदि।

तालिका 2.9: चालू वित्तीय वर्ष में तैयार किए गए एवं अगले वित्तीय वर्ष में पास बिलों का विवरण

व्यय का मानक शीर्ष कोड	व्यय के मानक शीर्ष कोड का विवरण	तैयार किए गए बिलों की संख्या (वित्तीय वर्ष-वार)					सकल योग
		2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	
0	नामकरण आवंटित नहीं किया गया	380	150	163	79	134	906
3	यात्रा व्यय	3	0	0	0	0	3
5	कार्यालय व्यय	5	0	0	0	0	5
6	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	2	0	0	0	0	2
20	अन्य शुल्क	3	1	0	0	0	4
25	प्रतिदाय	232	12	14	3	18	279
41	सहायता-अनुदान (वेतन)	9	0	0	0	0	9
47	अग्रिम	6	0	0	0	0	6
64	स्थानांतरण खर्च	1	0	0	0	0	1
99	मानदेय	2	0	0	0	0	2
सकल योग		643	163	177	82	152	1,217

जैसाकि तालिका 2.9 से देखा जा सकता है, वर्ष 2017-22 के दौरान बजट प्रावधानों के बिना सभी श्रेणियों के ₹ 340.17 करोड़ राशि के 1,217 बिल तैयार किए गए जिन्हें प्रणाली द्वारा अनुमत किया गया तथा बाद के वर्षों में पास कर दिए गए।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी के लिए बिल तैयार करने व पास करने से पहले बजट उपलब्ध हो एवं उसी वित्तीय वर्ष के भीतर भुगतान सुनिश्चित किया जाए।

उपरोक्त बिंदु मार्च 2023 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.2.5 बजट एवं व्यय की निगरानी

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 39 में कहा गया है कि विभागाध्यक्ष या नियंत्रण अधिकारी प्रत्येक माह बचत या आधिक्य की संभावना का पूर्वानुमान करेंगे तथा इस नियमावली के नियम 41 में दिए गए निर्देशों के अनुसार उन्हें विनियमित करेंगे।

ई-कोष में उपलब्ध रिपोर्टों व 'राज्य स्तरीय सारांशित प्रश्न [आवंटन व व्यय]' टैब के तहत उपलब्ध 'विभागाध्यक्ष वार सारांश' विकल्प (स्क्रीनशॉट 2.1) के विश्लेषण से ये उजागर हुआ कि वर्ष 2021-22 के लिए 24/03/2022 तक नौ विभागाध्यक्षों ने 50 प्रतिशत तक, नौ अन्य विभागाध्यक्षों ने 51 से 70 प्रतिशत के मध्य तक व 44 अन्य ने कुल आवंटन का 71 से 90 प्रतिशत के मध्य उपयोग किया, जो दर्शाता है कि बजट आवश्यकता से अधिक आवंटित किया गया तथा वित्तीय वर्ष के अंतिम सप्ताह में व्यय का तीव्र प्रवाह हुआ। एकीकृत वित्तीय

प्रबंधन प्रणाली के ई-बजट मॉड्यूल में आवंटित बजट के प्रति व्यय की निगरानी के लिए नियंत्रण नहीं थे क्योंकि प्रत्येक योजना के तहत हुए व्यय का वास्तविक समय में डेटा उपलब्ध नहीं था। इसलिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली व्यय की निगरानी नहीं कर सका, जो बजट के व्यपगत होने/अभ्यर्पण या वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय के तीव्र प्रवाह के रूप में परिणत हुआ। यदि व्यय पर नियंत्रण के लिए प्रावधान होते तो अव्ययित निधियों का उपयोग अन्य परियोजनाओं में किया जा सकता था।

स्क्रीनशॉट 2.1: वित्तीय वर्ष 2021-22 के अंतिम सप्ताह में शेष बजट का विवरण



IFMS-Integrated Financial Management System
हिमकोष Treasuries, Accounts And Lotteries
 Department of Finance, Himachal Pradesh



State Level Summarized Queries [Allocation and Expenditure]

From Date*	01/04/2021	Select Date from which data is required. Both Dates should be of same FY Year.
To Date*	23/03/2022	Select Date upto which data is required. Both Dates should be of same FY Year.
Select Report Data as per*	HOD Wise Summary	Select to get data as per selected parameters.
Demand (optional)	XX - Demand	Enter demand for data regarding a specific demand or leave empty for all demands.
HOD (optional)	XXX - HOD Code	Enter HOD Code for data regarding a specific HOD or leave empty for all HODs.
Majcd-SmjCd-MinCd (optional)	XXXX-Ma XX-SmjCd XXX-MinCd	Enter Maj-Smj-Min if data required for a specific head or leave empty for all heads.
Select Unit*	<input checked="" type="radio"/> Rupees <input type="radio"/> Thousand <input type="radio"/> Lakh	

View Data
Reset Selection
Print

STATE LEVEL EXPENDITURE SUMMARY REPORT FROM [01/04/2021 TO 23/03/2022]

As Per Selected Query HOD Wise Summary [in Rupees]

HODCD	Budget Allocation (A)	Exp UpTo 31/03/2021 (B)	Exp During 01/04/2021 TO 23/03/2022 (C)	Total Expenditure (D=B+C)	Balance (A-D)	% Exp of Budget
Grand Total	517619237701.00	0.00	322189174032.00	322189174032.00	195430063669.00	62.24
100-CHIEF SECRETARY, H.P.GOV.T.	1576091529.00	0.00	1309968342.00	1309968342.00	266123187.00	83.11
101-FINANCIAL COMMISSIONER.CUM-SECY, REVENUE	11200571950.00	0.00	8082346616.00	8082346616.00	3118225334.00	72.16
103-SECRETARY, FINANCE	157027414573.00	0.00	69102918135.00	69102918135.00	87924496438.00	44.01
104-SECRETARY, GENERAL ADMINISTRATION DEPTT.	586413868.00	0.00	335310137.00	335310137.00	251103731.00	57.18
107-ADVISOR, PLANNING	4945028000.00	0.00	3183085729.00	3183085729.00	1761942271.00	64.37
108-SECRETARY, SCIENCE & TECHNOLOGY	10331000.00	0.00	169952.00	169952.00	10161048.00	1.65

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) एवं बताया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, आहरण एवं संवितरण अधिकारी/विभागाध्यक्ष के लंबित मामलों का पूर्वानुमान या अनुमान नहीं लगा सकती।

तथ्य यह है कि विभागाध्यक्षों के लिए बजट व व्यय के आंकड़े ई-कोष मॉड्यूल के साथ-साथ ई-वितरण मॉड्यूल में भी उपलब्ध हैं तथा विभागाध्यक्षों/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को भारी बचत/व्यय के बारे में सतर्क करने के लिए प्रणाली में प्रावधान शामिल किए जाने चाहिए थे। यदि वित्तीय वर्ष के अंत तक पर्याप्त राशि खर्च नहीं की गई हो तो बजट को व्यपगत होने से बचाने के लिए प्रणाली को वित्त विभाग को विभाग से बजट वापस लेने में सक्षम बनाना चाहिए था।

2.3.2.6 बजट प्रावधान के सापेक्ष व्यय पर नियंत्रण

2.3.2.6 (क) अनुदान मांग के राजस्व/पूँजीगत भाग में बजट से आधिक्य

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 37 में कहा गया है कि प्रशासनिक विभाग उसके प्रभार में रखे गए स्वीकृत अनुदानों व विनियोजनों के सापेक्ष व्यय के नियंत्रण के लिए जिम्मेदार होंगे। यह नियंत्रण विभागाध्यक्षों व यदि कोई अन्य मुख्य नियंत्रण अधिकारी हो, तथा उनके अधीनस्थ आहरण एवं संवितरण अधिकारी के माध्यम से किया जाएगा।



ई-बजट (हिमकोष) के आंकड़ों के विश्लेषण से यह पाया गया कि 32 अनुदान मांगों में से पांच अनुदान मांगें बजट प्रावधानों (आवंटन) से अधिक थीं। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान व्यय आधिक्य कुल उपलब्ध बजट का 0.78 प्रतिशत से 15.43 प्रतिशत तक रहा। अनुदान मांग संख्या '13-सिंचाई, जलापूर्ति एवं स्वच्छता' के अंतर्गत ₹ 353.65 करोड़ (राजस्व व्यय) का सर्वाधिक व्यय आधिक्य पाया गया। बजट प्रावधानों से व्यय आधिक्य का अनुदान-वार विवरण तालिका 2.10 में दिया गया है:

तालिका 2.10: अनुदान मांग के राजस्व/पूँजीगत भागों में बजट से व्यय आधिक्य का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान सं.	राजस्व/पूँजीगत	मूल बजट	अनुपूरक बजट	अभ्यर्पण	कुल बजट	व्यय	भिन्नता (आधिक्य)	प्रतिशत में भिन्नता
10	राजस्व	1,208.50	225.53	0.00	1,434.03	1,496.13	62.10	4.33
13	राजस्व	2,774.82	0.09	483.65	2,291.26	2,644.91	353.65	15.43
25	पूँजीगत	102.67	45.84	0.00	148.51	154.62	6.11	4.11
28	राजस्व	655.66	78.46	0.00	734.11	754.51	20.40	2.78
29	राजस्व	7,382.45	0.00	1,250.46	6,131.99	6,179.79	47.80	0.78
	योग	12,124.10	349.92	1,734.11	10,739.90	11,229.96	490.06	4.56

उपरोक्त जानकारी के विश्लेषण से पता चला कि सॉफ्टवेयर ने बजट से अधिक या बजट आवंटन के बिना भी बिल पास करने की अनुमति दे दी। इसके अतिरिक्त ई-कोष व महालेखाकार वीएलसी में उपलब्ध डेटा से उजागर हुआ कि वस्तु शीर्ष '01-वेतन', '06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति' व '20-अन्य प्रभार' के संबंध में बजट आवंटन से अधिक या आवंटन के बिना बिल पास किए गए।

इस प्रकार विभिन्न स्तरों पर आवंटित बजट के भीतर व्यय को सीमित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सत्यापन जांच के न होने के कारण प्रणाली द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बजट प्रावधानों के प्रति, यहां तक कि शून्य बजट प्रावधानों के प्रति

भी अधिक राशि आहरित करने की अनुमति दी गई। विभागाध्यक्ष व अन्य मुख्य नियंत्रण अधिकारी एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में उनके प्रभार में रखे गए स्वीकृत अनुदानों व विनियोजनों के प्रति व्यय आधिक्य को नियंत्रित नहीं कर सकें।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) और बताया कि यदि बजट बिल की राशि से कम है तो आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार को बिल नहीं भेजे जा सकते हैं। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि सॉफ्टवेयर ने बजट से अधिक/बजट आवंटन के बिना ही बिल पास किए थे।

2.3.2.6 (ख) आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बजट प्रावधानों से व्यय आधिक्य

मिशन मोड प्रोजेक्ट की योजना के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 2.1 में कहा गया है कि कोषागार कम्प्यूटरीकरण परियोजना से बजट प्रक्रिया को और अधिक कुशल बनाने, नकदी प्रवाह प्रबंधन में सुधार लाने, लेखाओं के वास्तविक समय मिलान को बढ़ावा देने, प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने, लेखाओं की तैयारी में सटीकता व समयबद्धता में सुधार करने, सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में पारदर्शिता व दक्षता लाने, बेहतर वित्तीय प्रबंधन के साथ-साथ राज्यों में शासन की गुणवत्ता में सुधार की अपेक्षा की गई है।

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 14 में कहा गया है कि मुख्य नियंत्रण अधिकारी यह सुनिश्चित करेगा कि व्यय बजट आवंटन से अधिक न हो।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में बजट आवंटन से व्यय आधिक्य को नियंत्रित करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण बजट से अधिक बिल पास हो सकते हैं।

वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों-वार आवंटन व व्यय का लेखापरीक्षा विश्लेषण, जो ई-कोष में 'महालेखाकार (लेखापरीक्षा) के लिए' टैब के तहत लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराया गया, से पता चला कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने आवंटित बजट से अधिक व्यय की बुकिंग की अनुमति दी। निम्नलिखित बिंदु देखे गए:

- वर्ष 2020-21 के दौरान ऐसे 295 मामले पाए गए जिनमें आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने व्यय के मानक शीर्ष 01-वेतन, 06-चिकित्सा प्रतिपूर्ति, व 20-अन्य प्रभार के तहत आवंटित बजट से ₹ 1904.22 लाख का व्यय के मानक शीर्ष वार व्यय आधिक्य किया जो प्रणाली में नियंत्रण के विफलता को परिलक्षित करता है।
- इसके अतिरिक्त 115 मामलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने बजट से ₹ 89.32 लाख (86.78 प्रतिशत) तक का व्यय आधिक्य किया।
- ओएलटीआईएस ने बजट प्रावधानों के बिना वेतन बिल पास करने की अनुमति दी।

यह इस तथ्य का परिचायक था कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में व्यय को आवंटित बजट तक सीमित रखने के लिए पर्याप्त जांच नहीं थी या प्रणाली को इतना लचीला बनाया गया था कि वह बजटीय प्रावधानों की परवाह किए बिना बिल पास कर देता था।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) एवं बताया कि व्यय आधिक्य विभागाध्यक्षों द्वारा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से सूचना प्राप्त किए बिना आवंटित बजट को अभ्यर्पित करने के कारण होता है। इसके अतिरिक्त वेतन व्यय के मानक शीर्ष को प्रतिबद्ध देयता माना गया, इसलिए वेतन में व्यय आधिक्य की अनुमति दी गई। ऐसे मामलों में जहां बिल लगाया गया हो परन्तु सम्बंधित शीर्ष के तहत बजट उपलब्ध नहीं हो, वहां बेहतर नियंत्रण और प्रबंधन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में ऐसे मामलों को चिह्नित करने की व्यवस्था होनी चाहिए।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.2.7 बजट प्रावधान के बिना व्यय

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 42 में कहा गया है कि, अनुपूरक अनुदान या यथास्थिति वित्त विभाग या योजना विभाग से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् के सिवाए किसी वित्तीय वर्ष के दौरान किसी नई सेवा या नई योजना पर कोई व्यय नहीं किया जाएगा, जिस पर उस वित्तीय वर्ष के वार्षिक बजट में विचार नहीं किया गया हो। इसके अतिरिक्त वित्त विभाग ने निर्देश जारी किया (अगस्त 2021) कि वार्षिक बजट में शामिल न की गई नई योजनाओं, नई सेवाओं व नई इकाइयों के लिए पुनर्विनियोजन की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि अनुपूरक अनुदानों में बजट प्रावधान नहीं किया जाता है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली रिपोर्टों की संवीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-बजट/ई-वितरण मॉड्यूलों में उपरोक्त प्रावधानों को शामिल नहीं किया गया था, जिसके कारण एक नई सेवा पर वह व्यय हुआ जिसकी संभावना नहीं थी या बजट के बिना व्यय किया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के ई-बजट, ई-वितरण व महालेखाकार (लेखा व हकदारी), हिमाचल प्रदेश के वीएलसी आंकड़ों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- प्रणाली ने विभागों को सात मामलों में नई सेवाओं/योजनाओं पर व्यय करने की अनुमति दी, जिन्हें विधायिका द्वारा अनुमोदित नहीं किया गया था, जैसाकि तालिका 2.11 में विवर्णित है:

तालिका 2.11: नई सेवाओं पर किए गए व्यय का विवरण

क्र. सं.	अनुदान कोड	मुख्य शीर्ष	उप-मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष	उप-शीर्ष	बजट शीर्ष	योजना प्रकार	उप-शीर्ष विवरण	व्यय (₹ लाख में)
1	8	2202	04	200	03	S10N	आयोजनागत स्कीम	पढना लिखना अभियान	17.39
2	13	2701	11	799	01	S00N	आयोजनागत स्कीम	स्टॉक	3.35
3	11	2401	00	800	14	S00N	आयोजनेतर स्कीम	फसल विभाग-जेआईसीए	33.63
4	14	2405	00	101	10	C53N	केंद्रीय योजना का अंश	प्रधानमंत्री मत्स्य सम्पदा	50.45
S13N						आयोजनागत स्कीम	12.61		
6	30	4220	60	101	02	S00N	आयोजनेतर स्कीम	प्रेस क्लब का निर्माण	5.00
7	31	2202	04	796	03	S10N	आयोजनागत स्कीम	पढना लिखना अभियान	2.69
योग									125.12

तालिका 2.11 से स्पष्ट है कि पुनर्विनियोजन आदेशों के माध्यम से बजट प्रावधानों के आवंटन के बाद नई योजनाओं/कार्यक्रमों पर ₹ 125.12 लाख का व्यय किया गया।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि बजट में किसी प्रावधान के बिना शीर्ष 'विशेष अर्थोपाय अग्रिम-आरबीआई' (6003-00-110-02-S00N) के तहत ₹ 45,282 लाख का व्यय किया गया।

- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान मांग संख्या 10, 11, 13, 21, 28, 31 व 32 में ₹ 197.93 लाख राशि का व्यय बजट प्रावधान के बिना किया गया।
- वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान अनुदान मांग संख्या 13 में शीर्ष 2701-11-799-01 (उप-शीर्ष विवरण- स्टॉक) के तहत ₹ 3,63,000/- का बजट प्रारंभ में आवंटित किया गया, और संपूर्ण राशि अभ्यर्पित कर दी गई थी। इसके बावजूद यह देखा गया कि उसी वर्ष ₹ 3,35,000/- का व्यय किया गया था।

इस प्रकार एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में जांच के अभाव के कारण विभाग विशिष्ट बजट प्रावधानों के बिना नई सेवाओं पर व्यय करने में सक्षम थे।

उपरोक्त बिंदु जून 2022 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.2.8 ई-बजट एवं ई-वितरण के बजट आवंटन में अंतर

भारत के संविधान के अनुच्छेद 204(3) में प्रावधान है कि अनुच्छेद 205 व 206 के प्रावधानों के अधीन राज्य की समेकित निधि से कोई धनराशि इस अनुच्छेद के प्रावधानों के अनुसार पारित कानून द्वारा किए गए विनियोजन के बिना नहीं निकाली जाएगी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के अध्याय-1 के परिच्छेद 5 में कहा गया है कि प्रत्येक विभाग को एक विशेष अनुदान आवंटित किया जाता है जिसके तहत सभी योजनाओं को लेनदेन के लिए वर्गीकृत किया गया है। वित्त विभाग विधायिका की सम्मति वाली अनुदान मांगों पर संख्या आवंटित करता है। यह दो-अंकीय संख्या लेखा प्रणाली में अनुदान मांग कोड के रूप में कार्य करती है। अनुदान मांगों का नियंत्रण प्रशासनिक विभाग/विभागाध्यक्ष द्वारा किया जाता है। विभागाध्यक्ष उस वित्तीय वर्ष में व्यय के लिए आवंटित बजट को केवल ई-वितरण के माध्यम से ही आहरण व संवितरण अधिकारियों को आवंटित करते हैं।

ई-बजट मॉड्यूल व ई-वितरण मॉड्यूल में दिखाई देने वाले आंकड़े एक समान होने चाहिए क्योंकि राज्य की समेकित निधि से धनराशि केवल विनियोजन बिल के माध्यम से ही आहरित की जा सकती है तथा वित्त विभाग द्वारा इससे अधिक बजट अनुमत करना अनियमित है।

क्षेत्रीय सत्यापन के दौरान यह पाया गया कि बजट प्रस्ताव वित्त विभाग द्वारा ई-बजट मॉड्यूल में प्रविष्ट किए जाते हैं, जिसे बाद में राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित किया जाता है। अनुमोदन के पश्चात् बजट के आंकड़े ई-बजट मॉड्यूल से ई-वितरण मॉड्यूल में सभी विभागाध्यक्षों को हस्तांतरित कर दिए जाते हैं। इसके पश्चात् विभागाध्यक्ष ई-वितरण के माध्यम से अलग अलग आहरण व संवितरण अधिकारियों को बजट आवंटित करते हैं। इसके अतिरिक्त विभागाध्यक्षों द्वारा आहरण व संवितरण अधिकारियों को किया गया बजट आवंटन ई-कोष¹¹ मॉड्यूल की विभिन्न रिपोर्टों में सार्वजनिक रूप से दिखाई देता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि जांच की कमी एवं एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-बजट व ई-वितरण मॉड्यूलों के मध्य समन्वय न होने कारण ई-बजट से अनुमोदित कुल निधियों व ई-वितरण के माध्यम से आवंटित कुल निधियों में अंतर था।

लेखापरीक्षा ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-बजट, ई-वितरण व ई-कोष मॉड्यूलों के 2020-21 के आंकड़ों का विश्लेषण किया और पाया कि ई-कोष रिपोर्ट के अनुसार ई-बजट के बजट आंकड़ों एवं ई-वितरण के बजट आवंटन आंकड़ों के मध्य 32 अनुदान मांगों में से सात अनुदान मांगों के संबंध में बजट प्रावधानों में अंतर था। विनियोजन अधिनियमों के माध्यम से विधायिका द्वारा अनुमोदित अंतिम बजट एवं वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश के

¹¹ सभी प्रकार की एमआईएस रिपोर्टें सार्वजनिक डोमेन में ई-कोष पर उपलब्ध हैं।

माननीय राज्यपाल के अनुमोदन से वित्त विभाग द्वारा जारी अभ्यर्पण/पुनर्विनियोजन की तुलना में ई-कोष/ई-वितरण बजट के आंकड़ों में 0.69 प्रतिशत से 7.71 प्रतिशत की वृद्धि का अंतर था। बजट में भिन्नताओं का विवरण तालिका 2.12 में दिया गया है:

तालिका 2.12: बजट में भिन्नता का विवरण

(₹ करोड़ में)

अनुदान मांग	ई-बजट से बजट के आंकड़े				ई-कोष रिपोर्ट के अनुसार ई-वितरण के बजट आवंटन के आंकड़े	ई-बजट व ई-वितरण आंकड़ों में अंतर	प्रतिशत अंतर (8)
	मूल बजट	अनुपूरक बजट	बजट का अभ्यर्पण	वित्तीय वर्ष के अंत में कुल बजट			
1	2	3	4	5= (2+3-4)	6	7= (5)-(6)	8
09	2,562.54	108.40	-111.43	2,559.51	2,643.50	-83.99	-3.28
10	4,961.35	243.58	-27.78	5,177.15	5,371.44	-194.29	-3.75
13	3,726.30	3.04	-483.65	3,245.69	3,312.40	-66.71	-2.06
25	418.67	304.60	0.00	723.27	730.44	-7.17	-0.99
28	830.16	93.99	0.00	924.15	995.39	-71.24	-7.71
31	1,939.84	6.19	-132.22	1,813.81	1,826.28	-12.47	-0.69
32	2,843.93	56.81	-36.64	2,864.10	2,919.80	-55.70	-1.94
योग	17,282.79	816.61	-791.72	17,307.68	17,799.25	-491.57	-2.84

तालिका 2.12 से स्पष्ट है कि ई-बजट मॉड्यूल के अनुसार उपर्युक्त सात अनुदानों का कुल बजट ₹ 17,307.68 करोड़ था। हालांकि ई-वितरण मॉड्यूल में आवंटित बजट ₹ 17,799.25 करोड़ था। अतः ऐसा प्रतीत होता है कि राज्य विधायिका द्वारा अनुमोदित बजट के अतिरिक्त ई-वितरण मॉड्यूल का उपयोग करते हुए ₹ 491.57 करोड़ (17,799.25-17,307.68) (2.84 प्रतिशत) की राशि आवंटित की गई।

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि विनियोजन अधिनियमों के अनुसार बजट आवंटन की निगरानी के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कोई प्रावधान नहीं था, क्योंकि एक ही लेखा शीर्ष के लिए दो मॉड्यूल के अलग-अलग आंकड़ों का डेटा विश्वसनीयता के मुद्दे उठाते हैं। अतः राज्य सरकार के लिए बजट तैयार करने, संप्रेषण एवं संशोधन सहित बजट प्रबंधन के लिए सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से बेहतर वित्तीय प्रबंधन प्राप्त नहीं किया जा सका।

विभाग ने बताया (जून 2022) कि कुल बजट के रूप में दिखाए गए आंकड़े (तालिका 2.12 में कॉलम 5) ई-बजट के नहीं हैं तथा ई-बजट व ई-कोष में कोई अंतर नहीं है, इसके अतिरिक्त स्वीकृत विनियोजन व ई-बजट में दिखाई देने वाले आंकड़े दो अलग-अलग बातें हैं तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-बजट में दिखाए गए आंकड़ों में अनुदान व अतिरिक्त अनुदान सम्मिलित हैं जो वित्त विभाग द्वारा अनुमत किए गए स्वीकृत बजट के अतिरिक्त हैं।

कॉलम 5 में दर्शाए आंकड़ों से सम्बंधित विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि वित्तीय वर्ष के दौरान उपलब्ध कुल बजट में मूल (सामान्य बजट) व अनुपूरक बजट के आंकड़े शामिल हैं, जो ई-बजट में उपलब्ध थे; और हिमाचल प्रदेश के माननीय राज्यपाल के अनुमोदन से वित्त विभाग द्वारा जारी किए गए अभ्यर्पण आदेश भी शामिल हैं।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.2.9 ई-बजट व ई-वितरण के डेटा संबंधी मुद्दे

2.3.2.9 (क) बजट मॉड्यूल में अनुरक्षित लॉग तालिका में गलत डेटा

ई-बजट मॉड्यूल में लेखापरीक्षा ट्रेल तालिका के विश्लेषण से निम्नलिखित विसंगतियां सामने आईं:

1. 7,093 प्रविष्टियों में से 944 प्रविष्टियों में लॉग आउट तिथि गलत तरीके से '01.01.1900' दर्ज की गई।
2. 6,149 मामलों में लॉग आउट तिथि तालिका के कॉलम 'लॉग ओ' में 'शून्य' के रूप में दर्ज की गई।
3. 50 प्रविष्टियों में आईपी एड्रेस तालिका के 'आईपीएड्रेस' कॉलम में '::1' के रूप में दर्ज किया गया।

स्क्रीनशॉट 2.2: ई-बजट मॉड्यूल में लेखापरीक्षा ट्रेल तालिका के मुद्दे

SNo	UserCd	IPAddress	LogI	LogO	Attempts	LogInFlag	UnLockTime	LockStatu	UnLockedt
917	10307	::1	20-03-2013	01-01-1900	1	S	01-01-1900	U	
926	10307	::1	25-03-2013	01-01-1900	1	S	01-01-1900	U	
963	10307	::1	23-10-2021	NULL	1	S	NULL	U	
972	10307	::1	28-10-2021	NULL	1	S	NULL	U	
973	10307	::1	28-10-2021	NULL	1	S	NULL	U	
978	10307	::1	28-10-2021	NULL	1	S	NULL	U	
967	10307	::1	27-10-2021	NULL	1	S	NULL	U	
968	10307	::1	28-10-2021	NULL	1	S	NULL	U	
975	10307	::1	28-10-2021	NULL	1	S	NULL	U	

यह दर्शाता है कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने लॉग तालिकाओं में सटीक डेटा दर्ज नहीं किया। लॉग तालिका के 'एस नं', 'यूजरसीडी', 'आईपीएड्रेस', 'लॉगआई', 'लॉगओ', 'अटेम्प्ट्स', 'लॉगइनफ्लैग', 'अनलॉकटाइम' व 'अनलॉकडबाय' कॉलम में मान दर्ज किया गया, परन्तु लेखापरीक्षा में डेटा विश्लेषण के दौरान यह देखा गया कि अनधिकृत लेनदेन से संबंधित जानकारी, जैसे अधिकृत/अनधिकृत उपयोगकर्ताओं द्वारा प्रविष्टियों को जोड़ना, अपडेट करना

व हटाना दर्ज नहीं किया जा रहा था। सही लॉग फाइलों के अभाव में लेखापरीक्षा में यह पता नहीं चल सका कि क्या डेटा में कोई अनधिकृत परिवर्तन/संशोधन/एक्सेस था।

उपरोक्त बिंदु नवंबर 2022 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

2.3.3 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का ई-सैलरी एवं ई-बिल मॉड्यूल

2.3.3.1 ई-सैलरी/ई-बिल में इनपुट व एप्लीकेशन नियंत्रण के मुद्दे

ई-सैलरी मॉड्यूल के फ्रंट-एंड स्क्रीन के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि आवश्यक इनपुट नियंत्रण मौजूद नहीं थे, जिसके कारण डेटाबेस में गलत प्रविष्टियां होने की संभावना थी, जैसाकि अनुवर्ती परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

2.3.3.1 (क) बिलों की स्वीकृति

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 87 (ई) में प्रावधान है कि सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी/विशेष प्राधिकरण की आवश्यकता वाले बिलों के साथ उनकी विधिवत प्रमाणित प्रतियां संलग्न की जाएंगी। जिन बिलों के लिए पूर्व प्रतिहस्ताक्षर की आवश्यकता होती है, उन्हें बिना प्रतिहस्ताक्षर के प्रस्तुत किए जाने पर बिना भुगतान के वापस कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के अनुलग्नक-VI के परिच्छेद (क) 7 में निर्दिष्ट है कि हस्ताक्षर बिलों के मुद्रित व अन्य हस्तलिखित प्रमाणपत्रों के अंतर्गत किए जाने चाहिए तथा डिजिटल हस्ताक्षर की भी अनुमति होनी चाहिए।

- सामान्य भविष्य निधि के लिए स्वीकृति पत्र ई-बिल मॉड्यूल में कार्य सहायक द्वारा तैयार किए गए। हालांकि इन्हें स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा ई-बिल में अनुमोदित नहीं किया गया। स्वीकृति प्राधिकारी द्वारा केवल स्वीकृति की हार्ड कॉपी को ही अनुमोदित किया जा रहा था। ई-बिल मॉड्यूल पर डिजिटल रूप से सामान्य भविष्य निधि स्वीकृत करने का कोई प्रावधान नहीं था।
- सामान्य भविष्य निधि बिल तैयार करते समय, "द्वारा स्वीकृत" फील्ड को अनिवार्य फील्ड नहीं बनाया।
- जीपीएफ स्वीकृति बनाते समय "बिल ट्रेज़री"/"बिल डीडीओ" फील्ड के लिए कोई सत्यापन जांच उपलब्ध नहीं थी। उपयोगकर्ताओं द्वारा गलत ट्रेज़री/डीडीओ कोड जैसे "ABC00" दर्ज करने पर भी ई-बिल प्रणाली ने उसे स्वीकार कर लिया।
- अन्य बिलों से संबंधित स्वीकृतियों के लिए ई-बिल मॉड्यूल में स्वीकृति पत्र भी तैयार नहीं किए गए थे एवं उन्हें मैनुअल रूप से तैयार किया जा रहा है, जैसाकि परिच्छेद 2.2.3.4 (क) में चर्चा की गई है।

इस प्रकार स्वीकृतियों की अनुपलब्धता व जीपीएफ स्वीकृतियों के मामले में डिजिटल हस्ताक्षरित स्वीकृति के अभाव के कारण एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में किए गए व्यय का प्रमाणीकरण व उसका अस्वीकृत न किया जाना सुनिश्चित नहीं किया जा सकता है।

उपरोक्त बिंदु मार्च 2022 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.1 (ख) सामान्य भविष्य निधि के नियमों की अनुपालना न करना

- सामान्य भविष्य निधि नियम विशिष्ट विकल्प निर्धारित करते हैं जिसके तहत सामान्य भविष्य निधि से आहरण किया जा सकता है। हालांकि, सामान्य भविष्य निधि के लिए ई-बिल मॉड्यूल में 'आहरण के प्रकार' के अंतर्गत 'अन्य' का विकल्प मौजूद है। मॉड्यूल में 'अन्य' विकल्प को सामान्य भविष्य निधि नियमों में निर्दिष्ट विकल्पों तक परिभाषित/सीमित नहीं किया गया है। इसके परिणामस्वरूप नियमों का उल्लंघन हुआ, जैसाकि **परिच्छेद 2.3.3.1 (ग)** में चर्चा की गई है।
- सेवानिवृत्ति से तीन महीने पूर्व सामान्य भविष्य निधि के अंशदान की कटौती रोकने का प्रावधान ई-बिल में शामिल नहीं किया गया था। परिणामस्वरूप 8,994 कर्मचारियों (वित्तीय वर्ष 2017-18 से 2021-22) से जुड़े 15,698 जीपीएफ सब्सक्रिप्शन में सेवानिवृत्ति के तीन माह के भीतर सामान्य भविष्य निधि कटौती के मामले देखे गए।

इस प्रकार, ई-बिल मॉड्यूल में जीपीएफ नियम का कोडीफिकेशन न होने के कारण जीपीएफ आहरण, प्रतिधारण एवं जीपीएफ कटौती को रोकने के मामले में मानवीय हस्तक्षेप की आवश्यकता हुई तथा जिससे प्रणाली का पूर्ण स्वचालन बाधित हुआ।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.1 (ग) सामान्य भविष्य निधि आहरण को गलत तरीके से अंतिम भुगतान के रूप में दर्ज करना

सामान्य भविष्य निधि (केन्द्रीय सेवाएं) नियम, 1960 के नियम 34 (3) (iii) में कहा गया है कि लेखा अधिकारी खाता बही के सत्यापन के पश्चात् सेवानिवृत्ति की तिथि से कम से कम एक माह पूर्व सदस्य को भुगतान योग्य राशि के लिए प्राधिकार जारी करेगा परन्तु ये सेवानिवृत्ति की तिथि को देय होगा।

जीपीएफ के अंतिम भुगतान हेतु स्वीकृति महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा जारी की जाती है तथा विभाग द्वारा जीपीएफ अंतिम भुगतान बिल तैयार करने के लिए यह अनिवार्य है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में तालिका 'बिलपेडवाउचर' का विश्लेषण करने के पश्चात् पाया गया कि 'एफपी (अंतिम भुगतान)' के रूप में उल्लिखित 'सेक्शन_केटेगरी' कॉलम में जीपीएफ के आहरण के 426 मामले थे। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 426 मामलों में से 314 मामलों में 'डीडीओजीपीएफसेक्शन' तालिका के 'परपसरुल' कॉलम में दर्ज नॉन रेफंडेबल एडवांस से संबंधित थे जबकि इन राशियों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में गलत तरीके से एफपी के रूप में दर्ज किया गया था। लेखापरीक्षा ने जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों से संबंधित महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालयों के आंकड़ों के साथ कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों का विश्लेषण किया व पाया कि विभाग द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में 426 मामलों में 'एफपी' (जीपीएफ अंतिम भुगतान-सेवानिवृत्ति के बाद किया गया), इस बात पर विचार किए बिना दर्ज किया गया कि अंतिम भुगतान का प्राधिकार लेखा व हकदारी कार्यालय द्वारा जारी किया गया था या नहीं। क्योंकि ये भुगतान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के डेटाबेस में एफपी के रूप में नहीं दर्शाए गए इसलिए लेखा व हकदारी कार्यालय द्वारा अधिकृत नहीं किए गए थे। चूंकि इस प्रणाली में पूर्वोक्त नियमों के अनुसार सेवानिवृत्ति अधिवर्षिता के समय एफपी के लिए महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा जारी प्राधिकार की आवश्यकता नहीं थी इसलिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटा की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों¹² में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 60 मामलों का नमूना चुना गया, सभी मामलों की जांच की गई, जिसमें पाया गया कि:

- 41 मामलों में सामान्य भविष्य निधि आहरण को सेवा के दौरान जीपीएफ आहरण के स्थान पर जीपीएफ के अंतिम भुगतान के रूप में बुक किया गया।
- 14 मामलों में सामान्य भविष्य निधि का अंतिम भुगतान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) प्राधिकरण के प्राधिकार से किया गया।
- पांच मामलों में डेटा नहीं मिला।

कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के साथ इंटरफेस विकसित नहीं किया जिससे जीपीएफ अंतिम भुगतान मामलों में ऑनलाइन अंतिम भुगतान प्राधिकार प्राप्त किए जा सकें और अंतिम भुगतान बिल महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा जारी किए बिना ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से गलत तरीके से निकाले गए।

¹² बिलासपुर, कुल्लू, शिमला व शिमला (राजधानी)।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (फरवरी 2023) कि ये सामान्य भविष्य निधि से ली गई अग्रिम राशि है न कि अंतिम आहरण। इसके अतिरिक्त यह प्रणाली महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा जारी प्राधिकार स्वीकृति संख्या दर्ज किए बिना अंतिम भुगतान की अनुमति देती है। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, शिमला राजधानी, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2025)। तथ्य यह है कि प्रणाली अंतिम भुगतान प्राधिकरण से पूछे बिना अंतिम भुगतान की अनुमति दे रही है।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.1 (घ) सामान्य मुद्दे

1. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने सामान्य अग्रिम बिल व सार आकस्मिक बिल को अलग-अलग नहीं किया, दोनों बिल एचपीटीआर-5 फॉर्म का उपयोग करके प्रणाली के माध्यम से बनाए जा सकते हैं और इसलिए वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व विस्तृत आकस्मिक बिल प्रस्तुत करना एवं 15 दिनों के भीतर अग्रिम का समायोजन सुनिश्चित नहीं किया जा सकता।
2. ई-बिल मॉड्यूल के मेनू में, “डीडीओ मेनू” → “अदर बिल क्रिएशन” सब-मेनू → “एचपीटीआर-5 (टीए/एमआर/अदर)” ऑप्शन → “नार्मल/एडवांस बिल” सब-ऑप्शन में, निम्नलिखित देखा गया:

स्क्रीनशॉट 2.3: ई-बिल मॉड्यूल में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए उपलब्ध मेनू विकल्प

- क) ई-बिल मॉड्यूल में स्थानांतरित कर्मचारी के संबंध में अंतिम वेतन प्रमाणपत्र (एलपीसी) के बिना वेतन (व्यय के मानक शीर्ष-01) बिल तैयार किए जा सकते हैं।
- ख) सरकारी कर्मचारियों (भुगतान प्राप्तकर्ता-कर्मचारी) के संबंध में सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिल तैयार किए जा सकते हैं।
- ग) पेंशन (व्यय के मानक शीर्ष -38), सामाजिक सुरक्षा पेंशन (व्यय के मानक शीर्ष -16) एवं वेतन (व्यय के मानक शीर्ष-01) के संबंध में पिछली तिथि के बिल बनाए जा सकते हैं और स्वीकृति संख्या/तिथि की आवश्यकता नहीं होती।
- घ) कर्मचारियों के संबंध में एक योजना के कर्मचारियों के वेतन (व्यय के मानक शीर्ष-01) बिल अन्य योजनाओं/शीर्षों से बनाए जा सकते हैं।
- ड) व्यय के मानक शीर्ष-00 (गैर बजटीय) का उपयोग करके बिल बनाए जा सकते हैं।
3. ई-बिल मेनू के अंतर्गत, “डीडीओ मेनू” → “रजिस्टर अदर पेयी” सब-मेनू में, मोबाइल नंबर/आधार नंबर/स्थायी खाता संख्या (पेन)/कर पहचान संख्या (टिन) अनिवार्य नहीं थे। ये विवरण वेतन, अन्य भुगतान, उपयोगकर्ता खातों तक एक्सेस, आदि पर प्रक्रिया करने के लिए अपेक्षित हैं।
4. बजट अभ्यर्पण करने के मामले में आयोजनागत/आयोजनेतर का चयन करने का विकल्प उपलब्ध था, यद्यपि सरकार द्वारा आयोजनागत/आयोजनेतर नामकरण को बंद कर दिया गया है।
5. ई-बिल मॉड्यूल में अग्रदाय¹³ समायोजन का कोई प्रावधान नहीं था।

अतः ई-बिलों में अंतिम वेतन प्रमाण-पत्र के बिना वेतन बिल बनाने, ई-बिल में मौजूदा कर्मचारी के लिए पेंशन बिल बनाने, मोबाइल नंबर, आधार, पेन, टिन का अनिवार्य प्रावधान न होने, बंद किए गए नामकरण उपलब्ध होने, आदि के संबंध में सत्यापन जांच के अभाव में अनधिकृत भुगतान के मामले उत्पन्न हुए, जैसाकि **परिच्छेद 2.3.4.5 (क)** में चर्चा की गई है।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

¹³ हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम-225 में निर्दिष्ट है कि दैनिक आकस्मिक एवं आकस्मिक व्यय को पूर्ण करने के लिए स्थायी अग्रिम या अग्रदाय राशि विभागाध्यक्ष द्वारा वित्त विभाग के परामर्श से सरकारी कर्मचारी को प्रदान की जा सकती है, जिसमें अग्रिम राशि को सुचारु रूप से कार्य करने के लिए आवश्यक न्यूनतम रखा जाता है।

2.3.3.1 (ड) ई-सैलरी से संबंधित मुद्दे

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-सैलरी मॉड्यूल का उपयोग वेतन बिल तैयार करने के लिए किया जाता है और यह सभी कर्मचारियों के बिल तैयार करता है। वेतन से संबंधित सभी मासिक परिवर्तन संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अपडेट किए जाते हैं और एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय अर्थात् कोषागारों में सत्यापन के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं। सत्यापन के पश्चात् एकीकृत वेतन एवं लेखा कार्यालय कोषागार बैंकों के लिए इलेक्ट्रॉनिक क्लियरेंस सर्विस फाइल उत्पन्न करता है ताकि वेतन सीधे कर्मचारी के खाते में जमा किया जा सके।

- ई-सैलरी में कर्मचारियों का विवरण दर्ज करते समय प्रणाली में पारिवारिक विवरण दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था।
- कर्मचारी विवरण में पेन फील्ड को अनिवार्य फील्ड के रूप में नहीं रखा गया जिसके कारण तिमाही आयकर रिटर्न उत्पन्न करने में विफलता को नियंत्रण नहीं किया जा सकता।
- ई-बिल में अग्रिम वेतन भुगतान के संबंध में बिल बनाने का कोई प्रावधान नहीं था, जो जनजातीय क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के लिए आवश्यक है। ऐसे बिल मैनुअली बनाएं एवं प्रक्रिया किए जाते थे।

बिल पास करना:

- ई-बिल में उत्पन्न बिलों को ओएलटीआईएस (कोषागार) को भेजने से पहले डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित नहीं किया गया था तथा यह काम मैनुअल रूप से किया गया था।
- "डीडीओ बिल रजिस्टर" में, आपतियां लगाए गए बिलों की सूची एवं "बिल पास्ड बाय" फील्ड/कॉलम भरी गई थी। यह पता नहीं चल सका कि आपतियों का समाधान किया गया या नहीं तथा वही बिल अभी भी आपतियों वाली सूची में दिख रहे थे।
- "डीडीओ बिल रजिस्टर" में सभी प्रकार के बिलों की सूची में ऐसे बिल भी थे जो उत्पादित किए गए परंतु न तो ये पास किए गए एवं न ही उन पर आपति की गई (ना कोई आपति लिखी गई, ना पास करने की तिथि या पास करने वाले का नाम)।

इस प्रकार, मास्टर तालिकाओं में कर्मचारियों का अधूरा विवरण, ऐतिहासिक डेटा, डिजिटल हस्ताक्षरित बिल और वाउचर की अनुपस्थिति आदि के कारण प्रणाली को मानव हस्तक्षेप पर निर्भर रहना पड़ा, और परिणामस्वरूप अधिकांश गतिविधियां जैसे परिवार के विवरण का रिकॉर्ड रखना, जनजातीय क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों के अग्रिम वेतन बिलों की तैयारी, बिलों पर हस्ताक्षर आदि मैनुअल रूप से किए गए।


उपरोक्त बिंदु जून 2022 में विभाग को भेजे गए: उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.2 पास किए गए बिलों व संकलित बिलों के मध्य अंतर

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2017 के परिच्छेद 292 में कहा गया है कि बैंकों द्वारा दैनिक खाता कार्य दिवस के अंत में या अगले कार्य दिवस की सुबह तक प्रस्तुत किया जाएगा। बैंकों को विशेष रूप से माह के अंत में इसका पालन सुनिश्चित करना होगा। दैनिक खाता बैंकों या रिज़र्व बैंक ऑफ़ इंडिया द्वारा इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में भी प्रस्तुत किया जा सकता है। नियम 292 (बी) में आगे कहा गया है कि जब कैश बुक व सहायक रजिस्टर पोस्ट किए जाते हैं, तो वाउचर को उस रजिस्टर के अनुसार क्रमांकित व व्यवस्थित किया जाएगा जिसमें वे प्रविष्ट किए गए हैं। हालांकि ओएलटीआईएस में पोस्टिंग/संकलन बैंक के भुगतान स्कॉल में निहित वाउचरों की टोकन संख्या के आधार पर किया जाएगा।

चार्ट 2.9: बिल बनाने एवं उस पर प्रक्रिया करने की प्रक्रिया का विवरण



फ्रंट-एंड स्क्रीन एवं डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि कोषागार में ओएलटीआईएस के माध्यम से बिल भुगतान के प्राधिकार के लिए दो चरण किए जाने थे, अर्थात (i) बिल पास करना और (ii) भुगतान आदेश जारी करना। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 432 बिल पास किए गए, हालांकि संबंधित जिला कोषागार अधिकारी/ कोषागार अधिकारी द्वारा भुगतान आदेश जारी नहीं किए गए इसलिए ये बिल प्रणाली में संकलित नहीं हुए, जैसाकि तालिका 2.13 में विवर्णित है:

तालिका 2.13: प्रणाली में असंकलित वाउचरों का विवरण

वित्तीय वर्ष	उत्पन्न बिलों की संख्या	जारी टोकनों की संख्या	पास बिलों की संख्या	संकलित बिलों की संख्या	अंतर (असंकलित पास बिलों की संख्या)
2017-18	9,63,371	9,63,347	9,16,747	9,16,590	157
2018-19	9,38,147	9,38,133	8,97,516	8,97,420	96
2019-20	9,46,549	9,46,545	9,06,767	9,06,656	111
2020-21	8,54,857	8,54,856	8,19,824	8,19,787	37
2021-22	9,18,483	9,18,481	8,77,806	8,77,775	31
सकल योग	46,21,407	46,21,362	44,18,660	44,18,228	432

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि जब जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी बिल पास करते थे तो ओएलटीआईएस में आहरण एवं संवितरण अधिकारी के सापेक्ष दिखाया गया बजट कम हो जाता था परन्तु इन बिलों के संबंध में भुगतान आदेश संबंधित बैंक को भुगतान के लिए अग्रेषित नहीं किए गए। इसके परिणामस्वरूप पास किए गए बिलों व संकलित बिलों की संख्या में अंतर आया तथा व्यय की त्रुटिपूर्ण स्थिति सामने आई, जिसे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा इंगित नहीं किया गया।

उपरोक्त बिंदु मार्च 2023 में विभाग को भेजे गए: उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।


अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.3 ई-बिल/ई-सैलरी से संबंधित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के मुद्दे

2.3.3.3 (क) बिल प्रक्रिया में असंगत तिथियां

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 37.5 (ए) में कहा गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी निर्धारित प्रपत्र में एक बिल रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा तथा कोषागार अधिकारी को भुगतान के लिए प्रस्तुत सभी बिलों को रजिस्टर में दर्ज करेगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 108 में कहा गया है कि कोषागार में टोकन क्लर्क ओएलटीआईएस से टोकन नंबर उत्पन्न करेगा और बिल ट्रांजिट रजिस्टर पर हस्ताक्षर करेगा। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 25 में कहा गया है कि जिला कोषागार में सूचीबद्ध विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को सभी प्रकार के भुगतान जिला कोषागार अधिकारी व कोषागार अधिकारी द्वारा अधिकृत किए जाएंगे।

चार्ट 2.10: बिल प्रक्रिया में संलग्न विभिन्न तिथियों के मध्य संबंध



एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की जांच के दौरान लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-बिल मॉड्यूल में आहरण एवं संवितरण अधिकारी कार्यालय के बिल क्लर्क ने आहरण एवं संवितरण अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् बिल बनाने की प्रक्रिया प्रारम्भ कर दी व बिल की स्याही से हस्ताक्षरित मुद्रित प्रति संबंधित कोषागार को प्रस्तुत की गई। बिल की मुद्रित प्रतियां व ऑनलाइन बिल प्राप्त होने के पश्चात् कोषागार में टोकन क्लर्क ने टोकन नंबर उत्पन्न करके

बिलों की मैन्युअल रूप से जांच की और इसे भौतिक प्रति के साथ कोषागार अधिकारी को ऑनलाइन अग्रेषित कर दिया। इसके पश्चात् बिल को कोषागार अधिकारी द्वारा पास कर दिया गया तथा पास करने की तिथि को डेटाबेस में दर्ज कर दिया गया।

इस प्रकार घटनाओं के कालक्रमानुसार बिल की तिथि टोकन की तिथि से पूर्व होनी चाहिए व टोकन की तिथि पास करने की तिथि से पूर्व होनी चाहिए। परंतु वर्ष 2017-22 के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिलपेडवाउचर' तालिका के विश्लेषण से पता चला कि:

- **83 मामलों¹⁴** में टोकन तिथियां बिल तिथि से पूर्व की थीं, टोकन तिथियां बिल तिथि से एक से 171 दिन पूर्व दर्ज की गईं।
- **356 मामलों¹⁵** में पास करने की तिथि टोकन तिथि से पूर्व दर्ज की गई जो कि एक से 331 दिन तक की थी।
- **70 मामलों¹⁶** में पास करने की तिथि बिल तिथि से पूर्व दर्ज की गई व तिथियां एक से 171 दिन पूर्व की थीं, तथा
- एक मामले (बिलासपुर कोषागार) में पास करने की तिथि 01.01.1900 दर्ज की गई जिसे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में स्वीकार किया गया था।

इस प्रकार लेन-देन की सत्यता सुनिश्चित नहीं की जा सकी तथा अमान्य व गलत तिथि प्रविष्टियों को अस्वीकार करने के लिए सत्यापन जांच की कमी थी, जिससे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली विश्वसनीय प्रतीत नहीं होती।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों¹⁷ की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए चयनित 58 नमूनों का सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि 58 बिलों में से 56 बिलों¹⁸ पर ऑफलाइन पद्धति के माध्यम से तथा दो बिलों पर ऑनलाइन प्रक्रिया की गई थी। इन बिलों की तिथियां डेटा एंट्री ऑपरेटरों द्वारा बाद में दर्ज की गई थीं एवं इस प्रकार ये विसंगतियां डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण हो सकती हैं। ऑनलाइन बिल से संबंधित एक मामले में बिल पास करने की तिथि टोकन तिथि से पहले की थी। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन

¹⁴ बिलासपुर-आठ, चंबा-छह, राजधानी शिमला-एक, कुल्लू-दो, कांगड़ा-आठ, मंडी-चार, शिमला-40, सिरमौर-दो, सोलन-नौ, ऊना-तीन।

¹⁵ बिलासपुर-35, चंबा-57, हमीरपुर-दो, कुल्लू-दो, कांगड़ा-20, किन्नौर-एक, लाहौल स्पीति-एक, मंडी-12, शिमला-153, सिरमौर-19, सोलन-17, ऊना-37

¹⁶ बिलासपुर-सात, चंबा-चार, राजधानी शिमला-एक, हमीरपुर-एक, कुल्लू-दो, कांगड़ा-पांच, मंडी-एक, शिमला-38, सिरमौर-दो, सोलन-सात, ऊना-दो।

¹⁷ बिलासपुर, कुल्लू, शिमला व शिमला (राजधानी)।

¹⁸ प्रतिदाय बिल-10, साख पत्र बिल-36, अन्य बिल-10

प्रणाली में कोई सत्यापन जांच नहीं थी, इसलिए इसमें गैर-कालानुक्रमिक तिथि प्रविष्ट करने की अनुमति दी गई।

जिला कोषागार अधिकारी, चंबा (नवंबर 2022), शिमला (दिसंबर 2022), व शिमला राजधानी (फरवरी 2023) ने बताया कि जब ऑनलाइन बिल उत्पन्न होते हैं तो प्रणाली द्वारा बिल की तिथि स्वतः दर्ज की जाती है परंतु मैनुअल बिलों के मामले में, बिल की तिथि मैनुअल रूप से दर्ज की जाती है। जिला कोषागार अधिकारी, उन्ना ने बताया (जुलाई 2023) कि अनुलग्नक सत्यापित नहीं किया जा सका तथा त्रुटि तकनीकी खराबी के कारण हो सकती है। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, सोलन व सिरमौर के उत्तर अभी भी प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। उत्तर को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि लेनदेन की सत्यता सुनिश्चित नहीं की गई, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सत्यापन जांच का अभाव था एवं बिलों पर प्रक्रिया करने में तिथियों को कालानुक्रमिक क्रम में दर्ज नहीं किया गया। सत्यापन जांच के अभाव में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों की संभावना बढ़ जाती है व आईटी प्रणाली की सत्यनिष्ठा व विश्वसनीयता से समझौता होता है।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.3 (ख) कोषागार में बिलों पर प्रक्रिया करने में असामान्य विलम्ब

संयुक्त निदेशक, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने सभी जिला कोषागार अधिकारियों व कोषागार अधिकारियों को निर्देश दिया (जून 2000) कि वे कोषागार में टोकन नंबर के आवंटन की तिथि से तीन दिन के भीतर वेतन बिल व सात दिन के भीतर अन्य प्रकार के बिल पास करें। इसके अतिरिक्त न्यायालय के आदेश पर बिजली, पानी, टेलीफोन, साख पत्र व प्रतिदाय से संबंधित बिलों को उसी दिन या अगले दिन प्राथमिकता के आधार पर पास किया जाए।


फ्रंट-एंड स्क्रीन व डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिल बनाते समय एक बिल नंबर उत्पन्न होता है। इसी प्रकार, जब टोकन उत्पन्न किए जाते हैं और कोषागार में बिल पास किए जाते हैं, तो टोकन की तिथि व पास करने की तिथि बिल पर प्रक्रिया करने के विभिन्न चरणों में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिलपेडवाउचर' तालिका में दर्ज होती है।

डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि कोषागार में बिलों पर प्रक्रिया करने में असामान्य विलम्ब हुआ, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

वर्ष 2017-22 से संबंधित कोषागार की टोकन तिथि एवं पास करने की तिथि के मध्य 45,470 बिलों में 15 से 90 दिन, 1,405 बिलों में 91 से 180 दिन तथा 272 बिलों में 180 दिन से

अधिक का विलंब हुआ। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का एक प्राथमिक लक्ष्य तब विफल हो गया जब कोषागार में बिलों पर असामान्य विलम्ब से प्रक्रिया की गई।

चार्ट 2.11: कोषागार में विलंबित बिलों की संख्या का विवरण



लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 38 नमूना चयनित मामलों का सत्यापन किया गया, जिसमें एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में उपलब्ध वाउचर व डीडीओ बिल रजिस्टर/टोकन रजिस्टर के सत्यापन में 'टोकन डेट' से 'पास डेट' में प्रक्रिया करने में 15 दिनों से अधिक के विलंब पुष्टि हुई। बिलों की प्रक्रिया के संबंध में उपरोक्त अनुदेशों की कोई मैपिंग नहीं की गई।

इसके अतिरिक्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आहरण एवं संवितरण अधिकारी एवं कोषागारों के बीच बिलों के आवागमन का ट्रेल या लॉग रिकॉर्ड करने का कोई प्रावधान नहीं है, जिसके कारण बिलों के पास होने में विलम्ब के वास्तविक कारण का पता लगाना कठिन है। जिला कोषागार अधिकारी, शिमला (नवंबर 2022), शिमला राजधानी (फरवरी 2023) एवं जिला कोषागार अधिकारी, सिरमौर (फरवरी 2023) ने बताया कि जब भी बिल भौतिक रूप से प्रस्तुत किए जाते हैं, तो इन बिलों को टोकन नंबर व तिथियां दी जाती है। यदि ऐसा कोई बिल अपूर्ण है और किसी संहितागत औपचारिकताओं व सहायक दस्तावेजों की कमी के कारण पर आपत्ति लगती है, तो बिल आगामी आवश्यक कार्रवाई हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी को वापस लौटा दिया जाता है। इसलिए ऐसे आपत्ति लगाए गए बिलों को पुनः प्रस्तुत करने में विलम्ब विशेष रूप से आहरण एवं संवितरण अधिकारी की ओर से होता है। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, सोलन, मंडी व उना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे, क्योंकि कोषागार अधिकारियों द्वारा टोकन नंबर जारी करने की तिथि से तीन दिनों के भीतर वेतन बिल और सात दिनों के भीतर अन्य प्रकार के बिल, जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी से पास करने अपेक्षित थे।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.3 (ग) अनधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा बिल पास करना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 31(1) में कहा गया है कि कोषागार अधिकारी/अधीक्षक सामान्य रूप से उप-कोषागार के प्रभारी होंगे और जब भी वह दूर होते हैं, चाहे दौरे पर हों या अन्यत्र, अधीक्षक/वरिष्ठ सहायक उसी उप-कोषागार/जिला कोषागार के अधीक्षक या इस क्रम में कोई वरिष्ठ सहायक या जिला कोषाध्यक्ष, जैसा भी मामला हो, उप-कोषागार का प्रभार संभालेगा। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नियमावली के नियम 32 में कहा गया है कि उप-कोषागार में सूचीबद्ध विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कोषागार अधिकारी द्वारा सभी प्रकार के भुगतान अधिकृत किए जाएंगे। कोषागार अधिकारी की अनुपस्थिति में अधीक्षक या वरिष्ठ सहायक प्रभारी हो सकते हैं।

लेखापरीक्षा ने ई-सैलरी डेटाबेस की 'इएमपीमंथलीट्रांजिकशन', 'डेजीगनेशनमास्टर', व 'एम्पलॉयीमास्टर' तालिकाओं के साथ-साथ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिलपेड़वाउचर', 'एम्पलॉयीरोल' व 'ओटीआईएस_रोलमास्टर' तालिकाओं की जांच की और पाया कि अप्रैल 2017 व मार्च 2022 के मध्य 59,564 बिल उन अधिकारियों द्वारा पास किए गए, जो बिल पास करने के लिए अधिकृत नहीं थे।

डेटाबेस विश्लेषण के अनुसार अनधिकृत अधिकारियों द्वारा निम्नलिखित बिल पास किए गए:

तालिका 2.14: अनधिकृत अधिकारियों द्वारा पास बिलों का विवरण

अनधिकृत अधिकारियों द्वारा पास बिलों की संख्या						
वर्ष कोषागार	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	योग
चंबा	0	257	998	415	0	1,670
हमीरपुर	0	0	0	55	1,156	1,211
कुल्लू	1,101	1,187	1,441	1,415	913	6,057
कांगडा	731	1,052	3,410	1,987	1,553	8,733
लाहौल & स्पीति	0	1,845	1,289	221	0	3,355
मंडी	1,794	2,833	4,019	6,440	6,679	21,765
शिमला	565	369	1,421	3,112	949	6,416
सिरमौर	0	0	757	857	832	2,446
सोलन	1,016	648	1,991	1,934	2,322	7,911
योग	5,207	8,191	15,326	16,436	14,404	59,564

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार नौ जिला स्तरीय कोषागारों ने कोषागार प्रक्रियाओं का उल्लंघन करते हुए क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, जूनियर कार्यालय सहायक आदि जैसे अनधिकृत कर्मचारियों को बिल पास करने का कार्य सौंपा। इसके अतिरिक्त बिलों को पास करने के लिए अनधिकृत

भूमिका प्रदान करने से रोकने हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कोई सत्यापन जांच नहीं थी।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए चयनित 126¹⁹ नमूनों का सत्यापन किया गया तथा बिलों की जांच से उजागर हुआ कि:

- 125 बिल वेतन व ऑफलाइन बिलों से संबंधित हैं। इन बिलों को पास करने वाले अधिकारियों का विवरण कोषागार के फ्रंट-एंड पर दिखाई नहीं देता।
- एक बिल सामग्री एवं आपूर्ति से संबंधित है, जिसके एक अनधिकृत अधिकारी द्वारा पास किए जाने की पुष्टि हुई।

इसके अतिरिक्त यह भी पाया गया कि दो मामलों में बिलों को पास करने की भूमिका एक अनधिकृत अधिकारी के पास उपलब्ध थी।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि की (अक्टूबर 2022) एवं स्वीकार किया कि कर्मचारी आईडी (कोषागार को अग्रेषित) कोषागार के बिल पास करने में सक्षम नहीं थे। जिला कोषागार अधिकारी, सिरमौर ने भी तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (मार्च 2023) कि स्टाफ की कमी के कारण ये बिल इन कर्मचारी आईडी द्वारा पास किए गए थे। जिला कोषागार अधिकारी चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, सोलन व मंडी के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.3 (घ) वैधता तिथि की समाप्ति के पश्चात् आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा बिलों को प्राधिकृत/पास करना

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली वैधता की तिथि के साथ आहरण एवं संवितरण अधिकारी की भूमिकाएं नियत करने का प्रावधान प्रदान करता है।

फ्रंट-एंड स्क्रीन व डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी की वैधता सुनिश्चित करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की वैधता तिथि को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'डीडीओवेलिडिटीमास्टर' तालिका के 'डीडीओपावरवेलिड_अपटू' कॉलम में दर्ज किया गया। 'डीडीओवेलिडिटीमास्टर' तालिका के डेटा

¹⁹ चार कर्मचारियों द्वारा 126 बिल (वेतन बिल-104, साख पत्र बिल-1, सामग्री एवं आपूर्ति बिल-1, अन्य बिल-20) पास किए गए; दो उपयोगकर्ताओं के लिए पास करने की भूमिका की पुष्टि की गई परन्तु अन्य दो की भूमिका की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि वे संबंधित कोषागार में उपलब्ध नहीं थे।

की तुलना 'बिलपेडवाउचर्स' तालिका के डेटा से की गई, जिसमें पाया गया कि अप्रैल 2017 व मार्च 2022 के बीच 90 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा डीडीओ वैधता तिथि की समाप्ति के पश्चात् 10,938 बिल पास किए गए, जिनकी संख्या एक से लेकर 4,335 बिल तक थी।

डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बिल डीडीओ पावर वैधता तिथि के बाद पास किए गए, जैसाकि तालिका 2.15 में विवर्णित है।

तालिका 2.15: वैधता तिथि की समाप्ति के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पास बिलों का विवरण

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	डीडीओ वैधता तिथि की समाप्ति के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के संबंध में पास बिलों की संख्या	संलिप्त आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या*	राशि (₹ करोड़ में)
1.	2017-18	859	26	7.80
2.	2018-19	1,920	34	64.09
3.	2019-20	2,441	43	1,364.53
4.	2020-21	2,575	61	894.55
5.	2021-22	3,143	65	136.52
कुल		10,938		2,467.49

* इसमें संलिप्त कुल यूनिट डीडीओ की संख्या 90 है।

उपरोक्त आंकड़ों के अनुसार डीडीओ वैधता तिथि समाप्त होने के पश्चात् बिलों की संख्या एवं बिल पास करने वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की संख्या में वृद्धि पाई गई। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशनों में डीडीओ वैधता तिथि समाप्त हो जाने के बाद आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को बिल पास करने/प्राधिकरण देने से रोकने के लिए कोई जांच नहीं थी। साथ ही उपयोगकर्ता/सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन व सिस्टम डिज़ाइन डॉक्यूमेंट के अभाव में लेखापरीक्षा में यह पता नहीं लगाया जा सका कि क्या ऐसी जांच का प्रावधान किया गया था अथवा नहीं।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों²⁰ में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए चयनित 135 बिलों का सत्यापन किया गया, जिसमें 129 मामलों में यह पुष्टि की गई कि बिल डीडीओ वैधता तिथि की समाप्ति के बाद पास किए गए तथा शेष छह मामलों में डीडीओ पावर वैधता को अपडेट किया गया।

जिला कोषागार अधिकारी शिमला (फरवरी 2023) व सिरमौर (सितंबर 2023) ने बताया कि डीडीओ पावर निरंतर अवधि के लिए वैध है। जब आहरण एवं संवितरण अधिकारी बदलता है, तो नए आहरण एवं संवितरण अधिकारी का विवरण लिया जाता है और प्रणाली में हस्ताक्षर स्कैन किए जाते हैं। जिला कोषागार अधिकारी कुल्लू ने बताया (फरवरी 2023) कि डीडीओ

²⁰ चयनित कोषागार: जिला कोषागार अधिकारी शिमला, मुख्य कोषागार अधिकारी शिमला, जिला कोषागार अधिकारी कुल्लू, जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर।

पावर की वैधता तिथि समाप्त होने के बाद बिल पारित नहीं किए जा सकते और यह तकनीकी समस्या के कारण हो सकता है। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल एवं स्पीति, मंडी, सोलन तथा ऊना के जवाब प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। जिला कोषागार अधिकारियों के जवाब स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को वैधता तिथि समाप्त होने के बाद भुगतान की अनुमति नहीं देनी चाहिए और इसलिए आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की वैधता तिथि समाप्त होने के बाद पारित बिल अनियमित थे।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.3 (ड) बिलों पर ऑफ़लाइन प्रक्रिया

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 87(ए)(i) में कहा गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी ऑनलाइन बिल बनाने के लिए ई-बिल में ऑनलाइन एक्सेस का उपयोग करेंगे। ऑफ़लाइन बिल बनाने की प्रक्रिया केवल उन्हीं मर्दों तक सीमित होगी जो ई-बिल पर उपलब्ध नहीं हो तथा नियम 87(ए)(ii) में कहा गया है कि मॉड्यूल में बिल बनाने की सुविधा के एक्सेस हेतु आहरण एवं संवितरण अधिकारी अपने लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करेंगे।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिलपेडवाउचर' तालिका के डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि वर्ष 2017 से 2022 के दौरान ऑफ़लाइन रूप से पास किए गए बिलों की वर्ष-वार प्रतिशतता 3.06 से 4.12 प्रतिशत तक थी। हालांकि जिला कोषागार अधिकारी, शिमला में यह प्रतिशत 50.50 से 53.98 प्रतिशत (कुल स्वीकृत राशि का) था, जो दर्शाता है कि जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने लगभग आधी निधियां, बिलों पर ऑफ़लाइन पद्धति से प्रक्रिया कर के आहरित की थी।

डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि कोषागारों द्वारा ऑफ़लाइन पद्धति से बिल पास किए गए, जैसाकि तालिका 2.16 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.16: ऑफ़लाइन पद्धति से प्रक्रिया किए गए बिलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

वित्तीय वर्ष	वित्तीय वर्ष के दौरान पास कुल बिल		वित्तीय वर्ष के दौरान ऑफ़लाइन पास बिल		ऑफ़लाइन बिलों का प्रतिशत	
	कुल बिल	सकल राशि	कुल ऑफ़लाइन बिल	कुल सकल राशि	बिलों की संख्या	सकल राशि
2017-18	9,16,590	34,283	37,755	5,524	4.12	16.11
2018-19	8,97,420	37,992	36,606	5,708	4.08	15.02
2019-20	9,06,656	41,661	34,978	6,851	3.86	16.44
2020-21	8,19,787	42,898	27,158	6,621	3.31	15.43
2021-22	8,77,775	46,021	26,855	6,873	3.06	14.93
सकल योग	44,18,228	2,02,855.12	1,63,352	31,577	3.70	15.57

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि अप्रैल 2017 व मार्च 2022 के मध्य 13²¹ मुख्य शीर्षों से अंतर्ग्रस्त छः²² विस्तृत शीर्षों से संबंधित 1,63,352 बिल ऑफलाइन पद्धति से पास किए गए। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में आठ²³ मुख्य शीर्षों के लिए वाउचरों पर ऑनलाइन पद्धति से प्रक्रिया करने हेतु कोई प्रावधान नहीं थे। कोषागार में बिलों पर ऑफलाइन पद्धति से प्रक्रिया करना पूर्वोक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन था। ओएलटीआईएस बिल पर ऑनलाइन प्रक्रिया करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का एक अभिन्न अंग था, जिसे इसकी समस्याओं का समाधान करने एवं कार्यान्वित करने के लिए पर्याप्त समय देते हुए दिसंबर 2015 में लागू किया गया था।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए चयनित 257 नमूनों का सत्यापन किया गया तथा तथ्यों द्वारा पुष्टि हुई कि सभी बिलों पर ऑफलाइन पद्धति से प्रक्रिया की गई। लेखापरीक्षा में ओएलटीआईएस के माध्यम से इन बिलों को उत्पन्न करने का प्रयास किया परन्तु कोई बिल तैयार नहीं हो सका, जिससे यह निष्कर्ष निकला कि ये बिल ऑनलाइन नहीं बनाए गए थे।

जिला कोषागार अधिकारी, सिरमौर (अक्टूबर 2022), चंबा (नवंबर 2022), हमीरपुर (दिसंबर 2022), शिमला (जनवरी 2023), शिमला राजधानी (फरवरी 2023) व ऊना (अगस्त 2023) ने बताया कि मुख्य शीर्ष 8443, 8658, 8782, 8793 व व्यय के मानक शीर्ष 20, 25, 38 से संबंधित बिलों पर ऑनलाइन प्रक्रिया के लिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में कोई प्रावधान नहीं था। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी व सोलन के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

²¹ मुख्य शीर्ष: '2014-न्याय प्रशासन', '2030-स्टाम्प एवं पंजीकरण', '2039-राज्य आबकारी', '2040-राज्य आबकारी', '2049-ब्याज भुगतान', '2070-अन्य प्रशासनिक सेवाएं', '2071-पेंशन एवं अन्य सेवानिवृत्ति लाभ', '2075-विविध सामान्य सेवाएं', '2202-सामान्य शिक्षा', '6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण', '8009-राज्य भविष्य निधि', '8443-सिविल जमा' व '8793-अंतरराज्यीय उचंत लेखा'।

²² विस्तृत शीर्ष: 'अन्य प्रभार', 'ब्याज', 'प्रतिदाय', 'पेंशन', 'अग्रिम' व 'ऋण'।

²³ मुख्य शीर्ष: '6003-राज्य सरकार का आंतरिक ऋण', '8009-राज्य भविष्य निधि', '8443-सिविल जमा', '8448-स्थानीय निधियों की जमा राशि', '8449-अन्य जमा राशि', '8658-उचंत लेखा', '8782-नकद प्रेषण व एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच समायोजन', व '8793-अंतरराज्यीय उचंत लेखा'।

2.3.3.3 (च) कोषागार में एक ही उपयोगकर्ता द्वारा बिलों पर प्रक्रिया

मेकर-चेकर वित्तीय संगठनों की सूचना प्रणालियों में प्राधिकरण के केंद्रीय सिद्धांतों में से एक है। मेकर व चेकर के सिद्धांत का अर्थ है कि प्रत्येक लेनदेन को पूर्ण करने के लिए कम से कम दो व्यक्तियों की आवश्यकता होती है।

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 29 (2) में कहा गया है कि जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी औपचारिक आदेश जारी करके जिला कोषागार या कोषागार का कार्य सभी वरिष्ठ सहायकों व लिपिकों के मध्य वितरित करेंगे। अस्थायी वितरण को भी लिखित आदेश द्वारा औपचारिक रूप दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त नियम 33 (i) में कहा गया है कि कोषागार अधिकारी उप-कोषागारों में वेतन, पेंशन व अन्य भुगतान फाइलों को अधीक्षक/सहायक/क्लर्क द्वारा सत्यापन के बाद अधिकृत करता है।

डेटा के विश्लेषण से उजागर हुआ कि 106 कोषागारों व उप-कोषागारों में एक ही कोषागार कर्मचारी द्वारा 9,58,957 बिलों में टोकन नंबर आवंटन, संकलन, जांच व बिल पास करने का कार्य पूरा किया गया। लेखापरीक्षा ने बिलों पर प्रक्रिया करने एवं पास करने से संबंधित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिलपेडवाउचर्स' तालिका के डेटा की जांच की। डेटाबेस के विश्लेषण से पता चला कि बिल पर प्रक्रिया करने के सभी कार्य एक ही कर्मचारी द्वारा किए गए, जैसाकि तालिका 2.17 में विवर्णित है।

तालिका 2.17: एक ही कोषागार कर्मचारी द्वारा प्रक्रिया किए गए बिलों का विवरण

वर्ष कोषागार	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21	2021-22	कुल (प्रतिशत)
बिलासपुर	2,305	2,688	4,682	4,961	4,480	19,116 (1.99)
चंबा	6,422	6,328	7,084	5,825	5,975	31,634 (3.30)
हमीरपुर	12,662	16,000	14,626	14,149	13,560	70,997 (7.40)
कांगड़ा	33,777	38,305	36,197	33,646	29,173	1,71,098 (17.84)
किन्नौर	7,207	7,451	7,437	7,354	6,223	35,672 (3.72)
कुल्लू	8,855	10,615	12,368	10,181	10,532	52,551 (5.48)
लाहौल-स्पीति	3,133	3,166	3,593	3,680	3,478	17,050 (1.78)
मंडी	23,854	31,001	36,332	37,009	35,433	1,63,629 (17.06)
शिमला	31,881	35,173	32,705	27,939	25,837	1,53,535 (16.01)
शिमला राजधानी	3,130	5,514	1,820	1,134	24	11,622 (1.21)
सिरमौर	20,419	19,161	15,011	13,713	15,036	83,340 (8.69)
सोलन	13,051	14,100	12,743	11,965	11,814	63,673 (6.64)
ऊना	15,964	15,440	17,539	16,906	19,191	85,040 (8.87)
योग	1,82,660	2,04,942	2,02,137	1,88,462	1,80,756	9,58,957

कुल 446 उपयोगकर्ताओं/कर्मचारियों ने स्वतंत्र रूप से 9,58,957 बिलों पर प्रक्रिया की एवं इनको पास किया क्योंकि प्रत्येक कोषागार कार्यालय/उप-कोषागार कार्यालय में सभी बिलों के लिए कर्मचारी कोड (आईपी कोड) समान था। कोषागार में एक ही कर्मचारी द्वारा बिलों पर प्रक्रिया करना पूर्वोक्त नियमों का उल्लंघन था। ये मॉड्यूल 2007 में प्रस्तुत किए गए थे (ई-सैलरी मॉड्यूल) एवं एचपीओएलटीआईएस मॉड्यूल दिसंबर 2015 में प्रारम्भ किया गया था तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मेकर व चेकर के अनिवार्य उपयोग को संबोधित करने व शामिल करने के लिए पर्याप्त समय था।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 275 मामलों का नमूना चुना गया, जिसमें पाया गया कि:

- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के फ्रंट एंड में 'डीडीओ बिल रजिस्टर' व 'टोकन रजिस्टर' में 270 बिलों का विवरण उपलब्ध नहीं था, इसलिए इन बिलों पर हुई आधिकारिक प्रक्रिया का विवरण रिपोर्टों में उपलब्ध नहीं था, अतः सत्यापित नहीं किया जा सका।
 - उपरोक्त 270 मामलों में से 247 बिल वेतन से संबंधित थे और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने नियमों का उल्लंघन करते हुए इन बिलों पर प्रक्रिया करने के सभी कार्य, यथा टोकन नंबर, इन बिलों को कोषागार अधिकारी के अतिरिक्त किसी अन्य उपयोगकर्ता द्वारा पास करने की अनुमति दी।
 - शेष 23 बिलों को ऑफलाइन पद्धति से पास किया गया तथा मासिक लेखाओं के संकलन से पहले उन्हें ई-बिलों में दर्ज किया गया। इसके परिणामस्वरूप डेटाबेस में एक ही उपयोगकर्ता आईडी द्वारा बिलों पर प्रक्रिया एवं पास करना संभव हो पाया। इसके बाद मासिक लेखाओं को समेकित करते समय इन बिलों को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली द्वारा उत्पादित बिल सूची में जोड़ दिया गया।
- 275 बिलों में से पांच बिलों²⁴ में, एक बिल पर एक ही उपयोगकर्ता द्वारा प्रक्रिया कर पास किया गया एवं शेष चार मामलों में बिल पास करने वाले उपयोगकर्ता का विवरण डीडीओ बिल रजिस्टर में उपलब्ध था परन्तु बिल पर प्रक्रिया करने वाले उपयोगकर्ता का विवरण लेखापरीक्षा अवधि के दौरान 'टोकन रजिस्टर' के प्रारूप में परिवर्तन के कारण 'टोकन रजिस्टर' में उपलब्ध नहीं था।

²⁴ कार्यालय व्यय-दो, चिकित्सा प्रतिपूर्ति-एक, मानदेय-एक, मोटर वाहन बिल-एक।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला (अक्टूबर 2022), हमीरपुर (दिसंबर 2022), शिमला राजधानी (फरवरी 2023) एवं चंबा व सिरमौर (अप्रैल 2023) ने बताया कि ये बिल वेतन से संबंधित हैं। सभी वेतन बिल जिला कोषागार अधिकारियों द्वारा ई-सैलरी माँड्यूल पर ऑनलाइन प्रक्रिया के माध्यम से उनके संबंधित यूनिफ़ लॉगिन क्रेडेंशियल का उपयोग करके बनाए जाते हैं तथा जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा सत्यापित किए जाते हैं। ऐसे सभी बिलों की तैयारी, प्रक्रिया एवं सृजन ई-सैलरी एप्लीकेशन पर अलग-अलग किया जाता है तथा लेखा अनुभाग द्वारा एचपीओएलटीआईएस (ई-बिल्स) पर केवल संकलन किया जाता है। क्योंकि संबंधित कार्य सहायक द्वारा एचपीओएलटीआईएस (ई-बिल) पर केवल संकलन किया जाता है, इसलिए एचपीओएलटीआईएस में केवल एक यूजर आईडी की सूचना दी गई।

जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे, क्योंकि जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी व अधीक्षक और कुछ मामलों में वरिष्ठ सहायकों को बिल पास करने का अधिकार था। अनधिकृत अधिकारियों द्वारा बिल पास करना न केवल हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन है अपितु निधियों के अनधिकृत आहरण की भी आशंका भी उत्पन्न करता है। एक ही कर्मचारी द्वारा सभी कार्य निष्पादित करने से गबन का जोखिम भी उत्पन्न होता है, जैसाकि परिच्छेद 2.3.4.5 (क) में दर्शाया गया है।


अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.3 (छ) 'एम्पलॉयी_मास्टर' तालिका में जन्म तिथि एवं सेवानिवृत्ति की तिथियों के मध्य असंगतता

अधिसूचना (जुलाई 1998) के परिच्छेद 1(ए) में कहा गया है कि प्रत्येक सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन के अपराहन को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा जिसमें वह 58 वर्ष की आयु प्राप्त करता है। परिच्छेद (ई) में आगे कहा गया है कि 'श्रेणी-IV सेवा में कार्यरत कोई सरकारी कर्मचारी उस महीने के अंतिम दिन के अपराहन को सेवा से सेवानिवृत्त हो जाएगा, जिसमें वह 60 वर्ष की आयु प्राप्त करता है'। हिमाचल प्रदेश न्यायिक नियमावली, 2014 के नियम 14 में प्रावधान है कि सेवा के सदस्य की सेवानिवृत्ति अधिवर्षिता आयु 60 वर्ष होगी तथा संविधान (पंद्रहवां संशोधन) अधिनियम, 1963 की धारा 4 में संशोधन करके उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु को पहले के 60 वर्ष से बढ़ाकर 62 वर्ष कर दिया गया है।

ई-सैलरी डेटाबेस की 'एम्पलॉयी_मास्टर' तालिका के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 1,156 मामलों में सेवानिवृत्ति की आयु सेवा नियमों के अनुसार नहीं थी तथा उनकी सेवानिवृत्ति की आयु 58 से 80 वर्ष के मध्य तक थी, जैसाकि चार्ट 2.12 में विवर्णित है।

चार्ट 2.12: जन्म तिथि एवं सेवानिवृत्ति तिथि के मध्य असंगतता



यह प्रदर्शित करता है कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कर्मचारियों की अधिकतम सेवा अवधि पर सत्यापन नियंत्रण नहीं था और एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में जन्म तिथि व सेवानिवृत्ति तिथि के बीच की अवधि की जांच करने की कोई प्रणाली नहीं थी, जो अखिल भारतीय सेवा के कर्मचारियों, न्यायाधीशों और समूह-डी कर्मचारियों (60 वर्ष), उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों (62 वर्ष) और राज्य के मेडिकल कॉलेज संस्थानों के प्राचार्य व उप-प्राचार्य (65 वर्ष) के अतिरिक्त राज्य कर्मचारियों के सभी मामलों में 58 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सेवा नियमों के साथ नियमों को मैप किया जाना चाहिए ताकि सेवानिवृत्ति की आयु स्वतः दर्ज हो जाए और डेटा प्रविष्टि की आवश्यकता न हो। चूंकि सेवानिवृत्ति की आयु वाली फील्ड को एडिट किया जा सकता था, अतः यह गलत सेवानिवृत्ति की तिथि एवं एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर में सत्यापन नियंत्रण की विफलता के रूप में परिणत हो सकता है।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 100 मामलों का एक नमूना चुना गया, जिनमें से 99 मामलों का सत्यापन किया गया एवं उजागर हुआ कि:

- 40 मामलों में, कर्मचारी लेखापरीक्षा द्वारा मामलों के सत्यापन से पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके थे और इन मामलों का सत्यापन नहीं किया जा सका क्योंकि कोषागार में सेवानिवृत्त कर्मचारियों की जानकारी का एक्सेस नहीं था;

- 55 मामलों में जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारियों की सहायता से प्राप्त कर्मचारियों के विवरण के आधार पर अभ्युक्ति सही पाई गई;
- तीन मामलों में लेखापरीक्षा के निर्देश पर कोषागार द्वारा डेटा अपडेट किया गया; तथा
- एक मामले में कर्मचारी का विवरण संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अधीन नहीं पाए जाने के कारण अभ्युक्ति का सत्यापन नहीं किया जा सका।

शेष एक मामले का सत्यापन जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण नहीं हो पाया।

जिला कोषागार अधिकारी, कुल्लू ने बताया (दिसंबर 2022) कि क्योंकि कर्मचारी के सेवा अभिलेख आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर पर अनुरक्षित किए जाते हैं, इसलिए जन्म तिथि/सेवानिवृत्ति तिथि में कोई भी परिवर्तन व सुधार केवल आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अनुरोध पर ही किया जाता है। जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (फरवरी 2023) कि संशोधित सॉफ्टवेयर में सेवानिवृत्ति तिथि को जन्म तिथि से 58 वर्ष की आयु पर स्वतः निर्धारित किया जाता है। पूर्व संस्करण में यह निर्णय आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा मैन्युअल मामलों की तरह लिया जाता था। जिला कोषागार अधिकारी, हमीरपुर ने बताया (मार्च 2023) कि एसडीओ, सिविल नादौन के अंतर्गत दो मामलों में एक से चार माह तक अधिक भ्रुगतान किया गया, जिसकी बाद में वसूली की गई। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, शिमला राजधानी, चंबा, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। जिला कोषागार अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि कर्मचारी के मूल विवरण का सत्यापन एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली पर आहरण एवं संवितरण अधिकारी/कोषागार स्तर पर होना चाहिए।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.3 (ज) कार्यग्रहण तिथि की स्वीकृति व अनुमेय सीमा से परे सेवा जारी रखना

कार्मिक मामलों पर पुस्तिका खंड-1 (2021 संस्करण) के परिच्छेद 5.2 में कहा गया है कि आवश्यक योग्यता, कर्तव्यों व जिम्मेदारियों की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए भर्ती और पदोन्नति नियमों में विशिष्ट सेवाओं/पदों में प्रवेश के लिए न्यूनतम आयु सीमा निर्धारित की गई है। साथ ही इसमें यह भी कहा गया है कि अधिकांश सेवाओं/पदों पर भर्ती के लिए न्यूनतम मानक आयु सीमा क्रमशः 18 वर्ष है, हिमाचल प्रदेश प्रशासनिक सेवा एवं हिमाचल प्रदेश पुलिस सेवा में न्यूनतम आयु सीमा 21 वर्ष निर्धारित की गई है और हिमाचल प्रदेश न्यायिक सेवा के लिए न्यूनतम आयु सीमा 25 वर्ष है।

ई-सैलरी डेटाबेस की कर्मचारी मास्टर तालिका के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- 24 मामलों में कर्मचारियों की भर्ती 18 वर्ष की आयु प्राप्त करने से पहले की गई थी। सरकारी सेवा में शामिल होने के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु को मान्य करने के लिए 'एम्पलॉयी_मास्टर' तालिका में कोई सत्यापन जांच नहीं थी।
- सेवानिवृत्ति अधिवर्षिता तिथि की कोई जांच नहीं थी एवं विश्लेषण से उजागर हुआ कि 310 मामलों में कर्मचारियों ने 40 वर्षों से अधिक (अधिकतम अनुमत सेवा) 41 से 58 वर्ष तक अपनी सेवाएं दीं। इससे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में गलत आंकड़ों की उपस्थिति का पता चला।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 77 मामलों का नमूना चुना गया जिसमें पाया गया कि:

- दस मामले - कम उम्र की नियुक्ति पाई गई,
- पंद्रह मामले - सेवानिवृत्ति की आयु 58 वर्ष से अधिक थी,
- सात मामले - कोषागार ने लेखापरीक्षा के निर्देश पर कर्मचारियों का डेटा अपडेट किया,
- दो मामले - कर्मचारियों को पुनः नियुक्त किया गया,
- दो मामले - आहरण एवं संवितरण अधिकारी के अधीन कर्मचारी कोड नहीं मिला, तथा
- सेवानिवृत्त कर्मचारियों के शेष 41 मामलों के ऑनलाइन अभिलेख कोषागार में उपलब्ध नहीं थे।

जिला कोषागार अधिकारी, चंबा ने बताया (नवंबर 2022) कि नियुक्ति आदेश विभाग द्वारा स्वयं उम्मीदवारों को जारी किए जाते हैं तथा कोषागार कार्यालय केवल कर्मचारियों का विवरण डेटाबेस में दर्ज करता है। जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (फरवरी 2023) कि ये मामले पुराने सॉफ्टवेयर के हो सकते हैं और नए सॉफ्टवेयर में यह 18 वर्ष से कम आयु दर्ज नहीं करता। जिला कोषागार अधिकारी, शिमला राजधानी ने बताया (फरवरी 2023) कि कर्मचारी कोड उत्पन्न करते समय लिपिकीय त्रुटि के कारण जन्म तिथि गलत दर्ज हो गई थी। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को मूल अभिलेखों से जन्म तिथि एवं सेवानिवृत्ति तिथि का सत्यापन करना चाहिए था।

2.3.3.4 अवकाश नकदीकरण से संबंधित मुद्दे

2.3.3.4 (क) अवकाश नकदीकरण के संबंध में समान राशि का दोहरा भुगतान

केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली, 1972 (संशोधित) के नियम 6 के अनुसार अवकाश का नकदीकरण इस शर्त के अधीन होगा कि अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश दोनों के दिनों की संख्या, जिसके लिए इस नियम के अंतर्गत नकदीकरण पहले ही दिया जा चुका है, तथा सेवानिवृत्ति पर नकदीकृत किए जाने वाले अर्जित अवकाश और अर्धवेतन अवकाश के दिनों की संख्या 300 दिनों से अधिक नहीं होगी।



लेखापरीक्षा में पाया गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने सेवानिवृत्त कर्मचारियों के लिए अवकाश नकदीकरण बिल तैयार किए एवं उन्हें मैनुअल स्वीकृति आदेश के साथ कोषागार कार्यालय को प्रेषित किया तथा कोषागार कार्यालय ने बिल पास करते हुए अवकाश नकदीकरण की राशि दावेदार के बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी। हालांकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में एक से अधिक भुगतानों के लिए विशिष्ट कारणों को दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था तथा जहां भुगतान किया गया, वहां अवकाश नकदीकरण बिलों की वास्तविकता लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

यह भी देखा गया कि 14 मामलों में दो बार समान राशि के अवकाश नकदीकरण भुगतान पर प्रक्रिया कर के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस के माध्यम से पास किया गया (परिशिष्ट 2.4), जो सितंबर 2016 से अक्टूबर 2021 तक दावेदारों को ₹ 67.33 लाख के अनधिकृत भुगतान में परिणत हुआ।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिलपेडवाउचर्स' तालिका व 'डीडीओबिलडिटेल्' तालिका के आंकड़ों के विश्लेषण से उजागर हुआ कि इन बिलों को संबंधित कोषागार द्वारा अलग-अलग बिल संख्या के साथ दो बार पास किया गया क्योंकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में एक ही व्यक्ति को एक ही राशि के दोहरे भुगतान की जांच करने का कोई प्रावधान नहीं था।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए तीन मामलों से संबंधित छः बिलों का नमूना चुना गया, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

स्क्रीनशॉट 2.4: क्षेत्रीय सत्यापन हेतु चुने गए तीन दावेदारों (छ: बिल) का विवरण

TREA_CODE	DDO_COD	BILLNO	BILLDATE	ClaimantName	PPONumber	BankAcNumber	NetAmount
CTO00	57	CTO000572017100139	16-08-2017	**** DASS	****58468	****10080	698280
CTO00	57	CTO000572017100277	09-01-2018	**** DASS	****58468	****10080	698280
SML00	660	SML006602019100084	26-07-2019	****R PAL	****79696	****83899	424800
SML00	660	SML006602019100095	03-08-2019	****R PAL	****79696	****83899	424800
SML00	660	SML006602020100171	09-12-2020	****N LAL	****06148	****58961	489050
SML00	660	SML006602020100205	01-02-2021	****N LAL	****06148	****58961	489050

तीन मामलों में लेखापरीक्षा के निर्देश पर विभाग द्वारा कुल ₹ 16,12,130/- की वसूली की गई। शेष 11 मामलों का भी ई-कोष से डाउनलोड किए गए वाउचरों से सत्यापन किया गया, जिससे सभी 14 मामलों में अवकाश नकदीकरण की समान राशि के दोहरे भुगतान की पुष्टि हुई।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला व शिमला राजधानी (अक्टूबर 2022) एवं कांगड़ा (नवंबर 2023) ने बताया कि अवकाश नकदीकरण का भुगतान आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश के साथ प्रस्तुत ऑनलाइन बिलों के आधार पर किया गया था। ई-बिल सॉफ्टवेयर में अवकाश नकदीकरण के दोहरे आहरण की कोई जांच उपलब्ध नहीं है तथा जिला कोषागार अधिकारी हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति से उत्तर अभी भी प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। जिला कोषागार अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि अवकाश नकदीकरण भुगतान के बिल संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए थे तथा कोषागारों में प्रक्रिया कर के पास किए गए थे, जो बाद में अनधिकृत भुगतानों को रोकने में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की चूक को परिलक्षित करता है। इसके अतिरिक्त बिलों के सत्यापन की मैनुअल प्रणाली भी अनधिकृत भुगतानों पर आपत्ति/जांच करने में सफल नहीं रही। विभाग को दोहरे भुगतान के कारणों की जांच करनी चाहिए तथा ऐसी घटनाओं से बचने के लिए यथोचित सुधारात्मक उपाय करने चाहिए।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.4 (ख) अवकाश नकदीकरण का कई बार भुगतान

केंद्रीय सिविल सेवा अवकाश नियमावली, 1972 के नियम 39(2) (बी) में कहा गया है कि अवकाश नकदीकरण एक बार में अंतिम भुगतान के रूप में एकमुश्त देय होगा।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिलपेडवाउचर्स' तालिका व 'डीडीओबिलडिटेल्' तालिका के डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि विभिन्न आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के लिए अवकाश नकदीकरण के बिल पास किए गए, और बाद में भुगतान एक से अधिक बार संबंधित दावेदारों के बैंक खातों में जमा किए गए। कोषागारों ने पूर्व में किए गए भुगतानों का सत्यापन किए बिना कई अवकाश नकदीकरण बिल पास कर दिए क्योंकि कोषागारों के पास न

तो मैनुअल प्रक्रिया थी एवं न ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में एक ही दावेदार को अवकाश नकदीकरण के संबंध में कई बार हुए भुगतानों की जांच करने के लिए कोई प्रावधान था।

अतिरिक्त भुगतान के कारण दर्ज करने के प्रावधान के अभाव में सॉफ्टवेयर ने सभी भुगतानों को अवकाश नकदीकरण के रूप में दर्ज किया तथा महंगाई भत्ता (डीए) जारी होने, वेतनमान में संशोधन, आदि के कारण अवकाश नकदीकरण के अतिरिक्त भुगतान के बीच अंतर करने में असमर्थ रहा। अतः एक ही पेंशन भुगतान आदेश संख्या वाले एक ही बैंक खाता संख्या में दावेदारों को ₹ 595.68 लाख²⁵ राशि के अवकाश नकदीकरण के कई बार भुगतान की प्रामाणिकता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

लेखापरीक्षा में चार चयनित कोषागारों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए चयनित 40 नमूनों का सत्यापन किया गया, जिसमें पाया गया कि चार²⁶ मामलों में एक पेंशनभोगी की अवकाश नकदीकरण राशि दूसरे पेंशनभोगी के खाते में जमा कर दी गई। तथ्य सामने आने के बाद गलत क्रेडिट की वसूली पेंशनभोगी से करने और फिर नए बिल के माध्यम से वास्तविक दावेदार को भुगतान करने की परिभाषित प्रक्रिया का पालन करने के बजाय प्रथम प्राप्तकर्ता द्वारा राशि आरटीजीएस के माध्यम से सीधे वास्तविक दावेदार को हस्तांतरित कर दी गई। इस प्रकार मूल दावेदार को 'कोई भुगतान नहीं प्रमाणपत्र' जारी किए जाने का जोखिम उत्पन्न हो सकता था, जिससे वह पेंशनभोगी उस भुगतान के लिए पात्र हो सकता था, जिसे वह पहले ही प्राप्त कर चुका था। शेष 36 मामलों में भुगतान, महंगाई भत्ता जारी करने, वेतनमान में संशोधन आदि के कारण अवकाश नकदीकरण के अतिरिक्त भुगतान से संबंधित थे।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.4 (ग) एक ही सेवानिवृत्त कर्मचारी को दो अलग-अलग आहरण एवं संवितरण अधिकारियों/कोषागारों से अवकाश नकदीकरण का भुगतान

मैनुअल प्रणाली में किसी विशेष दावेदार से संबंधित अवकाश नकदीकरण बिल उस आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा तैयार किया जाता है, जहां से दावेदार सेवानिवृत्त हुआ था तथा उस बिल को संबंधित कोषागार पास करता है।

²⁵ बिलासपुर-₹ 29.52 लाख, चंबा-₹ 21.08 लाख, राजधानी शिमला-₹ 39.57 लाख, हमीरपुर-₹ 12.60 लाख, कुल्लू-₹ 21.74 लाख, कांगड़ा-₹ 165.32 लाख, किन्नौर-₹ 5.51 लाख, लाहौल-स्पीति-₹ 3.86 लाख, मंडी-₹ 37.96 लाख, शिमला-₹ 108.90 लाख, सिरमौर-₹ 6.48 लाख, सोलन-₹ 52.75 लाख, ऊना-₹ 90.39 लाख।

²⁶ जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर- ₹ 10.18 लाख (दो मामले), जिला कोषागार अधिकारी कुल्लू- ₹ 5.33 लाख (एक मामला), जिला कोषागार अधिकारी शिमला- ₹ 5.16 लाख (एक मामला)।

डेटा विश्लेषण के दौरान यह पाया गया कि चार मामलों में अवकाश नकदीकरण का भुगतान एक ही पेंशन भुगतान आदेश संख्या के सापेक्ष दो अलग-अलग कोषागार कार्यालयों द्वारा अधिकृत किया गया तथा बिल भी दो अलग-अलग आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा तैयार किए गए, जैसाकि नीचे विवर्णित है:

तालिका 2.18: अवकाश नकदीकरण के बार-बार किए गए भुगतान का विवरण

कोषागार कोड	आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोड	बिल सं.	दावेदार का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	बैंक खाता सं.	सकल राशि (₹ में)
बीएलपी00	518	बीएलपी005182018100041	****आकाश	****75984	****22781	3,05,970
एसओएल01	425	एसओएल014252018100637	**** आकाश	****75984	****22781	3,40,560
सीटीओ00	20	सीटीओ000202018100951	****आई लाल	****77880	****00694	7,20,274
एमडीआई01	205	एमडीआई012052018100099	****आई लाल	****77880	****00694	6,66,000
यूएनए00	519	यूएनए005192021100146	****सिंह	****02502	****80268	5,23,710
यूएनए02	241	यूएनए022412020100003	****सिंह	****02502	****80268	15,79,226
केएनजी00	510	केएनजी005102020100681	****सिंह	****05045	****48260	3,73,930
केएनजी06	206	केएनजी062062020100096	****सिंह	****05045	****48260	6,30,730
योग						51,40,400

लेखापरीक्षा में चयनित कोषागारों (बीएलपी00 व सीटीओ00) में दो मामलों का भौतिक सत्यापन किया गया और यह पुष्टि की कि उन्हीं पेंशनभोगियों को अन्य कोषागारों (एसओएल01 व एमडीआई01) से भी संबंधित कोषागारों के ऑनलाइन वाउचर बनाकर भुगतान आहरित किए गए थे।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में डिजाइन में कमी एवं सत्यापन जांच के अभाव में विभिन्न कोषागारों/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा दावेदारों के बैंक खातों में कई अवकाश नकदीकरण अधिकृत किए गए तथा प्रणाली दो अलग-अलग कोषागारों से भुगतान या दो अलग-अलग आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा बिल तैयार करने को रोकने में असमर्थ रही। भुगतान की प्रामाणिकता सुनिश्चित करने के लिए विभाग के साथ-साथ एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को भी ऐसे समान मामलों की, यदि कोई हो, तो जांच करनी चाहिए।

जिला कोषागार अधिकारी, चंबा (नवंबर 2022), कांगड़ा (नवंबर 2023), शिमला एवं राजधानी शिमला (अक्टूबर 2022) ने बताया कि अवकाश नकदीकरण का भुगतान आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा कार्यालय आदेश के साथ प्रस्तुत ऑनलाइन बिलों के आधार पर किया जाता है। ई-बिल सॉफ्टवेयर में दोहरे आहरण की कोई जांच उपलब्ध नहीं है तथा जिला कोषागार अधिकारी हमीरपुर, कुल्लू, मंडी, सोलन व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने बताया कि यथोचित सतर्कता कार्रवाई प्रारम्भ की जाएगी।

विभागीय अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि पुलिस में मामला दर्ज किया गया है तथा वसूली की गई है।

2.3.3.4 (घ) अवकाश नकदीकरण के स्वीकार्य भुगतान की सत्यापन रहित जांच

केंद्रीय सिविल सेवा (अवकाश) नियमावली, 1972 के नियम 39(2)(ए) में कहा गया है कि जहां कोई सरकारी कर्मचारी अपनी सेवा को नियंत्रित करने वाली शर्तों और नियमों के तहत सेवानिवृत्ति के लिए निर्धारित आयु प्राप्त करने पर सेवानिवृत्त होता है, अवकाश देने के लिए सक्षम प्राधिकारी, स्वप्रेरणा से, अर्जित अवकाश और अर्ध वेतन अवकाश, यदि कोई हो, दोनों के लिए अवकाश वेतन के बराबर नकद राशि देने का आदेश जारी करेगा जो कि सरकारी कर्मचारी की सेवानिवृत्ति की तिथि को उसके खाते में अधिकतम 300 दिनों के अधीन होगा।

लेखापरीक्षा में ई-सैलरी डेटाबेस की 'एम्पलॉयीमास्टर' व 'इएमपीमंथलीअलावंस' तालिकाओं तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिल्सपेडवाउचर' और 'बैंक_बैचटोकनपेयी' तालिकाओं का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया गया कि 2,274 मामलों में दावेदारों को अवकाश नकदीकरण भुगतान प्रासंगिक विनियमों में निर्दिष्ट राशि से अधिक दिए गए। इसके अतिरिक्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली अवकाश नकदीकरण के प्रथम भुगतान एवं अतिरिक्त अवकाश नकदीकरण भुगतानों के मध्य अंतर नहीं कर पाया क्योंकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में मूल वेतन, ग्रेड-पे में परिवर्तन व सेवानिवृत्ति के पश्चात् महंगाई भत्ते जारी करने के कारण अतिरिक्त भुगतानों का विवरण दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था। अतिरिक्त भुगतान जारी होने के समय प्रणाली ने मास्टर टेबल में इसे अपडेट नहीं किया।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों में क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 161 मामलों का नमूना चुना गया, जिनमें से 148 मामलों का सत्यापन किया गया और पाया कि:

- 36 मामलों में अंतिम वेतन (ई-सैलरी) में विवरण व अवकाश नकदीकरण बिलों में मूल वेतन/ग्रेड-पे/महंगाई भत्ता में मिलान नहीं था। इनमें से,
 - उप-कोषागार कार्यालय, रामपुर में एक मामले में ग्रेच्युटी की गणना मूल वेतन ₹ 11,040/- व वेतनमान ₹ 2,000/- (महंगाई भत्ता @ 148 प्रतिशत - ₹ 19,299/-) पर की गई परन्तु अवकाश नकदीकरण की गणना एक अलग मूल वेतन अर्थात् ₹ 12,940/- (महंगाई भत्ता @148 प्रतिशत - ₹ 22,111/-) पर की गई।
 - उप-कोषागार कार्यालय, रामपुर में एक अन्य मामले में, ग्रेच्युटी की गणना मूल वेतन ₹ 7,670/- व वेतनमान ₹ 1,650/- (महंगाई भत्ता @ 137 प्रतिशत -

₹ 12,768/-) पर की गई परन्तु अवकाश नकदीकरण की गणना ₹ 9,060/- (महंगाई भत्ता @ 137 प्रतिशत - ₹ 14,673/-) पर की गई।

- इसके अतिरिक्त मुख्य कोषागार कार्यालय, शिमला में एक मामले में अवकाश नकदीकरण की गणना में ग्रेड-पे ₹ 3,200/- दो बार जोड़ा गया;
- 95 मामले - संशोधित महंगाई भत्ते पर गणना की गई; तथा
- 17 मामले सही पाए गए।

शेष 13 मामलों का सत्यापन जिला कोषागार अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण नहीं किया जा सका।

ई-सैलरी डेटाबेस के साथ अवकाश नकदीकरण के लिए अपेक्षित विवरण को लिंक न करना तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के विभिन्न मॉड्यूलों का अनुचित एकीकरण गलत भुगतान का कारण बना।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (फरवरी 2023) कि ये कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के पश्चात् प्रक्रिया किए गए पुनः नियुक्ति के मामले एवं पदोन्नति के मामले हैं, क्योंकि ई-सैलरी में अंतिम वेतन व भत्ते कम दिखाए गए जबकि सेवानिवृत्ति के बाद वेतन में वृद्धि की गई थी। इसके अतिरिक्त प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सत्यापन जांच नहीं थी कि अवकाश नकदीकरण स्वीकार्य राशि से अधिक नहीं हो। जिला कोषागार अधिकारी सिरमौर ने बताया (सितंबर 2023) कि अवकाश नकदीकरण का भुगतान आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा अग्रेषित गणना के आधार पर किया जाता है तथा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई सत्यापन जांच नहीं है कि अवकाश नकदीकरण स्वीकार्य राशि से अधिक नहीं है। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि कोषागार कार्यालय को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा पास स्वीकृति आदेश का सत्यापन करना चाहिए था तथा कुछ मामलों में स्वीकृति आदेशों में मूल वेतन तथा ग्रेड-पे में परिवर्तन करने के पश्चात् आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा अवकाश नकदीकरण के अधिक भुगतान को अधिकृत किया गया। प्रणाली ऐसे भुगतानों को प्रतिबंधित नहीं कर सकी जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली मास्टर तालिका डेटा से भिन्न मूल वेतन आदि के मापदंडों पर आहरित किए गए थे। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, राजधानी शिमला, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.5 ई-सैलरी/ई-बिल के अन्य विविध मुद्दे

2.3.3.5 (क) 'स्टॉपकोड' के लागू होने के बाद भी वेतन जारी रहना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 30 में कोषागार कर्मचारियों के कर्तव्यों को परिभाषित किया गया है तथा निर्देशित किया गया है कि कर्मचारियों के मासिक वेतन के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा प्रस्तुत परिवर्तन रिपोर्ट में सूचित सभी परिवर्तनों की जांच की जाएगी तथा उसके बाद वेतन बिल के सत्यापन से पूर्व, जिला कोषागार अधिकारी को अपनी टिप्पणियों के साथ सभी परिवर्तन रिपोर्टें प्रस्तुत की जाएंगी। इसके अतिरिक्त नियम 33 (i) में निर्दिष्ट है कि कोषागार अधिकारी अधीक्षक/सहायक/लिपिक द्वारा सत्यापन के अनुसार उप-कोषागारों में वेतन, पेंशन और अन्य भुगतान फाइलों को अधिकृत करेगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-सैलरी मॉड्यूल की 'एम्पलॉयीमास्टर', 'एम्पलॉयमंथलीट्रांजेक्शन' और 'स्टॉपरीज़नमास्टर' तालिकाएं क्रमशः कर्मचारी डेटा, मासिक वेतन एवं वेतन रोके जाने के कारण के संग्रहण के लिए बनाई गई थीं। यह देखा गया कि 18 कर्मचारियों के लिए 'एम्पलॉयीमास्टर', तालिका में 'स्टॉपकोड' (कॉलम) लागू करके त्याग पत्र/सेवानिवृत्ति/सेवा समाप्ति के कारण वेतन रोक दिया गया परन्तु बाद में 'स्टॉपकोड' (कॉलम) की स्थिति में कोई अद्यतन किए बिना वेतन आहरित किया गया। यह इंगित करता है कि सॉफ्टवेयर 'स्टॉपकोड' के साथ भी वेतन रोकने में असमर्थ था। अतः ई-सैलरी मॉड्यूल में 'स्टॉपकोड' कॉलम दर्ज करने का उद्देश्य विफल हो गया।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 28 बिलों का नमूना चुना गया, जिनमें से 25 बिलों को सत्यापित किया गया तथा पाया कि ये बिल तीन कर्मचारियों (10 बिल, आठ बिल, सात बिल) के थे, जो 'स्टॉपकोड' के बावजूद आहरित किए गए।

- उप-कोषागार कार्यालय, ठियोग (सात बिल) में देखा गया कि एक कर्मचारी ने नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया और फिर से उसी विभाग में उच्च पद²⁷ पर कार्यभार ग्रहण कर लिया तथा कर्मचारी मास्टर डेटाबेस के 'स्टॉपकोड' कॉलम में स्थिति को अपडेट किए बिना उसी कर्मचारी कोड के साथ वेतन आहरित किया गया।
- जिला कोषागार कार्यालय, शिमला (आठ बिल) व उप-कोषागार कार्यालय, सुन्नी (10 बिल) के प्रत्येक एक कर्मचारी को एक आहरण एवं संवितरण कार्यालय से दूसरे में स्थानांतरित किया गया तथा पिछले आहरण एवं संवितरण कार्यालय द्वारा 'स्टॉपकोड' लागू किया गया, परन्तु 'स्टॉपकोड' को बदले बिना अगले आहरण एवं संवितरण

²⁷ लिपिक के पद से त्यागपत्र देकर प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक के रूप में कार्यभार ग्रहण किया।

अधिकारी द्वारा वेतन आहरित गया, जो एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में 'स्टॉपकोड' की अप्रभावशीलता को परिलक्षित करता है।

शेष तीन बिलों का सत्यापन जिला कोषागार अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण नहीं किया जा सका।

जिला कोषागार अधिकारी, चंबा (नवंबर 2022), शिमला (दिसंबर 2022) व ऊना (जनवरी 2024) ने बताया कि ये कर्मचारी अभी भी सरकारी विभागों में काम कर रहे हैं परन्तु स्थानांतरण या आहरण एवं संवितरण अधिकारी में बदलाव के समय उनका वेतन स्थानांतरण के बजाय सेवानिवृत्त/सेवा समाप्ति/त्यागपत्र का कारण बताकर रोक दिया गया था। जिला कोषागार अधिकारी, कांगड़ा ने बताया (जनवरी 2023) कि कर्मचारी का स्थानांतरण अन्य आहरण एवं संवितरण कार्यालय में कर दिया गया था तथा उसका वेतन गलती से त्यागपत्र का कारण बताकर रोक दिया गया था। तथ्य यह है कि 'स्टॉपकोड' लागू किए जाने के बावजूद प्रणाली ने भुगतान की अनुमति दी। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, राजधानी शिमला, हमीरपुर व मंडी के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।


अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.5 (ख) पीएएन दर्ज न करना/ गलत पीएएन दर्ज करना

आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139ए के अनुसार पीएएन की नई श्रृंखला का आवंटन एवं उपयोग आवश्यक है। टीडीएस प्रमाणपत्र और रिटर्न में पीएएन का उल्लेख करना आवश्यक है। एक व्यक्ति के पास केवल एक ही पीएएन होना चाहिए। इसके अतिरिक्त आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 192 में प्रावधान है कि नियोक्ता कर्मचारी के देय वेतन से टीडीएस काटने के लिए बाध्य है।

लेखापरीक्षा ने ई-सैलरी डेटाबेस की 'एम्पलॉयीमास्टर' तालिका का विश्लेषण किया, जिसमें पाया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में 1,88,282 कर्मचारी दर्ज थे, जिनमें से 36,212 कर्मचारियों के पीएएन उपलब्ध नहीं थे। इसके अतिरिक्त क्योंकि पीएएन एक दस-वर्णी वाला अल्फा न्यूमेरिक पैटर्न है, इसलिए प्रणाली में उसी पैटर्न को सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन प्रक्रियाओं को शामिल किया जाना चाहिए। डेटा विश्लेषण के दौरान निम्नलिखित त्रुटियां देखी गईं:

चार्ट 2.13: राज्य कर्मचारियों के पीएन कार्ड विवरण से संबंधित मुद्दे



पीएन के अभाव में लेखापरीक्षा में यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि कर्मचारियों के वेतन से टीडीएस की कटौती गई थी या नहीं। डेटा में गलत पीएन नंबर इस बात का संकेत है कि पीएन दर्ज करने में एप्लीकेशन नियंत्रण का अभाव है।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 180 मामलों का नमूना चुना गया, जिसमें पाया गया कि:

- 92 मामलों में लेखापरीक्षा के निर्देश पर भौतिक सत्यापन से पहले कोषागारों द्वारा डेटा अपडेट किया गया;
- 10 मामलों में कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति के कारण कर्मचारियों के विवरण फ्रंट-एंड पर उपलब्ध नहीं थे;
- 75 मामलों में कर्मचारी के पीएन विवरण उपलब्ध नहीं थे;
- दो मामलों में गलत पीएन विवरण प्रविष्ट किए गए;
- एक मामले में आहरण एवं वितरण कार्यालय के तहत कर्मचारी कोड नहीं मिला।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (नवंबर 2022) कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा ई-सैलरी मॉड्यूल में उपलब्ध कराई गई पीएन की जानकारी, आहरण एवं संवितरण अधिकारी के परामर्श से प्रक्रिया कर उत्पन्न की जाती है। जिला कोषागार अधिकारी, कुल्लू (नवंबर 2022) व हमीरपुर (मार्च 2023) ने बताया कि ई-सैलरी सॉफ्टवेयर में पीएन नंबर के बिना आयकर काटने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला कोषागार अधिकारी, चंबा ने बताया (जनवरी 2023) कि पीएन गलत दर्ज हो सकता है। जिला कोषागार अधिकारी, शिमला राजधानी ने बताया (फरवरी 2023) कि प्रणाली में सत्यापन जांच नहीं है। जिला कोषागार

अधिकारी, बिलासपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.5 (ग) स्रोत पर कर कटौती पर सत्यापन जांच का अभाव

आयकर अधिनियम की धारा 194सी के अनुसार व्यक्ति या हिंदू अविभाजित परिवार के मामले में एक प्रतिशत तथा अन्य मामलों में दो प्रतिशत की दर से कटौती की जाएगी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'डीडीओबिलपार्टीमास्टर_करंट' व 'बैंक_बैचटोकनपेयी' तालिकाओं में निजी फर्मों/आपूर्तिकर्ताओं/ठेकेदारों/सेवा प्रदाताओं के पीएएन/ टीआईएन दर्ज नहीं किए गए। यह भी पाया गया कि वर्ष 2017 व 2022 के बीच एक लाख से अधिक ₹ 9,890.61 करोड़ की राशि के 1,38,403 बिलों²⁸ का भुगतान संबंधित ठेकेदारों/आपूर्तिकर्ताओं आदि को कोषागारों/उप-कोषागारों द्वारा टीडीएस काटे बिना किया गया।

- 43,753 मामलों में टीआईएन/ पीएएन को 'शून्य' या रिक्त दर्शाया गया।
- 635 मामलों²⁹ में कार्यालय व्यय के लिए ₹ 7.32 करोड़, किराया, दरों व करों के लिए ₹ 1.24 करोड़, सामग्री व आपूर्ति के लिए ₹ 1.53 करोड़, लघु कार्यों के लिए ₹ 3.23 करोड़, वृहद कार्यों के लिए ₹ 0.47 करोड़, सब्सिडी के लिए ₹ 4.75 करोड़ एवं मानदेय के लिए ₹ 0.23 करोड़ का भुगतान, टीडीएस काटे बिना तीसरे पक्ष के रूप में राज्य सरकार के कर्मचारियों/आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के बैंक खातों में हस्तांतरित कर दिया गया, जो कि उक्त नियमों का उल्लंघन है।

यह दर्शाता है कि तीसरे पक्ष³⁰ को भुगतान के समय टीडीएस की कटौती सुनिश्चित करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कोई जांच नहीं थी।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन हेतु 327 मामलों का नमूना चुना गया, जिनमें से 322 मामलों का सत्यापन किया गया। देखा गया कि 18 मामलों में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा टीडीएस

²⁸ बिलासपुर-6,499, चंबा-15,916, राजधानी शिमला-5,345, दिल्ली-62, हमीरपुर-5,861, कुल्लू-6,051, कांगड़ा-24,507, किन्नौर-3,765, लाहौल-स्पीति-2,787, मंडी-23,539, शिमला-21,896, सिरमौर-6,352, सोलन-6,484, ऊना-9,339

²⁹ बिलासपुर-26, चंबा-67, राजधानी शिमला-22, हमीरपुर-29, कुल्लू-73, कांगड़ा-79, किन्नौर-तीन, लाहौल स्पीति-30, मंडी-105, शिमला-57, सिरमौर-61, सोलन-58, ऊना-25।

³⁰ तृतीय पक्ष- निजी फर्म/आपूर्तिकर्ता/ठेकेदार/सेवा प्रदाता आदि।

नहीं काटा गया जबकि कटौती करना आवश्यक था। 304 मामलों में नियमों में छूट, निवल राशि के बिल तैयार करने, सरकारी कर्मचारियों को भुगतान आदि के कारण कटौती न करना उचित पाया गया।

शेष पांच मामलों का सत्यापन जिला कोषागार अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण नहीं हो पाया।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला, कांगड़ा (फरवरी 2023), चंबा व कुल्लू (दिसंबर 2022) ने बताया कि टीडीएस काटना सुनिश्चित करना आहरण एवं संवितरण अधिकारी का उत्तरदायित्व है क्योंकि भुगतान संवितरण प्राधिकरण टीडीएस काटने के लिए पूर्ण रूप से सक्षम है। टीडीएस काटना सुनिश्चित करने के लिए प्रणाली में कोई सत्यापन जांच नहीं है। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, राजधानी शिमला, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि भुगतान प्राधिकृत करने से पूर्व वाउचर की जांच करना कोषागारों के महत्वपूर्ण कार्यों में से एक है तथा भुगतान प्राधिकृत करने से पहले प्रणाली में पूर्व लेखापरीक्षा जांच होनी चाहिए।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.5 (घ) वस्तु एवं सेवा कर पर स्रोत पर कर कटौती की कटौती न करना तथा वस्तु एवं सेवा कर नंबर के बिना स्रोत पर कर कटौती की कटौती

केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 51 में सरकारी एजेंसियों (कटौतीकर्ता) या इस संबंध में अधिसूचित किए जाने वाले किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता (कटौतीकर्ता) को किए गए या जमा किए गए भुगतान से कर की कटौती का प्रावधान है जहां एक अनुबंध के तहत ऐसी आपूर्ति का कुल मूल्य दो लाख पचास हजार रुपये से अधिक है।

जीएसटीएन नंबर को एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की तालिका के 'डीडीओबिलबीटीएंटर्री' के कॉलम 'सर्विसटैक्सनंबर/टीआईएन' में दर्ज किया गया था। लेखापरीक्षा ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'डीडीओबिलबीटीएंटर्री', 'बिलपेडवाउचर्स' व 'बैंक_बैचटोकनपेई' तालिकाओं का विश्लेषण किया तथा पाया कि अप्रैल 2017 व मार्च 2022 के मध्य:

- कोषागारों ने वस्तु एवं सेवा कर पर टीडीएस काटे बिना 1,147 निजी आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं के पक्ष में ₹ 1,244.12 करोड़ की राशि के 4,308 बिल अधिकृत/पास किए जहां आपूर्ति ₹ 2.50 लाख से अधिक थी।
- यह भी पाया गया कि कई आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने जीएसटीएन नंबर के बिना 609 आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं के 3,746 बिलों³¹ से ₹ 359.26 करोड़ के बराबर वस्तु एवं सेवा कर पर टीडीएस काटा।

यह दर्शाता है कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में जीएसटीआईएन नंबर दर्ज करने एवं ₹ 2.50 लाख से अधिक के भुगतानों पर वस्तु एवं सेवा कर पर टीडीएस की अनिवार्य कटौती के लिए आवश्यक सत्यापन जांच का अभाव था।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 240 मामलों का नमूना चुना गया, जिनमें से 226 मामलों की जांच की गई तथा लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि हुई (52 मामलों में जीएसटी नंबर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में दर्ज नहीं किए गए थे तथा 75 मामलों में संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा वस्तु एवं सेवा कर पर टीडीएस नहीं काटा गया था)। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा में पाया गया कि आठ बिल, बीजों के भुगतान से संबंधित थे, जिन्हें वस्तु एवं सेवा कर से छूट दी गई थी, 38 मामले चिकित्सा बिल, सरकार से सरकार विभाग, मानदेय, आदि अक्टूबर 2018 से पूर्व के हैं, जिन्हें आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा गलत तरीके से तीसरे पक्ष के भुगतान के रूप में दर्ज किया गया था और ये भुगतान उक्त नियमों के अंतर्गत नहीं आते थे, चार मामलों में वस्तु एवं सेवा कर नंबर गलत थे, तीन मामलों में वस्तु एवं सेवा कर नंबर अपडेट किए गए थे तथा 46 मामलों में टीडीएस काटा गया था।

शेष 14 मामलों का सत्यापन जिला कोषागार अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों द्वारा अभिलेखों के प्रस्तुत न किए जाने के कारण नहीं किया जा सका।

जिला कोषागार अधिकारी, चंबा (जनवरी 2023), शिमला (फरवरी 2023), कुल्लू (दिसंबर 2022) व हमीरपुर (मार्च 2023) ने बताया कि वस्तु एवं सेवा कर पर टीडीएस काटने की पूरी जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी की है। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, शिमला राजधानी, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि भुगतान प्राधिकृत करने से पहले वाउचर की जांच करना कोषागारों का एक महत्वपूर्ण कार्यों में से एक था, जिसके लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सत्यापन जांच को शामिल नहीं किया गया।

³¹ बिलासपुर-205, चंबा-179, राजधानी शिमला-764, हमीरपुर-154, कुल्लू-136, कांगड़ा-235, किन्नौर-26, लाहौल-स्पीति-21, मंडी-488, शिमला-711, सिरमौर-272, सोलन-341, ऊना-214

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.6 प्रतिदाय मुद्दे

2.3.3.6 (क) जमाकर्ता का विवरण प्राप्त किए बिना पेंशन शीर्ष से प्रतिदाय

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने प्राप्त मुख्य शीर्ष '0071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान व वसूली' से प्रतिदाय, इस बात पर विचार किए बिना अधिकृत कर दिया कि क्या प्रतिदाय अनुमत थे अथवा नहीं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिलपेडवाउचर' तालिका के विश्लेषण के पश्चात् पाया गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों ने मुख्य शीर्ष '2071- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभ' के संबंध में जिला कोषागार/उप-कोषागार को प्रतिदाय दावे अग्रेषित किए तथा अगस्त 2017 एवं जनवरी 2022 के मध्य संबंधित जिला कोषागार/उप-कोषागार ने प्रणाली के माध्यम से जमा विवरणों को सत्यापित किए बिना ₹ 16.04 लाख की राशि के 23 दावों का प्रतिदाय किया जबकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में जमा का विवरण प्रतिदाय दावे से लिंक नहीं था।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए चुने गए पांच नमूना मामलों³² का सत्यापन किया गया, जिनमें से एक मामले में वेतन बकाया राशि को गलत तरीके से पेंशन अंशदान के रूप में काटा गया तथा उसे '0071- पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों के लिए अंशदान व वसूली' लेखा शीर्ष के तहत बुक किया गया, जिसका बाद में प्रतिदाय किया गया। शेष चार मामलों में संबंधित सक्षम अधिकारियों के अनुमोदन से राशि का प्रतिदाय कर दिया गया।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला (दिसंबर 2022) व शिमला राजधानी (फरवरी 2023) ने बताया कि यह राशि उन कर्मचारियों के कर्मचारी अंश से काटी गई, जिन्होंने सरकारी पेंशन अपना ली है और शीर्ष-0071 के तहत जमा कर की गई। पेंशन शीर्ष 2071 से राशि का प्रतिदाय कर्मचारी वेतन से कर्मचारी अंश की अतिरिक्त राशि की कटौती के कारण हुई थी। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। हालांकि तथ्य यह है कि मूल जमा विवरण को अपलोड नहीं किया गया था या प्रति सत्यापन हेतु प्रतिदाय वाउचर के साथ संलग्न नहीं किया गया था।

³² उप कोषागार कार्यालय घुमारवीं (बिलासपुर)- ₹ 2.11 लाख (तीन मामले), कोषागार राजधानी शिमला- ₹ 0.23 लाख (एक मामला) जिला कोषागार कार्यालय शिमला- ₹ 0.72 लाख (एक मामला)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.6 (ख) सिविल न्यायालय से प्राप्त प्रतिदाय को कारण दर्ज किए बिना कर्मचारियों के बचत बैंक खातों में जमा करना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 195 में प्रावधान है कि प्रतिदाय भुगतान फार्म टी.आर. 8 में वाउचर के माध्यम से किया जाएगा। राशि प्राप्त करने वाला सरकारी कर्मचारी फॉर्म भरेगा तथा प्रतिदाय के हकदार व्यक्तियों के बैंक खाते का विवरण भी अंकित करेगा तथा प्रमाण-पत्र के नीचे हस्ताक्षर करेगा जबकि जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी विवरण के माध्यम से जमा की गई राशि का सत्यापन करेगा तथा विवरण सत्यापित करने के बाद अपने हस्ताक्षर करेगा।

लेखापरीक्षा ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस के 'बिलपेडवाउचर', 'एम्पलॉयीमास्टर' व 'डीडीओबिलडिटेल्' तालिकाओं का विश्लेषण किया और पाया कि ₹ 266.01 लाख राशि के 250 भुगतान वाउचर जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर दर्ज करने के किसी तंत्र के बिना प्राधिकृत/अनुमोदित किए गए। सिविल कोर्ट में जमा राशि का प्रतिदाय केवल माननीय न्यायालय के आदेश के पश्चात् ही किया जा सकता है। डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि जमा राशि व दावेदारों का पूरा विवरण एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशन में दर्ज नहीं किया गया था जिसके परिणामस्वरूप लेखापरीक्षा सिविल कोर्ट में जमा राशि के प्रतिदाय की प्रमाणिकता की पुष्टि नहीं कर सका।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी, अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश, सोलन ने क्रमशः 04.05.2019 व 11.06.2019 को मोटर वाहन दुर्घटना दावा न्यायाधिकरण के खाते में ₹ 17,36,224/- व ₹ 4,58,762/- (कुल- ₹ 21.95 लाख) की राशि जमा की। इसके अतिरिक्त यह राशि क्रमशः 30.05.2019 व 11.06.2019 को फर्जी प्राप्ति प्रविष्टि द्वारा जिला कोषागार सोलन में कार्यरत एक कर्मचारी के व्यक्तिगत बैंक खाते में हस्तांतरित कर दी गई जिसके परिणामस्वरूप सरकारी निधियों का संदेहास्पद दुर्विनियोजन हुआ।

हालांकि राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिक निधि अंतरण के माध्यम से अधिकारी से कुल ₹ 21.95 लाख³³ राशि की वसूली की गई। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से दावेदार विवरण और

³³ वसूली विवरण- ₹ 4,58,762/- दिनांक 14.06.2019 व ₹ 17,36,224/- (₹ 4,50,000+ ₹ 10,00,000+ ₹ 2,86,224) चालान संख्या 38 दिनांक 13.08.2019, चालान संख्या शून्य दिनांक 17.08.2019 व चालान संख्या 26 दिनांक 19.08.2019 के माध्यम से।

न्यायालय के आदेशों के प्रमाणीकरण से संबंधित जांच के अभाव में सिविल न्यायालय की जमा निधियों का अवैध आहरण/दुर्विनियोजन हुआ।

जिला कोषागार अधिकारी, चंबा, कुल्लू, बिलासपुर, शिमला (जनवरी 2023) व सिरमौर (दिसंबर 2023) ने बताया कि ये प्रतिदाय लाभार्थियों के पक्ष में माननीय न्यायालयों से प्राप्त निर्णय/आदेशों के आधार पर किए जा रहे हैं, जैसे रखरखाव राशि, मोटर वाहन दावा, जमा किया गया न्यायालय शुल्क, आदि। जिला कोषागार अधिकारी, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, मंडी व सोलन के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। तथ्य यह है कि कोषागार कर्मचारी द्वारा सिविल कोर्ट की जमा राशि से भुगतान बिना अनुमति के आहरित किया गया, जिससे सरकारी धन का दुर्विनियोजन हुआ।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।


2.3.3.7 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों की मास्टर तालिका से संबंधित मुद्दे

2.3.3.7 (क) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-सैलरी व ई-बिल मॉड्यूल में दो अलग-अलग डीडीओ मास्टर तालिकाओं का उपयोग तथा डेटा में विसंगतियां

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में डीडीओ मास्टर के लिए दो तालिकाएं बनाई गईं:

- एक ई-सैलरी डेटाबेस में, जिसमें 5,233 आहरण एवं संवितरण अधिकारी पंजीकृत थे।
- दूसरी ओएलटीआईएस से संबंधित थी, जिसमें 7,767 आहरण एवं संवितरण अधिकारी पंजीकृत थे।

चार्ट 2.14: ई-सैलरी मॉड्यूल और ओएलटीआईएस मॉड्यूल में डीडीओ मास्टर से संबंधित मुद्दे



डीडीओ मास्टर तालिकाओं में निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

- 2,897 आहरण एवं संवितरण अधिकारी केवल ओएलटीआईएस डेटाबेस में पंजीकृत थे जिनका उपयोग वेतन बिलों के अतिरिक्त सभी प्रकार के बिलों को संभालने के लिए किया गया था। क्योंकि वे ई-सैलरी में पंजीकृत नहीं थे अतः ये आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के वेतन बिल आहरित नहीं कर रहे थे।
- 363 आहरण एवं संवितरण अधिकारी ई-सैलरी में पंजीकृत थे परन्तु ओएलटीआईएस डेटाबेस में नहीं, जो ये दर्शाता है कि ये आहरण एवं संवितरण अधिकारी केवल वेतन बिल बना रहे थे और इन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा कोई अन्य व्यय नहीं किया गया क्योंकि वे ओएलटीआईएस डेटाबेस की डीडीओ मास्टर तालिका में पंजीकृत नहीं थे।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में 56 उप-डाकपाल, जो हिमाचल प्रदेश सरकार के प्रत्यक्ष नियंत्रण में नहीं थे, उन्हें गलत तरीके से आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के रूप में पंजीकृत कर दिया गया था।
- ई-सैलरी में 419 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को नकली (डमी) विभागाध्यक्ष कोड अर्थात् '999' से लिंक किया गया।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में 2,398 आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को उसी विभागाध्यक्ष कोड के साथ मैप किया गया।
- तीन मामलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का विवरण (नाम) ई-सैलरी में दर्ज नहीं किया गया।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में अलग-अलग डेटा वाली डीडीओ मास्टर तालिकाओं की बहुलता डेटाबेस की संगतता को प्रभावित करती है। डेटा की एकरूपता बनाए रखने के लिए एक ही मास्टर तालिका होनी चाहिए जिसका संदर्भ अन्य तालिकाओं में दिया गया हो। लेखापरीक्षा द्वारा मांगे गए दस्तावेजों की आपूर्ति न होने के कारण, इन तालिकाओं के मध्य डेटा फ्लो व डेटा संबंध सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 126 मामलों का नमूना चुना गया, तथा डीडीओ मास्टर डेटा में विसंगति और दो अलग-अलग डीडीओ मास्टर तालिकाओं के उपयोग के तथ्य की पुष्टि जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी की सहायता से ई-सैलरी व ई-बिल मॉड्यूल की मास्टर तालिका से प्राप्त आहरण एवं संवितरण अधिकारी विवरणों/जानकारियों के आधार पर सही पाई गई।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (फरवरी 2023) कि कुछ आहरण एवं संवितरण अधिकारी, जो राज्य बजट से इतर वेतन आहरित कर रहे थे, वे परियोजनाओं से संबंधित थे। आईपी नंबर उपलब्ध न होने के कारण इन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को ई-सैलरी में मैप नहीं किया गया तथा इन आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अन्य लेखा शीर्षों के साथ अधिकृत किया गया था। ई-सैलरी व ई-बिल में डमी विभागाध्यक्ष कोड '999' वाले आहरण एवं संवितरण अधिकारी सॉफ्टवेयर की समस्या के कारण थे। जिला कोषागार अधिकारी, कुल्तू ने बताया (जनवरी 2023) कि अभ्यक्तियां कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग से संबंधित हैं। जिला कोषागार अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि एक ही डेटा की कई तालिकाओं के उपयोग से असंगति उत्पन्न होती है। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, राजधानी शिमला, चम्बा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित हैं (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.7 (ख) ई-बिल में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों का कई कोषागारों से संबद्ध होना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 4 में कहा गया है कि प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी एक विशेष कोषागार एवं अधिकृत राष्ट्रीयकृत बैंकों की शाखा से संबद्ध होगा और सभी प्राप्तियां व भुगतान, आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा संभाले जाएंगे। हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 37 (5) (बी) में आगे कहा गया है कि कोषागार अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारियों में से प्रत्येक को हर माह व्यय नियंत्रण रजिस्टर या संकलन शीट से एक उद्धरण उपलब्ध कराएगा, जिसमें उसके द्वारा नियंत्रित अनुदानों से संबंधित व्यय को दर्शाया जाएगा जिसे विभिन्न मुख्य, लघु एवं विस्तृत लेखा शीर्षों के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-सैलरी मॉड्यूल में 'डीडीओमास्टर' तालिका के आंकड़ों का विश्लेषण करने के पश्चात् निम्नलिखित बातें सामने आईं:

- 1,708 मामलों में से 439 आहरण एवं संवितरण अधिकारी कई कोषागारों से, जो दो लेकर 105 कोषागारों/उप-कोषागारों तक थे, लिंक पाए गए।
- 1,194 मामलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को प्रतिरूप विभागीय कोड अर्थात् '999' से जोड़ा गया।
- 12 मामलों में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नाम डेटाबेस में दर्ज नहीं थे, जैसाकि तालिका 2.19 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.19: विवरण जहां आहरण एवं संवितरण अधिकारियों के नाम डेटाबेस में दर्ज नहीं थे

कोषागार_कोड	कोषागार_नाम	डीडीओ_कोड	डीडीओ_नाम	एचओडी_कोड
एमडीआई07	उप कोषागार कार्यालय बाली चौकी	800	अनुपलब्ध	999
एसएमएल00	जिला कोषागार कार्यालय शिमला	880	अनुपलब्ध	999
एसएमएल02	उप कोषागार कार्यालय कोटखाई	507	अनुपलब्ध	999
एसएमएल07	उप कोषागार कार्यालय चिडगांव	541	अनुपलब्ध	999
एसएमएल13	उप कोषागार कार्यालय जुंगा	520	अनुपलब्ध	999
यूएनए00	जिला कोषागार कार्यालय ऊना	543	अनुपलब्ध	210
एमडीआई 16	उप कोषागार कार्यालय नेर चौक	81	उपयोग में नहीं	101
एसओएल05	उप कोषागार कार्यालय नालागढ़	45	उपयोग में नहीं	211
एसओएल00	जिला कोषागार कार्यालय सोलन	16	अनुपलब्ध	999
एसओएल02	उप कोषागार कार्यालय कसौली	43	अनुपलब्ध	999
यूएनए00	जिला कोषागार कार्यालय ऊना	15	अनुपलब्ध	999
यूएनए03	उप कोषागार कार्यालय बंगाना	26	अनुपलब्ध	999

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को कई कोषागारों से लिंक करने से हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के प्रावधान का उल्लंघन हुआ। उपयोगकर्ता/सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा शब्दकोश आदि की उपलब्ध न होने के कारण डेटा फ्लो एवं अन्य तालिकाओं के साथ डेटा का संबंध सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 101 मामलों (परिशिष्ट 2.5) का एक नमूना चुना गया, जिसकी लेखापरीक्षा अभ्युक्ति सही पाई गई क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी कई कोषागारों से लिंक थे, यह सत्यापन जिला कोषागार अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों की सहायता से ई-सैलरी व ई-बिल मॉड्यूलों की मास्टर तालिका से प्राप्त जानकारी के आधार पर किया गया।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने तथ्यों की पुष्टि के पश्चात् बताया (फरवरी 2023) कि डीडीओ कोड कई कोषागारों के साथ मैप किया गया है। डीडीओ कोड एक समान हो सकते हैं परन्तु कोषागार के लिए भिन्न होते हैं। कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग द्वारा एक आहरण एवं संवितरण अधिकारी को कई कोषागारों से जोड़ने का प्रावधान किया गया है। जिला कोषागार अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि आहरण एवं संवितरण अधिकारी को केवल प्राधिकृत कोषागार तक ही सीमित रखा जाना चाहिए तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को डमी मुख्य सक्षम अधिकारी/विभागाध्यक्ष से लिंक नहीं किया जाना चाहिए। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, राजधानी शिमला, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.3.8 डेटा संबंधी विविध मुद्दे

2.3.3.8 (क) संकलित भुगतान व प्राप्ति के आंकड़ों का बैंक स्क्रॉल के आंकड़ों से अंतर

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 50 (ई) में कहा गया है कि निर्दिष्ट प्रारूप में सूचना बैंक से कोषागार को दैनिक आधार पर सॉफ्ट कॉपी (ई-स्क्रॉल) में उपलब्ध कराई जाएगी। प्राप्तियों की संकलित जानकारी सभी विभागों को ई-चालान पोर्टल पर उपलब्ध कराई जाएगी। संबंधित विभाग इस जानकारी का उपयोग कोषागार सॉफ्टवेयर का उपयोग करके इलेक्ट्रॉनिक रूप से खातों का मिलान करने के लिए करेगा।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बैंकस्क्रॉल' तालिका के विश्लेषण के पश्चात् लेखापरीक्षा में पाया गया कि अप्रैल 2017 व मार्च 2022 के बैंक स्क्रॉल व कोषागार नंबरों में वाउचर, चालान, चालान राशि और वाउचर राशि की संख्या में विसंगति थी। 'बैंकस्क्रॉल' तालिका की जांच के दौरान निम्नलिखित मुद्दे सामने आए:

- 19 मामलों में स्क्रॉल भुगतान का संकलित वाउचर राशि के साथ मिलान नहीं हुआ।
- 8,026 मामलों में स्क्रॉल वाउचर गणना और संकलित वाउचर गणना में अंतर था।
- 23 मामलों में स्क्रॉल प्राप्ति राशि और संकलित चालान राशि के मध्य अंतर था।
- 310 मामलों में कुल स्क्रॉल चालान व संकलित कुल चालान के बीच अंतर था।
- 1,35,454 मामलों में संबंधित बैंकों के एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली कोड 'बैंकस्क्रॉल' तालिका में दर्ज नहीं किए गए थे।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में केवल वाउचरों/चालानों की कुल संख्या व कुल राशि ही दर्ज की गई तथा वाउचरों/चालानों का विवरण डेटाबेस में दर्ज नहीं किया गया।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई जांच नहीं थी कि लेनदेन के अगले दिन प्राप्तियां सरकार के पूलिंग खाते में स्थानांतरित की गई हों तथा वाउचरों व चालानों के विवरण के अभाव में वाउचरों/बिलों का पता लगाना असंभव था।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 209 मामलों का नमूना चुना गया तथा इस अभ्युक्ति की पुष्टि हुई कि ओएलटीआईएस में उपलब्ध व्यय व प्राप्तियों के बैंक स्क्रॉल प्रविष्टि विवरण व टीए रजिस्टर की तुलना करने के बाद बैंक स्क्रॉल व संकलित वाउचर/चालान की गणना/राशि में अंतर था।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (दिसंबर 2022) कि बैंक स्क्रॉल व कोषागार स्क्रॉल लेखा में कोई अंतर नहीं है। लेखा को महालेखाकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया था तथा लेखा में कोई विसंगति नहीं पाई गई। ई-स्क्रॉल वाउचर भुगतान व संकलित वाउचर राशि के

बीच का अंतर सॉफ्टवेयर संबंधी समस्या हो सकती है। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, राजधानी शिमला, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। जिला कोषागार अधिकारी का उत्तर स्वीकार्य नहीं था क्योंकि महालेखाकार (लेखा व हकदारी) को प्रत्येक कोषागार से सूचना (मासिक लेखा) एवं भारतीय रिजर्व बैंक से विवरणी मासिक आधार पर प्राप्त होती है, तदनुसार, दैनिक शेष में अंतर महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के पास उपलब्ध नहीं होगा। सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन में वाउचरों व चालानों के विवरण को बैंकों द्वारा किए गए भुगतानों/प्राप्त रसीदों के साथ मिलान करने का प्रावधान होना चाहिए और यदि कोई अंतर नहीं भी हो, तो भी सॉफ्टवेयर में उपलब्ध रिपोर्ट में तथ्यों का उल्लेख होना चाहिए।

2.3.3.8 (ख) अग्रिमों का समायोजन न करना

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 189 में कहा गया है कि कार्यालय प्रमुख या कोई अन्य प्राधिकृत अधिकारी किसी सरकारी कर्मचारी को माल की खरीद या सेवाएं किराए पर लेने या किसी अन्य विशेष उद्देश्य के लिए, जैसा भी मामला हो, कार्यालय मामलों के प्रबंधन के लिए निर्धारित तरीके से अग्रिम राशि स्वीकृत कर सकता है तथा समायोजन बिल, शेष राशि सहित, यदि कोई हो, संबंधित सरकारी कर्मचारी द्वारा अग्रिम राशि प्राप्त करने के 15 दिनों के भीतर प्रस्तुत किया जाएगा अन्यथा अग्रिम राशि या शेष राशि कर्मचारी के वेतन से वसूल की जा सकेगी। इसके अतिरिक्त, हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 187 में प्रावधान है कि सार आकस्मिक बिलों पर अग्रिम आहरण को उसी वित्तीय वर्ष के दौरान विधिवत समायोजित करना होगा।

लेखापरीक्षा में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस के 'बिलपेडवाउचर' तथा 'बैंचटोकनपेयी' तालिकाओं का विश्लेषण किया गया जिसमें निम्नलिखित बिंदु देखे गए:

- अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के मध्य विभिन्न कोषागारों से 8,255 मामलों³⁴ में ₹ 134.16 करोड़ का अग्रिम आहरित किया गया, जो 31 मार्च 2022 तक असमायोजित रहा।
- 88 मामलों³⁵ में ₹ 5.02 करोड़ के अग्रिमों को आगामी वित्तीय वर्षों में समायोजित किया गया।

³⁴ 2017-18: 3,719 मामले, ₹ 63.14 करोड़; 2018-19: 2,704 मामले, ₹ 39.92 करोड़; 2019-20: 1,476 मामले, ₹ 21.48 करोड़; 2020-21: 142 मामले, ₹ 2.44 करोड़; 2021-22: 214 मामले, ₹ 7.18 करोड़।

³⁵ बिलासपुर-दो, राजधानी शिमला-38, हमीरपुर-सात, कुल्लू-सात, कांगड़ा-11, लाहौल स्पीति-चार, मंडी-छह, शिमला-12, सिरमौर-एक।

- 16 मामलों³⁶ में अग्रिम राशि (₹ 9.30 करोड़) और समायोजित राशि (₹ 10.15 करोड़) के बीच अंतर था।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशनें यह सुनिश्चित नहीं कर सकीं कि अग्रिम वाउचरों का समायोजन 15 दिनों के भीतर और उसी वित्तीय वर्ष में किया जाए। इसके अतिरिक्त उपयोगकर्ता/सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट विनिर्देश सॉफ्टवेयर, सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट, डेटा फ्लो डायग्राम, डेटा शब्दकोश आदि के अभाव में डेटा फ्लो एवं अन्य तालिकाओं के साथ उसका संबंध सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन हेतु 169 मामलों का नमूना चुना गया, जिनमें से 158 की जांच की तथा पाया गया कि 72 मामलों में अग्रिम का समायोजन ऑफलाइन पद्धति से किया गया, 49 मामलों में सामान्य बिलों को अग्रिम बिलों के रूप में आहरित किया गया, 17 मामलों में वेतन के अग्रिम को वेतन बिलों के माध्यम से आगामी महीनों में समायोजित किया गया था तथा 20 बिलों में लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से प्राप्त स्वीकृतियों व वाउचरों के आधार पर सही पाई गई।

शेष 11 मामलों का सत्यापन जिला कोषागार अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण नहीं किया जा सका।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला (दिसंबर 2022) व सिरमौर (अक्टूबर 2023) ने बताया कि अधिकांश अग्रिम बिलों को आहरण एवं संवितरण अधिकारियों द्वारा प्रासंगिक दस्तावेजों के साथ समायोजन बिल प्रस्तुत करके समायोजित किया गया था। परन्तु आवेदक द्वारा दावा प्रस्तुत न करने के कारण चिकित्सा समायोजन बिल अगले वित्तीय वर्ष के लिए स्थगित कर दिए गए। इसके अतिरिक्त सॉफ्टवेयर में यह जांचने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं है कि दूसरे अग्रिम के प्राधिकरण से पहले प्रथम अग्रिम को समायोजित किया गया था या नहीं। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, राजधानी शिमला, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। तथ्य यह है कि वेतन अग्रिमों के अतिरिक्त, अग्रिमों का समायोजन उसी वित्तीय वर्ष के भीतर निर्धारित 15 दिनों के भीतर सुनिश्चित नहीं किया गया।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

³⁶ राजधानी शिमला-15, ऊना-एक।

2.3.3.8 (ग) चेक बुक की प्राप्ति से पूर्व की चेक की तिथि

चेक से संबंधित एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'एलओसीबिल' व 'एलओसीचेकबुक' तालिकाओं के डेटा के विश्लेषण से पता चला कि ये भुगतान मुख्य शीर्ष 8782³⁷ के माध्यम से किए जा रहे हैं जो अब प्रासंगिक नहीं है क्योंकि भुगतान वास्तविक समय के आधार पर आरटीजीएस के माध्यम से सीधे लाभार्थी के खाते में किए जा रहे हैं। निम्नलिखित विसंगतियां देखी गईं:

- अप्रैल 2017 से मार्च 2022 के दौरान 537 मामलों³⁸ में चेक जारी करने की तिथि चेक बुक प्राप्ति की तिथि से पूर्व की थी।
- 44,843 मामलों³⁹ में चेक जारी करने की तिथि बिल तिथि से पूर्व की थी।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों में तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 151 मामलों का नमूना चुना, जिनमें से 150 मामलों का सत्यापन किया गया। इन 150 मामलों में से 108 मामलों में भुगतान आरटीजीएस के माध्यम से किया गया परन्तु प्रणाली ने आरटीजीएस नंबर के स्थान पर वर्चुअल चेक नंबर उत्पन्न कर दिए, जिसके परिणामस्वरूप डेटाबेस में गलत जानकारी दर्ज हो गई तथा शेष 42 मामलों में भुगतान चेक के माध्यम से किया गया परन्तु डेटाबेस में चेक की अलग-अलग तिथियां दर्ज हो गईं।

शेष एक मामले का सत्यापन जिला कोषागार अधिकारियों/कोषागार अधिकारियों द्वारा अभिलेख प्रस्तुत न किए जाने के कारण नहीं किया जा सका।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (जनवरी 2023) कि बिल तिथि को टोकन तिथि के रूप में ले लिया गया। जिला कोषागार अधिकारी, कुल्लू ने बताया (फरवरी 2023) कि प्रणाली द्वारा चेक बुक को सत्यापित करने के पश्चात् ही चेक जारी किए जाते हैं। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि आरटीजीएस भुगतान को आरटीजीएस भुगतान के रूप में दर्ज किया जाना चाहिए तथा आरटीजीएस के सापेक्ष वर्चुअल चेक नंबर उत्पन्न नहीं किया जाना चाहिए। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

³⁷ मुख्य शीर्ष 8782- एक ही लेखा अधिकारी को लेखा प्रस्तुत करने वाले अधिकारियों के बीच नकद प्रेषण व समायोजन।

³⁸ बिलासपुर-98, चंबा-17, हमीरपुर-चार, कुल्लू-सात, कांगड़ा-39, किन्नौर-दो, लाहौल-स्पीति-तीन, मंडी-182, शिमला-67, सिरमौर-18, सोलन-95, ऊना-पांच।

³⁹ बिलासपुर-3,426, चंबा-2,716, हमीरपुर-1,504, कुल्लू-2,454, कांगड़ा-9,643, किन्नौर-883, लाहौल-स्पीति-658, मंडी-9,327, शिमला-6,659, सिरमौर-2,554, सोलन-3,924, ऊना-1,095।

2.3.3.8 (घ) साख पत्र से संबंधित लेनदेन में अनियमितताएं

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 221(7) में कहा गया है कि साख पत्र की अप्रयुक्त शेष राशि अवधि की समाप्ति के पश्चात् उपयोग के लिए उपलब्ध होगी परन्तु उस वर्ष के 31 मार्च के पश्चात् नहीं। संबंधित आहरण एवं संवितरण अधिकारी साख पत्र की अप्रयुक्त राशि का अभ्यर्पण करेगा।

लेखापरीक्षा ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'एलओसी एलोकेशन' व 'एलओसीबिल' तालिकाओं का विश्लेषण किया और पाया कि

- वर्ष 2020-22 के दौरान दो मामलों में ₹ 6.63 लाख राशि का अधिक आहरण किया गया।
- अप्रैल 2017-18 से मार्च 2021-22 के मध्य 1,280 मामलों में ₹ 652.91 करोड़ अव्ययित रहे।
- नौ मामलों में एलओसी एलोकेशन के सापेक्ष कोई व्यय बुक नहीं किया गया।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली एप्लीकेशनों में यह सुनिश्चित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था कि कोई भी व्यय आवंटित साख पत्र से अधिक न हो। व्यय आधिक्य के कारणों को डेटाबेस में दर्ज नहीं किया गया तथा डेटाबेस में इस बात की भी प्रविष्टि नहीं की गई कि वित्तीय वर्ष के अंत में अप्रयुक्त निधियों का अभ्यर्पण कर दिया गया था या नहीं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के कार्यान्वयन के दौरान उपरोक्त नियमों की उपेक्षा की गई, जबकि आवंटन के प्रति अतिरिक्त भुगतान को प्रतिबंधित करने के लिए हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियम के अनुपालन हेतु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में ये नियम आवश्यक थे।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 69 मामलों का नमूना चुना गया। सत्यापन से उजागर हुआ कि वित्तीय वर्ष के अंत में शेष राशि साख पत्र के अंतर्गत रखी थी, परन्तु उसे अभ्यर्पित नहीं किया गया।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (जनवरी 2023) कि ऐसे भुगतान आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से संबंधित थे तथा साख पत्र का शेष वित्तीय वर्ष के अंत में व्यय हो गया था। जिला कोषागार अधिकारी कुल्लू ने बताया (फरवरी 2023) कि ऐसे भुगतान आहरण एवं संवितरण अधिकारियों से संबंधित थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि जिला कोषागार अधिकारियों को प्रणाली के माध्यम से साख पत्र के सापेक्ष अतिरिक्त भुगतान एवं अप्रयुक्त निधियों की निगरानी करनी चाहिए। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

2.3.4 पेंशन प्रबंधन

मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (डीसीआरजी), सेवानिवृत्ति पर पेंशन का कम्प्यूटेशन जैसे सेवांत लाभ गैर-आवर्ती एकमुश्त भुगतान हैं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-पेंशन मॉड्यूल में इस प्रकार के बिलों पर प्रक्रिया का प्रावधान करता है।

2.3.4.1 ई-पेंशन मॉड्यूल का प्रबंधन

राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के तहत मिशन मोड प्रोजेक्ट (कोषागार के कम्प्यूटरीकरण) की योजना के दिशानिर्देशों के परिच्छेद 4.6 में कहा गया है कि पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि का मासिक भुगतान करने के लिए पेंशन मॉड्यूल महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त पेंशन भुगतान आदेश पर प्रक्रिया करेगा। यह मॉड्यूल मासिक पेंशन बिलों को तैयार करेगा तथा पेंशन के बकाया की गणना की सुविधा प्रदान करेगा। यह मॉड्यूल पेंशनभोगियों को ऑनलाइन खाता विवरण तथा पेंशनभोगियों के साथ विभिन्न लेन-देन की सुविधा भी उपलब्ध कराएगा जिसमें उनके वार्षिक जीवन प्रमाणपत्र आदि शामिल होंगे। इसके अतिरिक्त उपरोक्त दिशानिर्देशों के परिच्छेद 4.13 में कहा गया है कि पेंशन, ऋण, डिबेंचर आवंटन, चेक और चालान के संबंध में आहरण एवं संवितरण अधिकारियों व बैंकों से ई-स्थिति पूछताछ, न्यूनतम अपेक्षित सेवाओं के संकेतात्मक सेट का हिस्सा हैं। मिशन मोड प्रोजेक्ट के दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 4.11 में यह भी कहा गया है कि महालेखाकार कार्यालय के साथ लिंक संपर्क सुनिश्चित किया जाना चाहिए ताकि महालेखाकार कार्यालय के साथ वाउचर स्तर के डेटा का इलेक्ट्रॉनिक रूप से आदान-प्रदान किया जा सके जिससे लेनदेन के लेखांकन के मिलान हेतु एक कुशल साधन उपलब्ध हो सके।

पेंशन/पारिवारिक पेंशन आदि के मासिक भुगतान के लिए पेंशन भुगतान आदेश (पीपीओ) महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के कार्यालय द्वारा तैयार किए जाते हैं। तत्पश्चात पेंशन भुगतान आदेशों को कोषागारों को भेजा जाता है जहां पेंशन भुगतान आदेशों से संबंधित डेटा पर आगामी प्रक्रिया करने के लिए ई-पेंशन मॉड्यूल में फीड किया जाता है। इसके अतिरिक्त ई-पेंशन एवं डेटाबेस के फ्रंट-एंड स्क्रीन के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि पेंशन मॉड्यूल के प्राधिकरण व भुगतान के लिए कोषागार और महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के बीच कोई इंटरफेस नहीं था तथा जिला कोषागार अधिकारी महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राप्त पेंशन भुगतान आदेशों की मुद्रित प्रतियों से पेंशनभोगी की व्यक्तिगत जानकारी व सेवानिवृत्ति लाभ दर्ज कर रहे थे। इसके अतिरिक्त पेंशनभोगी लेजर बही की अनुपलब्धता के कारण महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा अधिकृत और जिला कोषागारों द्वारा जारी पेंशन भुगतान का भुगतानकर्ता बैंकों के साथ इलेक्ट्रॉनिक रूप से मिलान नहीं किया जा सका। साथ ही एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने महालेखाकार को कोषागार के साथ

इलेक्ट्रॉनिक रूप से डेटा का मिलान करने के लिए ऑनलाइन आधार पर संशोधन करने/लेनदेन जोड़ने के लिए एक्सेस नहीं दिया।

ई-पेंशन के फ्रंट-एंड विश्लेषण से यह भी उजागर हुआ कि ई-पेंशन मॉड्यूल में कर्मचारी पहचान संख्या दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-पेंशन पब्लिक पोर्टल पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार, पेंशन मॉड्यूल में 1,81,632 पेंशनभोगी मौजूद हैं (14 जून 2023 तक), जिनमें से 1,57,624 पेंशनभोगी सक्रिय पेंशनभोगी हैं, और 1,85,512 आधार ई-पेंशन में अपडेट किए गए हैं। यह जानकारी गलत प्रतीत होती है क्योंकि आधार अपडेट की संख्या कुल पेंशनभोगियों की संख्या से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप ई-पेंशन डेटा में 3,880 अतिरिक्त रिकॉर्ड शामिल हो गए, यह दर्शाता है कि डेटा अविश्वसनीय है।

महालेखाकार कार्यालय को लिंक उपलब्ध करा कर जोड़ने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक मॉड्यूल विकसित करने में कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग की विफलता के कारण पेंशन भुगतान तथा प्राप्ति व व्यय, आदि के संबंध में वेब-आधारित नागरिक प्रश्नों का समाधान करने की सुविधा देने का मुख्य लक्ष्य प्राप्त नहीं किया जा सका।

उपरोक्त बिंदु मई 2022 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.4.2 पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाण-पत्र प्राप्त किए बिना पेंशन जारी रखना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 243 (1) में कहा गया है कि पेंशनभोगी को प्रत्येक वर्ष जुलाई-अगस्त में जीवन प्रमाण-पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक है, जैसाकि निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त नियम 259 (3) में भी कहा गया है कि जीवन प्रमाण पोर्टल के माध्यम से जारी जीवन प्रमाणपत्र को वैध जीवन प्रमाणपत्र के रूप में स्वीकार किया जाएगा, जिसके लिए आधार नंबर को ई-पेंशन में जोड़ना होगा। जीवन प्रमाणपत्र की वैधता एक वर्ष है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषागारों/उप-कोषागारों ने निर्धारित महीनों के भीतर पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना ही पेंशन स्वीकृत कर दी। लेखापरीक्षा ने बिल प्रक्रिया और पेंशन बिलों के पास होने से संबंधित ई-पेंशन डेटाबेस की 'पेनमंथलीट्रांजेक्शन', 'पेंशनरलाइव सर्टिफिकेट' व 'ईपेंशनन्यू' तालिकाओं के डेटा का विश्लेषण किया।

वर्ष 2017-22 के दौरान जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले पेंशनभोगियों की संख्या 1,803 से 1,43,779 के मध्य थी, जिसका विवरण तालिका 2.20 में दिया गया है।

तालिका 2.20: जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत नहीं करने वाले पेंशनभोगियों का विवरण

वर्ष	एक वर्ष से कम	एक से दो वर्ष के मध्य	दो से तीन वर्ष के मध्य	तीन से चार वर्ष के मध्य	योग
2017	1,710	139	2	1	1,852
2018	1,762	120	3	0	1,885
2019	1,589	202	12	0	1,803
2020	1,898	8,174	0	0	10,072
2021	1,43,779	0	0	0	1,43,779

ई-पेंशन डेटाबेस की 'पेनमंथलीट्रांजेक्शन' व 'पेंशनरलाइवसर्टिफिकेट' तालिकाओं के विश्लेषण से उजागर हुआ कि या तो कोषागार कार्यालय ने पेंशनभोगियों से जीवन प्रमाणपत्र एकत्रित नहीं किए या उपरोक्त तालिकाओं में जीवन प्रमाणपत्र की तिथियां अप्रैल 2017 व मार्च 2022 के मध्य अपडेट नहीं की गईं।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 243 मामलों का नमूना चुना गया। लेखापरीक्षा में कोई विसंगति नहीं मिली क्योंकि लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद कोषागारों ने जीवन प्रमाणपत्रों को अपडेट कर दिया था।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला (अक्टूबर 2022), चंबा व हमीरपुर (नवंबर 2022) और कुल्लू (दिसंबर 2022) ने बताया कि सरकार द्वारा जारी आदेश के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए प्रस्तुत जीवन प्रमाणपत्र कोविड-19 प्रतिबंधों के कारण वर्ष 2021-22 के लिए मान्य होंगे। जिला कोषागार अधिकारी, हमीरपुर व कुल्लू ने आगे बताया कि सॉफ्टवेयर में जीवन प्रमाणपत्र की वैधता की जांच करने व जीवन प्रमाणपत्र की वैधता समाप्त होने के बाद पेंशन रोकने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना पेंशन जारी रखने संबंधी आदेश केवल वित्तीय वर्ष 2021-22 हेतु लागू था, जबकि जीवन प्रमाणपत्र प्राप्त किए बिना भुगतान पिछले कई वर्षों से अधिकृत किया गया था। जीवन प्रमाणपत्र के अभाव में पेंशन न रोकना अधिक भुगतान में परिणत हो सकता है। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

2.3.4.3 मास्टर डेटा में डेटा संबंधी मुद्दे

2.3.4.3 (क) पेंशनभोगी संबंधी तालिका में कई प्रविष्टियां एवं भिन्न जन्म तिथियां

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 254 (क) में कहा गया है कि यदि मृतक पेंशनभोगी के परिवार का कोई पात्र सदस्य जीवित है, तो जिला कोषागार अधिकारी पारिवारिक पेंशन का भुगतान करेगा/अधिकृत करेगा। इसके अतिरिक्त नियम 255(2) में निर्धारित है कि जिला कोषागार पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि पेंशनभोगी के डेटाबेस में दर्ज करेगा।

कोषागार अधिकारी के लिए संचालन नियमपुस्तिका के परिच्छेद 2.3 में आगे कहा गया है कि ई-पेंशन एक वेब-आधारित सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है जिसका उपयोग सरकारी कर्मचारियों की पेंशन से संबंधित सभी प्रक्रियाओं के लिए किया जाता है। इसमें पेंशनभोगियों का डेटाबेस होता है व इसका उपयोग मासिक पेंशन पर प्रक्रिया करने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से ई-पेंशन प्रणाली में पेंशनभोगी के पंजीकरण, पेंशन रूपांतरण, पेंशन हस्तांतरण, पेंशन संशोधन, पेंशन पर रोक, जीवन प्रमाणपत्र को अपडेट करने, मासिक पेंशन पर प्रक्रिया करने एवं पेंशन से संबंधित रिपोर्ट उत्पन्न करने के लिए किया जाता है। उपरोक्त सभी प्रक्रियाएं एक लॉगिन आईडी व पासवर्ड का उपयोग करके की जाती हैं जो ई-पेंशन प्रणाली के लिए संबंधित जिला कोषागार अधिकारियों/अन्य सहायकों को प्रदान किया जाता है।

लेखापरीक्षा में ई-पेंशन डेटाबेस की 'पेंशनररिलेशन' तालिका का विश्लेषण किया गया एवं पाया गया कि पात्र पारिवारिक पेंशनभोगियों का विवरण दर्ज किया गया था। डेटा विश्लेषण से उजागर हुआ कि 23,391⁴⁰ पारिवारिक पेंशनभोगियों के मामले में कई प्रविष्टियां पाई गईं। इनमें से 10,599⁴¹ पारिवारिक पेंशनभोगियों (पीपीओ) के मामले में एक ही नाम एवं पेंशन भुगतान आदेश संख्या के सामने अलग-अलग जन्मतिथि अंकित थी अर्थात् तालिका के 'आरईएल_डीओबी' कॉलम में तिथियां अलग-अलग थीं, जबकि 'आरईएल_नेम' (रिश्तेदार का नाम) एक ही पाया गया। अतः प्रणाली एक ही पारिवारिक पेंशनभोगी के सापेक्ष भिन्न जन्म तिथि वाली दोहरी प्रविष्टियों को प्रतिबंधित नहीं कर सका।

डेटाबेस में एक ही पारिवारिक पेंशनभोगी के लिए दो अलग-अलग जन्म तिथियों का होना ई-पेंशन मॉड्यूल में डेटा की विश्वसनीयता को प्रभावित करता है।

लेखापरीक्षा में तथ्यों के सत्यापन हेतु चयनित चार कोषागारों में 200 मामलों के नमूने का चयन किया गया (विवरण **परिशिष्ट 2.6** में)। लेखापरीक्षा अभ्युक्तियों की पुष्टि कोषागारों में ई-पेंशन मॉड्यूल में उपलब्ध सूचकांक (इंडेक्स) कार्ड में मिली जानकारी से हुई।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (फरवरी 2023) कि डमी जन्म तिथि तब दर्ज की जाती है जब वास्तविक जन्म तिथि उपलब्ध नहीं होती तथा बाद में जन्म तिथि का प्रमाण प्राप्त होने पर उसे अपडेट किया जाता है। जिला कोषागार अधिकारी, चंबा ने बताया (दिसंबर 2022) कि जहां गलत जन्म तिथि दर्ज की गई थी, वहां जन्म तिथि में सुधार किया गया है। जिला कोषागार अधिकारी कांगड़ा (जनवरी 2023) ने बताया कि पेंशनभोगी की जन्म

⁴⁰ बिलासपुर-405, चंबा-1,953, हमीरपुर-1,312, कुल्लू-1,015, कांगड़ा-5,457, किन्नौर-250, लाहौल-स्पीति-34, मंडी-3,968, पांगी-71, शिमला-3,832, सिरमौर-1,717, सोलन-2027, ऊना-1,350।

⁴¹ बिलासपुर-99, चंबा-982, हमीरपुर-767, कुल्लू-242, कांगड़ा-4,408, किन्नौर-81, लाहौल-स्पीति-27, मंडी-1,269, पीएनजी-10, शिमला-578, सिरमौर-377, सोलन-1,193, ऊना-566।

तिथि पेंशनभोगी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों के अनुसार है। प्रणाली गलत जन्म तिथि के साथ-साथ नई सही जन्म तिथि भी प्रदर्शित करता है।

जिला कोषागार अधिकारी, ऊना ने बताया (जनवरी 2024) कि डमी जन्म तिथि तब दर्ज की जाती है जब वास्तविक जन्म तिथि उपलब्ध नहीं होती तथा डेटाबेस में इसे पुनः दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि एक ही पारिवारिक पेंशनभोगी की दोहरी प्रविष्टियों में दर्ज जन्म तिथि भिन्न नहीं हो सकती। इसके अतिरिक्त कोषागार पेंशनभोगियों के नाम व जन्म तिथि की सही प्रविष्टि सुनिश्चित नहीं कर सके। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन व सिरमौर के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.4.3 (ख) पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से पहले पारिवारिक पेंशन प्रदान करना तथा पेंशनभोगी और पारिवारिक पेंशनभोगी का एक ही नाम दर्ज करना

केंद्रीय सिविल सेवा पेंशन नियमावली, 1972 के नियम 54(2)(iii) में कहा गया है कि मृतक सरकारी कर्मचारी का परिवार जो मृत्यु की तिथि पर पेंशन प्राप्त कर रहा था या सेवा से सेवानिवृत्ति के पश्चात् अनुकंपा भत्ता प्राप्त कर रहा था, पारिवारिक पेंशन का हकदार होगा।

ई-पेंशन मॉड्यूल से संबंधित 'पेंशनररिलेशन' तालिका के विश्लेषण से उजागर हुआ कि:

- 1,204 मामलों में पारिवारिक पेंशन आरंभ होने की तिथि मृतक कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से पूर्व की थी।
- 577 मामलों में कर्मचारी/पेंशनभोगी का नाम व पारिवारिक पेंशनभोगी का नाम एक ही पाया गया।

इससे पता चलता है कि ई-पेंशन मॉड्यूल में कोई सत्यापन जांच नहीं थी, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि पारिवारिक पेंशन आरंभ होने की तिथि पेंशनभोगी की मृत्यु की तिथि से पहले की नहीं हो।

चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए चयनित 146 मामलों के नमूनों का लेखापरीक्षा द्वारा सत्यापन किया गया तथा ई-पेंशन मॉड्यूल में उपलब्ध इंडेक्स कार्ड के माध्यम से गलत डेटा मिलने की पुष्टि की गई।

जिला कोषागार अधिकारी, चंबा ने बताया (जनवरी 2023) कि मृत्यु की तिथि गलत दर्ज की गई है परन्तु पेंशन वास्तविक तिथि से दी जाती है और कोई अधिक भुगतान नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त जिला कोषागार अधिकारी शिमला ने बताया (नवंबर 2022) कि त्रुटि डेटा

प्रविष्टि के समय हुई थी जब पेंशन के मामलों को बैंकों से लिया गया था। जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, कुल्लू, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.4.3 (ग) मृत्यु पश्चात् पेंशन बंद करने में विलंब

केंद्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियमावली, 2021 के नियम 2 में कहा गया है कि पेंशन नियम 31 दिसंबर 2003 को या उससे पहले नियुक्त सरकारी कर्मचारियों पर लागू होंगे, जिनमें असैन्य सरकारी कर्मचारी भी शामिल हैं। पेंशन का भुगतान सेवानिवृत्ति के बाद या कुछ परिस्थितियों में सेवानिवृत्ति से पहले किया जाता है। पारिवारिक पेंशन, सेवा के दौरान या सेवानिवृत्ति के बाद कर्मचारी की मृत्यु होने पर पात्र पारिवारिक सदस्य को देय होती है। नियम 37(14) में कहा गया है, कि परिवार कर्मचारी द्वारा सरकार एवं सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में दी गई संयुक्त सेवा के आधार पर पेंशन लाभ के लिए पात्र होगा, जो कि ऐसे पेंशन लाभ की गणना के लिए फार्मूले के अनुसार होगा जो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम से उसकी सेवानिवृत्ति या उसकी मृत्यु के समय केन्द्र सरकार में लागू हो।

ई-पेंशन डेटाबेस की 'पेंशनररिलेशन' तालिका के विश्लेषण के दौरान देखा गया कि पांच मामलों में पेंशन की तिथि मृत्यु की तिथि के बाद थी, जैसाकि तालिका 2.21 में विवर्णित है।

तालिका 2.21: मृत्यु तिथि के पश्चात् पेंशन तिथि का विवरण

टीआरइ_कोड	पीइएन_कोड	आरइएल_नेम	आरइएल_डीओबी	आरइएल_डीओआर	आरइएल_डीओपी
बीएलपी00	****8एच011	**** देवी	10-11-1927	20-04-1988	01-09-1988
एमडीआई00	****7जी078	****सिंह	28-07-1954	10-03-2013	01-08-2017
एसएमएल00	****1के001	****रीता	20-04-1987	20-04-1987	17-11-2001
यूएनए00	****7एल006	****हमीरी	01-01-1939	12-08-1997	13-12-1997
यूएनए 00	****8ई006	**** देवी	11-05-1950	28-02-2008	01-06-2008

किसी पेंशनभोगी की मृत्यु तिथि पेंशन तिथि से पहले नहीं हो सकती। डेटा विश्लेषण से पता चलता है कि या तो डेटाबेस में डमी डेटा मौजूद है या फिर पेंशनभोगी का गलत डेटा ई-पेंशन मॉड्यूल में दर्ज किया गया है। उपर्युक्त मामलों में पेंशन का प्राधिकार अनियमित था तथा प्रणाली में इस अनियमितता को उजागर करने के लिए कोई प्रावधान नहीं है।

लेखापरीक्षा में ई-पेंशन मॉड्यूल से पेंशनर इंडेक्स कार्ड उत्पन्न करके चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए दो मामलों का नमूना चुना गया, जिसमें पाया गया कि ये डेटा प्रविष्टि त्रुटियां थीं।

इसी भांति 12 पेंशन मामलों में रोकने की तिथि व मृत्यु की तिथि के मध्य का अंतर एक माह से लेकर 199 माह तक था, जैसाकि तालिका 2.22 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.22: पेंशन रोकने की तिथि एवं मृत्यु की तिथि में अंतर वाले पेंशन मामलों का विवरण

टीआरइ_कोड	पीइएन_कोड	आरइएल_नेम	आरइएल_डीओपी	आरइएल_डीओडी	आरइएल_डीओएस	माह में अंतर
केएनआर00	****7एच002	****पल्मो	27-06-2017	26-06-2017	02-09-2021	50
एसएमएल00	****8एल008	**** देवी	01-01-1989	13-02-2021	17-04-2021	2
एसएमएल 00	****4ए020	**** देवी	02-10-2018	04-09-2020	23-11-2020	2
एसएमएल 00	****0एल065	**** देवी	13-12-2010	10-04-2020	17-11-2020	7
एसएमएल 00	****8एल096	****सिंह	02-12-2018	17-04-2021	03-08-2021	3
एसएमआर00	****5सी040	****आई	09-06-2016	03-03-2020	01-12-2021	20
एसएमआर 00	****7एच005	**** देवी	28-10-2019	29-04-2021	01-06-2021	1
एसएमआर 00	****8जे041	****रिया	30-11-2018	29-02-2020	01-07-2020	4
एसओएल00	****9एच019	**** देवी	03-04-2011	02-04-2011	02-06-2021	122
यूएनए00	****4एफ016	****एम दाई	16-05-2009	15-05-2005	17-12-2021	199
यूएनए00	****7बी018	**** देवी	06-03-2010	17-01-2013	21-12-2013	11
यूएनए 00	****8एच025	**** कौर	12-02-2009	11-02-2009	01-12-2020	141

तालिका 2.22 से यह स्पष्ट था कि पेंशनभोगी की मृत्यु तिथि से पेंशन रोकने में 199 माह का विलम्ब था, जिसके परिणामस्वरूप अधिक भुगतान हो सकता था।

ई-पेंशन मॉड्यूल में पेंशनभोगी की मृत्यु तिथि के संबंध में पेंशन/पारिवारिक पेंशन की आरंभ तिथि व पेंशन रोकने की तिथि को मान्य करने तथा कर्मचारी/पेंशनभोगी की मृत्यु के तुरंत बाद बिना किसी विलम्ब के पेंशन रोकने के लिए कोई सत्यापन जांच नहीं है।

लेखापरीक्षा में ई-पेंशन मॉड्यूल से पेंशनर इंडेक्स कार्ड उत्पन्न करके चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए चार मामलों का नमूना चुना गया, जिसमें पाया गया कि ये डेटा प्रविष्टि त्रुटियां थीं।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (फरवरी 2023) कि बैंक से पेंशन लेते समय डेटा बैंक से कोषागार में स्थानांतरित कर दिया गया था। त्रुटि उसी अवधि की डेटा प्रविष्टि से संबंधित है। जिला कोषागार अधिकारी, ऊना (जनवरी 2024) ने बताया कि आरम्भ में पेंशनभोगियों के नाम उपलब्ध नहीं थे और केवल पारिवारिक पेंशनभोगियों के नाम ही उपलब्ध थे साथ ही कार्यालय द्वारा नामों को सुधारने का कोई प्रावधान नहीं था। जिला कोषागार अधिकारी किन्नौर, मंडी, सोलन व सिरमौर के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। तथ्य यह है कि कोषागार को प्रणाली में दर्ज डेटा की सटीकता व वैधता सुनिश्चित करनी चाहिए।

2.3.4.3 (घ) मृत्यु पश्चात् जीवन प्रमाणपत्र प्रस्तुत करना व पेंशन जारी रखना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 33(डी) में प्रावधान है कि कोषागार अधिकारी पेंशनभोगियों के जीवन प्रमाणपत्र सहित सभी प्रकार के पेंशन भुगतान तथा उससे संबंधित पत्राचार के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा में ई-पेंशन डेटाबेस की 'पेंशनरमास्टर', 'पेंशनक्लियरेंसएसबीपी' व 'पेनमंथलीट्रांजेक्शन' तालिकाओं का विश्लेषण किया गया जिसमें पाया कि दो पेंशनभोगियों⁴² के मामले में दो कोषागारों⁴³ में जीवन प्रमाणपत्र की प्रविष्टियां 30-06-2011 व 30-06-2022 के रूप में दर्ज की गईं जबकि उनकी मृत्यु की तिथि क्रमशः 30-06-1965 व 23-03-1994 थी। प्रणाली में मृत्यु तिथि 23-03-1994 वाले मामले⁴⁴ में 01-10-2009 से 31-03-2022 तक बैंक खाते में ₹ 95,92,274/- की पेंशन दर्शाई गई थी।

संबंधित कोषागारों ने न तो जीवन प्रमाणपत्रों की प्रामाणिकता का मैन्युअल रूप से सत्यापन किया एवं न ही ई-पेंशन मॉड्यूल में ऐसा कोई प्रावधान था जिससे जीवन प्रमाणपत्र को अस्वीकृत किया जा सके, यदि मृत्यु तिथि पहले से ही सॉफ्टवेयर में दर्ज हो।

उपरोक्त बिंदु अगस्त 2022 में विभाग को भेजे गए; उत्तर अभी भी प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

2.3.4.3 (ड) 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी पुत्र को पारिवारिक पेंशन का निरंतर एवं अधिक भुगतान

कार्यालय जापन (अक्टूबर 1999) के परिच्छेद 1(डी) (v) में प्रावधान है कि पात्र पुत्र/पुत्री (विधवा/तलाकशुदा पुत्रियों सहित) के विवाहित/पुनर्विवाह होने या उनकी मासिक आय ₹ 2,620/- से अधिक होने या पुत्र के 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर, जो भी पहले हो, विशेष संतान के मामले को छोड़ कर, पारिवारिक पेंशन का भुगतान बंद कर दिया जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि ई-पेंशन डेटाबेस की 'पेंशनररिलेशन' तालिका के कॉलम 'आरइएल_एचसीपी' में, प्रणाली पुरुष संतानों की विकलांगता स्थिति को शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग के लिए '1' मान व सामान्य के लिए '0' मान के साथ परिभाषित करती है।

- 352 मामलों में पुरुष संतान को पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी जारी रखी गई। हालांकि प्रणाली शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग पुत्र का विवरण दर्ज करती है, फिर भी यह देखा गया कि 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी पुत्र को पेंशन वितरित की जाती रही जबकि प्रणाली में शारीरिक या मानसिक रूप से विकलांग व्यक्ति की कोई प्रविष्टि नहीं थी।
- 27 मामलों में जहां 'पेंशनररिलेशन' तालिका के कॉलम 'आरइएल_एचसीपी' में मान '0' था, पुरुष संतान को दी जाने वाली पारिवारिक पेंशन 25 वर्ष की आयु में बंद कर दी जानी थी परन्तु डेटा से यह देखा गया कि पेंशन बंद करने में एक से 356 माह का

⁴² पेंशन आईडी कोविड99999 व एमडीआईए82जे007

⁴³ कोषागार- एचपीजी00 व मंडी जिला कोषागार (एमडीआई00)।

⁴⁴ पेंशन आईडी एमडीआईए82जे007

विलम्ब हुआ, जो पेंशन के अधिक भुगतान में परिणत हो सकता था। कोषागार ने उन व्यक्तियों की पारिवारिक पेंशन समाप्त नहीं की, जो अब पेंशन के लिए पात्र नहीं थे।

- 352 मामलों में से 81 में मृतक कर्मचारी/पेंशनभोगी की पेंशन रोकने की तिथि (पीएएन_एसडीटी) को 'शून्य' दर्शाई गई।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 48 मामलों का नमूना चुना गया। यह पाया गया कि 39 मामलों में पेंशन रोकने की तिथि दर्ज नहीं की गई, जिनमें से आठ पेंशन मामलों⁴⁵ (जिला कोषागार अधिकारी, कुल्लू-तीन मामले, जिला कोषागार अधिकारी, शिमला-तीन मामले व जिला कोषागार अधिकारी, बिलासपुर-दो मामले) में दावेदारों को अधिक भुगतान किया गया। शेष नौ मामलों में से आठ मामले विकलांग पुत्र से संबंधित थे तथा एक मामला (जिला कोषागार अधिकारी, कुल्लू) अधिक भुगतान का था (जिसमें रोकने की तिथि अंकित थी)।

जिला कोषागार अधिकारी शिमला, कुल्लू, चंबा (दिसंबर 2022) व ऊना (जनवरी 2024) ने बताया कि कुछ मामलों में पुत्र विकलांग थे, अन्य मामलों में प्रणाली स्वतः पेंशन नहीं रोकती। अधिकारियों को मैनुअली पेंशन रोकनी पड़ती है एवं 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद भी शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग न हुए पुत्र को पारिवारिक पेंशन जारी रहती है। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन व सिरमौर के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2024)। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि कोषागार द्वारा यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए था कि शारीरिक/मानसिक रूप से विकलांग पुरुष संतान के मामले के अतिरिक्त 25 वर्ष की आयु प्राप्त करने पर पुरुष संतान की पारिवारिक पेंशन बंद कर दी जाए।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.4.4 मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का कई बार अनधिकृत भुगतान

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 21 में कहा गया है कि जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी तथा आहरण एवं संवितरण अधिकारी सार्वजनिक क्षमता में बिना अधिकार के वितरित की गई सभी धनराशियों के लिए व्यक्तिगत रूप से उत्तरदायी होंगे। इसके अतिरिक्त नियम 15 में कहा गया है कि जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी किसी व्यक्ति को किसी उद्देश्य के लिए आहरण की अनुमति तब तक नहीं देगा, जब तक कि आहरण का दावा ऐसे व्यक्ति द्वारा ऐसे प्रपत्र में प्रस्तुत न किया जाए, तथा जिला कोषागार

⁴⁵ अधिक भुगतान के कुल नौ मामले हैं: आठ मामले रोकने की तिथि के बिना व एक मामला रोकने तिथि के साथ।

अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा ऐसे तरीके से संतोषजनक जांच न की जाए, जैसाकि इन नियमों में विहित हो अथवा वित्त विभाग द्वारा निर्दिष्ट हो।

क) लेखापरीक्षा में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'बिलपेडवाउचर्स' व 'डीडीओबिलडिटेल्स' तालिकाओं का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया कि:

- मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान ₹ 10.00 लाख की अधिकतम सीमा से अधिक हुआ एवं बिलों का सत्यापन किए बिना, ₹ 0.03 लाख से ₹ 17.32 लाख तक का ₹ 180.05 लाख का अधिक भुगतान 32 दावेदारों के बैंक खातों में, कई बिलों से आहरित करके, मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी की निर्धारित सीमा अर्थात ₹ 10.00 लाख से अधिक, जमा किया गया।
- जिला कोषागार अधिकारी, सोलन ने महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा जारी (जुलाई 2020) ₹ 10.00 लाख के प्राधिकार के सापेक्ष एक पेंशनभोगी के पक्ष में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में ₹ 1.00 करोड़ का भुगतान जारी किया (अगस्त 2020), जो ₹ 90.00 लाख के अधिक भुगतान में परिणत हुआ। मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान को निर्धारित सीमा के भीतर प्रतिबंधित करने के तंत्र का अभाव अधिक भुगतान में परिणत हुआ।
- दो मामलों में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी का भुगतान एक ही पेंशन भुगतान आदेश संख्या के सापेक्ष अलग-अलग नाम वाले दावेदारों को हस्तांतरित किया गया, जैसाकि तालिका 2.23 में विवर्णित है।

तालिका 2.23: विभिन्न दावेदारों को हस्तांतरित मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के भुगतान का विवरण (राशि ₹ में)

कोषागार_कोड	बिल सं.	दावेदार का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	सकल राशि
एसएमएल00	एसएमएल005062017100209	****एन लाल	****6727	1,86,599
एसएमएल00	एसएमएल005062017100210	****एन लाल	****6727	3,679
एसएमएल00	एसएमएल005062018100497	**** देवी	****6727	2,20,532
सीटीओ00	सीटीओ003192017100247	****उदगिल	****2439	5,400
सीटीओ00	सीटीओ003192018100737	****उदगिल	****2439	2,84,089
सीटीओ00	सीटीओ003192019100148	****उदगिल	****2439	1,22,150

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से 32 पेंशन भुगतान आदेशों में से 26 से संबंधित बिलों का सत्यापन किया गया, जिसमें पुष्टि हुई कि 22 बिलों में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी से संबंधित ₹ 117.84 लाख की राशि का प्राधिकार जारी नहीं किया गया तथा पांच बिलों में ₹ 39.85 लाख की राशि कम्प्यूटेशन के लिए जारी की गई, जिसे मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के सापेक्ष बुक किया गया था। एक मामले में ₹ 9,89,043/- का प्राधिकार जारी किया गया

परन्तु ₹ 9,89,403/- का बिल तैयार कर पास किया गया, जो ₹ 360/- के अधिक भुगतान में परिणत हुआ।

ख) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस के 'बिलपेडवाउचर्स' व 'डीडीओबिलडिटेल्स' तालिकाओं के विश्लेषण के दौरान पाया गया कि संबंधित कोषागारों द्वारा अतिरिक्त मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बिल पास कर दिए गए, जबकि महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा कोई प्राधिकार जारी नहीं किया गया था, जो अनधिकृत भुगतान में परिणत हुए।

कोषागारों द्वारा किए गए अनधिकृत अतिरिक्त भुगतानों का विवरण तालिका 2.24 में दिया गया है।

तालिका 2.24: मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के अनधिकृत अतिरिक्त भुगतान का विवरण

कोषागार कोड	डीडीओ कोड	बिल संख्या	दावेदार का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	बैंक खाता संख्या	सकल राशि (₹ में)
केएनजी05	727	केएनजी057272017100619	****आई राम	****17711	****64120	4,722
बीएलपी00	643	बीएलपी006432016100833	****एन लाल	****33917	****95360	6,862
सीएचएम01	674	सीएचएम016742016100208	****इयान्	****35768	****56790	6,840
एमडीआई01	202	एमडीआई012022018100119	**** देवी	****35927	****98403	24,738
केएनजी15	201	केएनजी152012018100136	****सिंह	****52588	****31517	18,763
एसएमआर00	509	एसएमआर005092018100073	****सिंह	****56792	****64109	11,171
केएनजी09	622	केएनजी096222018100282	****चंद	****70125	****17139	5,148
केएनजी03	537	केएनजी035372021100003	****सिंह	****86874	****15640	16,032
योग						94,276

उपरोक्त डेटा दर्शाता है कि भुगतान प्राधिकृत करने से पूर्व महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा जारी किए गए मूल प्राधिकारों/विवरणों को अपलोड करने का कोई तंत्र नहीं था क्योंकि महालेखाकार कार्यालय के साथ लिंक एवं ऑनलाइन आधार पर संशोधन करने/लेनदेन जोड़ने के लिए महालेखाकार को अनुमति का एक्सेस प्रदान नहीं किया गया था (मिशन मोड प्रोजेक्ट दिशानिर्देशों का परिच्छेद 4.11)। यह महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय व एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के मध्य इंटरफेस के अभाव का परिणाम था, जैसाकि परिच्छेद 2.3.4.1 में चर्चा की गई है।

ग) एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस के 'बिलपेडवाउचर्स' व 'डीडीओबिलडिटेल्स' तालिकाओं के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि एक ही पेंशनभोगी को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के संबंध में कई भुगतान किए गए, जिन्हें कई बार मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी प्राप्त करने के कारणों की अनुपलब्धता के कारण प्रमाणित नहीं किया जा सका।

चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन हेतु 86 मामलों के चयनित नमूने से उजागर हुआ कि:

- 74 मामलों में महंगाई भत्ते में वृद्धि के कारण भुगतान जारी कर दिया गया तथा प्रणाली ने अतिरिक्त भुगतान को मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में दर्ज कर लिया और मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के पूर्व भुगतानों से इसे पृथक नहीं कर सका क्योंकि डेटाबेस में कोई टिप्पणी दर्ज नहीं की गई थी।
- दो मामलों के अभिलेख संबंधित कोषागार में उपलब्ध नहीं थे।
- सात मामलों में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी पर ब्याज का भुगतान न्यायालय के आदेश के अनुसार किया गया, तथा
- तीन मामलों में अवकाश नकदीकरण का भुगतान गलती से मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के रूप में बुक किया गया।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला (अक्टूबर 2022), चंबा (नवंबर 2022), कुल्लू (अक्टूबर 2022) व सिरमौर (सितंबर 2023) ने बताया कि कोषागार महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त प्राधिकार के आधार पर भुगतान करता है तथा यह पुष्टि की कि प्राधिकारों की भौतिक जांच के अतिरिक्त कोई ऑनलाइन जांच उपलब्ध नहीं है। जिला कोषागार अधिकारी, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल एवं स्पीति, मंडी, सोलन व ऊना के उत्तर अभी भी प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे, क्योंकि मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी के बदले में ₹ 270.05 लाख (₹ 180.05 लाख + ₹ 90 लाख) का अधिक भुगतान हुआ था, जिसके लिए महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) कार्यालय द्वारा कोई प्राधिकार जारी नहीं किया गया था।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने सहमति व्यक्त की और बताया कि इन मामलों की जांच की जानी चाहिए और सिस्टम में अतिरिक्त जांच/सत्यापन को शामिल किया जाना चाहिए।

2.3.4.5 कम्प्यूटेशन भुगतान के मुद्दे

2.3.4.5 (क) कोषागार स्तर पर निधि का गबन

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 232 में कहा गया है कि पेंशन के कम्प्यूटेड मूल्य के मामले में लेखापरीक्षा अधिकारी पेंशन की कम की गई राशि के लिए पेंशन भुगतान आदेश जारी करेगा, साथ ही कम्प्यूटेड धन के भुगतान के लिए प्राधिकार भी जारी करेगा तथा पेंशन संवितरण प्राधिकारी को कम्प्यूटरीकृत पेंशन संवितरण प्रणाली में भुगतान करने के निर्देश देगा। आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से कम्प्यूटेड भुगतान महालेखाकार

(लेखा व हकदारी) कार्यालय से प्राप्त प्राधिकारों के आधार पर जिला कोषागार द्वारा तैयार किए गए कम्प्यूटेड स्कॉल के आधार पर किया जाएगा।

अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि जिला कोषागार कांगड़ा में मार्च 2017 से जुलाई 2017 के मध्य एक कम्प्यूटर ऑपरेटर⁴⁶ ने 14 पेंशनभोगियों (₹ 56,72,122/-) एवं गैर-पेंशनभोगियों (₹ 11,38,930/-) के पक्ष में मूल प्राधिकार के बिना 19 बिल उत्पन्न कर के ₹ 68,11,052/- का दुर्विनियोजन किया, जिसमें कम्प्यूटर ऑपरेटर भी शामिल था। गैर-पेंशनभोगियों के लिए आहरित सम्पूर्ण राशि (₹ 11,38,930) अंततः कंप्यूटर ऑपरेटर के बैंक खाते में स्थानांतरित कर दी गई। विभागीय जांच के परिणामस्वरूप विभाग ने कंप्यूटर ऑपरेटर से ₹ 11,38,930/- एवं विभिन्न पेंशनभोगियों से ₹ 27,10,286/- की वसूली की परन्तु ₹ 29,61,836/- की शेष राशि की वसूली करनी शेष थी।

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय एवं कोषागार डेटाबेस के मध्य इंटरफेस के अभाव में निधियों के ऐसे दुर्विनियोजन/गबन से इनकार नहीं किया जा सकता। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-पेंशन मॉड्यूल में मूल भुगतान प्राधिकारों/विवरणों को अपलोड किए बिना मैनुअल रूप से विवरण भरने के परिणामस्वरूप धन का अनधिकृत आहरण हुआ।

विभाग ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया (मार्च 2022) कि कार्मिकों की कमी के कारण बिल तैयार करने का कार्य बाह्यस्त्रोत कर्मियों को सौंपा गया एवं बिल पास करने की जिम्मेदारी एक नियमित कर्मचारी के पास थी। विभाग ने आगे बताया कि भुगतान का आहरण सॉफ्टवेयर में कमी के कारण हुआ क्योंकि महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश (लेखा व हकदारी) द्वारा कोई इंटरफेस विकसित नहीं किया गया है।

हालांकि तथ्य यह है कि राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस योजना के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट (कोषागार कम्प्यूटरीकरण) के दिशानिर्देशों में पेंशन/पारिवारिक पेंशन के मासिक भुगतान के लिए महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से प्राप्त पेंशन भुगतान आदेशों पर प्रक्रिया के लिए राज्यों से एक पेंशन मॉड्यूल विकसित करने एवं महालेखाकार कार्यालय के साथ लिंक प्रदान करने के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक इंटरफेस मॉड्यूल विकसित करना अपेक्षित है जो कि कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग द्वारा विकसित किया जाना था न कि महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा। परन्तु कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने इंटरफेस विकसित नहीं किया, जिसके कारण संबंधित कोषागार कार्यालय को पेंशनभोगियों व पेंशन लाभों का विवरण संबंधित कोषागार कार्यालय द्वारा मैनुअली प्रणाली में दर्ज करना पड़ता है। प्रणाली कई बार भुगतान आहरित करने के कारण दर्ज किए बिना एवं किसी विशेष पेंशन भुगतान आदेश के सापेक्ष किए

⁴⁶ राष्ट्रीय इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान से आउटसोर्स कर नियुक्त किया गया था।

गए विगत भुगतानों का विवरण प्राप्त किए बिना एक से अधिक भुगतानों को भी प्रतिबंधित नहीं करती।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.4.5 (ख) कर्म्यूटेशन की समान राशि के लिए दोहरा भुगतान

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 10 में आगे कहा गया है कि सार्वजनिक धन से व्यय करने या अधिकृत करने वाले प्रत्येक अधिकारी को वित्तीय औचित्य के उच्च मानकों का पालन करना होगा।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की फ्रंट-एंड स्क्रीन और 'बिलपेडवाउचर्स' व 'डीडीओबिलडिटेल्स' तालिकाओं के विश्लेषण से उजागर हुआ कि ई-पेंशन मॉड्यूल की स्क्रीन पर सभी इनपुट फ़िल्ड एडिटेबल थे एवं इनपुट विवरण की सटीकता केवल डेटा एंट्री ऑपरेटर पर निर्भर करती है तथा प्रणाली में डेटा/अभिलेख की सटीकता व पुनरावृत्ति की जांच के लिए कोई तंत्र नहीं है।

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि मार्च 2017 व फरवरी 2021 के मध्य पांच कोषागारों⁴⁷ के 15 मामलों में एक ही पेंशन भुगतान आदेश के सापेक्ष दो बार कर्म्यूटेशन की समान राशि जारी की गई, जो पेंशनभोगियों को ₹ 77.81 लाख के अनधिकृत भुगतान में परिणत हुआ। कांगड़ा कोषागार के ऐसे कुछ मामलों पर पहले ही परिच्छेद 2.3.4.5 (क) 'कोषागार स्तर पर निधि का गबन' में चर्चा की जा चुकी है।

उपरोक्त 15 मामलों में से दो मामलों⁴⁸ में देखा गया कि एक ही पेंशन भुगतान आदेश हेतु अलग-अलग बैंक खातों में कर्म्यूटेशन भुगतान हस्तांतरित कर दिया गया, जैसाकि तालिका 2.25 में बताया गया है।

तालिका 2.25: एकल पेंशन भुगतान आदेश के सापेक्ष एक ही राशि के कर्म्यूटेशन का अनधिकृत भुगतान

कोषागार कोड	बिल संख्या	दावेदार का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	बैंक खाता संख्या	सकल राशि (₹ में)
केएनजी00	केएनजी005002020100018	****कुमार	****00199	****12390	3,58,614
केएनजी00	केएनजी005002020100242	****कुमार	****00199	****20910	3,58,614
केएनजी00	केएनजी005002020100386	****चंद	****13640	****28718	2,62,340
केएनजी00	केएनजी005002020100387	****चंद	****13640	****63325	2,62,340

⁴⁷ हमीरपुर (दो)- ₹ 17.61 लाख, कांगड़ा (10)- ₹ 41.24 लाख, शिमला (एक)- ₹ 6.41 लाख, सोलन (एक)- ₹ 5.08 लाख व ऊना (एक)- ₹ 7.46 लाख (जुलाई 2016 से संबंधित है एवं समान राशि का दूसरा भुगतान जनवरी 2022 में हुआ)।

⁴⁸ ये मामले परिच्छेद 2.3.4.5 (क) में समाविष्ट हैं।

सभी 15 मामलों की पुष्टि ई-कोष में उपलब्ध ऑनलाइन भुगतान वाउचरों एवं महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय के अभिलेखों से हुई। महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय ने पुष्टि की कि 14 मामलों में प्राधिकार जारी नहीं किए गए थे तथा एक मामले में ऊना कोषागार द्वारा जारी किए गए भुगतान नहीं प्रमाणपत्र के आधार पर दूसरा प्राधिकार जारी किया गया था, हालांकि ऊना कोषागार ने उनकी वसूली कर ली।

जिला कोषागार अधिकारी, हमीरपुर ने बताया (नवंबर 2022) कि कम्प्यूटेशन बिल बाह्यस्त्रोत कर्मियों द्वारा तैयार किए गए थे तथा पेंशन सॉफ्टवेयर में दोहरे भुगतान को प्रतिबंधित करने का कोई प्रावधान नहीं है। जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (सितंबर 2022) कि महालेखाकार, हिमाचल प्रदेश से कोई डिजिटल प्राधिकार प्राप्त नहीं हो रहा है तथा जिला कोषागार अधिकारी, ऊना ने किसी भी अधिक भुगतान से मना किया है। जिला कोषागार अधिकारी, सोलन का उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

उत्तर स्वीकार्य नहीं है, क्योंकि जांच और पास करने की अंतिम जिम्मेदारी जिला कोषागार अधिकारियों/ कोषागार अधिकारियों की है तथा भुगतान केवल महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से प्राधिकार प्राप्त करने के पश्चात् ही किया जाना आवश्यक है।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.4.5 (ग) अतिरिक्त कम्प्यूटेशन भुगतानों को दर्ज करने के प्रावधान का अभाव

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियम 10 (4) में कहा गया है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी यह देखने के लिए उत्तरदायी होगा कि वेतन बिलों की जांच एवं पहल किसी जिम्मेदार सरकारी कर्मचारी द्वारा की जाए तथा जांच में बिलों में दर्ज कुल राशि का सत्यापन सदैव शामिल होगा।

लेखापरीक्षा ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस के 'बिलपेडवाउचर्स' और 'डीडीओबिलडिटेल्स' तालिकाओं का विश्लेषण किया और पाया कि सॉफ्टवेयर सभी भुगतान को कम्प्यूटेशन भुगतान के रूप में दर्ज करता है तथा वेतनमान के पुनरीक्षण के कारण किए गए कम्प्यूटेशन के अतिरिक्त भुगतान के मध्य अंतर करने में असमर्थ है क्योंकि प्रणाली में अतिरिक्त भुगतान के कारणों को दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था। अतः प्रणाली पहले से भुगतान किए गए कम्प्यूटेशन व अतिरिक्त कम्प्यूटेशन भुगतान के मध्य अंतर करने में असमर्थ थी।

यह भी पाया गया कि नौ पेंशन भुगतान आदेशों में एक ही पेंशन भुगतान आदेश हेतु विभिन्न कोषागारों से ₹ 77.10 लाख राशि के कई भुगतान आहरित किए गए, जैसाकि तालिका 2.26 में विवरण दिया गया है।

तालिका 2.26: कम्प्यूटेशन के कई भुगतानों का विवरण

कोषागार कोड	बिल की तिथि	दावेदार का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	बैंक खाता संख्या	सकल राशि (₹ में)	टिप्पणियां
बीएलपी00	27-12-2016	****चंद	****45864	****16600	4,34,556	
एसओएल00	24-03-2021	****चंद	****45864	****16600	17,077	
बीएलपी00	22-12-2016	****सिंह	****48256	****33330	4,84,380	
बीएलपी01	07-07-2017	****सिंह	****48256	****33330	16,268	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान
बीएलपी00	04-05-2017	****हकुर	****53957	****12475	9,98,493	
एसएमएल00	10-08-2017	****हकुर	****53957	****12475	36,163	
एमडीआई00	27-11-2017	****सिंह	****63797	****52197	4,57,861	
एमडीआई16	20-11-2017	****सिंह	****63797	****52197	7,99,360	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान
बीएलपी00	24-02-2018	**** दास	****64255	****00810	5,58,715	प्राधिकरण जारी नहीं किया गया
यूएनए00	13-03-2018	****उमरी	****64255	****44140	4,54,244	
एसएमएल00	16-05-2018	****आंडे	****75087	****80765	6,63,787	
एसएमएल09	01-09-2018	****आंडे	****75087	****80765	26,090	प्राधिकरण जारी नहीं किया गया
केएनजी00	15-10-2019	****एन लाल	****81364	****02950	26,921	
केएनजी00	25-02-2019	****एन लाल	****81364	****02950	3,56,605	
केएनजी05	26-09-2019	****एन लाल	****81364	****02950	75,888	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान
केएनजी00	26-03-2021	****चंद	****01078	****35060	4,75,942	प्राधिकरण जारी नहीं किया गया
एसओएल00	19-03-2020	****चंद	****01078	****07102	3,15,830	
एसओएल00	07-07-2020	****चंद	****01078	****07102	1,377	
एमडीआई00	21-09-2021	****चंद	****22092	****41843	5,10,698	
एमडीआई11	07-10-2021	****चंद	****22092	****41843	10,00,000	मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी भुगतान
				योग	77,10,255	

तालिका 2.26 के विश्लेषण से पता चलता है कि दो मामलों में (इटैलिक में) पेंशन भुगतान आदेश संख्या समान थी परन्तु दावेदार एवं कोषागार का नाम तथा बैंक खाता अलग-अलग था।

न तो कोषागारों में बिलों की मैनुअल जांच और न ही ई-पेंशन मॉड्यूल में इसका पता चला। यह दर्शाता है कि एक से अधिक कोषागारों से आहरित भुगतानों की जांच का कोई प्रावधान नहीं था, जो पेंशनभोगियों को अनधिकृत भुगतान में परिणत हो सकता था। यदि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में इनपुट सत्यापन जांच लागू करके महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के साथ डेटा इंटरफेस, मल्टी फैक्टर प्रमाणीकरण, डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र एवं एक ही पेंशन भुगतान आदेश संख्या के प्रति एक से अधिक भुगतानों की जांच की जाती, तो उपर्युक्त लेन-देन से बचा जा सकता था।

महालेखाकार (लेखा व हकदारी) द्वारा उपरोक्त सभी नौ मामलों के सत्यापन से पता चला कि तीन मामलों में (₹ 10,60,747/-) कोई प्राधिकार जारी नहीं किया गया था तथा चार मामलों में मृत्यु-सह-सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी (₹ 23,67,478/-) का भुगतान गलती से कम्प्यूटेशन के तहत बुक किया गया था।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के सत्यापन के लिए 139 मामलों का चयन किया गया। यह देखा गया कि मूल वेतन में संशोधन के कारण भुगतान किए गए परन्तु एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में अतिरिक्त भुगतान से सम्बंधित कोई कारण दर्ज नहीं किया गया और इसलिए प्रणाली द्वारा अतिरिक्त कम्प्यूटेशन भुगतान को पिछले कम्प्यूटेशन भुगतानों से अलग नहीं किया गया। हालांकि तालिका में दिखाए गए तथ्य चयनित मामलों से बाहर थे परन्तु ऑनलाइन उपलब्ध वाउचर उत्पन्न करके उनका सत्यापन किया गया और कोई सहायक दस्तावेज नहीं थे।

जिला कोषागार अधिकारी, चंबा, कुल्लू व शिमला (नवंबर 2022) ने बताया कि एक से अधिक बार कम्प्यूटेशन का भुगतान महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से प्राप्त कई प्राधिकारों के आधार पर किया गया। महालेखाकार (लेखा व हकदारी) से डिजिटल प्राधिकार/डेटा प्राप्त करने के लिए कोई ऑनलाइन इंटरफेस नहीं है। कोषागारों को महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय से प्राधिकारों की केवल हार्ड कॉपी ही प्राप्त हो रही है। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि कोषागार अधिकारियों द्वारा पिछले भुगतानों के सत्यापन के बिना ही भुगतान अधिकृत कर दिया गया था एवं नौ मामलों में भुगतान दो अलग-अलग कोषागारों से आहरित किया गया और कोषागार सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन इसका पता नहीं लगा सका। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, हमीरपुर, किन्नौर, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.5 प्राप्ति प्रबंधन

2.3.5.1 ई-चालान मॉड्यूल में इनपुट एवं एप्लिकेशन नियंत्रण के संबंध में

हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2017 के नियम 45 (3) में प्रावधान है कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी एकत्रित कुल राशि को कम से कम माह में एक बार या जब भी ऐसी प्राप्ति ₹ 2,000/- से अधिक हो, ई-चालान पोर्टल के माध्यम से उत्पन्न चालान के द्वारा जमा करेगा जिसमें सभी जमाकर्ताओं का विवरण विधिवत उल्लिखित होगा। हालांकि यह सुनिश्चित किया जाएगा कि एक ही लेखा शीर्ष के अंतर्गत प्राप्तियां केवल एक ई-चालान में ही जोड़ी जाएं। इसके अतिरिक्त नियम 47 में कहा गया है कि सरकारी बकाया या सरकारी खाते में प्राप्त होने वाली अन्य धनराशि की, आमतौर पर ई-चालान (साइबर कोषागार) मॉड्यूल का उपयोग करके ऑनलाइन मोड के माध्यम से वसूली की जा सकती है। इसे वैध मुद्रा सिक्के, नोट या चेक द्वारा भी प्राप्त किया जा सकता है। सभी मूल्यवर्ग के नोट सार्वभौमिक वैध मुद्रा हैं और सभी सरकारी अधिकारियों द्वारा सरकारी बकाया के भुगतान के प्रतीक के रूप में या अन्य लेनदेन के निपटान के लिए प्राप्त किए जा सकते हैं। हालांकि ऐसे अधिकारियों का यह उत्तरदायित्व होगा कि वे ऐसी प्राप्तियां दिन के अंत में या अगले कार्य दिवस तक सरकारी खातों में जमा करा दें।

फ्रंट-एंड स्क्रीन व डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-चालान मॉड्यूल में आवश्यक डेटा इनपुट नियंत्रण नहीं था जिसके कारण मॉड्यूल में गलत प्रविष्टियां और गलत जानकारी दर्ज हो रही थी।

- i. जब आहरण एवं संवितरण अधिकारी का चयन किया जाता है तो चालान जमाकर्ता सभी लेखा शीर्षों को एक्सेस कर सकते हैं जिससे गलत चालान जमा होने की संभावना बढ़ जाती है। उदाहरण के लिए आयुर्वेद-आयुष विभाग के अंतर्गत जिला आयुर्वेद अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी का चयन करते समय पासपोर्ट शुल्क, वीजा शुल्क आदि प्रदर्शित होते हैं जो संभवतः गलती से चयनित हो गए होंगे।
- ii. जनता के लिए उपलब्ध आहरण एवं संवितरण अधिकारी-वार प्राप्ति रिपोर्ट में उस जिले के किसी उप-कोषागार का चयन करने पर भी केवल जिला कोषागारों की प्रविष्टियां दिखाई गईं। हालांकि प्रणाली में उप-कोषागारों की कोई रिपोर्ट उपलब्ध नहीं थी, उदाहरण के लिए बीएलपी02 (उप-कोषागार अधिकारी घुमारवीं) के आहरण एवं संवितरण अधिकारी

कोड 500 के लिए उत्पन्न रिपोर्ट बीएलपी00 (जिला कोषागार कार्यालय बिलासपुर) के आहरण एवं संवितरण अधिकारी कोड 500 की है।

- iii. पंजीकरण के समय ईमेल खाते के सत्यापन की कोई जांच नहीं होती है तथा प्रणाली बिना सत्यापन के किसी भी ईमेल आईडी को स्वीकार कर लेती है (जैसे ईमेल आईडी 0000@000.00 भी बनाई जा सकती है)।
- iv. जब ई-चालान मॉड्यूल के तहत कोषागार वार चालान रिपोर्ट का चयन करने के बाद इनपुट फ़ील्ड में सभी विवरण जैसे दिनांक व कोषागार कोड (केएलयू00) भर दिए गए, तो यह "अनडिफाइंड" पॉप-अप संदेश को दिखाता है, भले ही सभी विवरण 'रिपोर्ट प्राप्त करें' पर क्लिक करने के बाद दिखाए गए हों।
- v. ई-चालान में भुगतानकर्ता का विवरण दर्ज करने का कोई प्रावधान नहीं था जो कि दावे किए जाने की स्थिति में सत्यापन हेतु आवश्यक होता है। प्रतिदाय के मामले में जमाकर्ताओं के बैंक विवरण सहित पूर्ण विवरण भी आवश्यक था।

ई-चालान मॉड्यूल उपयोगकर्ता अनुकूल नहीं था क्योंकि आम उपयोगकर्ताओं को संबंधित विभागों के प्रत्येक विशिष्ट लेखा शीर्ष के बारे में जानकारी नहीं हो सकती थी। क्योंकि ई-चालान मॉड्यूल में शीर्षों को विभागों से लिंक नहीं किया गया है, इसलिए स्क्रीन पर किसी भी विभाग का चयन करने पर सभी लेखा शीर्षों को एक्सेस किया जा सकता था।

उपरोक्त बिंदु मार्च 2023 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.6 हिमाचल प्रदेश ऑनलाइन कोषागार सूचना प्रणाली (ओएलटीआईएस) एवं ई-कोष मॉड्यूल

2.3.6.1 निर्धारण अनुसार विभिन्न रजिस्ट्रों का अनुरक्षण न करना

हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 209 में कहा गया है कि जमा राशि का व्यपगत विवरण दर्ज किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त नियम 107 व 195(3) में कहा गया है कि प्रत्येक आहरण एवं संवितरण अधिकारी बिल पारगमन रजिस्टर का अनुरक्षण करेगा तथा जमा के प्रत्येक पुनर्भुगतान को टी.ए.-21 में बनाए गए पुनर्भुगतान रजिस्टर में दर्ज किया जाना था।

अभिलेखों की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि बिल पारगमन रजिस्टर, जमा रजिस्टर, पुनर्भुगतान रजिस्टर तथा व्यपगत विवरण न तो मैनुअल रजिस्ट्रों में और न ही ई-बिलों में निर्धारित प्रारूप में अनुरक्षित किए गए।

मैनुअल प्रणाली से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तन के कारण हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 के नियमों को हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के अनुरूप संशोधित किया जाना चाहिए।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार करते हुए बताया (अप्रैल 2023) कि बिल पारगमन रजिस्टर की अब कोई आवश्यकता नहीं है क्योंकि बिल को डिजिटल रूप से कोषागार को अग्रेषित किया जाता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि बिल पारगमन रजिस्टर का अनुरक्षण न करना हिमाचल प्रदेश कोषागार नियम, 2017 के प्रावधानों का उल्लंघन है।

2.3.6.2 ई-कोष (प्रबंधन सूचना प्रणाली) में कमियां

ई-कोष वित्त विभाग, विभागाध्यक्षों, आहरण एवं संवितरण अधिकारियों, कर्मचारियों, महालेखाकार कार्यालय, पेंशनभोगियों आदि जैसे विभिन्न हितधारकों के लिए इंटरनेट के माध्यम से केंद्रीय सूचना प्रसार इंटरफेस है। इस इंटरफेस पर सभी प्रकार की प्रबंधन सूचना प्रणाली (एमआईएस) रिपोर्ट सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं।

ई-कोष व ई-बिल्स (एचपीओएलटीआईएस) मॉड्यूल की नमूना-जांच से उजागर हुआ कि महालेखाकार लेखापरीक्षा के लिए विकसित की गई "समेकित आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार व्यय व आवंटन डेटा" नामक एमआईएस रिपोर्ट में मुख्य शीर्ष 2071 व 8009 के संबंध में वर्ष 2020-21 के लिए कोई डेटा नहीं दर्शाया गया था जबकि उक्त मुख्य शीर्षों से संबंधित लेनदेन विभाग द्वारा किए गए थे।

विभाग ने बताया (अप्रैल 2023) कि इन शीर्षों से संबंधित डेटा रिपोर्ट में नहीं दर्शाया गया है। सक्रिय मुख्य शीर्षों से संबंधित डेटा के अभाव में ऐसे शीर्षों से संबंधित गलत एमआईएस रिपोर्ट तैयार हो सकती हैं।

2.3.6.3 ई-कोष की विभिन्न रिपोर्टों में विसंगतियां

लेखापरीक्षा ने ई-कोष में उपलब्ध कुछ रिपोर्ट और 'फॉर एजी ऑडिट' टैब के अंतर्गत उपलब्ध डेटा की जांच की जिसमें पाया गया कि यह डेटा अन्य रिपोर्टों में दिखाए गए डेटा से नहीं मिलते। डेटा/रिपोर्ट में पाई गई विसंगतियों से संबंधित मुद्दे नीचे दिए गए हैं:

1. महालेखाकार कोषागार निरीक्षण दलों के लिए ई-बिल पर उपलब्ध अग्रिम/समायोजन रजिस्टर रिपोर्ट के विश्लेषण से उजागर हुआ कि जिला कोषागार कार्यालय, राजधानी शिमला कोषागार से ₹ 186.87 लाख राशि के 16 अग्रिम बिल आहरित किए गए थे (मार्च

2017 और नवंबर 2020 के मध्य)। वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में समान उप-वाउचर संख्या, समान राशि व समान समायोजन विवरण आदि के साथ परंतु अलग-अलग टोकन नंबरों के साथ उन्हीं बिलों को बिल संख्या 'एडवांसमैनुअलएंटी' के साथ डेटाबेस में पुनः दर्ज किया गया।

2. ई-वितरण मॉड्यूल के अंतर्गत कर्मचारी विवरण, विभागाध्यक्ष/कोषागार आहरण एवं संवितरण अधिकारी/पदनाम-वार कर्मचारी स्थिति रिपोर्ट में शिमला कोषागार में कार्यरत 76 कर्मचारियों का विवरण प्रदर्शित किया गया। रिपोर्ट देखने के पश्चात् यह पाया गया कि सभी कर्मचारियों की जन्म तिथि व सेवानिवृत्ति तिथि को 'डीडी/एमएम/वाईवाईवाईवाई' के रूप में दर्शाया गया है और आठ कर्मचारियों के मामले में रिपोर्टिंग स्थान को 'शून्य' के रूप में दर्शाया गया है। शिमला राजधानी कोषागार में भी ऐसे समान मुद्दे पाए गए।
3. लेखापरीक्षा में ई-कोष में मांग/अनुदान-वार बजट रिपोर्ट 'राज्य स्तरीय सारांशित प्रश्न [आवंटन व व्यय]' और ई-बजट मॉड्यूल रिपोर्ट में उपलब्ध बजट आंकड़ों की तुलना की गई, जिसमें पाया गया कि बजट आंकड़ों हेतु लिए गए मद्/शीर्ष वित्तीय वर्ष 2020-21⁴⁹ व 2021-22⁵⁰ के लिए अलग-अलग थे।
4. ई-कोष में उपलब्ध मांग-वार व्यय (संकलित/पास) रिपोर्ट में रिपोर्ट तैयार करने के लिए कई विकल्प हैं, लेखापरीक्षा ने वित्तीय वर्ष 2021-22 से फरवरी 2022 तक के लिए मांग-वार सारांश एवं विभागाध्यक्ष-वार सारांश विकल्प का उपयोग करके दो रिपोर्ट उत्पन्न की। दोनों रिपोर्टों का विश्लेषण करने के बाद लेखापरीक्षा ने पाया कि दोनों रिपोर्टों में मांग-वार व्यय में अंतर था, जैसाकि तालिका 2.27 में दर्शाया गया है।

तालिका 2.27: अनुदान की मांग-वार व्यय में अंतर का विवरण

क्र. सं.	व्यय (₹ लाख में)			अंतर (₹ लाख में)
	मांग सं.	मांग-वार सारांश	विभागाध्यक्ष-वार सारांश	
1	3	20,521	20,528	-7
2	8	5,25,013	5,25,018	-5
3	9	1,96,016	1,96,028	-12

टिप्पणी: ₹ एक लाख से कम का अंतर इसमें शामिल नहीं किया गया है।

5. (क) वित्तीय वर्ष 2021-2022 हेतु 'फॉर एचओडी/डीडीओ' टैब के अंतर्गत उपलब्ध ई-वितरण - ड्रिल डाउन बजट वितरण विवरण के विश्लेषण से पता चला कि आवंटन कॉलम में 'शून्य' मान के कारण विभिन्न लेखा शीर्षों के पूंजीगत व्यय में ऋणात्मक व्यय के आंकड़े

⁴⁹ 2020-21 के बजट आंकड़ों में मूल व अनुपूरक दोनों बजट शामिल हैं।

⁵⁰ 2021-22 के बजट आंकड़ों में केवल मूल बजट शामिल है।

दिखाई दे रहे हैं। यह दर्शाता है कि या तो आवंटन का डेटा दिखाई नहीं दे रहा था या आवंटन के बिना व्यय किया गया था, जो गलत रिपोर्टिंग में परिणत हुआ।

(ख) इसी भांति, राज्य स्तरीय सारांशित प्रश्नों के तहत उपलब्ध रिपोर्ट⁵¹ के विश्लेषण से उजागर हुआ की वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान मुख्य शीर्ष 2071 हेतु ऋणात्मक व्यय के आंकड़े विद्यमान थे।

6. (क) 'फॉर एजी (ऑडिट)' ⁵² टैब के तहत उपलब्ध समेकित आहरण एवं संवितरण अधिकारी वार व्यय व आवंटन डेटा रिपोर्ट के साथ 'मांग वार व्यय (संकलित/पास)' रिपोर्ट की तुलना से पता चला कि वित्त वर्ष 2020-21 के लिए उपरोक्त रिपोर्टों के मध्य 263 मामलों में से 196 में बजट आंकड़ों में विसंगतियां थीं।

(ख) इसी भांति, मांग-वार व्यय (संकलित/पास) रिपोर्ट में दर्शाए गए आंकड़े वित्तीय वर्ष 2020-2021 हेतु विभागाध्यक्षों के लिए 'समेकित आहरण एवं संवितरण अधिकारी-वार आवंटन व व्यय' रिपोर्ट⁵³ में उपलब्ध बजट आंकड़ों से मेल नहीं खाते।

7. विभागाध्यक्षों के लिए समेकित आहरण एवं संवितरण अधिकारी-वार आवंटन व व्यय रिपोर्ट के विश्लेषण से उजागर हुआ कि विभागाध्यक्ष फील्ड के सामने "किसी विशिष्ट विभागाध्यक्ष से संबंधित डेटा के लिए विभागाध्यक्ष कोड दर्ज करें या सभी विभागाध्यक्षों के लिए रिक्त छोड़ दें" लिखा था परंतु फील्ड को खाली छोड़ने पर यह कोई डेटा नहीं दिखा रहा था तथा "एंटर एचओडी कोड" त्रुटि प्रदर्शित कर रहा था।

⁵¹ चयनित क्वेरी (प्रश्नों) के अनुसार मांग व लेखा शीर्ष वार सारांश [शीर्षक=2071-XX-XXX] [₹ में] द्वारा फ़िल्टर किया गया।

⁵² लिंक - (<https://himkosh.nic.in/eHPOLTIS/PublicReports/wfrmAGExtractData.aspx>)

⁵³ लिंक - (<https://himkosh.nic.in/eHPOLTIS/publicreports/wfrmHODWiseDDOQueries.aspx>)

स्क्रीनशॉट 2.5: बिंदु संख्या 7 से संबंधित

8. "ई-सैलरी विविध रिपोर्ट" उप-मेनू "रिपोर्ट मेनू" के तहत "कर्मचारी जानकारी" विकल्प में कुछ कर्मचारियों का विवरण उपलब्ध नहीं था।
9. लेखापरीक्षा ने ई-कोष में दो अलग-अलग एमआईएस रिपोर्टों 'मांग-वार व्यय (अनुपालित/पास)' (रिपोर्ट-1 के रूप में संदर्भित) व 'समेकित आहरण एवं संवितरण अधिकारी-वार व्यय व आवंटन डेटा' (रिपोर्ट-2 के रूप में संदर्भित) के डेटा की प्रति-जांच की। इन आंकड़ों को डाउनलोड करके अनुदान स्तर पर समेकित किया गया। समेकन के बाद पाया गया कि सभी अनुदान मांगों के बजट आंकड़ों में अंतर था।
10. लेखापरीक्षा ने व्यय रिपोर्टों का आगे विश्लेषण किया और पाया कि 32 अनुदान मांगों में से 12 अनुदान मांगों में व्यय के आंकड़ों में अंतर था। दोनों रिपोर्टों के मध्य व्यय में अंतर ₹ 5,99,296.59 लाख (29-वित्त) तक था।
11. लेखापरीक्षा ने (30.03.2022) को वित्तीय वर्ष 2020-21 से संबंधित मांग-वार सारांश के संबंध में 'मांग-वार व्यय (संकलित व पास)' से डेटा डाउनलोड किया। जब उसी रिपोर्ट को 08.04.2022 को पुनः डाउनलोड किया गया, तो अनुदान मांग 32-अनुसूचित जाति विकास कार्यक्रम से संबंधित व्यय के आंकड़ों में परिवर्तन पाया गया। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 30.03.2022 तक व्यय का आंकड़ा ₹ 1,93,284.19 लाख था, हालांकि 08.04.2022

को अनुदान की इसी मांग का आंकड़ा ₹ 1,93,279.19 लाख था। वित्तीय वर्ष 2020-21 के लेखाओं को पहले ही अंतिम रूप दे दिया गया था और वित्तीय वर्ष की समाप्ति के बाद आंकड़ों में कोई बदलाव नहीं होना चाहिए था।

विभिन्न रिपोर्टों में विरोधाभासी आंकड़ों ने लेखाओं के वास्तविक समय समाधान को बढ़ावा देने, प्रबंधन सूचना प्रणाली को सुदृढ़ करने, लेखाओं की तैयारी में सटीकता व समयबद्धता में सुधार लाने तथा सार्वजनिक वितरण प्रणालियों में पारदर्शिता व दक्षता लाने और बेहतर वित्तीय प्रबंधन के मूल उद्देश्य को विफल कर दिया।

उपरोक्त बिंदु मार्च 2022 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.7 डेटाबेस के अन्य विविध मुद्दे

2.3.7.1 डेटाबेस सुपर यूजर अकाउंट का प्रबंधन

सुपर यूजर, डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, रूट यूजर आदि जैसे शक्तिशाली यूजर अकाउंट, डेटाबेस तक उनके एक्सेस के स्तर के कारण उच्च जोखिम वाले यूजर अकाउंट होते हैं। इन सुपर यूजर अकाउंट के पास सिस्टम पर लगभग असीमित विशेषाधिकार या स्वामित्व हो सकता है, जिससे इन यूजर्स को पढ़ने/लिखने/कार्यान्वयन करने, फ़ाइलें या सॉफ़्टवेयर बनाने या इंस्टॉल करने, फ़ाइलों व सिस्टम सेटिंग्स में डेटा संशोधित करने, डेटा हटाने और यूजर्स को ड्रॉप व क्रिएट करने की अनुमति होती है। सुपर यूजर फ़ायरवॉल कॉन्फ़िगरेशन को भी बदल सकते हैं, बैकडोर बना सकते हैं और सुरक्षा सेटिंग्स को ओवरराइड कर सकते हैं, जिससे वे अपनी गतिविधियों के सभी साक्ष्य मिटा सकते हैं और लॉग फ़ाइलों को संशोधित कर सकते हैं।

फ्रंट-एंड स्क्रीन और डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने न तो शक्तिशाली यूजर के प्रबंधन के लिए कोई प्रक्रिया स्थापित की थी और न ही ऐसी नीति या प्रक्रिया की आवश्यकता का दस्तावेजीकरण किया था।

कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग को सुपर यूजर की गतिविधियों को नियंत्रित करने के लिए प्रक्रियाएं व नीतियां बनाने, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रबंधन के उपयुक्त प्राधिकारियों को सुपर यूजर गतिविधि की आवधिक रिपोर्टिंग करने, कर्तव्यों के पृथक्करण को लागू करने, पासवर्ड नीति, निगरानी की प्रक्रियाएं एवं सभी सुपर यूजर सत्रों के लेखापरीक्षा का प्रावधान करने की आवश्यकता है।

विभाग ने इस तथ्य को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) कि शक्तिशाली यूजर अकाउंट के प्रबंधन के लिए कोई नीति तैयार नहीं की गई है।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.7.2 डीडीओ बिल पार्टी मास्टर तालिका में पुनरावृत्ति

फ्रंट-एंड स्क्रीन एवं डेटाबेस के लेखापरीक्षा विश्लेषण से पता चला कि आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं को भुगतान करने से पहले 'डीडीओपार्टीमास्टर_करंट' तालिका में पार्टी के रूप में पंजीकृत किया गया था एवं इन आपूर्तिकर्ताओं/सेवा प्रदाताओं का विवरण भी प्रणाली में दर्ज किया गया था।

एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस की 'डीडीओपार्टीमास्टर_करंट' तालिका के विश्लेषण से निम्नलिखित उजागर हुआ :

- i. 18,587 मामलों में पार्टी के पंजीकरण के लिए एक ही मोबाइल नंबर का एक से अधिक बार उपयोग किया गया। पार्टी पंजीकरण के लिए एक ही मोबाइल नंबर का कई बार उपयोग दो से 785 के मध्य रहा।
- ii. उपरोक्त तालिका के 'मोबाइल नंबर' कॉलम में पार्टी पंजीकरण के लिए 98*****34 मोबाइल नंबर 785 बार दर्ज किया गया था, जबकि प्रत्येक मामले में पार्टियों का नाम व बैंक खाता अलग-अलग था।
- iii. 375 मामलों में मोबाइल नंबर '0' के रूप में पंजीकृत किया गया था।
- iv. 103 मामलों में केवल दो अंक दर्ज किए गए।
- v. 12 मामलों में केवल तीन अंकों की संख्या दर्ज की गई।
- vi. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली प्रबंधन डेटाबेस में 'डीडीओपार्टीमास्टरटेबल' तालिका के 'मोबाइल नंबर' कॉलम 289 प्रविष्टियों में 10 अंकों से कम के गलत मोबाइल नंबर दर्ज किए गए थे।
- vii. एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में डमी मोबाइल नंबर दर्ज किए गए, जैसे '9999999999' एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस में 25 बार दिखाई दिया।
- viii. एक ही बैंक खाता संख्या को अलग-अलग पार्टी नामों से कई बार दर्ज किया गया।
- ix. 13 प्रविष्टियों में शून्य खाता संख्या दर्ज की गई।
- x. बैंक खाता संख्या की लंबाई 9 से 18 अंकों तक भिन्न हो सकती है जो विशेष शाखा द्वारा उपयोग किए जाने वाले कोर बैंकिंग उत्पाद पर निर्भर करता है।

आंकड़ों के विश्लेषण से पता चला कि 53 मामलों में बैंक खाते का आकार नौ अंकों से कम था।

पार्टी पंजीकरण के दौरान, विशेष रूप से दो महत्वपूर्ण सूचनाओं अर्थात् मोबाइल नंबर व बैंक खाता संख्या के संबंध में सत्यापन जांच का अभाव था। मोबाइल नंबरों के एक बार के पंजीकरण, सही मोबाइल व बैंक खाता संख्या पर सत्यापन जांच से डेटा की पुनरावृत्ति न्यूनतम हो जाती। उपरोक्त बिंदु नवंबर 2022 में विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

अंतिम बैठक (दिसंबर 2023) में सचिव ने निष्कर्षों पर सहमति व्यक्त करते हुए आगामी सुधारात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया।

2.3.7.3 कर्मचारी कटौती मास्टर तालिका के डेटा में विसंगतियां

लेखापरीक्षा ने ई-सैलरी मॉड्यूल की 'डिडक्शनमास्टर' तालिका का विश्लेषण किया, जिसमें पाया कि:

- 16,607 मामलों में तालिका के 'पेमेंट_मंथ_इयर' कॉलम में तिथि दर्ज की गई थी जबकि 'मंथली_आईएनएसटी_एएमटी' कॉलम में शून्य राशि दर्ज की गई।
- 64,108 मामलों में राशि तालिका के 'मंथली_आईएनएसटी_एएमटी' कॉलम में दर्शाई गई थी परंतु तिथि तालिका के 'पेमेंट_मंथ_इयर' कॉलम में दर्ज नहीं की गई थी।
- 64,050 मामलों में अग्रिम/ऋण की मंजूरी की तिथि तालिका के 'सेक्शन_डेट' कॉलम में दर्ज नहीं की गई थी।

कर्मचारियों की कटौती से संबंधित डेटा को दर्ज करने में असंगतता थी एवं तालिका में दर्ज की जाने वाली कटौती की तिथि को सत्यापित नहीं किया जा सका तथा मांगे गए दस्तावेजों को उपलब्ध न कराने के कारण इन तालिकाओं के मध्य डेटा फ्लो व डेटा के संबंध को लेखापरीक्षा में सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

लेखापरीक्षा में चयनित चार कोषागारों की क्षेत्रीय लेखापरीक्षा के दौरान तथ्यों के भौतिक सत्यापन के लिए 225 मामलों का नमूना चुना गया। तथ्यों की पुष्टि नहीं की जा सकी क्योंकि फ्रंट एंड से सूचना तक एक्सेस नहीं था तथा संबंधित कोषागारों में मैनुअल अभिलेख अनुरक्षित नहीं किए गए थे। अतः डेटा विश्लेषण के परिणामों को भौतिक सत्यापन के दौरान सत्यापित नहीं किया जा सका।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला ने बताया (फरवरी 2023) कि एचबीए, जीपीएफ, एलआईसी बचत निधि, बीमा निधि आदि के लिए रिकवरी इन्सटॉलमेंट मेनू है। यदि कोई वसूली देय नहीं है तो यह रिक्त रहता है। जिला कोषागार अधिकारी, कुल्लू (जनवरी 2023) ने बताया कि

डिडकसन मास्टर तालिका में जानकारी दर्ज करने की जिम्मेदारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी स्तर की है। जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर, राजधानी शिमला, चंबा, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, लाहौल-स्पीति, मंडी, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। जिला कोषागार अधिकारियों के उत्तर स्वीकार्य नहीं थे क्योंकि ऐसे मामले डेटाबेस में डमी डेटा की उपस्थिति को परिलक्षित करते हैं।

2.4 सूचना सुरक्षा

2.4.1 सुरक्षा नीति

2.4.1.1 सूचना सुरक्षा संचालन समिति का गठन न करना

कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नियम के परिच्छेद 4.3 में निर्धारित है कि सूचना सुरक्षा से संबंधित भूमिकाओं के लिए उत्तरदायित्व व प्राधिकार सौंपे जाने एवं उन्हें स्पष्ट रूप से संप्रेषित करने के लिए एक सूचना सुरक्षा संचालन समिति की स्थापना की जाए। सूचना सुरक्षा संचालन समिति की अध्यक्षता कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग के निदेशक करेंगे। सूचना सुरक्षा संचालन समिति टीम की सूचना सुरक्षा से संबंधित कुछ मुख्य उत्तरदायित्व इस प्रकार हैं:

- 1 • सभी सूचना सुरक्षा मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए प्रमुख बिंदु;
- 2 • संगठन में (डीडीओ कार्यालय सहित) सूचना सुरक्षा नीतियों और संबंधित प्रक्रियाओं के निर्गमन को अनुमोदित करना;
- 3 • सूचना सुरक्षा ऑडिट नीति के अनुसार समय-समय पर सूचना सुरक्षा ऑडिट आयोजित कर सूचना सुरक्षा नीतियों की पर्याप्तता का मूल्यांकन करना;
- 4 • सूचना सुरक्षा ऑडिट के दौरान पहचानी गई सभी असंगतियों को समय पर बंद करने हेतु सुधारात्मक और निवारक उपाय सुनिश्चित करना;
- 5 • सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया टीम (एसआईआरटी) का गठन करना और सुरक्षा घटना प्रबंधन नीति के अनुसार इसकी प्रभावी कार्यप्रणाली सुनिश्चित करना;
- 6 • यह सुनिश्चित करना कि हिमकोष संचालन में शामिल सभी व्यक्ति और इसके सूचना संसाधनों का उपयोग करने वाले आईटी स्वीकार्य उपयोग नीति का पालन करें;
- 7 • सूचना सुरक्षा से संबंधित मुद्दों पर प्रासंगिक डोमेन विशेषज्ञों से सलाह लेना;
- 8 • सूचना सुरक्षा उल्लंघनों के मामलों में उपयुक्त अनुशासनात्मक प्रक्रिया प्रारंभ करना।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग में सूचना सुरक्षा संचालन समिति का गठन नहीं किया गया था, अतः सूचना सुरक्षा से संबंधित उत्तरदायित्व एवं भूमिकाएं नहीं सौंपी गई। इस प्रकार आवधिक सूचना सुरक्षा लेखापरीक्षा, सुधारात्मक/निवारक उपाय सुनिश्चित

करना, सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल का गठन तथा आईटी सुरक्षा नीति का अनुपालन सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

विभाग ने स्वीकार किया (फरवरी 2022) कि सूचना सुरक्षा संचालन समिति व सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल का गठन नहीं किया गया था।

2.4.1.2 परिचालन एवं प्रणाली पर विभागीय नियंत्रण का अभाव

कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग के सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी) सुरक्षा नियम के परिच्छेद 14.6 में कहा गया है कि आईटी सपोर्ट सदस्य सामान्य ऑपरेटिंग सिस्टम एक्सेस नियंत्रण को लागू करने के लिए जिम्मेदार हैं, विशिष्ट सूचना संसाधनों तक कार्यात्मक एक्सेस जैसे सिस्टम स्तर के एप्लीकेशन संसाधन और डेटा को आईटी सपोर्ट सदस्य द्वारा अधिकृत किया जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम की स्रोत फाइलों, कॉन्फिगरेशन फाइलों व फ़ाइल डायरेक्टरीज़ तक एक्सेस केवल आईटी सपोर्ट सदस्य तक ही सीमित है, सिस्टम यूटिलिटीज़ तक एक्सेस केवल आईटी सपोर्ट सदस्य को दी गई है और समीक्षा हेतु सिस्टम लॉग्स या ऑडिट लॉग तक एक्सेस भी केवल आईटी सपोर्ट सदस्यों को ही अनुमत होती है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटाबेस का स्वामी है फिर भी उसे डेटाबेस प्रशासक की गतिविधियों पर कोई नियंत्रण प्राप्त नहीं है। इसके विपरीत राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) ने सभी डेटाबेस प्रशासक कार्य निष्पादित किए और कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग के पास राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) द्वारा की गई डेटाबेस प्रशासक-संबंधी गतिविधियों की जानकारी भी नहीं थी।

डेटाबेस प्रशासक या कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग द्वारा अधिकृत न किए गए उपयोगकर्ताओं की किसी भी संदिग्ध गतिविधि का पता लगाने के लिए एक्सेस लॉग व गतिविधियों की समीक्षा आवश्यक है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (अप्रैल 2023) और पुष्टि की कि कोई डेटाबेस प्रशासक नामित नहीं किया गया था साथ ही बताया कि उसे डेवलपर द्वारा की गई किसी भी डेटाबेस प्रशासनिक गतिविधियों की जानकारी नहीं थी।

2.4.2 एक्सेस प्रबंधन

2.4.2.1 कर्तव्यों का पृथक्करण न करना

सूचना प्रौद्योगिकी (प्रमाणन प्राधिकारी) नियम, 2000 की अनुसूची-II के अंतर्गत परिच्छेद 6.2 (2) में कहा गया है कि मेमोरी, स्टोरेज डिवाइस, आदि जैसे सूचना प्रणाली संसाधनों, संवेदनशील यूटिलिटीज़, डेटा संसाधनों और प्रोग्राम फाइलों तक एक्सेस को कर्तव्यों के उचित

पृथक्करण के साथ "उपयोग की आवश्यकता" के आधार पर नियंत्रित व प्रतिबंधित किया जाएगा।

ओएलटीआईएस मॉड्यूल व डेटाबेस के फ्रंट-एंड स्क्रीन के लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि ई-बिल व ई-वितरण मॉड्यूल में सभी प्रकार के बिलों/बजट के आवंटन को तैयार करने/सत्यापित करने के लिए कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग के आहरण एवं संवितरण अधिकारी के नाम पर केवल एक यूजर आईडी मौजूद है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में बिल क्लर्क (बिल तैयार करना), अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी (बिलों की जांच) और आहरण एवं संवितरण अधिकारी (बिलों का अनुमोदन) के लिए कोई अलग यूजर आईडी मौजूद नहीं थी। बिल क्लर्क द्वारा एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली से बिल उत्पन्न करने के बाद बिल की हार्ड कॉपी पर मैनुअल रूप से आहरण एवं संवितरण अधिकारी से जांच एवं अनुमोदन प्राप्त किया जाता था। संबंधित मुद्दों पर **परिच्छेद 2.3.3.3 (च)** (कोषागार में एक ही उपयोगकर्ता द्वारा बिलों पर प्रक्रिया), **परिच्छेद 2.3.4.5 (क)** (कोषागार में निधि का गबन) व **परिच्छेद 2.3.3.6 (ख)** (सिविल न्यायालय से प्राप्त प्रतिदाय को कारण दर्ज किए बिना कर्मचारियों के बचत बैंक खातों में जमा करना (एमएसीटी धोखाधड़ी)) में चर्चा की गई है।

इसी भांति कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग के ई-वितरण मॉड्यूल में एक ही यूजर आईडी विद्यमान थी जिसे कार्य सहायक द्वारा बजट आवंटित करने, उसे सत्यापित करने तथा फिर प्रणाली के माध्यम से आवंटन को सत्यापित करने हेतु स्वीकृति संख्या को लागू करने के लिए संचालित किया जाता था। इसलिए कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग के ई-वितरण मॉड्यूल के संबंध में सभी परिचालन विभागाध्यक्ष के नाम पर आवंटित यूजरनेम व पासवर्ड का उपयोग करके एक ही उपयोगकर्ता द्वारा किए जाते थे।

इस प्रकार ई-वितरण में बजट की अनुमति देने व ई-बिल्स मॉड्यूल में बिल तैयार करने के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में कार्य सहायकों के लिए अलग-अलग उपयोगकर्ता आईडी के अभाव में, उक्त मॉड्यूल के माध्यम से किए गए किसी भी कार्य के लिए जवाबदेही सुनिश्चित करना संभव नहीं था। कार्यों के अपर्याप्त पृथक्करण से त्रुटियों के होने और उनका पता न चलने, धोखाधड़ी व अनुचित कार्य-पद्धतियों को अपनाने का जोखिम बढ़ जाता है और इस प्रकार, अंततः नियंत्रण विफलता होती है।

विभाग ने बताया (मार्च 2022) कि हार्ड कॉपी पर अनुमोदन के पश्चात् बजट वितरित करने हेतु केवल एक यूजर आईडी का उपयोग किया गया तथा कार्मिकों की कमी के कारण कर्तव्यों का पृथक्करण नहीं किया गया और बिलों के मामले में आहरण एवं संवितरण अधिकारी द्वारा भौतिक सत्यापन किया गया था। कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में अधीक्षक/अनुभाग अधिकारी द्वारा बिलों की जांच व

आहरण एवं संवितरण अधिकारियों को अलग-अलग आईडी का उपयोग करके अनुमोदन देने का प्रावधान होना चाहिए, जैसाकि परिच्छेद 2.2.3.4 (ख) में चर्चा की गई है।

2.4.2.2 डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र एवं बहु कारक प्रमाणीकरण का अभाव

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 (संशोधित 2008) के नियम 3 में "इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड के प्रमाणीकरण" के संबंध में कहा गया है कि (1) कोई भी ग्राहक किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड को अपने डिजिटल हस्ताक्षर लगाकर प्रमाणित कर सकता है एवं (2) इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड का प्रमाणीकरण विषम-कुंजी क्रिप्टो सिस्टम व हैश फंक्शन के उपयोग से किया जाएगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017 के नियम 291 में कहा गया है कि महालेखाकार (लेखा व हकदारी) हिमाचल प्रदेश को प्रस्तुत की जाने वाली रिपोर्टें एक अधिकृत कोषागार अधिकारी के डिजिटल हस्ताक्षर सहित इलेक्ट्रॉनिक प्रारूप में प्रस्तुत की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि डिजिटल हस्ताक्षर का उपयोग करके बिलों को पास करने व मासिक लेखाओं को प्रस्तुत करने का प्रावधान कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग द्वारा क्रियान्वित नहीं किया गया। कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने सभी उपयोगकर्ताओं के लिए लॉगिन प्रमाणीकरण एवं संबंधित हितधारकों को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित एमआईएस रिपोर्ट प्रस्तुत करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र (डीएससी) के उपयोग को अनिवार्य नहीं बनाया।

कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने विभिन्न एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली मॉड्यूलों/सब-प्रोग्रामों तक एक्सेस रखने वाले सभी उपयोगकर्ताओं के लिए मल्टी-फैक्टर ऑथेंटिकेशन (बहु कारक प्रमाणीकरण) भी प्रदान नहीं किया। एक्सेस नियंत्रण वे उपकरण व प्रोटोकॉल हैं जिनका उपयोग सूचना प्रणालियों में पहचान, प्रमाणीकरण, प्राधिकरण व जवाबदेही के लिए किया जाता है। यह उपयोगकर्ता को प्रणाली के किसी भी ऐसे घटक का एक्सेस लेने से रोकता है, जो उसके दायित्व क्षेत्र से बाहर है। इस प्रकार डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र एवं बहु कारक प्रमाणीकरण के माध्यम से एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली तक एक्सेस के प्रावधान का कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग द्वारा पालन नहीं किया गया।

विभाग ने बताया (मार्च 2022) कि वह केवल बिल पास करने वाली भूमिका वाले अधिकारियों के लिए बहु कारक प्रमाणीकरण का उपयोग कर रहा है, अन्य उपयोगकर्ताओं के लिए नहीं। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि सभी उपयोगकर्ताओं के लिए बहु कारक प्रमाणीकरण लागू किया जाना आवश्यक है क्योंकि इससे अनधिकृत एक्सेस के लिए एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की भेद्यता कम हो जाती है।

2.4.2.3 एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में सेवानिवृत्ति के बाद भी उपयोगकर्ता की सक्रियता

कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग की सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति नियमावली के परिच्छेद 14.2 में कहा गया है कि सूचना प्रणालियों के माध्यम से उपयोगकर्ताओं को दिए जाने वाले एक्सेस का स्तर व्यावसायिक उद्देश्य के अनुरूप होना चाहिए। जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा उपयोगकर्ता अधिकारों की आवधिक (त्रैमासिक) समीक्षा की जानी चाहिए ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि एक्सेस कार्य की आवश्यकताओं के अनुरूप है और इसके अभिलेख रखे गए हैं। जब भी उपयोगकर्ता की कार्य रूपरेखा परिवर्तित होती है तो उपयोगकर्ता के अधिकारों को संशोधित किया जाना चाहिए। संबंधित विभाग प्रमुखों को जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी को उन उपयोगकर्ताओं के बारे में सूचित करना चाहिए जिन्हें अन्य विभागों में स्थानांतरित किया गया है या जो संगठन छोड़ देते हैं। ऐसे उपयोगकर्ताओं के एक्सेस अधिकारों को जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी द्वारा तुरंत हटाया/अपडेट किया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में बिलों पर प्रक्रिया करने एवं पास करने से संबंधित 'एम्प्लोयीमास्टर' तालिका के डेटा व ई-सैलरी डेटाबेस के लॉगिन ट्रेल का विश्लेषण किया गया, जिसमें पाया कि सेवा के दौरान कर्मचारियों को सौंपी गई 29 यूजर आईडी का उपयोग सेवानिवृत्ति के पश्चात् एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के एक्सेस के लिए या तो उपयोगकर्ताओं द्वारा स्वयं या उपयोगकर्ता के पासवर्ड का उपयोग करके अन्य लोगों द्वारा किया गया था। इससे पता चला कि न तो जिला कोषागार अधिकारी/कोषागार अधिकारी/आहरण एवं संवितरण अधिकारी ने यूजर आईडी निष्क्रिय किए और न ही सेवानिवृत्ति पर भूमिकाएं वापस ली गईं। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली ने भी उपयोगकर्ता को सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारी को सौंपी गई भूमिकाओं के साथ लॉग-इन करने से प्रतिबंधित नहीं किया।

इसके परिणामस्वरूप, सेवानिवृत्त कर्मचारियों या अन्य लोगों द्वारा इन लॉगिन क्रेडेंशियल्स के माध्यम से अनधिकृत पहुंच का जोखिम था।

जिला कोषागार अधिकारी, शिमला (अक्टूबर 2022), चंबा (नवंबर 2022) व कुल्लू (फरवरी 2023) ने बताया कि न तो विभाग ने सेवानिवृत्ति के पश्चात् कर्मचारियों की यूजर आईडी को निष्क्रिय करने के लिए कोई तंत्र विकसित किया है और न ही प्रणाली में ऐसा कोई प्रावधान है। जिला कोषागार अधिकारी, हमीरपुर, किन्नौर, कांगड़ा, सोलन, सिरमौर व ऊना के उत्तर प्रतीक्षित थे (जनवरी 2025)। उत्तर में इस बात की आवश्यकता बताई गई कि सेवानिवृत्त कर्मचारी या विभाग छोड़ चुके कर्मचारियों के एक्सेस को प्रतिबंधित करने के लिए प्रणाली में प्रावधान शामिल किया जाना चाहिए।

2.4.3 भेद्यता एवं खतरा

2.4.3.1 वेबसाइट सुरक्षा दिशानिर्देशों का अनुपालन न करना

राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र-सीईआरटी वेबसाइट सुरक्षा दिशा-निर्देशों के परिच्छेद 1 में यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया है कि किसी भी वेबसाइट को उत्पादन वातावरण होस्ट करने से पहले वेबसाइट का सुरक्षा लेखापरीक्षा किया जाए तथा कंप्यूटर आपातकालीन प्रतिक्रिया टीम (सीईआरटी-आईएन) (भारत सरकार के इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के भीतर एक कार्यालय) के सूचीबद्ध विक्रेता द्वारा लेखापरीक्षा स्वीकृति प्रमाणपत्र जारी किया जाए। सुरक्षा लेखापरीक्षा हर छह माह में या जब भी स्रोत कोड में परिवर्तन किया जाए, की जानी चाहिए। दिशानिर्देशों के परिच्छेद 10 में आगे कहा गया है कि हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल (*http*) रिस्पॉंस हेडर को छिपाया जाए। परिच्छेद 14 में कहा गया है कि वेब सर्वर प्रक्रियाएं एडमिनिस्ट्रेटर या रूट यूजर अकाउंट में नहीं चलनी चाहिए और वेब सर्वर प्रक्रियाओं के लिए सीमित विशेषाधिकारों वाले एक समर्पित यूजर अकाउंट का उपयोग किया जाना चाहिए।

एक विश्वसनीय सुरक्षा लेखापरीक्षा आईटी एप्लिकेशन में मौजूद सभी ज्ञात कमज़ोरियों, गलत कॉन्फिगरेशन, खामियों, सुरक्षा कमज़ोरियों और कमियों को सूचीबद्ध करता है और मैलवेयर तथा वेबसाइट के विकृत होने का भी पता लगाता है। इसके अतिरिक्त यह व्यावसायिक तर्क संबंधी खामियों व अन्य अज्ञात कमज़ोरियों पर भी प्रकाश डालता है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की गोपनीयता, उपलब्धता व सत्यता सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा लेखापरीक्षा नियमित रूप से की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के ई-पेंशन, ओएलटीआईएस, ई-सैलरी, ई-एनपीएस, ई-वितरण, साइबर कोषागार, जीएसटी ट्रेजरी मॉड्यूलों को क्रमशः अगस्त 2004, 2005, जुलाई 2007, नवंबर 2010, अप्रैल 2010, जून 2014 व जुलाई 2017 में प्रस्तुत किया गया था परंतु इन मॉड्यूलों की सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं की गई। कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने मई 2013 व दिसंबर 2019 में क्रमशः केवल ई-चालान और ई-सैलरी या एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली (हिम-कोष) का लेखापरीक्षा स्वीकृति प्रमाणपत्र प्राप्त किया और उसके बाद हर छः माह या जब भी परिवर्तन किया गया, कोई प्रमाणपत्र प्राप्त नहीं किया गया। लेखापरीक्षा में आगे देखा गया कि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने साइबर ट्रेजरी एप्लीकेशन में परिवर्तन की योजना बनाई थी तथा साइबर ट्रेजरी एप्लीकेशन में परिवर्तन के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) से अनुरोध किया था (अगस्त 2014)। हालांकि साइबर ट्रेजरी एप्लीकेशन में परिवर्तन किए जाने के बाद कोई सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं की गई, जो कि पूर्वोक्त दिशानिर्देशों के विरुद्ध था।

विभाग ने बताया (मार्च 2022) कि माँड्यूल में परिवर्तन शामिल कर लिए गए थे तथा स्वीकार किया कि उसने हर छः माह में या जब भी स्रोत कोड में परिवर्तन किए, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की सुरक्षा लेखापरीक्षा नहीं की।

2.4.4 बैकअप एवं पुनर्प्राप्ति नियंत्रण

2.4.4.1 उपयोगी ऐतिहासिक डेटा का बैकअप एवं पुनर्स्थापन

सूचना प्रौद्योगिकी सुरक्षा नीति नियम-पुस्तिका, कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग के परिच्छेद 12.6.5 कहा गया है कि एक्सेस केवल स्वामी, वरिष्ठ प्रबंधन व स्वामी द्वारा निर्दिष्ट तीसरे पक्ष के पास होना चाहिए तथा बैकअप प्रतियां ऑफसाइट रखी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त परिच्छेद 16.2.4 में कहा गया है कि उपयोगी ऐतिहासिक डेटा का बैकअप, संबंधित कोषागार कार्यालयों के आईटी सपोर्ट सदस्यों द्वारा एक बार के आधार पर बाहरी हार्ड डिस्क पर मैन्युअल रूप से लिया जाना है, जिसे शिमला में कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग मुख्यालय में एक निर्दिष्ट तालाबंद अलमारी (आर्काइव) में संग्रहीत किया जाए। उपरोक्त बैकअप गतिविधि के अभिलेखों की निगरानी व अनुरक्षण शिमला स्थित कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग के मुख्यालय में आईटी सपोर्ट सदस्यों द्वारा किया जाता है।



लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने मुख्यालय तथा सभी कोषागार कार्यालयों में आईटी सपोर्ट टीम का गठन नहीं किया था। कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने बताया कि विगत दो वित्तीय वर्षों यथा वर्ष 2020-21 व 2021-22 के लिए डेटा बैकअप अप्रैल 2021 व मार्च 2022 में राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) से प्राप्त किया गया एवं उन्हें बिना किसी सूची/रजिस्टर में दर्ज किए, निदेशालय में रखा गया था।

लेखापरीक्षा में आगे पाया गया कि कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) से लिए गए बैकअप को पुनर्स्थापित करके डेटा की जांच नहीं की इसलिए यह सुनिश्चित नहीं किया जा सका कि बैकअप में प्रासंगिक डेटा शामिल किया

गया था या नहीं। कार्यनीति का डेटा पुनर्स्थापना भाग यह परिभाषित करता है कि पुनर्स्थापना करने के लिए कौन उत्तरदायी है, डेटाबेस उपलब्धता के लक्ष्यों को पूर्ण करने तथा डेटा की क्षति को न्यूनतम करने के लिए पुनर्स्थापना कैसे की जानी चाहिए एवं पुनर्स्थापना के परीक्षण की विधि क्या है। पुनर्स्थापना नीति में उन सभी प्रारूपों का बैकअप होना आवश्यक है, जो बैकअप रणनीति में शामिल हैं तथा पुनर्स्थापित डेटाबेस की भौतिक संगतता की जांच की गई है।

डेटा बैकअप की पुनर्स्थापना न होने के कारण बैकअप डेटा की सुसंगतता, सटीकता एवं पूर्णता सुनिश्चित नहीं की जा सकी।

उपरोक्त बिंदु मई 2022 में कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

2.4.4.2 सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल का गठन न करना

आईटी सुरक्षा नीति नियम-पुस्तिका, कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग के परिच्छेद 4.3.4 में कहा गया है कि किसी भी सूचना सुरक्षा घटना के प्रभाव को नियंत्रित करने और कम करने के लिए सूचना सुरक्षा संचालन समिति द्वारा उसकी पहली बैठक में एक सुरक्षा घटना प्रबंधन समिति बनाई जाएगी। उनके उत्तरदायित्व एवं अधिकार इस प्रकार हैं (i) सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल किसी भी सूचना सुरक्षा घटना की रिपोर्टिंग, रोकथाम, शमन एवं सुधार के लिए तंत्र बनाने और लागू करने के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल का गठन नहीं किया था और न ही कोई घटना प्रतिक्रिया नीति तैयार की गई थी। इसके अतिरिक्त लेखापरीक्षा के दौरान घटनाओं के लॉग रिकॉर्ड करने वाले कोई दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं थे। अतः यह स्थापित नहीं किया जा सका कि ऐसी घटनाओं से निपटने के लिए कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग द्वारा अपनाए गए विभिन्न मॉड्यूलों व रणनीतियों के कार्यान्वयन के दौरान किस प्रकार की घटनाओं का सामना करना पड़ा तथा यह भी पता नहीं लगाया जा सका कि क्या ये घटनाएं प्रणाली में किए गए किसी परिवर्तन का परिणाम हैं।

उपरोक्त बिंदु मार्च 2022 में कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग को भेजे गए; उत्तर प्रतीक्षित था (जनवरी 2025)।

2.4.4.3 डेटा संरक्षण नीति का अभाव

विभाग की आईटी सुरक्षा नीति के परिच्छेद 28.1.3 के अनुसार संगठन के अभिलेखों की सुरक्षा अभिलेखों के वर्गीकरण पर आधारित होती है। आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों के समर्थन सहित सांविधिक, विनियामक या संविदात्मक आवश्यकताओं को पूर्ण करने के लिए आवश्यक

संगठनात्मक अभिलेखों को सुरक्षित रूप से संरक्षित रखा जाना चाहिए। धारण अवधि के पश्चात् अभिलेखों को उचित रूप से नष्ट कर दिया जाना चाहिए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कोषागार के कम्प्यूटरीकरण से पूर्व अभिलेखों का संरक्षण हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका, 2011 के परिच्छेद 19.7 के अनुसार किया जाना था, जिसमें विभिन्न अभिलेखों के लिए विभिन्न संरक्षण अवधियां निर्धारित की गई थी। हालांकि कम्प्यूटरीकरण और तत्पश्चात् एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली की शुरुआत के बाद कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग ने जोखिम मूल्यांकन, प्रतिधारण अवधि, आवश्यक व्यावसायिक गतिविधियों की अवधि के समर्थन सहित विनियामक या संविदात्मक आवश्यकताओं आदि के संबंध में डेटा के वर्गीकरण द्वारा निर्देशित होने के लिए एक उपयुक्त डेटा संरक्षण नीति तैयार नहीं की, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि डेटा सेंटर आर्किटेक्चर डेटा संरक्षण नीति का समर्थन करता है या नहीं।

यह भी पाया गया कि कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग ने अभी तक डेटा संरक्षण नीति व डेटा साझाकरण नीति तैयार नहीं की, इसका परिमाण यह हुआ कि डेटा एप्लीकेशन के आरंभ से ही लाइव डेटा डेटाबेस में मौजूद है। डेटा संरक्षण नीति एवं डेटा साझाकरण नीति की अनुपस्थिति यह दर्शाती है कि एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के पास उपलब्ध डेटा के महत्व और संभावित उपयोग को मान्यता नहीं दी गई है।

विभाग ने तथ्यों को स्वीकार किया (मार्च 2023) एवं पुष्टि की कि कोई डेटा संरक्षण नीति निरूपित नहीं की गई तथा संपूर्ण डेटा लाइव डेटाबेस में है।

2.4.5 आपदा प्रबंधन एवं व्यवसाय निरंतरता

2.4.5.1 आपदा पुनर्प्राप्ति एवं व्यवसायिक निरंतरता योजना का सृजन न करना

हिमाचल प्रदेश कार्यालय नियम-पुस्तिका 2011 के "बैकअप एवं पुनर्प्राप्ति" से संबंधित परिच्छेद 20.7 में कहा गया है कि (ii) विभागों के पास ऐतिहासिक डेटा के संबंध में एक स्पष्ट बैकअप नीति होनी चाहिए जिसमें स्पष्ट रूप से बताया गया हो कि डेटा को स्थायी रूप से हटाने से पहले उसे कितने समय तक संरक्षित रखा जाएगा।

कोषागार, लेखा एवं लॉटरी विभाग की आईटी सुरक्षा नीति के परिच्छेद 15 में कहा गया है कि संगठन की संवेदनशील सूचना प्रसंस्करण सुविधाएं सुरक्षित क्षेत्रों में स्थापित की जाएं। प्राकृतिक एवं मानव निर्मित आपदाओं से भौतिक सुरक्षा प्रदान की जाए। परिसर में एक्सेस को नियंत्रित किया जाए।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि व्यवसाय निरंतरता योजना एवं आपदा पुनर्प्राप्ति योजना की तैयारी को दर्शाने वाले कोई भी अभिलेख विभाग के पास उपलब्ध नहीं थे तथा आपदा की

स्थिति में सरकार के महत्वपूर्ण वित्तीय संचालन जोखिम में थे। इसके अतिरिक्त किसी भी दस्तावेजीकरण के अभाव में, डेटा की सुरक्षा व व्यवसाय निरंतरता सुनिश्चित करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का पता नहीं लगाया जा सका। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के एक महत्वपूर्ण प्रणाली होने के कारण क्लाउड-आधारित एप्लीकेशनों के मामले में भी बैक-अप, पुनर्स्थापना, एंटी-वायरस तंत्र, पुनरावृत्ति, आदि के लिए प्रलेखित प्रक्रियाओं को सम्मिलित करते हुए एक व्यवसाय निरंतरता एवं आपदा पुनर्प्राप्ति योजना विकसित करना आवश्यक था।

विभाग ने स्वीकार किया (मार्च 2022) कि आपदा पुनर्प्राप्ति योजना एवं बैकअप नीति के लिए कोई दस्तावेज तैयार नहीं किए गए; महत्वपूर्ण डेटा की पहचान व प्राथमिकता तय करने के लिए कोई व्यावसायिक प्रभाव विश्लेषण और जोखिम मूल्यांकन नहीं किया गया और व्यावसायिक निरंतरता योजना भी तैयार नहीं की गई। अतः आपदा पुनर्प्राप्ति योजना एवं बैकअप नीति के अभाव में, डेटा व सूचना जोखिम में हैं तथा व्यावसायिक निरंतरता में व्यवधान की संभावना है।

2.5 निष्कर्ष

हिमाचल प्रदेश में एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली का कार्यान्वयन पूर्व-विद्यमान मॉड्यूलों के एकीकृत होने पर आधारित था। हालांकि मॉड्यूलों को सभी पहलुओं पर विचार किए बिना तथा सभी हितधारकों को शामिल किए बिना एकीकृत किया गया था। बिज़नेस प्रोसेस रिइंजीनियरिंग नहीं की गई, वित्तीय कोडों को संशोधित नहीं किया गया, जिसके कारण मैनुअल संचालन पर विश्वास और निर्भरता बनी रही। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को व्यवस्थित दृष्टिकोण के आधार पर विकसित नहीं किया गया। परियोजना कार्यान्वयन की निगरानी के लिए राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केन्द्र के साथ कोई सेवा स्तर अनुबंध नहीं किया गया। बिना किसी उपयोगकर्ता स्वीकृति परीक्षण के, उत्पादन परिवेश में सीधे परिवर्तन किए गए। लेनदेन ऑनलाइन साथ ही मैनुअल रूप से भी किए गए, जिससे एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली डेटा किसी भी एमआईएस रिपोर्टिंग के लिए अविश्वसनीय हो जाता था।

इसके अतिरिक्त एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के मॉड्यूलों के अनुचित एकीकरण के कारण बजट प्रक्रिया में मैनुअल हस्तक्षेप, अनावश्यक अनुपूरक बजट, निधियों का अपयोजन, बजट से अधिक आवंटन/व्यय, बजट में परिकल्पित नहीं की गई सेवाओं पर व्यय तथा एमआईएस रिपोर्ट में आंकड़ों में अंतर जैसी समस्याएं उत्पन्न हुईं। इसके अतिरिक्त महालेखाकार (लेखा व हकदारी) के लिए इंटरफेस विकसित न किया जाना, मृत्यु सह सेवानिवृत्ति ग्रेच्युटी, कम्प्यूटेशन व अवकाश नकदीकरण के गबन एवं अनधिकृत भुगतान तथा सामान्य भविष्य निधि मामलों में अग्रिम व अंतिम आहरण में अंतर न होने के रूप में परिणत हुआ। साथ ही इनपुट व एप्लिकेशन नियंत्रण का अभाव था, जिसके कारण स्वीकृति सृजन एवं अनुमोदन का कोई

प्रावधान न होना, सामान्य भविष्य निधि आहरण के लिए बिल तैयार करते समय 'अन्य' आहरण कारण श्रेणी की उपस्थिति, वर्तमान कर्मचारियों के लिए पेंशन बिल तैयार कर सकना, डेटा आदि में विसंगतियां एवं सत्यापन जांच न होने के कारण पास किए बिलों व संकलित बिलों की संख्या में अंतर, बजट के बिना तैयार किए गए बिल, असंगत तिथियां एवं बिल पर अनधिकृत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा प्रक्रिया करने, टोकन से लेकर एक ही अधिकारी द्वारा बिलों को पास करने तक की प्रक्रिया करने जैसे मुद्दे देखे गए।

इसके अतिरिक्त यह भी देखा गया कि आहरण एवं संवितरण अधिकारी डीडीओ वैधता तिथि समाप्त होने के बाद भी बिल सृजित करने में सक्षम थे तथा एक आहरण एवं संवितरण अधिकारी की संबद्धता कई कोषागारों से थी। एक ही डेटा के लिए कई मास्टर तालिकाओं का उपयोग, गलत डेटा की स्वीकृति, कर्मचारियों, सेवा प्रदाताओं व आपूर्तिकर्ताओं के मास्टर डेटा में अपूर्ण विवरण, संकलन व बैंक स्कॉल के मध्य भुगतान/प्राप्ति के आंकड़ों में अंतर, साख पत्र से संबंधित लेनदेन में अनियमितताएं, आदि भी देखी गईं। इसके अतिरिक्त, बिलों पर ऑफलाइन प्रक्रिया, अग्रिमों का समायोजन, सार आकस्मिक/विस्तृत आकस्मिक बिलों के लिए प्रावधान, जनजातीय क्षेत्रों में तैनात कर्मचारियों को अग्रिम वेतन भुगतान के लिए बिलों के सृजन हेतु ई-बिलों में प्रावधान, मुख्य लेखा शीर्षों के साथ डीडीओ कोड को मैप करना, आदि जैसे नियमों को मैप नहीं किया गया। इसके अतिरिक्त डेटाबेस सुपर यूजर अकाउंट का प्रबंधन विभाग के किसी नियंत्रण के बिना, राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, हिमाचल प्रदेश (सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी) द्वारा किया गया।

साथ ही, एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में देखी गई सुरक्षा कमजोरियां, जैसे सेवानिवृत्ति के बाद उपयोगकर्ता द्वारा लॉगिन आईडी एक्सेस करना, महत्वपूर्ण वित्तीय जानकारी को अनुचित एक्सेस उपलब्ध करा सकती है अतः सूचना की गोपनीयता और सत्यनिष्ठा से समझौता होने का जोखिम उत्पन्न होता है। बिलों को पास करने के लिए डिजिटल हस्ताक्षर प्रमाणपत्र की अनुपस्थिति ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के तहत सृजित वाउचरों को अप्रमाणिक बना दिया। मैनुअल प्रक्रियाएं और बैकएंड इनपुट्स ने एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली को डेटा की सत्यनिष्ठा एवं विश्वसनीयता से संबंधित जोखिमों के प्रति संवेदनशील बना दिया। इसके अतिरिक्त डेटाबेस प्रशासक की गतिविधियों पर नियंत्रण की कमी पाई गई, जिसके कारण अनधिकृत एक्सेस हो सकता है। इसके अतिरिक्त बहु कारक प्रमाणीकरण का अभाव व सूचना प्रणाली सुरक्षा समिति तथा सुरक्षा घटना प्रतिक्रिया दल का गठन न करना भी पाया गया। साथ ही लेनदेन लॉग के अभाव में अनधिकृत एक्सेस का पता नहीं लगाया जा सका।

अंत में, हिमाचल प्रदेश एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली, डिज़ाइन संबंधी दोषों, आंतरिक नियंत्रणों के कमजोर प्रवर्तन, प्रणाली एकीकरण में विखंडन, तथा सूचना सुरक्षा, व्यवसाय निरंतरता एवं वित्तीय प्रशासन में कमियों जैसी समस्याओं से ग्रस्त है। ये कमियां सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन

के लिए एक विश्वसनीय और जवाबदेह मंच के रूप में इस प्रणाली की विश्वसनीयता को कमजोर करती हैं।

2.6 अनुशासन

कई कार्यात्मक एवं प्रणालीगत कमियां देखी गईं। इन कमियों को दूर करने के लिए विभाग निम्नलिखित कार्य कर सकता है:

- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के प्रबंधन के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण अपनाया जाए। सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एजेंसी (राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र) की सहायता से पूर्ण दस्तावेजीकरण किया जाए। विभाग भविष्य में सॉफ्टवेयर में किए गए सभी परिवर्तनों का दस्तावेजीकरण करके परियोजना दस्तावेज को अद्यतन रखने पर विचार कर सकता है। एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में परिवर्तनों के ट्रेल्स/लॉग्स का प्रावधान होना चाहिए।
- सभी आवश्यकताओं को समझने और पहचानने के लिए सभी हितधारकों के साथ व्यवहार्यता अध्ययन और बैठकें आयोजित की जाएं, जिन्हें बाद में सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, सिस्टम डिजाइन डॉक्यूमेंट, आदि में उचित रूप से दस्तावेजीकृत किया जाए। यह आवश्यकताओं की पूर्ति के उपाय के रूप में कार्य करने के साथ-साथ विभिन्न मॉड्यूल्स के परीक्षण में भी सहायता कर सकता है।
- महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय एवं कोषागारों के साथ एक इंटरफेस प्रदान किया जाए ताकि सामान्य भविष्य निधि, पेंशन लाभ जैसे कम्प्यूटेशन, ग्रेच्युटी आदि के संबंध में डिजिटल डेटा का स्थानांतरण सुनिश्चित किया जा सके, जिसका भुगतान केवल महालेखाकार (लेखा व हकदारी) कार्यालय द्वारा जारी स्वीकृतियों के आधार पर किया जाता हो।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में बजट तैयारी से लेकर बिल पर प्रक्रिया करने तक की सम्पूर्ण प्रक्रिया न्यूनतम मानवीय हस्तक्षेप के साथ सुनिश्चित की जाए तथा सभी प्रकार के बिलों पर एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से ही प्रक्रिया की जाना सुनिश्चित की जाए।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में निम्नलिखित विशेषताएं सुनिश्चित की जाएं:
 - एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में "अदर पेयी" विकल्प में वेतन व अन्य संबंधित बिलों के भुगतान को रोकने के लिए जांच हो और यदि "अदर पेयी" विकल्प से कर्मचारियों को कोई भुगतान किया जाता है तो ऐसे भुगतान से पहले कर्मचारी कोड अनिवार्य किया जाए।
 - यह सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन जांच लागू की जाए कि कोई दोहरा या अनधिकृत भुगतान (जैसे आहरण एवं संवितरण अधिकारी वैधता तिथि समाप्त

होने के बाद बिल पास न करना, कर्मचारी कोड के सापेक्ष 'स्टॉपकोड' लागू करना, आदि) न हो, नियमों के तहत अनुमत से अधिक भुगतान न हो तथा गलत पीएन नंबर के मामले में भुगतान प्रतिबंधित किया जाए।

- अग्रिम/सार आकस्मिक बिलों की निगरानी के लिए समायोजन की देय तिथियों को स्वचालित रूप से भरने का प्रावधान किया जाए।
- एकीकृत वित्तीय प्रबंधन प्रणाली में प्रत्येक प्रमुख कार्य/परियोजना, योजना और संस्थान के लिए एक यूनिक कोड सुनिश्चित किया जाए, जिसमें स्थान, पंचायत, ब्लॉक आदि का विवरण भी शामिल हो।
- यदि बिल पर प्रक्रिया करने में विलम्ब निर्धारित समय-सीमा से अधिक हो, तो कोषाधिकारी को चेतावनी देने के लिए एक चेतावनी संकेत जारी करने की प्रणाली लागू की जाए। बिलों पर प्रक्रिया करने में लगाने वाले समय को न्यूनतम करने हेतु कोषागार कार्यालय में प्रस्तुत करने से पहले बिलों पर प्रारंभिक जांच लागू करने के लिए पूर्व-लेखापरीक्षा सुविधा पर विचार किया जाए।
- यह सुनिश्चित करने के प्रावधान किया जाए कि तीसरे पक्ष के भुगतान से स्रोत पर कटौती आईटी अधिनियम/जीएसटी नियमों के प्रावधानों के अनुसार काटी गई हो एवं भुगतान प्राप्त करने वाले प्राप्तकर्ताओं/दावेदारों के विवरण दर्ज किए जाएं।
- सूचना सुरक्षा संचालन समिति का गठन किया जाए और यह सुनिश्चित किया जाए कि सूचना सुरक्षा से संबंधित भूमिकाओं की जिम्मेदारियां एवं अधिकार स्पष्ट रूप से निर्धारित व संप्रेषित किए जाए।
- डेटाबेस प्रशासक गतिविधियों पर साथ ही लेनदेन व अपवाद रिपोर्टिंग लॉग तक एक्सेस पर नियंत्रण सुनिश्चित किया जाए।
- प्रत्येक माँड्यूल में अधिकृत कार्मिकों के कर्तव्यों और भूमिकाओं का पृथक्करण सुनिश्चित किया जाए।
- आपदा पुनर्प्राप्ति योजना/व्यावसायिक निरंतरता योजना के रूप में एक सुदृढ़ डेटा रिकवरी एवं डेटा बैक-अप योजना स्थापित की जाए।

अध्याय III

वस्तु एवं सेवा कर भुगतान तथा रिटर्न फाइल
करने पर विभागीय निगरानी

अध्याय III: वस्तु एवं सेवा कर भुगतान तथा रिटर्न्स फाइल करने पर विभागीय निगरानी

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

3.1 परिचय

वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) ने इसके लागू होने से केंद्र और राज्यों द्वारा लगाए जाने वाले कई करों का स्थान ले लिया है। 01 जुलाई 2017 से लागू हुआ जीएसटी, वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति पर लगाया जाने वाला एक गंतव्य-आधारित उपभोग कर है, जो प्रत्येक मूल्यवर्धन पर लगाया जाता है।

केंद्र और राज्य एक साथ समान कर आधार पर जीएसटी लगाते हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर (सीजीएसटी) एवं राज्य वस्तु एवं सेवा कर (एसजीएसटी)/ संघ राज्य क्षेत्र वस्तु एवं सेवा कर (यूटीजीएसटी) राज्यान्तर्गत आपूर्ति पर लगाए जाते हैं, और एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर (आईजीएसटी) अंतरराज्यीय आपूर्ति पर लगाया जाता है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर (एचपीजीएसटी) अधिनियम, 2017 की धारा 59 जीएसटी को स्व-मूल्यांकन-आधारित कर के रूप में निर्धारित करती है, जिसके तहत कर देयता की गणना करने, गणना की गई कर देयता का निर्वहन करने व रिटर्न्स फाइल करने की जिम्मेदारी करदाता पर निहित है। जीएसटी रिटर्न्स को सामान्य जीएसटी पोर्टल पर नियमित रूप से ऑनलाइन फाइल किया जाना चाहिए, जिसमें विफल होने पर जुर्माना देय होगा। यहां तक कि अगर किसी विशेष कर अवधि के दौरान व्यवसाय पर कोई कर देयता नहीं है, तो भी उसे अनिवार्य रूप से शून्य रिटर्न फाइल करना होगा। इसके अतिरिक्त, एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के साथ पठित एचपीजीएसटी नियमावली का नियम 99 कहता है कि समुचित अधिकारी करदाताओं द्वारा प्रस्तुत रिटर्न व संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है, करदाताओं को विसंगतियों के बारे में सूचित कर सकता है व स्पष्टीकरण मांग सकता है।

यह विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा (एसएससीए) इस नई कर व्यवस्था में कर अनुपालन के लिए परिकल्पित नियंत्रण तंत्र और हिमाचल प्रदेश सरकार के कर एवं आबकारी विभाग की निगरानी व्यवस्था के महत्व को ध्यान में रखते हुए शुरू की गई थी।

3.2 लेखापरीक्षा उद्देश्य

यह लेखापरीक्षा जीएसटी व्यवस्था के अंतर्गत कर अनुपालन के संबंध में विभाग द्वारा अपनाई गई प्रणालियों व प्रक्रियाओं की उपयुक्तता व प्रभावशीलता पर आश्वासन प्रदान करने के लिए उन्मुख थी। 'जीएसटी भुगतानों व रिटर्न फाइलिंग पर विभागीय निगरानी' की लेखापरीक्षा

निम्नलिखित लेखापरीक्षा उद्देश्यों के साथ की गई थी ताकि निम्नलिखित पर आश्वासन प्राप्त किया जा सके:

- i. क्या नियमों और प्रक्रियाओं को कर अनुपालन पर एक प्रभावी जांच को सुरक्षित करने के लिए डिज़ाइन किया गया था और करदाताओं द्वारा उनका विधिवत पालन किया जा रहा था; और
- ii. क्या आंतरिक लेखापरीक्षा व अन्य अनुपालन कार्य के लिए, सर्कलों की संवीक्षा प्रक्रियाएं उपयुक्त व प्रभावी थीं।

3.3 लेखापरीक्षा पद्धति व कार्यक्षेत्र

यह विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा के विश्लेषण के आधार पर आयोजित की गई थी, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि से संबंधित जोखिम वाले क्षेत्रों व रेड फ्लैग्स पर प्रकाश डाला गया था तथा जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि में चयनित सर्कलों के कार्यों की लेखापरीक्षा की गई थी। डेटा विश्लेषण के माध्यम से, इनपुट टैक्स क्रेडिट, कर देयता का निर्वहन, पंजीकरण व रिटर्न फाइलिंग के क्षेत्रों में 13 विचलनों¹ की पहचान की गई। ऐसे विचलनों पर केंद्रीकृत लेखापरीक्षा (सीमित लेखापरीक्षा²) के माध्यम से अनुवर्ती कार्रवाई की गई थी, जिसके तहत इन विचलनों को संबंधित सीबीआईसी क्षेत्राधिकार संरचनाओं (रेंज)/राज्य विभागीय क्षेत्रीय संरचनाओं को सूचित किया गया व पहचाने गए विचलनों पर क्षेत्राधिकार संरचनाओं द्वारा की गई कार्रवाई का पता क्षेत्रीय दौरों को शामिल किए बिना लगाया गया।

सीमित लेखापरीक्षा के साथ-साथ विस्तृत लेखापरीक्षा भी की गई, जिसमें क्षेत्राधिकार प्राप्त संरचनाओं के पास उपलब्ध अभिलेखों के सत्यापन के लिए फील्ड दौरे भी शामिल थे। रिटर्न्स व संबंधित संलग्नकों एवं सूचना को केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)-केंद्रीय उत्पाद शुल्क एवं सेवा कर स्वचालन (एसीईएस)-वस्तु एवं सेवा कर (जीएसटी) एप्लीकेशन

¹ 1. जीएसटीआर 2ए व जीएसटीआर 3बी के मध्य इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलान न होना, 2. आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में कर का भुगतान, 3. जीएसटीआर 3बी/जीएसटीआर 9 में प्राप्त आरसीएम बनाम आईटीसी के तहत कर का कम भुगतान, 4. आईएसटी क्रेडिट का गलत लाभ, 5. गलत आईएसटी क्रेडिट रिवर्सल, 6. वित्तीय विवरणियों में व्यय के साथ वार्षिक रिटर्न में प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच मिलान, 7. वार्षिक रिटर्न्स व लेखों की पुस्तकों के मध्य प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट का मिलान न होना, 8. जीएसटीआर 9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में मिलान न होना, 9. जीएसटीआर 9सी तालिका 7जी में घोषित कर-योग्य टर्नओवर में मिलान न होना, 10. लेखों की पुस्तकों व रिटर्न्स के बीच भुगतान किए गए कर में मिलान न होना, 11. जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं किया गया था परंतु जीएसटीआर 1 उपलब्ध है, 12. ब्याज का कम भुगतान व 13. स्टॉप फाइलर्स।

² सीमित लेखापरीक्षा में करदाता के विस्तृत अभिलेखों जैसे वित्तीय विवरण, संबंधित खाता बही, चालान, समझौते आदि की मांग शामिल नहीं थी।

- राज्य कर एवं आबकारी विभाग एप्लीकेशन के बैक-एंड प्रणाली के माध्यम से प्राप्त किया गया ताकि करदाताओं से संबंधित डेटा/दस्तावेजों (अर्थात् पंजीकरण, कर भुगतान, रिटर्न्स व अन्य विभागीय कार्यों) की यथासंभव जांच की जा सके।

विस्तृत ऑडिट में करदाताओं से संबंधित विस्तृत रिकॉर्ड तक पहुँच प्राप्त करना भी शामिल था जैसे कि संबंधित क्षेत्रीय संरचनाओं के माध्यम से चालान प्राप्त करना। इसके अतिरिक्त, चुनिंदा सर्कलों में रिटर्न्स की संवीक्षा जैसे विभागीय अनुपालन कार्यों की भी समीक्षा की गई।

चयनित सर्कलों के कार्यों की लेखापरीक्षा में जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि को शामिल किया गया। विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में केवल राज्य प्रशासित करदाता शामिल थे। क्षेत्रीय लेखापरीक्षा जुलाई 2022 से अक्टूबर 2022 तक संचालित की गई।

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा की प्रथम बैठक 19 जनवरी 2022 को आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश के साथ आयोजित की गई थी, जिसमें लेखापरीक्षा उद्देश्यों, नमूना चयन, लेखापरीक्षा क्षेत्र व कार्यप्रणाली पर चर्चा की गई। आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश के साथ 6 जुलाई 2023 को अंतिम बैठक आयोजित की गई थी जिसमें लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। विभाग के उत्तरों को प्रासंगिक परिच्छेदों में उपयुक्त रूप से शामिल किया गया है।

3.4 लेखापरीक्षा नमूना

मूल लेखापरीक्षा के नियोजन, प्रकृति तथा सीमा निर्धारित करने के लिए एक डेटा-संचालित दृष्टिकोण अपनाया गया। इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के नमूने में सीमित लेखापरीक्षा के लिए डेटा विश्लेषण के माध्यम से पहचाने गए विचलनों का एक सेट जिसमें क्षेत्रीय दौरे शामिल नहीं थे; विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं का एक नमूना जिसमें क्षेत्रीय दौरे व विभागीय परिसर में करदाताओं के अभिलेखों की संवीक्षा और सर्कलों के अनुपालन कार्यों के मूल्यांकन के लिए सर्कलों का एक नमूना शामिल था।

इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के तीन भिन्न भाग इस प्रकार थे:

(i) भाग I - सर्कलों की लेखापरीक्षा

विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए मामलों के एक से अधिक चयनित नमूनों पर क्षेत्राधिकार रखने वाले दस³ सर्कलों को उनके निरीक्षण कार्यों के मूल्यांकन हेतु सर्कलों के नमूने के रूप में विचार किया गया।

³ बद्दी-II, बद्दी-III, बद्दी-IV, भोरंज व सुजानपुर, औद्योगिक क्षेत्र काला अंब, मंडी-III, मनाली, नेरचौक, पांवटा-I एवं पांवटा-II

(ii) भाग II - सीमित लेखापरीक्षा

सीमित लेखापरीक्षा के लिए नमूने का चयन, विभाग की संवीक्षा प्रक्रिया की पर्याप्तता व प्रभावशीलता के मूल्यांकन हेतु डेटा विश्लेषण के माध्यम से नियमों व रिटर्न्स के बीच विसंगतियों से उच्च मूल्य या उच्च जोखिम विचलनों की पहचान करके किया गया था। तदनुसार, इस विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा के अंतर्गत सीमित लेखापरीक्षा के लिए 336 करदाताओं के नमूने का चयन किया गया।

(iii) भाग III - विस्तृत लेखापरीक्षा

यह सर्कलों के माध्यम से करदाताओं के अभिलेखों तक पहुँच बनाकर, करदाताओं द्वारा कर अनुपालन की सीमा का मूल्यांकन करने के लिए किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए करदाताओं के नमूने का चयन जोखिम मापदंडों जैसे अतिरिक्त इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी), कर देयता असंगत, कुल बिक्री की असंगत छूट प्राप्त बिक्री व अनियमित आईटीसी रिवर्सल के आधार पर किया गया था। विस्तृत लेखापरीक्षा के लिए चुने गए 55 करदाताओं नमूनों में बड़े⁴, मध्यम⁵ व छोटे⁶ स्तर के करदाताओं के साथ-साथ यादृच्छिक रूप से चुने गए करदाता भी शामिल थे।

3.5 लेखापरीक्षा मानदंड

लेखापरीक्षा मानदंड के स्रोत में एचपीजीएसटी अधिनियम, आईजीएसटी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों में निहित प्रावधान शामिल थे। महत्वपूर्ण प्रावधान तालिका 3.1 में दिए गए हैं:

तालिका 3.1: मानदंड का स्रोत

क्र. सं.	विषय	अधिनियम व नियमावली
1	उदग्रहण व संग्रहण	एचपीजीएसटी की धारा 9
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म	एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 9(3) व आईजीएसटी अधिनियम की धारा 5(3)
3	आईटीसी का लाभ लेना व उसका उपयोग करना	एचपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय V के अंतर्गत धारा 16 से 21; एचपीजीएसटी नियमावली के अध्याय V के अंतर्गत नियम 36 से 45
4	पंजीकरण	एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 22 से 25; एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 8 से 26
5	आपूर्तियां	एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 7 व 8, एचपीजीएसटी अधिनियम की अनुसूची I, II व III

⁴ प्रथम श्रेणी में वृहद स्तर के करदाता शामिल हैं - शीर्ष दो प्रतिशत करदाता टर्नओवर पर आधारित है।

⁵ दूसरी श्रेणी में मध्यम स्तर के करदाता शामिल हैं - टर्नओवर के आधार पर करदाताओं का अगला आठ प्रतिशत।

⁶ तीसरी श्रेणी में सबसे नीचे का स्तर शामिल है - टर्नओवर के आधार पर करदाताओं का अगला 90 प्रतिशत।

क्र. सं.	विषय	अधिनियम व नियमावली
6	आपूर्ति का स्थान	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 10 से 13
7	आपूर्ति का समय	एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 12 से 14
8	आपूर्तियों का मूल्यांकन	एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 15; एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 27 से 34
9	कर का भुगतान	एचपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय X के अंतर्गत धारा 49 से 53; एचपीजीएसटी नियमावली के अध्याय IX के अंतर्गत नियम 85 से 88ए
10	एचपीजीएसटी रिटर्न्स फाइल करना	एचपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय IX के अंतर्गत धारा 37 से 47; एचपीजीएसटी नियमावली के अध्याय VIII के अंतर्गत नियम 59 से 68 व 80 से 81 एचपीजीएसटी नियमावली के भाग बी में रिटर्न्स का प्रारूप निर्धारित किया गया है।
11	शून्य-रेटेड आपूर्तियां	आईजीएसटी अधिनियम की धारा 16
12	मूल्यांकन व लेखापरीक्षा कार्य	एचपीजीएसटी अधिनियम के अध्याय XII व XIII के तहत धारा 61, 62, 65 एवं 66; एचपीजीएसटी नियमावली के अध्याय XI के तहत नियम 99 से 102

इसके अतिरिक्त रिटर्न्स फाइल करने से संबंधित केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड (सीबीआईसी)/राज्य कर और उत्पाद शुल्क विभाग द्वारा जारी अधिसूचनाएं और परिपत्र, विभिन्न रिटर्न्स फाइल करने की प्रभावी तिथियों को अधिसूचित करने, रिटर्न्स फाइल करने की नियत तिथियों को बढ़ाने, वस्तुओं व सेवाओं पर कर की दरें, कर का भुगतान, इनपुट टैक्स क्रेडिट का लाभ लेने व उसका उपयोग करने, रिटर्न्स की संवीक्षा व कर अनुपालन की निगरानी तथा रिटर्न्स फाइल करने, रिटर्न्स की संवीक्षा व पंजीकरणों को रद्द करने से संबंधित विभिन्न पहलुओं पर विभागीय अधिकारियों को निर्देश देने वाली मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) द्वारा जारी अधिसूचनाएं व परिपत्र भी लेखापरीक्षा मानदंडों के भाग थे।

3.6 लेखापरीक्षा निष्कर्ष

लेखापरीक्षा निष्कर्षों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया है:

- क. सर्कलों की लेखापरीक्षा
- ख. सीमित लेखापरीक्षा (केंद्रीकृत लेखापरीक्षा)
- ग. विस्तृत लेखापरीक्षा

3.6.1 सर्कलों की लेखापरीक्षा

रिटर्न एक निर्धारित अवधि के दौरान करदाताओं द्वारा की गई व्यावसायिक गतिविधि से संबंधित निर्दिष्ट ब्यौरों का एक विवरण है। प्रत्येक करदाता कानूनी रूप से बाध्य है कि वह एक निश्चित अवधि के लिए कर देयता की घोषणा करते हुए पूर्ण व सही रिटर्न प्रस्तुत करे तथा निर्धारित समय के भीतर कर का भुगतान करे। स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में, करदाताओं

द्वारा रिटर्न फाइल करने की निगरानी का महत्व अधिक हो जाता है क्योंकि रिटर्न्स करदाताओं व उनकी संबंधित व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में जानकारी प्राप्त करने का प्रथम तरीका है।

3.6.1.1 विलंब से फाइल करने वालों व फाइल न करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 46 के साथ पठित एचपीजीएसटी नियमावली, 2017 का नियम 68 कहता है कि यदि करदाता नियत तिथि के भीतर रिटर्न फाइल करने में सफल नहीं रहता है तो फॉर्म जीएसटीआर-3A में नोटिस जारी कर पंद्रह दिनों के भीतर रिटर्न फाइल करने की आवश्यकता होती है। यदि करदाता ऐसे नोटिस के पश्चात् भी रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है तो समुचित अधिकारी अपने विवेकानुसार उपलब्ध या एकत्रित सभी प्रासंगिक सामग्री को ध्यान में रखते हुए उक्त व्यक्ति की कर देयता का आकलन करने के लिए आगे बढ़ सकते हैं तथा फॉर्म एएसएमटी-13 में मूल्यांकन आदेश जारी कर सकते हैं।

रिटर्न्स फाइल करना कर के भुगतान से संबंधित है क्योंकि दोनों कार्यों की नियत तिथि एक ही है जिसका अर्थ है कि रिटर्न फाइल न करने वालों के मामले में कर/जुर्माना का भुगतान न करने का जोखिम।

फाइल नहीं करने वालों पर कार्रवाई आरंभ की गई लेकिन पूर्ण नहीं हुई (जीएसटीआर-ए जारी किया गया परंतु एएसएमटी-13 जारी नहीं किया गया): सर्कल लेखापरीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 10 सर्कलों में से पांच सर्कलों⁷ में विलंब से फाइल करने वालों/न फाइल करने वालों की जानकारी न तो वेब पोर्टल पर उपलब्ध थी और न ही सर्कलों द्वारा प्रदान की गई थी। हालांकि, शेष पांच सर्कलों में वेब पोर्टल पर उपलब्ध सूचना के आधार पर विलंब से फाइल करने वालों/न फाइल करने वालों के 5,772 मामले⁸ चिह्नित किए गए।

लेखापरीक्षा में देखा गया कि जुलाई 2017 से मार्च 2021 के दौरान पांच सर्कलों में 1821 मामलों में जीएसटीआर-3ए नोटिस जारी किए गए थे लेकिन एएसएमटी-13 के तहत मूल्यांकन आदेश जारी नहीं किए गए थे जबकि 1,261 मामलों में करदाताओं ने निर्धारित समय के भीतर अपनी रिटर्न्स फाइल नहीं की थी। सभी मामलों में जीएसटीआर-3ए के पश्चात् एएसएमटी-13 जारी करने की उचित प्रक्रिया का पालन नहीं किया गया था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि 560 मामलों में करदाताओं ने जीएसटीआर-3ए के अनुसरण में अपनी रिटर्न्स फाइल की। हालांकि, यह पता नहीं लगाया जा सका कि उपरोक्त मामलों में ऐसे नोटिस प्राप्त होने के पश्चात् भी अनुपालन न करने वालों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई। (परिशिष्ट 3.1)।

⁷ बददी- II, भोरंज व सुजानपुर, मंडी- III, मनाली व नेरचौक।

⁸ बददी-III, बददी-IV, औद्योगिक क्षेत्र काला अंब, पांवटा-1 व पांवटा-II

इस ओर इंगित किए जाने पर (जुलाई-अक्टूबर 2022) विभाग ने उत्तर दिया (मई 2023) कि अधिकांश मामलों में करदाता ने जीएसटीआर-3ए के तहत नोटिस जारी होने के पश्चात् नियत समय अवधि में रिटर्न्स फाइल कर दी। यह उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि विभाग में रिटर्न्स फाइल न करने वालों का संज्ञान लेने के लिए कोई तंत्र मौजूद नहीं है। अंतिम बैठक के दौरान (जुलाई 2023) विभाग ने बताया कि जीएसटी के कार्यान्वयन की आरंभिक अवधि के दौरान सॉफ्टवेयर में तकनीकी समस्याएं हो सकती हैं।

अनुशंसा 1: विभाग विलंब से रिटर्न्स फाइल करने वालों/न फाइल करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई कर सकता है।

3.6.1.2 रिटर्न्स की संवीक्षा की धीमी गति/रिटर्न्स की संवीक्षा का आरंभ न होना

एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 61 के अनुसार, करदाताओं द्वारा फाइल विभिन्न रिटर्न्स की सत्यता की पुष्टि के लिए समुचित अधिकारी द्वारा संवीक्षा की जानी चाहिए तथा रिटर्न्स में प्रतिबिंबित किसी भी विसंगतियों या असंगतता पर उपयुक्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस प्रयोजन हेतु नामित समुचित अधिकारी सर्कल अधिकारी है। इसके अतिरिक्त, एचपीजीएसटी नियमावली, 2017 के नियम 99 में यह अनिवार्य किया गया है कि विसंगतियों के मामले में, यदि कोई हो, तो करदाता को उसका स्पष्टीकरण मांगने के लिए नोटिस भेजा जाएगा।

विभाग ने अधिनियम की धारा 61 के अनुसार एकरूपता सुनिश्चित करने तथा संवीक्षा कार्यवाही की प्रक्रिया को मानकीकृत करने की दृष्टि से रिटर्न्स की संवीक्षा पर कोई विस्तृत दिशा-निर्देश/एसओपी जारी नहीं किए थे। हालांकि, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने 22-03-2022 के निर्देशों के तहत वित्तीय वर्ष 2017-18 व 2018-19 के रिटर्न्स की संवीक्षा के लिए एसओपी जारी किया था। 2017-21 की अवधि के लिए 10 सर्कलों के कामकाज की लेखापरीक्षा से उजागर हुआ कि पांच सर्कलों⁹ ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान कोई संवीक्षा नहीं की थी। हालांकि, शेष पांच सर्कलों¹⁰ में आबकारी एवं कराधान विभाग की इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा भेजे गए 139 मामलों की संवीक्षा की गई थी। जून 2022 में, विभाग ने वर्ष 2017-18 से 2019-20 के लिए आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु मामलों का चयन किया। इस प्रकार, संवीक्षा प्रक्रिया मानकीकृत नहीं थी तथा इसे इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा चयनित मामलों के आधार पर किया गया था। लेखापरीक्षा इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा निर्धारित 139 करदाताओं के मामलों में से एचपीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 61 के तहत संवीक्षा के लिए मामलों की प्राथमिकता के मापदंडों का पता नहीं लगा सकी (परिशिष्ट 3.2)।

⁹ बद्दी-II, बद्दी-III, बद्दी-IV, पांवटा-I व पांवटा-II

¹⁰ भोरंज व सुजानपुर, औद्योगिक क्षेत्र काला अंब, मंडी- III, मनाली व नेरचौक।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि संवीक्षा करना अनिवार्य नहीं है तथा एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 या 74 के तहत कार्रवाई फॉर्म एसएमटी-10 में नोटिस दिए बिना सीधे आरंभ की जा सकती है। हालांकि, मई 2023 में रिटर्न की संवीक्षा के मानक तय किए गए थे।

लेखापरीक्षा का मानना है कि इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट द्वारा करदाताओं की पहचान में विलंब के साथ-साथ रिटर्न्स की संवीक्षा की धीमी गति के कारण, 2017-18 की अवधि से संबंधित रिटर्न्स पर एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 73 के तहत कारण बताओ नोटिस जारी करने की अवधि कम होती जा रही थी क्योंकि इन्हें सितंबर 2023 तक किया जाना था।

अनुशंसा 2: विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के अनुसार रिटर्न की संवीक्षा आरंभ कर सकता है और उसमें तेजी ला सकता है।

3.6.1.3 कर प्राधिकारियों द्वारा लेखापरीक्षा में विलंब/आंतरिक लेखापरीक्षा आरंभ न करना

एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 65 के अनुसार, आयुक्त या उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, सामान्य या विनिर्दिष्ट आदेश के माध्यम से, किसी भी पंजीकृत व्यक्ति का ऐसी अवधि के लिए, ऐसी आवृत्ति पर व ऐसी विधि से लेखापरीक्षा कर सकता है जैसा कि निर्धारित किया गया है। एचपीजीएसटी अधिनियम, 2017 की धारा 2 (13) में "लेखापरीक्षा" को इस अधिनियम या इसके तहत बनाई गई नियमावली या किसी अन्य कानून के तहत पंजीकृत व्यक्ति द्वारा रखे गए या प्रस्तुत किए गए अभिलेखों, रिटर्न्स व अन्य दस्तावेजों की जांच करने के रूप में परिभाषित करता है ताकि घोषित टर्नओवर, भुगतान किए गए करों, दावा किए गए प्रतिदाय व प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट की सत्यता को सत्यापित किया जा सके तथा इस अधिनियम या इसके तहत बनाई गई नियमावली के प्रावधानों के साथ इसके अनुपालन का आकलन किया जा सके।

लेखापरीक्षा (जुलाई-अक्टूबर 2022) में पाया गया कि विभाग ने 2017-18 से 2020-21 की अवधि के दौरान राज्य में एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 65 के तहत कोई लेखापरीक्षा नहीं की।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग (मई 2023) ने उत्तर दिया कि जुलाई 2022 में सर्कल स्तर पर किए जाने वाले लेखापरीक्षा के मामलों का चयन कर लिया गया है।

अनुशंसा 3: विभाग को लेखापरीक्षा करने के लिए त्वरित कदम उठाने की आवश्यकता है ताकि चूककर्ताओं के विरुद्ध समय पर कार्रवाई शुरू की जा सके तथा वसूली की जा सके।

3.6.1.4 बकाया राशि की वसूली हेतु अपर्याप्त प्रयास

धारा 78 में यह निर्धारित किया गया है कि इस अधिनियम के तहत पारित आदेश के अनुसरण में किसी कराधीन व्यक्ति द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान ऐसे आदेश के क्रियान्वयन की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर किया जाएगा, ऐसा न करने पर वसूली की कार्यवाही शुरू की जाएगी। कुछ विशेष परिस्थितियों में यदि सरकार के हित में ऐसा करना उचित हो तो समयावधि तीन माह से कम भी हो सकती है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि दस सर्कलों में 557 मामलों में, सर्कलों ने ₹ 36.09 करोड़ (परिशिष्ट 3.3) की बकाया राशि की वसूली के लिए डीआरसी-07 (मांग एवं वसूली मामला) जारी करने के पश्चात् कोई कार्रवाई नहीं की।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि वे विभिन्न तरीकों से करदाताओं से बकाया राशि वसूलने के लिए आवश्यक प्रयास कर रहे हैं।

अनुशंसा 4: विभाग उन मामलों में वसूली प्रक्रिया शुरू कर सकता है जहां डीआरसी-07 जारी किया गया है।

3.6.1.5 पंजीकरणों का रद्दीकरण

एचपीजीएसटी अधिनियम 2017 की धारा 29 के साथ पठित एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 20 के अनुसार करदाता को कुछ परिस्थितियों में पंजीकरण रद्द करने की अनुमति मिलती है जैसे व्यवसाय बंद करना, पंजीकरण के लिए सीमा से नीचे का टर्नओवर, व्यवसाय का हस्तांतरण/विलय/समामेलन, पीएएन में परिवर्तन, निर्धारित समय अवधि के भीतर व्यवसाय आरंभ न करना व स्वामी की मृत्यु। पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन करने वाले करदाता को “रद्द करने की आवश्यकता वाली घटना के घटित होने” के 30 दिनों की अवधि के भीतर जीएसटी सामान्य पोर्टल पर आरईजी-16 में आवेदन करना चाहिए।

एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 (2) कर अधिकारी द्वारा करदाता के पंजीकरण को स्वतः रद्द करने की अनुमति देती है, यदि (क) करदाता द्वारा अधिनियमों या नियमों का उल्लंघन किया गया हो; (ख) “कंपोजिशन टैक्सपेयर्स” द्वारा लगातार तीन कर अवधियों के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया गया हो; (ग) करदाताओं द्वारा लगातार छह माह की अवधि के लिए रिटर्न फाइल नहीं किया गया हो; (घ) स्वैच्छिक रूप से पंजीकृत व्यक्ति द्वारा पंजीकरण की तिथि से छह माह के भीतर व्यवसाय आरंभ नहीं किया गया हो; तथा (ङ) धोखाधड़ी, जानबूझकर गलत बयानबाजी या तथ्यों को छिपाकर पंजीकरण किया गया हो।

एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 45 में अपेक्षित है कि (क) इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) या एक अप्रवासी कर योग्य व्यक्ति या (ख) कंपोजिशन कर योग्य व्यक्ति (धारा 10) या (ग) धारा 51 - स्रोत पर कर संग्रहण (टीसीएस) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति या धारा 52 - स्रोत पर कर कटौती (टीडीएस) के अंतर्गत कर का भुगतान करने वाले व्यक्ति, जिनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, में प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को रद्द करने की प्रभावी तिथि या रद्द करने के आदेश की तिथि जो भी बाद में हो, के तीन माह के भीतर जीएसटीआर-10 में अंतिम रिटर्न फाइल करना आवश्यक है। अंतिम रिटर्न का उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि करदाता अपनी बकाया देनदारियों का भुगतान कर दे। जीएसटीआर-10 फाइल न करने की स्थिति में कर अधिकारी को किसी भी रिटर्न को फाइल न करने के लिए अपनाई गई प्रक्रिया का ही पालन करना होगा।

लेखापरीक्षा ने पंजीकरण रद्द करने में विभिन्न कमियां देखीं जिन्हें नीचे दर्शाया गया है:

3.6.1.5 (क) अपर्याप्त निगरानी तंत्र

एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 22(3) में प्रावधान है कि जहां एक व्यक्ति जिसने अपने पंजीकरण को रद्द करने के लिए आवेदन (आरईजी-16) प्रस्तुत किया है, अब पंजीकृत होने के लिए उत्तरदायी नहीं है या उसका पंजीकरण रद्द करने योग्य है तो समुचित अधिकारी उसके द्वारा निर्धारित की जाने वाली तिथि से पंजीकरण रद्द कर देगा व कर योग्य व्यक्ति को सूचित करेगा, जिसमें उसे धारा 29 की उप-धारा (5) के तहत भुगतान की जाने वाली राशि सहित किसी भी कर, ब्याज या जुर्माने के बकाया का भुगतान करने का निर्देश दिया जाएगा। किसी भी मामले में प्रभावी तिथि आवेदन की तिथि से पहले की नहीं होनी चाहिए।

एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 21ए में निर्दिष्ट है कि जहां एक पंजीकृत व्यक्ति ने पंजीकरण रद्द करने के लिए आवेदन किया है तो पंजीकरण आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से या जिस तिथि से रद्द करने की मांग की गई है, जो भी बाद में हो, पंजीकरण रद्द करने की कार्यवाही पूर्ण होने तक निरस्त माना जाएगा।

लेखापरीक्षा में पाया गया (जुलाई-अक्टूबर 2022) कि दस सर्कलों के 2,456 मामलों में से 1,143 में रद्दीकरण की तिथि आवेदन की तिथि से पूर्व की थी। ऐसे मामलों का विवरण (परिशिष्ट 3.4) में दिया गया है।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि अधिकारी ने पूर्वव्यापी प्रभाव से पंजीकरण रद्द कर दिया। विभाग का उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि रद्दीकरण की तिथि आवेदन की तिथि से पूर्व की नहीं होनी चाहिए तथा लेखापरीक्षा में पाया गया कि एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 21 ए (3) में निर्धारित शर्तों को लागू

करने के लिए पंजीकृत व्यक्तियों को निलंबन की अवधि के दौरान कोई भी कर योग्य आपूर्ति करने तथा परिणामस्वरूप क्रेडिट देने से नियंत्रित करने के लिए कोई तंत्र नहीं था।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

बददी-II सर्कल में, करदाताओं के अनुरोध पर रद्दीकरण के 593 मामलों में से 222 मामलों में यह देखा गया कि सर्कल ने आवेदन तिथि से पूर्व की तिथियों से पंजीकरण को अनियमित रूप से रद्द कर दिया था जैसा कि (परिशिष्ट 3.4) में विस्तृत है।

3.6.1.5 (ख) रद्दीकरण में विलम्ब

आरईजी-19 में रद्दीकरण आदेश आवेदन की तिथि (करदाताओं के अनुरोध) से 30 दिनों के भीतर या स्वतः रद्दीकरण के मामले में आरईजी-17 के उत्तर की तिथि से जारी किया जाना है। रद्दीकरण के 2,456 मामलों (करदाताओं के अनुरोध पर) व 2,585 मामलों (स्वतः रद्दीकरण के मामलों) में से लेखापरीक्षा ने पाया कि दस सर्कलों के अंतर्गत आने वाले 5,041 मामलों में रद्दीकरण निर्धारित अवधि से अधिक विलंबित था जो एक दिन से लेकर 963 दिनों तक था (रद्दीकरण में विलंब 560 मामलों में एक से 30 दिनों तक था व 1,416 मामलों में 31 से 963 दिनों तक था)। ऐसे मामलों का विवरण (परिशिष्ट 3.5) में दिया गया है।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि आमतौर पर रद्दीकरण जारी करने से पूर्व करदाता द्वारा भुगतान की जाने वाली बकाया राशि का आकलन करने में समय लगता है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 29 के तहत औपचारिकताएं 30 दिनों की निर्धारित अवधि के भीतर पूर्ण की जानी हैं।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

शिमला आयुक्तालय के अंतर्गत बददी-IV सर्कल में, जनवरी 2018 से फरवरी 2021 तक की अवधि के लिए 203 मामलों में करदाताओं के आवेदनों के रद्द करने की प्रक्रिया शुरू की गई थी। इनमें से, 57 मामलों में लेखापरीक्षा ने दो से 963 दिनों तक का विलंब पाया (परिशिष्ट 3.5)।

अनुशंसा 5: विभाग, करदाताओं के अनुरोध पर तथा स्वतः संज्ञान से किए गए रद्दीकरण आवेदनों पर क्रमशः आवेदन की तिथि व आरईजी-17 नोटिस जारी होने की तिथि से, सर्कल अधिकारियों को समय पर कार्रवाई करने में सुविधा प्रदान करने के लिए आवश्यक सत्यापन नियंत्रण लागू कर सकता है। विभाग यह भी सुनिश्चित कर सकता है कि रद्दीकरण की तिथि आवेदन की तिथि से पूर्व की न हो।

3.6.1.5 (ग) जीएसटीआर-10 फाइल न करने पर अपर्याप्त अनुवर्ती कार्रवाई

एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 45 के अनुसार, जीएसटीआर-10 - अंतिम रिटर्न, रद्दीकरण की प्रभावी तिथि या रद्दीकरण के आदेश की तिथि, जो भी बाद में हो, के तीन माह के भीतर फाइल किया जाना चाहिए। जिन करदाताओं का पंजीकरण 30 सितंबर 2018 को या उससे पूर्व रद्द कर दिया गया है, उनके लिए जीएसटीआर-10 तैयार करने की अंतिम तिथि 29 अक्टूबर 2018 की अधिसूचना संख्या 58/2018 के तहत 31 दिसंबर 2018 तक बढ़ा दी गई थी।

नियम 2017 के अनुसार और परिपत्र संख्या 129/48/2019-जीएसटी दिनांक 24 दिसंबर 2019 में निर्धारित अनुसार, जहां जीएसटीआर-10 फाइल नहीं किया गया है, वहां करदाता को जीएसटीआर-3ए जारी किया जाना है। यदि करदाता अभी भी नोटिस प्राप्त होने के 15 दिनों के भीतर अंतिम रिटर्न फाइल करने में विफल रहता है तो धारा 29 की उप-धारा (5) के तहत करदाता की देयता निर्धारित करने के लिए एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 62 के साथ पठित एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 100 तहत फॉर्म एसएमटी-13 में एक मूल्यांकन आदेश जारी करना होगा (अर्थात्, इनपुट के बराबर डेबिट आईटीसी, व स्टॉक या पूंजीगत वस्तुओं में रखे गए अर्ध-तैयार और तैयार माल में निहित इनपुट या ऐसे सामानों पर देय आउटपुट टैक्स जो भी अधिक हो)। यदि करदाता एसएमटी-13 आदेश जारी होने के 30 दिनों के भीतर अंतिम रिटर्न फाइल करता है तो उक्त आदेश वापस लिया गया माना जाएगा। हालांकि, ब्याज व विलंब शुल्क के भुगतान की देयता जारी रहेगी। यदि एसएमटी-13 आदेश जारी होने की तिथि से 30 दिनों की सांविधिक अवधि के भीतर उक्त रिटर्न प्रस्तुत नहीं किया जाता है तो समुचित अधिकारी एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 78 के तहत कार्यवाही और धारा 79 के तहत वसूली शुरू कर सकता है।

लेखापरीक्षा में दस सर्कलों में 2,129 मामलों में जीएसटीआर-10 फाइल न करने के रूप में अनुपालन संबंधी कमियां पाई गईं, जिनका विवरण (परिशिष्ट 3.6) में दिया गया है।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि अब अनुवर्ती कार्रवाई की जा रही है।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सिरमौर के अंतर्गत पांवटा-1 सर्कल में, वर्ष 2017-18 से 2020-21 के लिए रद्दीकरण के 285 मामलों में, अगस्त 2022 तक जीएसटीआर-10 फाइल नहीं किया गया था। जीएसटीआर-10 फाइल करने के संबंध में कोई अनुवर्ती कार्रवाई आरंभ नहीं की गई थी।

अनुशंसा 6: विभाग जीएसटीआर-10 फाइल न करने वालों पर अनुवर्ती कार्रवाई को सशक्त कर सकता है

3.6.1.5 (घ) कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा वस्तु एवं सेवा कर फॉर्म इनपुट टैक्स क्रेडिट-03 फाइल न करना

एचपीजीएसटी अधिनियम की धारा 10 के साथ पठित एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 3 व नियम 44 के अनुसार, कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले किसी भी करदाता को कंपोजिशन स्कीम के तहत पंजीकरण प्राप्त करने की तिथि से पूर्व के लेजर में रखे क्रेडिट को रिवर्स/परिवर्तित के लिए 180 दिनों के भीतर जीएसटी फॉर्म आईटीसी-03 फाइल करना होगा। सभी 10 सर्कलों के जीएसटी पोर्टल पर उपलब्ध अभिलेखों व डेटा की संवीक्षा के दौरान यह पाया गया कि 2017-21 की अवधि के दौरान कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले 975 डीलरों ने जीएसटी फॉर्म आईटीसी-03 फाइल नहीं किया। उनके बही-खातों (लेजर्स) में कुल ₹ 73.46 लाख का आईटीसी उपलब्ध था तथा उसे रिवर्स/परिवर्तित नहीं किया गया था (परिशिष्ट 3.7)।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि इस संबंध में मई 2023 में आवश्यक निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

3.6.2 सीमित लेखापरीक्षा

लेखापरीक्षा ने जीएसटीएन द्वारा उपलब्ध कराए गए 2017-18 से संबंधित जीएसटी रिटर्न्स डेटा का विश्लेषण किया। सीमित लेखापरीक्षा के उद्देश्य हेतु 13 मापदंडों के आधार पर करदाताओं द्वारा फाइल जीएसटी रिटर्न्स के मध्य नियम-आधारित विचलनों व तार्किक विसंगतियों की पहचान की गई।

निर्धारित 13 जीएसटी रिटर्न्स¹¹ में से सामान्य करदाताओं पर लागू निम्नलिखित मूल रिटर्न्स पर जीएसटी रिटर्न्स/डेटा के बीच विचलनों, विसंगतियों व असंतुलनों की पहचान करने के उद्देश्य से विचार किया गया:

¹¹ जीएसटीआर-1, जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-4 (कम्पोजिशन स्कीम के अंतर्गत करदाता), जीएसटीआर-5 (अप्रवासी करयोग्य व्यक्ति), जीएसटीआर-5ए (अप्रवासी ओआईडीएआर सेवा प्रदाता), जीएसटीआर-6 (इनपुट सेवा वितरक), जीएसटीआर-7 (टीडीएस काटने वाले करदाता), जीएसटीआर-8 (ई-कॉमर्स ऑपरेटर), जीएसटीआर-9 (वार्षिक रिटर्न), जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न), जीएसटीआर-11 (यूआईएन रखने वाला व प्रतिदाय का दावा करने वाला व्यक्ति), सीएमपी-08 व आईटीसी-04 (मुख्य निर्माता/जॉब-वर्कर द्वारा जॉब-वर्कर को भेजे गए/से प्राप्त वस्तुओं के विवरण के बारे में फाइल किया जाने वाला विवरण)

- जीएसटीआर-1: सभी सामान्य व आकस्मिक पंजीकृत करदाताओं द्वारा प्रस्तुत मासिक रिटर्न जो वस्तु एवं सेवाओं या दोनों की बाहरी आपूर्ति करते हैं तथा इसमें वस्तु एवं सेवाओं की बाहरी आपूर्ति का विवरण होता है।
- जीएसटीआर-3बी: बाहरी आपूर्ति और इनपुट टैक्स क्रेडिट की मासिक सारांश रिटर्न, करदाता द्वारा कर के भुगतान के साथ-साथ अधिनियम की धारा 39 (1) के तहत निर्दिष्ट लोगों को छोड़कर सभी करदाताओं द्वारा दायर किया जाएगा। यह वह रिटर्न है जो इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर में क्रेडिट व डेबिट तथा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में डेबिट को दर्ज करता है।
- जीएसटीआर-6: इनपुट सेवा वितरकों के लिए मासिक रिटर्न जिसमें उनके वितरित इनपुट टैक्स क्रेडिट व आवक आपूर्ति का विवरण दिया गया हो।
- जीएसटीआर-8: ई-कॉमर्स ऑपरेटरों द्वारा मासिक रिटर्न फाइल किया जाना है, जिन्हें अक्टूबर 2018 में पेश किए गए जीएसटी के तहत टीसीएस (स्रोत पर कर संग्रहीत) काटना आवश्यक है।
- जीएसटीआर-9: इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी), स्रोत पर कर कटौतिकर्ता/स्रोत पर कर संग्रहकर्ता, आकस्मिक कर योग्य व्यक्ति व अप्रवासी करदाता के अतिरिक्त सभी पंजीकृत व्यक्तियों द्वारा वार्षिक रिटर्न फाइल किया जाना है। इस दस्तावेज़ में सम्पूर्ण वर्ष के दौरान विभिन्न कर शीर्षों (सीजीएसटी, एचपीजीएसटी व आईजीएसटी) के अंतर्गत की गई व प्राप्त सभी आपूर्तियों का विवरण, साथ ही उसी के लिए टर्नओवर व लेखापरीक्षा विवरण शामिल हैं।
- जीएसटीआर-9सी: किसी विशेष वित्तीय वर्ष में पांच करोड़ रुपये से अधिक का टर्नओवर करने वाले सभी करदाताओं के लिए वार्षिक लेखा परीक्षा फॉर्म। यह मूलतः जीएसटीआर-9 में फाइल वार्षिक रिटर्न व करदाता के लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणियों के मध्य एक मिलान विवरणी है।
- जीएसटीआर-2ए: किसी प्राप्तकर्ता के लिए आवक आपूर्ति का सिस्टम द्वारा तैयार किया गया विवरण। इसमें आपूर्तिकर्ताओं के फॉर्म जीएसटीआर-1/5 में घोषित सभी बिजनेस टू बिजनेस (बी2बी) लेन-देन, जीएसटीआर 6 से इनपुट सेवा वितरक विवरण, प्रतिपक्ष द्वारा क्रमशः जीएसटीआर-7 तथा जीएसटीआर-8 से विवरण व भारतीय सीमा शुल्क के भारतीय सीमा शुल्क इलेक्ट्रॉनिक गेटवे पोर्टल से प्राप्त प्रविष्टि बिल पर विदेशों से वस्तुओं के आयात का विवरण शामिल है।

चिह्नित किए गए 13 मापदंडों पर राज्य क्षेत्राधिकार से संबंधित अखिल भारतीय डेटा विश्लेषण तथा देखे गए विचलनों/विसंगतियों की सीमा (सीमित लेखापरीक्षा हेतु 336 मामलों का नमूना) तालिका 3.2 में संक्षेपित है।

तालिका 3.2: अखिल राज्य डेटा विश्लेषण का सारांश

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	जांचे गए अभिलेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
1	आईटीसी का लाभ लेने में असंगति।	जीएसटीआर-2ए के सभी संशोधनों अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना जीएसटीआर-3बी {तालिका 4ए (5)} (घरेलू आपूर्तियों से अर्जित) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई जिसमें तालिका 4(बी)(2) में रिवर्सल पर विचार किया गया परन्तु जीएसटीआर-9 की तालिका 8(सी) में आगामी वर्ष 2018-19 में प्राप्त आईटीसी भी शामिल है।	50	117.85
2	रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म (आरसीएम) के तहत आईटीसी का लाभ लेने में असंगति।	जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका (6सी+ 6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, चेक जीएसटीआर -3 बी के भीतर प्रतिबंधित था, तालिका 3.1(डी) में आरसीएम भुगतान बनाम तालिका {4ए(2) + 4ए(3)} में आईटीसी प्राप्त किया गया।	24	3.95
3	बिना भुगतान के आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ लेने में असंगति।	जीएसटीआर-9 तालिका 4जी में घोषित आरसीएम देयता की तुलना जीएसटीआर-9 तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी से की गई। ऐसे मामलों में जहां जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, उनमें जीएसटीआर 3बी तालिका 3.1(डी) में आरसीएम देयता की तुलना जीएसटीआर-3बी तालिका {4ए(2) + 4ए(3)} से की गई।	32	9.35
4	प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुचित तरीके से लिया गया आईएसडी क्रेडिट	प्राप्तकर्ताओं के जीएसटीआर-9 तालिका 6जी या जीएसटीआर-3बी तालिका 4ए(4) में प्राप्त आईएसडी क्रेडिट की तुलना वितरक के जीएसटीआर-6 में हस्तांतरित आईटीसी के साथ की गई।	25	13.85
5	प्राप्तकर्ताओं द्वारा आईएसडी क्रेडिट रिवर्सल को अनुचित तरीके से अपनाया गया	जीएसटीआर-9 तालिका 7बी/7एच संबंधित जीएसटी पहचान संख्याओं के लिए आईएसडी की जीएसटीआर-6 तालिका 8ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) + तालिका 9ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) के कुल योग से कम होने चाहिए।	1	0.0008

क्र. सं.	मापदंड	प्रयुक्त एल्गोरिथम	जांचे गए अभिलेखों की संख्या	राशि (₹ करोड़ में)
6	वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी व वित्तीय विवरणियों में व्यय के बीच मिलान (जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी)	जीएसटीआर-9सी तालिका 14टी में सकारात्मक आंकड़ा।	25	368.78
7	वार्षिक रिटर्न व वित्तीय विवरणियों के बीच प्राप्त आईटीसी में असंगति (जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ)	जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ में सकारात्मक आंकड़ा।	22	74.28
8	वार्षिक रिटर्न व वित्तीय विवरणियों के बीच टर्नओवर में असंगति (जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर)	जीएसटीआर-9सी तालिका 5आर में ऋणात्मक आंकड़ा।	35	324.33
9	वार्षिक रिटर्न व वित्तीय विवरणियों के बीच टर्नओवर में असंगति (जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी)	जीएसटीआर-9सी तालिका 7जी में ऋणात्मक आंकड़ा।	31	886.88
10	लेखा पुस्तकों व वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर) के बीच भुगतान किए गए कर में असंगति	जीएसटीआर-9सी तालिका 9आर में ऋणात्मक आंकड़ा।	50	15.97
11	जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया गया परंतु जीएसटीआर-2ए/1 उपलब्ध है	जिन करदाताओं ने जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया था लेकिन जीएसटीआर-1 फाइल किया था या जहां जीएसटीआर-2ए उपलब्ध था, यह दर्शाता है कि करदाताओं ने कर का भुगतान किए बिना व्यापार किया था।	14	0.11
12	विलंबित भुगतान पर ब्याज का अल्प भुगतान	जीएसटीआर-3बी की देरी से फाइलिंग पर कर भुगतान के नकद भाग पर 18 प्रतिशत की दर से ब्याज की गणना की तुलना में जीएसटीआर -3 बी तालिका 6.1 में घोषित ब्याज की गणना की गई।	25	5.71
13	स्टॉप फाइलर्स	लगातार छह माह तक जीएसटीआर-3बी, जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-2ए फाइल न करना	2	0
			336	1,821.06

3.6.2.1 विभाग द्वारा उतर प्रस्तुत न करना

लेखापरीक्षा ने वर्ष 2017-18 के लिए प्रत्येक 13 मापदंडों में शीर्ष विचलनों/विसंगतियों में से 336 मामलों के नमूनों का चयन किया। मई 2022 में करदाताओं के अभिलेखों

की आगे की जाँच के बिना ही संबंधित सर्कलों को लेखापरीक्षा प्रश्न जारी कर दिए गए। इन मामलों में लेखापरीक्षा जांच चिह्नित विचलनों/विसंगतियों पर विभाग की कार्रवाई को सत्यापित करने तक सीमित थी।

सितंबर 2023 तक 21 मामलों के संबंध में विभाग को सूचित की गई आठ विसंगतियों के लिए प्रारंभिक प्रतिक्रियाएं प्राप्त नहीं हुई थीं जो कि ₹ 211.14 करोड़ (टर्नओवर में अंसतुलन सहित) के अंसतुलन को दर्शाती हैं जैसा कि तालिका 3.3 में वर्णित है।

तालिका 3.3: उत्तर प्राप्त नहीं हुए

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		उत्तर प्राप्त न होने का प्रतिशत	
	संख्या	असंतुलित राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
I	II	III	IV	V	VI	VII
इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का लाभ लेने में अंसतुलन	50	117.85	4	55.54	8.00	47.13
आरसीएम के तहत आईटीसी लाभ लेने में अंसतुलन	24	3.95	1	0.47	4.17	11.90
बिना भुगतान के आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाने में अंसतुलन	32	9.35	0	0	0.00	0.00
प्राप्तकर्ताओं द्वारा इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट को अनुचित तरीके से प्राप्त किया जाना	25	13.85	3	0.5	12.00	3.61
इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट रिवर्सल को प्राप्तकर्ताओं द्वारा अनुचित तरीके से अपनाया जाना	1	0.0008	0	0	0.00	0.00
वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी व वित्तीय विवरण के बीच व्यय के बीच सामंजस्य (फॉर्म 9सी की तालिका 14टी)	25	368.78	4	90.12	16.00	24.44
वार्षिक रिटर्न व वित्तीय विवरणी के बीच प्राप्त आईटीसी में अंसतुलन (फॉर्म 9सी की तालिका 12एफ)	22	74.28	3	59.33	13.64	79.87
वार्षिक रिटर्न व वित्तीय विवरणी के बीच टर्नओवर में अंसतुलन (फॉर्म 9सी की तालिका 5आर)	35	324.33	1	1.26	2.86	0.39
वार्षिक रिटर्न व वित्तीय विवरणी के बीच कर योग्य टर्नओवर में अंसतुलन (फॉर्म 9आर की तालिका 7जी)	31	886.88	4	3.92	12.90	0.44
लेखा पुस्तकों व वार्षिक रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में अंसतुलन (फॉर्म 9सी की तालिका 9आर)	50	15.97	0	0	0.00	0.00

लेखापरीक्षा आयाम	नमूना		विभाग का उत्तर प्राप्त नहीं हुआ		उत्तर प्राप्त न होने का प्रतिशत	
	संख्या	असंतुलित राशि	संख्या	राशि	संख्या	राशि
ऐसे मामले जहां जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया गया है लेकिन जीएसटीआर-1 या जीएसटीआर-2ए उपलब्ध है	14	0.11	1	0.0015	7.14	1.36
विलंबित भुगतान पर ब्याज का कम भुगतान	25	5.71	0	0	0.00	0.00
स्टॉप फाइलर्स	2	0	0	0	0.00	0.00
योग	336	1,821.06	21	211.14	6.25	11.59

यह मानते हुए कि विसंगतियों के अनुपालन विचलनों में परिवर्तित होने की समग्र दर महत्वपूर्ण है, जैसा कि अगले परिच्छेद में बताया गया है, विभाग को प्राथमिकता के आधार पर इन मामलों के सत्यापन में तेजी लाने की आवश्यकता है। इन मामलों का विवरण **परिशिष्ट 3.8** में सूचीबद्ध है।

अनुशंसा 7: विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियों तथा विचलनों जिनके उत्तर नहीं दिए गए हैं, पर तत्काल कार्रवाई करे तथा परिणामों से लेखापरीक्षा को अवगत कराए।

3.6.2.2 सीमित लेखापरीक्षा के परिणाम

315 मामलों में लेखापरीक्षा प्रश्नों पर विभाग से प्राप्त प्रतिक्रियाओं के आधार पर 13 मापदंडों में से प्रत्येक के अनुपालन विचलनों में परिवर्तित होने की मात्रा को **तालिका 3.4** (परिशिष्ट 3.9 से 3.16) में संक्षेपित किया गया है।

तालिका 3.4: कमियों का सारांश (₹ करोड़ में)

क्र. सं.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	योग	
लेखापरीक्षा उपभोग	क्र. 1	46	23	32	22	1	21	19	34	27	50	13	25	2	316
एसे मामले जहाँ उत्तर प्राप्त हुआ	रशि	62.31	3.48	9.35	13.35	0.0008	278.66	14.95	323.07	882.96	15.97	0.1085	5.71	0	1609.9193
विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया	क्र. 4	0	0	30	1	0	1	2	1	1	0	0	0	0	37
	रशि	0	0	9.15	0.52	0	6.65	1.42	6.36	2.62	1.4	0	0	0	30.12
	क्र. 6	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	13	0	0	15
	रशि	1.14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3.13	0	0	4.27
	क्र. 8	7	0	0	2	0	8	4	10	18	9	2	0	1	61
रशि	20.08	0	0	4.77	0	136.08	5.28	61.97	859.82	3.38	0.0082	0	0	1091.3882	
असंतुलन विधान	क्र. 10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5
	रशि	0	0	0	0	0	0	0	1.42	0	3.04	0	0	0	4.46
	क्र. 12	27	17	1	11	1	6	8	17	5	27	5	1	1	127
	रशि	29	3.07	0.03	6.39	0.0008	72.13	4.38	107.93	4.16	6.35	0.05	0.12	0	233.6108
	क्र. 14	7	5	0	6	0	0	3	1	0	4	4	2	0	32
	रशि	4.64	0.3	0	1.2	0	0	1.52	1.25	0	0.47	0.01	0.36	0	9.75
	क्र. 16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	क्र. 18	2	0	1	1	0	2	2	0	0	1	2	7	0	19
	रशि	6.89	0	0.17	0.18	0	30.81	2.35	0	14.5	0.13	0.04	1.84	0	56.91
क्र. 20	36	22	2	18	1	8	13	19	6	36	11	10	1	183	
रशि	40.53	3.37	0.2	7.77	0.0008	102.94	8.25	110.6	18.66	9.99	0.1	2.32	0	304.7308	
विभाग का उत्तर उचित बनावेनी साक्ष्य के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया	क्र. 22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	रशि	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
विभाग ने बताया कि वे लेखापरीक्षा बंदों को जांच कर रहे हैं	क्र. 24	1	1	0	1	0	4	0	4	2	4	0	2	0	19
	रशि	0.56	0.11	0	0.20	0	32.99	0	142.14	1.86	1.2	0	0.26	0	179.41

टिप्पणी: 32 मामलों में ₹9.75 करोड़ की राशि के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया गया। पांच मामलों में पूर्ण वसूली ₹6.64 लाख व एक मामले में आंशिक वसूली ₹2.61 करोड़ (कुल वसूली ₹2.68 करोड़)।

3.6.2.3 सीमित लेखापरीक्षा का सारांश

लेखापरीक्षा ने 183 मामलों (पंक्ति सं. 10, 12, 14, 16 व 18) में अधिनियम के प्रावधानों से विचलनों का होना पाया जिसमें ₹ 304.73 करोड़ की आईटीसी/कर देयता/टर्नओवर का असंतुलन होना शामिल था (पंक्ति सं. 11, 13, 15, 17 व 19) जोकि डेटा में 315 विसंगतियों/असंतुलन का 58.09 प्रतिशत था, जिसके लिए विभाग ने उत्तर दिए। जोखिम मापदंड में विचलनों की अपेक्षाकृत उच्च दर देखी गई जैसे कि आईटीसी असंतुलन, अधिक आरसीएम आईटीसी का लाभ लेना, गलत टर्नओवर घोषणाएं व ब्याज का कम भुगतान/भुगतान न होना आदि।

113 मामलों (पंक्ति सं. 4, 6 व 8) में, जो 35.87 प्रतिशत हैं, जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य था, करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के 37 मामले (पंक्ति सं. 4) शामिल थे, विभाग ने 15 मामलों (पंक्ति सं. 6) में सक्रिय रूप से कार्रवाई की थी तथा 61 मामलों (पंक्ति सं. 8) में वैध स्पष्टीकरण थे।

19 मामलों (पंक्ति संख्या 24) में, जो 6.03 प्रतिशत थे, विभाग ने बताया कि वह ₹ 179.41 करोड़ के अंतर्निहित विचलनों की जांच कर रहा है। 336 मामलों में से शेष 21 मामलों में विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विचलनों का उत्तर नहीं दिया।

तालिका 3.5: केंद्रीकृत लेखापरीक्षा के आयामों के लिए शीर्ष मामला (वसूली, एसएमटी-10, जारी किए गए कारण बताओं नोटिस व करदाता के साथ पत्राचार के मामलों से संबंधित अनुपालन विचलन के लिए)

क्र.सं.	डायमेंशन	जीएसटीएन	क्षेत्राधिकार सर्कल	असंतुलन (₹ करोड़ में)	कार्रवाई की गई
1	जीएसटीआर 2ए व जीएसटीआर 3बी के बीच आईटीसी असंतुलन	02XXXXXXXX XXX2Z8	बिलासपुर-II	6.17	लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर स्वीकार नहीं किया गया।
2	आरसीएम के तहत प्राप्त आईटीसी बनाम जीएसटीआर3बी/ जीएसटीआर9 में कर का भुगतान	02XXXXXXXX XXX2ZD	बददी-III	0.62	नोटिस एसएमटी-10 जारी किया गया
3	कर के भुगतान के बिना आरसीएम पर आईटीसी (जीएसटीआर 3 बी / जीएसटीआर 9 में प्राप्त) का अधिक लाभ	02XXXXXXXX XXX1ZK	सोलन-I	0.55	नोटिस एसएमटी-10 जारी किया गया
4	आईएसडी क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी का अनियमित लाभ	02XXXXXXXX XXX1Z9	बददी-IV	4.63	नोटिस एसएमटी-10 जारी किया गया
5	गलत आईएसडी क्रेडिट रिवर्सल	02XXXXXXXX XXX1ZV	कार्ट रोड	0.00077	नोटिस एसएमटी-10 जारी किया गया
6	वार्षिक रिटर्न में प्राप्त आईटीसी व वित्तीय	02XXXXXXXX XXX2ZW	दमताल	8.5	विभाग द्वारा कार्यवाही शुरू की गई

क्र.सं.	डायमेंशन	जीएसटीएन	क्षेत्राधिकार सर्कल	असंतुलन (₹ करोड़ में)	कार्रवाई की गई
	विवरणी में व्यय के बीच सामंजस्य				
7	वार्षिक रिटर्न व लेखा पुस्तकों के बीच प्राप्त आईटीसी में असंतुलन	02XXXXXXXX XXX1ZF	नालागढ़-II	1.88	लेखापरीक्षा द्वारा उत्तर स्वीकार नहीं किया गया।
8	जीएसटीआर 9सी तालिका 5आर में घोषित टर्नओवर में असंतुलन	02XXXXXXXX XXX2ZF	नेरचौक	35.30	नोटिस एसएमटी-10 जारी किया गया
9	जीएसटीआर 9सी तालिका 7जी में घोषित कर योग्य टर्नओवर में असंतुलन	02XXXXXXXX XXX1Z9	मॉल रोड	14.50	वसूल की गई राशि (₹ 2.61 करोड़)
10	लेखा पुस्तकों व रिटर्न के बीच भुगतान किए गए कर में असंतुलन	02XXXXXXXX XXX1Z4	कार्ट रोड	0.92	नोटिस एसएमटी-10 जारी किया गया
11	जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं किया गया लेकिन जीएसटीआर 1 उपलब्ध है	02XXXXXXXX XXX1ZI	बददी-I	0.19	फॉर्म डीआरसी-07 में मांग आदेश जारी किया गया।
12	ब्याज का कम भुगतान	02XXXXXXXX XXX1ZB	बददी-I	0.59	अपील लंबित।

उदाहरणात्मक मामलों की चर्चा नीचे की गई है:

(i) डायमेंशन - आईटीसी लाभ में मिलान न होना

जीएसटीआर-2ए खरीद से संबंधित एक डायनामिक कर रिटर्न है जो वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल द्वारा प्रत्येक व्यवसाय के लिए स्वचालित रूप से तैयार किया जाता है जबकि जीएसटीआर-3B एक मासिक रिटर्न है जिसमें जावक आपूर्ति के साथ-साथ घोषित आईटीसी व कर के भुगतान का सारांश करदाता द्वारा स्वघोषित किया जाता है।

आईटीसी उपयोग की सत्यता का विश्लेषण करने हेतु, वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटीआर-3बी व जीएसटीआर-2ए से प्रासंगिक डेटा लिया गया तथा आपूर्तिकर्ताओं के विवरण के अनुसार भुगतान किए गए आईटीसी का मिलान करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी क्रेडिट के साथ किया गया। अपनाई गई कार्यप्रणाली में जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी की तुलना

उसके सभी संशोधनों व जीएसटीआर-3बी में तालिका 4ए(5)¹² में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई जिसमें तालिका 4बी (2)¹³ में उलटफेर पर विचार किया गया परन्तु जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी से आगामी वर्ष 2018-19 में प्राप्त आईटीसी को भी शामिल किया गया।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बिलासपुर-II सर्कल के अंतर्गत करदाता¹⁴ के मामले में जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 152.62 करोड़ थी व जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए(5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 158.79 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी राशि में ₹6.17 करोड़ का अंतर पाया गया।

इस ओर इंगित (जून 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी के सापेक्ष जीएसटीआर-2ए में उपलब्ध आईटीसी ₹ 9.70 करोड़ अधिक थी तथा इसे आईटीसी का अतिरिक्त दावा नहीं कहा जा सकता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीलर ने अगले वित्तीय वर्ष में रिटर्न जीएसटीआर-9 तालिका 8सी में वित्तीय वर्ष 2017-18 के लिए ₹ 15.98 करोड़ का आईटीसी दावा किया है जिस पर विभाग ने विचार नहीं किया है।

(ii) डायमेंशन - रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म पर आईटीसी के लाभ में मिलान न होना

रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) या धारा 9(4) व एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5 की उप-धारा (3) या उप-धारा (4) के तहत कुछ श्रेणियों की वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के संबंध में आपूर्तिकर्ता या प्रदाता के बजाय वस्तुओं या सेवाओं की आपूर्ति के प्राप्तकर्ता पर कर का भुगतान करने की देयता तय की जाती है।

जीएसटीआर-9 एक वार्षिक रिटर्न है जिसे पंजीकृत करदाताओं जो नियमित करदाता थे द्वारा प्रत्येक वित्तीय वर्ष में एक बार फाइल किया जाता है, जिनमें विशेष आर्थिक क्षेत्र इकाइयां व विशेष आर्थिक क्षेत्र डेवलपर्स शामिल हैं। करदाताओं को खरीद, बिक्री, इनपुट टैक्स क्रेडिट या दावा किए गए प्रतिदाय या सृजित मांग आदि का विवरण प्रस्तुत करना आवश्यक है।

वर्ष 2017-18 के लिए आरसीएम के तहत भुगतान किए गए कर पर प्राप्त आईटीसी की सत्यता का विश्लेषण करने के लिए जीएसटीआर-3B व वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 से संबंधित डेटासेट की तुलना की गई ताकि यह जांचा जा सके कि क्या आरसीएम पर प्राप्त आईटीसी भुगतान किए गए कर की सीमा तक सीमित था। अपनाई गई पद्धति में जीएसटीआर-3B की

¹² अन्य सभी पात्र आईटीसी।

¹³ रिवर्स किये गए अन्य आईटीसी।

¹⁴ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX2Z8

तालिका 3.1(डी)¹⁵ में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-9 की तालिका 6सी¹⁶, 6डी¹⁷ तथा 6एफ¹⁸ में प्राप्त आईटीसी से करनी थी। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां जांच को जीएसटीआर-3बी के अंदर सीमित कर दिया गया था, वहीं आर3बी तालिका 3.1 (डी) में कर उन्मुक्त हिस्से की तुलना आर3बी 4ए (2)¹⁹ व 4ए (3)²⁰ के आईटीसी प्राप्त करने वाले हिस्से के साथ की गई थी।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बद्दी-III सर्कल के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत करदाता²¹ के मामले में डीलर ने जीएसटीआर 3बी की तालिका 4ए(2) व (3) में ₹ 0.71 करोड़ की आईटीसी का लाभ लिया जबकि जीएसटीआर-3बी की तालिका 3.1(डी) में उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.09 करोड़ थी जिसके परिणामस्वरूप प्राप्त आईटीसी में ₹ 0.62 करोड़ की विसंगति हुई।

इस ओर इंगित (जून 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि विसंगति के कारणों की जानकारी देने के लिए एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2023)।

(iii) डायमेंशन - कर भुगतान के बिना आरसीएम पर आईटीसी का अतिरिक्त लाभ

वर्ष 2017-18 के लिए आरसीएम के तहत समतुल्य कर देयता का निर्वहन किए बिना आईटीसी का लाभ लेने की सीमा या दूसरे शब्दों में आरसीएम के तहत कर के कम भुगतान का विश्लेषण जीएसटीआर-3बी व वार्षिक जीएसटीआर-9 से संबंधित डेटासेट की तुलना करके किया गया था ताकि यह जांचा जा सके कि आरसीएम के तहत गतिविधियों/लेनदेन पर कर पूर्ण रूप से चुकाया गया है या नहीं। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 फाइल किया गया था, उनमें तालिका 4जी²² में आरसीएम भुगतान की तुलना तालिका 6सी, 6डी एवं 6एफ में प्राप्त आईटीसी के साथ की गई थी। जिन मामलों में जीएसटीआर-9 उपलब्ध नहीं था, वहां जीएसटीआर-3बी तालिका 3.1(डी)²³ में आरसीएम भुगतान की तुलना जीएसटीआर-3बी 4ए (2)²⁴ व 4ए (3)²⁵ से की गई।

¹⁵ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

¹⁶ अपंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त अंतर्निहित आवक आपूर्तियां जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी हैं।

¹⁷ पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त अंतर्निहित आवक आपूर्तियां जो रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी हैं।

¹⁸ सेवाओं का आयात।

¹⁹ सेवाओं का आयात।

²⁰ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

²¹ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX2ZD

²² आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज आधार पर कर का भुगतान किया जाना है।

²³ आवक आपूर्ति (रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी)।

²⁴ सेवाओं का आयात।

²⁵ वस्तु एवं सेवाओं के आयात के अतिरिक्त आवक आपूर्ति रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि सोलन-I सर्कल के अंतर्गत करदाता²⁶ के मामले में जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी में आरसीएम भुगतान शून्य था (जीएसटीआर-3बी भी शून्य आरसीएम भुगतान दर्शाता है) तथा जीएसटीआर-9 की तालिका (6सी+6डी+6एफ) में प्राप्त आईटीसी ₹ 0.55 करोड़ था। इसके परिणामस्वरूप कर का भुगतान किए बिना आरसीएम पर ₹ 0.55 करोड़ के अतिरिक्त आईटीसी का लाभ लिया गया।

इस ओर इंगित (जून 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि विसंगति के कारणों की जानकारी देने के लिए एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2023)।

(iv) डायमेंशन - आईएसडी क्रेडिट पर प्राप्तकर्ता द्वारा आईटीसी का अनियमित लाभ लेना

यह विश्लेषण करने के लिए कि क्या करदाता द्वारा प्राप्त आईटीसी इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) द्वारा हस्तांतरित आईटीसी से अधिक है, करदाता के रिटर्न में घोषित आईटीसी की तुलना आईएसडी द्वारा उनके जीएसटीआर-6 में हस्तांतरित आईटीसी से की जाती है। अपनाई गई कार्यप्रणाली इस राज्य के अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत प्राप्तकर्ता करदाताओं के जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी²⁷ या जीएसटीआर-3बी की तालिका 4(ए)(4)²⁸ की तुलना संबंधित आईएसडी के जीएसटीआर-6 की तालिका 5ए²⁹, तालिका 8ए³⁰ तथा तालिका 9ए³¹ के योग के साथ की गई।

बददी-IV सर्कल के अंतर्गत करदाता³² के मामले में लेखापरीक्षा ने पाया कि जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी में प्राप्त आईटीसी ₹ 5.37 करोड़ थी तथा जीएसटीआर-6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) में आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी ₹ 0.74 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप आईएसडी द्वारा हस्तांतरित आईटीसी ₹ 4.63 करोड़ का अधिक लाभ लिया गया।

इस ओर इंगित (जुलाई 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि विसंगति के कारणों की जानकारी देने के लिए एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2023)।

²⁶ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1ZK

²⁷ आईएसडी से प्राप्त आईटीसी।

²⁸ आईएसडी से आवक आपूर्ति।

²⁹ कर अवधि के लिए पात्र आईटीसी की राशि का वितरण।

³⁰ पुनः प्राप्त एवं वितरित आई.टी.सी. का मिलान न होना।

³¹ गलत प्राप्तकर्ता को वितरित आईटीसी का पुनर्वितरण।

³² जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1Z9

(v) डायमेंशन- प्राप्तकर्ताओं द्वारा इनपुट सेवा वितरक (आईएसडी) क्रेडिट रिवर्सल को गलत तरीके से अपनाया गया

यह विश्लेषण करने हेतु कि क्या आईएसडी द्वारा अपने जीएसटीआर-6 में किए गए आईटीसी रिवर्सल को क्रेडिट के संबंधित प्राप्तकर्ताओं द्वारा जीएसटीएन में उपलब्ध केंद्रीकृत डेटा के साथ सही तरीके से रिवर्स किया गया है, आईएसडी द्वारा अपने जीएसटीआर-6 में किए गए समायोजन की तुलना प्राप्तकर्ताओं द्वारा अपने वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी रिवर्सल के साथ की गयी है।

निम्नलिखित एल्गोरिथ्म को अपनाया गया है:

जहां आईएसडी द्वारा जीएसटीआर-6 की तालिका 8ए या 9ए में समायोजन किया गया है, वहां संबंधित प्राप्तकर्ताओं की जीएसटीआर-9 तालिका 7बी की तुलना संबंधित जीएसटीएन के लिए आईएसडी की जीएसटीआर-6 की तालिका 8ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) + तालिका 9ए (केवल ऋणात्मक आंकड़े) के योग के साथ की जाती है। यदि जीएसटीआर-9 तालिका 7बी निल अथवा शून्य है तो जीएसटीआर-9 तालिका 7एच पर विचार किया जाता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि कार्ट रोड सर्कल, शिमला के अंतर्गत करदाता³³ के मामले में आईएसडी वितरक ने जीएसटीआर-6 में ₹ 7,723/- का आईएसडी रिवर्सल दर्शाया है जबकि प्राप्तकर्ता द्वारा जीएसटीआर-9 में कोई रिवर्सल नहीं दर्शाया गया था। इसके परिणामस्वरूप प्राप्तकर्ता द्वारा आईएसडी क्रेडिट का रिवर्सल नहीं किया गया।

इस ओर इंगित (जुलाई 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि विसंगति के कारणों की जानकारी देने वाला एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है। इस संबंध में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2023)।

(vi) डायमेंशन - जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में असंगत आईटीसी

जीएसटीआर-9सी की तालिका 14 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार व्यय पर प्राप्त आईटीसी का मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 14टी असंगत आईटीसी से संबंधित है।

एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 80(3) के तहत अपेक्षित फॉर्म जीएसटीआर-9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के लिए प्रमाणित मिलान विवरण का विश्लेषण डेटा स्तर पर वित्तीय विवरणियों में रिपोर्ट किए गए व्ययों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी में चिह्नित असंतुलन की सीमा की समीक्षा करने के लिए किया गया।

³³ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1ZV

दमताल सर्कल के अंतर्गत करदाता³⁴ के मामले में जीएसटीआर-9सी की तालिका 14टी में घोषित ₹ 8.5 करोड़ की असंगत आईटीसी (जो कि वित्तीय विवरणी में रिपोर्ट किए गए व्ययों के आधार पर पात्र/उपयुक्त आईटीसी से अधिक वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में प्राप्त आईटीसी है) देखी गई तथा विभाग (जुलाई 2022) व राज्य सरकार को सूचित की गई (जनवरी 2023)। इस ओर इंगित किए जाने पर (जुलाई 2022) विभाग ने उत्तर दिया (मई 2023) कि करदाता ने तालिका 14 के कॉलम टी में गलत राशि दर्ज की है जो ₹ 3.16 लाख होनी चाहिए थी तथा यह राशि अपात्र आईटीसी से संबंधित है जिसे रिवर्स करने की आवश्यकता है। विभाग ने यह भी उत्तर दिया कि आरंभ की गई कार्यवाही तभी समाप्त की जाएगी जब राशि वापस कर दी जाएगी।

(vii) डायमेंशन - जीएसटीआर-9सी की तालिका 12एफ में असंगत आईटीसी

जीएसटीआर-9सी की तालिका 12 वार्षिक रिटर्न (जीएसटीआर-9) में घोषित आईटीसी को लेखापरीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण या लेखा पुस्तकों के अनुसार प्राप्त आईटीसी के साथ मिलान करती है। इस तालिका का कॉलम 12एफ असंगत आईटीसी से संबंधित है।

एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 80(3) के तहत अपेक्षित फॉर्म जीएसटीआर-9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के लिए प्रमाणित मिलान विवरण का विश्लेषण डेटा स्तर पर वित्तीय विवरणियों में रिपोर्ट किए गए व्ययों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी में चिह्नित असंतुलन की सीमा की समीक्षा करने के लिए किया गया।

नालागढ़-II सर्कल के अंतर्गत करदाता³⁵ के मामले में जीएसटीआर 9सी की तालिका 12एफ में घोषित ₹ 1.88 करोड़ की असंगत आईटीसी देखी गई जो वित्तीय विवरणी के आधार पर पात्र आईटीसी से जीएसटी रिटर्न में प्राप्त अधिक आईटीसी थी।

इस ओर इंगित (जून 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि रिटर्न 9सी में गलती से शून्य राशि दर्ज की गई है तथा ₹ 5.10 लाख की राशि Tran-1 से संबंधित है। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि पूरी राशि का मिलान नहीं किया गया है।

(viii) डायमेंशन - जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में असंगत टर्नओवर

जीएसटीआर-9सी की तालिका 5 वार्षिक टर्नओवर (जीएसटीआर-9) में घोषित टर्नओवर के साथ लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरणी में घोषित टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका के कॉलम 5आर में वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 व अपेक्षित समायोजन के पश्चात् वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों में घोषित टर्नओवर के बीच असंगति को दर्शाता है।

³⁴ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX2ZW

³⁵ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1ZF

एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 80(3) के तहत अपेक्षित फॉर्म जीएसटीआर-9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के लिए प्रमाणित मिलान विवरण का विश्लेषण डेटा स्तर पर वित्तीय विवरणियों में रिपोर्ट किए गए व्ययों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी में चिह्नित असंतुलन की सीमा की समीक्षा करने के लिए किया गया। ऐसे मामलों में असंगत राशि, जहां जीएसटीआर-9 में घोषित करयोग्य टर्नओवर वित्तीय विवरणी से कम है, गैर-रिपोर्टिंग, अंडर-रिपोर्टिंग, शॉर्ट-रिपोर्टिंग, चूक, आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि को इंगित करता है जिससे कर की चोरी या कम भुगतान होता है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों की गैर-रिपोर्टिंग का भी मामला हो सकता है।

नेरचौक सर्कल के अंतर्गत करदाता³⁶ के संबंध में जीएसटीआर-9सी की तालिका 5आर में असंगत टर्नओवर पर ₹ 35.30 करोड़ का लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किया गया।

इस ओर इंगित (जून 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि करदाता को एएसएमटी-10 जारी कर दिया गया है तथा आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2023)।

(ix) डायमेंशन - जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में असंगत करयोग्य टर्नओवर

जीएसटीआर-9सी की तालिका 7 कर योग्य टर्नओवर का मिलान है। इस तालिका का कॉलम 7जी वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 व अपेक्षित समायोजन के पश्चात वर्ष के लिए वित्तीय विवरणी में घोषित टर्नओवर के मध्य असंगत करयोग्य टर्नओवर को दर्शाता है।

एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 80(3) के तहत अपेक्षित फॉर्म जीएसटीआर-9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के लिए प्रमाणित मिलान विवरण का विश्लेषण डेटा स्तर पर वित्तीय विवरणियों में रिपोर्ट किए गए व्ययों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी में चिह्नित असंतुलन की सीमा की समीक्षा करने के लिए किया गया। ऐसे मामलों में असंगत राशि, जहां जीएसटीआर-9 में घोषित करयोग्य टर्नओवर वित्तीय विवरणी से कम है, गैर-रिपोर्टिंग, अंडर-रिपोर्टिंग, शॉर्ट-रिपोर्टिंग, चूक, आपूर्ति की रिपोर्टिंग में त्रुटि को इंगित करता है जिससे कर की चोरी या कम भुगतान होता है। यह कर योग्य और छूट प्राप्त आपूर्ति दोनों की गैर-रिपोर्टिंग का भी मामला हो सकता है।

मॉल रोड सर्कल, शिमला के अंतर्गत करदाता के संबंध में³⁷ जीएसटीआर-9सी की तालिका 7जी में ₹ 14.50 करोड़ की राशि के असंगत करयोग्य टर्नओवर पर लेखापरीक्षा प्रश्न जारी किया गया था।

³⁶ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX2ZF

³⁷ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1Z9

इस ओर इंगित (जून 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि ₹ 4.04 करोड़ की मांग की गई थी जिसमें से ₹ 2.61 करोड़ की वसूली (दिसंबर 2022 से अप्रैल 2023 तक) हो चुकी है। मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2023)।

(x) डायमेंशन - जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में मिलान न हुई कर देयता

एचपीजीएसटी नियमावली के नियम 80(3) के तहत अपेक्षित फॉर्म जीएसटीआर-9सी में करदाता द्वारा प्रस्तुत वर्ष 2017-18 के लिए प्रमाणित मिलान विवरण का विश्लेषण डेटा स्तर पर वित्तीय विवरणियों में रिपोर्ट किए गए व्ययों के साथ वार्षिक रिटर्न में घोषित आईटीसी में चिह्नित असंतुलन की सीमा की समीक्षा करने के लिए किया गया।

फॉर्म 9सी की तालिका 9 टर्नओवर को दर-वार पृथक करके तथा वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 के अनुसार चुकाए गए कर के साथ तुलना करके भुगतान किए गए कर का मिलान करता है। असमायोजित राशि संभावित रूप से गलत दरों पर लगाए गए कर, कर योग्य टर्नओवर को छूट के रूप में गलत तरीके से दर्शाने अथवा इसका उल्टा या सीजीएसटी/एचपीजीएसटी/आईजीएसटी की गलत वसूली का संकेत दे सकती है। ऐसी स्थितियां भी हो सकती हैं जिनमें वर्ष 2017-18 के सम्बन्ध में, आगामी वर्ष में अप्रैल से सितंबर 2018 तक किए गए लेनदेन के संबंध में संशोधनों (डेबिट नोटों/क्रेडिट नोटों का शुद्ध) के माध्यम से घोषित आपूर्ति/कर को कम कर दिया गया हो। परिणामस्वरूप ब्याज भुगतान -अल्प भुगतान व गलत शीर्षों के अंतर्गत भुगतान की भी जांच किए जाने की आवश्यकता है।

कार्ट रोड सर्कल, शिमला के अंतर्गत करदाता³⁸ के मामले में जीएसटीआर-9सी की तालिका 9आर में घोषित असंगत कर भुगतान जिसकी राशि ₹ 0.92 करोड़ थी के बारे में विभाग व राज्य सरकार को सूचित किया गया (जनवरी 2023)।

इस ओर इंगित (जून 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि एएसएमटी-10 जारी किया गया था। मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित थी (सितंबर 2023)।

(xi) डायमेंशन - ऐसे मामले जहां जीएसटीआर 3बी फाइल नहीं किया गया है परंतु जीएसटीआर 1 या जीएसटीआर 2ए उपलब्ध है

लेखापरीक्षा ने डेटा स्तर पर उन करदाताओं को इंगित करने का प्रयास किया जिन्होंने जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया है परंतु जीएसटीआर-1 फाइल किया है या जिनका जीएसटीआर-2A उपलब्ध था। जीएसटीआर-3बी रिटर्न एकमात्र ऐसा साधन है जिसके माध्यम से देयता की भरपाई की जाती है तथा आईटीसी का लाभ लिया जाता है। जीएसटीआर-1 व 2ए की उपलब्धता तथा आर3बी का फाइल न किया जाना यह इंगित करता है कि करदाताओं

³⁸ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1Z4

ने इस अवधि के दौरान व्यवसाय आरंभ किया/जारी रखा परंतु अपनी कर देनदारी का भुगतान नहीं किया। इसमें आईटीसी के अनियमित पारित होने के मामले भी शामिल हो सकते हैं। इसलिए इन सभी मामलों की जांच की आवश्यकता है।

जीएसटीआर-1, 2ए और 3बी में प्रासंगिक क्षेत्रों से संबंधित डेटासेट का विश्लेषण किया गया है तथा उन मामलों का उद्धरण किया गया है जहां जीएसटीआर-3बी शून्य है। इन करदाताओं ने 2017-18 में एक भी जीएसटीआर-3बी फाइल नहीं किया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बद्दी-1 सर्कल के अंतर्गत करदाता³⁹ ने 2017-18 में एक भी रिटर्न 3बी फाइल नहीं किया है तथा 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 0.04 करोड़ थी तथा 2017-18 के लिए देयता ₹0.23 करोड़ थी। इस प्रकार करदाता द्वारा ₹0.19 करोड़ की कर देयता का भुगतान नहीं किया गया है।

इस ओर इंगित (जुलाई 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि सितंबर 2022 की तिथि वाला ₹ 0.81 करोड़ का मांग पत्र (डीआरसी-07) जारी किया गया है। मामले में आगे की प्रगति प्रतीक्षित है (सितंबर 2023)।

(xii) डायमेंशन - ब्याज का अल्प भुगतान

अधिनियम की धारा 50 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक व्यक्ति जो इस अधिनियम या इसके अधीन बनाए गए नियमों के प्रावधानों के अनुसार कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी है परंतु निर्धारित अवधि के भीतर सरकार को कर या उसके किसी भाग का भुगतान करने में सफल नहीं रहता है तो उसे उस अवधि के लिए, जिसके लिए कर या उसके किसी अंश का भुगतान नहीं किया जाता है, अधिसूचित दर पर ब्याज का भुगतान करना होगा।

वर्ष 2017-18 के दौरान जीएसटीआर-3बी में कर भुगतान के विवरण तथा जीएसटीआर-3बी फाइल करने की तिथि का उपयोग करके कर के विलंबित प्रेषण के कारण ब्याज के अल्प भुगतान के विस्तार को चिह्नित किया गया। देय ब्याज की गणना हेतु केवल निवल कर देयता (नकद घटक) पर विचार किया गया है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि बद्दी-1 सर्कल के अंतर्गत करदाता⁴⁰ के मामले में, जिसमें जुलाई 2017 से दिसंबर 2017 के महीनों से संबंधित रिटर्न (जीएसटीआर-3बी) में विलंब हुआ था, करदाता द्वारा ₹ 0.59 करोड़ का ब्याज का भुगतान नहीं किया गया था। ।

³⁹ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1Z1

⁴⁰ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1ZB

इस ओर इंगित (जुलाई 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि अक्टूबर 2020 में ₹ 0.59 करोड़ का मांग पत्र (डीआरसी-07) जारी किया गया है जिसके लिए करदाता ने आदेशों के विरुद्ध अपील की है।

3.6.2.4 कारणात्मक कारकों का विश्लेषण

336 डेटा विचलन/असंगतियों के नमूनों में से 315 मामलों पर विभाग की प्रतिक्रिया पर विचार करते हुए डेटा विचलनों/असंगतियों का कारण बनने वाले कारक निम्नानुसार हैं:

क. विभाग द्वारा स्वीकृत मामले:

विभाग ने तालिका 3.4 में सारांशित 13 विचलनों में से ₹ 427.23 करोड़⁴¹ के आईटीसी/कर देयता/टर्नओवर असंगति वाले 183 मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों को स्वीकार कर लिया है या जांच आरंभ कर दी है। विभाग ने इन मामलों में से ₹ 2.68 करोड़ (पांच मामलों में ₹ 6.63 लाख (जिनमें ₹ 4.46 करोड़ की राशि शामिल थी) तथा एक मामले में ₹ 2.61 करोड़ की आंशिक वसूली) की वसूली की है, 32 मामलों में ₹ 9.75 करोड़ के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया है, 127 मामलों में करदाताओं को ₹ 233.61 करोड़ के लिए फॉर्म एएसएमटी-10 में विसंगतियों की सूचना देते हुए नोटिस जारी किया है व ₹ 179.41 करोड़ के असंगति वाले 19 मामलों में संबंधित करदाताओं के साथ पत्राचार किया है या डीआरसी-01ए जारी किया है। विवरण परिशिष्ट 3.9 से 3.13 में दिया गया है। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

लेखापरीक्षा में पाया गया कि पांवटा-1 सर्कल के अंतर्गत करदाता⁴² के मामले में जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी ₹ 15.60 करोड़ थी तथा जीएसटीआर-3बी की तालिका 4ए (5) में प्राप्त आईटीसी ₹ 17.08 करोड़ थी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.48 करोड़ की आईटीसी का मिलान नहीं हो पाया।

इस ओर इंगित (जून 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि डीआरसी-01 ए में नोटिस जारी किया गया था, आगे की कार्रवाई अभी भी प्रतीक्षित है (सितंबर 2023)।

ख. ऐसे मामले जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है:

लेखापरीक्षा ने 336 गैर-अनुपालन मामलों में से 19 मामलों (टर्नओवर में असंगति सहित) में विभाग के उत्तर को स्वीकार नहीं किया है जिसकी राशि ₹ 56.91 करोड़ है (परिशिष्ट 3.12)।

⁴¹ वसूले किए गए: 5 मामले: ₹ 4.46 करोड़, एएसएमटी-10: 127 मामले: ₹ 233.61 करोड़, कारण बताओ नोटिस जारी: 32 मामले: ₹ 9.75 करोड़ तथा जांच के अधीन: 19 मामले: ₹ 179.41 करोड़।

⁴² जीएसटीआईएन-02XXXXXXXXXXXX1Z3

विभाग ने इन मामलों में लेखापरीक्षा टिप्पणियों पर स्पष्ट रूप से टिप्पणी किए बिना केवल करदाताओं के स्पष्टीकरण अग्रेषित किए। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

बददी-III सर्कल के तहत करदाता⁴³ के मामले में जीएसटीआर-9C की तालिका 14T में घोषित ₹ 22.31 करोड़ की असंगत आईटीसी, जो वित्तीय विवरणों में रिपोर्ट किए गए व्ययों के आधार पर पात्र आईटीसी से जीएसटी रिटर्न में अधिक आईटीसी का उपयोग करने के संबंध में थी, पर लेखापरीक्षा प्रश्न देखा गया तथा विभाग को संप्रेषित किया गया।

इस ओर इंगित (जून 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि उक्त अंतर आयातित बिलों के कारण था जो जीएसटीआर 2ए में दर्शाए नहीं गए थे। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि मिलान न हुई आईटीसी ₹ 22.31 करोड़ थी तथा ₹ 1.96 करोड़ के आयातित बिलों को सम्मिलित करने के पश्चात् भी अंतर ₹ 20.35 करोड़ था।

ग. करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि त्रुटियां:

डेटा प्रविष्टि त्रुटियां कुल प्राप्त प्रतिक्रियाओं का 12 प्रतिशत (37 मामले) थीं और ये उन मामलों का 100 प्रतिशत थीं जहां विभाग की प्रतिक्रियाओं को लेखापरीक्षा द्वारा स्वीकार किया गया था। इन डेटा प्रविष्टि त्रुटियों का कोई राजस्व निहितार्थ नहीं था। अधिकांश डेटा प्रविष्टि त्रुटियां आरसीएम से संबंधित हैं जिनका विवरण परिशिष्ट 3.14 में दिया गया है। एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

देहरा सर्कल के अंतर्गत करदाता⁴⁴ के जीएसटीआर-3बी व जीएसटीआर-9 रिटर्न के बीच कर देयता अंसतुलन के रूप में ₹ 0.41 करोड़ की राशि के “आरसीएम के तहत आईटीसी का लाभ उठाने में अंसतुलन” डायमेंशन के तहत विचलन को इंगित किया गया था तथा विभाग को सूचित किया गया (मई 2022)। विभाग का (नवंबर 2022) उत्तर प्राप्त होने पर यह देखा गया कि विचलन टंकण भूल के कारण हुआ था। करदाता ने गलती से अन्य सभी आईटीसी के अंतर्गत उल्लेख करने के बजाय आरसीएम के अंतर्गत कॉलम 3.1(डी) के तहत ₹ 0.41 करोड़ की आईटीसी देयता दर्शा दी थी।

अनुशंसा 8: विभाग डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को रोकने, करदाता अनुपालन को बढ़ाने व बेहतर संवीक्षा की सुविधा के लिए जीएसटी रिटर्न फॉर्म में सत्यापन नियंत्रण शुरू करने पर विचार कर सकता है।

⁴³ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1ZC

⁴⁴ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1ZC

3.6.3 विस्तृत लेखापरीक्षा

स्व-मूल्यांकन व्यवस्था में कानून के अनुपालन का दायित्व करदाता पर होता है। विभाग का दायित्व निगरानी प्रदान करने के लिए एक कुशल कर प्रशासन तंत्र स्थापित करना व उसे अनुरक्षित करना है। सीमित संसाधनों के साथ प्रभावी कर प्रशासन, कानून का अनुपालन सुनिश्चित करने तथा राजस्व संग्रहण हेतु एक कुशल शासन तंत्र आवश्यक है। सूचना प्रौद्योगिकी संचालित अनुपालन मॉडल बड़े पैमाने पर शासन की गैर-विवेकाधीन व्यवस्था को बनाए रखने में सक्षम बनाता है और अनुपालन को लागू करने के लिए लक्षित दृष्टिकोण की सुविधा प्रदान करता है।

बाह्य लेखापरीक्षा के दृष्टिकोण से लेखापरीक्षा ने डेटा-संचालित जोखिम-आधारित दृष्टिकोण पर भी ध्यान केंद्रित किया। इस प्रकार राज्य क्षेत्राधिकार वाले करदाताओं के अखिल भारतीय डेटा विश्लेषण के माध्यम से वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न में विसंगतियों/विचलनों को इंगित करने के अतिरिक्त इसकी समीक्षा के एक भाग के रूप में वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न का विस्तृत लेखापरीक्षा भी किया गया। समीक्षा के इस भाग हेतु 55 करदाताओं का जोखिम-आधारित नमूना चुना गया। अपनाई गई कार्यप्रणाली में प्रारंभ में जीएसटीआर-9C के भाग के रूप में करदाताओं द्वारा फाइल जीएसटी रिटर्न व वित्तीय विवरणी तथा बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध अन्य अभिलेखों की डेस्क समीक्षा की गई ताकि संभावित जोखिम वाले क्षेत्रों, विसंगतियों/विचलनों तथा रेड फ्लैग्स की पहचान की जा सके। नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के क्षेत्रीय लेखापरीक्षा कार्यालयों में डेस्क समीक्षा की गई। डेस्क समीक्षा परिणामों के आधार पर करदाताओं के वित्तीय लेजर्स, चालान आदि जैसे संबंधित विस्तृत अभिलेखों की मांग करके राज्य के चयनित सर्कलों में विस्तृत लेखापरीक्षा की गई ताकि चिह्नित किए गए जोखिमों के कारकों के कारणों को इंगित किया सके तथा करदाताओं द्वारा अनुपालन का मूल्यांकन किया जा सके।

जैसा कि विगत परिच्छेद में बताया गया है कि विस्तृत लेखापरीक्षा में जोखिमों और रेड फ्लैग्स को इंगित करने हेतु वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न व अन्य बुनियादी अभिलेखों की डेस्क समीक्षा शामिल थी जिसका पालन करदाताओं द्वारा अनुपालन न करने की सीमा व संबंधित सर्कलों द्वारा की गई कार्रवाई को इंगित करने के लिए क्षेत्रीय लेखापरीक्षा की गई। अंततः करदाताओं द्वारा विभिन्न चरणों में अनुपालन न करने से फाइल किए गए रिटर्न की सत्यनिष्ठा, आईटीसी के उपयोग व कर भुगतान के निर्वहन पर असर पड़ता है। इसलिए लेखापरीक्षा निष्कर्षों को I) रिटर्न, II) आईटीसी का उपयोग व III) कर देयता के निर्वहन के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है।

3.6.3.1 कार्यक्षेत्र सीमा (अभिलेखों का अप्रस्तुतिकरण/आंशिक प्रस्तुतिकरण)

विभाग द्वारा विस्तृत रिकॉर्ड प्रस्तुत न करने के कारण लेखापरीक्षा का दायरा सीमित था। बैंक-एंड सिस्टम में उपलब्ध करदाताओं के रिटर्न्स की डेस्क समीक्षा के दौरान लेखापरीक्षा ने विस्तृत जांच हेतु अतिरिक्त आईटीसी व कर देयता मिलान न होने से संबंधित जोखिमों को इंगित किया। आईटीसी डायमेंशन पर जीएसटीआर-3बी की जीएसटीआर-2ए व जीएसटीआर-9 के साथ तुलना करके और जीएसटीआर-9सी की तालिका 12 और 14 में की गई घोषणाओं द्वारा विसंगतियों की पहचान की गई थी। कर देयता डायमेंशन पर जीएसटीआर-3बी की जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-9 के साथ तुलना करके और जीएसटीआर-9सी की तालिका 5, तालिका 7 और तालिका 9 में घोषणाओं द्वारा विसंगतियों की पहचान की गई। हालांकि विभाग ने 23 मामलों में आईटीसी व कर देयता असंतुलन के लिए कारणात्मक कारकों की जांच हेतु आवश्यक अनुपूरक वित्तीय लेजर्स, चालान, अनुबंध प्रतियां आदि जैसे संगत विस्तृत अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए जो नमूना आकार का 42 प्रतिशत है (परिशिष्ट 3.17) व शेष 32 मामलों में (परिशिष्ट 3.18) संबंधित अभिलेख अर्थात् अनुपूरक वित्तीय लेजर्स, चालान, अनुबंध प्रतियां आदि आंशिक रूप से प्रस्तुत किए गए। अभिलेखों के अप्रस्तुतिकरण/आंशिक रूप से प्रस्तुतिकरण के कारण लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए गए जोखिम की विस्तार से जांच नहीं की जा सकी तथा लेखापरीक्षा टिप्पणियां आईटीसी व कर देयता के असंतुलन तक सीमित थीं, जैसा कि संबंधित परिच्छेदों में चर्चा की गई है।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग (मई 2023) ने उत्तर दिया कि क्षेत्रीय अधिकारियों को लेखापरीक्षा को शीघ्र अभिलेख उपलब्ध कराने के निर्देश जारी किए गए हैं। विभाग ने अंतिम बैठक में बताया कि करदाताओं से अभिलेख मांगने के विशिष्ट कारणों की सूचना लेखापरीक्षा द्वारा विभाग को दी जानी चाहिए ताकि हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार कार्रवाई आरंभ की जा सके। इन उत्तरों को इस तथ्य के आलोक में देखा जा सकता है कि अंतर व संबंधित अभिलेख विभाग के पास पहले से ही उपलब्ध होने चाहिए थे। इसके अतिरिक्त ये अभिलेख न तो लेखापरीक्षा के दौरान और न ही मई 2023 के पश्चात् प्रस्तुत किए गए।

3.6.3.2 रिटर्न्स

55 करदाताओं द्वारा फाइल रिटर्न्स की विस्तृत लेखापरीक्षा से उजागर हुआ कि करदाताओं द्वारा ब्याज भुगतान नहीं किया गया था जिसका विवरण नीचे दिया गया है:

करदाताओं द्वारा ब्याज का भुगतान न करना

लेखापरीक्षा में यह देखा गया कि 55 लेखापरीक्षित मामलों में से 21 मामलों (38 प्रतिशत) में करदाताओं ने अपने रिटर्न विलंब से फाइल किए थे परंतु ब्याज भुगतान नहीं किया गया जो ₹ 0.93 करोड़ था।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि तीन मामलों⁴⁵ में ₹ 0.27 लाख की राशि वसूल की गई है तथा ₹ 92.66 लाख की राशि वाले शेष 18 मामलों प्रक्रियाधीन हैं (परिशिष्ट 3.19)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

बरोटीवाला सर्कल के अंतर्गत एक करदाता⁴⁶ ने जुलाई 2017 से मार्च 2018 की अवधि का जीएसटीआर-3बी रिटर्न अगस्त 2017 से सितंबर 2018 तक विलंब से फाइल किया था। हालांकि कर के विलंबित भुगतान पर ₹ 0.38 करोड़ की ब्याज देयता का भुगतान नहीं किया गया।

3.6.3.3 इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग

इनपुट टैक्स क्रेडिट का अर्थ है वस्तु एवं सेवा कर जो किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा वस्तुओं और/या सेवाओं की खरीद पर चुकाया जाता है जिनका उपयोग व्यापार के दौरान या उसे आगे बढ़ाने में किया जाता है। करों के व्यापक प्रभाव से बचने के लिए इनपुट आपूर्ति पर भुगतान किए गए करों के क्रेडिट का उपयोग बाहरी आपूर्ति पर करों के भुगतान के लिए सेट-ऑफ करने के लिए किया जा सकता है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 व 17 में आईटीसी प्राप्त करने हेतु पात्रता व शर्तें निर्धारित की गई हैं। केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है तथा हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर के क्रेडिट का उपयोग केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान के लिए नहीं किया जा सकता है। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 36 से 45 में आईटीसी प्राप्त करने व उसे वापस करने की प्रक्रिया निर्धारित की गई है।

लेखापरीक्षा ने जांच किए गए 55 मामलों में से ₹ 0.12 करोड़ की राशि की अनुपालन कमियों के तीन मामले पाए। ये कमियां अनियमित रूप से आईटीसी का लाभ लेने, आईटीसी को वापस न लेने तथा इनपुट सेवा वितरण पर आईटीसी का अत्यधिक लाभ लेने के कारण थीं।

⁴⁵ औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर: एक मामला, माल रोड: एक मामला तथा परवाणु: एक मामला।

⁴⁶ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX2ZT

क) आईटीसी का अनियमित लाभ लेना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 16 (2) आईटीसी प्राप्त करने के लिए शर्तें निर्धारित करती हैं। आईटीसी का लाभ लेने के लिए पूर्वपेक्षाएँ हैं: करदाता के पास कर चालान या कोई अन्य निर्दिष्ट कर भुगतान दस्तावेज होना चाहिए, करदाता ने वस्तु या सेवाएँ प्राप्त की हों, आपूर्तिकर्ता द्वारा वास्तव में कर का भुगतान किया गया हो, करदाता ने आईटीसी का लाभ लेने के लिए रिटर्न प्रस्तुत किया हो तथा चालान जारी होने की तिथि से 180 दिनों के भीतर आपूर्तिकर्ता को कर सहित वस्तु या सेवाओं का मूल्य भुगतान किया गया हो।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 36 में आईटीसी का दावा करने के लिए दस्तावेजी आवश्यकताओं का उल्लेख किया गया है। चालान से संबंधित आगामी वित्तीय वर्ष के सितम्बर माह या वार्षिक रिटर्न फाइल करने की तिथि, जो भी पहले हो, के बाद कोई भी आईटीसी नहीं ली जाएगी। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 37 में यह प्रावधान है कि यदि चालान जारी होने या वस्तुएँ प्राप्त होने की तिथि से 180 दिनों की अवधि के भीतर प्रतिफल का भुगतान नहीं किया जाता है तो आईटीसी को वापस ले लिया जाएगा।

लेखापरीक्षा ने 55 मामलों में से एक मामले में अनुपालन संबंधी कमियाँ पाईं जहाँ करदाता ने ₹ 0.016 करोड़ की अनियमित आईटीसी का लाभ लिया था। यह कमी आपूर्तिकर्ताओं को निर्धारित समय के भीतर भुगतान न किए जाने के कारण थी।

मामले का विवरण नीचे दिया गया है:

वर्ष 2017-18 के लिए एक डीलर⁴⁷ के अभिलेखों की नमूना जांच से उजागर हुआ कि ₹ 8.89 लाख के देय बिल 180 दिनों से अधिक के हैं जिन पर डीलर को आईटीसी की अनुमति नहीं दी गई थी क्योंकि उपरोक्त अधिनियम में परिकल्पित अनुसार प्रतिफल का भुगतान नहीं किया गया था। इस प्रकार 18 प्रतिशत की दर से गणनानुसार ₹ 1.6 लाख की आईटीसी को वापस किया जाना आवश्यक था जो रिटर्न आर 9 तालिका 7(ए) के अनुसार नहीं किया गया। इस ओर इंगित (अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामले की संवीक्षा प्रक्रियाधीन है।

ख) आईटीसी का नॉन रिवर्सल/ शॉर्ट रिवर्सल

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 17(2) व हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 42 में ये निर्दिष्ट हैं कि जहाँ पंजीकृत व्यक्ति द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों का उपयोग आंशिक रूप से शून्य-रेटेड आपूर्ति सहित कर योग्य आपूर्ति के

⁴⁷ पांवटा-1 सर्कल के अंतर्गत जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1ZK

लिए व आंशिक रूप से छूट प्राप्त आपूर्ति के लिए किया जाता है, वहां क्रेडिट की राशि इनपुट टैक्स के उस हिस्से तक सीमित होगी जो शून्य-रेटेड आपूर्ति सहित उक्त कर योग्य आपूर्ति के लिए है।

लेखापरीक्षा ने 55 मामलों में से एक मामले में अनुपालन न होना पाया जहां करदाताओं ने हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 42 के गलत अनुप्रयोग के कारण ₹ 0.096 करोड़ की आईटीसी को वापस नहीं किया था।

मामले का विवरण नीचे दिया गया है:

करदाता ने वर्ष 2017-18 के वित्तीय विवरणी के एक मामले⁴⁸ में आग में माल की हानि के कारण ₹ 0.53 करोड़ की राशि को बट्टे खाते में डाल दिया था। यद्यपि उक्त स्टॉक को जलाए जाने का दावा किया गया था परंतु उन पर प्राप्त आईटीसी को करदाता के मासिक रिटर्न या वार्षिक रिटर्न में वापस नहीं किया गया था। इसके परिणामस्वरूप ₹ 9.59 लाख की आईटीसी वापस नहीं की गई (जीएसटीआर-2ए की खरीद की दर के अनुसार 18 प्रतिशत की दर से गणना की गई)।

इस ओर इंगित (अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि राशि वसूल कर ली गई है।

ग) इनपुट सेवा वितरण के माध्यम से आईटीसी का अत्यधिक लाभ उठाना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 2 (61) में “इनपुट सेवा वितरक” को वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता के कार्यालय के रूप में परिभाषित किया गया है जो इनपुट सेवाओं की प्राप्ति के लिए कर चालान प्राप्त करता है तथा कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के आपूर्तिकर्ता को आईटीसी वितरित करने के प्रयोजनों के लिए एक निर्धारित दस्तावेज जारी करता है जिसका पीएएन उक्त कार्यालय के समान होता है।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 20 इनपुट सेवा वितरक द्वारा ऋण वितरण का तरीका निर्धारित करती है। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 20 (2) के अनुसार इनपुट सेवा वितरक उसी महीने में वितरण के लिए उपलब्ध क्रेडिट वितरित कर सकता है जिसमें इसका लाभ लिया गया हो। इनपुट सेवा वितरक हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 39(1) के तहत किए गए प्रावधानों के अनुसार चालान जारी करेगा। इस संबंध में नियम 54 (1ए) (ए) (iv) के अनुसार पंजीकृत व्यक्ति जिसका पीएएन व राज्य कोड इनपुट सेवा वितरक के समान हो, वह सामान्य इनपुट सेवाओं के क्रेडिट

⁴⁸ औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर सर्कल के अंतर्गत जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX3ZP

को इनपुट सेवा वितरक में हस्तांतरित करने के लिए चालान या, जैसा भी मामला हो, क्रेडिट या डेबिट नोट जारी कर सकता है।

लेखापरीक्षा ने 55 मामलों में से एक मामले में ₹ 0.75 लाख की राशि का अनुपालन होना नहीं पाया जहां करदाताओं ने अधिक मात्रा में इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का लाभ उठाया था। मामला नीचे दिया गया है:

वर्ष 2017-18 के लिए 35 सर्कलों के 55 डीलरों के रिटर्न्स की संवीक्षा से उजागर हुआ कि शिमला जिले के ढली सर्कल के अंतर्गत एक करदाता⁴⁹ ने जीएसटीआर-9 की तालिका 6जी में इनपुट सेवा वितरक से ₹ 45.60 लाख की आईटीसी का दावा किया है। हालांकि जीएसटीआर-6 की तालिका (5ए+8ए+9ए) के अनुसार इनपुट सेवा वितरक डीलर ने प्राप्तकर्ता को केवल ₹ 44.85 लाख वितरित किए थे। इस प्रकार प्राप्त राशि से ₹ 0.75 लाख अधिक इनपुट सेवा वितरक क्रेडिट का दावा किया गया।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामले की संवीक्षा प्रक्रियाधीन है।

घ) कर देनदारियों के निर्वहन से संबंधित अन्य अभियुक्तियां जहां अतिरिक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे तथा केवल डेटा विश्लेषण के माध्यम से मिलान न हुआ विवरण देखा जा सका:

(i) आईटीसी का अत्यधिक लाभ लेना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 16(2)(सी) में प्रावधान है कि आपूर्ति के संबंध में लगाए गए कर का भुगतान वास्तव में सरकार को नकद या आईटीसी के उपयोग के माध्यम से किया जाना है।

वर्ष 2017-18 के लिए वस्तु एवं सेवा कर पोर्टल पर डीलरों द्वारा अपलोड किए गए वस्तु एवं सेवा कर रिटर्न्स की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 29⁵⁰ सर्कलों के 55 में से 45 डीलरों के संबंध में उपलब्ध राशि से ₹ 64.96 करोड़ अधिक का आईटीसी प्राप्त किया गया है। अंतर की गणना रिटर्न्स 3बी के अनुसार प्राप्त आईटीसी, तालिका 4ए (5) (अन्य सभी आईटीसी), 4बी2 (आईटीसी रिवर्सल), जीएसटीआर-9 की तालिका 8सी जो अगले

⁴⁹ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1ZS

⁵⁰ अंबोटा: दो, बददी-II: तीन, बददी-III: तीन, बददी-IV: तीन, बरोटीवाला: दो, बडसर: एक, भोरंज व सुजानपुर: दो, भोरंज व सुजानपुर (गगरेट): एक, चंबा: एक, चौपाल: एक, ढली: एक, हमीरपुर (ऊना सर्कल): एक, औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब: एक, औद्योगिक क्षेत्र महतपुर: एक, कांगड़ा-I: एक, कुल्लू: एक, कुल्लू बंजार: एक, माल रोड शिमला: एक, मनाली: एक, मंडी-III: तीन, मैहतपुर: एक, नाहन-I: दो, नालागढ़-II: एक, नालागढ़-III: एक, नेरचौक: दो, परवाणू-I: एक, पांवटा-I: दो, पांवटा-II: दो व संजौली: दो।

वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवक आपूर्ति पर आईटीसी को दर्शाता है तथा रिवर्स चार्ज, डेबिट व क्रेडिट नोट को हटाने के पश्चात् 2ए में उपलब्ध आईटीसी को ध्यान में रखते हुए की गई है ।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन थी (परिशिष्ट 3.20)।

(ii) पात्रता से अधिक आईटीसी का लाभ लेना

जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी, जीएसटीआर 2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी व बाद की अवधि के समायोजन पर विचार करने के पश्चात् जीएसटीआर-3बी के अनुसार प्राप्त आईटीसी के बीच अंतर को दर्शाती है। 28 सर्कलों के अंतर्गत 40 मामलों में ₹ 23.83 करोड़ की आईटीसी का असंतुलन पाया गया। इस असंतुलन को (i) जीएसटीआर-9 की तालिका 8डी के ऋणात्मक आंकड़ों तथा (ii) जीएसटीआर-9 की तालिका 8ए की तुलना करके हल किया गया है जो जीएसटीआर-9 में दर्शाए गए जीएसटीआर-2ए के अनुसार निवल आईटीसी को दर्शाती है तथा जीएसटीआर-2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी को दर्शाया गया है।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन थी (परिशिष्ट 3.21)।

(iii) कर योग्य तथा गैर-कर योग्य आपूर्ति हेतु सामान्य इनपुट के बदले में अल्प रिवर्सल

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 42 में इनपुट या इनपुट सेवाओं तथा उसके रिवर्सल के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्धारण का तरीका निर्धारित किया गया है जिसके अनुसार यदि रिटर्न में कोई छूट ली गई है जैसे 3बी या 9 व कोई संबंधित रिवर्सल नहीं है तो यह कर योग्य तथा बिना कर योग्य आपूर्ति के लिए सामान्य इनपुट के लिए आईटीसी के कम या कोई रिवर्सल नहीं होने के जोखिम से भरा है।

वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि चार सर्कलों⁵¹ के चार डीलरों ने जीएसटीआर-9 की तालिका 5डी+5ई में ₹ 156.84 करोड़ की छूट प्राप्त/शून्य दर वाली आपूर्ति का दावा किया था जिस पर

⁵¹ बददी-IV: एक, कार्ट रोड सर्कल: एक, मॉल रोड: एक तथा संजौली: एक।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 42 के अनुसार ₹ 1.83 करोड़⁵² का रिवर्सल किया जाना आवश्यक था। हालांकि जीएसटीआर-9 की तालिका 7सी व 7एच में ₹ 0.54 करोड़ का रिवर्सल किया गया। इस प्रकार ₹ 1.29 करोड़ का आईटीसी कम रिवर्स किया गया।

इस ओर इंगित (अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन थी (परिशिष्ट 3.22)।

(iv) कर योग्य व गैर-कर योग्य आपूर्तियों के लिए उपयोग किए गए सामान्य पूंजीगत वस्तुओं के स्थान पर आईटीसी का रिवर्सल न होना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियम, 2017 के नियम 43 में पूंजीगत वस्तुओं और उसके रिवर्सल के संबंध में इनपुट टैक्स क्रेडिट के निर्धारण का तरीका निर्धारित किया गया है, जिसके तहत यदि रिटर्न में कोई छूट प्राप्त की गई है अर्थात् 3बी या 9 और यदि कोई संबंधित रिवर्सल नहीं हैं तो यह कर योग्य और गैर-कर योग्य आपूर्ति के लिए उपयोग किए जाने वाले सामान्य पूंजीगत वस्तुओं के लिए आईटीसी के कम या कोई रिवर्सल नहीं होने के जोखिम से भरा है।

वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि डीलर ने संजौली सर्कल के एक मामले में जीएसटीआर-9 की तालिका 5डी व 5ई में ₹ 0.62 करोड़ की शून्य रेटेड आपूर्ति का दावा किया है जिस पर हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली के नियम 43 के अनुसार ₹ 1.93 लाख⁵³ का रिवर्सल किया जाना आवश्यक था। हालांकि तालिका 7डी में कोई रिवर्सल नहीं किया गया है। इस प्रकार गैर-कर योग्य आपूर्ति के लिए उपयोग किए गए सामान्य पूंजीगत वस्तुओं पर ₹ 1.93 लाख का आईटीसी रिवर्स नहीं किया गया तथा उपयोग के लिए उपलब्ध रहा।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन है।

⁵² [जीएसटीआर-9 तालिका (5डी+5ई)/(5एन-5एफ)] * [आर-9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई (केवल इनपुट तथा इनपुट सेवाएं) +(6एफ +6जी+8सी) (जीएसटीआर-3बी की तालिका 4डी (2) का योग + जीएसटीआर-9 तालिका 7ई+12)]।

⁵³ (जीएसटीआर-9 तालिका 5डी+5ई)/ (जीएसटीआर-9 तालिका 5एन-5एफ) x (जीएसटीआर-9 तालिका 6बी(सीजी)+6सी(सीजी)+6डी(सीजी)+6ई(सीजी))।

(v) उपलब्ध आईटीसी (जीएसटीआर-3बी बनाम जीएसटीआर-9) से अधिक दावा

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 (1) के अनुसार समुचित अधिकारी, पंजीकृत व्यक्ति द्वारा दी गई विवरणी और संबंधित विवरणों की जांच करके विवरणी की सत्यता का सत्यापन कर सकता है और यदि कोई विसंगतियां पाई जाएं तो, उसे ऐसी रीति से सूचित कर सके, जैसी विहित की जाए और उसके संबंध में उसका स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है व अधिनियम की धारा 70 के तहत करदाता को साक्ष्य देने तथा दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है।

दावा किया गया आईटीसी जीएसटीआर-3बी के माध्यम से करदाता के इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर (ईसीएल) में जमा हो जाता है। जीएसटीआर-9 की तालिका 6ए जो जीएसटीआर-3बी में प्राप्त आईटीसी का कुल योग है, स्वतः भर जाती है तथा इसमें कोई संपादन नहीं किया जा सकता। 6बी से 6एच के माध्यम से करदाता इनपुट, इनपुट सेवाओं और पूंजीगत वस्तुओं के रूप में प्राप्त आईटीसी का विभाजन करता है। जी.एस.टी.आर.-9 की तालिका 6आई, 3बी (तालिका 6ए, जो ईसीएल में स्वतः भरी जाती है) के माध्यम से वास्तव में प्राप्त आईटीसी और जीएसटीआर-9 में परिवर्तित आईटीसी के बीच अंतर को दर्शाती है। इस प्रकार कॉलम 6जे(6आई-6ए) में अंतर आदर्श रूप से शून्य होना चाहिए।

करदाताओं के रिटर्न की संवीक्षा और रिटर्न 3बी से स्वतः भरे गए आईटीसी के आंकड़ों की रिटर्न आर9 में घोषित आंकड़ों से तुलना करने से उजागर हुआ कि वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों में से 11 सर्कलों⁵⁴ के 13 डीलरों ने जीएसटीआर-9 (तालिका 6ए) में ₹ 243.14 करोड़ का आईटीसी प्राप्त करने की घोषणा की है जबकि आर9 (तालिका 6आई) में दिए गए आईटीसी का विभाजन ₹ 233.05 करोड़ है। इस प्रकार उपलब्ध राशि से ₹ 10.09 करोड़ का अधिक आईटीसी प्राप्त किया गया।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन थी (परिशिष्ट 3.23)।

(vi) आरसीएम के तहत आईटीसी का गलत लाभ लेना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 (1) में प्रावधान है कि समुचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न व संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है ताकि रिटर्न व फॉर्म में पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हो, के सुधारों को सत्यापित किया जा सके तथा निर्धारित तरीके से स्पष्टीकरण मांगा जा सके एवं

⁵⁴ बददी-II: दो, बददी-III: एक, बंगाना: एक, बरोटीवाला: दो, भोरंज व सुजानपुर: एक, भोरंज व सुजानपुर सर्कल (गगरेट): एक, चंबा: एक, औद्योगिक क्षेत्र काला अंब: एक, नालागढ़-II: एक, पांवटा-I: एक व पांवटा-II: एक

अधिनियम की धारा 70 के तहत करदाता को साक्ष्य देने व दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सके।

वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि बरोटीवाला सर्कल के एक डीलर ने रिटर्न जीएसटीआर-9 के अनुसार ₹ 13.31 लाख का आईटीसी प्राप्त किया। हालांकि 3बी के अनुसार रिवर्स चार्ज के अधीन आवक आपूर्ति पर ₹ 12.91 लाख का कर था। इस प्रकार आरसीएम के अंतर्गत ₹ 0.40 लाख का अतिरिक्त आईटीसी प्राप्त किया गया है।

इस ओर इंगित (अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन है।

(vii) आरसीएम के तहत कर का अल्प भुगतान

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय करों का स्वयं आकलन करेगा तथा धारा 39 के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करेगा। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 (1) में प्रावधान है कि समुचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न व संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है ताकि रिटर्न व फॉर्म में पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हो, के सुधारों को सत्यापित किया जा सके तथा निर्धारित तरीके से स्पष्टीकरण मांगा जा सके एवं अधिनियम की धारा 70 के तहत करदाता को साक्ष्य देने व दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सके।

वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि दो सर्कलों⁵⁵ में दो डीलरों ने रिवर्स चार्ज के लिए उत्तरदायी आवक आपूर्ति पर रिटर्न आर9 की आरसीएम तालिका 6सी+6डी+6एफ के तहत ₹ 0.35 करोड़ की आईटीसी का लाभ लिया है। हालांकि आवक आपूर्ति जिस पर कर का भुगतान किया जाना आवश्यक था, पर घोषित आरसीएम देयता ₹ 0.33 करोड़ थी (आर9 की तालिका 4जी)। इस प्रकार आवक आपूर्ति पर ₹ 0.023 करोड़ का अधिक आईटीसी प्राप्त किया गया जिसके परिणामस्वरूप आरसीएम के अंतर्गत कर का अल्प भुगतान हुआ।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन है। (परिशिष्ट 3.24)।

⁵⁵ बरोटीवाला: एक, ढली: एक

3.6.3.4 कर देयता का निर्वहन

वस्तु एवं सेवा कर के मामले में कर योग्य घटना वस्तुओं और/या सेवाओं की आपूर्ति है। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9 मानव उपभोग के लिए मादक शराब की आपूर्ति के अतिरिक्त वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की सभी अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर, उक्त अधिनियम की धारा 15 के अंतर्गत निर्धारित मूल्य पर, केंद्रीय/हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नाम का कर लगाने तथा संग्रहण को अधिकृत करती है तथा यह कर प्रत्येक अधिनियम अर्थात् केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम व हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम के अंतर्गत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होगा। एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर की धारा 5 के तहत वस्तुओं व सेवाओं की अंतर-राज्यीय आपूर्ति पर एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर लगाने तथा संग्रहण का अधिकार केन्द्र सरकार को दिया गया है जिसकी अधिकतम दर 40 प्रतिशत है।

वस्तु एवं सेवा कर (राज्यों को क्षतिपूर्ति) अधिनियम, 2017 की धारा 8 के तहत ऐसे सभी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की अंतर-राज्यीय और राज्य के भीतर आपूर्ति पर सेस लगाया जाता है जो उक्त अधिनियम की अनुसूची में सूचीबद्ध हैं जैसे तंबाकू उत्पाद, वातित पेय, सिगरेट, वाहन आदि। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 9 (4) व एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 5 (3) व 5 (4) कुछ वस्तुओं या सेवाओं पर रिवर्स चार्ज लेवी का प्रावधान करती हैं जिसमें आपूर्तिकर्ता के बजाय प्राप्तकर्ता कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी हो जाता है।

लेखापरीक्षा ने परीक्षित किए गए 55 मामलों में से 25 मामलों में ₹ 1.53 करोड़ की राशि की अनुपालन कमियां पाईं। ये कमियां मुख्यतः कर योग्य आपूर्तियों के अपवर्जन, छूटों के गलत उपयोग व रिवर्स चार्ज आधार पर कर देयता के गलत निर्वहन के कारण पाई गईं।

क) आपूर्ति का अपवर्जन

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 7 में आपूर्ति को परिभाषित करते हुए कहा गया है कि इसमें वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के सभी प्रकार शामिल हैं जैसे बिक्री, हस्तांतरण, वस्तु विनिमय, विनिमय, लाइसेंस, किराया, पट्टा या निपटान जो किसी व्यक्ति द्वारा व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए प्रतिफल के रूप में किया जाता है या किए जाने पर सहमति होती है। इसमें विचार हेतु सेवाओं का आयात भी शामिल है चाहे वह व्यवसाय के क्रम में हो या न हो। यह एक समावेशी परिभाषा है जिसके मुख्य तत्व हैं (1) आपूर्ति वस्तुओं या सेवाओं की होनी चाहिए, (2) आपूर्ति किसी प्रतिफल के लिए की जानी चाहिए, (3) आपूर्ति व्यवसाय के दौरान या उसे आगे बढ़ाने के लिए की जानी चाहिए, (4) आपूर्ति किसी कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जानी चाहिए, (5) आपूर्ति कर योग्य आपूर्ति होनी चाहिए तथा (6) आपूर्ति कर योग्य क्षेत्र के भीतर की जानी चाहिए। अनुसूची-II कुछ

गतिविधियों या लेन-देनों को वस्तुओं की आपूर्ति या सेवाओं की आपूर्ति के रूप में निर्दिष्ट करती है। हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम 2017 की धारा 8 कम्पोजीशन व मिश्रित आपूर्ति से संबंधित है।

लेखापरीक्षा ने 55 मामलों में से आठ मामलों में अनुपालन संबंधी कमियां पाईं जिनकी राशि ₹ 0.50 करोड़ थी जो करदाताओं द्वारा कर योग्य आपूर्ति को छोड़ देने तथा परिणामस्वरूप देय कर देयता का भुगतान न करने के कारण हुई। इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि दो सर्कलों⁵⁶ के दो मामलों में ब्याज व शास्ति सहित ₹ 2.79 लाख की वसूली की गई है। छह सर्कलों⁵⁷ में ₹ 0.49 करोड़ के कर से जुड़े शेष छह मामलों में संवीक्षा प्रक्रियाधीन है (परिशिष्ट 3.25)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

संजौली सर्कल के अंतर्गत वर्ष 2017-18 के लिए एक डीलर⁵⁸ द्वारा अपलोड किए गए वित्तीय विवरणी की संवीक्षा से उजागर हुआ कि डीलर ने स्ट्रैप बिक्री, अचल संपत्ति (संयंत्र व मशीनरी) की बिक्री ₹ 6.46 करोड़ दिखाई है जिस पर ₹ 0.32 करोड़ का वस्तु एवं सेवा कर भुगतान किया जाना था। हालांकि वस्तु एवं सेवा कर के भुगतान को प्रमाणित करने के लिए कोई सहायक दस्तावेज़ उपलब्ध नहीं कराए गए। इस प्रकार करदाताओं द्वारा अन्य आय पर वस्तु एवं सेवा कर का भुगतान नहीं किया गया था।

ख) आरसीएम के तहत कर भुगतान

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 9(3) व एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम, 2017 की धारा 5(3) के प्रावधानों के अनुसार सरकार परिषद की सिफारिशों पर अधिसूचना द्वारा वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की श्रेणियां निर्दिष्ट कर सकती है जिन पर कर का भुगतान ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों के प्राप्तकर्ता द्वारा रिवर्स चार्ज के आधार पर किया जाएगा तथा इस अधिनियम के सभी प्रावधान ऐसे प्राप्तकर्ता पर लागू होंगे जैसे कि वह ऐसी वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति के संबंध में कर का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी व्यक्ति है। इसके अतिरिक्त अधिसूचना संख्या 4/17, 13/17 व 10/17 दिनांक 28-06-2017 के तहत उन वस्तुओं व सेवाओं को अधिसूचित किया गया जिन पर वस्तुओं व सेवाओं के प्राप्तकर्ताओं द्वारा रिवर्स चार्ज का भुगतान किया जाना है। माल परिवहन एजेंसी, कानूनी व व्यावसायिक सेवाएं उन वस्तुओं एवं सेवाओं की श्रेणी में आती हैं जिन पर रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के तहत प्राप्तकर्ता द्वारा कर का भुगतान किया जाना होता है।

⁵⁶ बंगाना व देहरा।

⁵⁷ बददी-III, बददी-IV, औद्योगिक क्षेत्र काला अंब, मनाली, मंडी-III व संजौली।

⁵⁸ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX3ZV

लेखापरीक्षा ने 55 में से 17 मामलों में अनुपालन संबंधी कमियां पाईं जिनकी राशि ₹ 1.13 करोड़ थी क्योंकि करदाताओं ने आरसीएम के तहत कर का भुगतान गलत तरीके से किया था जिसके परिणामस्वरूप कर वसूली की कम हुई। इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर दिया एक मामले में ₹ 3.28 लाख की वसूली की गई है। ₹ 1.04 करोड़ के कर से संबंधित शेष 16 मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन है (परिशिष्ट 3.26)।

एक उदाहरणात्मक मामला नीचे दिया गया है:

एक करदाता⁵⁹ के वित्तीय विवरणी व वार्षिक रिटर्न जीएसटीआर-9 की संवीक्षा से उजागर हुआ कि औद्योगिक क्षेत्र काला अंब सर्कल के अंतर्गत आरसीएम के तहत कर का कम भुगतान हुआ। जीएसटीआर-9 की तालिका 4जी के अनुसार आरसीएम के अंतर्गत देय कर ₹ 0.295 करोड़ के विरुद्ध केवल ₹ 0.064 करोड़ का कर चुकाया गया जबकि वित्तीय विवरणों के अनुसार आरसीएम से संबंधित आवक आपूर्तियों जैसे गाड़ी व माल ढुलाई तथा व्यावसायिक एवं कानूनी शुल्कों पर ₹ 1.84 करोड़ का कर देय था। इस प्रकार ₹ 0.23 करोड़ का कम कर भुगतान हुआ।

(ग) कर देयताओं के निर्वहन से संबंधित अन्य अभियुक्तियां जहां अतिरिक्त अभिलेख उपलब्ध नहीं कराए गए थे तथा केवल डेटा विश्लेषण के माध्यम से असंगत विवरण देखा गया:

(i) वित्तीय विवरण व वार्षिक टर्नओवर के मध्य मिलान न होना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 80 (3) में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल टर्नओवर दो करोड़ रुपये से अधिक है, उसे निर्दिष्ट अनुसार हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (5) के तहत अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवानी होगी तथा उसे सहायक दस्तावेजों/संलग्नकों के साथ फॉर्म-9सी में विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक लेखाओं व मिलान हुए विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 (1) के अनुसार समुचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न व संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है ताकि रिटर्न की सत्यता को सत्यापित किया जा सके और यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं तो उन्हें निर्धारित तरीके से सूचित किया जा सके तथा इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सके और अधिनियम की धारा 70 के तहत करदाता को साक्ष्य देने व दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सके।

⁵⁹ जीएसटीआईएन 02XXXXXXXXXX1ZP

वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों के रिटर्न्स/वार्षिक विवरणी की संवीक्षा से उजागर हुआ कि छह सर्कलों⁶⁰ के छह डीलरों के संबंध में वार्षिक रिटर्न्स में घोषित कर योग्य टर्नओवर ₹ 336.83 करोड़ था। लेखापरीक्षा ने वार्षिक रिटर्न्स में घोषित टर्नओवर को वित्तीय विवरणियों के साथ सत्यापित किया तथा पाया कि वित्तीय विवरणियों के अनुसार ₹ 369.42 करोड़ (जुलाई 2017 से मार्च 2018) का टर्नओवर दर्ज किया गया था। इस प्रकार इन दोनों अभिलेखों के मध्य ₹ 32.59 करोड़ का मिलान नहीं हुआ था।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि एक मामले में ₹ 2.17 लाख की वसूली की गई है। ₹ 32.55 करोड़ के टर्नओवर में मिलान न होने से संबंधित शेष पांच मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन है (परिशिष्ट 3.27)।

(ii) अप्राप्त कर देयता-गैर अनुवर्ती कार्रवाई

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर नियमावली, 2017 के नियम 80 (3) में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति जिसका एक वित्तीय वर्ष के दौरान कुल टर्नओवर दो करोड़ रुपये से अधिक है, उसे निर्दिष्ट अनुसार हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 35 की उप-धारा (5) के तहत अपने लेखाओं की लेखापरीक्षा करवानी होगी तथा उसे सहायक दस्तावेजों/संलग्नकों के साथ फॉर्म-9सी में विधिवत प्रमाणित लेखापरीक्षा किए गए वार्षिक लेखाओं व मिलान हुए विवरणी की एक प्रति प्रस्तुत करनी होगी।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 (1) के अनुसार समुचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न्स व संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है ताकि रिटर्न्स की सत्यता को सत्यापित किया जा सके और यदि कोई विसंगतियां पाई जाती हैं तो उन्हें निर्धारित तरीके से सूचित किया जा सके तथा इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सके और अधिनियम की धारा 70 के तहत करदाता को साक्ष्य देने व दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सके।

वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों के रिटर्न्स की संवीक्षा से उजागर हुआ कि नौ सर्कलों⁶¹ के 12 डीलरों ने तालिका 5आर, 7जी तथा 9आर में रिटर्न्स 9सी (ऋणात्मक प्रविष्टि) में ₹ 48.69 करोड़⁶² की मिलान न हुई राशि दर्शाई है। इसके अतिरिक्त इन 12 डीलरों में से

⁶⁰ बददी-III: एक, बददी-IV: एक, देहरा सर्कल: एक, औद्योगिक क्षेत्र काला अंब: एक, मंडी-III: एक व नाहन सर्कल-I: एक।

⁶¹ बददी-IV: दो, बंगाना: एक, बरोटीवाला: एक, बड़सर सर्कल: एक, भोरंज और सुजानपुर सर्कल: एक, औद्योगिक क्षेत्र काला अंब: दो, नालागढ़ सर्कल-I: एक, नालागढ़-III: एक, नेरचौक: दो।

⁶² जीएसटीआर-9सी तालिका 5आर- ₹ 24.04 करोड़, 7जी- ₹ 23.84 करोड़ और 9आर- ₹ 0.81 करोड़। तालिका 5आर और 7जी मिलान न हुए टर्नओवर मूल्य को दर्शाती हैं तथा तालिका 9आर मिलान न हुए कर भुगतान को दर्शाती हैं।

पांच के मामले में रिटर्न 9सी की तालिका 5क्यू में टर्नओवर रिटर्न आर9 की तालिका 5एन (4एन+5एम-4जी) में घोषित टर्नओवर से अधिक है। इसमें कर के अवनिर्धारण या भुगतान न करने, छूट/शून्य दर या निर्यात आदि की आइ में मंजूरी मिलने के जोखिम से युक्त है।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि एक मामले में ₹ 2.48 लाख⁶³ की वसूली की गई है। शेष 11 मामलों जिनमें 5आर, 7जी तथा 9आर में ऋणात्मक प्रविष्टि के कारण ₹ 48.56⁶⁴ करोड़ का अंतर है तथा जीएसटीआर-9 व जीएसटीआर-9सी में टर्नओवर अंतर के कारण पांच मामलों में ₹ 2.15 करोड़ का अंतर है, की संवीक्षा प्रक्रियाधीन थी (परिशिष्ट 3.28)।

(iii) कर योग्य मूल्यों व कर देयता के मध्य असंगतता (जीएसटीआर-1 व आर9 में घोषित)

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 59 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के तहत देय करों का स्वयं आकलन करेगा तथा धारा 39 के तहत निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 (1) के तहत समुचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न व संबंधित विवरणों की संवीक्षा कर सकता है ताकि रिटर्न व फॉर्म में पाई गई विसंगतियों के सुधारों को सत्यापित किया जा सके, यदि कोई हो तो निर्धारित तरीके से इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सकता है तथा अधिनियम की धारा 70 के तहत करदाता को साक्ष्य देने व दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सकता है।

वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों के रिटर्न की संवीक्षा से उजागर हुआ कि सात सर्कलों⁶⁵ के सात मामलों में डीलरों ने संशोधन/समायोजन पर विचार करने के पश्चात् रिटर्न जीएसटीआर 1 में ₹ 256.88 करोड़ की कर देयता घोषित की है जबकि रिटर्न आर9 के अनुसार देय कर/कर देयता ₹ 256.39 करोड़ है। ये जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-9 रिटर्न के मध्य ₹ 0.49 करोड़ की कर देयता की विसंगतियां दर्शाता है। विभाग ने करदाताओं के रिटर्न में विसंगतियों पर कोई कार्रवाई नहीं की।

⁶³ बंगाना सर्कल।

⁶⁴ जीएसटीआर-9सी तालिका 5आर- ₹ 23.91 करोड़, 7जी- ₹ 23.84 करोड़ और 9आर- ₹ 0.81 करोड़। तालिका 5आर और 7जी असमाधानित टर्नओवर मूल्य को दर्शाती हैं और तालिका 9आर मिलान न हुए कर भुगतान को दर्शाती हैं।

⁶⁵ बद्दी-II: एक, बद्दी-IV: एक, बंगाना सर्कल: एक, ढली सर्कल: एक, कुल्लू सर्कल: एक, नेरचौक: एक, पांवटा सर्कल-II: एक।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन है। (परिशिष्ट 3.29)।

(iv) कर देयता का गलत निर्वहन (जीएसटीआर-9 तालिका 9 और जीएसटीआर-9 तालिका 4)

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 39 में प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति को प्रत्येक कैलेंडर माह या उसके भाग के लिए वस्तुओं या सेवाओं या दोनों की आवक और जावक आपूर्ति, प्राप्त इनपुट टैक्स क्रेडिट, देय कर, भुगतान किए गए कर और ऐसे अन्य विवरणों का इलेक्ट्रॉनिक रूप से रिटर्न ऐसे प्रारूप और तरीके से और ऐसे समय के भीतर प्रस्तुत करना होगा, जैसा कि निर्धारित किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त उक्त अधिनियम की धारा 59 में यह प्रावधान है कि प्रत्येक पंजीकृत व्यक्ति इस अधिनियम के अंतर्गत देय करों का स्व-आंकलन करेगा तथा धारा 39 के अंतर्गत निर्दिष्ट प्रत्येक कर अवधि के लिए रिटर्न प्रस्तुत करेगा।

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 (1) के अनुसार समुचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न और संबंधित विवरणियों की संवीक्षा कर सकता है ताकि रिटर्न व फॉर्म में पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हो, के सुधारों को निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जा सके और इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सके तथा अधिनियम की धारा 70 के तहत करदाता को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सके।

जीएसटीआर-9 की तालिका 9 जीएसटीआर-3बी में दर्शाए गए सटीक देय कर को दर्शाती है तथा इसे संपादित नहीं किया जा सकता है तथा जीएसटीआर-9 की कर देय तालिका 4 को करदाताओं द्वारा संशोधित करने की अनुमति है। वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों के रिटर्न की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 20 सर्कलों⁶⁶ के 25 डीलरों की कर देयता आर1⁶⁷ व आर9⁶⁸ के अधिकतम के अनुसार ₹ 336.33 करोड़ थी जबकि जीएसटीआर-9 (सारणी 9+14-4G) में कर भुगतान अर्थात् वित्तीय वर्षों के दौरान फाइल रिटर्न में घोषित कर (सारणी 9) + घोषणा के कारण भुगतान किया गया अंतर कर (सारणी 14) - आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर का भुगतान किया जाना है (सारणी 4G) - ₹ 331.38 करोड़ था। इस प्रकार ₹ 4.95 करोड़ रुपये की कर देयता का निर्वहन नहीं किया गया है।

⁶⁶ बददी-II: एक, बददी-IV: एक, बड़सर सर्कल: एक, भोरंज और सुजानपुर सर्कल: दो, भोरंज और सुजानपुर सर्कल (गगरेट): एक, कार्ट रोड सर्कल: एक, चंबा सर्कल: एक, चौपाल सर्कल: एक, औद्योगिक क्षेत्र काला अम्ब: दो, कुल्लू/बंजार: एक, माल रोड: एक, मनाली सर्कल: एक, मंडी-III एईटीसी मंडी: तीन, मैहतपुर सर्कल: एक, नाहन सर्कल-I: एक, नालागढ़-III: एक, नेरचौक: एक, पांवटा सर्कल-I: एक, पांवटा सर्कल-II: एक, संजौली: दो।

⁶⁷ तालिका 4 (-4बी) + 5 + 6 + 7 + 9 का डेल्टा + 9 के डेबिट नोट - 9 के क्रेडिट नोट + तालिका 11ए + तालिका 11बी

⁶⁸ तालिका 4एन-4जी+10-तालिका 11

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि एक मामले में ₹ 1.89 लाख⁶⁹ की आंशिक वसूली की गई है। मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन थी। (परिशिष्ट 3.30)।

(v) रिटर्न 9सी में की गई गैर-अनुवर्ती विसंगतियां

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 61 (1) में प्रावधान है कि समुचित अधिकारी पंजीकृत व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत रिटर्न व संबंधित विवरणियों की संवीक्षा कर सकता है ताकि रिटर्न व फॉर्म में पाई गई विसंगतियों, यदि कोई हो, के सुधारों को निर्धारित तरीके से सत्यापित किया जा सके व इसके लिए स्पष्टीकरण मांगा जा सके तथा अधिनियम की धारा 70 के तहत करदाता को साक्ष्य देने और दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए बुलाया जा सके।

वर्ष 2017-18 के लिए 34 सर्कलों के 55 डीलरों के रिटर्न 9सी की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 11 सर्कलों⁷⁰ के 13 डीलरों ने रिटर्न 9सी में ₹ 32.51 करोड़ (जीएसटीआर-9सी तालिका 12एफ) व ₹ 40.47 करोड़ (जीएसटीआर-9सी तालिका 14टी) की विसंगतियां दिखाई हैं जिसकी उक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार संवीक्षा की जानी आवश्यक थी (परिशिष्ट 3.31)। लेखापरीक्षा में पाया गया कि इन विसंगतियों की समुचित अधिकारियों द्वारा संवीक्षा नहीं की गई थी।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि मामलों की संवीक्षा प्रक्रियाधीन है (सितम्बर 2023)।

(vi) छूट का गलत लाभ लेना

हिमाचल प्रदेश वस्तु एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 11 में निर्दिष्ट है कि सार्वजनिक हित में तथा परिषद की सिफारिशों पर सरकार किसी भी निर्दिष्ट प्रकार की वस्तु या सेवा या दोनों को अधिसूचना में निर्दिष्ट तिथि से, पूर्णतः या उसमें निर्दिष्ट शर्तों के अधीन, उन पर लगाए जाने वाले कर के किसी भाग या सम्पूर्ण कर से छूट दे सकती है। इस धारा का स्पष्टीकरण यह स्पष्ट करता है कि जहां किसी वस्तु या सेवा या दोनों के संबंध में उस पर लगाए जाने वाले कर के पूर्ण या आंशिक से छूट प्रदान की गई है, वहां ऐसे वस्तु या सेवा या दोनों की आपूर्ति करने वाला पंजीकृत व्यक्ति कर का संग्रहण नहीं करेगा। अधिसूचनाओं⁷¹ द्वारा लगभग 149 वस्तुओं व लगभग 81 सेवाओं को केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर/ एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर के कर से छूट दी गई।

⁶⁹ मेहतपुर सर्कल।

⁷⁰ बददी-II: एक, बददी-III: एक, बददी-IV: दो, बरोटीवाला: दो, चंबा: एक, औद्योगिक क्षेत्र काला अंब: एक, कांगड़ा: एक, मनाली: एक, नालागढ़-III: एक, पांवटा-II: एक और संजौली: एक।

⁷¹ अधिसूचना संख्या 2/2017 - वस्तुओं के लिए केंद्रीय कर (दर) और 2/2017 - एकीकृत कर (दर) और सेवाओं के लिए 12/2017 - केंद्रीय कर और 12/2017 - एकीकृत कर (दर)।

वर्ष 2017-18 के लिए 55 डीलरों के अभिलेखों (रिटर्न) की संवीक्षा से उजागर हुआ कि आठ सर्कलों के नौ डीलरों ने जीएसटीआर-1 के अनुसार ₹ 165.27 करोड़ (परिशिष्ट 3.32) की छूट प्राप्त/शून्य/ गैर वस्तु एवं सेवा कर आपूर्ति का दावा किया है। अभिलेखों (प्रोफाइल) की संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन डीलरों के प्रोफाइल में उल्लिखित एचएसएन/एसएसी⁷² कोड किसी भी छूट अधिसूचना में शामिल नहीं हैं। इस प्रकार डीलरों ने ऐसी छूट का दावा किया है जो अधिनियम/अधिसूचनाओं के अनुसार अस्वीकार्य है। इससे कर योग्य आपूर्ति को शून्य/छूट प्राप्त बताने का जोखिम बढ़ जाता है।

इस ओर इंगित (जुलाई-अक्टूबर 2022) किए जाने पर विभाग ने उत्तर (मई 2023) दिया कि कानून में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है जो करदाता को किसी भी ऐसी वस्तु या सेवा पर छूट का दावा करने से रोकता हो जिसका खुलासा पंजीकरण के लिए आवेदन करते समय करदाता द्वारा कारोबार की जाने वाली पांच वस्तुओं/सेवाओं की सूची में नहीं किया गया हो। विभाग ने अंतिम बैठक में आगे बताया कि डीलर पंजीकरण प्रमाणपत्र में उल्लिखित वस्तुओं के अतिरिक्त शून्य/छूट प्राप्त वस्तुओं का दावा नहीं कर सकता। उत्तर स्वीकार्य नहीं है क्योंकि डीलर अनुसूचियों में निर्दिष्ट वस्तुओं के लिए छूट का दावा कर सकता है परंतु विभाग को प्रत्येक मामले में दावा की गई छूट की सत्यता की पुष्टि करनी आवश्यक थी।

अनुशांसा 9: विभाग इस रिपोर्ट के परिच्छेद 3.6.1 से परिच्छेद 3.6.3 में उल्लिखित सभी अनुपालन विचलनों के लिए सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ कर सकता है।

3.7 निष्कर्ष

रिटर्न फाइल करने की बदलती प्रवृत्ति एवं लगातार डेटा असंगतियों के संदर्भ में जीएसटी भुगतान एवं रिटर्न फाइल करने पर विभागीय निगरानी पर विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा संचालित की गई, जिसका उद्देश्य रिटर्न फाइल करने व कर भुगतान की निगरानी, अनुपालन की सीमा तथा अन्य विभागीय निगरानी कार्यों में प्रणाली की पर्याप्तता का आकलन करना था।

यह विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा मुख्य रूप से डेटा विश्लेषण पर आधारित थी, जिसमें जुलाई 2017 से मार्च 2018 तक फाइल किए गए वस्तु व सेवा कर रिटर्न में जोखिम वाले क्षेत्रों, चेतावनी संकेतों एवं कुछ मामलों में नियम आधारित विचलनों एवं तर्क संबंधी असंगतियों को रेखांकित किया गया। विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा में राज्य के क्षेत्राधिकार गठन की निगरानी कार्यों का आकलन दो स्तरों पर किया गया - वैश्विक डेटा प्रश्नों के माध्यम से डेटा स्तर पर एवं सर्कलों व जीएसटी रिटर्न की गहन विस्तृत लेखापरीक्षा के साथ कार्यात्मक

⁷² नामकरण/सेवा लेखांकन कोड की सामंजस्यपूर्ण प्रणाली: सेवाओं एवं जीएसटी दरों की पहचान करने के लिए नामकरण प्रणाली ।

स्तर पर। लेखापरीक्षा नमूने में वर्ष 2017-18 के लिए जीएसटी रिटर्न की सीमित लेखापरीक्षा हेतु 336 करदाताओं एवं विस्तृत लेखापरीक्षा हेतु 55 करदाताओं का चयन किया गया।

विभाग ने रिटर्न की संवीक्षा के लिए कोई मानक संचालन प्रक्रिया जारी नहीं की। विभाग केवल ईआईयू द्वारा चिह्नित जीएसटी रिटर्न संबंधी विसंगतियों पर ही कार्रवाई कर रहा था। जुलाई 2017 से मार्च 2021 तक की अवधि हेतु 10 सर्कलों की समीक्षा से पता चला कि रिटर्न फाइल की निगरानी, करदाता अनुपालन जैसे सर्कलों के अनिवार्य निरीक्षण कार्यों का दस्तावेजीकरण खराब था और आकलन करने के योग्य नहीं था। इस प्रकार सर्कलों के कार्यों को न तो पूर्ण रूप से डिजिटलीकरण किया गया था और न ही किसी सुव्यवस्थित तरीके से संपन्न होते थे।

विभाग ने लेखापरीक्षा द्वारा चिह्नित उच्च मूल्य डेटा विसंगतियों के 336 मामलों में से 315 पर प्रतिक्रिया दी। इनमें से 64.12 प्रतिशत के 202 मामले अनुपालन संबंधी कमियों के कारण पाए गए, जिनमें (टर्नओवर सहित) ₹ 484.14 करोड़ की राशि असंगत थी। ब्याज का अल्प भुगतान/भुगतान न करना, असंगत आईटीसी, अधिक आरसीएम आईटीसी प्राप्त करना तथा गलत टर्नओवर घोषणाओं में अपेक्षाकृत अधिक कमियां देखी गईं। 12 प्रतिशत मामलों में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों के कारण विसंगतियां उत्पन्न हुईं, जबकि पांच प्रतिशत मामलों में विभाग ने पहले ही सक्रिय कार्रवाई कर दी थी। विभाग ने ₹ 211.14 करोड़ का जोखिम चिह्नित की गई विसंगतियों के 21 मामलों पर प्रतिक्रिया नहीं दी।

जीएसटी रिटर्न की विस्तृत लेखापरीक्षा से भी उल्लेखनीय गैर-अनुपालन का पता चला। आरम्भ में, 55 करदाताओं के नमूने में से 23 मामलों में वित्तीय विवरणी व चालान जैसे आवश्यक रिकॉर्ड प्रस्तुत नहीं किए गए तथा अन्य 32 मामलों में आंशिक रिकॉर्ड प्रस्तुत किए गए, जिससे बड़ी कार्य-क्षेत्र बाधा उत्पन्न हुई। अभिलेख प्रस्तुत न करने/आंशिक प्रस्तुतीकरण के कारण पूर्णतः अथवा आंशिक रूप से लेखापरीक्षित किए गए 55 मामलों में से लेखापरीक्षा में 15 अनुपालन कमियां पाई गईं, जिनसे ₹106.56 करोड़ का राजस्व अंतर्निहित था। इसके मुख्य कारण अपात्र व अनियमित आईटीसी का लाभ उठाना, आपूर्ति को कराधान से बाहर रखना तथा आरसीएम के तहत कर का गलत निर्वहन करना थे।

प्रणालीगत परिप्रेक्ष्य से विभाग को करदाताओं के अनुपालन, कर भुगतान, ईआईयू रिपोर्टों की अनुवर्ती कार्यवाही, पंजीकरण रद्द करने एवं बकायादारों से बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करने के लिए सर्कलों में निगरानी तंत्र सुदृढ़ करने की आवश्यकता है। विभाग करदाता अनुपालन में सुधार लाने एवं रिटर्न की जांच को सुगम बनाने के लिए जीएसटी रिटर्न में अतिरिक्त सत्यापन नियंत्रण लागू करने पर भी विचार कर सकता है।

3.8 अनुशासण

- विभाग रिटर्न विलम्ब से फाइल करने वालों/फाइल न करने वालों के विरुद्ध त्वरित कार्रवाई करे।
- विभाग उसके निर्धारित मानदंडों के अनुसार रिटर्न की जांच प्रारंभ कर उसे शीघ्रता से पूर्ण करे।
- विभाग को लेखापरीक्षा करने हेतु शीघ्र कदम उठाने की आवश्यकता है, ताकि बकायादारों के विरुद्ध समय पर कार्रवाई कर वसूली की जा सके, जिससे राजस्व हानि को रोका जा सके, क्योंकि स्व-निर्धारण कर प्रणाली के युग में लेखापरीक्षा करदाताओं द्वारा अनुपालन सुनिश्चित करने के मुख्य उपकरणों में से एक है।
- विभाग डीआरसी-07 जारी किए गए मामलों में वसूली प्रक्रिया प्रारंभ करे।
- विभाग करदाताओं के अनुरोध पर एवं स्वतः रद्दीकरण के लिए आवेदन की तिथि और आरईजी-17 नोटिस जारी करने की तिथि से लंबित रद्दीकरण आवेदनों की निगरानी के लिए सर्किल अधिकारियों की सुविधा हेतु अपेक्षित सत्यापन नियंत्रण तैनात करें तथा यह सुनिश्चित करें कि रद्दीकरण की तिथि आवेदन की तिथि से पहले न हो।
- विभाग जीएसटीआर-10 फाइल न करने वालों पर अनुवर्ती कार्रवाई सुदृढ़ करे।
- विभाग लेखापरीक्षा द्वारा इंगित विसंगतियों/विचलनों का त्वरितता से पालन करें तथा सुधारात्मक कार्रवाई आरंभ करे।
- विभाग जीएसटी रिटर्न में डेटा प्रविष्टि त्रुटियों को कम करने, करदाताओं के अनुपालन को बढ़ाने एवं अधिक प्रभावी संवीक्षा सुनिश्चित करने के लिए सत्यापन नियंत्रण लागू करने पर विचार करे।

अध्याय IV
स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

अध्याय IV: स्वतंत्र लेखापरीक्षा टिप्पणियां

राज्य कर एवं आबकारी विभाग

बिक्री एवं व्यापार पर कर/मूल्य वर्धित कर

4.1 कर देयता के अधिक आस्थगन के कारण ₹ 6.29 करोड़ के राजस्व की हानि

कर देयता से इनपुट टैक्स क्रेडिट (आईटीसी) का समायोजन किए बिना कर देयता के आस्थगन की अनुमति देने के परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश आबकारी एवं कराधान विभाग की अधिसूचना संख्या ईएक्सएन-एफ(1)-2/2004 दिनांक 26 जुलाई 2005 के अनुसार कर भुगतान आस्थगित योजना 2005 में परिच्छेद 5ए जोड़ा गया था। इसके माध्यम से नई और मौजूदा औद्योगिक इकाइयां (नकारात्मक सूची में निर्दिष्ट हुई इकाइयों के अतिरिक्त), जो 07 जनवरी 2003 से पहले वाणिज्यिक उत्पादन में आ गई हैं तथा जो उद्योग निदेशक या उनके द्वारा अधिकृत अन्य अधिकारियों के अनुमोदनोपरांत 07 जनवरी 2003 के बाद ही पर्याप्त विस्तार करती हैं, वे या तो ऐसी सुविधा का लाभ उठाना जारी रख सकती हैं अथवा फॉर्म एसटी (डीपी)-VII में आवेदन करके रिटर्न के अनुसार वित्तीय वर्ष की किसी भी कर अवधि के लिए कर देयता का 65 प्रतिशत¹ भुगतान करने का विकल्प चुन सकती हैं। ऐसा भुगतान करने पर यह माना जाएगा कि उसने ऐसे रिटर्न के अनुसार देय कर का भुगतान कर दिया है। चुना गया विकल्प अंतिम होगा। इससे विक्रेता को कर देयता के 35 प्रतिशत के आस्थगन की सुविधा का लाभ उठाने की अनुमति मिलेगी।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 12(1) में प्रावधान है कि किसी पंजीकृत विक्रेता द्वारा कर अवधि हेतु देय शुद्ध कर, आउटपुट टैक्स व खरीद कर, यदि कोई हो, और इनपुट टैक्स क्रेडिट के बीच का अंतर होगा, जिसे निम्नलिखित सूत्र से निर्धारित किया जा सकता है।

शुद्ध देय कर = आउटपुट टैक्स (ओ) + खरीद कर (पी) - इनपुट टैक्स क्रेडिट (आई)

साथ ही हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली 2005 में दिए गए फॉर्म वैट-एक्सवी के कॉलम 10 में यह भी निर्दिष्ट किया गया है कि कुल कर से इनपुट टैक्स क्रेडिट की कटौती करके देय सकल कर की गणना की जाएगी।

¹ विक्रेता को कर देयता में 35 प्रतिशत की छूट मिलेगी।

वर्ष 2019-20 व 2020-21 के दौरान नमूना-जांचित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त कार्यालयों में 11 में से तीन² की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 21 निर्धारण आदेशों³ में 14 विक्रेताओं ने आस्थगन योजना के तहत वर्ष 2010-11 से 2016-17 तक विभिन्न कर अवधि हेतु कर देयता का 65 प्रतिशत भुगतान किया। निर्धारण प्राधिकारियों ने आईटीसी के समायोजन से पूर्व, अर्थात्, जैसाकि ऊपर उल्लिखित है, शुद्ध देय कर के निर्धारण से पूर्व, कर देयता के 35 प्रतिशत के आस्थगन की अनुमति दे दी। इसके परिणामस्वरूप ₹ 6.29 करोड़ की कर देयता का अतिरिक्त आस्थगन हुआ। उक्त राशि के साथ हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम 2005 की धारा 19(1) के तहत उद्ग्राह्य ₹ 10.65 करोड़ का ब्याज वसूली योग्य था।

यहां यह उल्लेख करना प्रासंगिक है कि आस्थगन योजना के अंतर्गत आने वाले निर्धारण आदेशों को अंतिम रूप देने के इसी प्रकार के मामलों में उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, सिरमौर ने निर्धारण किया तथा निर्धारण आदेशों⁴ (फरवरी 2019) में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया कि आउटपुट टैक्स से आईटीसी के समायोजन के बाद ही कर के 35 प्रतिशत का आस्थगन दिया जाना है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बावजूद उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, सोलन ने निर्धारिती⁵ की कर देयता का पुनर्निर्धारण किया (अक्टूबर 2020), जिसमें ऊपर उल्लिखित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन करते हुए आउटपुट टैक्स से आईटीसी के समायोजन से पहले कर देयता के आस्थगन की अनुमति दी।

इसके अतिरिक्त आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ने भी उसके प्रत्युत्तर (अक्टूबर 2022) में स्पष्ट किया कि विक्रेता की कर देयता ऊपर उल्लिखित हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम की धारा 12 के तहत निर्धारित की जानी है। साथ ही, हिमाचल प्रदेश कर न्यायाधिकरण ने उसकी अपील संख्या 13/2023⁶ के आदेश में भी पुष्टि की कि कर देयता के 35 प्रतिशत के आस्थगन की अनुमति आउटपुट टैक्स से आईटीसी के समायोजन के बाद ही दी जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जनवरी 2023 में सरकार को भेजे गए; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2025)।

² राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त नाहन, सोलन व ऊना।

³ अप्रैल 2019 से मार्च 2021 के दौरान निर्धारण पूर्ण किया गया।

⁴ अंबिका एलॉयज (निर्धारण वर्ष 2009-10), आदेश दिनांक 04.02.2019

⁵ स्टर्डी इंडस्ट्रीज (निर्धारण वर्ष 2010-11 से 2013-14)।

⁶ मेसर्स सुपर पावर स्टील बनाम संयुक्त सीएसटीएंडई।

विभाग के निर्धारण प्राधिकारियों के कामकाज की निगरानी हेतु सरकार के पास एक तंत्र होना चाहिए ताकि अधिनियमों व नियमों के कार्यान्वयन में एकरूपता बनाए रखी जा सके।

4.2 इनपुट टैक्स क्रेडिट अधिक अनुमत करने के कारण ब्याज के रूप में ₹ 1.76 करोड़ के राजस्व की हानि

निर्धारण प्राधिकारियों ने कर अवधि के अंत में अंतिम स्टॉक में बिना बिके स्थानीय खरीद को निर्धारण में उचित रूप से नहीं लिया, जिसके परिणामस्वरूप 114 विक्रेताओं को ₹ 10.05 करोड़ का अधिक आईटीसी अनुमत हुआ, जो एक वर्ष के लिए ₹ 10.05 करोड़ के सरकारी राजस्व के आस्थगन तथा ₹ 1.76 करोड़ के ब्याज की हानि में परिणत हुआ।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 11(3) के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट उस राशि तक अनुमत होगा, जितना इनपुट टैक्स ऐसे खरीददार विक्रेता द्वारा राज्य के पंजीकृत विक्रेता से की गई करयोग्य माल की खरीद पर दिया गया है या देय है। मई 2007 की अधिसूचना के अनुसार इनपुट टैक्स क्रेडिट की राशि किसी विक्रेता को कर अवधि के दौरान उसके द्वारा बेचे गए माल की खरीद मूल्य पर स्वीकार्य होगी। उक्त अधिनियम की धारा 19 में आगे यह प्रावधान है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक माह के लिए एक प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा और उसके बाद जब तक बकाया जारी रहे उसे प्रत्येक माह के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।

इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित नियमावली, 2005 के नियम 23 में प्रावधान है कि जहां पंजीकृत विक्रेता ने खरीदे गए माल का उपयोग आंशिक रूप से कर-योग्य बिक्री के लिए किया है एवं उक्त नियमावली के नियम 20 के अनुसार लेखा अनुरक्षित करने में असमर्थ है और उसके द्वारा की गई बिक्री में कर-मुक्त माल व कर-योग्य माल की बिक्री एवं/या शाखा या खेप हस्तांतरण शामिल है, तो यह माना जाएगा कि कर अवधि के दौरान खरीदे गए माल का उपयोग कर अवधि के क्रमशः कर मुक्त माल, करयोग्य माल व शाखा या खेप हस्तांतरण की बिक्री के टर्नओवर के अनुपात में किया गया है तथा इनपुट टैक्स क्रेडिट की गणना और दावा भी उसी अनुपात में किया जाएगा।

वर्ष 2020-21 व 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित राज्य कर एवं आबकारी के आठ⁷ उपायुक्त कार्यालयों (11 में से) की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि निर्धारण प्राधिकारियों ने वर्ष

⁷ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी बद्दी: (27 मामले, ₹ 99.15 लाख), कांगड़ा: (13 मामले, ₹ 1.87 लाख), मंडी: (28 मामले, ₹ 10.68 लाख), नूरपुर: (चार मामले, ₹ 6.66 लाख), शिमला: (32 मामले, ₹ 8.16 लाख), सिरमौर: (13 मामले, ₹ 5.63 लाख), सोलन: (46 मामले, ₹ 43.42 लाख), ऊना: (तीन मामले, ₹ 0.43 लाख)।

2009-10 से 2017-18 की कर अवधियों हेतु 114 विक्रेताओं के 166 निर्धारण मामलों⁸ में वार्षिक रिटर्न का निर्धारण करते समय स्थानीय खरीद पर अधिक आईटीसी अनुमत किया। हालांकि कुल खरीद में स्थानीय खरीद के अनुपात के आधार पर ₹ 806.70 करोड़ के अंतिम स्टॉक पर ₹ 16.33 करोड़ का आईटीसी रोका जाना अपेक्षित था, जबकि निर्धारण प्राधिकारी ने केवल ₹ 6.28 करोड़ आईटीसी ही रोका। इस प्रकार, उक्त अधिनियम के प्रावधानों को लागू न करने के परिणामस्वरूप न केवल ₹ 10.05 करोड़ की अतिरिक्त आईटीसी अनुमत की गई, अपितु सरकारी राजस्व का एक वर्ष का आस्थगन हुआ तथा राज्य सरकार को ₹ 1.76 करोड़ के ब्याज की हानि भी हुई।

इंगित किए जाने पर, उपायुक्तों, राज्य कर एवं आबकारी ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी एवं नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

फरवरी 2023 में लेखापरीक्षा निष्कर्षों को राज्य सरकार को भेजा गया। प्रत्युत्तर में राज्य सरकार ने सात उपायुक्तों, राज्य कर एवं आबकारी⁹ के संबंध में कुल ₹ 7.60 लाख की वसूली की जानकारी दी (मई 2023)।

4.3 सकल टर्नओवर से कार्य अनुबंध कर की अस्वीकार्य कटौती के कारण ₹ 10.88 लाख के राजस्व की कम वसूली

सकल टर्नओवर से कार्य अनुबंध कर की अस्वीकार्य कटौती अनुमत करने के परिणामस्वरूप सरकार को ₹ 10.88 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम, 2005 की धारा 2(v)(जेडडी) के अनुसार, "टर्नओवर" का तात्पर्य किसी विक्रेता द्वारा की गई बिक्री, खरीद एवं बिक्री व खरीद के भागों की सकल राशि से है तथा इसमें माल के परिदान के समय या उससे पहले विक्रेता द्वारा माल के संबंध में भाड़ा, भंडारण, विलंब शुल्क, बीमा और किए गए किसी भी कार्य के लिए ली गई राशि शामिल होती है। इसके अतिरिक्त धारा 19 में प्रावधान है कि यदि कोई विक्रेता निर्धारित तिथि तक देय कर का भुगतान करने में विफल रहता है, तो वह एक माह की अवधि के लिए देय कर पर एक प्रतिशत की दर से ब्याज देने के लिए उत्तरदायी होगा, एवं तदोपरांत जब तक बकाया जारी रहे उसे प्रत्येक माह के लिए डेढ़ प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।

हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर नियमावली, 2005 के नियम 17(4) में प्रावधान है कि कार्यों के निष्पादन में सम्मिलित माल का मूल्य सम्पूर्ण कार्य अनुबंध के मूल्य को ध्यान में रखते हुए तथा उसमें से मजदूरी एवं सेवाओं के लिए किए गए भुगतान, सह-ठेकेदार को भुगतान की

⁸ अप्रैल 2019 से मार्च 2021 तक निर्धारण पूर्ण किया गया।

⁹ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी कांगड़ा: ₹ 0.57 लाख, मंडी: ₹ 4.47 लाख, नूरपुर: ₹ 0.07 लाख, शिमला: ₹ 0.08 लाख, सिरमौर: ₹ 1.39 लाख, सोलन: ₹ 0.85 लाख, ऊना: ₹ 0.17 लाख।

गई राशि, मशीनरी व उपकरण किराये पर लेने के शुल्क, लागत और उपभोग्य वस्तुएं, योजना, डिजाइन एवं आर्किटेक्ट शुल्क, मजदूरी और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित स्थापना लागत, मजदूरी और सेवाओं की आपूर्ति पर अन्य समान व्यय और ठेकेदार द्वारा अर्जित लाभ, जो मजदूरी और सेवाओं की आपूर्ति से संबंधित है, को घटाकर निर्धारित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के नियम 38(6) में प्रावधान है कि निर्माण-कार्य ठेकेदार संबंधित अवधि के लिए उस पर देय कुल कर राशि में से पहले से ही काटे गए निर्माण अनुबंध कर को घटाने का पात्र है।

वर्ष 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्त चार¹⁰ कार्यालयों (11 में से) के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि आठ विक्रेताओं से संबंधित 29 मामलों में निर्धारण प्राधिकारियों ने उपरोक्त प्रावधान के विपरीत सकल टर्नओवर से निर्माण अनुबंध कर घटाकर कर योग्य टर्नओवर का निर्धारण किया, जबकि ठेकेदार से देय कुल कर की सकल राशि से भी निर्माण अनुबंध कर काट लिया गया था, जिसके परिणामस्वरूप कर योग्य टर्नओवर का कम निर्धारण हुआ।

यद्यपि कुल देय कर की सकल राशि से निर्माण अनुबंध कर की कटौती उक्त नियमावली के नियम 38(6) के अंतर्गत आती है, परन्तु कार्य अनुबंध के सकल टर्नओवर से निर्माण अनुबंध कर की कटौती उक्त नियमावली के नियम 17(4) के प्रावधानों के अंतर्गत नहीं आती है। अतः सकल टर्नओवर से निर्माण अनुबंध कर की अनियमित कटौती ₹ 10.88 लाख¹¹ के कर के अव निर्धारण के रूप में परिणत हुआ। उक्त नियमों के अंतर्गत यह राशि ₹ 12.55 लाख ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

इंगित किए जाने पर उपायुक्तों, राज्य कर एवं आबकारी ने बताया (मार्च 2023) कि आठ विक्रेताओं का पुनर्निर्धारण किया गया तथा दो विक्रेताओं से ₹ 30.62 लाख¹² की राशि की वसूली की गई। शेष मामलों में यह कहा गया कि निर्माण अनुबंध कर की कटौती सही तरीके से की गई थी। यह तर्क स्वीकार्य नहीं है क्योंकि निर्माण अनुबंध कर की कटौती सकल टर्नओवर से नहीं की जानी चाहिए।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जनवरी 2023 में सरकार को भेजे गए; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2025)।

¹⁰ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी शिमला, बददी, नूरपुर व ऊना।

¹¹ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी शिमला: सात मामले ₹ 0.36 लाख, बददी: दो मामले ₹ 2.39 लाख, नूरपुर: सात मामले ₹ 5.29 लाख व ऊना: 13 मामले ₹ 2.84 लाख।

¹² उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी बददी: एक मामला ₹ 30.54 लाख; नूरपुर: एक मामला ₹ 0.08 लाख।

सरकार राज्य के राजस्व की सुरक्षा के लिए हिमाचल प्रदेश मूल्य वर्धित कर अधिनियम एवं उसके तहत बनाए गए नियमों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने पर विचार कर सकती है।

राज्य आबकारी

4.4 शराब की संदिग्ध चोरी

थोक विक्रेता द्वारा बेची गई मात्रा एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाई गई मात्रा के मध्य अंतर होने के परिणामस्वरूप 1.26 लाख प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब, 1.38 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब एवं 1.16 लाख बल्क लीटर बीयर की संदिग्ध चोरी हुई, जिसमें कुल ₹ 9.71 करोड़ का लाइसेंस शुल्क अंतर्निहित था।

हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा 2020-21 के परिच्छेद 7.11 में प्रावधान है कि राज्य के खुदरा लाइसेंसधारी को देशी शराब एवं उच्च शक्ति देशी शराब की आपूर्ति केवल एल-13 थोक लाइसेंस के माध्यम से ही की जाएगी, साथ ही परिच्छेद 7.12 (ix) में प्रावधान है कि एल -13 लाइसेंसधारी संबंधित जिले के किसी भी खुदरा बिक्री लाइसेंसधारी को, यदि वह चाहे, तो देशी शराब की आपूर्ति देने के लिए बाध्य होगा। यदि किसी जिले में कोई एल-13 बिक्री केंद्र खुला नहीं है, तो संबंधित अंचल के कलेक्टर द्वारा इस शर्त में छूट दी जा सकती है, ऐसी स्थिति में खुदरा विक्रेता को अंचल के कलेक्टर द्वारा अनुमोदित एल-13 से आपूर्ति प्राप्त करनी होगी।

आबकारी घोषणा 2020-21 के परिच्छेद 8.11 में आगे प्रावधान है कि लाइसेंस एल-2/एल-14/एल-14ए रखने वाले खुदरा विक्रेताओं को भारत में निर्मित विदेशी शराब/बीयर/बायो ब्रांड/पीने के लिए तैयार (रेडी टू ड्रिंक) पेय पदार्थों की आपूर्ति केवल एल-1 थोक विक्रेताओं से ही प्राप्त करनी होगी। परिच्छेद 8.17(xii) के अनुसार फॉर्म एल-1 में लाइसेंसधारी को जिले के भीतर एल-2 या एल-14, या एल-14ए लाइसेंसधारी को शराब की आपूर्ति करनी होगी। हालांकि यदि किसी जिले में कोई एल-1 बिक्री केंद्र नहीं खुला है, तो उसके क्षेत्र के संबंध में कलेक्टर एवं आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, हिमाचल प्रदेश ऐसे जिलों के खुदरा विक्रेताओं को निकटवर्ती जिलों में स्थित अनुमोदित एल-1 लाइसेंसधारियों से आपूर्ति प्राप्त करने की अनुमति दे सकते हैं।

इसके अतिरिक्त लाइसेंसधारी को थोक विक्रेता से शराब जारी करने के लिए आबकारी पास प्राप्त करने से पहले या परमिट जारी करने के समय, जैसा भी मामला हो, आबकारी घोषणा 2020-21 के परिच्छेद 5.4 (ए) के तहत अपेक्षित लाइसेंस शुल्क सरकारी कोषागार में जमा करना होगा।

वर्ष 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित चार¹³ उपायुक्तों, राज्य कर एवं आबकारी (13 में से) के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन चारों उपायुक्तों, राज्य कर एवं आबकारी के अधीन जिले के खुदरा विक्रेताओं ने थोक विक्रेताओं द्वारा की गई 55.57 लाख प्रूफ लीटर की बिक्री के सापेक्ष 54.31 लाख प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब, थोक विक्रेताओं द्वारा की गई 72.54 लाख प्रूफ लीटर की बिक्री के सापेक्ष 71.17 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब और थोक विक्रेताओं द्वारा की गई 45.15 लाख बल्क लीटर की बिक्री के सापेक्ष 44.00 लाख बल्क लीटर बीयर उठाई (परिशिष्ट 4.1)।

इस प्रकार, थोक विक्रेताओं द्वारा की गई बिक्री और बाद में खुदरा विक्रेताओं द्वारा प्राप्ति के प्रति-सत्यापन के अभाव में थोक विक्रेताओं की ओर से 1.26 लाख प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब, 1.38 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब व 1.16 लाख बल्क लीटर बीयर की संदिग्ध चोरी पाई गई, जिसमें आबकारी घोषणा 2020-21 की प्रयोज्य लाइसेंस फीस दरों के अनुसार परिकलित ₹ 9.71 करोड़ की लाइसेंस फीस शामिल है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने पर (सितंबर 2021 से फरवरी 2022) संबंधित जिलों के उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ने प्रत्युत्तर दिया कि थोक विक्रेताओं की बिक्री व खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाए गए आंकड़ों का मिलान किया जाएगा तथा उसका परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा। इसके अतिरिक्त बताया गया (मार्च 2023) कि दो उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी¹⁴ में कुल ₹ 15.38 लाख राशि की वसूली की गई।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिसंबर 2022 में सरकार को भेजे गए; जनवरी 2025 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

विभाग को शराब की चोरी रोकने के लिए थोक विक्रेताओं की बिक्री व खुदरा विक्रेताओं की प्राप्ति का प्रति-सत्यापन करने के लिए तंत्र विकसित करना चाहिए।

4.5 शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटा का आवंटन न होने से राजस्व की हानि

आबकारी प्राधिकरण की आबकारी घोषणा 2020-21 के अनुसार ₹ 5.22 करोड़ के लाइसेंस शुल्क से अंतर्ग्रस्त शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटा का आवंटन न किया जाना।

हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा 2020-21 के परिच्छेद 4.23 के अनुसार जिन इकाइयों का वार्ता के माध्यम से वर्ष 2019-20 के लिए आवंटन आरक्षित मूल्य से कम मूल्य

¹³ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी नूरपुर (कांगड़ा), शिमला, सोलन व ऊना।

¹⁴ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी शिमला: ₹ 7.71 लाख, उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी नूरपुर: ₹ 7.67 लाख।

पर किया गया था, उनका मूल्य निर्धारण वर्ष 2019-20 के लिए निर्धारित न्यूनतम गारंटीकृत कोटा पर पांच प्रतिशत कोटा जोड़कर किया जाएगा।

आयुक्त, राज्य कर एवं आबकारी के पत्र संख्या 7-887/2019-ईएक्सएन-5717-87 दिनांक 09.03.2020 के अनुसार पांच प्रतिशत जोड़ने की शर्त केवल देशी शराब के न्यूनतम गारंटीकृत कोटा के निर्धारण के लिए लागू है तथा भारत में निर्मित विदेशी शराब का न्यूनतम गारंटीकृत कोटा वर्ष 2019-20 के समान ही रहेगा।

वर्ष 2021-22 के दौरान उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी, नाहन स्थित सिरमौर के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि वर्ष 2020-21 हेतु जिले में 86 बिक्री केंद्रों का आवंटन किया जाना था, जिसके लिए 9.23 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब व 5.05 लाख प्रूफ लीटर भारत में निर्मित विदेशी शराब का कोटा निर्धारित किया गया था। इन 86 बिक्री केंद्रों में से 71 बिक्री केंद्र वर्ष 2019-20 के लिए वार्ता के अधीन थे। इन 71 बिक्री केंद्रों में से 32 बिक्री केंद्रों का कोटा आबकारी घोषणा 2020-21 के अनुसार आवंटित किया गया, जबकि 39 बिक्री केंद्रों को आबकारी घोषणा 2020-21 एवं 09.03.2020 के पत्र के अनुसार प्रयोज्य 4.34 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब के प्रति का 3.35 लाख प्रूफ लीटर देशी शराब का न्यूनतम गारंटीकृत कोटा आवंटित किया गया। इसी भांति, भारत में निर्मित विदेशी शराब का न्यूनतम गारंटीकृत कोटा भी 2.40 लाख प्रूफ लीटर के निर्धारित कोटा (2019-20) के सापेक्ष घटाकर 1.84 लाख प्रूफ लीटर कर दिया गया, जो कि आबकारी नीति एवं उपरोक्त अधिसूचना का उल्लंघन है। यह देशी शराब के 0.99 लाख प्रूफ लीटर एवं भारत में निर्मित विदेशी शराब के 0.56 लाख प्रूफ लीटर कोटे के कम निर्धारण के रूप में परिणत हुआ।

इस प्रकार, आबकारी प्राधिकरण द्वारा आबकारी घोषणाओं के अनुसार बिक्री केंद्रों के लिए शराब का न्यूनतम गारंटीकृत कोटा कठोरता से निर्धारित न कर पाने के परिणामस्वरूप राज्य सरकार को ₹ 5.22 करोड़ के राजस्व की हानि हुई, जैसाकि **परिशिष्ट 4.2** में विवर्णित है।

इंगित किए जाने पर विभाग ने बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा तदनुसार कार्रवाई की जाएगी तथा मामले का अंतिम परिणाम लेखापरीक्षा को सूचित किया जाएगा।

विभाग आबकारी नीति के प्रावधानों के अनुसार जवाबदेही तय करें तथा बकाया राशि की वसूली सुनिश्चित करें।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिसंबर 2022 में सरकार को भेजे गए; उनका उत्तर जनवरी 2025 तक प्राप्त नहीं हुआ।

4.6 टूट-फूट की अधिक अनुमति के कारण ₹ 75.97 लाख के राजस्व की हानि

15 थोक विक्रेताओं (एल 1 व एल 13) को निर्धारित सीमा से अधिक टूट-फूट की अनुमति दी गई, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 75.97 लाख के राजस्व की हानि हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार की वर्ष 2019-20 की आबकारी अधिसूचना के परिच्छेद 7.13 (xvi) व परिच्छेद 8.18 (xxii) में प्रावधान है कि एल-13¹⁵ व एल-1¹⁶ थोक विक्रेताओं को भंडारण हानि के लिए 0.25 प्रतिशत टूट-फूट¹⁷ की अनुमति दी जाएगी।

वर्ष 2020-21 के दौरान नमूना-जांचित 13 उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी में से तीन¹⁸ के वर्ष 2019-20 की अवधि के अभिलेखों की संवीक्षा से उजागर हुआ कि 24 थोक विक्रेता थे; जिनमें से 15 थोक विक्रेताओं¹⁹ (परिशिष्ट 4.3) ने कुल 86,43,724.69 प्रूफ लीटर की कुल प्राप्ति पर 45,367.17 प्रूफ लीटर की टूट-फूट का दावा किया। हालांकि इस पर अनुमत टूट-फूट केवल 21,609.31²⁰ प्रूफ लीटर है। इसके परिणामस्वरूप 23,757.86 प्रूफ लीटर टूट-फूट की अधिक अनुमति दी गई। निर्धारित सीमा से अधिक टूट-फूट की अनुमति देने के परिणामस्वरूप सरकार को कुल ₹ 75.97 लाख²¹ के राजस्व की हानि हुई।

इंगित किए जाने पर उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ने बताया (मार्च 2023) कि ₹ 72.65 लाख²² की वसूली की जा चुकी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिसंबर 2022 में सरकार को भेजे गए; उनका उत्तर जनवरी 2025 तक प्राप्त नहीं हुआ।

राज्य सरकार को राजस्व हानि से बचाने के लिए विभाग संबंधित अधिकारियों को टूट-फूट की अनुमति देते समय आबकारी घोषणा के प्रावधानों का कड़ाई से पालन करने सम्बन्धी आवश्यक निर्देश जारी करने पर विचार कर सकता है।

¹⁵ देशी शराब के थोक विक्रेता।

¹⁶ भारत में निर्मित विदेशी शराब के थोक विक्रेता।

¹⁷ थोक विक्रेता द्वारा शराब की वार्षिक खरीद पर टूट-फूट की अनुमति।

¹⁸ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी नूरपुर (कांगड़ा), शिमला व सोलन।

¹⁹ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी नूरपुर में दो विक्रेता, उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी शिमला में 10 विक्रेता व उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी सोलन में तीन विक्रेता।

²⁰ अनुमत टूट-फूट: 86,43,724.69 प्रूफ लीटर x 0.25 प्रतिशत = 21,609.31 प्रूफ लीटर।

²¹ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी नूरपुर ₹ 8.22 लाख, उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी शिमला ₹ 62.58 लाख व उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी सोलन ₹ 5.16 लाख।

²² उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी नूरपुर ₹ 6.80 लाख, उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी शिमला ₹ 60.96 लाख व उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी सोलन ₹ 4.88 लाख।

4.7 शराब के बोतलीकरण पर लाइसेंस शुल्क की अल्प वसूली

तीन डिस्टिलरी/बोतलीकरण संयंत्रों में राज्य कर एवं आबकारी उपायुक्तों ने शराब के बोतलीकरण संयंत्रों पर ₹ 2.85 करोड़ की वसूली योग्य राशि के प्रति ₹ 2.38 करोड़ के लाइसेंस शुल्क की वसूली की, जो ₹ 0.47 करोड़ की अल्प वसूली में परिणत हुई।

वर्ष 2020-21 के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार की आबकारी घोषणा में प्रावधान है कि शराब के बोतलीकरण संयंत्रों हेतु लाइसेंसधारक को लीज/फ्रैंचाइजी आधार पर ब्रांडों के बोतलीकरण पर विदेशी स्पिरिट के 750 मिलीलीटर पर ₹ 8.60, स्वयं के ब्रांडों की बॉटलिंग पर विदेशी स्पिरिट के 750 मिलीलीटर पर ₹ 5.20, निर्यात के लिए स्वयं के ब्रांडों की विदेशी स्पिरिट के 750 मिलीलीटर पर ₹ 0.57 और देशी शराब पर 750 मिलीलीटर पर ₹ 1.73 की दर से लाइसेंस शुल्क का भुगतान करना होगा।

हिमाचल प्रदेश पर प्रयोज्य पंजाब डिस्टिलरी नियमावली, 1932 के नियम 9.5(6)(ए)(ii) में प्रावधान है कि लाइसेंसधारी वित्तीय वर्ष की प्रत्येक तिमाही की समाप्ति के सात दिनों के भीतर 750 मिलीलीटर की इकाइयों के अनुसार प्रभार्य राशि सरकार के कोषागार में जमा कराएगा। इसके अतिरिक्त उक्त नियमावली के नियम 9.5 (8) में यह प्रावधान है कि नियत तिथि तक शुल्क या उसके भाग का भुगतान न करने की दशा में शुल्क के भुगतान में बकाया की तिथि से एक माह या उसके भाग की अवधि के लिए 12 प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज देय होगा और यदि शुल्क के भुगतान में बकाया एक माह से अधिक हो जाता है तो भुगतान में बकाया की प्रारंभिक तिथि से 18 प्रतिशत वार्षिक दर से ब्याज तब तक देय होगा जब तक कि बकाया जारी रहता है।

वर्ष 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित दो²³ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी (13 में से) के अधीन तीन डिस्टिलरी के वर्ष 2020-21 के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि इन इकाइयों ने 65.61 लाख प्रूफ लीटर (1.56 करोड़ बोतल) शराब [देशी शराब व भारत में निर्मित विदेशी स्पिरिट] का उत्पादन किया, जिस पर निर्धारित दरों²⁴ पर ₹ 2.85 करोड़ का बोतलीकरण लाइसेंस शुल्क देय था, जिसके प्रति इकाइयों ने मात्र ₹ 2.38 करोड़ का भुगतान किया (परिशिष्ट 4.4)।

अभिलेखों में ऐसा कुछ नहीं था जिससे यह संकेत मिलता हो कि संबंधित इकाइयों के प्रमुखों ने शेष बोतलीकरण लाइसेंस शुल्क की वसूली के लिए कोई कार्रवाई शुरू की थी। यह

²³ उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ऊना व नूरपुर।

²⁴ देशी शराब: ₹ 0.57 भारत में निर्मित विदेशी शराब निर्यात, ₹ 1.73 देशी शराब, भारत में निर्मित विदेशी शराब: ₹ 5.20 व ₹ 8.60 भारत में निर्मित विदेशी शराब लीज प्रति बोतल।

₹ 0.47 करोड़²⁵ के बोटलीकरण लाइसेंस शुल्क की अल्प वसूली में परिणत हुआ। यह शेष राशि उपरोक्त नियमों के तहत देय ब्याज सहित वसूली योग्य थी।

इंगित किए जाने पर (नवंबर-दिसंबर 2021) उपायुक्त, राज्य कर एवं आबकारी ने तथ्यों व आंकड़ों की पुष्टि करते हुए बताया कि मामले की जांच की जाएगी तथा अधिनियमों और नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष दिसंबर 2022 में सरकार को भेजे गए; जनवरी 2025 तक उनका उत्तर प्रतीक्षित था।

राजस्व विभाग

4.8 संपत्तियों के बाजार मूल्य का अल्प निर्धारण

सड़क से भूमि की दूरी के संबंध में गलत सर्कल दरों एवं झूठे शपथ-पत्रों के आधार पर संपत्तियों का अनुचित मूल्यांकन हुआ जिसके परिणामस्वरूप ₹ 5.37 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क की अल्प वसूली हुई।

भारतीय स्टाम्प अधिनियम, 1899 के अनुच्छेद 23, 2013 में संशोधित, के अनुसार स्टाम्प ड्यूटी अन्य व्यक्तियों के लिए छह प्रतिशत और महिलाओं के लिए चार प्रतिशत की दर से, संपत्ति के बाजार मूल्य या सौदे की राशि, इनमें से जो भी अधिक हो, पर उद्ग्राह्य होगी। इसी भांति, राजस्व विभाग की जनवरी 2012 की अधिसूचना के अनुसार संपत्ति के पंजीकरण के लिए पंजीकरण शुल्क बाजार मूल्य या सौदे की राशि, जो भी अधिक हो, पर दो प्रतिशत की दर से उद्ग्राह्य होगा। राजस्व विभाग ने जनवरी 2016 में एक अधिसूचना जारी की, जिसमें ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों की भूमि को स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क की गणना के लिए उसकी अवस्थिति/किसी सड़क से दूरी के अनुसार पांच श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, यथा भूमि की अवस्थिति (i) 25 मीटर तक; (ii) 25 मीटर से 50 मीटर तक; (iii) 50 मीटर से 100 मीटर तक; (iv) 100 मीटर से 1000 मीटर तक; तथा (v) राजस्व संपदा में किसी भी सड़क से 1000 मीटर से अधिक दूर हो। सड़कों को राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग एवं अन्य सड़क की श्रेणियों में विभाजित किया गया। क्रेता को स्टाम्प ड्यूटी की गणना के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग, राज्य राजमार्ग या अन्य सड़क से संबंधित भूमि या जोत की दूरी बताते हुए शपथ-पत्र फाइल करना अपेक्षित है। यदि क्रेता का शपथ-पत्र झूठा पाया जाता है, तो प्रयोज्य स्टाम्प ड्यूटी/पंजीकरण शुल्क के 50 प्रतिशत तक शास्ति लगाई जानी एवं वसूल की जानी है।

²⁵ ऊना: ₹ 0.24 करोड़ व नूरपुर: ₹ 0.23 करोड़।

I. गलत सर्कल दरें लागू करने के कारण स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क का अल्प उदग्रहण वर्ष 2021-22 के दौरान 27 उप-पंजीयकों²⁶ के वर्ष 2017 से 2021 की अवधि के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 151 विलेख ₹ 38.60 करोड़ के सौदे की राशि पर पंजीकृत किए गए (2017 से 2021 के मध्य), जिन पर ₹ 2.45 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क लगाया गया। उप-पंजीयकों ने इन बिक्री विलेखों का पंजीकरण करते समय सहायक दस्तावेजों, जैसे-विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से भूमि की अवस्थिति/दूरी का घोषणा करने वाले स्व-शपथपत्र और भूमि की कृषि योग्य/कृषि अयोग्य प्रकृति को दर्शाने वाली जमाबंदी, की उपेक्षा की/अनदेखा किया। लेखापरीक्षा ने पटवारियों द्वारा दिए गए दूरी प्रमाणपत्रों की सहायता से मामलों का सत्यापन भी किया तथा पाया कि उप-पंजीयकों ने गलत सर्कल रेट लागू किए, जो संपत्तियों के अवमूल्यांकन में परिणत हुआ। प्रयोज्य सर्कल रेट के अनुसार सौदे की राशि ₹ 55.84 करोड़ बनती है तथा जिस पर ₹ 3.92 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क उदग्रहित करना अपेक्षित था। हालांकि उप-पंजीयकों ने ₹ 2.45 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क उदग्रहित किया। परिणामस्वरूप ₹ 1.47 करोड़ (स्टाम्प ड्यूटी: ₹ 1.06 करोड़ + पंजीकरण शुल्क: ₹ 0.41 करोड़) की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क का अल्प उदग्रहण हुआ।

II. झूठे शपथ-पत्र स्वीकार करने के कारण स्टाम्प शुल्क व पंजीयन फ़ीस का अल्प उदग्रहण वर्ष 2021-22 के दौरान 32 उप-पंजीयकों²⁷ के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि 2017 व 2020 के बीच खरीददारों द्वारा विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से भूमि की दूरी

²⁶ उप-पंजीयक पंचरुखी: तीन मामले ₹ 4.31 लाख, नालागढ़: चार मामले ₹ 2.20 लाख, स्वारघाट: 12 मामले ₹ 2.15 लाख, आनी: एक मामला ₹ 0.36 लाख, पंजेहरा: तीन मामले ₹ 2.53 लाख, नम्होल: एक मामला ₹ 13.31 लाख, नूरपुर: 22 मामले ₹ 31.98 लाख, कसौली: एक मामला ₹ 3.68 लाख, मंडी: तीन मामले ₹ 0.95 लाख, रिवालसर: चार मामले ₹ 0.84 लाख, बद्दी: तीन मामले ₹ 8.54 लाख, करसोग: पांच मामले ₹ 0.53 लाख, सोलन: 14 मामले ₹ 7.54 लाख, बसदेहरा: 25 मामले ₹ 11.59 लाख, रामपुर: सात मामले ₹ 15.72 लाख, कांगड़ा: चार मामले ₹ 2.08 लाख, जवाली: 12 मामले ₹ 6.93 लाख, खुंडियां: पांच मामले ₹ 11.21 लाख, कंडाघाट: तीन मामले ₹ 9.86 लाख, सरस्वती नगर: एक मामला ₹ 0.28 लाख, ठियोग: एक मामला ₹ 0.13 लाख, भोटा: दो मामले ₹ 2.60 लाख, गगरेट: तीन मामले ₹ 0.64 लाख, अंब: दो मामले ₹ 0.90 लाख, झंजूता: एक मामला ₹ 0.04 लाख, दाड़लाघाट: दो मामले ₹ 2.17 लाख, बल्ह: सात मामले ₹ 3.94 लाख।

²⁷ उप-पंजीयक कांगड़ा: 34 मामले ₹ 16.16 लाख, जवाली: 25 मामले ₹ 12.08 लाख, नूरपुर: 44 मामले ₹ 75.39 लाख, धर्मशाला: चार मामले ₹ 1.47 लाख, देहरा: एक मामला ₹ 11.35 लाख, रक्कड़: आठ मामले ₹ 5.21 लाख, बंगाणा: 23 मामले ₹ 6.57 लाख, खुंडियां: 13 मामले ₹ 6.12 लाख, रिवालसर: सात मामले ₹ 2.20 लाख, मंडी: चार मामले ₹ 1.59 लाख, कंडाघाट: 19 मामले ₹ 55.20 लाख, पंजेहरा: 21 मामले ₹ 22.82 लाख, सरस्वती नगर: 13 मामले ₹ 3.85 लाख, ठियोग: तीन मामले ₹ 3.14 लाख, रामपुर: आठ मामले ₹ 12.23 लाख, शिलाई: 10 मामले ₹ 4.47 लाख, कुनिहार: दो मामले ₹ 4.91 लाख, बद्दी: सात मामले ₹ 12.25 लाख, पांवटा साहिब: 15 मामले ₹ 21.10 लाख, पालमपुर: 15 मामले ₹ 3.11 लाख, शिमला (शहरी): एक मामला ₹ 2.38 लाख, नादौन: तीन मामले ₹ 0.48 लाख, सोलन: नौ मामले ₹ 13.13 लाख, भोटा: एक मामला ₹ 0.62 लाख, नालागढ़: 32 मामले ₹ 25.53 लाख, श्री नैना देवी जी: 19 मामले ₹ 10.35 लाख, कलोह स्थित गगरेट: 42 मामले ₹ 12.51 लाख, अंब: 31 मामले ₹ 21.25 लाख, भुंतर: 19 मामले ₹ 7.99 लाख, झंजूता: 13 मामले ₹ 2.32 लाख, दाड़लाघाट: 13 मामले ₹ 7.29 लाख, बल्ह: 11 मामले ₹ 5.01 लाख।

घोषित करने वाले फाइल किए गए स्व-शपथपत्रों/स्व-घोषणाओं के आधार पर 470 विलेख पंजीकृत किए गए। इन विलेखों का पंजीकरण कुल ₹ 83.23 करोड़ सौदे की राशि पर किया गया, जिन पर कुल ₹ 4.94 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क उद्ग्रहित किया गया। लेखापरीक्षा में शपथ-पत्रों का सत्यापन कानूनगो (राजस्व प्राधिकरण) के पास उपलब्ध नक्शों (लट्ठा) से किया गया, जिसमें पाया कि विभिन्न श्रेणियों की सड़कों से भूमि की स्थिति/दूरी के आधार पर संपत्तियों का मूल्यांकन ₹ 123.10 करोड़ होना चाहिए था, जिस पर कुल ₹ 8.84 करोड़ की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क उद्ग्रहित करना अपेक्षित था। लेखापरीक्षा में पाया गया कि यद्यपि राजस्व अभिलेख (लट्ठा) और भूमि दरें विभाग के पास उपलब्ध थीं, तथापि उप-पंजीयकों ने विलेखों के पंजीकरण से पूर्व शपथ-पत्रों/स्व-घोषणा का प्रति-सत्यापन नहीं किया तथा इसके बजाय, क्रेता द्वारा फाइल किए गए स्व-शपथ-पत्रों में दी गई सूचना पर भरोसा किया। इसके परिणामस्वरूप ₹ 3.90 करोड़ (स्टाम्प ड्यूटी: ₹ 2.83 करोड़ + पंजीकरण शुल्क: ₹ 1.07 करोड़) की स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क का अल्प उद्ग्रहण हुआ।

उप-पंजीयकों ने बताया कि संदेहास्पद शपथ-पत्रों की जांच संबंधित राजस्व प्राधिकरण द्वारा की जाएगी और भूमि की सटीक अवस्थिति का पता चलने के बाद लेखापरीक्षा को सूचित करते हुए तदनुसार कार्रवाई की जाएगी।

मार्च 2023 में लेखापरीक्षा निष्कर्ष सरकार को भेजे गए; जनवरी 2025 तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

सरकार ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्रों में भूमि का वर्गीकरण सुनिश्चित करने के लिए भूमि की सड़कों से वास्तविक दूरी सत्यापित करने हेतु एक तंत्र स्थापित करने पर विचार कर सकती है, ताकि स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क का सही उद्ग्रहण सुनिश्चित किया जा सके।

4.9 पट्टा विलेख पर स्टाम्प ड्यूटी एवं पंजीकरण शुल्क की अल्प वसूली

पट्टा विलेखों पर देय स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क की गणना हेतु बाजार दरों का उपयोग नहीं किया गया, जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.79 करोड़ की अल्प वसूली हुई।

हिमाचल प्रदेश सरकार के राजस्व विभाग ने जनवरी 2012 में अधिसूचित किया कि सभी पट्टा विलेखों के पंजीकरण के लिए संपत्ति के बाजार मूल्य पर पांच प्रतिशत²⁸ स्टाम्प ड्यूटी व दो प्रतिशत²⁹ पंजीकरण शुल्क उद्ग्रहण होगा।

वर्ष 2021-22 के दौरान नमूना-जांचित 12 (72 में से) उप-पंजीयकों के अभिलेखों की लेखापरीक्षा संवीक्षा से उजागर हुआ कि उप-पंजीयकों ने बाजार मूल्य का उपयोग करने के बजाय सौदे की मनमानी राशि का उपयोग करके 34 पट्टा विलेखों पर स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क

²⁸ सूत्र: स्टाम्प शुल्क @ पांच प्रतिशत x बाजार मूल्य x पट्टे की अवधि/100।

²⁹ सूत्र: पंजीकरण शुल्क @ दो प्रतिशत x बाजार मूल्य x पट्टे की अवधि/100।

उद्ग्रहित किया, जबकि बाजार मूल्य³⁰ निर्धारित करने हेतु अपेक्षित भूमि की सर्कल दरें एवं संरचनाओं की निर्मित दरें विभाग के पास उपलब्ध थीं। परिणामस्वरूप बाजार मूल्य के आधार पर उद्ग्राह्य ₹ 1.19 करोड़ (स्टाम्प ड्यूटी ₹ 0.85 करोड़ + पंजीकरण शुल्क ₹ 0.34 करोड़) के स्टाम्प ड्यूटी व पंजीकरण शुल्क के प्रति उप-पंजीयकों ने अभिलेखों में कोई स्पष्टीकरण दर्ज किए बिना कम राशि पर ₹ 0.40 करोड़ (स्टाम्प ड्यूटी ₹ 0.29 करोड़ + पंजीकरण शुल्क ₹ 0.11 करोड़) का स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क उद्ग्रहित किया। परिणामस्वरूप यह ₹ 0.79 करोड़³¹ (स्टाम्प ड्यूटी: ₹ 0.56 करोड़ + पंजीकरण शुल्क: ₹ 0.23 करोड़) के स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क की अल्प वसूली में परिणत हुआ।

इंगित किए जाने पर उप-पंजीयकों ने बताया कि मामलों की जांच की जाएगी एवं वसूली की जाएगी तथा आगे बताया कि तदनुसार लेखापरीक्षा को परिणाम सूचित किए जाएंगे।

इस संबंध में यह देखा गया कि यही मुद्दा पिछले वर्षों की राज्य के राजस्व पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी उजागर किया गया था परन्तु उप-पंजीयक विभागीय निर्देशों से लगातार विचलित होते रहे। अभिलेखों में तो कोई कारण नहीं पाया गया परन्तु लगातार उल्लंघन परिचायक है कि या तो निर्देशों को लागू करने के बारे में समझ की कमी है या जानबूझकर उनकी अवहेलना की जा रही है अथवा सरकारी राजस्व की सुरक्षा के प्रति प्रतिबद्धता की कमी है।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जनवरी 2023 में सरकार को भेजे गए थे; उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ (जनवरी 2025)।

सरकार क्षेत्रीय कार्यालयों द्वारा विभागीय अधिसूचना का लगातार पालन न करने के कारणों की जांच कर सकती है तथा सुधारात्मक कार्रवाई शुरू कर सकती है, ताकि सरकारी राजस्व की हानि को रोका जा सके।

³⁰ सूत्र: संपत्ति का बाजार मूल्य = (सर्किल दर x क्षेत्रफल) + {निर्माण दर x क्षेत्रफल (यदि संरचना भी बेची जा रही है)}।

³¹ अंब: दो मामले ₹ 4.61 लाख; सोलन: 12 मामले ₹ 11.86 लाख; दाइलाघाट: एक मामला ₹ 0.27 लाख; पंजेहरा: दो मामले ₹ 2.02 लाख; सांगला: एक मामला ₹ 1.21 लाख; कसौली: तीन मामले ₹ 2.82 लाख; कंडाघाट: दो मामले ₹ 1.03 लाख; नालागढ़: छह मामले ₹ 4.26 लाख; देहरा: एक मामला ₹ 1.35 लाख; जुन्गा: दो मामले ₹ 2.66 लाख; मूरंग: एक मामला ₹ 46.48 लाख; नाहन: एक मामला ₹ 0.54 लाख।

योजना विभाग

4.10 हिमाचल प्रदेश में आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम

4.10.1 परिचय

राज्य में चिह्नित पिछड़े क्षेत्रों में आधारभूत सुविधाओं के सृजन के संदर्भ में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के उद्देश्य से जून 1974 में हिमाचल प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना प्रारंभ की गई, जिसका कार्यान्वयन राज्य के 10 जिलों³² (12 में से) (किन्नौर एवं लाहौल व स्पीति के जनजातीय जिलों को छोड़कर) में 13 क्षेत्रों³³/विकास शीर्षों के लाइन विभागों के माध्यम से किया जा रहा है। एक व्यापक नीति तैयार की गई जिसका प्रभावी कार्यान्वयन वर्ष 1995-96 में आरंभ किया गया। पिछड़े क्षेत्रों को चिह्नित करने के मानदंडों में दूरस्थता एवं दुर्गमता; जनसांख्यिकीय संकेतक³⁴; अवसंरचनात्मक संकेतक³⁵; एवं कृषि संकेतक³⁶ शामिल हैं (मानदंडों का विवरण परिशिष्ट 4.5 में दिया गया है)। राज्य सरकार ने बजट की योजना एवं गैर-योजना श्रेणीकरण की पुरानी प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा वर्ष 2021-22 से वार्षिक योजना के स्थान पर वार्षिक विकास बजट की नई प्रणाली शुरू करने का निर्णय लिया। सितंबर 2020 में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना का नाम बदलकर आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम कर दिया गया।

31 मार्च 2022 तक हिमाचल प्रदेश के 10 जिलों में 651 (3,615 में से) पिछड़ी पंचायतें थीं।

4.10.1.2 संगठनात्मक व्यवस्था

माननीय मुख्यमंत्री राज्य स्तर पर योजना विभाग के अध्यक्ष हैं। हिमाचल प्रदेश सरकार के अतिरिक्त मुख्य सचिव/प्रधान सचिव (योजना) विभाग के प्रशासनिक प्रमुख हैं, जिन्हें सलाहकार योजना द्वारा सहायता प्रदान की जाती है। संयुक्त निदेशक योजना निरूपण से संबंधित कार्यों का निर्वहन करते हैं और उप निदेशक विभिन्न शाखाओं के प्रमुख होते हैं। जिला योजना प्रकोष्ठ जिला स्तर पर उपायुक्त के नियंत्रण में होता है। जिला उपायुक्त निधियों के आवंटन एवं योजनाओं/कार्यों आदि की स्वीकृति के लिए नियंत्रक अधिकारी होते हैं। अतिरिक्त उपायुक्त

³² बिलासपुर, चंबा, हमीरपुर, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी, शिमला, सिरमौर, सोलन व ऊना।

³³ कृषि, पशुपालन, आयुर्वेद, प्रारंभिक शिक्षा, उच्च शिक्षा, बागवानी, लघु सिंचाई, सड़कें एवं पुल, ग्रामीण स्वास्थ्य, ग्रामीण उद्योग, ग्रामीण जल आपूर्ति, सामाजिक वानिकी व मृदा संरक्षण।


³⁴ जनसंख्या घनत्व, कुल जनसंख्या में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का अनुपात, प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का औसत घनत्व, अर्थव्यवस्था के प्राथमिक क्षेत्र में संलिप्त जनसंख्या व स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत।

³⁵ उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाएं, पशु चिकित्सा सुविधाएं, पेयजल सुविधाएं, बैंकिंग सुविधाएं व विद्युत सुविधाएं।

³⁶ औसत होल्डिंग का आकार व उगाई जाने वाली फसलों का प्रकार।

मुख्य योजना अधिकारी होते हैं तथा जिला योजना अधिकारी आहरण एवं संवितरण अधिकारी होते हैं। क्रेडिट योजना अधिकारी आंतरिक लेखापरीक्षण करते हैं।

राज्य एवं जिला स्तर पर आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन की संगठनात्मक संरचना क्रमशः चार्ट 4.1 व चार्ट 4.2 में दर्शाई गई है।



4.10.1.3 योजना में निधि प्रवाह

परंपरागत रूप से, योजना विभाग प्रत्येक वर्ष 13 क्षेत्रों/विकास मर्दों के लिए योजना बजट आवंटन के साथ प्रथम तिमाही के लिए बजट प्राधिकरण भी जारी करता है ।

योजना के दिशा-निर्देशों के अनुसार पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के अंतर्गत निधियों के आवंटन एवं स्वीकृति हेतु उपायुक्तों को नियंत्रण अधिकारी घोषित किया गया है। बजट प्राधिकरण पत्रों में अपेक्षित है कि उपायुक्त संबंधित लाइन विभागों एवं स्थानीय प्रतिनिधियों से प्रस्ताव प्राप्त होने के बाद वार्षिक बजट आवंटन के आधार पर वार्षिक कार्य योजना/योजनाओं की सूची तैयार करें।

ग्राम पंचायतों द्वारा स्वयं किए जाने वाले कार्यों के संबंध में, प्रस्ताव संबंधित खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से अनुमोदन हेतु भेजे जाते हैं। दूसरी ओर पिछड़े पंचायत क्षेत्रों में विभिन्न लाइन विभागों³⁷ द्वारा किए जाने वाले कार्यों के संबंध में प्रस्ताव सीधे उपायुक्त को

³⁷ लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग, वन विभाग, शिक्षा विभाग, बागवानी विभाग, कृषि विभाग, स्वास्थ्य विभाग, आदि।

अनुमोदनार्थ भेजे जाते हैं तथा लाइन विभागों को निधियों की स्वीकृति भी उपायुक्त द्वारा दी जाती है।

संबंधित उपायुक्त आवंटन के पश्चात कोषागार से निधियां आहरित करते हैं और स्वीकृति के अनुसार यह निधियां संबंधित लाइन विभागों/खंड विकास अधिकारियों को हस्तांतरित करते हैं। निधियां या तो सीधे संबंधित विभाग के बैंक खातों में या चेक/ई-चालान के माध्यम से राजकोष में स्थानांतरित की जाती हैं तथा इन चेक/ई-चालान के आधार पर संबंधित विभाग, सरकार से साख पत्र प्राप्त करते हैं। खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से प्रस्तावित कार्यों हेतु निधियां इन ग्राम पंचायतों को खंड विकास अधिकारियों के माध्यम से जारी की जाती है, जो इसकी निगरानी करते हैं।

4.10.2 लेखापरीक्षा के उद्देश्य

लेखापरीक्षा का उद्देश्य यह आकलन करना था कि क्या:

- (i) उप-योजना के कार्यान्वयन के लिए योजना व संस्थागत तंत्र आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों के अनुसार था।
- (ii) निधियों का आबंटन एवं उपयोजन निर्धारित मानदंडों के अनुरूप किया गया।
- (iii) क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने के लिए बुनियादी ढांचा निर्माण किया जा रहा था; तथा
- (iv) आंतरिक नियंत्रण और निगरानी प्रणाली आकांक्षी ब्लॉक विकास कार्यक्रम दिशानिर्देशों के अनुसार लागू थी।


4.10.2.2 लेखापरीक्षा मानदंड

- (i) राज्य सरकार द्वारा आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम पर जारी दिशानिर्देश, निर्देश तथा अधिसूचनायें
- (ii) क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना दिशानिर्देश (संशोधित) 2004
- (iii) वार्षिक कार्य योजना तैयार करने के संदर्भ में सलाहकार योजना के निर्देश
- (iv) हिमाचल प्रदेश वित्तीय नियमावली, 2009 व हिमाचल प्रदेश कोषागार नियमावली, 2017, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियमावली, 2002 आदि।

4.10.3 लेखापरीक्षा का कार्य-क्षेत्र एवं कार्यपद्धति

लेखापरीक्षा अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 तक संचालित की गई, जिसमें वर्ष 2018-19 से वर्ष 2021-22 तक की अवधि को सम्मिलित किया गया तथा इसमें सलाहकार, योजना एवं

तीन (10 में से) जिलों³⁸ के उपायुक्तों के कार्यालय के अभिलेखों की नमूना-जांच समाविष्ट थी, जैसाकि मानचित्र में दर्शाया गया है।



इसके अतिरिक्त प्रत्येक चयनित जिले के दो खण्डों³⁹ के खण्ड विकास अधिकारियों एवं प्रत्येक चयनित खण्डों की पांच ग्राम पंचायतों⁴⁰ (चयनित ग्राम पंचायतों में कार्य निष्पादित करने वाले लाइन विभागों सहित) की भी नमूना-जांच की गई। जिलों एवं खण्डों का चयन स्तरीकृत यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर तथा ग्राम पंचायतों का चयन सरल यादृच्छिक नमूनाकरण के आधार पर किया गया, दोनों ही चयन आईडीईए सॉफ्टवेयर का उपयोग करके किये गये।

लेखापरीक्षा कार्यपद्धति में विभागीय अभिलेखों की संवीक्षा एवं चयनित ग्राम पंचायतों (व्यय की राशि के आधार पर चयनित) में स्वीकृत 59 योजनाओं/कार्यों का संयुक्त भौतिक निरीक्षण शामिल था। मई 2023 में आयोजित अंतिम बैठक में सचिव (योजना) के साथ लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर चर्चा की गई। प्रतिवेदन में सरकार के उत्तरों को उचित रूप से समाविष्ट किया गया है।

4.10.4 पूर्ववर्ती निष्पादन/विषय विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षाओं पर अनुवर्ती कार्रवाई

वर्ष 2000-05 की अवधि के लिए पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना की निष्पादन लेखापरीक्षा को वर्ष 2004-05 के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं

³⁸ चम्बा, मंडी व सिरमौर।

³⁹ चम्बा: भट्टियात व मेहला; मंडी: सेराज व मंडी सदर; और सिरमौर: पांवटा साहिब व संगड़ाह।

⁴⁰ भट्टियात: जोलना, गोला, टिक्करी, परसियारा व तारागढ़; मेहला: बाकन, छतरारी, गागला, डार्विन व उटीप; सदर मंडी: घरान, शकरयार, हटौन, शिव और मैहानी; सेराज: चेत (सूझा), भाटकीधार, धीम कटारू, बेहल (सैंज) व बगराथच; पांवटा साहिब: भनेत- हल्दवाडी, शाखोली, कठवार, भरोग बनेरी व कांति मशवा; और संगड़ाह: शामरा, बडोल, खुद द्राबिल, संगना व कोटि धीमान।

वाणिज्यिक) में परिच्छेद 3.1 के रूप में समाविष्ट किया गया था। निष्पादन लेखापरीक्षा के महत्वपूर्ण निष्कर्षों में वार्षिक कार्य योजनाओं की तैयारी न करना, तकनीकी अनुमोदन एवं अनुमान के बिना कार्य स्वीकृति, विकास निधि का अवरोधन, जिला योजना, विकास व 20 सूत्री कार्यक्रम समीक्षा समिति की नियमित बैठकों का आयोजन न करना तथा घोषित पिछड़े क्षेत्रों की पांच वर्षीय स्थिति की समीक्षा न करना शामिल था। निष्पादन लेखापरीक्षा पर 21 अगस्त 2012 को लोक लेखा समिति में चर्चा की गई तथा 21 अगस्त 2024 को आयोजित अंतिम बैठक तक लोक लेखा समिति द्वारा विभाग के दिखाए अनुपालन/दिए गए आश्वासन के आधार पर सभी परिच्छेदों का निपटान कर दिया गया। उपरोक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के परिच्छेदों पर लोक लेखा समिति की विशिष्ट अनुशंसाएं प्रासंगिक परिच्छेदों में प्रतिवेदित की गई हैं।

पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना पर विषय-विशिष्ट अनुपालन लेखापरीक्षा 31 मार्च 2014 को समाप्त वर्ष के लिए सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में परिच्छेद 3.12 के रूप में मुद्रित की गई थी, जिस पर लोक लेखा समिति में चर्चा की जानी शेष है (जनवरी 2025)।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष

4.10.5 योजना

वर्ष 1995-96 के दौरान हिमाचल प्रदेश सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों के वर्गीकरण के लिए एक व्यापक नीति तैयार की, जिसमें जनजातीय क्षेत्रों के अतिरिक्त राज्य के दस जिलों में आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम (पूर्ववर्ती पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना) प्रचालित करना निर्धारित किया गया। पिछड़े क्षेत्रों को निम्नलिखित तीन श्रेणियों में विभाजित किया गया:

- (i) पिछड़े खण्ड: पिछड़े के रूप में अधिसूचित 50 प्रतिशत या उससे अधिक पंचायतों वाले सभी खण्डों को 'पिछड़ा खण्ड' घोषित किया गया है।
- (ii) सन्निहित क्षेत्र: पांच या पांच से अधिक पिछड़ी पंचायतों का समूह, जो एक सन्निहित भौगोलिक क्षेत्र का निर्माण करता है, उसे 'सन्निहित क्षेत्र' कहा गया है।
- (iii) विखंडित पंचायतों वाले खण्ड: ऊपर (i) व (ii) में उल्लिखित पंचायतों के अतिरिक्त अन्य पंचायतों को 'विखंडित पंचायतें' कहा गया है।

सरकार की 1995-96 की नीति के अनुसार नई पंचायतों, जिन्हें मौजूदा अधिसूचित पिछड़ी पंचायतों से अलग करके बनाया गया था, को पिछड़ा घोषित किया जाना था। इसके आधार पर पिछड़ी घोषित की गई ग्राम पंचायतों की संख्या वर्ष 1995-96 में 487 (कुल 2,922 ग्राम पंचायतों में से) से बढ़कर वर्ष 2021-22 में 651 (कुल 3,615 में से) हो गई। इस प्रकार वर्ष

1995-96 के बाद नई ग्राम पंचायतों का गठन पूर्ववर्ती पिछड़े क्षेत्रों के समावेश के आधार पर किया गया था।

इसके अतिरिक्त जून 1998 में सलाहकार (योजना) द्वारा तैयार 'हिमाचल प्रदेश में पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना के कार्यान्वयन पर कमपेंडियम' के अनुसार अधिसूचित पिछड़े क्षेत्र की स्थिति की समय-समय पर प्रत्येक पांच वर्ष बाद समीक्षा की जानी थी।

इस संदर्भ में निम्नांकित देखा गया :

- सोलन⁴¹ की चार ग्राम पंचायतों को पिछड़ा न मानते हुए उनकी अधिसूचना रद्द करने (मार्च 2013) के अतिरिक्त राज्य ने अन्य पिछड़े क्षेत्रों की स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं किया। साथ ही राज्य सरकार ने किसी क्षेत्र को पिछड़ा घोषित करने के सूचकांकों (1995-96 में निरूपित) की आवधिक समीक्षा/संशोधन भी नहीं किया।
- राज्य के योजना विभाग द्वारा 2020 में की गई समीक्षा के अनुसार मौजूदा संकेतकों के आधार पर राज्य की कोई भी ग्राम पंचायत पिछड़े क्षेत्र की श्रेणी में नहीं आती थी। यह परिलक्षित करता है कि इन मानदंडों को अद्यतन/संशोधित किए जाने की आवश्यकता थी।

अंतिम बैठक (मई 2023) में सचिव ने बताया कि आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के दिशानिर्देशों में संशोधन पर विचार किया जाएगा।

सरकार ने बताया (जुलाई 2023) कि ग्राम पंचायतों की समीक्षा के संबंध में एक नया अभ्यास किया जाएगा तथा भविष्य में आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम को आकांक्षी जिला कार्यक्रम के साथ समन्वित करने के प्रयास किए जाएंगे।

आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के कार्यान्वयन हेतु संस्थागत तंत्र

सरकार ने जिला स्तर पर (जून व अगस्त 2018 में) प्रत्येक जिले में जिला योजना एवं विकास समितियों का गठन किया। जिला योजना एवं विकास समितियों के कार्यों में आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के तहत योजनाओं का निरूपण, कार्यान्वयन, निगरानी, समीक्षा, स्वीकृत योजनाओं/परियोजनाओं की सूची का अनुमोदन; स्वीकृत बजट का विभागीय/अंतर-क्षेत्रीय पुनर्निर्देशन करना तथा त्रैमासिक बैठकों के माध्यम से योजनाओं/कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा करना शामिल है।

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के मध्य जिला योजना एवं विकास समिति ने 48 बैठकों के स्थान पर केवल दो बार बैठक की। इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित जिलों में योजनाओं की सूची केवल सिरमौर (2018-19 की तीसरी तिमाही तक) एवं मंडी (2018-19 की दूसरी तिमाही तक) के

⁴¹ बनासर, प्रथा, नरैनी व मंगल।

लिए ही स्वीकृत की गई। नमूना-जांचित जिलों में योजनाओं की समेकित सूची तैयार नहीं की गई।

उक्त अवधि के दौरान उपायुक्तों ने जिला योजना एवं विकास समितियों की अनिवार्य स्वीकृति के बिना ही परियोजनाएं संस्वीकृत की तथा निधियों का पुनर्विनियोजन किया। इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने विभिन्न विभागों/निष्पादन एजेंसियों एवं जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर संबंधित विभागों/निष्पादन एजेंसियों को तिमाही आधार पर निधियां भी जारी की।

मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में भी जिला योजना एवं विकास समितियों की नियमित बैठकों के न होने तथा समेकित वार्षिक कार्य योजना/योजनाओं की सूची तैयार न किए जाने का मुद्दा रेखांकित किया गया था। लोक लेखा समिति में चर्चा (मार्च 2015) के दौरान विभाग ने आश्वासन दिया कि भविष्य में उनकी अनुशंसानुसार बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी। हालांकि जैसा कि ऊपर बताया गया है, वर्तमान लेखापरीक्षा अवधि के दौरान भी यह अनियमितता बनी रही।

नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने बताया (अक्टूबर 2022 व जनवरी 2023) कि जिला योजना एवं विकास समिति के अध्यक्ष उपलब्ध न होने तथा कोविड महामारी के कारण बैठकें आयोजित नहीं की जा सकीं। इसके अतिरिक्त जन प्रतिनिधियों से मांग/प्रस्ताव प्राप्त न होने के कारण बजट खर्च नहीं किया जा सका तथा निधियां व्यपगत होने से बचाने के लिए निधियों का पुनर्विनियोजन किया गया।

सरकार ने बताया (जुलाई 2023) कि जिला स्तर पर जिला योजना एवं विकास समिति की बैठकें आयोजित करने के भविष्य में प्रयास किए जाएंगे। यह भी उल्लेख किया गया कि वार्षिक कार्य योजना (योजनाओं की सूची) जिला स्तर पर तैयार की जा रही थी और यदि वार्षिक कार्य योजना उपलब्ध नहीं होती थी, तो योजनाओं को जिला योजना एवं विकास समिति के सदस्यों/जन प्रतिनिधियों की अनुशंसा पर स्वीकृत किया जाता था। जिला योजना एवं विकास समिति द्वारा प्रत्येक योजना में किए गए व्यय को, जब भी बैठकें आयोजित की जायेंगी, कार्योंतर अनुमोदित किया जायेगा।

4.10.6 वित्तीय प्रबंधन

4.10.6.1 निधियों का आवंटन एवं उपयोग

आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम हेतु बजट 13 विकास क्षेत्रों के लेखा शीर्षों में से मांग संख्या 15 “योजना एवं पिछड़ा क्षेत्र उप-योजना” के अंतर्गत प्रदान किया जाता है (परिशिष्ट 4.6)। योजना विभाग संबंधित क्षेत्रीय विभागों के साथ वार्षिक बजट अंतिमकरण बैठक के दौरान चर्चा

के आधार पर बजट तैयार करता है। यह बजट राज्य योजना बोर्ड⁴² द्वारा अनुमोदित किया जाता है, जिसे बाद में राज्य विधायिका द्वारा पारित किया जाता है।

योजना विभाग द्वारा उपायुक्तों को आरक्षित निधियां जिलों में पिछड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या के अनुपात⁴³ में आवंटित की जाती है। सलाहकार (योजना) उपायुक्तों को तिमाही आधार पर बजट की स्वीकृति देता है। योजनाओं के त्वरित निष्पादन को सुगम बनाने के लिए संबंधित उपायुक्तों को सभी योजनाओं की प्रशासनिक स्वीकृति एवं व्यय स्वीकृति देने के अधिकार प्रदान किए गए हैं।

आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत निष्पादनार्थ प्रस्तावित कार्यों के अनुमान विकास क्षेत्रों/ग्राम पंचायतों के संबंधित⁴⁴ तकनीकी प्राधिकारियों द्वारा शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार तैयार किए जाते हैं। ये अनुमान कार्य के प्रस्ताव की स्वीकृति/प्रशासनिक अनुमोदन हेतु प्रस्तुत करते समय अन्य दस्तावेजों⁴⁵ के साथ उपायुक्त को भेजे जाते हैं।

तदोपरान्त उपायुक्तों द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति प्रदान की जाती है तथा कोषागार से निधियां आहरित कर संबंधित विभाग/निष्पादन एजेंसी को या तो उनके बैंक खातों में या साख पत्र⁴⁶ के माध्यम से जारी कर दी जाती है। स्वीकृति आदेशों में यह प्रावधान है कि जिन तकनीकी अधिकारियों द्वारा अनुमानों को स्वीकृति दी जाती है, वे ही कार्यों का मूल्यांकन करने एवं भुगतान संवितरण को अधिकृत करने के लिए भी सक्षम हैं।

वर्ष 2018-22 के दौरान राज्य व नमूना-जांचित जिलों में आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के तहत बजट आवंटन एवं किए गए व्यय का विवरण तालिका 4.1 में दिया गया है:

42 राज्य योजना बोर्ड का अध्यक्ष राज्य का मुख्यमंत्री होता है एवं सभी कैबिनेट मंत्री इसके सदस्य होते हैं। यह बोर्ड राज्य सरकार को विकास योजनाओं के निरूपण में सहायता करता है।

43 विभिन्न चिह्नित पिछड़े क्षेत्रों के बीच परिव्यय निर्धारित करने का सूत्र:

(क) पिछड़े के रूप में चिह्नित प्रति पंचायत निवेश = कुल चिह्नित परिव्यय को अधिसूचित पिछड़ी पंचायतों की संख्या से विभाजित किया जाता है।

(ख) किसी जिले के लिए चिह्नित कुल परिव्यय = पंचायत के लिए निवेश को उस विशेष जिले में पिछड़ी पंचायतों की संख्या से गुणा किया जाता है।

44 संबंधित विभाग/निष्पादन एजेंसी के अधिशाषी अभियंता/सहायक अभियंता/कनिष्ठ अभियंता/तकनीकी सहायक।

45 ग्राम पंचायतों से प्रस्ताव, भूमि की उपलब्धता के संबंध में राजस्व दस्तावेज, ड्राइंग/डिजाइन आदि।

46 लोक निर्माण विभाग व जल शक्ति विभाग में निधियां चेक/ई-चालान के माध्यम से उपलब्ध कराई जाती है, जिनका कोषागार में प्रेषण कर दिया जाता है एवं इन चालानों के सापेक्ष सरकार से साख पत्र प्राप्त किया जाता है।

तालिका 4.1: 2018-22 के दौरान बजट एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	समग्र रूप में राज्य				नमूना-जांचित तीन जिलों में			
	पिछड़ी ग्राम पंचायतों की संख्या	बजट	व्यय	बचत	पिछड़ी ग्राम पंचायत (कुल पिछड़ी ग्राम पंचायतों का प्रतिशत)	बचत (कुल बजट का प्रतिशत)	व्यय	बचत
2018-19	559	59.45	59.40	0.05	346 (62)	36.30 (61)	36.27	0.03
2019-20	564	67.68	67.26	0.42	346 (61)	41.89 (62)	41.47	0.42
2020-21	564	79.45	79.43	0.02	346 (61)	47.39 (60)	47.37	0.02
2021-22	651	82.79	82.78	0.01	410 (63)	51.74 (62)	51.73	0.01
योग		289.37	288.87	0.50		177.32	176.84	0.48

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी

यद्यपि वर्ष 2018-22 के दौरान बुक किया गया व्यय आवंटित निधियों के लगभग बराबर था परन्तु बुक किया गया व्यय केवल निष्पादन एजेंसियों को जारी की गई राशि को ही दर्शाता था। उपायुक्तों द्वारा जारी की गई निधियों को खातों में व्यय के रूप में माना गया। यह इस तथ्य से स्पष्ट था कि वर्ष 2021-22 की समाप्ति में नमूना-जांचित खण्ड विकास अधिकारियों के पास ₹ 12.22 करोड़ की अप्रयुक्त निधियां शेष थीं, जैसाकि नीचे चर्चा की गई है।

वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना-जांचित खण्ड विकास अधिकारियों में निधियों की उपलब्धता एवं व्यय (जारी निधि) का विवरण तालिका 4.2 में दिया गया है।

तालिका 4.2: वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना-जांचित खण्ड विकास अधिकारियों में निधियों की उपलब्धता एवं व्यय का विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	निधियों की उपलब्धता			व्यय	अप्रयुक्त निधियां (प्रतिशत)
	अथ शेष	प्राप्ति	कुल		
2018-19	6.36	11.19	17.55	9.06	8.49 (48.38)
2019-20	8.49	7.22	15.71	6.25	9.46 (60.22)
2020-21	9.46	7.09	16.55	6.88	9.67 (58.43)
2021-22	9.67	9.22	18.89	6.67	12.22 (64.69)
योग		34.72		28.86	

स्रोत: एसएमआईएस व नमूना-जांचित खण्डों/ग्राम पंचायतों द्वारा दी गई जानकारी

वर्ष 2018-19 से 2021-22 के दौरान खण्ड विकास अधिकारी स्तर पर रोकी गई निधियों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई। यह उल्लेखनीय है कि यह राशि कोषागार प्रणाली से इतर रखी जा रही थी।

4.10.6.2 निधियों का आवंटन एवं उपयोग

आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देशों में एक वित्तीय वर्ष के दौरान बजट को चरणबद्ध⁴⁷ तरीके से खर्च करने का प्रावधान है। लेखापरीक्षा में पाया गया कि उपरोक्त प्रावधान के विपरीत,

- i. वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने निर्धारित प्रतिशत के अनुसार व्यय को विनियमित नहीं किया। परिशिष्ट 4.7 में दिए गए विवरण के अनुसार, किसी भी वर्ष में पहली तिमाही में निर्धारित 25 प्रतिशत के प्रति व्यय शून्य से 18 प्रतिशत के मध्य रहा एवं चौथी तिमाही में निर्धारित 10 प्रतिशत के प्रति व्यय 16 से 58 प्रतिशत के मध्य रहा।
- ii. वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में चौथी तिमाही में बजट के प्रति समग्र व्यय तालिका 4.3 में दर्शाया गया है, जो परिलक्षित करता है कि दिशानिर्देशों का उल्लंघन करते हुए व्यय में तीव्रता हुई।

तालिका 4.3: वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में चौथी तिमाही में बजट के प्रति व्यय का समग्र विवरण

(₹ करोड़ में)

वर्ष	बजट (नमूना-जांचित जिले)	चौथी तिमाही में व्यय (प्रतिशत)		
		चंबा	मंडी	सिरमौर
2018-19	36.30	35	53	42
2019-20	41.89	34	46	37
2020-21	47.39	37	17	34
2021-22	51.74	54	16	58
	177.32			

स्रोत: विभाग द्वारा दी गई जानकारी

उपरोक्त से यह देखा जा सकता है कि वर्ष 2021-22 तक चंबा व सिरमौर के मामलों में व्यय का तीव्र प्रवाह था, जो व्यय पर नियंत्रण की कमी का परिचायक है।

नमूना-जांचित उपायुक्तों ने बताया (दिसंबर 2022) कि निर्धारित प्रतिशत के अनुसार निधियां जारी करने के प्रयास किए गए थे।

सरकार ने बताया (जुलाई 2023) कि जिलों से पूरे वर्ष के दौरान जिलों को आवंटित बजट का व्यय सुनिश्चित करने का अनुरोध किया जा रहा है।

⁴⁷ व्यय का प्रतिशत: पहली तिमाही: 25, दूसरी तिमाही: 40, तीसरी तिमाही: 25 एवं चौथी तिमाही: 10

4.10.7 अधोसंरचना के सृजन हेतु योजनाओं/कार्यों का निष्पादन

आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के दिशा-निर्देश पिछड़े क्षेत्रों में अधोसंरचना सुविधाओं के सृजन का प्रावधान करते हैं। तथापि, इन दिशा-निर्देशों में संबंधित योजनाओं/कार्यों के पूर्ण होने की कोई समयसीमा निर्धारित नहीं की गई। हालांकि, उपायुक्त द्वारा जारी स्वीकृति आदेशों के अनुसार योजनाएं/कार्य संबंधित वित्तीय वर्ष के भीतर या स्वीकृति तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना चाहिए तथा कार्य को अनुमोदित अनुमान और भवन एवं संरचना की डिजाइन के अनुसार निर्दिष्ट समय-सारिणी के भीतर निष्पादित किया जाना चाहिए। इसके अतिरिक्त क्षेत्रीय विकेंद्रीकृत योजना दिशा-निर्देशों (आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम पर प्रयोज्य) के अनुसार उपायुक्तों द्वारा प्रशासनिक अनुमोदन व व्यय स्वीकृति प्रदान करने से पूर्व योजनाओं/कार्यों की तकनीकी स्वीकृति संबंधित तकनीकी अधिकारियों⁴⁸ से सुनिश्चित की जानी अपेक्षित है।

4.10.7.1 योजनाओं/कार्यों के निष्पादन की स्थिति

4.10.7.1 (क) राज्य में योजनाओं/कार्यों की समेकित स्थिति

लेखापरीक्षा में पाया गया कि योजना विभाग ने समग्र रूप से राज्य में योजनाओं/कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की समेकित स्थिति का अनुरक्षण नहीं किया।

4.10.7.1 (ख) नमूना-जांचित जिलों में स्वीकृत कार्यों का निष्पादन

दिशा-निर्देशों में निगरानी के लिए कोई विशिष्ट तरीका निर्धारित नहीं किया गया है। हालांकि एक व्यवस्था स्कीम मॉनिटरिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम (एसएमआईएस) नाम से विकसित की गई है, जिसका उपयोग विकास योजनाओं तथा जिला योजना प्रकोष्ठों द्वारा उनकी स्वीकृति की निगरानी के लिए किया जाता है। कार्यों की स्वीकृति एवं निष्पादन एजेंसियों को निधियां जारी करते समय संबंधित डेटा एसएमआईएस पर अपलोड किया जाता है।

लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए डेटा में स्वीकृति वर्ष, कार्य का नाम, योजना आईडी, निष्पादन एजेंसी, उप-शीर्ष, खण्ड का नाम, ग्राम पंचायत, स्वीकृति तिथि, स्वीकृत राशि व स्थिति जैसे कॉलम शामिल थे।

इस प्रकार, पूर्णता तिथि आदि जैसी जानकारी के अभाव में एसएमआईएस वास्तव में एक निगरानी उपकरण नहीं था। लेखापरीक्षा में उस डेटा संरचना की भी पुष्टि नहीं की जा सकी जिसमें यह डेटा अनुरक्षित किया जा रहा था। नमूना-जांचित जिलों के अभिलेखों के विश्लेषण से पता चला कि:

⁴⁸ तकनीकी सहायक, कनिष्ठ अभियंता, सहायक अभियंता, अधिशाषी अभियंता, आदि।

- i. नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने निष्पादन एजेंसियों द्वारा किए जा रहे कार्यों की प्रगति के रिकॉर्ड अनुरक्षित नहीं किए। एसएमआईएस डेटा भी वर्ष 2018-22 के दौरान ₹ 176.40 करोड़ के स्वीकृत सभी 6,033⁴⁹ कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय प्रगति की अद्यतन स्थिति नहीं दर्शा सका।
- ii. निष्पादन एजेंसियों से उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्राप्त होने पर योजनाओं/कार्यों को पूर्ण दर्शाया जाता है तथा एसएमआईएस पर अपलोड किया जाता है।

सितंबर 2022 तक नमूना-जांचित जिलों में स्वीकृत कार्यों के निष्पादन की स्थिति तालिका 4.4 में दर्शाई गई है।

तालिका 4.4: नमूना-जांचित जिलों में स्वीकृत कार्यों के निष्पादन की स्थिति

(₹ करोड़ में)

वर्ष		2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल	
		संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत	संख्या	लागत
चंबा	स्वीकृत	501	17.25	636	19.09	584	21.78	605	22.58	2,326	80.70
	पूर्ण	346	10.48	286	8	63	2.2	9	0.19	704	20.87
	प्रगति पर	155	6.76	350	11.09	521	19.58	596	22.39	1,622	59.82
मंडी	स्वीकृत	818	15.97	824	19.2	742	21.97	946	25.43	3,330	82.57
	पूर्ण	689	13.67	619	14.88	412	13.49	185	4.81	1,905	46.85
	प्रगति पर	129	2.3	205	4.32	330	8.49	761	20.62	1,425	35.73
सिरमौर	स्वीकृत	72	2.82	99	3.06	110	3.54	96	3.71	377	13.13
	पूर्ण	59	2.15	85	2.77	79	2.26	35	1.33	258	8.51
	प्रगति पर	13	0.67	14	0.3	31	1.28	61	2.38	119	4.63
योग	स्वीकृत	1,391	36.04	1,559	41.35	1,436	47.29	1,647	51.72	6,033	176.40
	पूर्ण	1,094	26.30	990	25.65	553	17.95	232	6.55	2,869	76.45
	प्रगति पर	297	9.75	569	15.71	883	29.35	1,415	45.18	3,164	99.99

स्रोत: एसएमआईएस डेटा व विभाग द्वारा दी गई जानकारी।


- iii. वर्ष 2018-22 के दौरान ₹ 76.45 करोड़ की लागत से सकल 2,869 कार्य (6,033 में से) पूर्ण किए गए। तथापि जैसाकि पूर्ववर्ती परिच्छेदों में बताया गया है, उपायुक्तों द्वारा अद्यतन रिकॉर्ड/वास्तविक समय डेटा के अभाव में पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध में समय वृद्धि और उसके कारणों का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

⁴⁹ चम्बा: 2,326 कार्य (₹ 80.70 करोड़); मंडी: 3,330 कार्य (₹ 82.57 करोड़); और सिरमौर: 377 कार्य (₹ 13.13 करोड़)।

- iv. सितंबर 2022 तक शेष 3,164 कार्यों में से 1,415 कार्य (45 प्रतिशत) प्रगति पर थे तथा 1,749 कार्य (55 प्रतिशत) अपूर्ण⁵⁰ थे।
- v. इसके अतिरिक्त नमूना-जांचित जिलों में अप्रैल 2018 से पहले स्वीकृत 133 कार्य सितंबर 2022 तक अपूर्ण थे।

अपूर्ण कार्यों के संबंध में आयु-वार विलम्ब चार्ट 4.3 में दिया गया है।

चार्ट 4.3: अपूर्ण कार्यों का आयु-वार विलम्ब



डेटा के अनुरक्षण/अद्यतन के अभाव में विलम्ब के कारणों का लेखापरीक्षा में पता नहीं लगाया जा सका।

वर्ष 2018-22 की अवधि से संबंधित डेटा के कार्यकारी एजेंसी-वार विश्लेषण से पता चला कि ₹ 88.11 करोड़ (50 प्रतिशत) में स्वीकृत 3,409 कार्य (57 प्रतिशत) पांच कार्यकारी एजेंसियों द्वारा (चयनित जिलों में) निष्पादित किए गए। सितंबर 2022 तक इन कार्यों में से ₹ 37.08 करोड़ मूल्य के 1,451 कार्य पूर्ण हो चुके थे तथा ₹ 51.03 करोड़ मूल्य के 1,958 कार्य प्रगति पर थे। इन 15 निष्पादन एजेंसियों (प्रत्येक चयनित जिले की शीर्ष पांच एजेंसियां) की विस्तृत स्थिति परिशिष्ट 4.8 में दी गयी है।

सरकार ने बताया (जुलाई 2023) कि एसएमआईएस पोर्टल को निष्पादन एजेंसी स्तर तक विस्तारित करने के प्रयास किए जाएंगे, जिससे उपायुक्तों योजना मुख्यालय/दल को योजनाओं की वास्तविक स्थिति जानना संभव हो सकेगा।

अंतिम बैठक में सचिव ने आश्वासन दिया कि सभी संबंधितों को निर्देशित किया जाएगा कि वे दिशानिर्देशों के प्रावधानों का पालन करें।

⁵⁰ मानदंडों के अनुसार कार्य वित्तीय वर्ष के भीतर या स्वीकृति के एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना है।

4.10.7.1 (ग) नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में कार्यों के निष्पादन की स्थिति

स्वीकृति आदेशों के अनुसार कार्यों को वित्तीय वर्ष की समाप्ति से पूर्व या कार्य आवंटन की तिथि से एक वर्ष के भीतर पूर्ण किया जाना था।

वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में उपायुक्तों द्वारा ₹ 13.57 करोड़ के सकल 422 योजनाओं/कार्यों को स्वीकृत किया गया, लेखापरीक्षा में पाया गया कि:

- i. वर्ष 2018-22 के दौरान संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों/ग्राम पंचायतों के माध्यम से निष्पादित किए जाने हेतु ₹ 5.27 करोड़⁵¹ की लागत से स्वीकृत 189 योजनाओं/कार्यों में से 119 कार्य ₹ 3.01 करोड़ की व्यय से पूर्ण किए गए, जबकि ₹ 1.32 करोड़ की लागत से स्वीकृत 38 कार्य प्रारंभ नहीं किए गए। इक्कीस कार्य (स्वीकृत लागत: ₹ 0.92 करोड़) सितम्बर 2022 तक अपूर्ण/प्रगति पर थे। ₹ 0.02 करोड़ का एक कार्य छोड़ दिया गया था।
- ii. वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में विभिन्न निष्पादन एजेंसियों जैसे हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जल शक्ति विभाग आदि (बीडीओ के अतिरिक्त) के माध्यम से निष्पादित किए जाने हेतु ₹ 8.30 करोड़⁵² की लागत से स्वीकृत 233 योजनाओं/कार्यों में से 114 योजनाएं/कार्य ₹ 3.43 करोड़ के व्यय से पूर्ण किए गए एवं ₹ 2.43 करोड़ की स्वीकृत लागत वाली 58 योजनाएं/कार्य सितंबर 2022 तक प्रारंभ नहीं किए गए। शेष 61 योजनाएं/कार्य (स्वीकृत लागत: ₹2.44 करोड़) सितंबर 2022 तक अपूर्ण थे।

सरकार ने बताया (जुलाई 2023) कि सभी निष्पादन एजेंसियों को स्वीकृत योजनाएं समय पर पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

4.10.7.2 आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के तहत चयनित स्वीकृत योजनाओं/कार्यों की विस्तृत संवीक्षा एवं भौतिक निरीक्षण

नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में लेखापरीक्षा द्वारा 59 योजनाओं/कार्यों (422 में से) की विस्तृत संवीक्षा एवं संयुक्त भौतिक निरीक्षण किया गया (परिशिष्ट 4.9), जिनका संक्षिप्त विवरण तालिका 4.5 में दिया गया है।

⁵¹ चंबा: 48 (₹ 1.14 करोड़); मंडी: 79 (₹ 1.99 करोड़) एवं सिरमौर: 62 (₹ 2.14 करोड़)

⁵² चंबा: 96 (₹ 3.60 करोड़); मंडी: 75 (₹ 2.27 करोड़) एवं सिरमौर: 62 (₹ 2.43 करोड़)

तालिका 4.5: नमूना-जांचित ग्राम पंचायतों में संयुक्त भौतिक निरीक्षण हेतु चयनित योजनाएं/कार्य

(कार्य संख्या में व राशि ₹ लाख में)

जिला (1)	कार्यों के निरीक्षण के विवरण			कार्य की स्थिति				(5) में से उपयोग में न लाई गई संपत्तियों की संख्या (7)		अक्टूबर 2022 तक (6) में से अपूर्ण कार्यों की संख्या (8)	
	संख्या (2)	स्वीकृत राशि (3)	व्यय (4)	पूर्ण (5)		अपूर्ण/प्रक्रियाधीन (6)		संख्या	व्यय	संख्या	व्यय
				संख्या	व्यय	संख्या	व्यय				
चंबा	16	55.14	41.34	11	34.37	5	6.97	3	14.97	3	6.23
मंडी	18	67.24	57.68	10	43.12	8	14.56	3	25.75	4	8.56
सिरमौर	25	133.38	127.05	17	87.56	8	39.50	1	3	7	35.50
योग	59	255.76	226.07	38	165.04	21	61.03	7	43.72	14	50.29

स्रोत: विभाग द्वारा प्रदान की गई जानकारी।

यह पाया गया कि :

- 38 योजनाएं/कार्य ₹ 1.65 करोड़ के व्यय से पूर्ण किए गए (जुलाई से नवंबर 2022 के मध्य)। हालांकि निरीक्षण की तिथि (अक्टूबर 2022 से जनवरी 2023 के मध्य) तक पूर्ण की गई सात योजनाएं/कार्य (38 में से), जिन पर ₹ 0.44 करोड़ खर्च हुए थे, उपयोग में नहीं लाए गए, जिससे यह व्यय निष्फल रहा।
- अक्टूबर 2022 तक ₹ 0.61 करोड़ के व्यय के 21 कार्य अपूर्ण/प्रगति पर थे। नमूना-जांचित (संयुक्त भौतिक निरीक्षण सहित) कुछ योजनाओं में प्रमुख कमियां व उनका प्रभाव तालिका 4.6 में दर्शाया गया है।

तालिका 4.6: नमूना-जांचित कार्यों में कमियां

योजना/कार्य का नाम व कमियां	छायाचित्र
<p>1. गांव लुडेड़ा तक संपर्क सड़क का निर्माण (ग्राम पंचायत बाकन -चंबा)</p> <ul style="list-style-type: none"> जनता को परिवहन सुविधा उपलब्ध कराने के लिए उपरोक्त संपर्क सड़क के निर्माण हेतु, जिसे अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भरमौर द्वारा निर्मित किया जाना था, को उपायुक्त चंबा द्वारा ₹ 72.73 लाख की प्रशासनिक स्वीकृति प्रदान की गई (सितंबर 2017)। स्वीकृत एवं जारी ₹ 26.27 लाख (सितंबर 2017: ₹ 5.00 लाख, जून 2018: ₹ 10.00 लाख व नवंबर 2020: ₹ 11.27 लाख) के प्रति अधिशाषी अभियंता ने जून 2024 तक ₹ 23.36 लाख की राशि व्यय की। स्थानीय विवाद और मौसम संबंधी परिस्थितियों के कारण कार्य की प्रगति बाधित हुई। इस प्रकार जुलाई 2024 तक 	 <p>गांव लुडेड़ा तक अपूर्ण संपर्क सड़क</p>

योजना/कार्य का नाम व कमियां	छायाचित्र
<p>स्वीकृति की तिथि से पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी कार्य अधूरा रहा, जिससे लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे।</p>	
<p>2. सरकारी माध्यमिक विद्यालय काकियन में एक कमरे का निर्माण (ग्राम पंचायत उटीप-चंबा)</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वीकृत ₹ 3.00 लाख (मार्च 2020) के प्रति ग्राम पंचायत ने ₹ 3.00 लाख की राशि व्यय की तथा अप्रैल 2022 में कार्य को पूर्ण दर्शाया गया। भौतिक निरीक्षण (दिसंबर 2022) के अनुसार कार्य पूर्ण नहीं हुआ था (प्लास्टर, लकड़ी और पेंट का कार्य नहीं किया गया था)। ग्राम पंचायत के प्रस्ताव के आधार पर ₹ दो लाख की अतिरिक्त राशि स्वीकृत की गई (दिसंबर 2022) परन्तु जुलाई 2024 तक कार्य अभी भी प्रगति पर था और भवन का उपयोग नहीं किया जा सका। दिसंबर 2022 में अतिरिक्त निधियां स्वीकृत होने के बावजूद अधूरा कार्य नहीं किया गया। 	 <p style="text-align: center;">सरकारी माध्यमिक विद्यालय काकियन में अपूर्ण कमरा</p>
<p>3. बैराथी नाला में पैदल यात्री पुल का निर्माण (ग्राम पंचायत धीम कटारू - मंडी)</p> <ul style="list-style-type: none"> ₹ 3.00 लाख की स्वीकृति के प्रति ग्राम पंचायत ने ₹ 3.00 लाख की राशि व्यय की और कार्य को दिसंबर 2021 में पूर्ण दर्शाया गया। स्वीकृति केवल पैदल चलने वालों के पुल के लिए थी एवं अनुमान के अनुसार एबटमेंट को शामिल नहीं किया गया था। भौतिक निरीक्षण (नवंबर 2022) में उजागर हुआ कि निर्मित पुल रास्ते से जुड़ा नहीं था। जुलाई 2024 तक पुल का उपयोग नहीं किया गया, जिससे क्षेत्र की जनता अभीष्ट लाभों से वंचित रही और ₹ 3.00 लाख का व्यय निष्फल हो गया। 	 <p style="text-align: center;">बैराथी नाला में पैदल चलने वालों का पुल</p>
<p>4. राजकीय उच्च विद्यालय, कांटी मशवा में शिक्षकों के छात्रावास का निर्माण (ग्राम पंचायत कांटी मशवा - सिरमौर)</p> <ul style="list-style-type: none"> स्वीकृत ₹ 41.58 लाख (2001-07: ₹ 36.00 लाख, फरवरी 2020: ₹ 2.32 लाख व मार्च 2020: ₹ 3.26 लाख) की राशि से अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, शिलाई ने उपरोक्त शिक्षकों के 	

योजना/कार्य का नाम व कमियां	छायाचित्र
<p>छात्रावास भवन का निर्माण किया और विद्यालय प्रशासन को हस्तांतरण नोट भेजा (जुलाई 2020)।</p> <ul style="list-style-type: none"> विद्यालय प्रबंधन समिति ने छात्रावास का अधिग्रहण नहीं किया और निर्माण में आपतियां उठाईं (टूटी हुई खिड़कियां/ग्रिल, छत में दरारें, एक दीवार में सीलन आदि) तथा दिसंबर 2022 तक भवन का उपयोग नहीं किया जा सका। छात्रावास के दोषपूर्ण निर्माण के कारण लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रह गए तथा ₹ 41.58 लाख का व्यय निष्फल हो गया। 	 <p>ग्राम पंचायत कांटी मशवा में शिक्षकों का छात्रावास</p>

4.10.7.4 अन्य अनियमितताएं

4.10.7.4 (क) परित्यक्त कार्य

- वर्ष 2001 में नमूना-जांचित खण्ड मेहला में पिछड़े क्षेत्र में शिक्षकों को आवास उपलब्ध कराने के लिए उपायुक्त चंबा ने ₹ 16.00 लाख की राशि राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, सुनारा में शिक्षकों के छात्रावास के निर्माण हेतु स्वीकृत की। वर्ष 2014 तक खण्ड विकास अधिकारी, मेहला ने स्वीकृत राशि के प्रति ₹ 14.37 लाख व्यय किए परन्तु भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हुआ और 2014 से कार्य परित्यक्त पड़ा है, जैसाकि चित्र में दर्शाया गया है:



ग्राम पंचायत सुनारा में शिक्षकों का छात्रावास भवन परित्यक्त अधूरा

खण्ड विकास अधिकारी के पास ₹ 1.63 लाख की शेष राशि बिना उपयोग के रखी थी। छात्रावास भवन का निर्माण पूर्ण न होने के कारण संबंधित लाभार्थी अभीष्ट लाभों से वंचित रहे और ₹ 14.37 लाख का व्यय निष्फल हो गया। हालांकि खण्ड विकास अधिकारी, मेहला ने ग्राम पंचायत सुनारा के प्रस्ताव के आधार पर कार्य की पूर्णता के लिए प्रशासनिक अनुमोदन व वित्तीय स्वीकृति हेतु अनुमान उपायुक्त, चंबा को प्रस्तुत किया (जुलाई 2024)।

- ii. नमूना-जांचित दो जिलों में सड़क एवं पुल क्षेत्र के तहत पांच कार्यों⁵³ के निष्पादन हेतु (2014-19 के दौरान ₹ 23.50 लाख स्वीकृत) कार्यकारी एजेंसियों ने ₹ 14.73 लाख व्यय किए। हालांकि भूमि विवादों के कारण ये कार्य पूर्ण नहीं हो सके तथा जुलाई 2017 से (अक्टूबर 2022 तक) परित्यक्त पड़े थे। यह ₹ 8.77 लाख की राशि के अवरोधन एवं ₹ 14.73 लाख के निष्फल व्यय में परिणत हुआ।

मंडी जिले की संबंधित ग्राम पंचायतों के खण्ड विकास अधिकारियों ने बताया (नवंबर 2022 व जनवरी 2023) कि भूमि विवादों, नियमित औपचारिकताओं की पूर्ति न होने, आदि के कारण कार्य पूर्ण नहीं हो सके। सिरमौर जिले के संबंध में उत्तर लंबित था (जनवरी 2025)।

उत्तरों को इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि खण्ड विकास अधिकारियों द्वारा बताए गए कारणों से संबंधित मुद्दों का समाधान कार्यों के निष्पादन से पूर्व ही कर लिया जाना चाहिए था।

सरकार ने बताया (जुलाई 2023 में) कि इस मामले को मासिक बैठकों में संबंधित खण्ड विकास अधिकारियों के साथ उठाया जाएगा तथा संबंधित अधिकारियों के विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई पर विचार किया जाएगा।

4.10.8 आंतरिक नियंत्रण एवं निगरानी

4.10.8.1 उपयोगिता-प्रमाणपत्र

स्वीकृति आदेश के अनुसार विकास के निर्दिष्ट शीर्षों के तहत किए गए व्यय के उपयोगिता-प्रमाणपत्रों से संबंधित डेटा को जिला स्तर पर अनुरक्षित किया जा सकता है।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-22 के दौरान उपायुक्त, सिरमौर में विभिन्न विकास शीर्षों के अंतर्गत ₹ 2.88 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण किए गए 63 कार्यों (₹ 8.50 करोड़ के व्यय के साथ पूर्ण किए गए 258 कार्यों में से) के संबंध में उपयोगिता-प्रमाणपत्र संबंधित निष्पादन एजेंसियों से प्रतीक्षित (अक्टूबर 2022) थे। यह इस तथ्य का परिचायक है कि न तो कार्यान्वयन एजेंसियों ने दिशा निर्देशों का पालन किया एवं न ही उपायुक्त सिरमौर ने उपयोगिता-प्रमाणपत्रों पर जोर दिया, जिससे स्वीकृत प्राधिकरण की निगरानी में कमी परिलक्षित होती है।

जिला योजना अधिकारी, सिरमौर ने बताया (जनवरी 2023) कि उपयोगिता-प्रमाणपत्र/पूर्णता प्रमाणपत्र शीघ्र प्राप्त किए जाएंगे।

⁵³ मंडी: दो कार्य (ग्राम पंचायत भटकीधार: एक कार्य व हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, जंजैहली: एक कार्य स्वीकृत: ₹ 3.50 लाख; व्यय: ₹ 2.23 लाख व शेष: ₹ 1.27 लाख) एवं सिरमौर: तीन कार्य (ग्राम पंचायत, कोरगा व सखोली: स्वीकृत: ₹ 20.00 लाख; व्यय: ₹ 12.50 लाख और शेष: ₹ 7.50 लाख)।

निष्पादन एजेंसियों से उपयोगिता-प्रमाणपत्र प्राप्त न होने का मुद्दा मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में भी रेखांकित किया गया था तथा लोक लेखा समिति में हुई चर्चा के दौरान (अगस्त 2012) विभाग ने बताया कि सभी उपायुक्तों को पहले ही निर्देशित किया जा चुका है कि वे सभी स्वीकृत योजनाओं को शीघ्रता से पूरा करें एवं निष्पादन एजेंसियों से उपयोगिता-प्रमाणपत्र एवं पूर्णता प्रमाणपत्र प्राप्त करें। आश्वासन के आधार पर परिच्छेदों का समायोजन कर दिया गया था। हालांकि वर्तमान लेखापरीक्षा की अवधि के दौरान यह मुद्दा जिला सिरमौर में देखा गया।

4.10.8.2 आंतरिक लेखापरीक्षा

आंतरिक लेखापरीक्षा भी उचित आंतरिक नियंत्रण और निगरानी के साधनों में से एक है। सलाहकार (योजना) द्वारा जारी निर्देशों (अक्टूबर 1999 व अक्टूबर 2018) के अनुसार क्रेडिट योजना अधिकारी जिला व खण्ड स्तर पर लेखाओं का अनुरक्षण करेंगे तथा योजना मद की योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करेंगे।

लेखापरीक्षा में पाया गया कि वर्ष 2018-22 के दौरान नमूना-जांचित जिलों में चयनित उपायुक्तों के कार्यालय में तैनात ऋण योजना अधिकारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा संचालित नहीं की गई।

नमूना-जांचित जिलों के उपायुक्तों ने स्वीकार किया (जनवरी 2023) कि आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के अंतर्गत कोई आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई। सरकार ने बताया (जुलाई 2023) कि योजना मद की योजनाओं के अंतर्गत आवंटित निधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा हेतु सभी क्रेडिट योजना अधिकारियों को निर्देश जारी किए जाएंगे।

अंतिम बैठक (मई 2023) में सचिव ने व्यावहारिक परिस्थितियों के अनुसार दिशानिर्देशों को संशोधित/समीक्षा करने के लिए एक तंत्र विकसित करने का आश्वासन दिया।

4.10.9 निष्कर्ष

जिला योजना, विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की नियमित बैठकों का आयोजन न होने एवं निधियों के अवरोधन का मुद्दा मार्च 2005 को समाप्त वर्ष के लिए नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन (सिविल एवं वाणिज्यिक) में रेखांकित किया गया था। लोक लेखा समिति में चर्चा के दौरान (मार्च 2015) विभाग ने आश्वासन दिया कि अनुशंसाओं के अनुसार बैठकें आयोजित की जाती रहेंगी। हालांकि वर्तमान लेखापरीक्षा अवधि के दौरान यह अनियमितता बनी रही क्योंकि वर्ष 2018-19 व 2021-22 के मध्य जिला योजना, विकास और 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति ने अपेक्षित 48 बैठकों के प्रति केवल दो बैठकें आयोजित कीं।

वित्तीय प्रबंधन कमज़ोर था क्योंकि निधियों के अनियमित पुनर्विनियोजन एवं वित्तीय वर्ष की अंतिम तिमाही में व्यय के तीव्र प्रवाह जैसे दृष्टांत देखे गए। बुक किए गए व्यय में केवल वह राशि दर्शाई गई जो वर्ष 2018-22 के दौरान निष्पादन एजेंसियों को जारी की गई थी, क्योंकि

लेखापरीक्षा विश्लेषण से उजागर हुआ कि वर्ष 2021-22 की समाप्ति में छह नमूना-जांचित खण्ड विकास अधिकारियों के पास ₹ 12.22 करोड़ की अप्रयुक्त निधियां शेष थीं। योजना निगरानी सूचना प्रणाली को अद्यतन नहीं किया गया तथा इससे योजनाओं/कार्यों के निष्पादन की समय-सीमा का पता नहीं चल सका। अप्रैल 2018 से पूर्व स्वीकृत कार्य सितंबर 2022 तक अपूर्ण रहे। निर्मित अधोसंरचना के उपयोग न होने के उदाहरण पाए गए। सिरमौर में वर्ष 2018-22 के दौरान पूर्ण किए गए कार्यों के संबंध में ₹ 2.88 करोड़ के उपयोगिता-प्रमाणपत्र अक्टूबर 2022 तक लंबित थे। सलाहकार (योजना) द्वारा जारी निर्देशों (अक्टूबर 1999 व अक्टूबर 2018) के अनुसार क्रेडिट योजना अधिकारी जिला एवं खण्ड स्तर पर लेखाओं का अनुरक्षण करेंगे तथा योजना शीर्ष योजनाओं के तहत आवंटित निधियों की आंतरिक लेखापरीक्षा करेंगे। हालांकि लेखापरीक्षा में पाया गया कि नमूना-जांचित जिलों में क्रेडिट योजना अधिकारियों द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई।

4.10.10 अनुशंसाएं

सरकार विचार करें :

- ग्राम पंचायतों के श्रेणीकरण के मौजूदा मानदंडों की आवधिक समीक्षा करना साथ ही उप-योजना की प्रभावशीलता का आकलन लगाना।
- आकांक्षी खण्ड विकास कार्यक्रम के प्रभावी निरूपण, कार्यान्वयन, निगरानी एवं समीक्षा सुनिश्चित करने के लिए जिला योजना, विकास एवं 20 सूत्रीय कार्यक्रम समीक्षा समिति की निर्धारित बैठकें आयोजित करना।
- सभी लाइन विभागों से परियोजनाओं की समेकित सूची प्राप्त करना तथा उनका जिला स्तर पर समेकन सुनिश्चित करना।
- अधोसंरचना सृजन हेतु योजनाओं/कार्यों के क्रियान्वयन में तेजी लाना तथा निर्मित अधोसंरचना का उपयोग सुनिश्चित करना, ताकि जनता को समय पर अभीष्ट लाभ मिल सके।
- उप-योजना के सुचारु कार्यान्वयन के लिए सभी स्तरों पर योजनाओं/गतिविधियों के निष्पादन की प्रभावी निगरानी सुनिश्चित करना।

4.11 अस्वीकार्य कार्यों के लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का अनियमित डायवर्जन एवं दुरुपयोग

राज्य कार्यकारी समिति ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धनराशि का उचित उपयोग सुनिश्चित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप उपायुक्तों द्वारा मरम्मत और पुनर्स्थापन के अस्वीकार्य कार्यों, जो आवश्यक नहीं थे या किसी आपदा/प्राकृतिक विपत्ति के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे, पर ₹ 22.61 करोड़ का अनियमित डायवर्जन और दुरुपयोग किया गया।

राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संचालन के लिए भारत सरकार के जारी दिशानिर्देश (सितंबर 2010), जिन्हें जुलाई 2015 में संशोधित किया गया था, के अनुसार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि का उपयोग केवल निर्दिष्ट आपदाओं/प्राकृतिक विपत्तियों के पीड़ितों को तत्काल राहत प्रदान करने के लिए ही किया जाना है। हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन एवं राहत नियमावली, 2012 में भी यह प्रावधान है कि राजस्व विभाग के क्षेत्रीय कार्मिकों के लिए तत्काल स्थल निरीक्षण कर क्षति का आकलन करना और इसकी रिपोर्ट संबंधित अधिकारियों को देना अनिवार्य है। राज्य कार्यकारी समिति, जिसकी अध्यक्षता राज्य सरकार के मुख्य सचिव करते हैं, यह सुनिश्चित करेगी कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से आहरित धनराशि का वास्तव में उन्हीं उद्देश्यों के लिए उपयोग हो, जिनके लिए राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि की स्थापना की गई है, व्यय केवल निर्धारित मदों पर मानदंडों के अनुसार किया जाए, तथा निधियों का डायवर्जन अस्वीकार्य व्यय की ओर न हो। राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से प्राप्त निधियां राज्य सरकार द्वारा विभिन्न उपायुक्तों एवं विभागों को भारत सरकार के दिशानिर्देशों के संदर्भ में उपयोग हेतु आवंटित की जाती हैं। अप्रैल 2015 में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के संशोधित व्यय मदों एवं सहायता के मानदंडों के अनुसार राज्य सरकार के भवनों, जैसे कि कार्यालय भवनों, आवासीय भवनों आदि की मरम्मत के लिए सहायता राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत शामिल नहीं है। इसके अतिरिक्त राज्य सरकार ने स्पष्ट किया था (अक्टूबर 2017) कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से वायर क्रेट्स, सुरक्षा दीवारों, चेक डेम्स की मरम्मत और मृदा संरक्षण के लिए धनराशि स्वीकृत नहीं की जानी चाहिए।

दिसंबर 2016 से मई 2021 की अवधि में पांच जिलों (चंबा, मंडी, शिमला, सिरमौर व सोलन) की राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के अंतर्गत उपायुक्तों द्वारा स्वीकृत कार्यों से संबंधित अभिलेखों की संवीक्षा (फरवरी 2021 से मार्च 2022) से उजागर हुआ कि:

- वर्ष 2018-21 के दौरान उपायुक्तों ने सरकारी कार्यालयों व आवासीय भवनों, न्यायालय परिसरों, खेल मैदानों की मरम्मत व नवीनीकरण, सुरक्षा दीवारों, वायर क्रेट्स, आदि के निर्माण के 823 कार्यों हेतु दिशानिर्देशों/निर्देशों का उल्लंघन करते हुए ₹ 10.23 करोड़⁵⁴ की राशि स्वीकृत और जारी की। यह निधियों के अनियमित डायवर्जन और दुरुपयोग की श्रेणी में आता है।
- चंबा, मंडी व सोलन जिलों में उपायुक्तों ने संबंधित राजस्व अधिकारियों से प्राकृतिक आपदाओं के कारण हुई क्षति की आकलन रिपोर्ट प्राप्त किए बिना 210 मरम्मत व पुनर्स्थापन कार्यों के निष्पादन के लिए ₹ 3.37 करोड़⁵⁵ की राशि स्वीकृत की

⁵⁴ चम्बा: ₹ 1.68 करोड़ (50 कार्य); मंडी ₹ 0.93 करोड़ (73 कार्य); शिमला: ₹ 6.37 करोड़ (633 कार्य); सिरमौर: ₹ 0.73 करोड़ (40 कार्य); व सोलन: ₹ 0.52 करोड़ (27 कार्य)।

⁵⁵ चम्बा: ₹ 0.25 करोड़ (21 कार्य) व मंडी: ₹ 2.25 करोड़ (149 कार्य); व सोलन: ₹ 0.87 करोड़ (40 कार्य)।

(जनवरी 2019 व मार्च 2021 के मध्य), जो राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों के प्रावधानों का उल्लंघन था।

- चंबा व सिरमौर जिलों में उपायुक्तों ने आठ विशेष/वार्षिक मरम्मत व रखरखाव कार्यों हेतु सात निष्पादन एजेंसियों⁵⁶ को ₹ 1.76 करोड़ की राशि स्वीकृत और जारी की (दिसंबर 2016 से मई 2021 के मध्य)। ये कार्य राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि/राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया निधि की परिधि में नहीं आते थे, क्योंकि कार्यकारी एजेंसियों द्वारा प्रस्तुत अनुमानों/प्रस्तावों के अनुसार ये पुल किसी भी प्राकृतिक आपदा के कारण क्षतिग्रस्त नहीं हुए थे।
- सिरमौर जिले में उपायुक्त ने संबंधित राजस्व अधिकारियों से कार्यों का विवरण एवं क्षति की आकलन रिपोर्ट प्राप्त किए बिना जिले में मरम्मत व पुनर्स्थापन कार्यों के लिए 17 कार्यकारी एजेंसियों को एकमुश्त ₹ 7.25 करोड़ की राशि स्वीकृत और जारी की (मार्च 2019 व सितंबर 2020 के मध्य)। आवश्यकता के पूर्वानुमान के आधार पर एकमुश्त राशि जारी करना राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन एवं राहत नियमावली का उल्लंघन था। निधि जारी करने के बाद भी उपायुक्त ने न तो कार्य-वार निधियों के उपयोग की रिपोर्ट एवं न ही क्षति की रिपोर्ट प्राप्त की, जिससे यह सुनिश्चित किया जा सके कि राशि का उपयोग राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत निर्धारित उद्देश्य/राहत कार्यों के लिए ही हुआ है। इससे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दुरुपयोग का जोखिम बना रहा।

राज्य कार्यकारी समिति, जिसे राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के उचित उपयोग को सुनिश्चित करना था, ने राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत स्वीकृत राहत कार्यों के संबंध में कोई नियंत्रण/रिपोर्टिंग तंत्र निर्धारित नहीं किया, जिसके परिणामस्वरूप जिला प्राधिकारियों द्वारा एसडीआरएफ का दुरुपयोग किया गया। इसके अतिरिक्त राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि से धन के अनियमित उपयोग और दुरुपयोग का उल्लेख नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के पूर्ववर्ती प्रतिवेदनों⁵⁷ में भी किया गया था। वर्ष 2014-15 व 2016-17 के प्रतिवेदनों के मामले में लोक लेखा समिति ने उनकी अनुशंसाओं (दिसंबर 2019) में राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों/मानदंडों के अनुसार सख्ती से निधियां जारी करने का निर्देश दिया था। हालांकि, लेखापरीक्षा में देखा गया कि जिला प्राधिकारियों ने दिशानिर्देशों/लोक लेखा समिति की अनुशंसाओं का पालन सुनिश्चित करने के लिए कोई सुधारात्मक कार्रवाई नहीं की।


⁵⁶ अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, चंबा: ₹ 0.30 करोड़ (एक कार्य); अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग डलहौजी: ₹ 0.09 करोड़ (एक कार्य); नगर परिषद् नाहन: ₹ 0.54 करोड़ (दो कार्य); अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, राजगढ़: ₹ 0.08 करोड़ (एक कार्य); अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, नाहन: ₹ 0.50 करोड़ (एक कार्य); खण्ड विकास अधिकारी, नाहन: ₹ 0.15 करोड़ (एक कार्य) और एनएसी राजगढ़: ₹ 0.10 करोड़ (एक कार्य)।

⁵⁷ सामाजिक, सामान्य एवं आर्थिक क्षेत्रों (गैर-सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) पर लेखापरीक्षा प्रतिवेदन वर्ष 2014-15 (परिच्छेद 3.26), 2016-17 (परिच्छेद 3.22), 2017-18 (परिच्छेद 3.17) व 2018-19 (परिच्छेद 3.12)।

जिला स्तरीय अधिकारियों (चंबा, शिमला, सिरमौर व सोलन) ने बताया (जनवरी 2021 से जून 2022 तक) कि ये कार्य सार्वजनिक संपत्ति की हानि को रोकने एवं व्यापक जनहित में सार्वजनिक कार्यालयों के सुचारु संचालन के लिए स्वीकृत किए गए थे। आगे यह भी बताया गया कि ये कार्य विभागों/जन प्रतिनिधियों से प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर बिना क्षति आकलन रिपोर्ट के, स्वीकृत किए गए थे। ये उत्तर स्वीकार्य नहीं हैं क्योंकि उपायुक्तों द्वारा निधियां अस्वीकृत कार्यों के लिए/ संबंधित राजस्व अधिकारियों की क्षति रिपोर्ट प्राप्त किए बिना जारी की गईं, जो कि राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों एवं हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन एवं राहत नियमावली के प्रावधानों का उल्लंघन है। उपायुक्त, मंडी ने कोई उत्तर प्रस्तुत नहीं किया।

लेखापरीक्षा निष्कर्ष जनवरी 2023 में सरकार को भेजे गए; जनवरी 2025 तक उनका उत्तर प्राप्त नहीं हुआ।

सरकार राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के दिशानिर्देशों व हिमाचल प्रदेश आपदा प्रबंधन एवं राहत नियमावली के प्रावधान लागू करके राज्य आपदा प्रतिक्रिया निधि के तहत निधियां स्वीकृत एवं जारी करने का तंत्र सुदृढ़ कर सकती है।


(पुरुषोत्तम तिवारी)

प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा)
हिमाचल प्रदेश

शिमला

दिनांक: 25 अगस्त 2025

प्रतिहस्ताक्षरित



(के. संजय मूर्ति)

नई दिल्ली

दिनांक: 27 अगस्त 2025

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक

परिशिष्ट

परिशिष्ट

परिशिष्ट 1.1

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.1)

विभाज्य संघीय करों व शुल्कों की निवल आय के अंश का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	मुख्य प्राप्ति शीर्ष	वास्तविक राशि 2021-22
1	0005-901-केंद्रीय वस्तु एवं सेवा कर	2,105.41
2	0008-901-एकीकृत वस्तु एवं सेवा कर	0
3	0020-901-निगम कर	2,202.48
4	0021-901-निगम कर के अतिरिक्त अन्य आय पर कर	2,169.83
5	0028-901-आय व व्यय पर अन्य कर	0.02
6	0032-901-सम्पत्ति कर	0.4
7	0037-901-उत्पाद शुल्क	510.58
8	0038-901-संघ उत्पाद शुल्क	265.82
9	0044-901-सेवा कर	87.35
10	0045-901-वस्तुओं व सेवाओं पर अन्य कर एवं शुल्क	7.15
सकल योग		7,349.04

परिशिष्ट 1.2

(संदर्भ: परिच्छेद 1.1.3)

अन्य कर-भिन्न राजस्व प्राप्तियों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. स.	मुख्य प्राप्ति शीर्ष	वास्तविक राशि 2020-21	वास्तविक राशि 2021-22
1	0050-लाभांश एवं लाभ	245.43	166.53
2	0051-लोक सेवा आयोग	5.86	4.84
3	0056-कारागार	0.24	0.15
4	0057-आपूर्ति एवं निपटान	0.01	0.04
5	0058-लेखन सामग्री एवं मुद्रण	8.27	9.80
6	0071-पेंशन व अन्य सेवानिवृत्त लाभों के प्रति अंशदान एवं वसूली	14.04	14.49
7	0075-विविध सामान्य सेवाएं	11.41	14.06
8	0202-शिक्षा, खेल, कला एवं संस्कृति	196.08	257.70
9	0210-चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	13.21	20.11
10	0211-परिवार कल्याण	0.008	0.01
11	0215-जलापूर्ति एवं स्वच्छता	66.93	73.07
12	0216-आवास	3.91	3.89
13	0217-शहरी विकास	5.95	4.76
14	0220-सूचना एवं प्रचार	1.12	1.06
15	0230-श्रम एवं रोजगार	8.2	13.94
16	0235-सामाजिक सुरक्षा एवं कल्याण	11.15	17.23
17	0250-अन्य सामाजिक सेवाएं	0.07	0.16
18	0401-फसल पालन	11.92	8.19
19	0403-पशुपालन	0.99	1.81
20	0405-मत्स्यपालन	3.16	4.52
21	0407-पौधारोपण	0.01	0.02
22	0408-खाद्य भण्डारण एवं वेयरहाउसिंग	0.71	0.28
23	0425-सहकारिता	9.51	3.12
24	0435-अन्य कृषि कार्यक्रम	0.77	0.54
25	0515-अन्य ग्रामीण विकास कार्यक्रम	20.41	19.17
26	0575-अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम	0.41	0.49
27	0700-वृहद सिंचाई	0.01	0.02
28	0701-मध्यम सिंचाई	0.23	0.05
29	0702-लघु सिंचाई	1.17	0.69
30	0851-ग्राम एवं लघु उद्योग	1.3	1.46
31	0852-उद्योग	8.15	9.55
32	1054-सड़कें एवं पुल	12.89	21.69
33	1055- सड़क परिवहन	0.24	0.14
34	1425-अन्य वैज्ञानिक अनुसंधान	0.002	0.02
35	1452-पर्यटन	6.46	2.37
36	1456-नागरिक आपूर्ति	0.2	0.19
37	1475-अन्य सामान्य आर्थिक सेवाएं	5.65	6.59
सकल योग		676.08	682.75

परिशिष्ट 2.1

(संदर्भ: परिच्छेद 2.1.9)

कोषागार, लेखा व लॉटरी विभाग द्वारा लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराई गई फाइलों का विवरण

फाइल का विषय	फाइल संख्या	अवधि
रोकड़ बही	-	2010-11 से 2020-21
बैंक पासबुक	-	2010-11 से 2020-21
प्रशासनिक रिपोर्ट	-	2018-19 से 2020-21
आईएफएमएस की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट	Fin (TAL) A (5)-3/2008	2010-11 से 2013-14
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ई-सैलरी के माध्यम से वेतन भुगतान से संबंधित फाइल	1776/ 71- Fin (T&A) VIII (Loose) Vol-II	2008-09 से 2020-21
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम ई-सैलरी के माध्यम से वेतन भुगतान से संबंधित फाइल	1776/ 71- Fin (T&A) VIII (Loose)	2008-09 से 2012-13
ईसीएस के माध्यम से पेंशन का भुगतान	Fin (TAL) B (15)-3/2009	2009-10 से 2017-18
इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम (ईसीएस)	17-76/ 71 Fin (T&A) VIII	2008-09 से 2009-10
जिला कोषागारों व उप-कोषागारों का वेतन व लेखा अधिकारी के रूप में पुनः पदनामित	Fin (TA) A(5) 1 /2006	2006-07 से 2008-09
कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण	Fin (TR) A (5) 13/ 94-VI Loose	2015-16 से 2016-17
बैंकों के साथ पत्राचार (वेतन संवितरण)	Fin (TR) A (5) 11/ 95-V Loose	2015-16 से 2019-20
आरबीआई के साथ पत्राचार	Fin (TR) B (15)- 1/ 75-V Loose	2010-11 से 2015-16
उप-कोषागारों का कम्प्यूटरीकरण	Fin (TR) A (5) 13/ 94-IV Loose	2014-15 से 2017-18
कोषागारों के साइबर कोषागार पत्राचार का कम्प्यूटरीकरण	Fin (TR) A (5) 13/ 94-V	2012-13 से 2015-16
कोषागारों के साइबर कोषागार पत्राचार का कम्प्यूटरीकरण	Fin (TR) A (5) 13/ 94-V VOL II	2014-15 से 2020-21
ई-कोष परियोजना के तहत भुगतान जारी	Fin (TAL) A (5)-2/2008 II	2008-09 से 2009-10
ई-कोष परियोजना	FIN (TR) A(5)-1/ 2008 II loose	2009-10 से 2014-15

परिशिष्ट 2.2

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2.1)

32 मांग अनुदानों के बजट अनुमोदन एवं वितरण के विवरण

(आंकड़े लाख में)

अनुदान संख्या	ई-बजट					ई-वितरण	अंतर
	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	कुल		
1	4,534.88	76.24	-	-6.08	4,605.04	4,603.62	1.42
2	2,471.40	33.05	-	-3.50	2,500.95	2,202.18	298.77
3	26,562.40	123.16	-	-3,598.04	23,087.52	21,231.03	1,856.49
4	26,629.33	463.20	-	-2,902.04	24,190.49	24,650.36	-459.87
5	1,37,395.83	163.82	-	-1,463.99	1,36,095.66	1,32,633.11	3,462.55
6	9,273.17	1,701.27	-	-401.60	10,572.84	9,701.22	871.62
7	1,61,184.16	1,088.64	-	-6,221.53	1,56,051.27	1,55,032.96	1,018.31
8	7,17,963.84	1,969.19	-	-74,532.27	6,45,400.76	6,16,571.61	28,829.15
9	2,56,254.47	10,840.30	-	-	2,55,952.06	2,48,091.03	7,861.03
10	4,96,135.28	24,358.06	-	-2,778.23	5,17,715.11	2,05,311.45	3,12,403.66
11	53,447.76	5.34	-	-5,110.12	48,342.98	44,877.42	3,465.56
12	42,357.11	8,674.12	-	-	51,031.23	50,046.25	984.98
13	3,72,629.98	303.65	-	-48,365.25	3,24,568.38	1,63,077.56	1,61,490.82
14	45,018.84	0.08	-	-4,034.12	40,984.80	39,807.97	1,176.83
15	52,155.39	0.03	-	-21,488.51	30,666.91	29,527.93	1,138.98
16	83,053.93	1.78	-	-10,799.13	72,256.58	70,166.61	2,089.97
17	3,073.86	1,904.89	-	-	4,978.75	4,413.43	565.32
18	25,470.59	22.74	-	-2,423.57	23,069.76	21,582.21	1,487.55

अनुदान संख्या	ई-बजट					ई-वितरण	अंतर
	मूल	अनुपूरक	पुनर्विनियोजन	अभ्यर्पण	कुल		
19	1,26,006.10	2,443.11	-	- 317.61	1,28,131.60	1,25,580.43	2,551.17
20	1,42,103.55	60.38	-	-10,654.56	1,31,509.37	1,28,433.32	3,076.05
21	3,648.33	6,117.15	-	-	9,765.48	9,634.71	130.77
22	30,572.26	9.06	-	-2,836.22	27,745.10	27,719.99	25.11
23	81,222.27	3,420.28	-	-0.02	84,642.53	84,630.93	11.60
24	3,093.41	-	-	-72.73	3,020.68	3,489.86	-469.18
25	41,867.03	30,459.94	-	-	72,326.97	71,975.53	351.44
26	1,11,219.64	0.04	-	-90,982.21	20,237.47	19,275.49	961.98
27	44,831.17	1,114.19	-	-8.73	45,936.63	38,079.89	7,856.74
28	83,015.61	9,398.92	-	-	92,414.53	83,912.58	8,501.95
29	15,72,565.89	8,00,263.24	-	- 1,56,589.46	22,16,239.67	77,585.98	21,38,653.69
30	13,017.57	1,196.45	-	-9.00	14,205.02	14,327.18	-122.16
31	1,93,983.96	618.62	-	-13,221.79	1,81,380.79	1,28,617.00	52,763.79
32	2,84,393.00	5,680.94	-	-3,663.58	2,86,410.36	2,00,008.32	86,402.04
योग	52,47,152.01	9,12,511.88	-	-4,73,626.60	56,86,037.29	28,56,799.16	28,29,238.13

बजट से अधिक अंतरण	-1,051.21
बजट से कम अंतरण	28,30,289.34
शुद्ध अंतर	28,29,238.13

परिशिष्ट 2.3

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.2.2)

32 मांग अनुदानों में से 28 में प्राप्त किए गए अनुपूरक अनुदानों के विवरण

(आंकड़े लाख में)

लेखा का प्रकार	अनुदान कोड	मूल	अनुपूरक	अभ्यर्पण	कुल	वास्तविक व्यय	बचत	व्यय_राज्य	अंतर
		ए	बी	सी	डी	ई	एफ	जी	एच
					(ए+बी+सी)		(ए-ई)		(जी-ई)
पूजीगत	01	305.00	5.00	0.00	310.00	177.29	127.71	177.29	0.00
राजस्व	01	4229.88	71.24	-6.08	4295.04	3878.70	351.18	3878.70	0.00
राजस्व	02	2471.40	33.05	-3.50	2500.95	2102.43	368.97	2020.72	-81.71
पूजीगत	03	705.00	122.97	0.00	827.97	515.01	189.99	338.00	-177.01
राजस्व	03	25857.40	0.19	-3598.04	22259.55	20668.84	5188.56	20538.48	-130.36
पूजीगत	04	856.00	0.01	-777.56	78.45	12.45	843.55	12.45	0.00
राजस्व	04	25773.33	463.19	-2124.48	24112.04	22594.21	3179.12	22862.05	267.84
राजस्व	05	136310.83	0.05	-1463.99	134846.89	124667.52	11643.31	124669.12	1.60
राजस्व	06	8473.16	1701.27	-401.60	9772.83	8421.56	51.60	8530.93	109.37
पूजीगत	07	6264.08	1079.08	0.00	7343.16	4305.50	1958.58	6876.05	2570.55
राजस्व	07	154920.08	9.56	-6221.53	148708.11	124384.87	30535.21	125167.16	782.29
राजस्व	08	706813.82	72.73	-74532.27	632354.28	570677.33	136136.49	573478.61	2801.28
राजस्व	09	240699.38	40.18	-11142.71	229596.85	191775.18	48924.20	192387.66	612.48
राजस्व	10	375285.28	27.87	-2778.23	372534.92	279001.23	96284.05	111463.72	-167537.51
राजस्व	11	44846.81	5.34	-4466.43	40385.72	36949.26	7897.55	36915.63	-33.63
राजस्व	13	277482.35	8.52	-48365.25	229125.62	264491.32	12991.03	122105.72	-142385.60
पूजीगत	13	95147.63	295.13	0.00	95442.76	92279.83	2867.80	33364.88	-58914.95
राजस्व	14	43099.76	0.08	-3919.01	39180.83	35215.36	7884.40	35215.68	0.32
राजस्व	15	7701.39	0.03	-699.42	7002.00	5511.64	2189.75	5619.10	107.46
राजस्व	16	80980.93	1.78	-10701.13	70281.58	63930.48	17050.45	63649.97	-280.51
पूजीगत	18	2341.00	22.73	0.00	2363.73	1454.45	886.55	1650.52	196.07
राजस्व	18	23129.59	0.01	-2423.57	20706.03	19166.95	3962.64	19348.37	181.42
पूजीगत	19	1203.03	0.02	-199.16	1003.89	708.80	494.23	708.80	0.00
राजस्व	19	124803.07	2443.09	-118.45	127127.71	120772.01	4031.06	120804.33	32.32
राजस्व	20	140976.54	0.38	-10654.56	130322.36	124630.12	16346.42	124650.75	20.63
राजस्व	21	3646.33	262.18	0.00	3908.51	3625.24	21.09	3625.24	0.00
राजस्व	22	30567.29	0.06	-2836.22	27731.13	27569.97	2997.32	27569.97	0.00
पूजीगत	23	30730.01	0.01	-0.02	30730.00	30403.74	326.27	21798.57	-8605.17
राजस्व	26	15348.64	0.04	-1982.21	13366.47	13159.83	2188.81	13159.83	0.00
राजस्व	27	36238.16	1114.19	-8.73	37343.62	25713.54	10524.62	25578.54	-135.00
पूजीगत	28	17450.00	553.26	0.00	18003.26	6897.25	10552.75	4695.25	-2202.00
राजस्व	29	1231437.36	0.12	-155931.66	1075505.82	1065227.73	166209.63	623379.73	-441848.00
पूजीगत	30	3751.08	84.99	0.00	3836.07	3680.64	70.44	3831.62	150.98
राजस्व	31	150470.49	0.45	-13221.79	137249.15	108901.55	41568.94	93227.37	-15674.18
पूजीगत	31	43513.47	618.16	0.00	44131.63	36588.10	6925.37	23512.68	-13075.42
राजस्व	32	145371.62	0.31	-3663.58	141708.35	118902.80	26468.82	118187.65	-715.15
पूजीगत	32	139021.38	5680.63	0.00	144702.01	129727.37	9294.01	75096.53	-54630.84

परिशिष्ट 2.4

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3.4 (क))

अवकाश नकदीकरण के दोहरे भुगतान के विवरण

कोषागार_कोड	आहरण व संवितरण अधिकारी_कोड	बिल संख्या	बिल तिथि	दावेदार का नाम	पेंशन भुगतान आदेश संख्या	निवल राशि (₹ में)
KNG00	726	KNG007262017100579	23-01-2018	****U RAM	****68297	3,84,410
KNG00	726	KNG007262018100370	23-10-2018	****U RAM	****68297	3,84,410
CHM00	630	CHM006302021100054	06-05-2021	****SINGH	****11329	3,12,200
CHM00	630	CHM006302021100125	14-06-2021	****SINGH	****11329	3,12,200
KNG05	729	KNG057292021100257	27-08-2021	****KUMAR	****15823	3,71,248
KNG05	729	KNG057292021100350	23-10-2021	****KUMAR	****15823	3,71,248
SOL00	522	SOL005222020100137	22-10-2020	****HAKUR	****99666	12,57,740
SOL00	522	SOL005222020100206	29-12-2020	****HAKUR	****99666	12,57,740
SOL03	201	SOL032012017100134	07-07-2017	****ISHAN	****49687	5,71,320
SOL03	201	SOL032012017100148	19-07-2017	****ISHAN	****49687	5,71,320
HMR00	509	HMR005092016100163	22-03-2017	****SINGH	****50262	3,65,240
HMR00	509	HMR005092017100003	26-04-2017	****SINGH	****50262	3,65,240
KNR00	708	KNR007082018100040	08-05-2018	****A RAM	****65275	2,75,390
KNR00	708	KNR007082018100152	22-09-2018	****A RAM	****65275	2,75,390
LHL00	529	LHL005292018100040	16-11-2018	****CHAND	****77823	1,92,890
LHL00	529	LHL005292019100016	07-08-2019	****CHAND	****77823	1,92,890
KNG08	200	KNG082002016100144	29-09-2016	**** LATA	****41502	4,66,690
KNG08	200	KNG082002017100121	06-11-2017	**** LATA	****41502	4,66,690
CTO00	57	CTO000572017100139	16-08-2017	**** DASS	****58468	6,98,280
CTO00	57	CTO000572017100277	09-01-2018	**** DASS	****58468	6,98,280
SML00	660	SML006602019100084	26-07-2019	****R PAL	****79696	4,24,800
SML00	660	SML006602019100095	03-08-2019	****R PAL	****79696	4,24,800
SML00	660	SML006602020100171	09-12-2020	****N LAL	****06148	4,89,050
SML00	660	SML006602020100205	01-02-2021	****N LAL	****06148	4,89,050
SMR01	657	SMR016572018100433	27-11-2018	**** DEVI	****78598	3,24,240
SMR01	657	SMR016572018100441	30-11-2018	**** DEVI	****78598	3,24,240
KNG15	5	KNG150052021100065	03-08-2021	****CHAND	****11078	5,99,360
KNG15	5	KNG150052021100111	21-09-2021	****CHAND	****11078	5,99,360

परिशिष्ट 2.5

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.3.7 (ख))

क्षेत्रीय लेखापरीक्षा में देखे गए अनेक संबद्धताओं का विवरण

क्र. सं.	कोषागार_कोड	कोषागार का नाम	आहरण व संवितरण अधिकारी_कोड	आहरण व संवितरण अधिकारी का नाम
1	KLU00	जिला कोषागार कार्यालय कुल्लू	512	उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा, कुल्लू
2	KLU00	जिला कोषागार कार्यालय कुल्लू	515	सहायक रजिस्ट्रार सहकारी समिति, कुल्लू
3	KLU00	जिला कोषागार कार्यालय कुल्लू	523	जिला अटॉर्नी कुल्लू
4	KLU00	जिला कोषागार कार्यालय कुल्लू	533	जिला विकास एवं पंचायत अधिकारी
5	KLU00	जिला कोषागार कार्यालय कुल्लू	600	अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मंडल-1, मंडी
6	KLU00	जिला कोषागार कार्यालय कुल्लू	629	अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, उदयपुर मंडल
7	KLU00	जिला कोषागार कार्यालय कुल्लू	809	वन मंडल कुल्लू
8	KLU01	बंजार में स्थित उप-कोषागार कार्यालय सिराज	506	जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू
9	KLU01	बंजार में स्थित उप-कोषागार कार्यालय सिराज	960	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी शिमला
10	KLU01	बंजार में स्थित उप-कोषागार कार्यालय सिराज	209	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय कोटला
11	KLU01	बंजार में स्थित उप-कोषागार कार्यालय सिराज	519	जिला कल्याण अधिकारी कुल्लू
12	KLU01	बंजार में स्थित उप-कोषागार कार्यालय सिराज	970	निदेशक, समग्र परीक्षण प्रयोगशाला, कंडाघाट
13	KLU01	बंजार में स्थित उप-कोषागार कार्यालय सिराज	626	अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, बंजार मंडल
14	KLU02	उप-कोषागार कार्यालय आनी	649	अधिशाषी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बाहरी सिराज मंडल
15	KLU02	उप-कोषागार कार्यालय आनी	534	खनन अधिकारी कुल्लू
16	KLU02	उप-कोषागार कार्यालय आनी	207	राजकीय उच्च विद्यालय कोठी
17	KLU02	उप-कोषागार कार्यालय आनी	512	उप निदेशक प्राथमिक शिक्षा कुल्लू
18	KLU03	उप-कोषागार कार्यालय निरमंड	506	जिला राजस्व अधिकारी कुल्लू
19	KLU03	उप-कोषागार कार्यालय निरमंड	525	उप निदेशक कृषि कुल्लू
20	KLU03	उप-कोषागार कार्यालय निरमंड	505	मुख्य चिकित्सा अधिकारी कुल्लू
21	KLU03	उप-कोषागार कार्यालय निरमंड	500	जिला कोषागार अधिकारी कुल्लू
22	KLU03	उप-कोषागार कार्यालय निरमंड	9	उप निदेशक बागवानी कुल्लू
23	KLU04	उप-कोषागार कार्यालय मनाली	525	उप निदेशक कृषि कुल्लू
24	KLU04	उप-कोषागार कार्यालय मनाली	501	उपायुक्त कुल्लू
25	KLU04	उप-कोषागार कार्यालय मनाली	960	वरिष्ठ पौधा संरक्षण अधिकारी शिमला
26	CTO00	शिमला राजधानी	689	अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, तिस्सा मंडल
27	CTO00	शिमला राजधानी	695	अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, नगरोटा बगवां स्थित टांडा मंडल
28	CTO00	शिमला राजधानी	648	अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, कुमारसैन मंडल
29	CTO00	शिमला राजधानी	616	अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल-1, शिमला

क्र. सं.	कोषागार_कोड	कोषागार का नाम	आहरण व संवितरण अधिकारी_कोड	आहरण व संवितरण अधिकारी का नाम
30	CTO00	शिमला राजधानी	601	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग मंडल-II, मंडी
31	CTO00	शिमला राजधानी	646	अधिशायी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत मंडल, मंडी
32	CTO00	शिमला राजधानी	631	अधिशायी अभियंता, लोक निर्माण विभाग सलूणी
33	CTO00	शिमला राजधानी	656	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग पांवटा
34	CTO00	शिमला राजधानी	612	अधिशायी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत मंडल-I, शिमला
35	CTO00	शिमला राजधानी	767	अधिशायी अभियंता, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग, नोहराधार मंडल
36	CTO00	शिमला राजधानी	816	वन मंडल सुकेत (सुंदरनगर)
37	CTO00	शिमला राजधानी	805	वन मंडल देहरा
38	CTO00	शिमला राजधानी	619	अधिशायी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, विद्युत मंडल-II, शिमला
39	CTO00	शिमला राजधानी	701	अधिशायी अभियंता, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग, सरकाघाट मंडल
40	CTO00	शिमला राजधानी	715	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य विभाग शिमला-I मंडल
41	CTO00	शिमला राजधानी	649	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, बाहरी सिराज मंडल निरमंड
42	CTO00	शिमला राजधानी	783	अधिशायी अभियंता, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य विभाग, जसवन परागपुर मंडल
43	CTO00	शिमला राजधानी	672	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग झुंडूता मंडल
44	CTO00	शिमला राजधानी	662	अधिशायी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यांत्रिक मंडल, शमशी (कूल्लू)
45	CTO00	शिमला राजधानी	807	वन मंडल पालमपुर
46	CTO00	शिमला राजधानी	647	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, रामपुर मंडल
47	CTO00	शिमला राजधानी	209	प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, कुफरी
48	CTO00	शिमला राजधानी	505	मुख्य चिकित्सा अधिकारी शिमला
49	CTO00	शिमला राजधानी	641	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, देहरा गोपीपुर मंडल
50	CTO00	शिमला राजधानी	655	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, नाहन मंडल
51	SML00	जिला कोषागार कार्यालय शिमला	534	खनन अधिकारी शिमला
52	SML00	जिला कोषागार कार्यालय शिमला	649	अधिशायी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, बाहरी सिराज मंडल
53	SML00	जिला कोषागार कार्यालय शिमला	717	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मंडल नेरवा
54	SML00	जिला कोषागार कार्यालय शिमला	823	वन मंडल राजगढ़
55	SML00	जिला कोषागार कार्यालय शिमला	880	अनुपलब्ध
56	SML01	उप-कोषागार कार्यालय कुपवी	86	उप निदेशक (बागवानी) पूर्वी क्षेत्र शिमला
57	SML03	उप-कोषागार कार्यालय सुन्नी	960	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी शिमला
58	SML04	उप-कोषागार कार्यालय ठियोग	534	खनन अधिकारी शिमला
59	SML15	उप-कोषागार कार्यालय नेरवा	227	प्रधानाचार्य, राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, झींकनिपल

क्र. सं.	कोषागार_कोड	कोषागार का नाम	आहरण व संवितरण अधिकारी_कोड	आहरण व संवितरण अधिकारी का नाम
60	SML15	उप-कोषागार कार्यालय नेरवा	970	निदेशक, समग्र परीक्षण प्रयोगशाला, कंडाघाट
61	SML02	उप-कोषागार कार्यालय कोटखाई	501	उपायुक्त शिमला
62	SML02	उप-कोषागार कार्यालय कोटखाई	507	अनुपलब्ध
63	SML02	उप-कोषागार कार्यालय कोटखाई	666	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग कोटखाई मंडल
64	SML02	उप-कोषागार कार्यालय कोटखाई	829	वन मंडल ठियोग
65	SML05	उप-कोषागार कार्यालय डोडरा क्वार	654	अधिशायी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, यांत्रिक मंडल, रामपुर
66	SML06	उप-कोषागार कार्यालय टिक्कर	504	एसी टू डीसी शिमला
67	SML06	उप-कोषागार कार्यालय टिक्कर	719	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य, रोहडू मंडल
68	SML06	उप-कोषागार कार्यालय टिक्कर	960	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी शिमला
69	SML06	उप-कोषागार कार्यालय टिक्कर	970	निदेशक, समग्र परीक्षण प्रयोगशाला, कंडाघाट
70	BLP00	जिला कोषागार कार्यालय बिलासपुर	534	खनन अधिकारी बिलासपुर
71	BLP00	जिला कोषागार कार्यालय बिलासपुर	500	जिला कोषागार अधिकारी बिलासपुर
72	BLP00	जिला कोषागार कार्यालय बिलासपुर	672	अधिशायी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग झुंडता मंडल
73	BLP00	जिला कोषागार कार्यालय बिलासपुर	900	ओ.एस.डी., फ्लाईंग स्क्वाड यूनिट, टूट, शिमला
74	BLP00	जिला कोषागार कार्यालय बिलासपुर	501	उपायुक्त बिलासपुर
75	BLP00	जिला कोषागार कार्यालय बिलासपुर	529	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक बिलासपुर
76	BLP00	जिला कोषागार कार्यालय बिलासपुर	504	एसी टू डीसी बिलासपुर
77	BLP01	उप-कोषागार कार्यालय नैना देवी/स्वारघाट	970	निदेशक, समग्र परीक्षण प्रयोगशाला, कंडाघाट
78	BLP01	उप-कोषागार कार्यालय नैना देवी/स्वारघाट	960	वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी शिमला
79	BLP01	उप-कोषागार कार्यालय नैना देवी/स्वारघाट	26	जिला बागवानी अधिकारी, बिलासपुर
80	BLP01	उप-कोषागार कार्यालय नैना देवी/स्वारघाट	501	उपायुक्त बिलासपुर
81	BLP01	उप-कोषागार कार्यालय नैना देवी/स्वारघाट	737	अधिशायी अभियंता, सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य मंडल घुमारवीं
82	BLP01	उप-कोषागार कार्यालय नैना देवी/स्वारघाट	644	अधिशायी अभियंता, लोक निर्माण विभाग, मंडल-II, बिलासपुर
83	BLP01	उप-कोषागार कार्यालय नैना देवी/स्वारघाट	819	वन मंडलाधिकारी बिलासपुर
84	BLP02	उप-कोषागार कार्यालय घुमारवीं	237	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, घराण
85	BLP02	उप-कोषागार कार्यालय घुमारवीं	970	निदेशक, समग्र परीक्षण प्रयोगशाला, कंडाघाट
86	BLP02	उप-कोषागार कार्यालय घुमारवीं	534	खनन अधिकारी बिलासपुर हिमाचल प्रदेश
87	BLP02	उप-कोषागार कार्यालय घुमारवीं	504	एसी टू डीसी बिलासपुर
88	BLP02	उप-कोषागार कार्यालय घुमारवीं	209	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, नाल्टी

क्र. सं.	कोषागार_कोड	कोषागार का नाम	आहरण व संवितरण अधिकारी_कोड	आहरण व संवितरण अधिकारी का नाम
89	BLP02	उप-कोषागार कार्यालय घुमारवीं	529	जिला खाद्य एवं आपूर्ति नियंत्रक बिलासपुर
90	BLP02	उप-कोषागार कार्यालय घुमारवीं	515	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां बिलासपुर
91	BLP02	उप-कोषागार कार्यालय घुमारवीं	26	जिला बागवानी अधिकारी, बिलासपुर
92	BLP03	उप-कोषागार कार्यालय झंडूता	504	एसी टू डीसी बिलासपुर
93	BLP03	उप-कोषागार कार्यालय झंडूता	672	अधिशोषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग झंडूता मंडल
94	BLP03	उप-कोषागार कार्यालय झंडूता	501	उपायुक्त बिलासपुर
95	SML08	उप-कोषागार कार्यालय ननखड़ी	515	सहायक रजिस्ट्रार, सहकारी समितियां शिमला
96	SML10	उप-कोषागार कार्यालय रामपुर	629	अधिशोषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग उदयपुर मंडल
97	SML10	उप-कोषागार कार्यालय रामपुर	712	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य, काजा मंडल
98	SML12	उप-कोषागार कार्यालय रोहडू	500	जिला कोषागार अधिकारी शिमला
99	SML12	उप-कोषागार कार्यालय रोहडू	504	एसी टू डीसी बिलासपुर
100	SML11	उप-कोषागार कार्यालय कुमारसैन	500	जिला कोषागार अधिकारी शिमला
101	SML11	उप-कोषागार कार्यालय कुमारसैन	740	सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य सूननी मंडल

परिशिष्ट 2.6

(संदर्भ: परिच्छेद 2.3.4.3 (क))

जन्म तिथि प्रविष्टियों के सत्यापन के लिए चयनित मामलों का विवरण

क्र. सं.	कोषागार कोड	विवरण	पीईएन कोड	पेंशन भुगतान आदेश संख्या
1	KLU00	****HARMA	****7B007	****388
2	KLU00	**** DEVI	****4D005	****697
3	KLU00	**** DEVI	****0L003	****882
4	KLU00	**** DEVI	****0J003	****994
5	KLU00	**** DEVI	****7D006	****357
6	KLU00	****E RAM	****0F021	****936
7	KLU00	**** DEVI	****9E016	****026
8	KLU00	**** DEVI	****7J002	****196
9	KLU00	**** DEVI	****1G005	****621
10	KLU00	**** DEVI	****0I005	****595
11	KLU00	**** DEVI	****1L005	****009
12	KLU00	****KIRAN	****5E043	****128
13	KLU00	****KIRAN	****5E043	****128
14	KLU00	****MVATI	****2F012	****400
15	KLU00	**** DEVI	****6D024	****707
16	KLU00	****UNTLA	****4C018	****504
17	KLU00	**** DEVI	****1J003	****971
18	KLU00	****HARMA	****7F007	****416
19	KLU00	**** DEVI	****4J001	****222
20	KLU00	**** DEVI	****5J002	****450
21	KLU00	**** DEVI	****1B003	****894
22	KLU00	****HIAYA	****3J003	****381
23	KLU00	****DASSI	****7D002	****375
24	KLU00	**** DEVI	****3K009	****109
25	KLU00	**** DEVI	****2H001	****817
26	KLU00	**** DEVI	****5I002	****267
27	KLU00	**** DEVI	****3L003	****825
28	KLU00	****RKALI	****5A016	****162
29	KLU00	**** DEVI	****6B001	****327
30	KLU00	**** DEVI	****7H003	****035
31	KLU00	**** DEVI	****8K020	****553
32	KLU00	****WANTI	****4K012	****135
33	KLU00	**** DEVI	****0L003	****361
34	KLU00	**** DEVI	****8E006	****826
35	KLU00	**** DEVI	****5F001	****048
36	KLU00	**** DEVI	****2K002	****012
37	KLU00	**** DEVI	****7J001	****718
38	KLU00	**** DEVI	****8G008	****804
39	KLU00	****DASSI	****5D003	****796
40	KLU00	**** DEVI	****6D003	****724
41	KLU00	**** DEVI	****3B020	****328

क्र. सं.	कोषागार कोड	विवरण	पीईएन कोड	पेंशन भुगतान आदेश संख्या
42	KLU00	**** DEVI	****8C008	****162
43	KLU00	**** DEVI	****2G006	****549
44	KLU00	**** BALA	****8B016	****314
45	KLU00	**** DEVI	****0B008	****874
46	KLU00	**** DEVI	****0F012	****286
47	KLU00	**** DEVI	****0F012	****286
48	KLU00	****KMANI	****1K008	****360
49	KLU00	**** DEVI	****9K002	****070
50	KLU00	**** DEVI	****3F001	****059
51	KLU00	**** DEVI	****4E001	****196
52	KLU00	**** DEVI	****1C010	****264
53	KLU00	**** DEVI	****3I004	****037
54	KLU00	**** DEVI	****1H002	****420
55	KLU00	****HARMA	****2D001	****996
56	KLU00	**** DEVI	****9D003	****874
57	KLU00	****DASSI	****4B006	****522
58	KLU00	**** DEVI	****0L002	****892
59	KLU00	**** DEVI	****5A017	****168
60	KLU00	**** DEVI	****0F001	****505
61	KLU00	**** DEVI	****3B015	****072
62	KLU00	**** DEVI	****3C010	****803
63	KLU00	****BUTTI	****0K001	****882
64	KLU00	**** DEVI	****4B001	****449
65	KLU00	**** DEVI	****1F003	****318
66	KLU00	**** DEVI	****4F006	****040
67	KLU00	**** DEVI	****8A003	****035
68	KLU00	**** DEVI	****6G007	****225
69	KLU00	**** DEVI	****1E002	****789
70	KLU00	**** MANI	****9L001	****520
71	KLU00	****RBADA	****9I002	****536
72	KLU00	****DASSI	****7I016	****242
73	KLU00	**** DEVI	****9C005	****220
74	KLU00	**** DEVI	****3G013	****370
75	KLU00	****LBARU	****4C001	****967
76	SML00	**** DEVI	****	****591
77	SML00	**** DEVI	****	****364
78	SML00	**** DEVI	****	****510
79	SML00	**** DEVI	****	****142
80	SML00	****USHPA	****	****044
81	SML00	**** DEVI	****	****590
82	SML00	****AUHAN	****	****663
83	SML00	**** DEVI	****	****988
84	SML00	****HAKUR	****	****187
85	SML00	**** DEVI	****	****587
86	SML00	****MEHTA	****	****327
87	SML00	**** DEVI	****	****702

क्र. सं.	कोषागार कोड	विवरण	पीईएन कोड	पेंशन भुगतान आदेश संख्या
88	SML00	**** WATI	****	****868
89	SML00	**** DEVI	****	****631
90	SML00	**** DEVI	****	****368
91	SML00	**** DEVI	****	****354
92	SML00	**** DEVI	****	****823
93	SML00	**** DEVI	****	****852
94	SML00	**** DEVI	****	****804
95	SML00	**** DEVI	****	****087
96	SML00	**** DEVI	****	****933
97	SML00	**** DEVI	****	****846
98	SML00	**** DEVI	****	****309
99	SML00	**** DEVI	****	****555
100	SML00	**** DEVI	****	****047
101	SML00	**** DEVI	****	****224
102	SML00	****HATT.	****	****288
103	SML00	**** DEVI	****	****349
104	SML00	****RUKHU	****	****044
105	SML00	**** DEVI	****	****560
106	SML00	**** DEVI	****	****230
107	SML00	**** DEVI	****	****447
108	SML00	**** DEVI	****	****572
109	SML00	**** DEVI	****	****202
110	SML00	****DASSI	****	****922
111	SML00	****WARKI	****	****088
112	SML00	****RDWAJ	****	****839
113	SML00	**** KALI	****	****756
114	SML00	****GWATI	****	****515
115	SML00	****SINGH	****	****433
116	SML00	**** DEVI	****	****154
117	SML00	****ISHNA	****	****769
118	SML00	**** DEVI	****	****335
119	SML00	**** DEVI	****	****909
120	SML00	**** DEVI	****	****804
121	SML00	****AUHAN	****	****668
122	SML00	****ISHNA	****	****597
123	SML00	**** DEVI	****	****473
124	SML00	**** VATI	****	****412
125	SML00	**** DEVI	****	****800
126	SML00	**** MANI	****	****655
127	SML00	**** DEVI	****	****361
128	SML00	****WARKI	****	****088
129	SML00	**** DEVI	****	****699
130	SML00	**** DEVI	****	****876
131	SML00	**** DEVI	****	****572
132	SML00	****HARMA	****	****028
133	SML00	**** DEVI	****	****008

क्र. सं.	कोषागार कोड	विवरण	पीईएन कोड	पेंशन भुगतान आदेश संख्या
134	SML00	**** DEVI	****	****739
135	SML00	**** DEVI	****	****182
136	SML00	**** SURI	****	****863
137	SML00	****AMANI	****	****635
138	SML00	**** DEVI	****	****522
139	SML00	**** DEVI	****	****042
140	SML00	****AWARI	****	****613
141	SML00	**** DEVI	****	****084
142	SML00	**** DEVI	****	****751
143	SML00	**** DEVI	****	****757
144	SML00	**** DEVI	****	****376
145	SML00	****AWATI	****	****655
146	BLP00	****ANDEL	****5H030	****198
147	BLP00	**** DEVI	****7I004	****042
148	BLP00	**** DEVI	****9H006	****367
149	BLP00	**** DEVI	****3B004	****069
150	BLP00	**** KAUR	****0D001	****278
151	BLP00	****ELAHI	****6B029	****400
152	BLP00	**** DEVI	****2I002	****738
153	BLP00	**** DEVI	****9J003	****875
154	BLP00	**** DEVI	****7K002	****953
155	BLP00	****ARDAI	****6G001	****382
156	BLP00	****ANDEL	****7F018	****597
157	BLP00	**** DEVI	****9H006	****367
158	BLP00	**** DEVI	****1F004	****288
159	BLP00	**** DEVI	****7J001	****436
160	BLP00	**** DEVI	****1H003	****615
161	BLP00	**** DEVI	****8H027	****894
162	BLP00	**** DEVI	****4D006	****080
163	BLP00	**** DEVI	****5K006	****663
164	BLP00	****GUPTA	****9C002	****993
165	BLP00	**** DEVI	****2B001	****507
166	BLP00	**** DEVI	****1C012	****831
167	BLP00	****HARMA	****6G019	****091
168	BLP00	**** DEVI	****5K002	****410
169	BLP00	**** DEVI	****2B007	****648
170	BLP00	**** DEVI	****5F003	****424
171	BLP00	****KIRAN	****3H003	****418
172	BLP00	****RWAHA	****5B023	****153
173	BLP00	**** WATI	****2F002	****771
174	BLP00	**** DEVI	****0K006	****858
175	BLP00	**** DEVI	****8H002	****452
176	BLP00	**** DEVI	****6C002	****189
177	BLP00	**** DEVI	****7F001	****422
178	BLP00	**** DEVI	****5I005	****349
179	BLP00	**** DEVI	****7B001	****042

क्र. सं.	कोषागार कोड	विवरण	पीईएन कोड	पेंशन भुगतान आदेश संख्या
180	BLP00	****HARMA	****5K014	****311
181	BLP00	**** DEVI	****4D001	****647
182	BLP00	**** DEVI	****5I005	****349
183	BLP00	**** DEVI	****8H011	****327
184	BLP00	**** DEVI	****1E001	****314
185	BLP00	**** DEVI	****7D004	****182
186	BLP00	****AREEN	****2D035	****700
187	BLP00	**** DEVI	****4A005	****456
188	BLP00	****AUTAM	****1K002	****338
189	BLP00	**** DEVI	****2G002	****401
190	BLP00	**** DEVI	****2G005	****259
191	BLP00	**** DEVI	****2G002	****401
192	BLP00	**** DEVI	****1C001	****458
193	BLP00	**** DEVI	****0F002	****040
194	BLP00	**** DEVI	****2E004	****433
195	BLP00	**** DEVI	****2C001	****169
196	BLP00	****H DAI	****2F013	****972
197	BLP00	**** DEVI	****7I017	****347
198	BLP00	**** DEVI	****1C010	****016
199	BLP00	**** DEVI	****7F001	****422
200	BLP00	****PYARI	****7L017	****193

परिशिष्ट 3.1

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.1.1)

विलम्ब से फाइल करने वालों एवं फाइल नहीं करने वालों पर कार्रवाई का अभाव

क्र. सं.	सर्कल/रेंज	फाइल नहीं करने वालों/ विलम्ब से फाइल करने वालों के मामलों में जीएसटीआर 3ए जारी करने के बाद कार्रवाई पूरी न होना							
		फाइल नहीं करने वालों की संख्या	जारी जीएसटीआर 3ए नोटिस			कुल	जारी न किए गए जीएसटीआर 3ए नोटिस	की गई आगामी कार्रवाई	एएसएमटी-13 जारी नहीं किया गया
			2017-2021	अप्रैल-21	जुलाई-21				
1	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	867	540	-	-	540	327	560	1,261
2	पांवटा-I	4,128	504	-	-	504	3,624	नहीं	
3	पांवटा-II	116	116	-	-	116	0	नहीं	
4	बददी-III	370	241	63	66	370	0	नहीं	
5	बददी-IV	291	173	59	59	291	0	नहीं	
योग		5,772	1,574	122	125	1,821	3,951	560	

सर्कलों द्वारा चिह्नित फाइल नहीं करने वाले

1	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	867
2	पांवटा-I	4,128
योग		4,995

सर्कल द्वारा फाइल नहीं करने वालों को चिह्नित न करने से जीएसटीआर 3ए नोटिस से लिया गया डेटा

1	पांवटा-II	116
2	बददी-III	370
3	बददी-IV	291
योग		777
सकल योग		5,772

परिशिष्ट 3.2

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.1.2)

रिटर्न की संवीक्षा संचालित करने के विवरण

क्र. सं.	जिला	सर्कल/रिज	संचालित संवीक्षा
1	सिरमौर	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	7
		पांवटा-I	अनुपलब्ध
		पांवटा-II	अनुपलब्ध
2	बीबीएन बद्दी	बद्दी-II	अनुपलब्ध
		बद्दी-III	अनुपलब्ध
		बद्दी-IV	अनुपलब्ध
3	हमीरपुर	भोरंज व सुजानपुर	3
4	मंडी	मंडी-III	24
		नेरचौक	71
5	कुल्लू	मनाली-III	34
योग			139

परिशिष्ट 3.3

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.1.4)

वसूली कार्यवाही एवं अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण

क्र.सं.	जिला	सर्कल/रेंज	वसूली कार्यवाही की शुरुआत व अनुवर्ती कार्रवाई	
			मामलों की संख्या	वसूल की जाने वाली राशि (₹ में)
1	सिरमौर	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	-	-
		पांवटा-I	21	29,38,596
		पांवटा-II	32	39,05,779
2	बीबीएन बद्दी	बद्दी-II	155	7,54,62,567
		बद्दी-III	114	23,68,19,743
		बद्दी-IV	180	1,79,98,983
3	हमीरपुर	भोरंज व सुजानपुर	8	10,27,308
4	मंडी	मंडी-III	9	37,97,250
		नेरचौक	22	80,78,713
5	कुल्लू	मनाली-III	16	1,08,94,859
		योग	557	36,09,23,798

परिशिष्ट 3.4

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.1.5 (क))

आवेदन की तिथि से पूर्व पंजीकरण रद्द करने का विवरण

क्र.सं.	जिला	सर्कल/रेंज	आवेदन की तिथि से पूर्व की तिथि से पंजीकरण रद्द करना	
			करदाताओं के अनुरोध के अनुसार रद्दीकरण के मामले	ऐसे मामले जहां आवेदन की तिथि से पहले रद्दीकरण किया गया था
1	सिरमौर	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	32	23
		पांवटा-I	284	156
		पांवटा-II	157	74
2	बीबीएन बद्दी	बद्दी-II	593	222
		बद्दी-III	255	89
		बद्दी-IV	92	57
3	हमीरपुर	भोरंज व सुजानपुर	330	172
4	मंडी	मंडी-III	197	79
		नेरचौक	272	88
5	कुल्लू	मनाली-III	244	183
		योग	2,456	1,143

परिशिष्ट 3.5

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.1.5 (ख))

मामलों को रद्द करने में विलम्ब का विवरण

क्र.सं.	जिला	सर्कल/ रेंज	रद्द करने में विलम्ब						
			रद्दीकरण की कुल संख्या	रद्दीकरण में विलम्ब के मामले			विलम्ब की सीमा		
				करदाताओं के अनुरोध पर	स्वप्रेरणा से	कुल	दिनों में	1 से 30 दिन	30 दिनों से अधिक
1	सिरमौर	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	89	15	36	51	1-381	21	30
		पांवटा-I	610	188	166	354	1-431	101	253
		पांवटा-II	360	89	22	111	3-368	34	77
2	बीबीएन बद्दी	बद्दी-II	1,148	178	255	433	1-959	147	286
		बद्दी-III	596	79	53	132	3-501	45	87
		बद्दी-IV	203	57	72	129	2-963	51	78
3	हमीरपुर	भोरंज व सुजानपुर	461	193	36	229	1-642	38	191
4	मंडी	मंडी-III	404	127	60	187	1-403	35	152
		नेरचौक	443	143	39	182	1-791	49	133
5	कुल्लू	मनाली-III	727	110	58	168	1-439	39	129
		योग	5,041	1,179	797	1,976	1-963	560	1,416

परिशिष्ट 3.6

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.1.5 (ग))

जीएसटीआर 10 फाइल न करने के मामलों पर अनुपयुक्त अनुवर्ती कार्रवाई का विवरण

क्र.सं.	जिला	सर्कल/ रेंज	जीएसटीआर-10 फाइल न करने पर नहीं की गई अनुवर्ती कार्रवाई
			जीएसटीआर-10 (अंतिम रिटर्न) फाइल न करने पर रद्दीकरण के मामले
1	सिरमौर	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	-
		पांवटा-I	285
		पांवटा-II	117
2	बीबीएन बद्दी	बद्दी-II	499
		बद्दी-III	310
		बद्दी-IV	107
3	हमीरपुर	भोरंज व सुजानपुर	105
4	मंडी	मंडी-III	168
		नेरचौक	216
5	कुल्लू	मनाली-III	322
योग			2,129

परिशिष्ट 3.7

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.1.5 (घ))

कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा जीएसटी फॉर्म आईटीसी-03 फाइल न करना

क्र.सं.	जिला	सर्कल/ रेंज	कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुनने वाले करदाताओं द्वारा जीएसटी फॉर्म आईटीसी-03 फाइल न करना	
			ऐसे मामलों की संख्या जहां विक्रेता ने कंपोजिशन स्कीम का विकल्प चुना व आईटीसी-03 फाइल नहीं किया	करदाता के लेज़र में उपलब्ध आईटीसी, जिसे रिवर्स नहीं किया गया (राशि ₹ में)
1	सिरमौर	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	-	-
		पांवटा-I	73	2,86,127
		पांवटा-II	26	1,40,606
2	बीबीएन बद्दी	बद्दी-II	47	1,76,845
		बद्दी-III	17	49,134
		बद्दी-IV	5	7,216
3	हमीरपुर	भोरंज व सुजानपुर	267	39,70,149
4	मंडी	मंडी-III	85	4,68,703
		नेरचौक	222	11,62,165
5	कुल्लू	मनाली-III	233	10,85,187
योग			975	73,46,132

परिशिष्ट 3.8

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.2.1)

उन मामलों का विवरण जहां उत्तर प्राप्त नहीं हुए

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	विचलन राशि (₹ में)
1	02XXXXXXXXXX2ZD	परवाणु सर्कल-II	1	45,39,122.51
2	02XXXXXXXXXX2Z3	सोलन सर्कल-I	1	70,18,657.80
3	02XXXXXXXXXX2Z9	अम्बोटा	1	55,89,534.77
4	02XXXXXXXXXX1ZJ	बद्दी-II	1	53,82,95,965.50
5	02XXXXXXXXXX1ZB	ठियोग सर्कल	2	46,90,209.00
6	02XXXXXXXXXX1ZX	परवाणु सर्कल-I	4	8,21,586.62
7	02XXXXXXXXXX1Z7	परवाणु सर्कल-II	4	32,14,197.00
8	02XXXXXXXXXX2ZN	परवाणु सर्कल-I	4	9,00,602.10
9	02XXXXXXXXXX1Z4	सोलन सर्कल-II	6	17,52,23,257.32
10	02XXXXXXXXXX1ZD	अम्बोटा	6	10,00,59,257.75
11	02XXXXXXXXXX1ZX	परवाणु सर्कल-I	6	8,01,38,207.00
12	02XXXXXXXXXX1ZJ	बद्दी-II	6	54,57,08,579.66
13	02XXXXXXXXXX1ZL	हमीरपुर सर्कल	7	1,28,14,409.00
14	02XXXXXXXXXX1Z7	परवाणु सर्कल-II	7	3,48,05,184.00
15	02XXXXXXXXXX1ZJ	बद्दी-II	7	54,57,08,606.00
16	02XXXXXXXXXX2ZT	नादौन सर्कल	8	1,26,08,048.00
17	02XXXXXXXXXX2ZT	हमीरपुर	9	1,26,08,052.00
18	02XXXXXXXXXX1ZK	अम्बोटा	9	98,93,320.00
19	02XXXXXXXXXX1ZV	परवाणु सर्कल-I	9	84,39,680.00
20	02XXXXXXXXXX1ZH	परवाणु सर्कल-I	9	82,92,848.00
21	02XXXXXXXXXX1ZT	सोलन सर्कल-I	11	15,290.74
योग				2,11,13,84,614.77

परिशिष्ट 3.9

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.2.2 व 3.6.2.4 (क))

उन मामलों का विवरण जहां वसूली की गई

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	अंतर्निहित राशि	वसूली की गई राशि	टिप्पणी
1	02XXXXXXXXXX1Z7	गगरेट	8 व 10	1,69,11,711.00	3,08,805	ब्याज भुगतान
2	02XXXXXXXXXX1ZJ	मनाली	10	5,85,764.74	56,550	राज्य वस्तु व सेवा कर एवं ब्याज भुगतान
3	02XXXXXXXXXX2Z6	परवाणु	10	9,95,402.80	2,98,620	ब्याज भुगतान
4	02XXXXXXXXXX1Z9	मॉल रोड	9 व 10	17,10,70,896.30	2,61,65,635	आंशिक वसूली
योग				18,95,63,774.84	2,68,29,610	

परिशिष्ट 3.10

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.2.2 व 3.6.2.4 (क))

उन मामलों का विवरण जहां करदाताओं को एससीएन जारी किया गया

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	वार्ड	डायमेंशन	विचलन राशि
1	02XXXXXXXXXX1ZX	भोरंज व सृजानपुर	1	44,58,166.32
2	02XXXXXXXXXX1ZF	मेहतपुर सर्कल	1	45,20,560.54
3	02XXXXXXXXXX1Z8	नालागढ़ सर्कल-II	1	65,64,484.55
4	02XXXXXXXXXX2ZX	नालागढ़ सर्कल-II	1	49,05,165.31
5	02XXXXXXXXXX1ZM	नालागढ़-III	1	62,69,538.20
6	02XXXXXXXXXX1Z3	नालागढ़-III	1	48,04,964.81
7	02XXXXXXXXXX1Z3	पांवटा सर्कल-I	1	1,48,22,208.40
8	02XXXXXXXXXX1ZA	नालागढ़-III	2	5,20,836.00
9	02XXXXXXXXXX1Z4	नालागढ़-III	2	4,42,446.00
10	02XXXXXXXXXX2ZB	नालागढ़-III	2	5,08,124.00
11	02XXXXXXXXXX1ZG	मेहतपुर सर्कल	2	3,81,487.19
12	02XXXXXXXXXX1ZU	मेहतपुर सर्कल	2	11,97,438.12
13	02XXXXXXXXXX1Z9	चंबा सर्कल	4	17,65,095.00
14	02XXXXXXXXXX1ZH	चंबा सर्कल	4	2,35,144.00
15	02XXXXXXXXXX1Z3	चंबा सर्कल	4	43,46,360.00
16	02XXXXXXXXXX1ZD	तिस्सा सर्कल	4	15,73,872
17	02XXXXXXXXXX2ZW	तिस्सा सर्कल	4	8,62,101.00
18	02XXXXXXXXXX2Z6	भोरंज व सृजानपुर सर्कल	4	10,69,683.25
19	02XXXXXXXXXX1ZQ	नालागढ़-III	7	44,19,244.00
20	02XXXXXXXXXX1ZY	नालागढ़ सर्कल-II	7	43,05,494.00
21	02XXXXXXXXXX1Z7	पांवटा सर्कल-I	7	64,53,152.00
22	02XXXXXXXXXX1Z0	बंगाना सर्कल	8	1,24,91,902.00
23	02XXXXXXXXXX1ZX	नालागढ़ सर्कल-I	10	12,31,677.90
24	02XXXXXXXXXX1Z7	नालागढ़ सर्कल-I	10	7,90,494.00
25	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़ सर्कल-I	10	5,53,852.00
26	02XXXXXXXXXX1ZZ	संजौली	10	21,66,408.80
27	02XXXXXXXXXX1ZW	नालागढ़ सर्कल-I	11	30,274.34
28	02XXXXXXXXXX2ZB	डलहौजी	11	14,819.78
29	02XXXXXXXXXX1Z1	पांवटा सर्कल-I	11	0.00
30	02XXXXXXXXXX2Z1	अम्बोटा	11	90,199.35
31	02XXXXXXXXXX1ZG	नाहन सर्कल-II	12	24,08,767.29
32	02XXXXXXXXXX1ZY	मनाली	12	11,76,065.36
योग				9,74,96,324.51

परिशिष्ट 3.11

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.2.2 व 3.6.2.4 (क))

उन मामलों का विवरण जहां करदाताओं को एसएमटी 10 जारी किया गया

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	अंतिम विचलन राशि
1	02XXXXXXXXXX2ZD	कुल्लू सर्कल	1	1,69,37,364.57
2	02XXXXXXXXXX1ZK	कुल्लू सर्कल	1	47,53,934.18
3	02XXXXXXXXXX1ZQ	कुल्लू/ बंजार	1	1,86,49,648.63
4	02XXXXXXXXXX1ZE	जोगिंदर नगर	1	1,17,99,292.73
5	02XXXXXXXXXX1ZZ	मंडी-I	1	58,38,295.32
6	02XXXXXXXXXX1ZQ	नेरचौक	1	74,07,400.91
7	02XXXXXXXXXX1ZG	धर्मशाला-I	1	52,42,424.65
8	02XXXXXXXXXX1ZI	पालमपुर	1	57,58,301.14
9	02XXXXXXXXXX1ZT	बद्दी-II	1	82,57,265.38
10	02XXXXXXXXXX2Z5	बद्दी-III	1	47,56,676.15
11	02XXXXXXXXXX1ZS	बरोटीवाला	1	60,68,957.32
12	02XXXXXXXXXX1ZO	बद्दी-II	1	89,85,459.38
13	02XXXXXXXXXX1ZD	बद्दी-IV	1	55,60,173.09
14	02XXXXXXXXXX1ZZ	बद्दी-II	1	2,16,78,410.13
15	02XXXXXXXXXX1ZF	बद्दी-II	1	94,30,117.79
16	02XXXXXXXXXX1ZO	बरोटीवाला	1	77,76,701.00
17	02XXXXXXXXXX1ZC	बद्दी-III	1	81,80,009.36
18	02XXXXXXXXXX1ZR	बद्दी-I	1	58,80,730.21
19	02XXXXXXXXXX1ZB	बद्दी-I	1	3,70,86,025.03
20	02XXXXXXXXXX1ZU	बद्दी-II	1	1,41,37,820.64
21	02XXXXXXXXXX1ZH	बद्दी-I	1	73,45,425.48
22	02XXXXXXXXXX1ZE	कार्ट रोड सर्कल	1	53,36,716.58
23	02XXXXXXXXXX1Z9	कार्ट रोड सर्कल	1	2,95,47,883.53
24	02XXXXXXXXXX1ZQ	संजौली	1	1,02,70,577.78
25	02XXXXXXXXXX1Z2	संजौली	1	76,19,344.21
26	02XXXXXXXXXX2ZQ	संजौली	1	93,89,735.74
27	02XXXXXXXXXX1ZY	ठियोग सर्कल	1	63,66,134.22
28	02XXXXXXXXXX1ZZ	बद्दी-III	2	7,34,117.6875
29	02XXXXXXXXXX1ZS	बद्दी-III	2	8,32,911.625
30	02XXXXXXXXXX1Z3	बद्दी-III	2	4,32,220
31	02XXXXXXXXXX2ZD	बद्दी-III	2	61,86,781.188
32	02XXXXXXXXXX1Z2	बद्दी-II	2	23,11,055

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	अंतिम विचलन राशि
33	02XXXXXXXXXX1ZW	बद्दी-II	2	5,97,536.9375
34	02XXXXXXXXXX1ZC	बरोटीवाला	2	7,89,420
35	02XXXXXXXXXX1ZY	बद्दी-III	2	5,54,079
36	02XXXXXXXXXX1ZN	बद्दी-III	2	5,04,274
37	02XXXXXXXXXX1Z2	जोगिंदर नगर	2	49,92,942
38	02XXXXXXXXXX1Z7	मंडी-I	2	10,49,894.75
39	02XXXXXXXXXX1Z4	मंडी-I	2	4,22,172.0625
40	02XXXXXXXXXX1ZF	मंडी-III एईटीसी मंडी	2	16,90,430
41	02XXXXXXXXXX1Z3	नेरचौक	2	22,47,660.5
42	02XXXXXXXXXX1ZN	संजौली	2	13,43,619
43	02XXXXXXXXXX1ZK	सोलन सर्कल-I	2	55,36,568.5
44	02XXXXXXXXXX1ZO	परवाणु सर्कल-I	2	4,49,667.25
45	02XXXXXXXXXX1ZH	सोलन सर्कल-II	3	3,53,291
46	02XXXXXXXXXX1ZU	बद्दी-III	4	6,17,965.38
47	02XXXXXXXXXX1ZB	बद्दी-II	4	39,97,980.88
48	02XXXXXXXXXX1ZQ	बद्दी-II	4	24,45,167.50
49	02XXXXXXXXXX1ZR	बद्दी-II	4	26,36,223.00
50	02XXXXXXXXXX1Z0	बद्दी-III	4	7,75,000.00
51	02XXXXXXXXXX1ZC	बद्दी-III	4	10,11,971.19
52	02XXXXXXXXXX1ZS	बद्दी-IV	4	8,08,174.00
53	02XXXXXXXXXX2ZY	बद्दी-III	4	34,69,433.50
54	02XXXXXXXXXX1Z9	बद्दी-IV	4	4,63,09,121.00
55	02XXXXXXXXXX1Z8	सरकाघाट	4	11,03,556.375
56	02XXXXXXXXXX1ZB	कार्ट रोड सर्कल	4	7,14,381
57	02XXXXXXXXXX1ZV	कार्ट रोड सर्कल	5	7,722.66
58	02XXXXXXXXXX2ZI	बद्दी-III	6	14,58,34,894.7
59	02XXXXXXXXXX1ZB	बद्दी-I	6	12,13,83,347.1
60	02XXXXXXXXXX1ZR	बद्दी-II	6	7,93,92,743
61	02XXXXXXXXXX1ZU	कांगड़ा-I	6	21,57,09,731
62	02XXXXXXXXXX1ZJ	कुल्लू सर्कल	6	7,41,40,739.68
63	02XXXXXXXXXX1ZQ	नेरचौक	6	8,48,25,702.96
64	02XXXXXXXXXX1ZR	बद्दी-II	7	69,82,780
65	02XXXXXXXXXX1Z0	बद्दी-IV	7	42,60,155
66	02XXXXXXXXXX1ZX	बद्दी-IV	7	40,92,520
67	02XXXXXXXXXX1ZD	कांगड़ा-I	7	45,16,968
68	02XXXXXXXXXX2Z4	बैजनाथ सर्कल	7	40,53,824

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	अंतिम विचलन राशि
69	02XXXXXXXXXX1ZS	मंडी-I	7	84,32,060
70	02XXXXXXXXXX2ZO	मंडी-I	7	50,48,212
71	02XXXXXXXXXX1Z3	संजौली	7	64,61,644
72	02XXXXXXXXXX1ZP	बद्दी-IV	8	2,77,23,320
73	02XXXXXXXXXX1Z1	बद्दी-IV	8	1,41,14,380
74	02XXXXXXXXXX1ZS	बद्दी-II	8	1,37,95,408
75	02XXXXXXXXXX1ZK	नालागढ़ सर्कल-I	8	1,01,32,992
76	02XXXXXXXXXX1ZI	धर्मशाला-II	8	9,84,80,042
77	02XXXXXXXXXX1ZI	धर्मशाला-II	8	5,27,92,978
78	02XXXXXXXXXX1ZR	कांगड़ा-I	8	1,78,31,320
79	02XXXXXXXXXX1ZE	पालमपुर	8	1,66,92,420
80	02XXXXXXXXXX1ZG	कुल्लू सर्कल	8	15,05,04,040
81	02XXXXXXXXXX1Z4	कुल्लू सर्कल	8	7,52,96,459.2
82	02XXXXXXXXXX2ZF	नेरचौक	8	35,30,43,682
83	02XXXXXXXXXX1ZN	मंडी-I	8	6,22,21,608
84	02XXXXXXXXXX2Z6	नेरचौक	8	3,51,02,894
85	02XXXXXXXXXX1ZA	सुंदर नगर सर्कल-I	8	1,73,53,394.24
86	02XXXXXXXXXX1Z2	कार्ट रोड सर्कल	8	9,19,81,184.2
87	02XXXXXXXXXX1ZI	कार्ट रोड सर्कल	8	2,95,38,552
88	02XXXXXXXXXX2ZT	मॉल रोड	8	1,27,58,496
89	02XXXXXXXXXX1ZS	बद्दी-III	9	86,11,312
90	02XXXXXXXXXX1ZC	कुल्लू	9	78,66,200
91	02XXXXXXXXXX2ZD	मंडी	9	83,20,449
92	02XXXXXXXXXX1Z6	मंडी	9	75,82,500
93	02XXXXXXXXXX1Z4	कार्ट रोड सर्कल	9	92,07,744
94	02XXXXXXXXXX1Z5	बद्दी-II	10	74,93,728
95	02XXXXXXXXXX2ZL	बरोटीवाला	10	68,53,545.37
96	02XXXXXXXXXX1Z8	बद्दी-II	10	36,00,000
97	02XXXXXXXXXX1ZP	बद्दी-II	10	30,84,932.18
98	02XXXXXXXXXX2ZK	बद्दी-III	10	26,55,333.91
99	02XXXXXXXXXX1ZF	बद्दी-III	10	13,53,636.8
100	02XXXXXXXXXX1ZD	बद्दी-II	10	13,49,664.26
101	02XXXXXXXXXX1ZV	बद्दी-III	10	11,59,097.68
102	02XXXXXXXXXX1ZV	बद्दी-III	10	7,28,325.9
103	02XXXXXXXXXX1Z1	बरोटीवाला	10	5,93,136.74
104	02XXXXXXXXXX1ZI	बद्दी-II	10	5,49,259.3

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	अंतिम विचलन राशि
105	02XXXXXXXXXX1Z1	कुल्लू/बंजार	10	9,92,142
106	02XXXXXXXXXX1ZC	मनाली सर्कल	10	9,01,685.27
107	02XXXXXXXXXX1ZS	जोगिंदर नगर	10	16,41,104.56
108	02XXXXXXXXXX2ZD	सुंदर नगर सर्कल-I	10	15,82,515.8
109	02XXXXXXXXXX1ZX	नेरचौक	10	7,92,263.4
110	02XXXXXXXXXX1Z4	नेरचौक	10	5,54,908
111	02XXXXXXXXXX1Z4	कार्ट रोड सर्कल	10	92,07,749.74
112	02XXXXXXXXXX1ZG	कोटखाई	10	62,38,996.1
113	02XXXXXXXXXX2ZT	मॉल रोड	10	37,96,186
114	02XXXXXXXXXX1ZY	कार्ट रोड सर्कल	10	34,72,344
115	02XXXXXXXXXX1ZP	ढली सर्कल	10	10,76,496
116	02XXXXXXXXXX1Z4	कार्ट रोड सर्कल	10	9,53,794
117	02XXXXXXXXXX2ZS	संजौली	10	8,47,222
118	02XXXXXXXXXX1ZH	संजौली	10	7,84,835.08
119	02XXXXXXXXXX1ZQ	संजौली	10	6,53,589.13
120	02XXXXXXXXXX1ZT	संजौली	10	6,25,377
121	02XXXXXXXXXX1ZR	धर्मशाला-I	11	14,058.55975
122	02XXXXXXXXXX2ZL	मनाली सर्कल	11	1,33,357.0109
123	02XXXXXXXXXX1ZD	कार्ट रोड सर्कल	11	31,354.91992
124	02XXXXXXXXXX1ZY	अर्की सर्कल	11	8,046
125	02XXXXXXXXXX1ZF	सोलन सर्कल-II	11	2,80,833.4701
126	02XXXXXXXXXX1ZD	कुल्लू/ बंजार	12	12,46,186.314
127	02XXXXXXXXXX1Z7	रोहड़ू सर्कल	13	0
योग				2,33,63,28,562.78

परिशिष्ट 3.12

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.2.2 व 3.6.2.4 (क) एवं 3.6.2.4(ख))

उन मामलों का विवरण जहां विभाग का उत्तर लेखापरीक्षा को स्वीकार्य नहीं है

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	असंगत राशि
1	02XXXXXXXXXX2Z8	बिलासपुर सर्कल-II	1	6,17,08,846.94
2	02XXXXXXXXXX1Z2	परवाणु सर्कल-I	1	71,45,425.83
3	02XXXXXXXXXX1ZO	बद्दी-IV	3	16,74,526
4	02XXXXXXXXXX1Z5	बद्दी-IV	4	18,34,535.00
5	02XXXXXXXXXX1ZC	बद्दी-III	6	22,31,03,901
6	02XXXXXXXXXX2ZW	दमटाल सर्कल	6	8,50,09,628
7	02XXXXXXXXXX1ZF	नालागढ़ सर्कल-II	7	1,87,98,154
8	02XXXXXXXXXX2ZU	बिलासपुर सर्कल-II	7	46,87,994
9	02XXXXXXXXXX1Z9	मॉल रोड	9	14,49,75,216
10	02XXXXXXXXXX1ZO	बिलासपुर सर्कल-II	10	13,41,552
11	02XXXXXXXXXX1ZI	बद्दी-I	11	3,98,196.3926
12	02XXXXXXXXXX1ZW	डलहौजी	11	7,364.160126
13	02XXXXXXXXXX1ZQ	नालागढ़-III	12	37,37,583.226
14	02XXXXXXXXXX2ZJ	बद्दी-IV	12	11,39,513.546
15	02XXXXXXXXXX1ZB	बद्दी-I	12	58,97,135.921
16	02XXXXXXXXXX2ZO	बद्दी-I	12	20,40,674.544
17	02XXXXXXXXXX1ZB	बद्दी-I	12	25,44,854.053
18	02XXXXXXXXXX1Z8	परवाणु सर्कल-I	12	12,26,769.496
19	02XXXXXXXXXX1Z7	बिलासपुर सर्कल-I	12	18,30,892.856
योग				56,91,02,762.97

परिशिष्ट 3.13

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.2.2 व 3.6.2.4 (क))

उन मामलों का विवरण जिनमें विभाग लेखापरीक्षा प्रश्नों की जांच कर रहा है

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	असंगत राशि
1	02XXXXXXXXXX1ZV	गगरेट	1	55,70,527.40
2	02XXXXXXXXXX2Z0	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	2	10,87,277.00
3	02XXXXXXXXXX2ZE	नाहन सर्कल-1	4	29,09,887.00
4	02XXXXXXXXXX1Z6	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	6	10,59,06,700.00
5	02XXXXXXXXXX1ZL	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	6	9,46,49,451.00
6	02XXXXXXXXXX2ZA	नाहन सर्कल-1	6	6,54,92,743.65
7	02XXXXXXXXXX1ZW	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	6	6,38,29,731.94
8	02XXXXXXXXXX2ZH	नाहन सर्कल-1	8	1,31,57,93,358.00
9	02XXXXXXXXXX1ZM	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	8	7,52,94,560.00
10	02XXXXXXXXXX1ZX	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	8	1,74,44,740.00
11	02XXXXXXXXXX1Z3	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	8	1,28,43,032.00
12	02XXXXXXXXXX1ZI	नाहन सर्कल-1	9	91,00,416.00
13	02XXXXXXXXXX2ZR	औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर	9	95,31,650.00
14	02XXXXXXXXXX1ZQ	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	10	9,46,081.70
15	02XXXXXXXXXX1Z6	औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर	10	89,70,432.00
16	02XXXXXXXXXX1Z0	बंगाना सर्कल	10	14,99,028.48
17	02XXXXXXXXXX1Z6	बंगाना सर्कल	10	5,77,780.80
18	02XXXXXXXXXX1ZS	औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर	12	12,13,250.34
19	02XXXXXXXXXX2Z0	औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर	12	13,89,117.31
योग				1,79,40,49,764.61

परिशिष्ट 3.14

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.2.4 (ग))

उन मामलों का विवरण जहां करदाताओं द्वारा डेटा प्रविष्टि में त्रुटियां की गईं

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	लेखापरीक्षा डायमेंशन	विचलन राशि (₹)
1	02XXXXXXXXXX1ZQ	देहरा	3	5,47,922.00
2	02XXXXXXXXXX1ZZ	देहरा	3	4,15,131.00
3	02XXXXXXXXXX1ZD	देहरा	3	6,21,139.00
4	02XXXXXXXXXX1ZC	देहरा	3	5,20,212.06
5	02XXXXXXXXXX1ZO	देहरा	3	11,00,676.00
6	02XXXXXXXXXX1ZM	देहरा	3	5,64,988.00
7	02XXXXXXXXXX1ZD	देहरा	3	6,03,563.00
8	02XXXXXXXXXX1ZU	देहरा	3	3,32,484.44
9	02XXXXXXXXXX2Z3	देहरा	3	7,41,842.87
10	02XXXXXXXXXX1ZE	देहरा	3	3,67,191.75
11	02XXXXXXXXXX1Z7	देहरा	3	4,10,991.81
12	02XXXXXXXXXX1ZG	देहरा	3	9,74,684.50
13	02XXXXXXXXXX1ZZ	देहरा	3	11,89,059.37
14	02XXXXXXXXXX1ZG	देहरा	3	4,84,780.09
15	02XXXXXXXXXX1ZM	देहरा	3	4,63,580.00
16	02XXXXXXXXXX2Z9	देहरा	3	5,52,125.81
17	02XXXXXXXXXX1ZC	देहरा	3	41,37,981.00
18	02XXXXXXXXXX1ZY	देहरा	3	6,20,435.87
19	02XXXXXXXXXX1ZY	देहरा	3	3,33,470.75
20	02XXXXXXXXXX1ZB	देहरा	3	3,46,869.00
21	02XXXXXXXXXX1ZW	देहरा	3	11,91,111.00
22	02XXXXXXXXXX1ZQ	देहरा	3	10,17,027.87
23	02XXXXXXXXXX1Z1	देहरा	3	4,05,333.00
24	02XXXXXXXXXX1ZD	देहरा	3	5,93,358.50
25	02XXXXXXXXXX1ZD	देहरा	3	5,07,272.00
26	02XXXXXXXXXX2ZK	नालागढ़-II	3	9,79,637.00
27	02XXXXXXXXXX1ZI	परवाणू -I	3	19,34,617.57
28	02XXXXXXXXXX1ZQ	धर्मपुर	3	7,34,492.00
29	02XXXXXXXXXX1Z6	सोलन-I	3	6,64,71,188.00
30	02XXXXXXXXXX2ZL	परवाणू-I	3	23,85,489.00
31	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़-I	4	52,26,425.00
32	02XXXXXXXXXX1Z6	सोलन-I	6	6,64,71,188.08
33	02XXXXXXXXXX1ZK	नूरपुर	7	94,68,996.00
34	02XXXXXXXXXX1ZN	ज्वाली	7	46,97,007.00
35	02XXXXXXXXXX2ZV	नूरपुर	8	8,36,27,736.00
36	02XXXXXXXXXX1ZC	ज्वाली	9	2,62,45,970.00
37	02XXXXXXXXXX2ZY	बददी-II	10	1,39,53,569.44
योग				30,12,39,545.80

परिशिष्ट 3.15

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.2.2)

उन मामलों का विवरण जहां लेखापरीक्षा प्रश्न जारी होने से पहले कार्रवाई की गई

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	लेखापरीक्षा डायमेंशन	विचलन राशि
1	02XXXXXXXXXX1ZO	नालागढ़-II	1	64,12,105.17
2	02XXXXXXXXXX1ZS	नादौन	1	50,16,595.00
3	02XXXXXXXXXX1Z3	नालागढ़-I	12	1,21,37,546.50
4	02XXXXXXXXXX3ZH	बददी-II	12	11,28,382.14
5	02XXXXXXXXXX1ZH	नालागढ़-I	12	14,32,163.92
6	02XXXXXXXXXX1ZZ	रिकांग पिओ	12	10,78,048.68
7	02XXXXXXXXXX1ZH	सतौन	12	45,04,880.63
8	02XXXXXXXXXX2ZI	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	12	11,66,742.72
9	02XXXXXXXXXX1ZI	अम्बोटा	12	12,01,520.17
10	02XXXXXXXXXX1ZG	परवाणु-I	12	11,31,851.56
11	02XXXXXXXXXX1Z0	सुंदर नगर-I	12	19,19,239.81
12	02XXXXXXXXXX1ZQ	संजौली	12	9,65,374.61
13	02XXXXXXXXXX2ZQ	संजौली	12	16,14,396.83
14	02XXXXXXXXXX1ZA	भोरंज व सुजानपुर	12	9,15,706.01
15	02XXXXXXXXXX2Z3	परवाणु-II	12	20,55,791.27
			योग	4,26,80,345.03

परिशिष्ट 3.16

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.2.2)

उन मामलों का विवरण जहां करदाता के पास वैध स्पष्टीकरण था

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	असंगत राशि
1	02XXXXXXXXXX1ZC	नालागढ़-I	1	44,17,110.79
2	02XXXXXXXXXX3ZF	बरोटीवाला	1	1,75,13,426.20
3	02XXXXXXXXXX2ZK	औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर	1	66,74,575.86
4	02XXXXXXXXXX2ZE	बददी-III	1	1,11,74,060.32
5	02XXXXXXXXXX1ZC	नालागढ़-II	1	15,14,15,333.47
6	02XXXXXXXXXX1ZG	परवाणु-I	1	44,02,799.95
7	02XXXXXXXXXX1Z7	परवाणु-I	1	52,10,709.63
8	02XXXXXXXXXX2Z5	बददी-I	4	4,70,56,863.29
9	02XXXXXXXXXX1ZX	बददी-IV	4	6,55,908.75
10	02XXXXXXXXXX1Z6	बरोटीवाला	6	6,53,06,151.41
11	02XXXXXXXXXX1ZY	दमटाल	6	20,22,00,468.00
12	02XXXXXXXXXX2Z8	बिलासपुर-II	6	12,29,59,480.00
13	02XXXXXXXXXX1ZJ	बददी-II	6	13,56,82,578.00
14	02XXXXXXXXXX1ZV	परवाणु-I	6	9,43,94,808.39
15	02XXXXXXXXXX1ZD	परवाणु-II	6	7,86,92,100.09
16	02XXXXXXXXXX1ZK	बददी-II	6	33,90,89,443.78
17	02XXXXXXXXXX1ZB	बददी-I	6	32,25,53,832.20
18	02XXXXXXXXXX1ZM	ढली	7	81,22,707.00
19	02XXXXXXXXXX1ZB	कंडाघाट	7	3,07,26,052.00
20	02XXXXXXXXXX1ZT	नालागढ़-II	7	1,04,74,137.00
21	02XXXXXXXXXX1Z2	परवाणु -I	7	34,83,478.00
22	02XXXXXXXXXX1Z8	नालागढ़-III	8	17,70,10,608.00
23	02XXXXXXXXXX1ZJ	धर्मपुर	8	17,51,62,976.00
24	02XXXXXXXXXX1ZK	कंडाघाट	8	3,97,94,140.00
25	02XXXXXXXXXX1ZL	पालमपुर	8	6,21,03,892.00
26	02XXXXXXXXXX2ZZ	बिलासपुर-II	8	5,37,72,156.00
27	02XXXXXXXXXX1ZK	लोअर बाज़ार	8	3,13,14,344.00
28	02XXXXXXXXXX2ZN	बददी-IV	8	2,17,24,784.00
29	02XXXXXXXXXX1ZQ	धर्मपुर	8	2,11,04,572.00
30	02XXXXXXXXXX2Z4	बिलासपुर-II	8	2,02,54,696.00
31	02XXXXXXXXXX1ZD	परवाणु-II	8	1,74,84,028.00

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	सर्कल	डायमेंशन	असंगत राशि
32	02XXXXXXXXXX2Z1	बददी-II	9	6,94,10,53,400.00
33	02XXXXXXXXXX1ZN	बददी-I	9	10,75,94,448.00
34	02XXXXXXXXXX1ZJ	नालागढ़-II	9	5,20,75,052.00
35	02XXXXXXXXXX1Z6	बरोटीवाला	9	2,73,38,138.00
36	02XXXXXXXXXX2Z5	बददी-I	9	1,51,82,555.00
37	02XXXXXXXXXX1ZX	बददी-IV	9	1,24,78,459.00
38	02XXXXXXXXXX1ZO	घुमारवीं	9	9,10,03,936.00
39	02XXXXXXXXXX2ZN	घुमारवीं	9	6,50,35,608.00
40	02XXXXXXXXXX2ZW	घुमारवीं	9	3,19,31,652.00
41	02XXXXXXXXXX1ZM	बिलासपुर-I	9	2,87,26,820.00
42	02XXXXXXXXXX3ZY	घुमारवीं	9	1,27,52,369.00
43	02XXXXXXXXXX2ZB	पालमपुर	9	26,20,46,384.00
44	02XXXXXXXXXX1ZE	मॉल रोड	9	21,60,66,048.00
45	02XXXXXXXXXX1Z8	मॉल रोड	9	8,68,54,632.00
46	02XXXXXXXXXX2Z3	सतौन	9	7,39,73,296.00
47	02XXXXXXXXXX1ZJ	धर्मपुर	9	17,51,62,976.00
48	02XXXXXXXXXX1ZK	कंडाघाट	9	3,97,94,140.00
49	02XXXXXXXXXX1ZP	अम्ब	9	35,91,76,704.00
50	02XXXXXXXXXX1Z6	नालागढ़-I	10	8,50,022.03
51	02XXXXXXXXXX1ZX	बददी-III	10	1,39,91,729.34
52	02XXXXXXXXXX1Z5	नालागढ़-II	10	65,91,207.00
53	02XXXXXXXXXX1ZH	नालागढ़-II	10	20,20,074.00
54	02XXXXXXXXXX1ZH	पालमपुर	10	6,69,949.38
55	02XXXXXXXXXX1ZE	मनाली	10	9,92,392.00
56	02XXXXXXXXXX1ZT	सरकाघाट	10	41,16,959.00
57	02XXXXXXXXXX1ZD	सरकाघाट	10	25,68,720.00
58	02XXXXXXXXXXHZB	मॉल रोड	10	19,44,539.00
59	02XXXXXXXXXX1ZF	ढली	11	73,530.72
60	02XXXXXXXXXX2Z2	लाहौल केलोंग	11	8,175.43
61	02XXXXXXXXXX1ZE	अम्ब	13	0.00
योग				10,91,40,06,135

परिशिष्ट 3.17

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.1)

अभिलेखों का अप्रस्तुतीकरण

क्र.सं.	जीएसटी सं.	सर्कल	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
1	02XXXXXXXXXX2ZK	बंगाना	इस जीएसटी सं. के लिए वित्तीय विवरणी व लाभ-हानि लेखा, अपेक्षित महीनों के चालान।
2	02XXXXXXXXXX1Z5	बददी-IV	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान।
3	02XXXXXXXXXX2ZI	पांवटा सर्कल-II	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट व चालान।
4	02XXXXXXXXXX1ZO	कुल्लू/ बंजार	इस जीएसटी सं. के लिए वित्तीय विवरणी, अपेक्षित महीनों के लिए चालान।
5	02XXXXXXXXXX1ZJ	नेरचौक	इस जीएसटी सं. के लिए वित्तीय विवरणी व लाभ-हानि लेखा, अपेक्षित महीनों के चालान।
6	02XXXXXXXXXX1Z8	चंबा	इस जीएसटी सं. के लिए स्टैंडअलोन लाभ व हानि विवरणी, अपेक्षित महीनों के चालान।
7	02XXXXXXXXXX1ZS	नालागढ़-III	लाभ व हानि लेखा, स्टैंडअलोन बैलेंस शीट एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड।
8	02XXXXXXXXXX2Z2	चौपाल	लाभ व हानि लेखा, चालान।
9	02XXXXXXXXXX3Z6	बददी-II	लाभ व हानि लेखा, स्टैंडअलोन बैलेंस शीट एवं अन्य संबंधित रिकॉर्ड।
10	02XXXXXXXXXX1Z7	नालागढ़-II	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट व अन्य संबंधित रिकॉर्ड। लाभ-हानि लेखे, निदेशकों की रिपोर्ट और लेखापरीक्षकों की रिपोर्ट, डीलर की आपूर्ति के अनुसार एचएसएन कोड। चयनित महीनों के चालान।
11	02XXXXXXXXXX1ZS	ढली	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, चालान।
12	02XXXXXXXXXX1ZB	मंडी-III	इस जीएसटी सं. के लिए स्टैंडअलोन लाभ व हानि विवरणी, अपेक्षित महीनों के चालान।
13	02XXXXXXXXXX1ZH	बददी-III	लाभ व हानि लेखा, स्टैंडअलोन बैलेंस शीट और अन्य संबंधित रिकॉर्ड, चयनित महीनों के चालान।
14	02XXXXXXXXXX1ZD	बददी-II	लाभ व हानि लेखा, स्टैंडअलोन बैलेंस शीट और अन्य संबंधित रिकॉर्ड, चयनित महीनों के चालान।
15	02XXXXXXXXXX1Z1	संजौली	लाभ व हानि लेखा, चालान।
16	02XXXXXXXXXX1ZQ	ऊना	इस जीएसटी सं. के लिए वित्तीय विवरणी व लाभ-हानि लेखा, अपेक्षित महीनों के चालान।
17	02XXXXXXXXXX1ZZ	मेहतपुर	इस जीएसटी सं. के लिए वित्तीय विवरणी व लाभ-हानि लेखा, अपेक्षित महीनों के चालान।
18	02XXXXXXXXXX2Z3	गगरेट	इस जीएसटी सं. के लिए वित्तीय विवरणी व लाभ-हानि लेखा, अपेक्षित महीनों के लिए चालान।
19	02XXXXXXXXXX3ZP	औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर	इस जीएसटी सं. के लिए वित्तीय विवरणी व लाभ-हानि लेखा, अपेक्षित महीनों के चालान।
20	02XXXXXXXXXX1ZK	बददी-IV	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट, लाभ व हानि लेखा, चालान।
21	02XXXXXXXXXX1ZS	नालागढ़-I	लाभ व हानि लेखा, स्टैंडअलोन बैलेंस शीट और अन्य संबंधित रिकॉर्ड, चयनित महीनों के चालान।
22	02XXXXXXXXXX1Z4	बददी-III	लाभ व हानि लेखा, स्टैंडअलोन बैलेंस शीट और अन्य संबंधित रिकॉर्ड।
23	02XXXXXXXXXX1ZH	हमीरपुर	इस जीएसटी सं. के लिए स्टैंडअलोन लाभ व हानि विवरणी, अपेक्षित महीनों के चालान।

परिशिष्ट 3.18

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.1)

अभिलेखों का आंशिक प्रस्तुतीकरण

क्र.सं.	जीएसटी सं.	सर्कल	प्रस्तुत न किए गए अभिलेखों का विवरण
1	02XXXXXXXXXX1ZB	मनाली	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
2	02XXXXXXXXXX1ZX	परवाण-।	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
3	02XXXXXXXXXX1Z9	बददी-IV	चयनित महीनों के चालान
4	02XXXXXXXXXX1ZP	पांवटा-II	स्टैंडअलोन बैलेंस शीट
5	02XXXXXXXXXX3ZV	संजौली	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
6	02XXXXXXXXXX2Z7	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	बैलेंस शीट, चालान
7	02XXXXXXXXXX2ZT	बरोटीवाला	जॉब वर्क चालान, चयनित महीनों के चालान
8	02XXXXXXXXXX1ZJ	भोरंज व सृजानपुर	चयनित महीनों के चालान
9	02XXXXXXXXXX1ZK	पांवटा-I	वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर टिप्पणियां
10	02XXXXXXXXXX1Z7	बड़सर	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
11	02XXXXXXXXXX6ZZ	कांगड़ा-I	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
12	02XXXXXXXXXX2ZW	नाहन-I	चयनित महीनों के चालान
13	02XXXXXXXXXX1ZJ	अम्बोटा	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
14	02XXXXXXXXXX1ZZ	नाहन-I	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
15	02XXXXXXXXXX1ZO	बददी-II	चयनित महीनों के चालान
16	02XXXXXXXXXX1ZD	मॉल रोड	लाभ व हानि लेखे और अन्य संबंधित दस्तावेजों, चालानों की अनुसूचियां।
17	02XXXXXXXXXX1ZZ	नेरचौक	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
18	02XXXXXXXXXX1ZX	मंडी-III	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
19	02XXXXXXXXXX2ZZ	कार्ट रोड	वित्तीय विवरणियों के लेखाओं पर टिप्पणियां व चालान
20	02XXXXXXXXXX1ZE	बरोटीवाला	जॉब वर्क चालान, चयनित महीनों के चालान
21	02XXXXXXXXXX1ZP	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	जॉब वर्क चालान, चयनित महीनों के चालान
22	02XXXXXXXXXX1ZU	भोरंज व सृजानपुर	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
23	02XXXXXXXXXX1ZG	मनाली	टिप्पणियां/अनुसूचियां, अचल संपत्ति अनुसूची, विविध देनदार/लेनदारों का विवरण
24	02XXXXXXXXXX1Z8	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	जॉब वर्क चालान, चयनित महीनों के चालान
25	02XXXXXXXXXX1Z1	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	जॉब वर्क चालान, चयनित महीनों के चालान
26	02XXXXXXXXXX1ZP	भोरंज व सृजानपुर	चयनित महीनों के चालान
27	02XXXXXXXXXX1ZF	अम्बोटा	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
28	02XXXXXXXXXX1ZM	बददी-III	चयनित महीनों के चालान
29	02XXXXXXXXXX1ZV	पांवटा-I	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
30	02XXXXXXXXXX1ZO	देहरा	मजदूरी, ओवरहेड्स, मूल्यहास आदि से संबंधित खाता बही (गैर-कर योग्य तत्व), अपूर्ण वित्तीय रिकॉर्ड (टिप्पणियां/अनुसूचियां, विविध देनदार/लेनदारों का विवरण), चालान
31	02XXXXXXXXXX1ZZ	कल्ल	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण
32	02XXXXXXXXXX1ZH	मंडी-III	विविध लेनदारों/देनदारों का विवरण

परिशिष्ट 3.19

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.2)

विलंबित भुगतान पर ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान करना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	विलम्ब से फाइल जीएसटीआर-3बी रिटर्न की संख्या	दिनों में विलम्ब की सीमा	ब्याज का भुगतान न करना/कम भुगतान (राशि ₹ में)	जिला	सर्कल
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	1	38	2,40,185.55	मंडी	नेरचौक
2	02XXXXXXXXXX1ZK	1	19	3,283.31	सिरमौर	पांवटा -I
3	02XXXXXXXXXX2ZI	2	1	38,404.63	सिरमौर	पांवटा -II
4	02XXXXXXXXXX2ZT	6	3 से 231	37,78,319.04	बीबीएन बददी	बरोटीवाला
5	02XXXXXXXXXX1Z5	2	3	8,200.99	बीबीएन बददी	बददी-IV
6	02XXXXXXXXXX2Z3	1	164	59,587.78	हमीरपुर	भोरज व सुजानपुर (गगरेट)
7	02XXXXXXXXXX3ZV	1	4	48,015.88	शिमला	संजौली
8	02XXXXXXXXXX1ZK	4	126 से 190	35,20,849.70	बीबीएन बददी	बददी-IV
9	02XXXXXXXXXX1ZP	4	2 से 31	9,420.66	सिरमौर	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
10	02XXXXXXXXXX1Z4	2	1 से 4	7,947.02	बीबीएन बददी	बददी-III
11	02XXXXXXXXXX1ZZ	1	9	9,042.84	सिरमौर	नाहन -I
12	02XXXXXXXXXX1ZO	2	84 से 174	5,58,488.40	कुल्लू	कुल्लू/ बंजार
13	02XXXXXXXXXX1ZE	4	134 से 269	9,44,838.69	बीबीएन बददी	बरोटीवाला
14	02XXXXXXXXXX2Z7	2	7 से 8	27,606.42	सिरमौर	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
15	02XXXXXXXXXX1Z1	1	31	6,878.11	सिरमौर	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
16	02XXXXXXXXXX1ZB	2	4 से 42	2,408.26	मंडी	मंडी-III एईटीसी मंडी
17	02XXXXXXXXXX1Z7	1	28	1,822.27	हमीरपुर	बड़सर
18	02XXXXXXXXXX1ZZ	2	2 से 32	1,066.90	मंडी	नेरचौक
योग				92,66,366.45		

परिशिष्ट 3.20

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.3 घ(i))

आईटीसी का अधिक लाभ उठाना

(राशि ₹ में)

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	ली गई कुल आईटीसी	उपलब्ध आईटीसी	अंतर	सर्कल
		अन्य सभी आईटीसी + अन्य के मामले में आईटीसी रिवर्सल + अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवक आपूर्ति पर आईटीसी (जीएसटीआर3बी (4ए_5+4बी_2) +जीएसटीआर9(8सी))	रिवर्स चार्ज को छोड़कर बी2बी (केवल कर) + डेबिट और क्रेडिट नोट का शुद्ध योग (केवल कर) [तालिका 3 (केवल कर) + तालिका 5 (केवल कर)]		
1	02XXXXXXXXXX1ZS	24,66,86,403.00	23,42,28,501.41	-1,24,57,901.59	नालागढ़-III
2	02XXXXXXXXXX1ZD	22,02,519.00	11,21,606.55	-10,80,912.45	बददी-II
3	02XXXXXXXXXX2ZT	16,16,01,264.88	14,57,72,026.99	-1,58,29,237.88	बरोटीवाला
4	02XXXXXXXXXX1Z5	7,99,59,390.00	5,79,02,233.43	-2,20,57,156.57	बददी-IV
5	02XXXXXXXXXX3Z6	6,99,00,208.00	5,82,83,597.69	-1,16,16,610.31	बददी-II
6	02XXXXXXXXXX1ZH	19,85,94,429.00	19,76,80,782.98	-9,13,646.02	बददी-III
7	02XXXXXXXXXX1ZK	9,97,46,352.00	8,07,74,074.82	-1,89,72,277.18	बददी-IV
8	02XXXXXXXXXX1Z7	9,06,92,448.00	7,64,46,681.05	-1,42,45,766.95	नालागढ़-II
9	02XXXXXXXXXX1Z4	1,83,07,122.00	1,41,88,341.07	-41,18,780.93	बददी-III
10	02XXXXXXXXXX1ZE	2,76,69,044.00	2,22,67,532.38	-54,01,511.62	बरोटीवाला
11	02XXXXXXXXXX1Z9	28,31,86,046.00	26,37,36,784.22	-1,94,49,261.78	बददी-IV
12	02XXXXXXXXXX1ZM	3,34,68,862.26	2,35,10,177.56	-99,58,684.70	बददी-III
13	02XXXXXXXXXX1ZO	53,90,412.00	3,06,285.61	-50,84,126.39	बददी-II
14	02XXXXXXXXXX1Z8	5,04,57,568.00	3,59,10,823.48	-1,45,46,744.52	चंबा
15	02XXXXXXXXXX2Z3	1,85,68,492.00	1,32,87,805.26	-52,80,686.74	भोरंज व सृजानपुर (गगरेट)
16	02XXXXXXXXXX1ZQ	3,33,39,684.00	3,24,19,947.07	-9,19,736.93	हमीरपुर (ऊना सर्कल)
17	02XXXXXXXXXX1ZJ	1,68,06,984.00	1,27,87,569.79	-40,19,414.21	भोरंज व सृजानपुर
18	02XXXXXXXXXX1Z7	91,21,426.00	55,45,287.87	-35,76,138.13	बडसर
19	02XXXXXXXXXX1ZU	39,18,458.27	22,55,319.73	-16,63,138.54	भोरंज व सृजानपुर
20	02XXXXXXXXXX6ZZ	65,89,826.00	30,53,894.82	-35,35,931.18	कांगड़ा-I
21	02XXXXXXXXXX1ZB	28,72,80,320.00	22,15,76,223.81	-6,57,04,096.19	मनाली
22	02XXXXXXXXXX1ZO	21,82,95,952.00	19,94,61,872.43	-1,88,34,079.57	कल्लू/ बंजार
23	02XXXXXXXXXX1ZZ	20,96,159.00	19,54,655.58	-1,41,503.42	कल्लू
24	02XXXXXXXXXX1ZJ	86,76,38,702.31	78,17,78,295.58	-8,58,60,406.74	नेरचौक
25	02XXXXXXXXXX1ZX	27,28,708.38	16,52,109.01	-10,76,599.36	मंडी-III एईटीसी मंडी

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	ली गई कुल आईटीसी	उपलब्ध आईटीसी	अंतर	सर्कल
		अन्य सभी आईटीसी + अन्य के मामले में आईटीसी रिवर्सल + अगले वित्तीय वर्ष में प्राप्त आवक आपूर्ति पर आईटीसी (जीएसटीआर3बी (4ए_5+4बी_2) +जीएसटीआर9(8सी))	रिवर्स चार्ज को छोड़कर बी2बी (केवल कर) + डेबिट और क्रेडिट नोट का शुद्ध योग (केवल कर) [तालिका 3 (केवल कर) + तालिका 5 (केवल कर)]		
26	02XXXXXXXXXX1ZB	16,61,644.00	3,50,207.78	-13,11,436.22	मंडी-III आईटीसी मंडी
27	02XXXXXXXXXX1ZH	45,18,224.00	28,27,484.70	-16,90,739.30	मंडी-III आईटीसी मंडी
28	02XXXXXXXXXX1ZZ	2,18,30,863.00	1,98,97,555.46	-19,33,307.54	नेरचौक
29	02XXXXXXXXXX1Z1	68,93,805.88	57,00,005.29	-11,93,800.58	संजौली
30	02XXXXXXXXXX1ZD	1,50,63,180.00	1,31,87,258.79	-18,75,921.21	मॉल रोड
31	02XXXXXXXXXX3ZV	28,37,67,192.00	23,16,75,814.42	-5,20,91,377.58	संजौली
32	02XXXXXXXXXX1ZS	53,66,821.47	37,49,927.96	-16,16,893.51	ढली
33	02XXXXXXXXXX2Z2	22,86,390.50	38,025.80	-22,48,364.70	चौपाल
34	02XXXXXXXXXX1ZK	2,17,51,530.00	1,78,38,241.71	-39,13,288.29	पांवाटा-I
35	02XXXXXXXXXX2Z1	70,51,75,784.00	64,40,97,218.08	-6,10,78,565.92	पांवाटा-II
36	02XXXXXXXXXX1ZP	72,17,81,736.00	64,67,53,451.42	-7,50,28,284.58	पांवाटा-II
37	02XXXXXXXXXX1ZZ	1,06,74,395.00	83,41,896.12	-23,32,498.88	नाहन-I
38	02XXXXXXXXXX2Z7	1,89,13,134.00	1,20,02,898.49	-69,10,235.51	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
39	02XXXXXXXXXX2ZW	1,24,72,690.00	95,51,682.84	-29,21,007.16	नाहन-I
40	02XXXXXXXXXX1ZV	43,34,766.50	7,31,781.49	-36,02,985.01	पांवाटा-I
41	02XXXXXXXXXX1ZX	5,95,53,010.50	4,18,73,989.75	-1,76,79,020.75	परवाणु-I
42	02XXXXXXXXXX1ZJ	35,82,338.25	9,69,585.94	-26,12,752.31	अम्बोटा
43	02XXXXXXXXXX1ZF	2,88,80,205.00	67,84,692.69	-2,20,95,512.31	अम्बोटा
44	02XXXXXXXXXX1ZZ	14,93,36,096.00	11,89,35,952.65	-3,04,00,143.35	मेहतपुर
45	02XXXXXXXXXX3ZP	21,19,27,522.00	20,12,30,283.01	-1,06,97,238.99	औद्योगिक क्षेत्र मेहतपुर
योग		5,12,40,18,108.19	4,47,44,40,384.60	-64,95,77,723.60	

परिशिष्ट 3.21

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.3 घ(ii))

पात्रता से अधिक आईटीसी का लाभ उठाना

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर9		2ए के अनुसार जीएसटीआर 9 घोषित निवल आईटीसी	2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी		कॉलम 18 व कॉलम 126 के मध्य अंतर	सर्कल	जीएसटीआर9
		जीएसटीआर2ए व 3बी के अनुसार आईटीसी में अंतर	तालिका 8डी (कॉलम 129)		तालिका 8ए (कॉलम 126)	लिया गया आईटीसी_2ए (कॉलम 18)			
I	II	III	IV	V	VI = V-IV	VII	VIII		
1	02XXXXXXXXXX1ZS	-78,25,309.00				नालागढ़-III	-78,25,309.00		
2	02XXXXXXXXXX1ZD	-1,04,225.64	20,98,294.50	11,21,606.55	-9,76,687.95	बददी-II	-9,76,687.95		
3	02XXXXXXXXXX2ZT	-44,23,392.00	14,57,77,856.00	14,57,72,026.99	-5,829.01	बरोटीवाला	-44,23,392.00		
4	02XXXXXXXXXX1Z5	-2,63,00,930.00	5,84,68,444.00	5,79,02,233.43	-5,66,210.57	बददी-IV	-2,63,00,930.00		
5	02XXXXXXXXXX3Z6	-19,67,459.25				बददी-II	-19,67,459.25		
6	02XXXXXXXXXX1ZH	-	19,87,50,688.00	19,76,80,782.98	-10,69,905.02	बददी-III	-10,69,905.02		
7	02XXXXXXXXXX1ZK	-	8,08,25,856.00	8,07,74,074.82	-51,781.18	बददी-IV	-51,781.18		
8	02XXXXXXXXXX1Z7	-13,00,914.50				नालागढ़-II	-13,00,914.50		
9	02XXXXXXXXXX1ZE	-2,00,484.02	2,30,99,280.00	2,22,67,532.38	-8,31,747.62	बरोटीवाला	-8,31,747.62		
10	02XXXXXXXXXX1Z9	-1,95,68,804.00				बददी-IV	-1,95,68,804.00		
11	02XXXXXXXXXX1ZO	-20,89,431.88	20,86,322.00	3,06,285.61	-17,80,036.39	बददी-II	-20,89,431.88		
12	02XXXXXXXXXX1Z8	-85,58,585.00	3,59,12,792.00	3,59,10,823.48	-1,968.52	चंबा	-85,58,585.00		
13	02XXXXXXXXXX2Z3	-	1,36,56,434.00	1,32,87,805.26	-3,68,628.74	भोरंज व सृजानपुर (गंगरेट)	-3,68,628.74		
14	02XXXXXXXXXX1ZQ	-5,67,628.13	3,27,72,054.00	3,24,19,947.07	-3,52,106.93	हमीरपुर (ऊना)	-5,67,628.13		
15	02XXXXXXXXXX1ZJ	-40,87,166.50				भोरंज व सृजानपुर	-40,87,166.50		
16	02XXXXXXXXXX1Z7	-	91,55,492.00	55,45,287.87	-36,10,204.13	बडसर	-36,10,204.13		
17	02XXXXXXXXXX1ZU	-73,328.34				भोरंज व सृजानपुर	-73,328.34		
18	02XXXXXXXXXX6ZZ	-31,88,536.50	34,01,289.50	30,53,894.82	-3,47,394.68	कांगड़ा-I	-31,88,536.50		
19	02XXXXXXXXXX1ZB	-4,56,45,076.00	24,16,35,280.00	22,15,76,223.81	-2,00,59,056.19	मनाली	-4,56,45,076.00		
20	02XXXXXXXXXX1ZO	-1,47,21,717.00	20,32,02,864.00	19,94,61,872.43	-37,40,991.57	कुरूल/ बंजार	-1,47,21,717.00		
21	02XXXXXXXXXX1ZJ	-1,04,96,920.00				नरचौक	-1,04,96,920.00		

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर9			2ए के अनुसार जीएसटीआर 9 घोषित निवल आईटीसी	2ए के अनुसार उपलब्ध आईटीसी लिया गया आईटीसी 2ए (कॉलम 18)	कॉलम 18 व कॉलम 126 के मध्य अंतर	सर्कल	जीएसटीआर9
		जीएसटीआर2ए व 3बी के अनुसार आईटीसी में अंतर	2ए के अनुसार निवल आईटीसी	तालिका 8डी (कॉलम 129)					
I	II	III	IV	V	VI = V-IV	VII	VIII		
22	02XXXXXXXXXX1ZX	-10,80,955.38					मंडी-III एईटीसी मंडी	-10,80,955.38	
23	02XXXXXXXXXX1ZB	-12,50,730.38	4,02,153.63	3,50,207.78	-51,945.84		मंडी-III एईटीसी मंडी	-12,50,730.38	
24	02XXXXXXXXXX1ZZ	-18,69,594.75	1,99,61,268.00	1,98,97,555.46	-63,712.54		नेरचौक	-18,69,594.75	
25	02XXXXXXXXXX2ZZ	-8,57,239.00	94,23,578.00	93,78,837.43	-44,740.57		कार्ट रोड	-8,57,239.00	
26	02XXXXXXXXXX1Z1	-3,47,861.25	65,45,945.00	57,00,005.29	-8,45,939.71		सजौली	-8,45,939.71	
27	02XXXXXXXXXX1ZD	-19,13,773.00					मौल रोड	-19,13,773.00	
28	02XXXXXXXXXX3ZV	-	24,33,62,304.00	23,16,75,814.42	-1,16,86,489.58		सजौली	-1,16,86,489.58	
29	02XXXXXXXXXX1ZS	-4,50,468.28	50,50,554.00	37,49,927.96	-13,00,626.04		ढली	-13,00,626.04	
30	02XXXXXXXXXX2Z2	-32,65,966.00	53,725.40	38,025.80	-15,699.60		चौपाल	-32,65,966.00	
31	02XXXXXXXXXX1ZK	-37,96,430.50	1,78,85,180.00	1,78,38,241.71	-46,938.29		पांवटा-I	-37,96,430.50	
32	02XXXXXXXXXX2Z1	-1,77,89,608.00					पांवटा-II	-1,77,89,608.00	
33	02XXXXXXXXXX1ZP	-1,32,735.63					औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	-1,32,735.63	
34	02XXXXXXXXXX1ZP	-31,31,952.50	66,60,84,864.00	64,67,53,451.42	-1,93,31,412.58		पांवटा-II	-1,93,31,412.58	
35	02XXXXXXXXXX1ZZ	-	1,06,80,111.00	83,41,896.12	-23,38,214.88		नाहन-I	-23,38,214.88	
36	02XXXXXXXXXX2Z7	-69,41,113.00					औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	-69,41,113.00	
37	02XXXXXXXXXX2ZW	-29,65,359.00					नाहन-I	-29,65,359.00	
38	02XXXXXXXXXX1ZJ	-26,15,716.25					अम्बोटा	-26,15,716.25	
39	02XXXXXXXXXX1ZZ	-3,61,918.44	11,93,73,632.00	11,89,35,952.65	-4,37,679.35		मेहतपूर	-4,37,679.35	
40	02XXXXXXXXXX3ZP	-	20,13,68,960.00	20,12,30,283.01	-1,38,676.99		औद्योगिक क्षेत्र मेहतपूर	-1,38,676.99	
योग		-19,98,91,329.09	2,35,10,35,221.02	2,28,09,70,596.56	-7,00,64,624.5			-23,82,82,412.73	

परिशिष्ट 3.22

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.3 घ(iii))

कर योग्य एवं कर-भिन्न योग्य आपूर्तियों के लिए साझा इनपुट्स के बदले में कम रिवर्सल

क्र.सं.	जीएसटीआईएन	[जीएसटीआर-9 तालिका(5डी+5ई)/(5एन-5एफ)]* [आर-9 तालिका 6बी+6सी+6डी+6ई (केवल इनपुट और इनपुट सेवाएं) +(6एफ+6जी+8सी) (जीएसटीआर-3बी की तालिका 4डी(2) का योग + जीएसटीआर-9 तालिका 7ई+12)]	जीएसटीआर-9 की तालिका 7सी+7एच में दिखाया गया आईटीसी रिवर्सल	कर योग्य एवं कर-भिन्न योग्य आपूर्तियों के लिए साझा इनपुट्स के बदले में कम रिवर्सल/रिवर्सल न करना	सर्कल
1	02XXXXXXXXXX1ZK	1,11,35,649.29	0	1,11,35,649.29	बददी-IV
2	02XXXXXXXXXX2ZZ	61,30,627.82	53,66,797.00	7,63,830.82	कार्ट रोड सर्कल, शिमला
3	02XXXXXXXXXX1ZD	4,57,932.60	0	4,57,932.60	मॉल रोड, शिमला
4	02XXXXXXXXXX3ZV	5,75,808.09	0	5,75,808.09	संजौली, शिमला
योग		1,83,00,017.8	53,66,797.00	1,29,33,220.8	

परिशिष्ट 3.23

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.3 घ(v))

उपलब्ध आईटीसी से अधिक आईटीसी का दावा (जीएसटीआर-3बी की तुलना में जीएसटीआर-9)

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर 9 व जीएसटीआर 3बी के आईटीसी में अंतर (जीएसटीआर9_6जे)	आईटीसी उपलब्ध (जीएसटीआर9_6आई)	जीएसटीआर 3बी के माध्यम से लिया गया आईटीसी (जीएसटीआर9_6ए)	आईटीसी का अधिक दावा [जीएसटीआर9 (6आई-6ए)]	सर्कल
1	02XXXXXXXXXX2ZT	-1,52,87,353.00	17,41,45,936.00	18,94,33,280.00	-1,52,87,344.00	बरोटीवाला
2	02XXXXXXXXXX3Z6	-59,34,613.00	8,46,57,864.00	9,05,92,472.00	-59,34,608.00	बद्दी-II
3	02XXXXXXXXXX1Z7	-1,29,535.00	9,96,38,224.00	9,97,67,752.00	-1,29,528.00	नालागढ़-II
4	02XXXXXXXXXX1ZE	22,360.00	3,13,47,320.00	3,13,69,680.00	-22,360.00	बरोटीवाला
5	02XXXXXXXXXX1ZM	-4,96,998.28	4,42,46,424.00	4,47,43,420.00	-4,96,996.00	बद्दी-III
6	02XXXXXXXXXX1ZO	-12,14,658.13	41,75,754.00	53,90,412.00	-12,14,658.00	बद्दी-II
7	02XXXXXXXXXX1Z8	-59,25,092.00	3,76,37,968.00	4,35,63,056.00	-59,25,088.00	चंबा
8	02XXXXXXXXXX2Z3	-49,27,569.50	1,36,40,923.00	1,85,68,492.00	-49,27,569.00	भोरंज व सुजानपुर (गगरेट)
9	02XXXXXXXXXX1ZP	-21,72,960.00	2,15,55,680.00	2,37,28,640.00	-21,72,960.00	भोरंज व सुजानपुर
10	02XXXXXXXXXX2ZI	-4,22,45,112.00	67,73,25,952.00	71,95,71,072.00	-4,22,45,120.00	पांवटा-II
11	02XXXXXXXXXX2Z7	-13,92,572.88	1,86,46,540.00	2,00,39,114.00	-13,92,574.00	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
12	02XXXXXXXXXX1ZV	-36,19,969.50	7,14,797.00	43,34,766.50	-36,19,969.50	पांवटा-I
13	02XXXXXXXXXX2ZK	-1,75,77,440.00	1,12,27,76,448.00	1,14,03,53,792.00	-1,75,77,344.00	बंगाना
	योग	-10,09,46,233.28	2,33,05,09,830.00	2,43,14,55,948.50	-10,09,46,118.50	

परिशिष्ट 3.24

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.3 घ(vii))

रिवर्स चार्ज मेकेनिज्म के तहत कर का अल्प भुगतान

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर 9				कुल	अंतर (कर का अल्प भुगतान)	सर्कल
		आवक आपूर्तियां जिन पर रिवर्स चार्ज के आधार पर कर चुकाना है तालिका 4जी कॉलम 77	अपजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज देना है (केवल कर) तालिका 6सी कॉलम 104	पंजीकृत व्यक्तियों से प्राप्त आवक आपूर्ति जिस पर रिवर्स चार्ज देना है (केवल कर) तालिका 6डी कॉलम 105	एसईजेड से आवक आपूर्ति को छोड़कर सेवाओं का आयात तालिका 6एफ कॉलम 107			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02XXXXXXXXXXZT	12,58,107.13	0.00	13,31,242.75	0.00	13,31,242.75	-73,135.63	बरोटीवाला
2	02XXXXXXXXXX1ZS	20,01,663.38	0.00	21,54,673.50	7,523.19	21,62,196.69	1,60,533.31	ढली
योग		32,59,770.50	0.00	34,85,916.25	7,523.19	34,93,439.44	2,33,668.94	2

परिशिष्ट 3.25

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.4 (क))

अन्य आय पर कर का अनुद्ग्रहण - आपूर्ति को शामिल न करना

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	आय का प्रकार	राशि	कर की दर	कर	सर्कल/रेंज	की गई वसूली (यदि हो)
1	02XXXXXXXXXX1Z4	स्क्रेप बिक्री	72,366.00	5	3,618.30	बद्दी-III	
2	02XXXXXXXXXX1ZB	स्क्रेप बिक्री	77,20,215.00	5	3,86,010.75	मनाली सर्कल	
3	02XXXXXXXXXX1ZH	प्रत्यक्ष आय के अंतर्गत छूट	1,03,512.00	28	28,983.36	मंडी-III एईटीसी मंडी	
4	02XXXXXXXXXX3ZV	स्क्रेप बिक्री	4,87,42,270.00	5	24,37,113.50	संजौली	
		संयंत्र और मशीनरी की बिक्री पर लाभ	1,58,31,166.00	5	7,91,558.30		
5	02XXXXXXXXXX1ZP	स्क्रेप बिक्री	1,33,48,000.00	5	6,67,400.00	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	
		संयंत्र और मशीनरी की बिक्री	71,90,000.00	5	3,59,500.00		
6	02XXXXXXXXXX1Z9	स्क्रेप बिक्री	46,18,607.00	5	2,30,930.35	बद्दी-IV	
योग			9,76,26,136		49,05,114.56		
वे मामले जहां वसूली हुई							
7	02XXXXXXXXXX2ZK	अचल संपत्तियों की बिक्री पर लाभ	12,69,829.00	5	63,491.45	बंगाना सर्कल	वसूली की गई (वसूली गई राशि 2,47,656/-)
8	02XXXXXXXXXX1ZO	बीमा आयोग	1,00,422.00	18	18,075.96	देहरा	वसूली की गई (वसूली गई राशि 31,216/-)
योग			9,89,96,387		49,86,681.97		

परिशिष्ट 3.26

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.4 (ख))

आरसीएम के तहत देयताओं का निर्वहन न करना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	लाभ व हानि में ऐसी सेवाएं जिन पर आरसीएम का भुगतान नहीं किया गया	सेवा का कर योग्य मूल्य जिस पर लाभ व हानि लेखा के अनुसार आरसीएम अदा करना है	कर की दर (प्रतिशत में)	आरसीएम के तहत देय कर (₹एफ)/100	जीएसटीआर-9 (4जी) के अनुसार आरसीएम के तहत कर योग्य आपूर्ति	जीएसटीआर-9 के अनुसार चुकाया गया कुल आरसीएम	किया गया अल्प भुगतान	सर्कल/ रेंज	की गई वसूली (यदि कोई हो)
1	02XXXXXXXXXX6ZZ	मजदूरी व माल ढुलाई	458887	12	55066.44	0	0.00	55066.44	कांगड़ा -I	
2	02XXXXXXXXXX1ZK	व्यावसायिक शुल्क माल ढुलाई	20000 2356958	18 12	3600.00 282834.96	677615	84380.00	202054.96	पांवटा सर्कल-I	
3	02XXXXXXXXXX2Z3	व्यावसायिक शुल्क माल ढुलाई अप्रत्यक्ष	60000 1370667	18 12	10800.00 164480.04	76228	3812.00	171468.04	गवरोट	
4	02XXXXXXXXXX1ZP	माल ढुलाई एवं गाड़ी विधिक व व्यावसायिक शुल्क	6122000 12293000	12 18	734640.00 2212740.00	6160869	642129.31	2305250.69	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	
5	02XXXXXXXXXX1Z8	माल ढुलाई	6528820	12	783458.40	5385648	295454.00	488004.40	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	
6	02XXXXXXXXXX1ZZ	विधिक व व्यावसायिक शुल्क माल ढुलाई	62000 729032	18 12	11160.00 87483.84	336280	29495.00	69148.84	नाहन सर्कल-I	
7	02XXXXXXXXXX1ZX	विधिक व व्यावसायिक शुल्क माल ढुलाई प्रभार माल ढुलाई आवक आयात	1050500 3310290 7963489	18 12 12	189090.00 397234.80 955618.68	4856447	411779.88	1130163.61	परवाणु सर्कल-I	
8	02XXXXXXXXXX1ZQ	विधिक व व्यावसायिक शुल्क माल ढुलाई	247000 17275044	18 12	44460.00 2073005.28	6421174	455620.00	1661845.28	हमीपूर सर्कल (ऊना सर्कल)	
9	02XXXXXXXXXX1ZE	विधिक व व्यावसायिक शुल्क आवक माल	1455550 1521482	18 12	261999.00 182577.84	563700	59386.00	385190.84	बरोटीवाला	
10	02XXXXXXXXXX1ZX	विधिक व व्यावसायिक शुल्क माल ढुलाई प्रभार	306000 1497264	18 12	55080.00 179671.68	0	0.00	234751.68	मंडी-III एईटीसी मंडी	

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	लाभ व हानि में ऐसी सेवाएं जिन पर आरसीएम का भुगतान नहीं किया गया	सेवा का कर योग्य मूल्य जिस पर लाभ व हानि लेखा के अनुसार आरसीएम अदा करना है	कर की दर (प्रतिशत में)	आरसीएम के तहत देय कर (₹xएफ)/100	जीएसटीआर-9 (4जी) के अनुसार आरसीएम के तहत कर योग्य आपूर्ति	जीएसटीआर-9 के अनुसार चुकाया गया कुल आरसीएम	किया गया अल्प भुगतान	सर्कल/रेंज	की गई वसूली (यदि कोई हो)
11	02XXXXXXXXXX2Z7	व्यावसायिक शुल्क	130001	18	23400.18	89045	4453.00	18947.18	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	
12	02XXXXXXXXXXXX1Z1	विधिक व व्यावसायिक शुल्क	62837	18	11310.66	0	0.00	11310.66	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब	
13	02XXXXXXXXXXXX1Z9	विधिक व व्यावसायिक शुल्क	8826610	18	1588789.80	15370560	645861.00	1098069.72	बट्डी-IV	
14	02XXXXXXXXXXXX1ZV	माल ढुलाई	1292841	12	155140.92	0	0.00	7416.00	पांवटा सर्कल-I	
		विधिक खर्च	40000	18	7200.00	0	0.00			
		माल ढुलाई व अगोषण प्रभार	1800	12	216.00					
15	02XXXXXXXXXXXX1ZZ	विधिक खर्च	28000	18	5040.00	0	0.00	159716.64	नेरचोक	
		माल ढुलाई	1288972	12	154676.64					
16	02XXXXXXXXXXXX1ZO	माल ढुलाई भुगतान	19842370	12	2381084.40	0	0.00	2394152.40	बट्डी-II	
		विधिक व व्यावसायिक शुल्क	72600	18	13068.00					
वे मामले जहां वसूली की गई										
		माल ढुलाई व्यय प्रत्यक्ष	5161231	12	619347.72	6563980	328200.00			विभाग ने
17	02XXXXXXXXXXXX1ZZ	माल ढुलाई व्यय अप्रत्यक्ष	5044670	12	605360.40			896508.12	मेहतपुर सर्कल	3,28,200/- राशि की वसूली की
योग			9,62,14,014		1,42,49,635.68	4,65,01,546	29,60,570.19	1,12,89,065.49		
			शेष 16 मामले		1,30,24,927.56	3,99,37,566	26,32,370.19	1,03,92,557.37		

परिशिष्ट 3.27

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.4 ग(II))

वित्तीय विवरणियों एवं रिटर्न के मध्य टर्नओवर का असंगत होना

क्र. सं.	जीएसटीआईडन	रिट वर्ष	9सी के 5आर का मान (कॉलम 173_500)	9सी के 7जी का मान (कॉलम 176_500)	9सी के 9आर का मान (कॉलम 179_500)	आर-9 के अनुसार कर योग्य टर्नओवर (कॉलम 98_500)	वार्षिक वित्तीय विवरणी के अनुसार आपूर्ति	अप्रैल से जून 2017 तक प्रभावी आपूर्ति	अप्रैल से जून 2017 के अतिरिक्त आपूर्ति/ टर्नओवर	अंतर (कॉलम7-10)	सर्कल
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	02XXXXXXXXXX1Z4	2017-18	0.00	0.00	-223.71	304649024.00	472084493.00	106720600.00	365363893.00	-60714869.00	बददी-III
2	02XXXXXXXXXX1ZP	2017-18	-3.04	-3.52	1.56	892827264.00	1403218000.00	288825122.00	1114392878.00	-221565614.00	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
3	02XXXXXXXXXX1ZZ	2017-18	0.00	0.00	0.00	85984520.00	133673403.00	37507357.00	96166046.00	-10181526.00	नाहन सर्कल-I
4	02XXXXXXXXXX1ZX	2017-18	निर्क	निर्क	निर्क	2078183.63	27484217.00	0.00	27484217.00	-25406033.38	मंडी-III एईटीसी मंडी
5	02XXXXXXXXXX1Z9	2017-18	100338.00	100338.00	-113614.96	2063783552.00	2571180294.00	499743946.00	2071436348.00	-7652796.00	बददी-IV
						3,34,93,22,543.63			3,67,48,43,382.00	-32,55,20,838.38	

परिशिष्ट 3.28

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.4 सी(ii))

कर देयताओं का निर्वहन न करना - अनुवर्ती कार्यवाही न करना

(गांशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर 9सी			आर-9सी(5क्यू)	जीएसटीआर9 5एन(4 एन+5एम- 4जी)	अंतर (कॉलम 6-7)	सर्कल
		तालिका 5आर	तालिका 7जी	तालिका 9आर				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	-145689961.62	-145689961.62	0.00	2869725372.57	2869725469.00	-96.43	नेरचौक
2	02XXXXXXXXXX1ZS	0.00	0.00	0.00	2164803720.43	2164682695.13	121025.30	नालागढ़ -III
3	02XXXXXXXXXX2ZT	-634866.61	-3.35	-0.62	1176524968.34	1176524940.00	28.34	बरोटीवाला
4	02XXXXXXXXXX1Z5	10682269.00	10682269.00	-4637614.00	1359855306.00	1349173030.00	10682276.00	बददी-IV
5	02XXXXXXXXXX2Z3	-19033774.87	-19033774.87	271491.18	158614790.13	158614796.00	-5.87	भोरंज व सुजानपुर सर्कल
6	02XXXXXXXXXX1ZP	-3.04	-3.92	1.56	1141244757.47	1141199003.00	45754.47	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
7	02XXXXXXXXXX1ZS	0.00	0.00	6.56	3221503457.00	3211240184.00	10263273.00	नालागढ़ सर्कल-I
8	02XXXXXXXXXX2Z7	-73712669.00	-73712669.00	0.00	212155002.00	212155003.00	-1.00	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
9	02XXXXXXXXXX1Z9	100338.00	100338.00	-113614.96	2047466220.00	2048412992.00	-946772.00	बददी-IV
10	02XXXXXXXXXX1Z7	0.00	0.00	47.78	70081578.00	69696024.00	385554.00	बड़सर सर्कल
11	02XXXXXXXXXX1ZZ	0.00	0.00	-3316158.00	127080179.00	127080176.00	3.00	नेरचौक
		-23,90,71,272.10	-23,84,36,405.49	-80,67,386.96	7,95,74,88,818.90	7,93,59,90,936.13	2,14,97,882.77	

परिशिष्ट 3.29

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.4 ग(iii))

जीएसटीआर-1 व जीएसटीआर-9 के अंतर्गत विभिन्न कर देयताओं से जुड़े मामले

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर 1 देयता	जीएसटीआर 9 देयता (तालिका 4एन-4जी)	विसंगतियां (कॉलम 4-3)	सर्कल
1	2	3	4	5	6
1	02XXXXXXXXXX3Z6	10,18,56,472.00	10,18,12,984.66	-43,487.34	बददी-II
2	02XXXXXXXXXX1Z9	25,22,53,184.00	25,21,39,548.04	-1,13,635.96	बददी-IV
3	02XXXXXXXXXX1ZZ	24,11,867.00	-	-24,11,867.00	कुल्लू सर्कल
4	02XXXXXXXXXX1ZJ	83,16,16,830.00	83,13,61,046.00	-2,55,784.00	नेरचौक
5	02XXXXXXXXXX1ZS	3,26,18,226.00	3,25,93,176.63	-25,049.38	ढली सर्कल
6	02XXXXXXXXXX1ZP	93,17,82,910.00	93,14,29,866.00	-3,53,044.00	पांवटा सर्कल-II
7	02XXXXXXXXXX2ZK	41,63,55,904.00	41,45,93,218.00	-17,62,686.00	बंगाना सर्कल
योग			2,56,88,95,393.00	-49,65,553.68	

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट 3.30

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.4 ग(iv))

कर देयता का गलत निर्वहन

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर-1 देयता व जीएसटीआर-9 देयता में से बड़ी देयता (कॉलम 14)	जीएसटीआर-9 भुगतान (आर9 तालिका(9+14-4जी))	अंतर (कॉलम 4-3)	सर्कल
1	2	3	4	5	6
1	02XXXXXXXXXX1ZS	38,91,79,241.02	38,89,60,043.02	-2,19,198.00	नालागढ़-III
2	02XXXXXXXXXX1ZD	1,83,92,154.00	1,58,54,994.00	-25,37,160.00	बददी-II
3	02XXXXXXXXXX1Z5	18,42,24,015.75	18,21,47,152.75	-20,76,863.00	बददी-IV
4	02XXXXXXXXXX1Z8	4,93,18,732.00	4,57,36,538.00	-35,82,194.00	चंबा सर्कल
5	02XXXXXXXXXX2Z3	2,06,18,532.00	1,93,05,266.00	-13,13,266.00	भोरंज व सुजानपुर सर्कल (गगरेट)
6	02XXXXXXXXXX1ZP	2,75,52,688.00	2,17,96,540.00	-57,56,148.00	भोरंज व सुजानपुर सर्कल
7	02XXXXXXXXXX1Z7	1,00,35,976.00	90,79,369.76	-9,56,606.24	बड़सर सर्कल
8	02XXXXXXXXXX1ZU	28,66,999.75	20,15,254.00	-8,51,745.75	भोरंज व सुजानपुर सर्कल
9	02XXXXXXXXXX1ZB	22,77,56,425.00	22,77,52,864.00	-3,561.00	मनाली सर्कल
10	02XXXXXXXXXX1ZO	30,67,00,576.00	29,87,32,177.00	-79,68,399.00	कुरुलू/ बंजार
11	02XXXXXXXXXX1ZX	20,24,016.44	7,48,148.00	-12,75,868.44	मंडी-III एईटीसी मंडी
12	02XXXXXXXXXX1ZB	45,12,092.00	20,96,605.48	-24,15,486.52	मंडी-III एईटीसी मंडी
13	02XXXXXXXXXX1ZH	46,44,892.00	-	-46,44,892.00	मंडी-III एईटीसी मंडी
14	02XXXXXXXXXX1ZZ	1,72,17,552.00	1,21,16,710.00	-51,00,842.00	नेरचौक
15	02XXXXXXXXXX2ZZ	2,14,39,886.00	1,61,60,951.00	-52,78,935.00	कार्ट रोड सर्कल
16	02XXXXXXXXXX1Z1	62,96,344.00	57,76,682.00	-5,19,662.00	संजौली
17	02XXXXXXXXXX1ZD	1,66,07,714.00	1,50,93,318.00	-15,14,396.00	मॉल रोड
18	02XXXXXXXXXX3ZV	46,24,04,288.00	46,21,00,147.00	-3,04,141.00	संजौली

(राशि ₹ में)

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर-1 देयता व जीएसटीआर-9 देयता में से बड़ी देयता (कॉलम 14)	जीएसटीआर-9 भुगतान (आर9 तालिका(9+14-4जी))	अंतर (कॉलम 4-3)	सर्कल
1	2	3	4	5	6
19	02XXXXXXXXXX222	28,28,923.00	22,46,188.00	-5,82,735.00	चौपाल सर्कल
20	02XXXXXXXXXX1ZK	1,90,71,296.00	1,86,66,860.00	-4,04,436.00	पॉवटा सर्कल-I
21	02XXXXXXXXXX2ZI	1,23,78,06,848.00	1,23,77,86,216.00	-20,632.00	पॉवटा सर्कल-II
22	02XXXXXXXXXX1ZP	15,64,93,616.00	15,54,03,022.69	-10,90,593.31	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
23	02XXXXXXXXXX1Z8	1,59,59,464.00	1,59,47,958.00	-11,506.00	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
24	02XXXXXXXXXX1ZZ	1,50,33,702.00	1,43,49,833.00	-6,83,869.00	नाहन सर्कल-I
25	02XXXXXXXXXX1ZZ	14,43,98,848.00	14,39,94,348.00	-4,04,500.00	मेहतपुर सर्कल
	योग	3,36,33,84,820.96	3,31,38,67,185.70	-4,95,17,635.26	

परिशिष्ट 3.31

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.4 ग(v))

जीएसटीआर 9सी की विसंगतियों पर अनुवर्ती कार्रवाई न होना

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	मुख्यालय डेटा के अनुसार जीएसटीआर9सी		सर्कल
		आईटीसी (तालिका-12एफ) कॉलम 182 का मिलान न होना	जीएसटीआर9 (तालिका-14टी) कॉलम 185 के साथ आईटीसी वार्षिक रिटर्न से मिलान न होना	
1	02XXXXXXXXXX1ZS	18611961.00	0.00	नालागढ़-III
2	02XXXXXXXXXX1ZD	0.00	1720092.00	बददी-II
3	02XXXXXXXXXX2ZT	1207208.80	0.00	बरोटीवाला
4	02XXXXXXXXXX1Z5	0.00	1281348.00	बददी-IV
5	02XXXXXXXXXX1ZH	292980.50	285541.00	बददी-III
6	02XXXXXXXXXX1ZE	0.00	1660708.59	बरोटीवाला
7	02XXXXXXXXXX1Z9	23997252.00	23997252.00	बददी-IV
8	02XXXXXXXXXX1Z8	1330.00	1275211.00	चंबा सर्कल
9	02XXXXXXXXXX6ZZ	0.00	81407.95	कांगड़ा I
10	02XXXXXXXXXX1ZB	250837935.26	0.00	मनाली सर्कल
11	02XXXXXXXXXX3ZV	90354.61	398673083.39	संजौली
12	02XXXXXXXXXX1ZP	30125022.19	0.00	पांवाटा सर्कल-II
13	02XXXXXXXXXX1ZP	21616.12	0.00	औद्योगिक क्षेत्र काला अंब
	योग	32,50,93,975.87	40,46,91,850.93	

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट 3.32

(संदर्भ: परिच्छेद 3.6.3.4 ग(vi))

जीएसटी अधिनियम/अधिसूचनाओं के अनुसार अपात्र छूट

क्र. सं.	जीएसटीआईएन	जीएसटीआर1 छूट/शून्य रेट/गैर-जीएसटी आपूर्ति कॉलम-23	जीएसटीआर9 के अनुसार दर व एचएसएन में छूट (तालिका 17)	डेटा शीट/ एसएसओआईडी के अनुसार एचएसएन	सर्कल
1	02XXXXXXXXXX1ZJ	28,44,657	सूचना अनुपलब्ध	87031010, 8708, 87089900, 997111, 2710	नेरचौक
2	02XXXXXXXXXX1Z5	1,61,69,112	सूचना अनुपलब्ध	38220090, 90278090, 00440262, 00440245	बददी-IV
3	02XXXXXXXXXX2ZZ	1,47,87,33,700	सूचना अनुपलब्ध	997113, 997119	कार्ट रोड सर्कल
4	02XXXXXXXXXX1ZD	8,71,261	सूचना अनुपलब्ध	62141020, 42021110, 04090000, 33973010, 32129010	मॉल रोड
5	02XXXXXXXXXX3ZV	1,17,753	सूचना अनुपलब्ध	998413	संजौली
6	02XXXXXXXXXX1ZK	8,07,59,496	सूचना अनुपलब्ध	84509010, 84501100, 84189900, 85098000	बददी-IV
7	02XXXXXXXXXX1ZS	11,29,917	सूचना अनुपलब्ध	00440005, 00440366, 00440169, 00441480	ढली सर्कल
8	02XXXXXXXXXX1ZB	10,74,597	सूचना अनुपलब्ध	440410	मंडी-III एईटीसी मंडी
9	02XXXXXXXXXX1ZO	7,10,85,296	सूचना अनुपलब्ध	440262	बददी-II
		1,65,27,85,789			

(राशि ₹ में)

परिशिष्ट 4.1

(संदर्भ: परिच्छेद 4.4)

थोक विक्रेता द्वारा बेचे गए कोटे एवं खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाई गई शराब के मध्य अंतर

क्र.सं.	उपायुक्त राज्य एवं आबकारी का नाम	थोक विक्रेता का नाम	थोक विक्रेता द्वारा बेचा गया कोटा (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाया गया कोटा (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	अंतर (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	थोक विक्रेता द्वारा बेचा गया कोटा (बीयर)	खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाया गया कोटा (बीयर)	अंतर (बीयर)	थोक विक्रेता द्वारा बेचा गया कोटा (देशी शराब)	खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाया गया कोटा (देशी शराब)	अंतर (देशी शराब)	LF @ भारत में निर्मित विदेशी शराब हेतु ₹360 प्रति पूफ लीटर	LF @ देशी शराब ₹320 प्रति पूफ लीटर	LF @ बीयर हेतु ₹64 प्रति पूफ लीटर	कुल		
1	शिमला	मेसर्स डी.डी. वाइन्स	248073.08			371467.00											
		रॉयल वाइन	465264.3475			407608.994											
		एस एस वाइन	825324.7835			783830.50											
		मेसर्स कार्टा वाइन	461936.509			607164.00											
		मेसर्स पीपलड्रिज ट्रेडर्स	418737.6625			593367.555											
		मेसर्स शिमला वाइन								690934.70							
		मेसर्स कार्टा स्पिरिट								880361.42							
		मेसर्स शर्मा ट्रेडर्स								559367.73							
		मेसर्स ए डी ट्रेडर्स								766557.00							
		कुल			2419336.383	2416082.808	3253.5745	2769438.049	2695622.133	67815.916	2897220.85	2858056.624	39164.226	1171286.82	12532552.3	4340218.82	18044058
2	सोहन	मेसर्स चडीगढ़ वाइन्स	342617.985			295649.28											
		मेसर्स राजपूत वाइन	646115.0625			529718.89											
		मेसर्स कैलाश वाइन								345420							
		मेसर्स हिमाचल लिक्वर								315126							
		मेसर्स राम प्रकाश								885900							
योग			988733.0475	987964.438	768.6095	825368.17	798582.548	26785.622	1546446	1534670.403	11775.597	276699.42	3768191.04	1714279.81	5759170		
3	ऊना	मेसर्स राणा वाइन्स	172840.23														
		मेसर्स फकीर चंद एंड संस	425719.642														
		हेमराज डोंगरा	328397.55														
		लखन पाल	256798.395														
		राजीव परियाल															
		महंकाजी एंटरप्राइजेज															
									225439.49								
									135927								

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन I

क्र.सं.	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी का नाम	शोक विक्रेता का नाम	शोक विक्रेता द्वारा बेचा गया कोटा (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाया गया कोटा (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	अंतर (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	शोक विक्रेता द्वारा बेचा गया कोटा (बीयर)	खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाया गया कोटा (बीयर)	अंतर (बीयर)	शोक विक्रेता द्वारा बेचा गया कोटा (देशी शराब)	खुदरा विक्रेताओं द्वारा उठाया गया कोटा (देशी शराब)	अंतर (देशी शराब)	LF @ भारत में निर्मित विदेशी शराब हेतु ₹360 प्रति पूफ लीटर	LF @ देशी शराब हेतु ₹320 प्रति पूफ लीटर	LF @ बीयर हेतु ₹64 प्रति पूफ लीटर	कुल
		अंगारा एंटरप्राइजेज													
		मेसर्स स्वनाल अखिलेश													
		आरआर वाइन													
		ए-वन एंटरप्राइजेज													
		योग	1183755.817	1154478	29277.817				1280407.93	1272576	7831.93	10540014.1	2506217.6		13048232
		मेसर्स सुपर एसोसिएट्स	198951.109			199711.25									
		मेसर्स गोल्डी वाइन	766541.43			726664.8									
		मेसर्स टी. आर. वाइन							572393.7675						
		मेसर्स नूपुर वाइन							958367.25						
4	कागड़ा								1530761.018	1451735.829	79025.189	33571534	25288060.3	1342858.56	60202453
		योग	965492.539	872238.278	93254.261	926376.05	905393.885	20982.165	1530761.018	1451735.829	79025.189	33571534	25288060.3	1342858.56	60202453
		सकल योग	5557318	5430764	126554	4515182	4399599	115584	7254836	7117039	137797	45559534	44095021	7397357	97051913

परिशिष्ट 4.2

(संदर्भ: परिच्छेद 4.5)

आबकारी घोषणा-2020-21 के अनुसार न्यूनतम गारंटीकृत कोटे का आवंटन न होने के कारण राजस्व की हानि

क्र. सं.	इकाई/बिक्री केंद्र का नाम	वर्ता के बाद 2019-20 के लिए निर्धारित कोटा		2020-21 में देशी शराब के लिए 5 प्रतिशत बढ़ाया जाने वाला कोटा		2020-21 के लिए निर्धारित वार्षिक कोटा		कोटे में अंतर		लाइसेंस शल्क की हानि (राशि ₹ में)	
		भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (पूफ लीटर)	भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (पूफ लीटर)	भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (पूफ लीटर)	भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (पूफ लीटर)	भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (₹ 320/पूफ लीटर)
1.	मोगीनंद	8476.455	13258.53	8476.455	13921.4565	6311.689	10366.114	2164.766	3555.342	779316	1137710
2.	सैनवाला	6952.116	9500.091	6952.116	9975.09555	5176.639	7427.598	1775.477	2547.498	639172	815199
3.	भंडारीवाला	5482.012	9160.582	5482.012	9618.6111	4081.984	7162.154	1400.028	2456.457	504010	786066
4.	खेरी	7729.63	11746.063	7729.63	12333.36615	5755.592	9183.600	1974.038	3149.767	710654	1007925
5.	जोहरोन	5941.216	9230.907	5941.216	9692.45235	4423.914	7217.138	1517.302	2475.315	546229	792101
6.	त्रिलोकपुर रोड	4412.451	8775.766	4412.451	9214.5543	3285.574	6861.288	1126.877	2353.266	405676	753045
7.	काला अम्ब	6681.338	10120.703	6681.338	10626.73815	4975.019	7912.820	1706.319	2713.918	614275	868454
8.	बरमापापड़ी	3405.09	5045.641	3405.09	5297.92305	2535.479	3944.909	869.611	1353.014	313060	432965
9.	कौलावाला भंड	3908.875	5032.296	3908.875	5283.9108	2910.604	3934.475	998.271	1349.436	359378	431819
10.	मीरापुर कोटला	2334.879	2769.945	2334.879	2908.4225	1738.584	2165.667	596.295	742.775	214666	237688
11.	मारकंडा के उस पार	5104.51	4497.407	5104.51	4722.27735	3800.890	3516.275	1303.620	1206.002	469303	385921
12.	कालाघाट	6490.05	13053.586	6490.05	13706.2653	5236.745	11059.423	1253.305	2646.842	451190	846989
13.	मडीघाट	5302.754	7290.043	5302.754	7654.54515	4278.729	6176.362	1024.025	1478.183	368649	473019
14.	चकला-पुल	1304.293	3010.194	1304.293	3160.7037	1052.417	2550.335	251.876	610.369	90675	195318
15.	मानगढ़	3932.379	7887.528	3932.379	8281.9044	3172.990	6682.571	759.389	1599.333	273380	511787
16.	कोट	935	2475	935	2598.75	754.440	2096.901	180.560	501.849	65001	160592
17.	डिगर	1112.549	2258.784	1112.549	2371.7232	897.703	1913.715	214.846	458.008	77345	146562
18.	नारग	8006.67	14372.424	8006.67	15091.0452	6460.488	12176.786	1546.182	2914.259	556626	932563
19.	वासनी	2886.995	7650.72	2886.995	8033.256	2329.482	6481.939	557.513	1551.317	200705	496421
20.	नैना टिक्कर	13995.039	22116.378	13995.039	23222.1969	11292.432	18737.717	2702.607	4484.480	972939	1435034
21.	धंग्यार	972.803	4008.432	972.803	4208.8536	784.944	3396.074	187.859	812.779	67629	260089
22.	सराहन	13826.147	0	13826.147	0	11156.155	0	2669.992	0.000	961197	0
23.	सराहन	0	30029.591	0	31531.07055	0	25442.048	0.000	6089.022	0	1948487
24.	भगथन	4105.707	8188.092	4105.707	8597.4966	3312.847	6937.219	792.860	1660.278	285430	531289

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन I

क्र. सं.	इकाई/बिक्री केंद्र का नाम	वर्ता के बाद 2019-20 के लिए निर्धारित कोटा		2020-21 में देशी शराब के लिए 5 प्रतिशत बढ़ाया जाने वाला कोटा		2020-21 के लिए निर्धारित वार्षिक कोटा		कोटे में अंतर		लाइसेंस शुल्क की हानि (राशि ₹ में)	
		भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (पूफ लीटर)	भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (पूफ लीटर)	भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (पूफ लीटर)	भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (पूफ लीटर)	भारत में निर्मित विदेशी शराब (पूफ लीटर)	देशी शराब (₹ 320/पूफ लीटर)
25.	दिलमन	3604.139	5473.908	3604.139	5747.6034	2908.137	4637.673	696.002	1109.930	250561	355178
26.	रूजा खाला में स्थित प्रीत नगर	3815.383	8962.272	3815.383	9410.3856	3078.587	7593.129	736.796	1817.257	265246	581522
27.	खजूरना	8645.778	10972.665	8645.778	11521.29825	5265.384	7016.611	3380.394	4504.687	1216942	1441500
28.	संभवाला	2282.793	5148.026	2282.793	5405.4273	1390.253	3291.971	892.540	2113.456	321314	676306
29.	बदीनगर	25314.11	0	25314.11	0	21915.172	0	3398.938	0.000	1223618	0
30.	बदीनगर	0	51833.885	0	54425.57925	0	47117.830	0.000	7307.750	0	2338480
31.	धौलाकूआं	21416.841	0	21416.841	0	13043.117	0	8373.724	0.000	3014540	0
32.	धौलाकूआं	0	29833.581	0	31325.26005	0	19077.465	0.000	12247.795	0	3919294
33.	बट्टामंडी	17379.9	0	17379.9	0	15046.292	0.000	2333.608	0.000	840099	0
34.	कंडियन	6947.438	8105.011	6947.438	8510.26155	6014.606	7367.585	932.832	1142.677	335820	365657
35.	माजरा	9189.919	20746.027	9189.919	21783.32835	5596.772	13266.313	3593.147	8517.016	1293533	2725445
36.	कोलार	4305.034	6467.591	4305.034	6790.97055	2621.818	4135.784	1683.216	2655.187	605958	849660
37.	हरिपुरखोल	2504.59	7566.926	2504.59	7945.2723	1525.326	4838.768	979.264	3106.504	352535	994081
38.	बहराल	5456.639	26371.679	5456.639	27690.26295	4723.973	23972.278	732.666	3717.985	263760	1189755
39.	पेटलियन	5992.131	20812.34	5992.131	21852.957	5187.565	18918.750	804.566	2934.207	289644	938946
		240154	413773	240154	434461	184042	334577	56111	99884	20200075	31962867
								योग		52162942	

परिशिष्ट 4.3

(संदर्भ: परिच्छेद 4.6)

2019-20 एवं 2020-21 की अवाधि के लिए टूट-फूट अधिक अनुमत करने के कारण राजस्व की हानि

क्र.सं.	इकाई का नाम व निरीक्षण रिपोर्ट जारी करने की तिथि	शोक विक्रेता का नाम	फूफ लीटर में प्राप्त कुल शराब	फूफ लीटर में स्वीकार्य टूट-फूट	स्वीकृत/दावा की गई टूट-फूट	फूफ लीटर में अंतर	रेड/लाइसेंस शुल्क की दर	रेड/लाइसेंस शुल्क ₹ में
1	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी शिमला (2019-20)	मेसर्स रॉयल वाइन्स शानन एल-1	734771.41	1836.93	5109.5	3272.57	350	1145400.016
		मेसर्स ए.डी. ट्रेडर्स एल-13	423967	1059.92	2056.5	996.58	290	289008.925
		मेसर्स हिल्म वाइन्स ढली एल-13	247041	617.60	1783.43	1165.83	290	338089.975
		मेसर्स भूषार वाइन्स मेहली एल-13	370566	926.42	2416.5	1490.09	290	432124.65
		मेसर्स पैराडाइज ट्रेडर्स भट्टाकूपफर एल-1	573882.2	1434.71	3287.46	1852.75	350	648464.075
		मेसर्स शिमला वाइन ट्रेडर भट्टाकूपफर एल-13	650925	1627.31	3147.3	1519.99	290	440796.375
		मेसर्स काल्टा वाइन्स भट्टाकूपफर एल-1	506910.5	1267.28	3688.04	2420.76	350	847267.3125
		मेसर्स काल्टा स्पिरिट्स भट्टाकूपफर एल-13	723825	1809.56	5315.76	3506.20	290	1016797.275
		मेसर्स एसएस वाइन्स ढली एल-1	548390.1	1370.98	3974.953	2603.98	350	911392.2125
		मेसर्स शर्मा ट्रेडर्स चैथला एल-13	438525	1096.31	1746	649.69	290	188409.375
	कुल (10 बिक्री केंद्र)	5218803.21	13047.01	32525.443	19478.43			6257750.191
2	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी सोलन (2019-20)	मेसर्स एस.टी. वाइन एल-1	625594.6	1563.99	2058.12	494.13	350	172946.73
		मेसर्स रामप्रकाश एल-13	742941	1857.35	2862.75	1005.40	290	291565.28
		मेसर्स कलश वाइन एल-13	367803	919.51	1098.8	179.29	290	51994.83
	कुल (03 बिक्री केंद्र)	1736338.6	4340.85	6019.67	1678.82			516506.825
3	उपायुक्त राज्य कर एवं आबकारी नूरपुर (2019-20)	मेसर्स गोल्डी वाइन एल-1	772607.88	1931.52	3070.19	1138.67	350	398534.61
		मेसर्स नूरपुर वाइन	915975	2289.94	3751.87	1461.93	290	423960.43
		कुल (02 बिक्री केंद्र)	1688582.88	4221.4572	6822.06	2600.60		
	सकल योग	15 बिक्री केंद्र	86,43,724.69	21,609.31	45,367.17	23,757.86	-	75,96,752.05

परिशिष्ट 4.4

(संदर्भ: परिच्छेद 4.7)

बोतलीकरण शुल्क राशि एवं विलंबित भुगतान पर ब्याज की वसूली न होना

क्र.सं.	उत्पादकता राशि एवं आबकारी का नाम	बोतलीकरण शुल्क का अनुमानित भुगतान	भारत में निर्मित विदेशी शराब		भारत में उत्पादन (लीटर में)		कुल (भारत में निर्मित विदेशी शराब+ विदेशी शराब)		भारत में निर्मित विदेशी शराब की बोतलें (750 मिली लीटर)		निर्यातित भारत में निर्मित विदेशी शराब की बोतलें (750 मिली लीटर)		देशी शराब की बोतलें (750 मिलीलीटर)		कुल बोतलें (भारत में निर्मित विदेशी शराब +देशी शराब)		750 मिलीलीटर की बोतलों की संख्या					देय बोतलीकरण शुल्क					कुल (भारत में निर्मित विदेशी शराब)		कुल (भारत में निर्मित विदेशी शराब + देशी शराब)	
			भारत में निर्मित विदेशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब	भारत में उत्पादन (लीटर में)	कुल (भारत में निर्मित विदेशी शराब+ विदेशी शराब)	भारत में निर्मित विदेशी शराब की बोतलें (750 मिली लीटर)	निर्यातित भारत में निर्मित विदेशी शराब की बोतलें (750 मिली लीटर)	देशी शराब की बोतलें (750 मिलीलीटर)	कुल बोतलें (भारत में निर्मित विदेशी शराब +देशी शराब)	भारत में निर्मित विदेशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब	निर्यातित भारत में निर्मित विदेशी शराब	देशी शराब	कुल बोतलें (भारत में निर्मित विदेशी शराब +देशी शराब)	बोतलीकरण शुल्क @ ₹ 1.73 प्रति इकाई (देशी शराब)	बोतलीकरण शुल्क @ ₹ 5.2 प्रति इकाई (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	बोतलीकरण शुल्क @ ₹ 8.6 प्रति इकाई (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	कुल बोतलीकरण शुल्क (भारत में निर्मित विदेशी शराब + देशी शराब)	बोतलीकरण शुल्क @ ₹ 1.73 प्रति इकाई (देशी शराब)	बोतलीकरण शुल्क @ ₹ 5.2 प्रति इकाई (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	बोतलीकरण शुल्क @ ₹ 8.6 प्रति इकाई (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	कुल बोतलीकरण शुल्क (भारत में निर्मित विदेशी शराब + देशी शराब)	भारत में निर्मित विदेशी शराब	भारत में निर्मित विदेशी शराब + देशी शराब	कुल (भारत में निर्मित विदेशी शराब)	कुल (भारत में निर्मित विदेशी शराब + देशी शराब)		
1	मार्स बोटलर्स	28890	353112	563009	945011	51360	627755	1501356	2180471	357820	2597346	267072	0	3222238	2491325	730913	105111													
	रेंजर ब्रेवरीज	4583	0	1020546	1025129	7017	0	1360728	1367745	0	2354059	36489	0	2390548	750000	1640548	500135													
2	बीआर वी फूड्स	159420	0	4431154	4590574	283414	0	11816410	12099824	0	20442390	0	2437358	20584119	2295629	712064														
	सकल योग	192894	353112	6014708	6560714	341791	627755	14678494	15648040	357820	25393795	303561	2437358	28492535	23825444	4667091	1317310													

परिशिष्ट 4.5

(संदर्भ: परिच्छेद 4.10.1)

पिछड़े क्षेत्र चिह्नित करने के लिए विभाग द्वारा मौजूदा मानदंडों एवं प्रस्तावित मानदंडों का विवरण
(अक्टूबर 2020)

क्र.सं.	मौजूदा मानदंड	वेटेज	नीति आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप विभाग द्वारा प्रस्तावित मानदंड	वेटेज
1	विचाराधीन क्षेत्र का भौगोलिक केन्द्र मुख्य वाहन योग्य सड़क से कम से कम 15 कि०मी० दूर होना चाहिए।	25	पंचायत मुख्यालय मुख्य वाहन योग्य सड़क से कम से कम 15 कि०मी० दूर होना चाहिए।	15
2	विचाराधीन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 25 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।	15	विचाराधीन क्षेत्र में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की जनसंख्या का प्रतिशत 40 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।	5
3	प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का औसत घनत्व 25 या उससे कम होना चाहिए।	5	शामिल न करने का प्रस्ताव है।	0
4	विचाराधीन क्षेत्र में कुल श्रमिक जनसंख्या का 90 प्रतिशत कृषि और पशुपालन आदि जैसे प्राथमिक व्यवसाय में संलिप्त श्रमिकों का होना चाहिए।	5	कुल श्रमिक जनसंख्या का 75 प्रतिशत कृषि और संबंधित क्षेत्रों में कार्यरत होना चाहिए।	5
5	विचाराधीन क्षेत्र में 6-14 वर्ष आयु-वर्ग के स्कूल जाने वाले बच्चों का प्रतिशत 20 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।	10	शामिल न करने का प्रस्ताव है।	0
6	पेयजल के संदर्भ में कमी वाले गांवों का प्रतिशत 60 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।	10	पेयजल के संदर्भ में कमी वाले गांवों का प्रतिशत 30 प्रतिशत या उससे अधिक होना चाहिए।	8
7	कुल विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत 25 प्रतिशत या उससे कम होना चाहिए।	8	कुल विद्युतीकृत गांवों का प्रतिशत 95 प्रतिशत या उससे कम होना चाहिए।	5
8	क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या एक से अधिक नहीं होनी चाहिए।	8	क्षेत्र में स्वास्थ्य संस्थानों की संख्या एक से अधिक नहीं होनी चाहिए।	5
9	भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार विचाराधीन क्षेत्र में किसी बैंक शाखा द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।	5	भारतीय रिजर्व बैंक के मानदंडों के अनुसार विचाराधीन क्षेत्र में किसी बैंक शाखा द्वारा सेवा प्रदान नहीं की जानी चाहिए।	5

क्र.सं.	मौजूदा मानदंड	वेटेज	नीति आयोग की अनुशंसाओं के अनुरूप विभाग द्वारा प्रस्तावित मानदंड	वेटेज
10	क्षेत्र में कोई पशु चिकित्सा संस्थान नहीं होना चाहिए।	5	क्षेत्र में कोई पशु चिकित्सा संस्थान नहीं होना चाहिए।	5
11	विचाराधीन क्षेत्र में औसत होल्डिंग का आकार एक हेक्टेयर या उससे कम होना चाहिए।	3	विचाराधीन क्षेत्र में औसत होल्डिंग का आकार 0.5 हेक्टेयर या उससे कम होना चाहिए।	2
12	प्रमुख अनाजों (गेहूं, मक्का और चावल) या आलू, सेब, चाय आदि जैसी लाभकारी नकदी फसलों के अंतर्गत फसल क्षेत्र का प्रतिशत सकल फसल क्षेत्र के 50 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।	1	लाभकारी नकदी फसलों (नकदी फसलें, पुष्प कृषि आदि) के अंतर्गत फसल क्षेत्र का प्रतिशत सकल फसल क्षेत्र के 40 प्रतिशत से अधिक नहीं होना चाहिए।	3
13	वर्तमान में कोई मानदंड नहीं	--	पंचायत में कोई उच्च/वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय न हो।	5
14	वर्तमान में कोई मानदंड नहीं	--	पंचायत के सभी शैक्षणिक संस्थानों में सक्रिय शौचालयों का प्रतिशत 95 प्रतिशत से कम हो।	5
15	वर्तमान में कोई मानदंड नहीं	--	पंचायत में कृषि भूमि पर सिंचाई सुविधा 30 प्रतिशत से कम हो।	5
16	वर्तमान में कोई मानदंड नहीं	--	पंचायत में मृदा स्वास्थ्य कार्ड का वितरण 80 प्रतिशत से कम हो।	5
17	वर्तमान में कोई मानदंड नहीं	--	पंचायत मुख्यालय में इंटरनेट सुविधा न हो।	3
18	वर्तमान में कोई मानदंड नहीं	--	पंचायत में बीपीएल परिवारों की संख्या 25 प्रतिशत से अधिक हो।	5
19	वर्तमान में कोई मानदंड नहीं	--	पंचायत में लिंग अनुपात प्रति 1000 पुरुषों पर 950 महिलाओं से कम हो।	5
20	वर्तमान में कोई मानदंड नहीं	--	पंचायत में घरेलू शौचालय वाले परिवारों की संख्या 90 प्रतिशत से कम हो।	5
21	वर्तमान में कोई मानदंड नहीं	--	30 प्रतिशत से अधिक बच्चे कुपोषित हो।	4
		100		100

परिशिष्ट 4.6

(संदर्भ: परिच्छेद 4.10.6.1)

वर्ष 2018-22 के दौरान राज्य में 13 विकास शीर्ष/लेखा शीर्षों के अनुसार बजट आवंटन एवं व्यय का विवरण

क्र.सं.	मुख्य शीर्ष/ व्यय विवरण-वारा	2018-19		2019-20		2020-21		2021-22		कुल	
		बजट आवंटन	व्यय	बजट आवंटन	व्यय						
1	कृषि/ 4401-00-800-01	40	12.72	45	16.06	50	15.64	55	18.21	190	62.63
2	पशुपालन/ 4403-00-101-01	35	28.17	40	49.32	45	62.46	50	28.24	170	168.19
3	आयुर्वेद/ 4210-03-101-01	65	37.43	70	52.74	75	46.28	80	49.47	290	185.92
4	प्राथमिक शिक्षा/ 4202-01-201-07	630	437.93	700	534.75	939	762.45	939	770.72	3208	2,505.85
5	वाजिनी/ 4406-01-800-02	70	51.96	80	22.4	85	50.6	90	54.36	325	179.32
6	स्वास्थ्य/ 4210-02-103-01	550	97.85	600	34.05	700	235.09	800	305.84	2650	672.83
7	उच्च शिक्षा/ 4202-01-202-06	500	354.01	500	417.37	600	479.86	750	647.08	2350	1,898.32
8	बागवानी/ 4401-00-119-03	70	1.92	75	2.01	80	36.61	85	28.14	310	68.68
9	लघु सिंचाई/ 4702-00-101-01	35	86.73	40	77.59	45	91.69	50	164.22	170	420.23
10	सड़क एवं पुल/ 5054-04-800-06	2,800	3,538.65	3,313	4053.4	3,644	4,513.07	3,800	4,524.51	13,557	16,629.63
11	ग्रामीण जलापूर्ति योजना/ 4215-01-102-01	1,065	1,204.63	1,220	1,376.59	1,587	1,595.48	1,485	1,617.87	5,357	5,794.57
12	मृदा संरक्षण/ 4402-00-800-01	45	87.82	40	89.34	45	53.54	50	55.61	180	286.31
13	ग्राम एवं लघु उद्योग/ 4851-00-102-09	40	0	45	0	50	0	45	13.74	180	13.74
कुल		5,945	5,939.82	6,768	6,725.62	7,945	7,942.77	8,279	8,278.01	28,937	28,886.22

*योजना विभाग द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा।

परिशिष्ट 4.7

(संदर्भ: परिच्छेद 4.10.6.2)

बजट के सापेक्ष त्रैमासिक व्यय

(₹ लाख में)

वित्तीय वर्ष	तिमाहियां	बजट	व्यय	व्यय का प्रतिशत	प्राधिकृत प्रतिशत	अंतर (+/-)
उपायुक्त मंडी						
2018-19	प्रथम	404.85	130.76	8	25	-17
	द्वितीय	647.76	360.28	22	40	-18
	तृतीय	404.85	270.02	17	25	-8
	चतुर्थ	161.94	858.33	53	10	43
	कुल	1,619.40	1,619.39			
2019-20	प्रथम	487.25	37	2	25	-23
	द्वितीय	779.71	648	34	40	-6
	तृतीय	487.32	351.49	18	25	-7
	चतुर्थ	194.93	889.75	46	10	36
	कुल	1,949.21	1,926.24			
2020-21	प्रथम	551.32	227.32	10	25	-15
	द्वितीय	882.1	434.56	20	40	-20
	तृतीय	551.32	1,174.91	53	25	-28
	चतुर्थ	220.53	368.47	17	10	7
	कुल	2,205.27	2,205.26			
2021-22	प्रथम	635.72	183.08	7	25	-18
	द्वितीय	1,017.14	1,384.05	54	40	14
	तृतीय	635.72	568.95	22	25	-3
	चतुर्थ	254.29	406.78	16	10	6
	कुल	2,542.87	2,542.86			
उपायुक्त सिरमौर						
2018-19	प्रथम	70.64	49.99	18	25	-7
	द्वितीय	113.03	24.21	8	40	-32
	तृतीय	70.64	90.72	32	25	7
	चतुर्थ	28.26	117.65	42	10	32
	कुल	282.57	282.57			
2019-20	प्रथम	78.70	8.75	3	25	-22
	द्वितीय	125.91	133.35	42	40	2
	तृतीय	78.70	50.81	16	25	-9

वित्तीय वर्ष	तिमाहियां	बजट	व्यय	व्यय का प्रतिशत	प्राधिकृत प्रतिशत	अंतर (+/-)
	चतुर्थ	31.48	118.16	37	10	27
	कुल	314.79	311.07			
2020-21	प्रथम	89.63	5.02	1	25	-24
	द्वितीय	142.13	5.02	1	40	-39
	तृतीय	88.83	226.41	64	25	39
	चतुर्थ	35.53	119.68	34	10	24
	कुल	356.13	356.13			
2021-22	प्रथम	95.53	18.00	5	25	-20
	द्वितीय	147.25	68.79	18	40	-22
	तृतीय	91.91	70.50	19	25	-6
	चतुर्थ	36.88	214.28	58	10	48
	कुल	371.57	371.57			
उपायुक्त चंबा						
2018-19	प्रथम	432.02	0.00	0	25	-25
	द्वितीय	691.23	1,018.68	59	40	19
	तृतीय	432.02	96.64	6	25	-19
	चतुर्थ	172.81	609.24	35	10	25
	कुल	1,728.08	1,724.56			
2019-20	प्रथम	481.27	0.00	0	25	-25
	द्वितीय	770.03	838.08	44	40	4
	तृतीय	481.27	426.11	22	25	-3
	चतुर्थ	192.51	645.27	34	10	24
	कुल	1,925.08	1,909.46			
2020-21	प्रथम	548.11	0.00	0	25	-25
	द्वितीय	869.20	133.41	6	40	-34
	तृतीय	543.25	1,236.96	57	25	32
	चतुर्थ	217.30	807.35	37	10	27
	कुल	2,177.86	2,177.72			
2021-22	प्रथम	584.20	30.00	1	25	-24
	द्वितीय	893.64	968.21	43	40	3
	तृतीय	557.81	36.79	2	25	-23
	चतुर्थ	223.83	1,223.48	54	10	44
	कुल	2,259.48	2,258.48			

परिशिष्ट 4.8

(संदर्भ: परिच्छेद 4.10.7.1 (ख))

वर्ष 2018-22 के दौरान चयनित जिलों की शीर्ष पांच कार्यकारी एजेंसियां

(₹ लाख में)

चंबा							
क्र.सं.	कार्यकारी एजेंसी का नाम	कुल कार्य		प्रगतिशील कार्य		पूर्ण कार्य	
		कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि	कार्यों की संख्या	स्वीकृत राशि
1	अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग तिस्सा	386	1,161.82	254	878.49	132	283.33
2	अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग सलूणी	241	1,009.88	185	790.89	56	218.99
3	अधिशाषी अभियंता लोक निर्माण विभाग चंबा	526	888.62	439	695.72	87	192.90
4	अधिशाषी अभियंता सिंचाई एवं लोक स्वास्थ्य चंबा	183	472.04	72	241.97	111	230.06
5	खण्ड विकास अधिकारी मेहला	183	404.70	137	322.3	46	82.40
कुल		1,519	3,937.06	1,087	2,929.37	432	1,007.68
मंडी							
1	खण्ड विकास अधिकारी, बालीचौकी	393	993.98	211	524.65	182	469.32
2	खण्ड विकास अधिकारी, सेराज	412	991.03	231	561.00	181	430.03
3	एक्सईएन लोक निर्माण विभाग, पधर में बी एवं आर मंडल ।	270	744.07	54	186.07	216	558.00
4	एक्सईएन लोक निर्माण विभाग, बी एवं आर, धर्मपुर	205	666.48	54	197.86	151	468.62
5	खण्ड विकास अधिकारी, सुंदर नगर	333	537.08	236	402.88	97	134.2
कुल		1,613	3,932.63	786	1,872.46	827	2,060.17
सिरमौर							
1	खण्ड विकास अधिकारी, संगराह	139	400.27	43	123.03	96	277.24
2	एक्सईएन लोक निर्माण विभाग, संगराह	25	185.66	10	62.00	15	123.66
3	खण्ड विकास अधिकारी, पांवटा साहिब	46	148.56	14	60.93	32	87.63
4	खण्ड विकास अधिकारी, शिलाई	30	114.26	4	17.57	26	96.69
5	पी.ओ., एसएसए सिरमौर	37	93.57	14	37.66	23	55.91
कुल		277	941.32	85	301.19	192	641.13

स्रोत: नमूना-जांचित उपायुक्तों द्वारा उपलब्ध कराया गया डेटा।

परिशिष्ट 4.9

(संदर्भ: परिच्छेद 4.10.7.2)

नमूना-जांचित योजनाओं/कार्यों के संयुक्त भौतिक निरीक्षण की स्थिति

(₹ लाख में)

क्र. सं.	ग्राम पंचायत (खण्ड)	कार्यकारी एजेंसी	क्षेत्र	योजना	स्वीकृति का माह	स्वीकृत राशि	व्यय	स्थिति	पूर्ण होने का माह	अभ्युक्ति
चंबा (भटियाल)										
1	जोलना	ग्राम पंचायत जोलना	उच्च शिक्षा	राजकीय उच्च विद्यालय जोलना में एक कमरे का निर्माण	मार्च 2020	2.00	2.00	पूर्ण	-	उपयोग में लाया नहीं गया।
2	तारागढ़	ग्राम पंचायत तारागढ़	सड़कें व पुल	गाँव कालफत में पक्के मार्ग का निर्माण	मार्च 2019	2.00	1.98	पूर्ण	अक्टूबर 2019	उपयोग में लाया गया।
3	तारागढ़	ग्राम पंचायत तारागढ़	सड़कें व पुल	गाँव कड़डी चोकिराय से कालफत फेज-2 की ओर एंबुलेंस सड़क का निर्माण	फरवरी 2019	4.00	4.00	पूर्ण	जुलाई 2019	उपयोग में लाया गया।
4	तारागढ़	ग्राम पंचायत तारागढ़	माध्यमिक शिक्षा	राजकीय माध्यमिक विद्यालय बेरियन में एक कमरे का निर्माण	मई 2020	4.00	3.95	पूर्ण	दिसम्बर 2020	उपयोग में लाया गया।
5	तारागढ़	ग्राम पंचायत तारागढ़	सड़कें व पुल	मुख्य सड़क से बेरियन तक पुली सहित रास्ते का निर्माण	मार्च 2021	3.50	3.48	पूर्ण	अक्टूबर 2021	उपयोग में लाया गया।
6	टिककरी	ग्राम पंचायत टिककरी	सड़कें व पुल	बढ़ चिनिदी कुमर्टा से छाँ मंदिर तक पैदल रास्ते (फुटपाथ) का निर्माण	मार्च 2022	1.50	0.80	पूर्ण	जून 2022	उपयोग में लाया गया। अंतिम बिल का भुगतान नहीं किया गया।
7	टिककरी	एसडीएससीओ बनीखेत	मृदा संरक्षण	गांव लालोह में सिंचाई योजना हेतु टैंक का निर्माण	फरवरी 2022	2.67	0.24	प्रगतिशील	लागू नहीं	-
						19.67	16.45			

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन I

क्र. सं.	ग्राम पंचायत (खण्ड)	कार्यकारी एजेंसी	क्षेत्र	योजना	स्वीकृति का माह	स्वीकृत राशि	व्यय	स्थिति	पूर्ण होने का माह	अभ्युक्ति
चंबा (मेहला)										
8	गोला	ग्राम पंचायत गोला	सड़कें व पुल	ग्राम घट्टा से मंजोलका खडोली तक लिंक रोड का निर्माण	अप्रैल 2020	3.00	1.64	अपूर्ण	लागू नहीं	-
9	बकान	ग्राम पंचायत बकान	सड़कें व पुल	सहलुइन से दबड़ तक पक्का पथ का निर्माण	मार्च 2021	0.50	0.49	पूर्ण	नवम्बर 2021	उपयोग में लाया गया।
10	छत्ररी	ग्राम पंचायत छत्ररी	सड़कें व पुल	ग्राम आरनी में पक्के पथ का निर्माण	जुलाई 2020	0.70	0.70	पूर्ण	फरवरी 2021	उपयोग में लाया गया।
11	गागला	खंड विकास अधिकारी, मेहला	उच्च शिक्षा	सरकारी उच्च विद्यालय गगला में दो कमरों का निर्माण कार्य पूर्ण	मार्च 2022	4.00	4.00	पूर्ण	नवम्बर 2022	उपयोग में लाया गया।
12	उतीप	खंड विकास अधिकारी, मेहला	माध्यमिक शिक्षा	सरकारी माध्यमिक विद्यालय काकियां में एक कमरे का निर्माण	मार्च 2020 दिसम्बर 2020	3.00 2.00	2.97	अपूर्ण	लागू नहीं	-
13	डरविन	ग्राम पंचायत डरविन	सड़कें व पुल	गांव धाडू में सुरक्षा कार्य सहित पक्के रास्ते का निर्माण	मार्च 2022	1.00	0.50	प्रगतिशील	लागू नहीं	-
14	बकान	अधिशाषी अभियंता, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, भरमौर	सड़कें व पुल	गांव लूदरा तक लिंक रोड निर्माण	जून 2018 नवम्बर 2020	10.00 11.27	14.59	अपूर्ण	लागू नहीं	-
						35.47	24.89			
मंडी (सेराज)										
15	धीम कटारू	ग्राम पंचायत धीम कटारू	सड़कें व पुल	बैहथी नाला तक पैदल पुल	अक्टूबर 2020	2.98	2.98	पूर्ण	दिसम्बर 2021	परिसंपत्ति बनाई गई, उपयोग में नहीं लाई गई। अप्रोचेस नहीं बनाए गए।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत (खण्ड)	कार्यकारी एजेंसी	क्षेत्र	योजना	स्वीकृति का माह	स्वीकृत राशि	व्यय	स्थिति	पूर्ण होने का माह	अभ्युक्ति
16	भाटकीधार	ग्राम पंचायत, भाटकीधार	सड़कें व पुल	सुरसानी गांव से नादेहल तक सड़क निर्माण	2019	2.94	2.94	पूर्ण	फरवरी 2021	सड़क बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, परिसंपत्ति का उपयोग नहीं हो रहा था।
17	बागराथच	ग्राम पंचायत, बागराथच	सड़कें व पुल	मिहाच गांव से रहियन तक सड़क का उन्नयन	अक्टूबर 2020	5.00	5.00	पूर्ण	अगस्त 2021	उपयोग में लाया गया (नवम्बर 2023)।
18	धीम कटारू	ग्राम पंचायत, धीम कटारू	सड़कें व पुल	खानुखाली गांव में सड़क और पार्किंग का निर्माण	2019	20.84	20.84	पूर्ण	फरवरी 2021	उपयोग में लाया गया।
19	हाटौन	एसडीएससीओ, मंडी	सड़कें व पुल	धार तक क्रेट वॉल के साथ एम्बुलेंस रोड का निर्माण	दिसम्बर 2021	3.00	2.91	पूर्ण	अगस्त 2022	उपयोग में लाया गया।
20	भाटकीधार	ग्राम पंचायत, भाटकीधार	उच्च शिक्षा	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय भटकीधार में बाउंड्री वॉल और गेट का निर्माण	2019	2.19	2.19	अपूर्ण	लागू नहीं	-
21	बागराथच	ग्राम पंचायत, बागराथच	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय, खनूची का निर्माण	2020 2021	5.00 3.00	5.00	प्रगतिशील	लागू नहीं	-
22	बेहल सैंज	ग्राम पंचायत, बेहल सैंज	सड़कें व पुल	बहाली से मंकेहड़ तक एम्बुलेंस सड़क का निर्माण	जुलाई 2021	2.00	1.70	अपूर्ण	लागू नहीं	-
						46.95	43.56			
मंडी (सदर)										
23	शिवा	ग्राम पंचायत शिवा	सड़कें व पुल	ग्राम शिवा से हरिजन बस्ती खटली माहोल तक सड़क मरम्मत	जनवरी 2022	1.00	1.00	पूर्ण	फरवरी 2022	सड़क क्षतिग्रस्त है लेकिन उसका उपयोग किया जा रहा है।
24	शकरियाद	ग्राम पंचायत शकरियाद	सड़कें व पुल	कमांद रोड से बुंगा तक सड़क की मरम्मत और चौड़ीकरण	जुलाई 2021	1.00	0.97	पूर्ण	अप्रैल 2020	उपयोग में लाया गया।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन I

क्र. सं.	ग्राम पंचायत (खण्ड)	कार्यकारी एजेंसी	क्षेत्र	योजना	स्वीकृति का माह	स्वीकृत राशि	व्यय	स्थिति	पूर्ण होने का माह	अभ्युक्ति
25	मैहानी	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	पेयजल आपूर्ति योजना बनौल के उन्नयन/सुधार का निर्माण कार्य	जनवरी 2020	1.50	1.50	पूर्ण	अक्टूबर 2022	उपयोग में लाया गया।
26	शकरियार	ग्राम पंचायत, शकरियार	सड़कें व पुल	शिल्ह से सरौन महोल तक सड़क का निर्माण	जुलाई 2021	2.00	2.00	पूर्ण	अप्रैल 2022	सड़क का उपयोग नहीं किया जा रहा था।
27	घराण	ग्राम पंचायत घराण	सड़कें व पुल	जरली से घाट गांव तक लिंक रोड का निर्माण	जनवरी 2022	2.48	1.00	प्रगतिशील	-	सड़क क्षतिग्रस्त है, उपयोग में नहीं लाई जा रही।
28	घराण	ग्राम पंचायत घराण	सड़कें व पुल	सुमा रोड से एसटी बस्ती तक लिंक रोड का निर्माण	दिसम्बर 2019	2.98	2.98	पूर्ण	जून 2021	उपयोग में लाया गया।
29	हाटौन	एसडीएससीओ, मंडी	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	सिंचाई योजना पंज्योला नाला की मरम्मत	दिसम्बर 2021	1.50	0	प्रगतिशील	अनुपलब्ध	-
30	मैहानी	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	एलडब्ल्यूएसएस सुम्मा इन्टेक चैम्बर झाल नाला का निर्माण	जुलाई 2021	4.50	1.43	अपूर्ण	अनुपलब्ध	-
31	शिवा	एसडीएससीओ, मंडी	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	भनाधुर सिंचाई टैंक का निर्माण	फरवरी 2021	3.33	3.24	अपूर्ण	अनुपलब्ध	-
				योग		20.29	14.12			
सिरमौर (पांवटा साहिब)										
32	भानेट हल्दवाड़ी	जल शक्ति विभाग नाहन	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	जीडब्ल्यूएसएस भानेट हल्दवाड़ी के अंतर्गत डिटर कंडोला एवं कुडला गांवों में जल वितरण प्रणाली का निर्माण	2019	9.52	9.52	पूर्ण	जुलाई 2021	उपयोग में लाया गया।

क्र. सं.	ग्राम पंचायत (खण्ड)	कार्यकारी एजेंसी	क्षेत्र	योजना	स्वीकृति का माह	स्वीकृत राशि	व्यय	स्थिति	पूर्ण होने का माह	अभ्युक्ति
33	भानेट हल्दवाड़ी	जल शक्ति विभाग नाहन	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	जीडब्ल्यूएसएस भानेट हल्दवाड़ी के अंतर्गत मौजूदा जल वितरण प्रणाली के सुदृढीकरण/सुधार हेतु निर्माण कार्य	2018	9.40	9.40	पूर्ण	नवम्बर 2021	उपयोग में लाया गया।
34	भरोग बनेरी	ग्राम पंचायत भरोग बनेरी	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	हरिजन बस्ती, पुडली मोहाल में जल सुविधा का निर्माण	मार्च 2021	3.00	3.39	पूर्ण	जून 2021	उपयोग में लाया गया।
35	भरोग बनेरी	ग्राम पंचायत भरोग बनेरी	सड़कें व पुल	मुख्य मार्ग-पुडली से बिशन सिंह बस्ती तक लिक सड़क का निर्माण	मार्च 2021	4.93	3.98	अपूर्ण	लागू नहीं	मूल्यांकन नहीं किया गया।
36	कांति माशवा	ग्राम पंचायत कांति माशवा	सिंचाई व लोक स्वास्थ्य	हरिजन बस्ती, कटली में जीडब्ल्यूएसएस का निर्माण	नवम्बर 2019	4.00	5.22	पूर्ण	अगस्त 2020	इन्टेक टैंक पर सफाई की तारीख और ताला नहीं था।
37	कांति माशवा	ग्राम पंचायत कांति माशवा	उच्च शिक्षा	राजकीय उच्च विद्यालय, कांति माशवा के शिक्षकों के लिए आवासीय आवास	फरवरी 2020 मार्च 2020	2.33 3.26	5.59	पूर्ण	सितम्बर 2021	अंदर और बाहर से छत अच्छी हालत में नहीं थी, शीशे टूटे हुए थे, भवन की दीवारों में सीलन थी।
38	कठवार	ग्राम पंचायत कठवार	सड़कें व पुल	कठवार में मुख्य सड़क से एचबी गुडनल तक संपर्क सड़क का निर्माण	सितम्बर 2019 अगस्त 2020	3.00 2.00	3.00	अपूर्ण	लागू नहीं	आंशिक पूर्ण (फरवरी 2022) सड़क का उपयोग नहीं किया गया।
39	कठवार	ग्राम पंचायत कठवार	सड़कें व पुल	ग्राम पंचायत कठवाड़ में पीडब्ल्यूडी रोड से नेवाड तक संपर्क सड़क का निर्माण	अप्रैल 2021	6.50	4.00	प्रगतिशील	लागू नहीं	आंशिक पूर्ण (फरवरी 2022) सड़क का उपयोग नहीं किया गया।

31 मार्च 2022 को समाप्त वर्ष के लिए संयुक्त लेखापरीक्षा प्रतिवेदन I

क्र. सं.	ग्राम पंचायत (खण्ड)	कार्यकारी एजेंसी	क्षेत्र	योजना	स्वीकृति का माह	स्वीकृत राशि	व्यय	स्थिति	पूर्ण होने का माह	अभ्युक्ति
40	शाखोली	ग्राम पंचायत शाखोली	उच्च शिक्षा	जीपीएस शाखोली में दो कक्षाओं का निर्माण	सितम्बर 2019	7.00	6.90	अपूर्ण	लागू नहीं	भवन के डाइमेंशन में भिन्नता।
41	शाखोली	लोक निर्माण विभाग, सतौन	सड़कें व पुल	शाखोली से मंडोली लिंक रोड का निर्माण	अक्टूबर 2020	5.00	5.16	पूर्ण	सितम्बर 2022	उपयोग में लाया गया।
				योग		59.94	56.16			
सिरमौर (संगराह)										
42	खूड़ द्राबिल	लोक निर्माण विभाग, रेणुकाजी	सड़कें व पुल	गांव खूड़ तक लिंक रोड का निर्माण किमी 0/00 से 0/300	जून 2018	8.5	8.40	पूर्ण	अक्टूबर 2019	भूस्खलन और भारी पत्थरों के कारण सड़क का उपयोग नहीं हो रहा।
43	खूड़ द्राबिल		सड़कें व पुल	खूड़ तक लिंक रोड का निर्माण	सितम्बर 2019	3.00	3.47	पूर्ण	मई 2020	सड़क के विभिन्न स्थानों पर मलबा जमा होने से वाहनों की आवाजाही में कठिनाई।
44	कोटि धीमान	ग्राम पंचायत कोटि धीमान	सड़कें व पुल	टिक्कराह से मैला शिमनाना तक संपर्क सड़क का निर्माण	सितम्बर 2019 सितम्बर 2020	7.00 3.00	10.00	पूर्ण	दिसम्बर 2020	विभिन्न स्थानों पर मलबा और सड़क की अपर्याप्त चौड़ाई।
45	कोटि धीमान	ग्राम पंचायत कोटि धीमान	सड़कें व पुल	चमाराह खल्ला पैदल पुल का निर्माण	फरवरी 2019	5.50	5.76	पूर्ण	सितम्बर 2019	पैदल पुल तक जाने वाला संकरा रास्ता।
46	शमरा	लोक निर्माण विभाग, संगराह	सड़कें व पुल	मुख्य बाजार बोगधार से नोहरा बोगधार सड़क तक पैवर ब्लॉक का निर्माण	मार्च 2021	10.00	12.10	अपूर्ण	लागू नहीं	मार्केट क्षेत्र के लगभग 10 मीटर हिस्से में लगातार पानी का प्रवाह, यहां पैवर ब्लॉक असमान हैं।
47	शमरा	ग्राम पंचायत शमरा	सड़कें व पुल	भुजवंता से बाग विलोग जिवानी तक लिंक रोड का निर्माण	फरवरी 2020	2.00	2.00	पूर्ण	सितम्बर 2020	वाहनों की आसान आवाजाही के लिए स्लैब

क्र. सं.	ग्राम पंचायत (खण्ड)	कार्यकारी एजेंसी	क्षेत्र	योजना	स्वीकृति का माह	स्वीकृत राशि	व्यय	स्थिति	पूर्ण होने का माह	अभ्युक्ति
										कल्वट और रिटेनिंग दीवारों की आवश्यकता। सड़क सही तरीके से सरोखित नहीं की गई है और आधा किलोमीटर के बाद उपयोग योग्य नहीं है।
48	बडोल	ग्राम पंचायत बडोल	सड़कें व पुल	पंजाली से अस्पल्टी तक लिंक रोड का निर्माण	अक्टूबर 2020 अगस्त 2021	2.50 5.00	8.96	पूर्ण	मई 2022	
49	बडोल	ग्राम पंचायत बडोल	ग्रामीण स्वास्थ्य	स्वास्थ्य उपकेंद्र, बडोल का निर्माण पूर्ण	दिसम्बर 2018	1.50	0.80	अपूर्ण	लागू नहीं	खिड़कियों में शीशे नहीं, फर्श की स्थिति उचित नहीं, दीवारों की पुताई नहीं
50	बडोल	ग्राम पंचायत बडोल	प्राथमिक शिक्षा	ग्राम पंचायत समिति, टिम्बा काडो में एक कमरे का निर्माण	फरवरी 2019	2.76	1.40	अपूर्ण	लागू नहीं	प्लिंथ बीम के ऊपर ईट की जगह पत्थर की चिनाई की गई, जिससे सुरक्षा से समझौता हुआ है।
51	संगराह	ग्राम पंचायत संगाना	सड़कें व पुल	कोटी गांव तक लिंक रोड का निर्माण	सितम्बर 2019	15	10.32	अपूर्ण	लागू नहीं	स्टोन सोलिंग नहीं की गई।
52	संगराह	ग्राम पंचायत संगाना	उच्च शिक्षा	जीएसएसएस सांगाना सताहन में जी.आई. वायर मेष के साथ रिटेनिंग वॉल और बाउंड्री वॉल का निर्माण	सितम्बर 2019	7.68	7.68	पूर्ण	मार्च 2022	उपयोग में लाया गया।
				कुल		73.44	70.89			
				सकल योग		255.76	226.07			

© भारत के
नियंत्रक-महालेखापरीक्षक
www.cag.gov.in

<https://cag.gov.in/ag/himachal-pradesh>

